राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक : 2] ग्यारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का पच्चीसवां दिवस [संख्या : 14

गुरुवार
15 अप्रेल, 1999

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई
(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 360. श्री बाबूलाल नागर।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

पंचायत समिति छबड़ा में अनुसूचित जाति निगम की दुकानें

361. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) पंचायत समिति छबड़ा में वर्ष 1994-95 से फरवरी, 1999 तक अनुसूचित जाति निगम की कितनी दुकानें बनी हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त दुकानों की क्या स्थिति है? उक्त दुकानों का भुगतान किसके भौतिक सत्यापन/प्रमाणन पर किया गया?

(3) क्या उक्त दुकानों का पूर्ण भुगतान हो गया है?

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री बनवारी लाल बैरवा) : (1) पंचायत समिति छबड़ा में वर्ष 1994-95 से फरवरी, 1999 तक अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा 45 व्यक्तियों को दुकान निर्माण की स्वीकृति दी गई जिनमें 26 पूर्ण हुई व 19 अधूरी रहीं। ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में स्वीकृत 45 दुकानों की स्थिति परिशिष्ट-1 के कॉलम नं. 6 पर दर्शाई गई है। दुकानों का भुगतान ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव के प्रमाणीकरण के आधार पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, छबड़ा द्वारा किया गया है।

(3) 45 में से 26 दुकानों का पूर्ण भुगतान अनुदान की राशि द्वारा किया जा चुका है तथा 19 दुकानें जो अपूर्ण हैं, वे लाभार्थी द्वारा पूर्ण नहीं की जा रही है। अतः उनको नियमानुसार प्रथम किस्त का भुगतान ही किया गया है। लाभार्थियों से अनुरोध किया गया है कि वे योजना के प्रावधानों के अनुसार छत लेवल तक का कार्य पूर्ण कर लें ताकि उन्हें दूसरी किस्त का भुगतान किया जा सके एवं पूर्ण कर लें जिससे तीसरी किश्त का भुगतान किया जा सके।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि एक तो दुकानों के आवंटन के क्या नियम हैं? दूसरा, मंत्री महोदय क्या इस बात की जांच करायेंगे कि जिन लोगों के नाम दुकानें आवंटित हुई थीं या जिनको बनाने के लिए दी थीं, उनका मौके पर वहां कब्जा है या नहीं? और तीसरा मेरा सीधा-सीधा आरोप है कि आपने कुल 45 दुकानें मंजूर की हैं, उनमें से मात्र मूंडला पंचायत में 21 दुकानें, एक ही पंचायत में हैं, जबकि छबड़ा पंचायत समिति में 28 पंचायतें हैं, उनमें से एक में ही आपने 21 की है तो मेरा सीधा-सीधा आरोप है कि 21 में से एक भी दुकान मौके पर नहीं बनी है और उनकी यू.सी. जारी करवाकर उनका पेमेंट उठा लिया गया है। जिन लोगों ने उनका पेमेंट उठाया है या पेमेंट के भुगतान में जिन्होंने दस्तखत किये हैं, उनके खिलाफ कब तक कार्यवाही कर देंगे कृपया निश्चित तारीख बतावें।

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष जी, मुझे जो सूचना दी गई है, वह तो सदन के पटल पर प्रस्तुत है। जैसा छबड़ा से आने वाले माननीय सदस्य फरमा रहे हैं, नम्बर एक तो यह है कि चयनित परिवारों को दुकानें आवंटित की जाती हैं, जिनको बी.पी.एल. भी कहा जाता है और उनको मौके पर ही वहां तय कर लिया जाता है कि कौन व्यक्ति सक्षम है, किनको दुकान दी जानी चाहिए? जैसा आपने फरमाया है कि मौके पर नहीं है, मैं उनकी जांच करवा लेता हूं और अगर उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही कर दी जायेगी।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है। मैं आपकी इजाजत से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों में कोई भी काम होता है, उसका जेईएन. द्वारा एम.बी. भरने के बाद ही भुगतान किया जाता है, जबकि आपने जवाब में यह कहा है कि सरपंच और ग्रुप सचिव के द्वारा प्रमाण पत्र दिये जाने के बाद में भुगतान कर दिया गया है, ऐसा क्यों?

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष जी, ग्राम पंचायतों में जो काम होते हैं उसके अन्दर तखमीना बनाया जाता है वह जेईएन. द्वारा ही बनाया जाता है और उसका सत्यापन विभाग में, वहां पर मौके पर सरपंच तथा सचिव द्वारा ही किया जाता है। लेकिन तखमीना बनाने तक का काम और लुक ऑफ्टर करने का काम जेईएन. का ही होता है।

श्री रमजान खान : अध्यक्ष महोदय, यह गलत है। जेईएन. द्वारा एम.बी. भरने के बाद ही भुगतान किया जाता है, दूसरे आधार पर नहीं किया जाता है।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज व्यवस्था में ऐसा तय है कि कोई भी काम होता हैं उसकी एम.बी. फाइनल रूप से ओवरसियर हीं भरता है और जईएन. ही भरता है और आप कह रहे हैं कि सरपंच और ग्रुप सचिव के तस्दीक करने के बाद इस प्रकार का अंतिम भुगतान हो जाता है। मैं मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूं कि अंतिम भुगतान के लिए सरपंच

(श्री हीरासिंह चौहान)

और ग्रुप सचिव को कब अधिकृत किया, कौनसी सरकार ने, कब यहां से आदेश किये। अभी तक प्रचलित प्रथा है कि जब तक फाइनल पेमेंट के लिए ओवरसियर उस काम को देख नहीं लेता कि कम्प्लीट हुआ कि नहीं हुआ, तब तक पेमेंट नहीं हुआ करता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने कुल पंचायत समिति में 45 दुकानें आवंटित हुई, क्या कारण है, उनमें से 21 दुकानें एक ही ग्राम पंचायत को आवंटित की गई? क्या इस तरह के निर्देश नहीं है कि आपका उद्देश्य समाज के गरीब तबके को लाभान्वित करने का है? वो या तो आप यह स्पष्ट करें कि छबड़ा पंचायत समिति के अन्दर और अन्य किसी ग्राम पंचायत में योग्यताधारी गरीब लोग नहीं थे जिनको दुकानों के लिए राशि स्वीकृत की जाती या एक को ही क्यों दी? दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या कहीं भी और अन्य प्रकरण में सरपंच और सचिव दोनों के हस्ताक्षर से आज तक पेमेंट उठा हैं तो बता दें? एम.बी. जारी हुई है, टेक्नीकल मामला है, टेक्नीकल बातों को तकनीकी रूप से ज्ञान रखने वाला ही व्यक्ति समझेगा, क्या आप उसकी जांच करायेंगे?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मेरे सवाल का भी जवाब दें, इसकी जांच कब तक करवा लेंगे और जो सरपंच दोषी है, आज की तारीख में आप सरपंच का नाम ले रहे हैं, सरपंच और सचिव के कहने से, उनके कहने से हमने पेमेंट कर दिया तो आज की तारीख में मौके पर वहां कोई सरपंच है क्या, किसके खिलाफ जांच करवाओगे?

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास जो सूची उपलब्ध है महकमे की तरफ से, जैसा आपने फरमाया कि 21 दुकानें एक ग्राम पंचायत को अलाट हुई है, वह मैं पढ़कर आपको सुना देता हूं। 21 का आप मुलाहिजा फरमा लें कि 21 दुकानें किसको, किस पंचायत में अलाट हुई है। और पंचायत के नाम –

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ग्राम पंचायतवार बताइये आप, 28 पंचायतें हैं। एक ही ग्राम पंचायत में 21 दुकानें आवंटित क्यों की और मैं सीधा सीधा कह रहा हूं कि वह एक ही पंचायत को अलाट की है, वहां मौके पर दुकान नहीं है, मोके पर दुकान नहीं बनाई है और पेमेंट कर दिया है, आप कब तक जांच करवा देंगे? स्पेसिफिक बताइये आप और जो जांच करवायेंगे, इसमें लिख दिया आपने, सरपंच और सचिव के खिलाफ जांच करवायेंगे। वहां सरपंच है ही नहीं। सरपंच आपके आदेश से ही, हाई कोर्ट के आदेश से उसका नाम वहां की मतदाता सूची में से निकाल दिया है। जब मतदाता सूची में से, उस पंचायत की मतदाता सूची से सरपंच का नाम निकाल दिया गया तो वह सरपंच कैसे है, यह भी बताइये आप।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष जी, यह तो आप अलग से प्रश्न करें। लेकिन जो आपने बात की है, एक ही पंचायत के अन्दर बनी है, मुझे जो सूची

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

दी गई है, यह सब गांव अलग-अलग हैं और उन गांवों में, फिर भी आपको कोई शिकायत हो तो मैं तत्काल उसकी जानकारी कराकर जांच करवा लेता हूं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : नहीं, क्या अगर इसमें सरपंच दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही करवायेंगे, यह बताइये आप।

श्री बनवारी लाल बैरवा : निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, अगर दोषी हो तो।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, डा. किरोड़ी लाल।

विधान सभा क्षेत्र बामनवास की सम्पर्क सड़कें

362. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, गंगापुर सिटी के पास ग्रामीण सड़कों के निर्माण/रख-रखाव हेतु कितनी राशि उपलब्ध है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त समिति के अधीन विधान सभा क्षेत्र बामनवास में ऐसे अनेक ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा वर्ष 1991 की स्वीकृत 1000 की आबादी के अनेक गांवों को अभी तक सम्पर्क सड़क से नहीं जोड़ा गया है? यदि हां, तो ऐसे गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसे पंचायत मुख्यालय/गांवों को सम्पर्क सड़को से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम दांतासूती बागौर सड़क से एवं टुडीला को गंगापुर शफीपुरा सड़क से वाया झाड़ोली, रानीला, बड़ीला ठीकरिया जोड़े जाने हेतु मांग की जा रही है, जिसके प्रस्ताव भी मण्डी समिति द्वारा भिजवाये गये हैं? यदि हां, तो प्रस्तावों की प्रति सदन की मेज पर रखें। उक्त सड़कों की स्वीकृति अब कब तक जारी करवा दी जायेगी?

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत) : (1) इस वर्ष चालू एवं नवीन सम्पर्क सड़कों पर 230.31 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है। सड़कों का रख रखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है।

(2) जी हां। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा प्रस्ताव आने पर विचार किया जा सकेगा।

(4) दांतासूती बागौर रोड़ को जोड़ने का प्रस्ताव अपूर्ण प्राप्त होने के कारण मण्डी समिति से पूर्ण प्रस्ताव चाहे गये हैं। शेष सड़कों के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

डा. किरोड़ी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है

(डा. किरोड़ी लाल)

कि प्रस्ताव अपूर्ण है। एक पत्र उसके साथ में संलग्न है 23.2.98 का। प्रस्ताव संख्या 322, जो मण्डी समिति का है, और उसमें आठ सड़कें और मुख्य मण्डी प्रांगण तथा गौण मण्डी प्रांगण के प्रस्ताव 21.2.97 के द्वारा भिजवाये जाने का जिक्र है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रस्ताव 21.2.97 को भेज दिये और अगर आपने यहां बोर्ड में नहीं भेजे हैं तो वहां अब तक किस कारण से पेंडिंग है? अगर वह पेंडिंग है तो क्या उनको तुरन्त बुलाकर आप उनकी आवश्यक स्वीकृति निकालेंगे? नम्बर एक। नम्बर दो, मंत्री महोदय, यह जो सूची आपने दी है अकेली पंचायत समिति बामनवास के 14 पंचायत मुख्यालय है और सात ऐसे गांव है जो 1991 की आबादी के अनुसार एक हजार से भी अधिक की आबादी के हैं जो जुड़ने से रह रहे हैं। मंत्री महोदय, इसमें गंगापुर पंचायत समिति और पड़ती है उसका एक भी गांव या एक भी ग्राम पंचायत मुख्यालय ऐसा नहीं रहा जो सड़क से नहीं जुड़ा।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : गंगापुर का?

डा. किरोड़ी लाल : हां, जुड़ गये, सारे जुड़ गये। इनमें इतने ग्राम पंचायत मुख्यालय, इतने गांव रह रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव आप मंगवायें उसमें इस बात की प्राथमिकता की जाए, जो अब तक भेदभाव बरता गया उसको दूर करके क्या प्राथमिकता के आधार पर आप उनके प्रस्ताव मंगा कर इनको स्वीकृत करने का प्रयास करेंगे। एक यह कि माना मंडी समिति का बजट अपर्याप्त हो जाता है जैसा कि एक प्रति इसके साथ लगाई हुई है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि क्या मंडी डवलपमेंट फंड से कुछ सड़कों की आप स्वीकृति करने का इरादा रखते हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने फरमाया है कि उनके विधान सभा क्षेत्र की चौदह ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो अभी तक जोड़ी नहीं जा सकी हैं। किन्तु इसके साथ-साथ मैं निवेदन कर दूं, गंगापुर विधान सभा क्षेत्र जो इसी मंडी का पार्ट है, आपने जैसा फरमाया है कि कोई ऐसी पंचायत नहीं बची है जो जुड़ी नहीं हो, यह सही नहीं है। पांच ग्राम पंचायतें उस विधान सभा क्षेत्र की भी अभी सड़कों से जुड़ी हुई नहीं है। इसका अभिप्राय यह हुआ टोटल उन्नीस पंचायतें दोनों विधान सभा क्षेत्रों की ऐसी हैं जो अभी तक जुड़ी नहीं हैं। उसके अलावा कुछ सड़कें, पंचायत हैडक्वार्टर के अलावा भी, आपकी इच्छा है या मंडी समिति चाहती है, जन प्रतिनिधि चाहते हैं, वह भी मेरे पास सूची उपलब्ध है, जिनकी संख्या एक हजार से ऊपर है। मेरा निवेदन यह करना है कि साधनों की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता से जो वर्तमान नीति पिछली सरकार की बनी हुई चली आ रही है, उसके अनुरूप तो केवल पहले प्राथमिकता पंचायत मुख्यालयों को दी जायेगी। पंचायत मुख्यालयों के पूरे होने के बाद यदि वही नीति लागू रहती है तो एक हजार वाले प्रायोरिटी पर आयेंगे। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से अध्यक्ष

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

महोदय और सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि पंचायत मुख्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर जैसा माननीय सदस्य लिख कर देंगे उसी अनुरूप, आर्थिक साधनों की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत करने का प्रयास किया जायेगा। दूसरा, जैसा आपने पूछा कि मंडी के अलावा दूसरे साधनों से, तो मंडी के अलावा दूसरे साधन जो भी मुझे उपलब्ध होंगे, पूरे राजस्थान के ध्यान में रखते हुए जितना हिस्सा उनको मैं दे पाऊंगा, निश्चित रूप से पूरा प्रयास करके उनको संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय मंत्री महोदय, कम से कम जो मेरे को पता लगा है, आपको ज्यादा जानकारी है, मंडी डवलपमेंट फंड का कम से कम तीन सौ करोड़ रुपया सरकार के पास है, जिससे आप स्वीकृतियां प्रदान करोगे। मैं उसकी बात कर रहा हूं और जो आपने बताया, केवल विधान सभा क्षेत्र नहीं है, विधान सभा क्षेत्र का एक बौंली पार्ट और है, बौंली तहसील। जो बौंली लगती है सवाईमाधोपुर कृषि उपज मंडी में यह केवल पंचायत समिति जो आधा सेगमेंट है विधान सभा क्षेत्र का, उसके चौदह पंचायत मुख्यालय जो रह रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इनमें आप प्राथमिकता दें, स्वीकृति के समय में प्राथमिकता दें।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से एक नीति के अनुरूप राशि वसूल करते हुए प्राथमिकता के आधर पर सड़क नीति के अनुरूप सड़कों की स्वीकृति होती रही है। कुछ सड़कों की स्वीकृतियां, अधिक जिक्र नहीं करना चाहता और राजनैतिक रूप से मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता, लेकिन पहले कई बार यह देखा गया है कि नीति के अलावा भी कुछ सड़कों का निर्माण हो गया, स्वीकृति हो गई और उनके बारे में माननीय सदस्यों ने विधान सभा में प्रश्न भी पूछे थे। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से कि जो नीति है उस नीति के अनुसार जितने साधनों की उपलब्धता होगी उनके क्षेत्र को भी इसमें मैं पूरा प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करूंगा। मैं इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मेरा पहले है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पूर्व सरकार... (व्यवधान) रायपुर का सवाल नहीं है, पूर्व सरकार ने पी.डब्ल्यू.डी. और आपकी कृषि...

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : गंगापुर का है साहब, मेरा क्षेत्र आता है इसमें।

श्री हीरासिंह चौहान : विपणन बोर्ड का जो कोआर्डिनेशन किया था, क्या अभी भी उसी कोआर्डिनेशन को अपनाते हुए जो-जो एक हजार से अधिक आबादी के गांव हैं, ग्राम पंचायत मुख्यालय रह गये हैं, उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। दूसरा मेरा सवाल है माननीय मंत्री महोदय, कि हर जिले में सुपर ए क्लास कहिये या ए क्लास कहिये, मंडियां जो हैं, जिनकी प्रतिदिन लाखों से

(श्री हीरासिंह चौहान)

भी ऊपर आमदनी होती है, उन मंडियों का जो बहुत ज्यादा, एक्सेस बजट है उससे प्रत्येक जिले में, पूरे जिले में, जो मंडियों की सड़कें रह गई है महत्त्वपूर्ण, उनको जोड़ने के अभी भी प्रयास किये जायेंगे, या वह मण्डी समितियां केवल अपने क्षेत्र में ही अपनी धनराशि लगायेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो गंगापुर सिटी के एरिया में है....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं। है हुक्म, लेकिन यह जो बजट वाला मामला रहा है यह पूरे राजस्थान का आता है, पूरा राजस्थान। गंगापुर का सवाल है लेकिन यह पूरे राजस्थान....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस उपखण्ड में मेरा क्षेत्र आता है, नादौती आती है मेरी तहसील।

श्री अध्यक्ष : हां, मान ली।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी गंगापुर क्षेत्र के अंदर मेरी तहसील नादौती आती है, मेरे क्षेत्र की। मेरा विनम्र निवेदन है आपके माध्यम से कि मेरे यहां कुछ सड़कें आपने पहले बनाई हैं जो सड़कें अधूरी हैं। मेहरबानी करके क्या आप पहले उन अधूरी सड़कों को पूरी करेंगे। जैसे गुढ़ाचन्द्रजी से पाल और गुढ़ाचन्द्रजी से रायसेन के बीच मे आपने अपनी कृषि उपज मंडी से जो सड़कें बनाई हैं वह अधूरी पड़ी हैं। पैसा आपका लग गया, जनता के कोई काम नहीं आ रहा, सारी गिट्टियां वहां से उठ चुकी हैं। इसलिए मेहरबानी करके पहले तो अधूरियों को पूरा करें। इस मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में जो पंचायत हैड क्वार्टर रह गये हैं नादौती तहसील के, कृपया मेहरबानी करके क्या आप उन पंचायत हैड क्वार्टर को जोड़ेगे ? तीसरा मेरा निवेदन है कि गंगापुर में सारा पैसा लगाया जाता है जबकि क्षेत्र मेरा भी नादौती पड़ता है। सबसे ज्यादा मंडी में हमारा माल पहुंचता है उसके बावजूद भी आपने नादौती तहसील की उपेक्षा कर रखी है, सारा पैसा गंगापुर में ही लगा दिया जाता है। मेहरबानी करके क्या आप कुछ इस प्रकार का नियम बनायेंगे ताकि अपने पैसे को उसी हिसाब से बांटें ताकि मेरे क्षेत्र को भी पैसा सबसे ज्यादा दिया जाय ? यह तीन प्रश्न मेरे हैं अध्यक्ष महोदय, मेहरबानी करके आप इनका जबाव देंगे।

श्री अध्यक्ष : आपके तीन पूरक तो हैं लेकिन मूल प्रश्न से सम्बन्ध कहां हैं।

श्री रामस्वरूप : इसी से संबंधित है साहब। गंगापुर उपखण्ड का है मामला। गंगापुर उपखण्ड में आता है मेरा क्षेत्र नादौती।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी आपके क्षेत्र में कृषि उपज मंडी जो है....

श्री रामस्वरूप : गंगापुर मण्डी में ही आता है मेरा क्षेत्र।

श्री अध्यक्ष : गंगापुर का क्षेत्र आपका हो सकता है। हां, मैं समझ गया।

श्री रामस्वरूप : हां, गंगापुर मंडी में आता है मेरा क्षेत्र। बिलकुल साहब, उसी में आता है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन जो आप प्रश्न में सड़कों के नाम बोल रहे हैं यहां पर, आप अगर स्पेसिफिक भी पूछ लेते, जनरल पूछ सकते हैं आप।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, पूछिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, जिस तरह गंगापुर मंडी का या बामनवास की सड़कों का मामला है उसी तरह पूर्ववर्ती सरकार ने जो तीन सौ करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी की थीं, जिस में सौ करोड़ रुपये के तो मेरे ख्याल से टेण्डर भी हो गये थे, उनको वर्क आर्डर आपने अभी तक नहीं दिया, जिसमें बामनवास की सड़कें भी हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र की भी, सभी के विधान सभा क्षेत्र की, क्या उनको आप वर्क आर्डर देने का विचार रखते हैं। यदि हां, तो कब तक।

श्री अध्यक्ष : कौनसी सड़कें। आप सौ करोड़ वाला पूछ लेते। आपने प्रश्न में कहां पूछा है, सौ करोड़ की, कौनसी है सड़कें। कोई जनरल बात आई है। अगर आपके पास सूचना उपलब्ध है तो आप...

श्री रामस्वरूप : मेरा उत्तर दो।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो अपनी बात कही अधूरी सड़कों की, चाहे वह गंगापुर में आती हो या नहीं आती हो, उसके बावजूद...

श्री रामस्वरूप : आती है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अगर आती है या नहीं आती है, उसके बावजूद भी जहां से जितने साधनों की उपलब्धता होगी उनको मध्यनजर रखते हुए सरकार की जो बनी हुई सड़क नीति है उसके अनुसार यदि आप यह चाहेंगे कि पहले जो अधूरी हैं उनको प्राथमिकता दें, तो नीति के अनुसार उनको प्राथमिकता देने का प्रयास करूंगा। यदि आप यह चाहेंगे कि पहले पंचायत मुख्यालयों को प्राथमिकता दें तो नीति के अनुसार उनको प्राथमिकता देने का प्रयास करेंगे। जितने साधन उपलब्ध होंगे, अधिक से अधिक आपके क्षेत्र की सड़कों की सेवा करने का मैं प्रयास करूंगा, नीति के अनुसार।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, नीति को आप स्पष्ट करें...

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, हम सवालों में नीति संबंधी बातें तो पूछ नहीं सकते सरकार से क्योंकि आपने नियमों में हमें प्रतिबंधित कर रखा है कि कोई नीति संबंधी प्रश्न हम पूछ नहीं सकते...

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय मंत्री महोदय हर सवाल में नीति, नीति ला रहे हैं तो हम क्या समझें श्रीमान्।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : यह सड़क नीति की बात कर रहे हैं श्रीमान्।

श्री अध्यक्ष : सड़क नीति की बात है।

श्री रामनारायण चौधरी : सड़क नीति की बात, नीति संबंधी पूछ नहीं सकते_

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : सड़क नीति बनी हुई है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : सड़क नीति पूर्व की सरकार की जो है_

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : सड़क नीति बनी हुई है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं.....(व्यवधान) मैं बता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले सवालों में, आज से पहले जो प्रश्न पूछ गये, कुछ माननीय सदस्यों ने.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : हरिसिंहजी, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार एक प्रश्न के उत्तर में, संगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाल पूछा था, कुछ दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा, मुझे दिये भी हैं, जो सड़क नीति के अनुरूप नहीं बैठते, सड़क नीति में पहली प्राथमिकता पंचायत मुख्यालयों को है। निश्चित रूप से यह बात सही-सही है कि माननीय सदस्यों की राय के अनुसार कुछ महत्त्वपूर्ण सड़कें जो नीति में नहीं आती हैं उनको बनाना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पिछली बार एक प्रश्न के जवाब में कहा रायपुर, पाली और अजमेर जिले को जोड़ने वाली महत्त्वपूर्ण सड़क है जो नीति में नहीं आती। पंचायत मुख्यालय नहीं है, लेकिन जोड़ी जानी चाहिए। मेरी भी यह मान्यता है, सरकार की भी यह मंशा है कि जहां माननीय सदस्य और जन प्रतिनिधि चाहते हैं कि नीति के अनुसार यह सड़कें नहीं बन पा रही है, लेकिन सड़कों का बनाना बहुत महत्त्वपूर्ण है तो नीति के अन्दर आवश्यक परिवर्तन करने की यदि आवश्यकता पड़े तो वह भी, कृषि उपज मंडियां स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, स्वायत्तशासी संस्थाओं को इस बात का अधिकार रहना चाहिए कि अपने क्षेत्र में वह उपयोगिता देखे और किसान को उसकी उपज का अधिक से अधिक लाभ मिलने के लिए तुरंत वह शहर तक पहुंच सके, मण्डी तक पहुंच सके। वो नीति होनी चाहिये थी, किन्तु मैं आरोप की दृष्टि से नहीं कहता पिछली सरकार में नीति बनी उसमें पंचायत मुख्यालयों को प्राथमिकता दी जाये यह तय करके पी.डब्ल्यू.डी. के साथ इसको क्लब कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस तरह की माननीय सदस्यों की भावना आई है, पंचायत मुख्यालय के अलावा भी जहां सड़कों की आवश्यकता है जो नीति में नहीं आती है, इनको बनना चाहिये। आप लोगों की भावनाओं को देखते हुए सरकार नीति में परिवर्तन, संशोधन करने की कोशिश करते हुए जितने साधन होंगे उतने साधनों से आप लोगों की इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सरकार की नीति जो बी.जे.पी. की नीति है

(श्री रामनारायण चौधरी)

वही है या आपने कोई अलग नीति निर्धारित की है? आप एक बात स्पष्ट कर दें कि पुरानी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की थी उसी नीति पर चल रहे हैं या आपने कोई अलग नीति बनाई है?

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की नीयत साफ है इसलिए नीति अपने आप ही बदल जायेगी।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : सड़क नीति किसी भी सरकार ने बनाई हो मंत्रिमण्डल की बैठक में निर्णय लेकर जिस नीति का प्रारूप अप्रूव हो चुका है, मंत्रिमण्डल ने जो नीति तय कर दी, चाहे किसी सरकार ने बनाई हो, चाहे कांग्रेस की सरकार ने बनाई हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई हो——

श्री नारायण सिंह : आप ठीक समझ गये क्या उस नीति को?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : वही मैं चल रहा हूं आगे, वही नीति आगे बनी हुई है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने नई नीति बना ली या बी.जे.पी. की नीति पर ही चल रहे हो, मेरा सीधा जवाब दीजिए आप। आपने नई नीति बना ली या बी.जे.पी. की सरकार की नीति के ऊपर ही चल रहे हो ?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूं (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : ऑनरेबल मिनिस्टर, आप जवाब को पुश नहीं करें, सीधा जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, पूर्ववर्ती सरकार ने सड़क नीति बनाई थी। आप जिस सड़क नीति का उल्लेख कर रहे हैं, उस नीति में वर्तमान सरकार ने कोई परिवर्तन करके, संशोधन करके, संशोधन करके दूसरी नीति बनाई है क्या?

श्री नारायण सिंह : या बनाने का इरादा है?

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : नीतिगत प्रश्न है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही स्पष्ट कर रहा हूं, नीतिगत ही जवाब दे रहा हूं। पिछली सरकार के समय मंत्रिमण्डल में निर्णय करके एक नीति बना दी थी। उस नीति को परिवर्तन करने का अधिकार मंत्री को नहीं होता, इसके लिये केबिनेट मीमो बना करके मंत्रिमण्डल में जायेगा। माननीय सदस्यों की भावनाओं के अनुसार मैंने पिछली बार अपने सवाल के जवाब में कहा था कि माननीय सदस्यों की ऐसी भावना है। अतः जैसा कि उदाहरण दिया था, रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने मांग की थी कि पाली और अजमेर को जोड़ना आवश्यक है चाहे वह नीति में न आये। मैं यह आश्वासन दे चुका हूं कि मंत्रिमण्डल के अंदर नीति को पुनः रख कर——

श्री रामनारायण चौधरी : ऐसा वो भी करते थे, कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल नहीं था, ऐसा वो भी करते थे, अपने आदमियों

(श्री रामनारायण चौधरी)

को ओब्लाइज करने के लिए नीति-वीति की कोई बात नहीं थी, वो सीधा भी कर देते थे। इस लिए आप कह दीजिए कि वह नीति-वीति कुछ नहीं है, हम नई नीति बनायेंगे। आप कहिए कि वह नीति-वीति कुछ नहीं है, वह उन्हीं के साथ चली गई।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : यही मैं कह रहा हूं, वही मैं जवाब दे रहा हूं। वर्तमान सरकार कोई काम नीति विरुद्ध या अनीतिपूर्ण नहीं करेगी लेकिन माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए किसान के हित में नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी वो वर्तमान सरकार मंत्रिमण्डल के माध्यम से अप्रूव करा कर के नीति में परिवर्तन करने का विचार रखती है जो शीघ्र ही करेगी।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, परनाला वही गिरेगा। बात सब सही है लेकिन परनाला वही गिरेगा, नीति वही रहेगी जो बी.जे.पी. की सरकार ने बनाई, मैं यही पूछना चाहता हूं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय मंत्री जी, जिन सड़कों के टेण्डर हो चुके उनको क्या वर्क आर्डर देंगे आप या नहीं देंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपको अनुमति नहीं है।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक सवाल किया है कि जो पुरानी नीति है उसी को मानेंगे या इनके जैसे लोगों को ओब्लाइज करने के लिये भी कोई व्यवस्था बनायेंगे, इसका जवाब दीजिए आप तो।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : ओब्लाइज करने का प्रश्न नहीं है। राजस्थान के किसान के हित में नीति में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी जन प्रतिनिधियों की राय से नीति में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी तो राजस्थान की सरकार नीति परिवर्तित करेगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप उसका जवाब दीजिए ना (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिन सड़कों का टेण्डर हो चुका उनको वर्क आर्डर देंगे या नहीं (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : इनकी नीति में, पूर्व बी.जे.पी. की सरकार की नीति में उनके कार्यक्रम में मुख्य सड़क से 1/4 किलोमीटर सड़क (व्यवधान) मान्यवर, बी.जे.पी. की सड़क नीति के हिसाब से मुख्य सड़क से आधे किलोमीटर स्थित गांव जिसकी जनसंख्या 700 है उसको इन्होंने सड़क से नहीं जोड़ने दिया और 10 किलोमीटर दूर गांव है वहां तक ले गये हैं जिसके अंदर एक भी गांव बीच में नहीं आता है। यह काहे की नीति है, यह तो रुपयों की बरबादी थी। एक किलोमीटर, आधा किलोमीटर, पोन किलोमीटर, दो किलोमीटर के गांव अगर जोड़े जाते हैं तो अब तक इससे अधिकांश गांव जुड़ गये होते। लेकिन इन्होंने नीति बना दी 20 किलोमीटर तक और जो. बी.जे.पी. के गांव रह गये थे, उस हिसाब से इनको जोड़ने के लिये, गांव बी.जे.पी. के है जोड़ना

(श्री रामनारायण चौधरी)

है इनको, इनकी नीति काहे की थी? सरकार का पैसा बरबाद करना था। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : वो तो जोड़ा था, कांग्रेसी गांवों को जोड़ दिया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, वो उत्तर दीजिए, आपने पूछ लिया भंवरलाल जी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : पहले मेरे सवाल का जवाब दिलवाओ। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कृषि उपज मण्डी द्वारा जो——

श्री अध्यक्ष : आप नहीं, आपको मैं पूछने नहीं दे रहा हूं, आप पहले अनुमति लीजिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आपने ही अलाउ किया है।

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी ने एक पूरक प्रश्न पूछा है (व्यवधान) बीच में नहीं, बीच में नहीं। आप आपस में कर रहे हैं। आसन पैरों पर। श्री भंवरलाल जी शर्मा ने प्रश्न पूछा है और मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी प्रश्न पूछा है और एक प्रश्न किसी और ने भी पूछा है, उसका उत्तर दे रहे हैं मंत्री जी। पहले उत्तर देने दीजिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य ने और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने चिंता जताई है। मैं निवेदन कर चुका हूं कि किसान को लाभ देना हमारी पहली प्राथमिकता है। कृषि उपज मण्डी की स्वायत्ता को बरकरार रखना हमारी प्राथमिकता है। पिछली नीति के अनुसार स्वायत्तशासी संस्थाओं को दरकिनार करते हुए बिना उनसे प्रस्ताव लिये एक नीति पंचायत हैड क्वार्टर को जोड़ने की जयपुर में बैठकर तय कर ली जिस वजह से सारे दोष पैदा हुए है। मैं सदन को आश्वस्त कर चुका हूं कि जहां नीति में परिवर्तन की आवश्यकता होगी किसान के हित में——

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप स्पेसिफिक यह बात बताइए कि पूर्ववर्ती सरकार की जो नीति थी उस नीति के बाद आपने कोई नई सड़क नीति बनाई है क्या?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मैं बता रहा हूं, गत सरकार की जो नीति थी उसमें परिवर्तन अभी तक नहीं हो पाया है। उसके अंदर परिवर्तन करने के लिये मंत्रिमण्डल के लिये प्रस्ताव तैयार कर लिया है। नीति में परिवर्तन सरकार करने जा रही है।

श्री रामस्वरूप : इस परिवर्तन का इरादा रखती है क्या?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : परिवर्तन करने जा रही है, इरादा है। जन प्रतिनिधियों की राय के अनुसार किसानों के लाभ में कृषि मण्डी समितियों की स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए पुरानी नीति में संशोधन करना आवश्यक मानती है, इसके लिये प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज टेक योर सीट।

श्री रामस्वरूप : हमारी राय है कि परिवर्तन कर दो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो सड़कें स्वीकृत हुई हैं वो नीतिगत है। जब मंत्री जी कह रहे हैं कि नीति में परिवर्तन नहीं हुआ है तो उन सड़कों पर आप वर्क आर्डर क्यों नहीं निकाल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : आपको मैंने पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी है। नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री ललित भाटी।

नगर सुधार न्यास अजमेर के निर्माण कार्य

363. **श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व)** : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि सरकार के आदेश दिनांक 30.8.93 के अनुसार पंजीकृत ठेकेदारों को ही एक लाख रुपये से अधिक के कार्य आबंटित किये जाने का प्रावधान है?

(2) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा गत पांच वर्षों से एक लाख रुपये से अधिक लागत के निर्माण कार्य अनेकों गैर पंजीकृत ठेकेदारों को आवंटित किये हैं? यदि हां तो ऐसे समस्त कार्यों की सूची मय ठेकेदारों के नाम, कार्य की लागत व अनुबन्ध संख्या आदि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ऐसे मामलों की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भी की जा रही है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

(4) क्या सरकार ऐसे मामले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हों, तो क्या व कब तक और नहीं, तो क्यों?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शांतिकुमार धारीवाल) : (1) जी हां। नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा गत पांच वर्षों में एक लाख से अधिक व निर्माण कार्य न्यास में अपंजीकृत किन्तु अन्य विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों को अमानत राशि प्राप्त कर आवंटित किये गये हैं। जिसका प्रावधान पी.डब्ल्यू.डी. मैनुअल वोल्यूम II वर्क्स के नियम 33.8.3 में है। जिसकी सूची मय वांछित विवरण संलग्न है।

(2) हां, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा ऐसे मामलों के निम्न दों अपराध पंजीबद्ध किये जाकर अनुसंधान करवाया जा रहा है :—

(3) 1. अपराध संख्या 170/98 अन्तर्गत धारा 13(1) (डी) सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 व 120 बी. भारतीय दण्ड संहिता विरुद्ध श्री गोवर्धन लाल शर्मा, अधिशासी अभियंता नगर सुधार न्यास अजमेर एवं मैसर्स रायल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, अजमेर।

2. अपराध संख्या 177/98 अन्तर्गत धारा 13(1)(डी) सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 व 120 बी भारतीय दण्ड संहिता विरुद्ध श्री गोवरधन लाल शर्मा तत्कालीन अधिशासी अभियंता, नगर सुधार न्यास, अजमेर एवं मैसर्स कोहिनूर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी। उक्त दोनों मामले अन्वेषणाधीन हैं।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

(4) भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो में पंजीबद्ध अभियोगों का अनुसंधान किया जा रहा है। जैसे ही अनुसंधान पूर्ण होगा, अनुसंधान रिपोर्ट का कानूनी दृष्टिकोण से परीक्षण कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। तत्पश्चात् ही दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी एक तरफ तो खण्ड एक में वह रहे हैं सिर्फ एक लाख रुपये तक का ही ठेका पंजीकृत ठेकेदारों को दिये जाने का प्रावधान है और खण्ड दो में एक नया पी.डब्ल्यू.डी. मैनुअल वाल्युम का हवाला इसके अन्दर दे रहे हैं। मेरा बिलकुल स्पष्ट पूछना था कि जब पंजीकृत ठेकेदारों को एक लाख तक का ही देना है तो यह बचने की जो गली खण्ड दो में निकाली है, यही एक बात स्पष्ट कर रही है। पिछली सरकार के जिस ओब्लीगेशन की बात अभी यहां कर रहे थे, यह पिछली सरकार का कारनामा है जो मैंने इस क्वेश्चन के माध्यम से पूछा है। पृथ्वीराज स्मारक अजमेर के अन्दर बनवाया गया। वहां पर आडवाणी जी आये। इस ठेकेदार ने जिसके खिलाफ ए.सी.डी. के अन्दर मुकदमा दर्ज है, उसने साफा पहनाया तो उसको 34 लाख रुपये का इन्होंने कांट्रेक्ट दिया। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में जांच इसलिए है क्योंकि इसकी शिकायतें हुई हैं। सारा सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है और जो कच्ची बस्तियों में लगना था वह पैसा है। वह पैसा इन्होंने एक ठेकेदार को ओब्लाइज करने के लिए और सरकारी राशि को बंदरबांट करने के लिए यह कारनामा किया और मंत्री जी कह रहे हैं कि वोल्यूम के अन्दर मैनुअल वोल्यूम का जो टू है पी.डब्ल्यू.डी. इसके अन्तर्गत इन्होंने दिया, निविदाएं जब आमंत्रित की गयी— (व्यवधान) — मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि इसमें जो विरोधाभाषी जवाब मंत्री जी ने दिया है इसको थोड़ा स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : स्पेसिफिक पूछिये आप, आपने पूछ लिया है प्रश्न।

श्री ललित भाटी : उसका जवाब दें कि साहब, यह विरोधाभासी क्यों हैं?

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान, जो सूची इन्होंने दी है एक लाख से ऊपर के कामों की, उनके आइटम, 9, 10 और 11 की ओर ले जाना चाहता हूं। आपने कहा है कि पंजीकृत अगर किसी दूसरे विभाग में कोई भी ठेकेदार है तो उसको ठेका दिया जा सकता है अमानत की राशि जमा करवाने पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस कोहिनूर कंस्ट्रक्शन कम्पनी का राजस्थान सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन है। एक बात, आप कहेंगे कि इसमें जो सूची दी है, अध्यक्ष महोदय, उसमें लिखा है कि इसका रजिस्ट्रेशन एम.ई.एस., मिलिट्री इंजिनियरिंग सर्विस, वह भी जयपुर में, और उसमें भी मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं वह देख ले कि एम.ई.एस. में जो इसका रजिस्ट्रेशन है उसमें इसको केवल तीन लाख रुपये तक की राशि तक के काम कराने की ठेकेदारी

(श्री गोविन्द सिंह)

दी है। रजिस्ट्रेशन किया है कि यह तीन लाख रुपये तक के काम करा सकती है। अभी जो मैंने आपको बताया 9, 10, 11 ये काम तीन लाख से ज्यादा के हैं। इनके खुद के मापदण्ड के अनुसार भी यह अनियमितता हुई है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस नियमितता करने वाली आदमी को, चाहे वह अधिशासी अधिकारी हो, उसको दण्डित किया जाय। और दूसरा सवाल मैं यह पूछना चाहता हूं, उचित होगा पहले आप यह पहला ही जवाब दे दें।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : जांच को ध्यान में रखकर जवाब दें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जांच कौन, आप कर रहे हैं ?

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : अभी बता दें, करना है तो मुझे बतायें, नहीं हो, यह तय करना है मेरे को।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अभी तो मेरे सामने आप विराज रहे हैं। मैं आपको तो प्रभावित नहीं करूंगा, आप चिन्ता मत करो।

श्री भंवर लाल शर्मा : नहीं, मैं तो बहुत पहले से ही प्रभावित हूं आपसे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह पूछा गया कि कोहिनूर एन्टरप्राइजेज को ठेका क्यों दिया गया तीन लाख रुपये से ऊपर। मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन है कि प्रोविजन यह है कि अगर यू.आई.टी. में रजिस्टर्ड नहीं है कोई फर्म, तो वह अमानत की राशि देकर ठेका ले सकती है। यह बात सही है कि यह कोहिनूर एन्टरप्राइजेज राजस्थान सरकार के किसी भी विभाग में पंजीकृत नहीं है। यह एमईएस. में पंजीकृत है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जब यह निविदाएं जारी की गयी तो उस वक्त ठेकेदारों की वेलफेयर सोसाइटी अदालत में चली गयी। और उन्होंने एक दावा यू.आई.टी. अगेन्स्ट में दायर कर दिया। दायर करने के बाद माननीय अदालत ने, अदालती सिविल जज नार्थ, अजमेर, उन्हाने एक आदेश दे दिया कि यह जो निविदाएं हैं उनमें प्रार्थीगणों को शामिल करने की अनुमति दी जाती है। जैसा आप कह रहे हैं कि तीन लाख से ज्यादा का ठेका इनको नहीं दिया जाना चाहिए था, यह सही है कि तीन लाख से ज्यादा का ठेका इनको नहीं दिया जाना चाहिए था क्योंकि इनकी जो केटेगिरी है, कोहिनूर कंस्ट्रक्शन कम्पनी वालो की____

श्री गोविन्द सिंह : इस फर्म को 34 लाख रुपये का...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं अर्ज कर रहा हूं, उसी बात पर आ रहा हूं कि इसकी जो केटेगिरी है वह डी केटेगिरी में आती है और डी केटेगिरी के समकक्ष है और डी केटेगिरी वालों को तीन लाख से ज्यादा का ठेका नहीं दिया जाना चाहिए लेकिन इस पर्टिकुलर केस में चूंकि माननीय अदालत का आदेश था, उन आदेशों की पालना में इसको ठेके में शामिल किया गया, जो 34 लाख रुपये का ठेका उसको____

श्री गोविन्द सिंह : कोई आदेश नहीं था कोहिनूर के बारे में। कोहिनूर के बारे में कोई आदेश नहीं था।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं बता देता हूं आपको। 20.9.95 को आदेश प्रसारित हुआ है, अदालत का नाम है सिविल जज उत्तर, अजमेर। इसको वेरिफाई करवा ले और कोर्ट के आदेश के अनुसार ही उससे दो परसेंट की 86 हजार की अमानत की राशि रखवायी गयी। बाद भी इसने इर्रेगुलेरिटीज की हैं जिसकी जांच अभी भी जारी है। इसी कंस्ट्रक्शन कम्पनी ने जो परफोरमेंस गारंटी का पैसा इसके साथ पांच परसेंट जमा कराना चाहिए था, वह वक्त पर जमा नहीं करवाया। जांच जारी है और जहां तक आपने एक्सईएन. के बाबत पूछा है, एक्सईएन. के बाबत तो आलरेडी इन्क्वायरी चल रही है। इन्क्वायरी की रिपोर्ट आ जायेगी, कार्यवाही करेंगे उसके खिलाफ।

श्री गोविन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, आपको भी अध्यक्ष महोदय, मालूम है कि राज्य अन्वेषण ब्यूरो पहले सूचना एकत्र करता है, सूचना के ऊपर लिखता है और सूचना की जांच करके जब प्राइमाफेसी केस बन जाता है, तब वह एफ.आई.आर. दर्ज करते हैं। इस केस में एफ.आई.आर. दर्ज की है, यह मंत्री महोदय खुद मान रहे हैं। इसका मतलब है, प्राइमाफेसी केस इन ठेकेदारों के और इस अधिशासी अभियंता के खिलाफ है। तो फिर मंत्री महोदय उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं ? क्यों इंतजार कर रहे हैं कि एसीडी. में जब केस डिसाइड होगा उसके बाद करेंगे ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह केस रजिस्टर्ड हुआ 1998 में एसीडी. में।

श्री अध्यक्ष : यह केसेज रजिस्टर हो गये हैं, माननीय सदस्य, एफ.आई.आर. दे दी गयी है—Cases are under investigation. यही स्थिति है न ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जी, हां। इन्वेस्टीगेशन में है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री कालूलाल खोईवाल।

पुठोली (चित्तौड़गढ़) में प्रदूषण

364. **श्री कालूलाल खोईवाल** (गंगरार) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पुठोली जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सल्फर-डाइ-आक्साइड गैस हवा में छोड़ी जाती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस गैस से आस-पास का वातावरण दूषित हो रहा है, जिससे फसल, मानव जीवन, जीव जन्तु पशु-पक्षी पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कारखाने से दूषित पानी छोड़ा जाता है उसमें एसिड की मात्रा काफी अधिक होती है जिससे वहां के पशुओं में बीमारियां हो जाती है ?

(4) सरकार इसकी रोकथाम के क्या उपाय कर रही है ?

राज्य मंत्री, पर्यावरण (श्री भगराज चौधरी) : (1) जी हां। हिन्दुस्तान जिंक

(श्री भगराज चौधरी)

लिमिटेड, पुठोली, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा जिंक और लेड धातुओं के अयस्क को स्मेल्टिंग प्रक्रिया से परिष्कृत कर जिंक, लेड केडमियम, कॉपर व सिल्वर आदि धातुओं का उत्पादन किया जाता है। इस प्रक्रिया में निकलने वाली सल्फर डाई ऑक्साइड गैस से सल्फ्यूरिक एसिड का सह उत्पाद के रूप में उत्पादन किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लान्ट की चिमनी से सल्फर डाई ऑक्साइड गैस की कुछ अधिशेष मात्रा निर्धारित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के माध्यम से ही हवा में छोड़ी जाती है।

(2) जी हां। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पुठोली के संयंत्र द्वारा, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक गैस छोड़ने पर आसपास का वातावरण दूषित होने के साथ साथ मानव जीवन, जीव जन्तु पशु पक्षी पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है।

(3) जी नहीं। उद्योग द्वारा वर्तमान में दूषित पानी कारखाने से नहीं छोड़ा जा रहा है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने दिनांक 26.7.95 को उक्त उद्योग को यह निर्देश दिये कि वह तीन महीने की अवधि में प्रदूषित जल के शून्य निस्राव की स्थिति प्राप्त करे। इसके उपरान्त मण्डल द्वारा दिनांक 5.12.96, 27.1.97, 19.3.97, 10.7.97, 6.10.97, 1.11.97, 4.2.98, 16.7.98, 18.12.98 एवं 20.3.99 को करवाये गये उद्योग के निरीक्षणों के दौरान यह पाया गया कि उद्योग द्वारा कोई उच्छिष्ठ (दूषित जल) उद्योग परिसर के बाहर नहीं छोड़ा जा रहा था। इस दौरान उद्योग से शून्य निस्राव की स्थिति पायी गयी।

पूर्व में निदेशक पशुपालन विभाग ने, इस उद्योग के समीपवर्ती गांवों के पशुओं पर इस उद्योग द्वारा छोड़े जाने वाले दूषित जल से पड़ने वाले दुष्प्रभाव के आंकलन के लिए जांच और सर्वेक्षण कार्य, जनवरी, 1996 में एपेक्स सेंटर, दुर्गापुरा, जयपुर एवं माह अप्रेल 1996 में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसन्धान संस्थान, इज्जतनगर (उत्तर प्रदेश) द्वारा करवाया था, जिसके अनुसार लेड पायजनिंग से पशुओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ना पाया गया था और पशुओं में बीमारी एवं उनकी मृत्यु की सूचना भी प्राप्त हुई थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, पढ़िये, पढ़िये।

श्री भगराज चौधरी : I am coming to part IV.

(4) राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा दिनांक 16.12.96 को, उद्योग को, वायु प्रदूषण फैलाने के कारण वायु अधिनियम, 1981 की धारा 31 (ए) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था तथा उद्योग को वायु अधिनियम, 1981 के तहत उत्पादन चालू करने बाबत प्रदान की गई सम्मति वापस ले ली गई थी। इसके फलस्वरूप उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उद्योग के एसिड प्लान्ट एवं सिन्टर प्लान्ट में आई खराबी को दूर किया गया। उद्योग के एसिड प्लान्ट का "हीट एक्सचेंजर" बदल दिया

(श्री भगराज चौधरी)

गया तथा वर्तमान में सल्फ्यूरिक एसिड प्लान्ट डबल कनवर्जन डबल एब्जारप्शन? (डी.सी. डी.ए.) सिस्टम पर आधारित है तथा उद्योग के सिन्टर प्लान्ट के बेग फिल्टर भी दिनांक 10.2.1997 को बदल दिये गये थे।

उद्योग से उत्सर्जित गैस से आस-पास के वातावरण पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव की जानकारी का आकलन करने के लिये राज्यमण्डल ने उद्योग को दिनांक 23.5.98 को यह निर्देश दिये थे कि वह 10 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में स्वास्थ्य, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से अध्ययन करावें तथा आसपास के निवासियों की शिकायतों को दूर करने के लिए कार्य योजना भी प्रस्तुत करें जिसका आकलन राज्य प्रदूषण नियंत्रण द्वारा किया जा सके।

प्रदूषित जल के उपचार हेतु उद्योग ने उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र (Effluent Treatment Plant) की स्थापना कर रखी है। उपचारित जल को उद्योग द्वारा पौण्ड (Tank) में एकत्रित कर उसके कुछ भाग को उद्योग में औद्योगिक प्रक्रिया हेतु पुनः काम में लिया जाता है तथा शेष को वृक्षारोपण कार्य हेतु काम में लिया जाता है।

इस प्रकार राज्य मण्डल के सतत प्रयासों से उद्योग ने शून्य निस्राव (Zero Discharge) की व्यवस्था की।

उद्योग में उचित उपकरण लगाकर उपचारित उच्छिष्ठ (Treated Effluent) के अधिकाधिक भाग का पुनः चक्रण (Recycling) किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप इसके द्वारा पूर्व में पानी का उपभोग 9000 मीटर क्यूब प्रतिदिन से घट कर अब 5000 मीटर क्यूब हो गया है।

उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु आवश्यकतानुसार उपकरण/संयंत्र लगाये हुए हैं। फिर भी सल्फर डाई आक्साइड की मात्रा के उत्सर्जन में और कमी करने के लिए उद्योग द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट में एक "प्री ड्राइंग टावर" की स्थापना की जा रही है, जो उद्योग द्वारा माह अगस्त, 1999 तक स्थापित कर लिये जाने की सम्भावना है। You will not find any supplementary to ask.

श्री कालूलाल खोईवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह जो जिंक कारखाना लगा हुआ है, इसमें गैस छोड़ी जाती है और उन्होंने जो विवरण भेजा है यह संशय की स्थिति है। वहां पर जो बेड़च नदी है, उसमें पानी में एक भी जीव जन्तु नहीं बचा हुआ है। वनस्पति नष्ट हो गयी है और मानव जीवन पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। उसके लिये जो वर्णन दिया है वह सही नहीं है।

मैं मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में जानना चाहूंगा कि यह पशु चिकित्सा अनुसन्धान, इज्जत नगर द्वारा जांच में पशुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा, इसके लिये जांच सूचना सही प्राप्त हुई थी। तो क्या उसमें यह बताऐंगे कि कितने पशुओं की मृत्यु हुई, कितने बीमार थे और पशुओं की मृत्यु

(श्री कालूलाल खोईवाल)

हुई उसके लिये विभाग द्वारा, राज्य सरकार द्वारा और मेनेजमेंट द्वारा क्या सहायता दी गई। क्या आपको यह जानकारी है कि एक वर्ष पहले इस कारखाने द्वारा, क्या यह भी सही है कि एक वर्ष पूर्व अत्यधिक गैस छोड़े जाने के आसपास के क्षेत्र में हड़कम्प मच गया था।

श्री अध्यक्ष : आप संक्षेप में पूछे। पूरक प्रश्न हैं, और मंत्रीजी उत्तर दे सकेंगे।

श्री कालूलाल खोईवाल : जी, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। यह गम्भीर मसला है, यह गम्भीर समस्या है, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड.......(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अलग-अलग पूछ लीजिए।

एक माननीय सदस्य : एक हमको भी पूछने दो। (व्यवधान)

श्री कालूलाल खोईवाल : मंत्रीजी बताएं कि पशु चिकित्सा अनुसन्धान, इज्जतनगर द्वारा जांच में जो सूचना सही प्राप्त हुई उसमें पशुओं की जो मृत्यु हुई उसकी संख्या कितनी थी और उनको मुआवजा देने के लिये क्या कार्यवाही की गयी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये। अब आपके प्रश्न आ गये हैं। मंत्रीजी।

श्री भंगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सप्लीमेंट्री के रूप में जो प्रश्न पूछे हैं उनको निरूत्तर करने के लिये मैंने पूर्व में ही काफी विस्तृत ढंग से जवाब दे दिया है। उसमें सारे उत्तर आ चुके हैं। (व्यवधान) फिर भी, मैं अपनी बात को पुनः रिपीट करना चाहूंगा कि पूर्व में....(व्यवधान) .....

श्री कालूलाल खोईवाल : माननीय मंत्रीजी, मैं संख्या पूछ रहा हूं कि वहां जो जांच हुई, इसमें स्पष्ट आपने बताया है कि सही पाई गई पशुओं की मृत्यु हुई वह भी सही पाई गई। तो मैं यह पूछ रहा हूं पशुओं की संख्या कितनी थी और मुआवजे के रूप में क्या सहायता दी गई।

श्री अध्यक्ष : आप स्पेस्फिक प्रश्न पूछें।

श्री भगराज चौधरी : पशुओं के मरने के बारे में मैंने कोई जानकारी नहीं दी है आपको, न पशु मारे गये। पशुओं पर इस प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना व्यक्त की गयी है। किसी प्राकर के पशु के इससे मरने वाली बात की जानकारी न तो मैंने आपको दी है, न मैंने इसमें पढ़ा है।

श्री कालूलाल खोईवाल : खण्ड-3 के जवाब में आपने यह लिखा है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसन्धान संस्थान, इज्जतनगर द्वारा जांच करवायी गई थी, जिसके अनुसार पशुओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ना पाया गया था और पशुओं में बीमारी एवं उनकी मृत्यु की सूचना भी सही प्राप्त हुई थी। अब इसके लिये आप यह बताइये कि कब पशुओं की मृत्यु हुई, पशु मरे उनकी संख्या भी बताइये और उसके लिये..(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह तो आपको भी पता होगा।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न के भाग संख्या 3 में जो उत्तर दिया है, उस सम्बन्ध में पूछा है।

श्री भगराज चौधरी : इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि मैंने यह नहीं कहा कि मृत्यु हुई, मैंने कहा कि मृत्यु सम्बन्धी जनकारी भी प्राप्त करने की कोशिश की गयी। मैं फिर इसको दुबारा पढ़ना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री कालूलाल खोईवाल : नहीं, साहब, आप देखिये खण्ड-3 में, इन्होंने साफ जवाब दे रखा है। इसमें खण्ड-3 के अन्त में, कि बीमारी लगी पशुओं को, यह सही है और मृत्यु की सूचना भी प्राप्त हुई थी। उसके बाद विभाग द्वारा जांच की गयी तो पशुओं की संख्या कितनी है, कितने पशु मरे थे?

श्री भगराज चौधरी : पूर्व में पशुपालन विभाग ने इस उद्देश्य से सीमावर्ती गांवों के पशुओं पर इस उद्योग द्वारा छोड़े जाने वाले दूषित जल से पड़ने वाले दुष्प्रभाव के आंकलन के लिए जांच और सर्वेक्षण कार्य, जनवरी, 1996 में एपेक्स सेंटर, दुर्गापुरा, जयपुर एवं माह अप्रेल, 1996 में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसन्धान संस्थान, इज्जतनगर द्वारा करवाया था, जिसके अनुसार लेड पॉयजनिंग से पशुओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ना पाया गया था और पशुओं में बीमारी फैलने एवं उनकी मृत्यु की सूचना भी प्राप्त हुई थी।

श्री कालूलाल खोईवाल : तो, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि कितने पशु मरे। काश्तकारों के वहां पर कितने पशु मरे थे। पशु मरने के बाद क्या मुआवजा राशि दी गयी ? (व्यवधान) क्या प्रभावी कार्यवाही की गयी ?

श्री भगराज चौधरी : जहां तक पशुओं के मरने की संख्या का सवाल है, मैं इस बारे में जांच कर लूंगा, मालूम करवा लूंगा और जो भी स्थिति आएगी, मैं माननीय सदस्य को बाद में बता दूंगा। (व्यवधान)

श्री कालूलाल खोईवाल : जांच कब करेंगे, कब बताएंगे ? (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीचन्द कृपलानी, आप प्रश्न पूछिये। पहले प्रश्नकर्ता।

श्री कालूलाल खोईवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि एक वर्ष पूर्व अत्यधिक गैस छोड़ी गयी थी। कारखाने से, जिससे पूरे आस-पास के क्षेत्र में हड़कम्प मच गया था। जिला प्रशासन ने वहां पहुंचकर निर्देश दिये थे, क्या आपको यह जानकारी है। जानकारी है, तो आपके द्वारा क्या कार्यवाही की गयी, विवरण स्पष्ट करें।

श्री भगराज चौधरी : प्रश्न में यह है कि इस प्रकार की गैस छोड़ने से मवेशियों पर प्रभाव पड़ने की जो खबर, जानकारी हमें प्राप्त हुई, उसके बारे में आपने प्रश्न पूछा है तो हम उसके बारे में अलग से जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि वास्तव में कितने पशु मरे हैं, इसमें कोई बात नहीं रह जाती है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, हमें जानकारी कब मिलेगी ? जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो हमें जानकारी दिलाइये न। तो फिर प्रश्न पूछने का मतलब ही क्या हुआ ? आपसे प्रश्न पूछने का मतलब ही क्या हुआ ? हमें स्पष्टतः गुमराह करने वाली बात हो रही है।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था। देखिये, जो प्रश्न...

श्री कालूलाल खोईवाल : आप हमें स्पष्ट बताइये कि उसके लिए क्या प्रभावी कार्यवाही हुई है ? (व्यवधान) हमें क्यों गुमराह कर रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, ड्यूटी के बगैर मनुष्य भी पशु होता है। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न की जो मूल मंशा है, उसके बारे में मैंने विस्तार से उत्तर दे दिया है। अब चूंकि हमने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उत्तरप्रदेश की संस्था से और उन्होंने भी इस बात को जाहिर किया है कि इस प्रकार की गैस छोड़ने से मवेशियों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है और मृत्यु भी हो सकती है और कुछ होने वाली बात भी कही है तो चूंकि जहां तक होने वाली बात है, मृत्यु होने के सम्बन्ध में, इसके बारे में मैं अलग से जानकारी प्राप्त कर लूंगा। अलग से मैं जानकारी प्राप्त कर लूंगा और माननीय सदस्य...(व्यवधान)...

श्री कालूलाल खोईवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि मृत्यु हुई है, बीमारी लगी है तो उसका ही तो मैं जानकारी चाह रहा हूं कि उसके लिए क्या कार्यवाही हुई है अब तक?

श्री भगराज चौधरी : बीमारी होने वाली बात नहीं आयी, बीमार होने वाली बात जरूर आयी है...(व्यवधान)...

श्री रामस्वरूप : अब पशुओं के साथ समय नष्ट क्यों कर रहे हो आप ?

श्री कालूलाल खोईवाल : बहुत गम्भीर मामला है। मानव जीवन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन कर दिया है (व्यवधान)

श्री कालूलाल खोईवाल : मानव जीवन पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : कितने मवेशियों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, उससे कितनों की मृत्यु हुई है, इसके बारे में मैं अलग से जानकारी प्राप्त कर माननीय सदस्य को जानकारी दे दूंगा और अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी जानकारी दे दूंगा बाद में।

श्री कालूलाल खोईवाल : नहीं इसके मुआवजे के लिए क्या कार्यवाही की गयी यह भी मैं जानना चाह रहा हूं। जब उनके पशु मरे हैं, करीब दो हजार के लगभग पशु मरे हैं, तो यह छोटी-मोटी बात नहीं है। दो चार पशु नहीं मरे हैं। तो इसलिए

(श्री कालूलाल खोईवाल)

यह गम्भीर मामला है और इसके लिए आपने बिल्कुल जानकारी उपलब्ध नहीं करायी है। सही जानकारी नहीं दे रहे हैं और उनको मुआवजा क्यों नहीं दिया गया ? (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : जहां तक मुआवजा देने का प्रश्न है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, वह अपने सूट ऑफ दी डेमेज फाइल करे। सम्बन्धित मिल के खिलाफ और अपनी डिक्री करवा ले। हमें कहां आपत्ति है ?

श्री रामस्वरूप : आप कोर्ट में केस कराओ पशुओं से, जाओ पधारो। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : आप दावा पेश करवाइये। हमें कहां आपत्ति है ? हमें नहीं है। हमने तो किया नहीं है। सरकार ने तो किया नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री कृपलानी (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाह रहा था कि हिन्दुस्तान जिंक जब से वहां पर लगा है तब से...

श्री भगराज चौधरी : आप दावा पेश करवाइये और डिक्री कराइये।

श्री कालूलाल खोईवाल : दावा कैसे करेंगे, कब करेंगे ? जब पुराने मामले हैं, कब जांच करायी आपने इज्जतनगर वाले से और अब...

श्री भगराज चौधरी : मैं आपको फ्री कानूनी राय दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री कालूलाल खोईवाल : 1996 में श्रीमान्, यह जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है और अब आप कह रहे हैं कि दावा पेश कराइये। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : नहीं, वह जांच...

श्री कालूलाल खोईवाल : अब आप कह रहे हैं कि यह सारा उसी से...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष माहदेय, हम भी जानना चाहते हैं। इनका जवाब तो हमको भी सुनाई ही नहीं दे रहा है। मंत्री महोदय की एक-एक बात का उत्तर तो हम भी जानना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय यह कह रहे हैं, आप सुनिये। मंत्री महोदय, आप माइक को अपने मुंह पर रखें और थोड़े आप झुके हुए भी रहे, एक बात।

मंत्री महोदय यह उत्तर दे रहे हैं कि अगर जो पशु मरे हैं, सल्फरडाइओक्साइड से, कम्पनसेशन देने के सम्बन्ध में उनको दावे पेश करने चाहिए।

श्री भगराज चौधरी : बिलकुल ठीक बात है।

श्री अध्यक्ष : यही, ठीक कह रहे हैं न आप ?

श्री भगराज चौधरी : बिलकुल। मतलब कानूनी दृष्टिकोण से मैंने जो निवेदन किया है, सही बात वही है कि एग्रीव्ड पार्टी को ही दावा पेश करना होता है, सक्षम न्यायालय में, और फिर डिक्री प्राप्त करें। (व्यवधान)

श्री कालूलाल खोईवाल : श्रीमान्, जब कारखाना स्थापित हुआ है तो वहां के आस-पास के मानव जीवन और पशुओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री कृपलानीजी, आप पूछिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाह रहा था कि हिन्दुस्तान जिंक के लगने के बाद कितनी बार तो इसकी शिकायतें हुई और कितनी बार आपने इसकी जांच करायी और जांच कराने के बाद जैसा कि मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा कि अब वहां पर जो गंदा पानी है, उसको नहीं छोड़ा जा रहा है और वह जो गैस है, जिस तरह की यह बता रहे हैं, पूरे चित्तौड़गढ़ में पिछले वर्ष आतंक का वातावरण बन गया था। पूरे शहर में लोगों में अफरा-तफरी मच गयी थी। उसके बावजूद भी अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं आया। मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उसमें बताया कि सिन्टर प्लांट में खराबी दूर कर दी गयी है। हीट एक्सचेंजर बदल दिया गया और सिन्टर प्लांट के दो फिल्टर को भी बदल दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह हीट एक्सचेंजर क्या है ?

श्री अध्यक्ष : आप शार्ट में पूछिये। आप क्वेश्चन बहुत लम्बा मत कीजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : और हीट एक्सचेंजर क्या है और यह फिल्टर प्लांट का जो आपने बताया कि दो फिल्टर बदली गयी हैं, वह क्या होता है ? मंत्री महोदय, यह मुझे बता दें। (व्यवधान) और पिछले एक-दो वर्ष में कितनी बार किसानों ने पशुओं के मरने के मामले में आन्दोलन किये, उसके बाद आपने क्य-क्या कार्यवाही की, मंत्रीजी यह बतायें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप नहीं।

डा जसवन्त सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सबका एक बार जवाब दे देंगे, हमें भी मौका दें।

श्री अध्यक्ष : डा. जसवन्त सिंहजी, हां, बोलिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राजस्थान में क्या इतने और भी उद्योग हैं जो प्रदूषण फैला रहे हैं और उनकी जानकारी में भी फैला रहे हैं तो उनके खिलाफ यह कितनी जल्दी क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री कालूलाल खोईवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाह रहा हूं कि जब 1996 में यह जांच करवायी गयी थी और यह रिपोर्ट प्राप्त हुई कि पशुओं की मृत्यु हुई और बीमारी लगी है। तो अब मंत्री महोदय यह बतायें कि 1996 के बाद राज्य सरकार की तरफ से क्या प्रभावी कार्यवाही की गयी ? यह मुझे स्पष्ट करें।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब मैं दे चुका हूं। हमने दस बार बराबर निरीक्षण किये हैं और किसी प्रकार से इस प्लांट से न तो कोई गैस का रिसाव हो रहा है...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी : यह जो फिल्टर प्लांट किये हैं, उसका तो आप...(व्यवधान)...

श्री कालूलाल खोईवाल : मेरे जवाब नहीं आये हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये-बैठिये। सुने तो सही, आप जवाब तो सुनिये। आप कह रहे हैं, वह। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : हीट एक्सचेंजर पर, मैंने शुरू में ही बहुत विस्तृत में जवाब दिया है कि दस बार निरीक्षण किये जाने के बाद वाली बात के बारे में मैंने जानकारी दी है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने दिनांक 26.7.95 को उक्त उद्योग को यह निर्देश दिये कि वह तीन महीने की अवधि में प्रदूषित जल के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उसके बाद में मण्डल द्वारा दिनांक 5.12.96, 27.1.97, 29.3.97, 10.7.97, 6.10.97, 1.11.97, 4.2.98, 16.7.98, 10.12.98 और 20.3.99 को, कुल मिलाकर दस बार उद्योग के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि उद्योग चल रहा है और किसी प्रकार का अपशिष्ट नहीं छोड़ा जा रहा है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपके समझ में नहीं आएगा। पढ़ना तो पड़ेगा। जानवरों के बारे में कह रहे हैं। हमने कह दिया कि बुद्धि के बिना मनुष्य पर भी फर्क वही पड़ जाता है।, जानवरों के साथ रहता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में नहीं, बीच में नहीं।

श्री भगराज चौधरी : राज्य प्रदूषण मण्डल द्वारा...

श्री कालूलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, हम सब इसको कैसे समझेंगे ?

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा दस बार इसका निरीक्षण किया गया, जिसकी मैं तारीखें दे चुका हूं और दसों बार निरीक्षण करने के पश्चात् यह मालूम पड़ा कि इस उद्योग द्वारा न तो किसी गैस का रिसाव किया जा रहा है और न किसी प्रकार का कोई प्रदूषित जल छोड़ा जा रहा है जिससे मानव पर, पशुओं पर अथवा और किसी प्रकार प्राकृतिक वातावरण पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की कोई सम्भावना नहीं है।

श्री कालूलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, आज भी गैस छोड़ी जाती है। आज भी गैस छोड़ी जाती है और मानव जीवन भी उससे प्रभावित होता है। बीमारी फैलती है और विषैला पानी नदी में छोड़ा जाता है। वहां लिफ्ट योजनाएं लगी हुई हैं, उस पानी से भी भूमि उसर हो गयी है और उसके बाद कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं श्रीमान्, आपसे इतना आश्वासन चाहता हूं कि आप उस क्षेत्र में चलकर सर्वे कराकर उसके लिए कोई प्रभावी कार्यवाही करायें। हम यह आश्वासन चाहते हैं। यह बताइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, वहां पर पशु अभी भी मर रहे हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : फसलें नष्ट हो गयी हैं। जमीन की यह हालत है। पशु अभी भी मर रहे हैं उस क्षेत्र में...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : हां, यह बताइये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था, उसका कोई उत्तर नहीं आया है। मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि दस बार निरीक्षण किया। उसका कोई विपरीत प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है तो फिर यह क्या करेंगे ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : किसी प्रकार से सन्तुष्ट नहीं हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यह मान रहे हैं कि फर्क पड़ ही नहीं रहा है, तो फिर...(व्यवधान)...

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, दस बार राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के अधिकारियों के द्वारा अलग-अलग तारीखों को निरीक्षण किया गया। उसके दौरान इस प्लांट द्वारा किसी प्रकार से प्रदूषित जल अथवा किसी प्रकार की गैस का छोड़ा जाना नहीं पाया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्रसिंह जी।

श्री भगराज चौधरी : फिर भी यदि माननीय सदस्य यह चाहते हैं तो एक बार पुनः और निरीक्षण कराया जाए, तो मैं अधिकारियों को निर्देश दे रहा हूं कि माननीय सदस्य को साथ लेकर उनकी मौजूदगी में पुनः निरीक्षण कराये। मैंने बताया है। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने वहां पर (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अब भी वहां पर जानवर मर रहे हैं, अभी भी वहां पर फसलें नष्ट हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

मोहम्मद माहिर आजाद : उन्होंने कह दिया कि फिर से जांच करवा लेंगे अगर कोई नुकसान हो रहा है तो वह कर देंगे, फिर अब क्या बाकी बच गया ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शिवनाथ सिंहजी। बैठिये। वे काफी देर से खड़े हैं। आप आगे बैठते हैं, आगे वाली सीट पर, वे काफी देर से खड़े हैं, माननीय शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, मंत्री महोदय ने कानून की दृष्टि से तो जहां तक यह बात कही उनकी कानूनी विद्वता के हम कायल हैं लेकिन क्या आपका यह स्टेटमैंट बहुत घातक नहीं है कि आये दिन प्रकोप होते हैं, कारखानों से मौतें होती हैं, बिजली के कारण से मौतें होती हैं और आपने यहां इस प्रकार का स्टेटमैंट दिया और यह यदि लागू हो गया तो न तो बिजली विभाग और न सड़क विभाग, कोई भी विभाग अपने यहां से उसकी पूर्ति नहीं करेगा, जिनकी मृत्यु हो गयी है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय ने यह जो व्यवस्था दी है कि उन लोगों

(श्री बाबूलाल नागर)

(3) विधान सभा क्षेत्र दूदू में बोराज, झाग, ममाणा, गागरड़ू, सुरसिंहपुरा, महलां, ग्रामों में 33 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन लगाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जावेंगे ?

(4) क्या गरीबी से नीचे जीवन यापन करने वाले एवं अनुसूचित जाति, जनजाति के परिवारों को रियायती दर पर कृषि एवं घरेलू कनेक्शन देने का सरकार विचार रखती है। यदि हां, तो किस योजना में ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रश्न में वर्णित गांव विद्युतीकृत घोषित हैं परन्तु इनमें विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त होने/तार चोरी व आंशिक कार्य पूर्ण होने के कारण विद्युत आपूर्ति नहीं है। ऐसे गांवों का उपलब्ध संसाधनों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से ही विद्युतीकरण किया जा सकेगा। प्रश्न में उल्लेखित गांवों में घरेलू कनेक्शन हेतु 67 व कृषि कनेक्शन हेतु 10 आवेदन पत्र लम्बित हैं, जिनकी गांववार व नामवार सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) विधान सभा क्षेत्र दूदू के ग्राम नीमली वर्ष 1998-99 में विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित था लेकिन ग्रामवासियों द्वारा लाइन खींचने में विवाद उत्पन्न किये जाने के करण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। वर्तमान में विवाद समाप्त किये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। विवाद समाप्त हो जाने के पश्चात, लाइन का कार्य किया जा सकेगा।

ग्राम सूरी, बोकड़ावास, सिरोही, खुर्द, शेखपुरा, दातड़ा, डोडवाड़ा, गोविन्दपुरा, जावली व कोठेड़ा को वर्ष 1998-99 में लाइने खींचकर विद्युतीकृत किया गया है।

ग्राम सालोदिया व नौरंगपुरा विद्युतीकृत है तथा इन ग्रामों में विद्युत कनेक्शन भी दिए हुए हैं।

ग्राम मूगीथला, दयालपुरा, नाचणियों की ढ़ाणी व सूरजपुरा पूर्व में विद्युतीकृत गांव से अलग होकर नये राजस्व गांव बने हैं। अतः इनको भी स्वतः विद्युतीकृत घोषित माना गया है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र दूदू के ग्राम गागरड़ू में 33 के.वी. सब-स्टेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा बोराज, झाग, सुरसिंहपुरा में निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की प्रक्रिया जारी है। इनका कार्य वित्तीय वर्ष 1999-2000 में पूरा करने के प्रयास किये जायेंगे। ग्राम महलां में स्वीकृत सब-स्टेशन का कार्य सब ट्रान्समिशन प्रोग्राम में सम्मिलित होने पर ही शुरू करना संभव होगा। ग्राम ममाणा में सब-स्टेशन के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है, तथा तकनीकी रूप से आवश्यक पाये जाने पर स्वीकृति प्रदान की जाकर कार्य शुरू किया जा सकेगा।

(4) गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले चिन्हित परिवारों को जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार भी सम्मिलित हैं, को कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत एक प्रकाश बिन्दु का कनेक्शन निःशुल्क दिये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अनुसूचित जाति/जनजाति व गरीब तबके के चिन्हित परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत मण्डल अपने खर्चे पर फिटिंग करवाकर तथा

(ऊर्जा मंत्री)

सर्विस लाइन लगाकर कनेक्शन प्रदान करता है। इस कार्य पर लगभग 1600 रु. प्रति कनेक्शन का खर्चा आता है। इन उपभोक्ताओं से न्यूनतम शुल्क व मीटर किराया नहीं लिया जाता है। प्रदेश में अनुसूचित जाति के सभी परिवारों तथा जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के परिवारों को हाथोंहाथ कृषि कनेक्शन दिये जाने के आदेश किये हुए हैं। कृषि उपभोग में पहले से ही सभी के लिए रियायती दर लागू की गई है, जिनमें गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार भी सम्मिलित हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला स्तरीय मुख्य आयोजना अधिकारी द्वारा तैयार योजनाएं

488. **श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद)** : क्या आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला स्तर पर मुख्य आयोजना अधिकारी के पद स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो क्या उनके द्वारा तैयार की गई जिला योजना की क्रियान्विति की जा रही है ? यदि हां, तो अजमेर जिले की योजना व उसकी क्रियान्विति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिलों में वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की गई योजनाओं के लिये राज्य स्तर व जिला स्तर के लिए पृथक्-पृथक् प्लान सिलिंग जारी कर उसके अनुरूप प्रस्ताव जिला स्तर पर ही तैयार करवाकर उनकी जिला स्तर पर ही क्रियान्विति कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य के 31 जिलों में मुख्य आयोजना अधिकारी के पद स्वीकृत है। करौली जिले में अभी तक मुख्य आयोजना अधिकारी का पद स्वीकृत नहीं हुआ है। जिला स्तर पर वार्षिक जिला योजना तैयार करने हेतु सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों से प्रस्ताव माह जनवरी-फरवरी में मुख्य आयोजना अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जाते हैं। यह प्रस्ताव जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा संबंधित विभागाध्यक्षों को भी प्रेषित किये जाते हैं। विभागाध्यक्ष स्तर पर सभी जिलों के प्रस्तावों के आधार पर इकजाई प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं। राज्य स्तर पर आयोजना विभाग द्वारा प्रत्येक विभाग को जो वार्षिक योजना की सीलिंग दी जाती है उसके आधार पर तथा जिलों से प्राप्त प्रस्तावों में वचनबद्ध दायित्वों एवं नवीन प्रस्तावों में प्राथमिकता के आधार पर विभागाध्यक्षों द्वारा विभागीय योजना को अन्तिम रूप दिया जाता है। विभागाध्यक्षों के द्वारा जिलों के लिए जो राशि निर्धारित की जाती है, उसकी सूचना जिला स्तरीय अधिकारियों को भिजवाई जाती है।

(2) राज्य स्तर से जिला स्तर पर योजना हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य स्तर पर विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय होने के बाद ही राज्य स्तर एवं जिला स्तर की योजनाओं

(राज्य मंत्री, आयोजना)

के लिए पृथक्-पृथक् प्लान सीलिंग जारी किया जाना संभव होगा।

हथरोई फोर्ट स्कीम जयपुर की सफाई व्यवस्था

489. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) हथरोई फोर्ट स्कीम में सफाई के लिये कितने कर्मचारी लगाए हुए हैं ?

(2) क्या सफाई कर्मचारी प्रतिदिन सफाई करते हैं ? यदि नहीं, तो इसकी देखभाल कौन करता है ?

(3) क्या यह सही है कि सफाई कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार अधिक सफाई कर्मचारी लगाने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि सफाई कर्मचारी के लम्बी अवधि पर अवकाश पर चले जाने पर वैकल्पिक कर्मचारी लगाने की व्यवस्था नहीं की जाती है ?

(5) क्या सरकार वैकल्पिक सफाई कर्मचारी लगाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक ? और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) हथरोई फोर्ट स्कीम में सफाई के लिए तीन सफाई कर्मचारी लगाये हुए हैं।

(2) कार्य दिवसों में उक्त सफाई कर्मचारी नियमित रूप से सफाई करते हैं। इनकी देखरेख सफाई जमादार द्वारा की जाती है।

(3) नियुक्त कर्मचारियों की संख्या स्वीकृत मापदण्डों के अनुसार है। मापदण्डों में परिवर्तन विचाराधीन है।

(4) नगर निगम के पास सफाई कर्मचारियों के अभाव के कारण वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था किया जाना सम्भव नहीं है।

(5) भाग संख्या-4 के उत्तर में इसका उत्तर भी सम्मिलित है।

नगरपालिका नागौर के सफाई कर्मियों का पदोन्नति प्रकरण

490. श्री रूपाराम (डीडवाना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या नगरपालिका नागौर में एक सफाई कर्मचारी की पुत्र वधु सदस्या है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सफाई कर्मचारी की पदोन्नति सफाई जमादार पर अध्यक्ष नगरपालिका नागौर द्वारा की गई है?

(3) क्या यह सही है कि परिपत्र संख्या टैक्स/एफ 21 (रूल्स) डीएलबी/691/3440-669 दिनांक 5-10-79 द्वारा सफाई कर्मचारी की पदोन्नति सफाई जमादार पद पर वरिष्ठता से की जानी है? क्या मांगी देवी से वरिष्ठ सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति जमादार पद पर कर दी गई है? उक्त

(श्री रूपाराम)

मांगी देवी का नाम सफाई कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची में किस क्रमांक पर है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। पूर्व अध्यक्ष श्री जीवणमल भाटी द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक 3463 दिनांक 23.12.95 के द्वारा श्रीमती मांगीदेवी, सफाई कर्मचारी को कार्यवाहक जमादार के पद पर कार्य करने हेतु लगाया गया था।

(3) जी हां। यह सही है कि विभागीय परिपत्र संख्या 3440-669 दिनांक 5.10.79 के अनुसार सफाई जमादार के पद पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दिये जाने के प्रावधान है। श्रीमती मांगीदेवी से वरिष्ठ सफाई कर्मचारी श्री कानाराम एवं श्रीमती बुद्धकी/रतन को कार्यालय आदेश क्रमांक 3716 दिनांक 18.1.97 के द्वारा पूर्व अध्यक्ष श्री जीवणमल भाटी के द्वारा पदोन्नत किया गया है। सफाई कर्मचारियों की नगर पालिका द्वारा की गई वरिष्ठता सूची में श्रीमती मांगीदेवी का नाम क्रमांक 69 पर अंकित है।

मृत सफाई कर्मचारियों के आश्रित को नियुक्ति

491. श्री के.सी. चौधरी (ब्यावर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या नगर परिषद् के मृतक सफाई कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देने की कोई योजना पहले से ही लागू है ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्या ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक लागू हो जायेगी ?

उत्तर

जी हां। राजस्थान रिक्रूटमेंट ऑफ डिपेन्डेन्ट ऑफ ए गर्वनमेंट सर्वेन्ट डाईंग व्हाईल इन सर्विस नियम, 1975 प्रभावशील थे। अब राज्य सरकार द्वारा इन नियमों के स्थान पर मृत सरकारी कर्मचारी आश्रित अनुकम्पा नियम, 1996 वर्ष 1996 से प्रभावशील किये गये हैं। जिनको यथावत नगर निगम/परिषद् पालिकाओं के कर्मचारियों पर प्रभावशील किया जा चुका है। अब इस बारे में अन्य कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

नगर परिषद् अलवर द्वारा शौचालय निर्माण कार्य

492. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य की नगरपालिकाओं में अल्प लागत शौचालय परिवर्तन/निर्माण तथा सार्वजनिक शौचालयों के परिवर्तन/निर्माण व रख-रखाव के लिए क्या किन्हीं संस्थाओं को सरकार ने अधिकृत कर रखा है ? यदि हां, तो किसे ? क्या उक्त संस्था इस तरह के समस्त कार्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर बिना टेण्डर के करने के लिए अधिकृत है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी ?

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(2) क्या उक्त अधिकृत संस्थाओं के अलावा नगरपालिका/परिषद् बिना निविदाओं के किसी अन्य फर्मों को यह कार्य दे सकती है ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि नगर परिषद् अलवर द्वारा कई बार अल्प लागत शौचालयों का कार्य वैशाली बिल्डर्स को निर्धारित बी.एस.आर. अथवा उपरोक्त अल्प लागत शौचालयों की निर्धारित दर से अधिक दर पर यह कार्य दिया गया ? यदि हां, तो कितना-कितना कब-कब किन-किन दरों पर करवाया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त नगरपालिका में ऊंची दरों पर कार्य करवाने में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। अल्प लागत शौचालय परिवर्तन/निर्माण हेतु सुलभ इंटरनेशनल तथा लोक सेवा संस्थान को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया हुआ है। लोक सेवा संस्थान को परीक्षण के तौर पर एक वर्ष के लिए अधिकृत किया है। सार्वजनिक शौचालयों के परिवर्तन/निर्माण हेतु सुलभ इंटरनेशनल को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया हुआ है, उपरोक्त दोनों संस्थाएं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समिति के द्वारा निश्चित दर पर बिना निविदाएं आमंत्रित किये कार्यवाही हेतु अधिकृत हैं।

(2) जी, नहीं। आयुक्त, नगर परिषद्, अलवर ने निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम निविदादाता वैशाली बिल्डर्स, अलवर से समिति द्वारा निर्धारित दर से कम दर पर कार्य कराना बताया गया है। इस बारे में उच्च अधिकारियों से जांच करवाई जा रही है।

(3) जांच निष्कर्ष के पश्चात् ही दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नगरपालिका बगरू के कर्मियों का यात्रा भत्ता

493. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नगरपालिका बगरू के किस-किस अधिकारी/कर्मचारी, वर्ष 1990-91 से 1998-99 तक किस-किस तिथि को किस-किस कार्य से यात्रा भत्ते के रूप में कितनी-कितनी राशि का भुगतान प्राप्त किया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नगर पालिका बगरू के जिस-जिस अधिकारी/कर्मचारी ने वर्ष 1990-91 से 1998-99 तक जिस-जिस तिथि को जिस-जिस कार्य से यात्रा भत्ते के रूप में जितनी-जितनी राशि का भुगतान प्राप्त किया गया है, उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नगरपालिका उनियारा (टोंक) की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

494. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका उनियारा, जिला टोंक की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है? यदि हां, तो किस-किस ने?

(2) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका उनियारा के अध्यक्ष द्वारा कई बार जिला प्रशासन व तहसीलदार उनियारा को लिखित में देने के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि हल्का पटवारी व हल्का गिरदावर की मिली भगत से यह अतिक्रमण हो रहे हैं ? यदि हां, तो आज दिन तक बेदखली की कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

(4) क्या सरकार इस संबंध में जिला स्तर पर अतिक्रमण हटाने का कोई अभियान चलाने के निर्देश जिला कलक्टर, टोंक को देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नगर पालिका उनियारा, जिला टोंक की चरागाह भूमि पर अनाधिकृत रूप से जिन व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है, उनका विवरण संलग्न है।

(2) जी नहीं। तहसीलदार द्वारा चारागाह भूमि पर किये गये अतिक्रमण पर पटवारी/गिरदावर द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।

(3) जी नहीं। पटवारी एवं गिरदावर द्वारा अतिक्रमियों के विरुद्ध नियमानुसार रिपोर्ट की गई जिस पर कार्यवाही करते हुए शास्ति आरोपित कर बेदखली के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(4) जिला प्रशासन, टोंक के स्तर पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत उक्त अतिक्रमणों को हटाने की प्रक्रिया जारी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जेम्स कालोनी जयपुर का भू-अवाप्त प्रकरण

495. श्री भंवरू ख़ान (फतेहपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि विद्याधर नगर, जयपुर के समीप तोपखाना देश सहकारी समिति द्वारा जेम्स कालोनी के नाम से आवासीय भू-खण्ड काटे गये थे ?

(2) जेम्स कालोनी के आवासीय भू-खण्ड संख्या 19 से 23 तक किन-किन को बेचे गये? उक्त भू-खण्डों से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज़, रसीदें, पट्टे एवं ब्ल्यू प्रिंट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नगर निगम जयपुर द्वारा कालान्तर में जेम्स कालोनी में

(श्री भंवरू खान)

सड़क निकाली गई है तथा इस सड़क में जिन आवासीय भू-खण्डों की भूमि अवाप्त की गई है उनको किसी प्रकार की पूर्ति दिये जाने का आश्वासन दिया गया है? यदि हां, तो क्या एवं उसकी प्रक्रिया क्या होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विद्याधर नगर के समीप तोपखाना देश सहकारी समिति द्वारा जेम्स कॉलोनी के नाम से भूखण्ड काटे गये हैं।

(2) समिति द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (सदस्यता सूची) के अनुसार भू-खण्ड संख्या 19 से 23 क्रमशः श्री सैयद निजामुद्दीन, सैयद इमामुद्दीन, श्रीमती नजमा खातुन, कु. नजमा खातुन, श्रीमती जकिया के नाम से है। सदस्यता सूची (बुकलेट के अनुसार) है। समिति द्वारा भूखण्डों से संबंधित रसीदे, पट्टे एवं ब्लू प्रिंट की प्रतियां प्रस्तुत नहीं की गई है।

(3) जी नहीं। नगर निगम जयपुर द्वारा जेम्स कॉलोनीं के अन्दर से कोई सड़क नहीं निकाली गई है।

जिला बाड़मेर व जैसलमेर की राशन की दुकानें

496. श्री अमीन खान (शिव) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्र में कुल कितनी राशन की दुकाने? तहसीलवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में डीलर कौन-कौन हैं?

(3) उक्त दुकानों पर प्रतिमाह क्या-क्या माल जाता है?

(4) उक्त जिलों में किन-किन दुकानदारों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? तहसीलवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 700 व 212 उचित मूल्य की दुकानें हैं। तहसीलवार संख्या सूची प्रश्न के भाग (2) में अंकित है।

(2) उक्त जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में जो जो डीलर है, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) उक्त दुकानों हेतु प्रति माह गेहूं, चावल, चीनी एवं कैरोसीन का आवंटन किया जाता है।

(4) उक्त जिला में वर्ष 1998-99 में जिन-जिन दुकानदारों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई व इनमें से जिसके विरुद्ध जो-जो कार्यवाही की गई उसकी तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जिला एवं सैशन न्यायालय राजसमन्द में शीघ्र लिपिकों का स्थानान्तरण प्रकरण

497. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला एवं सैशन न्यायालय, राजसमन्द में वर्ष 1998 में शीघ्र लिपिक के रिक्त पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गयी थी ? यदि हां, तो किस-किस शीघ्र लिपिक को नियुक्ति दी गयी ? वरीयता सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या न्यायालय के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के लिये कोई समय सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो कितने वर्ष तक स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता ? निर्धारित नार्म्स/परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला एवं सैशन न्यायालय, राजसमन्द में वर्ष 1998 में नियुक्ति के केवल दो माह बाद ही कतिपय शीघ्रलिपिकों का स्थानान्तरण कर दिया गया ? यदि हां, तो किस-किस का व किन परिस्थितियों के कारण ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1998 में तीन अस्थाई आशु-लिपिक ग्रेड द्वितीय के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 19.07.1998 को ली गई थी, जिसमें कुल 11 अभ्यर्थी सफल हुए, जिनका पैनल इस प्रकार है : —

क्र.सं.	रोल नं.	अभ्यर्थी मय पिता का नाम
1.	167	श्री ऋषिकेश/रामचरण सोनी
2.	155	श्री राकेश कुमार/सोहनलाल शर्मा
3.	181	श्री संजीव कुमार/राजकुमार बंसल
4.	1	श्री अब्दुल रहीम/बरकत अली
5.	18	श्री अशोक कुमार/गोरधनलाल शर्मा
6.	162	श्री राकेश/रामावतार सोलंकी
7.	138	श्री पवन कुमार/रामकृपाल पारीक
8.	245	श्री शम्भुदयाल/रामसहाय गौतम
9.	223	श्री दिनेशचन्द्र/गोविन्द प्रसाद गुप्ता
10.	57	श्री गजेन्द्र/श्याम सुन्दर दवे
11.	136	श्री पुरणमल/हनुमान प्रसाद कुमावत

उक्त आशुलिपिक ग्रेड द्वितीय के पैनल में से क्र. सं. 1 से 8 तक को जैसे-जैसे पद खाली होते रहे, नियुक्ति आदेश जारी किये जाते रहे। नियुक्ति आदेश का पूर्ण विवरण पैरा संख्या-3 में अंकित है।

(2) न्यायालयों में शीघ्र-लिपिकों के स्थानान्तरण राजस्थान सेवा नियम एवं विभागीय नियमों, परिपत्रों के अनुसार ही आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार किये जाते हैं।

(3) वर्ष 1998 में आयोजित आशुलिपिक ग्रेड द्वितीय की प्रतियोगी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के पैनल में से जिन-जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई, उनका विवरण : —

(विधि मंत्री)

क्र.सं.	नाम अभ्यर्थी	नियुक्ति आदेश सं. एवं दि.	विशेष विवरण
1.	ऋषिकेश सोनी	कार्य आदेश सं. 98 दि. 31.7.98	न्यायालय सि. न्या. (क.ख) एवं न्या. मजि. राजसमंद।
2.	राकेश कुमार शर्मा	" "	न्यायालय सि. न्या. (क.ख) एवं न्या. मजि. आमेट प्रतिनियुक्ति जिला एवं सैशन न्यायालय, राजसमंद।
3.	संजीव कुमार बंसल	" "	न्यायालय सि. न्या. (क.ख) एवं न्या. मजि. रेलमगरा।
4.	अब्दुल रहीम	" "	न्यायालय सि. न्या. (क.ख) एवं न्या. मजि. कुम्भलगढ़।
5.	अशोक कुमार शर्मा	कार्य आदेश सं. 138 दि. 31.10.98	न्यायालय सि. न्या. (क.ख) न्या. मजि. आमेट प्रतिनियुक्ति जिला एवं सैशन न्यायालय, राजसमंद किन्तु ड्यूटी निर्धारित अवधि में ज्वाइन नहीं की।
6.	राकेश सोलंकी	कार्यालय आदेश सं. 149 दिनांक 23.11.98	न्यायालय सि. न्या. (क.ख) एवं न्या. मजि. देवगढ़।
7.	पवनकुमार पारीक	कार्यालय आदेश सं. 34 दिनांक 22.2.99	न्यायालय सि. न्या. (क.ख) एवं न्या. मजि. आमेट प्रतिनियुक्ति जिला एवं सैशन न्यायालय, राजसमंद। इन्होंने निर्धारित अवधि में ड्यूटी ज्वाइन नहीं की क्योंकि वे पूर्व में ही न्यायालय ए.डी.जे. रामगंजमण्डी (कोटा) में पदस्थापित थे।
8.	शंभुदयाल गौतम	कार्यालय आदेश सं. 52 दि. 02.4.92	न्यायालय सि. न्या. (क.ख) एवं न्यायिक मजि. आमेट प्रतिनियुक्ति जिला एवं सैशन न्यायालय, राजसमंद।

(विधि मंत्री)

उक्त शीघ्र-लिपिकों में से श्री राकेश शर्मा क्र.सं. 2 ने बाद नियुक्ति जयपुर जिले में अन्तरविभागीय स्थानान्तरण हेतु आवेदन-पत्र न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण जयपुर शहर में रिक्त शीघ्र-लिपिक के पद पर करने के संबंध में पेश किया था। जिसमें कारण दर्शाये गये कि उनके पिता राज्य सेवा में हैं एवं अक्सर राज्य कार्य से जयपुर से बाहर जाते रहते हैं, उनके छोटे भाई, बहिनें तथा माताजी अक्सर बीमार रहती हैं, उनके अलावा अन्य कोई वयस्क पारिवारिक सदस्य उनकी देखरेख करने हेतु नहीं है अतः उक्त परिस्थितियों के कारण उनका आवेदन-पत्र दिनांक 26.10.98 को अग्रेषित किया गया तत्पश्चात् उक्त न्यायालय के आदेश सं.9 दिनांक 27.10.98 से इनका पदस्थापन हो गया इसलिए यहां से इन्हें दिनांक 30.10.98 को कार्यमुक्त कर दिया गया। पत्रावली क्रमांक 15(16) न्याया. 99

परम्परागत ऊर्जा उत्पादन में रेडा का योगदान

498. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) परम्परागत ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा उत्पन्न करने की राज्य में कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे कितनी-कितनी ऊर्जा उत्पादित हो रही है और आगे क्या-क्या योजनाएं प्रस्तावित हैं ?

(2) उक्त योजनाओं में रेड़ा का क्या-क्या योगदान है तथा इसके द्वारा क्या-क्या कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिसके परिणाम क्या-क्या रहे हैं ?

(3) रेड़ा द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण मय वित्तीय प्रावधान व अन्य जानकारी के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) परम्परागत ऊर्जा स्रोत से राज्य में निम्न विद्युत गृह चलाये जा रहे हैं : —

क्र. सं.	विद्युत गृह	क्षमता (मे.वा.)
1.	कोटा तापीय विद्युत गृह	850
2.	सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह	250
3.	रामगढ़ गैस विद्युत गृह	38.5
4.	माही जल विद्युत गृह-I व II	140
5.	दस लघु जल विद्युत गृह	23.85

राज्य की भाखड़ा-व्यास और चम्बल सतपुड़ा में भी भागीदारी है। इनमें से चम्बल पर राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर जल विद्युत गृह राज्य में स्थित हैं व राज्य विद्युत मण्डल द्वारा चलाये जा रहे हैं।

रामगढ़ गैस विद्युत गृह	233.192	210.34
माही जल विद्युत गृह	394.964	258.92
लघु जल विद्युत गृह	18.398	17.12

(ऊर्जा मंत्री)

सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह		386.02
कुल "अ"	6124.813	5163.18

(ब) भागीदारी की योजनाओं से

भाखड़ा व्यास विद्युत तंत्र	2484.765	2681.66
चम्बल सतपुड़ा विद्युत तंत्र	1429.083	1144.50
कुल "ब":	3913.848	3826.16

राज्य में एनटीपीसी. (नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन) का अन्ता विद्युत गृह (419.43 मेगावाट) व एनपीसी. (न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन) का आरएपीपी. (राजस्थान अणु विद्युत गृह-300 मेगावाट डीरेटेड क्षमता) भी विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। इनसे राज्य का आवंटन क्रमशः 82.90 मेगावाट व 300 मेगावाट है।

भविष्य में राजकीय, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की राजस्थान में लगने वाली प्रस्तावित परियोजनाएं एवं उनकी स्थापित क्षमता का विवरण परिशिष्ट "अ" पर दर्शाया गया है।

(2) उक्त योजनाओं में राजस्थान ऊर्जा

(अ) भाखड़ा-व्यास विद्युत तन्त्र

क्र. सं.	परियोजना	क्षमता (मे.वा.)	भागीदारी प्रतिशत	क्षमता (मे.वा.)
1	2	3	4	5
1.	भाखड़ा	1275	15.22%	194.06
2.	गंगवाल	81.08	15.22%	12.34
3.	कोटला	81.77	15.22%	12.45
4.	देहर	990	20%	198
5.	पोंग	366	58.5%	214.11

(ब) चम्बल-सतपुड़ा विद्युत तन्त्र

क्र. सं.	परियोजना	क्षमता (मे.वा.)	भागीदारी प्रतिशत	क्षमता (मे.वा.)
1.	गांधी सागर	115	50%	57.5
2.	राणाप्रताप सागर	172	50%	86
3.	जवाहर सागर	99	50%	49.5
4.	सतपुड़ा	312.50	40%	125

परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने की राज्य की/भागीदारी की परियोजनाएं व उनसे उत्पादित ऊर्जा का विवरण निम्न प्रकार है : —

क्र. सं.	विवरण	उत्पादन मिलियन यूनिट में 1997-98 (प्रोविजनल)	1998-99 (जनवरी 99 तक) (प्रोविजनल)
(अ)	स्वयं के स्त्रोतों से :		
	कोटा तापीय विद्युत गृह	5478.259	4290.78

विकास अभिकरण का कोई योगदान नहीं है।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) गैर परम्परागत संसाधनों से विद्युत उत्पादन हेतु राज्य में दो योजनाएं विचाराधीन है। सौर ऊर्जा आधारित 140 मेगावाट की मथानिया परियोजना व वायु ऊर्जा आधारित दो मेगावाट की जैसलमेर परियोजना। इन योजनाओं पर क्रमशः लगभग 1000 करोड़ व 8 करोड़ रु. व्यय होने का अनुमान है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 6-देखें)

विधान सभा क्षेत्र कुचामन सिटी की इम्प्रूवमेन्ट स्कीम

499. श्री हरीश चन्द (नावां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) कुंचामन सिटी क्षेत्र में सिस्टम इम्पुवमेन्ट स्कीम के अन्तर्गत बड़े ट्रांसफारमर के स्थान पर छोटे ट्रांसफारमर काश्तकारों के लिए रखने के लिए कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) एक वर्ष की अवधि में ऐसे कितने प्रस्ताव स्वीकृत किये गये ? क्या उनका कार्य पूर्ण हो चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति, कुचामन सिटी क्षेत्र में एलटीलैस सिस्टम के अन्तर्गत बड़े ट्रांन्सफार्मरों के स्थान पर किसानों के लिए छोटे ट्रांन्सफार्मर लगाने के लिए योजना शुरू होने से अब तक कुल 114 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 62 प्रस्ताव स्वीकृत किये जा चुके हैं। स्वीकृत प्रस्तावों में से 13 का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उपखण्डवार संख्या विवरण निम्न प्रकार है : —

स्वीकृत प्रस्ताव	विचाराधीन प्रस्ताव
48	47
14	5
62	52

(2) वर्ष 1998-99 की अवधि में गांव नग-वाड़ा, राणासर, हीराणी, कुचामन, पदमपुरा, लिचाणा व जावड़ी नगर में एक-एक प्रस्ताव तथा गांव ठठाना में दो प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से कुचामन के एक प्रस्ताव का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

ग्राम आम्बा (पंचायत समिति पीसांगन) का ट्रांसफार्मर प्रकरण

500. श्री रमजान खान (पुष्कर) : (मांडल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति पीसांगन के ग्राम डूमाड़ा के ग्राम आम्बा में विद्युत भार ज्यादा होने के कारण ग्रामवासियों के कुओं पर पूरा वोल्टेज नहीं मिल रहा है।

(2) क्या यह सही है कि पूरे वोल्टेज नहीं मिलने के कारण काश्तकारों की मोटरें आये दिन जलती रहती हैं, जिससे उनको आर्थिक नुकसान होता है ?

(3) क्या ग्राम आम्बा के काश्तकारों ने कई बार नया ट्रांसफार्मर लगाने के लिए प्रार्थना पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो अब तक इन पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई

(श्री रमजान खान)

और अब कब तक ग्राम आम्बा में नया ट्रांसफार्मर लगा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। कम वोल्टेज के कारण किसी भी काश्तकार के कुएं की मोटर जलने की सूचना/शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी नहीं। ग्राम आम्बा में वोल्टेज सप्लाई निर्धारित सीमा में है। ट्रान्सफार्मर की क्षमता भी स्वीकृत भार के लिए पर्याप्त है। अतः वर्तमान में अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर लगाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

विधान सभा क्षेत्र मांडल (भीलवाड़ा) के अविद्युतीकृत ग्राम

501. श्री हफीज मोहम्मद : (मांडल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मांडल (भीलवाड़ा) में अभी भी अनेक गांव व ढाणियां विद्युतीकरण से वंचित है? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिन गांवों-ढाणियों का विद्युतीकरण नहीं हुआ वहां अनुसूचित जाति/जनजति या अन्य गरीब तबके के व्यक्ति रहते हैं ? यदि हां, तो कब से? क्या सरकार अब उक्त अविद्युतीकृत गांवों/ढाणियों का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र माण्डल (जिला भीलवाड़ा) के जनगणना पुस्तिका 1981 के अनुसार सभी ग्राम विद्युतीकृत घोषित हैं। जनगणना पुस्तिका 1991 व इसके बाद में इन ग्रामों से पृथक होकर नव सृजित राजस्व ग्रामों को भी विद्युतीकृत माना हुआ है तथा इनमें मांग होने पर नियमानुसार विद्युत तंत्र का विस्तार कर कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

(2) विद्युतीकृत घोषित गांवों की अनुसूचित जाति की बस्तियों के विद्युतीकरण का कार्य समाज कल्याण अधिकारी, सरपंच ग्राम पंचायत व सहायक अभियन्ता, विद्युत मण्डल द्वारा चयन करने पर किया जाता है। विद्युतीकृत घोषित गांवों व उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा चयनित बस्तियों के विद्युतीकरण की मांग आने पर संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार विद्युतीकरण किया जाता है।

इटावा जिला (कोटा) में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन

502. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि इटावा जिला कोटा में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो कब और कितनी राशि से ?

(2) उक्त ग्रिड सब स्टेशन का कार्य अभी तक शुरू नहीं होने के क्या कारण हैं ? उक्त कार्य के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(3) उक्त ग्रिड सब स्टेशन का कार्य सरकार कब तक शुरू करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर,

(1) जी हां। इटावा जिला कोटा में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाने की स्वीकृति दिनांक 28.10.1997 को विश्व बैंक ऋण सहायता के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले 44 ग्रिड सब-स्टेशनों में सम्मिलित थी। इस ग्रिड सब-स्टेशन की अनुमानित लागत रु. 653.60 लाख प्रस्तावित है।

(2) विश्व बैंक ने राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा सुधार विधेयक के पारित न होने की वजह से अब तक ऋण स्वीकृत नहीं किया है। विश्व बैंक से ऋण मिलने में देरी को देखते हुए इटावा सब-स्टेशन की योजना को बनाने का कार्य प्लान फंड द्वारा 1999-2000 के फेज्ड प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है।

(3) उपरोक्तानुसार।

अन्तर्राज्यीय विद्युत परियोजनाएं

503. **डा. रामप्रताप (हनुमानगढ़)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) अन्तरराज्यीय विद्युत परियोजनाओं में राज्य सरकार का कितना-कितना हिस्सा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अन्तरराज्यीय विद्युत परियोजनाओं के संबंध में वर्ष 1952 से अब तक राज्य सरकार के किन परियोजनाओं में समझौते हुए ?

उत्तर

(1) विभिन्न अन्तरराज्यीय विद्युत परियोजनाओं एवं उनमें राजस्थान के हिस्से का विवरण निम्न प्रकार है : —

अन्तरराज्यीय विद्युत परियोजना व वर्तमान क्षमता	राजस्थान का हिस्सा प्रतिशत	राजस्थान का हिस्सा मेगावाट
1. भाखड़ा नांगल परियोजना		
(अ) भाखड़ा बायां बैंक बिजलीघर (5×108 मेगावाट)	15.22	82.188
(ब) भाखड़ा दायां बैंक बिजलीघर (2×132+3×157 मेगावाट)	15.22	111.867
(स) गंगूवाल बिजलीघर (1×29.25+1×24.20+1×27.63 मेगावाट)	15.22	12.34
(द) कोटला बिजलीघर (1×29.25+1×24.20+1×28.32 मेगावाट)	15.22	12.45
योग :		218.845
2. व्यास परियोजना :		
(अ) देहर विद्युत संयंत्र (6×165 मेगावाट)	20.0	198.00
(ब) पौंग विद्युत संयंत्र (5×60+1×66 मेगावाट)	58.5	214.11
योग :		412.11
3. चम्बल सतपुड़ा विद्युत परियोजना :		
(अ) गांधी सागर जल विद्युत परियोजना (5×23 मेगावाट)	50.0	57.5

(ऊर्जा मंत्री)

(ब)	राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना (4×43 मेगावाट)	50.0	86.0
(स)	जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना (3×33 मेगावाट)	50.0	49.5
(द)	सतपुड़ा तापीय विद्युत परियोजना (5×62.5 मेगावाट)	40.0	125.0
	योग :		318

(2) अन्तर्राज्यीय विद्युत परियोजना के संबंध में वर्ष 1952 से अब तक परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित समझौते हुए हैं : —

क्र. सं.	परियोजना का नाम	समझौते का नाम व वर्ष	राज्य जिनके मध्य समझौता हुआ
1.	भाखड़ा नांगल परियोजना	I. भाखड़ा नांगल समझौता 13.1.1959	पंजाब व राजस्थान
		II. अन्तर्राज्यीय समझौता 31.12.1981	पंजाब, राजस्थान व हरियाणा
2.	रावी, व्यास एवं सतलज नदी पर स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं में राजस्थान तथा हरियाणा का हिस्सा तय करने हेतु	10.5.1984 अन्तर्राज्यीय समझौता	राजस्थान पंजाब व हरियाणा
3.	कोल बांध जल विद्युत परियोजना (800 मेगावाट)	कोल विद्युत परियोजना के लिए 30.6.1984 का समझौता	राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश
4.	पार्वती जल विद्युत परियोजना (2051 मेगावाट)	पार्वती विद्युत परियोजना के लिए 20.10.1992 का एम.ओ.यू.	राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व दिल्ली

(उर्जा मंत्री)

1	2	3	4
5.	चम्बल नदी पर चम्बल परियोजना (I) गांधी सागर 5×23 मे.वा. (II) राणा प्रताप सागर 4×43 मे.वा. (III) जवाहर सागर 3×33 मे.वा.	चम्बल नियंत्रण मण्डल द्वारा चम्बल नदी पर स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं में राज्यों का हिस्सा 4.9.1960 एवं 6.5.1966 की बैठक में निर्धारित किया गया।	राजस्थान एवं मध्य प्रदेश
6.	सतपुड़ा तापीय विद्युत परियोजना (5×62.5 मे.वा.)		राजस्थान एवं मध्य प्रदेश
7.	माही नदी पर माही बजाज सागर परियोजना (45 मे.वा.)	अ. राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के मध्य माही नदी के पानी के उपयोग के सम्बन्ध में 9.8.1961 का समझौता	राजस्थान एवं मध्य प्रदेश
		ब. राजस्थान एवं गुजराज के मध्य माही नदी के पानी का सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु 1966 का समझौता	राजस्थान एवं गुजरात
8.	यमुना नदी के जल का राज्यों को आवंटन (रेनूका डेम प्रोजेक्ट 60 मे.वा., केशुडेम प्रोजेक्ट-600 मेगावाट)	12.5.1994 का एम.ओ.यू. (यमुना नदी के जल में बेसिन राज्यों का हिस्सा तय करने हेतु	उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा (भीलवाड़ा) के 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन

504. डा रतनलाल (सहाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा (भीलवाड़ा) में वर्तमान में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन कहां-कहां कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन स्थापित करने के क्या मानदण्ड हैं ? क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में एक भी 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में ग्रिड सब स्टेशन स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) सहायक अभियन्ता विद्युत् उपखण्ड गंगापुर व रायपुर (भीलवाड़ा) में कितने घरेलू व कृषि कनेक्शनों के आवेदन पत्र लम्बित हैं तथा इन्हें कब तक कनेक्शन दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा (भीलवाड़ा) में वर्तमान में गंगापुर में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत हैं।

(2) 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाने हेतु निम्न मानदण्ड निर्धारित किये हुए हैं : —

1. प्रस्तावित 132 के.वी. सब-स्टेशन पर ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 16 एम.वी.ए. व शहरी क्षेत्र में 10-12 एम.वी.ए. के लोड आने की संभावना हो।

2. (अ) 33 के.वी. फीडर (जो बाद में 132 के.वी. सब स्टेशन से जोड़े जायेंगे) पर वोल्टेज रेगुलेशन 9% या डिमाण्ड लासेज 5% से अधिक हो, या

(ब) सब स्टेशन की स्थापना से लाइन लासेज में समुचित सुधार हो, और

(स) सब स्टेशन की स्थापना से सिस्टम में स्टेबिलिटी हो यानि, नजदीकी किसी सब स्टेशन पर ट्रान्सफार्मर पर त्रुटि आने पर उसका लोड प्रस्तावित सब-स्टेशन से दिया जा सके।

3. 220 के.वी. सब-स्टेशन की बाउण्ड्री में ही 132 के.वी. सब-स्टेशन बनाने पर लोड इत्यादि की उपरोक्त शर्तें पूरी हो।

4. वर्तमान में क्र.सं. (1) के अनुसार लोड न होते हुए भी भविष्य में लोड आने की संभावना हो, परन्तु उस समय राईट-ऑफ-वे में दिक्कत आने की सम्भावना हो।

जी नहीं, सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में गंगापुर में एक 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत है। चूंकि उपरोक्त मानदण्डों के अनुसार अभी सहाड़ा में निर्धारित लोड नहीं है अतः वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में 132 के.वी.ग्रिड सब स्टेशन बनाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) सहायक अभियन्ता कार्यालय, गंगापुर व रायपुर (भीलवाड़ा) में वर्तमान में घरेलू कनेक्शनों हेतु 713 व कृषि कनेक्शन हेतु 1302 आवेदन पत्र लंबित हैं, जिनका

(ऊर्जा मंत्री)

श्रेणीवार व उपखण्डवार विवरण निम्न प्रकार है : —

क्र. सं.	उपखण्ड	लम्बित आवेदनों की संख्या	
		घरेलू	कृषि
1.	गंगापुर	394	827
2.	रायपुर	319	475
	योग :	713	1302

उपरोक्त लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण आगामी वर्षों में निर्धारित कृषि नीति के अनुसार आवंटित लक्ष्यों एवं संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

जिला पाली व सिरोही के हेल्परों का स्थानान्तरण

505. **श्री बाबूलाल नागर (दूदू) एवं श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि संयुक्त निदेशक परसनल राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर द्वारा आदेश क्रमांक 913 दिनांक 6.3.1997 को विद्युत मण्डल जिला पाली व सिरोही में कार्यरत हेल्पर सैकण्ड के स्थानान्तरण किये गये हैं ? स्थानान्तरण आदेश की प्रति मय कारण सदन की मेज पर रखे।

(2) क्या उक्त स्थानान्तरण शिकायतों के आधार पर हुए हैं ? यदि हां, तो शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(3) क्या यह भी सही है कि अधीक्षण अभियन्ता विद्युत मण्डल पाली द्वारा सहायक अभियन्ता विद्युत मण्डल (ग्रामीण) खारची से वस्तुस्थिति की जांच रिपोर्ट मंगवाई थी ?

(4) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता विद्युत मण्डल (ग्रामीण) खारची ने अधीक्षण अभियन्ता द्वारा चाही रिपोर्ट नहीं भेज कर अनुशासन भंग किया है ?

(5) क्या सरकार ऐसे सहायक अभियन्ता को निलम्बित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। संयुक्त निदेशक पर्सनल (आई.आर.) ने अपने आदेश सं.-913 दिनांक 6.3.1997 के द्वारा विद्युत मण्डल, पाली वृत के अन्तर्गत जिला पाली व सिरोही में सहायक-द्वितीय के पद पर कार्यरत निम्न चार कर्मचारियों के मंडल हित में स्थानान्तरण किये हैं : —

1. श्री शांति [illegible]
2. श्री मनोहर सिंह
3. श्री सोना राम
4. श्री जस्सा राम

स्थानान्तरण आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। उक्त स्थानान्तरण शिकायत के आधार पर किये गये थे। शिकायत की प्रति परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) जी हां। अधीक्षण अभियन्ता (पवस), पाली द्वारा अधिशाषी अभियन्ता (ग्राविनि) सोजत सिटी व सहायक अभियन्ता (ग्रामीण) खारची से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मांगी गई है।

(4) अभी संबंधित शिकायत की जांच जारी है, जिसे शीघ्र पूरी करने के लिए संबंधित अधिकारियों को कहा गया है।

(5) जी नहीं। जांच में विलम्ब होना स्वाभाविक है क्योंकि जांच में कई व्यक्तियों से पूछताछ तथा घटनाओं की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृत राशि में कमी

506. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) वर्ष 1998-99 में किस-किस मद में कितना-कितना प्रावधान किया गया था। तथा अब तक किस-किस मद में कितना-कितना व्यय हुआ ?

(2) उक्त वर्ष में योजनावार कितना-कितना प्रावधान किया गया था तथा किस-किस योजना पर कितना-कितना व्यय हुआ ?

(3) क्या बजट में प्रावधान करने के बाद किसी मद में कटौती कि गई है ? यदि हां, तो किस-किस मद में कितनी-कितनी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चालू वर्ष 1998-99 में आयोजना मद/केन्द्र प्रवर्तित योजना मद/आयोजना भिन्न मद में स्वीकृत संशोधित प्रावधान एवं मार्च 99 तक का व्यय विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) वर्ष 1998-99 में योजनावार संशोधित प्रावधान एवं मार्च, 99 तक का व्यय विवरण आयोजना मद परिशिष्ट "ब" केन्द्र प्रवर्तित योजना परिशिष्ट "स" एवं आयोजना भिन्न मद परिशिष्ट "द" पर संलग्न प्रेषित है।

(3) राज्य सरकार द्वारा 1998-99 की आयोजना सीमा में कटौति के कारण विभाग के 98-99 के बजट प्रावधान के विरुद्ध संशोधित अनुमान एवं वार्षिक योजना 1999-2000 की स्थिति निम्नानुसार है। आयोजना मद अन्तर्गत 98-99 की तुलना में 1999-2000 में कोई कटौति नहीं की गई है :—

क्षेत्र		1998-99		1999-2000
		स्वीकृत प्रावधान	संशोधित प्रावधान	प्रावधान
1.	पिछड़ी जाति कल्याण	1985.60	1919.76	2934.65
2.	जर्मन सहायता-न्तर्गत आवासीय विद्यालय	114.50	114.50	1000.00
3.	समाज कल्याण	993.10	586.85	965.35
4.	एकीकृत पैकेज प्रोग्राम	123.50	121.00	100.00
	योग	3216.70	2742.11	5000.00

(विवरण एवं आयोजना मद विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

भेड़ व प्रसार केन्द्र मारवाड़ जंक्शन का लम्बित पैंशन प्रकरण

507. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या भेड़ एवं ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) सरकारी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति के बाद उसे कितने समय में पेन्शन शुरू होनी चाहिये ? क्या इसके नियम बने हुए हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मुकनाराम भूतपूर्व पर्यवेक्षक भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र मारवाड़ जंक्शन जिला पाली दिनांक 31.8.98 को सेवा निवृत्त हुआ था उसे सरकार पेन्शन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सरकारी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति के एक माह पश्चात् आने वाली प्रथम दिनांक अथवा उसके पश्चात् पेन्शन प्रारम्भ हो जानी चाहिए। जी हां। पेन्शन स्वीकृत करने की प्रक्रिया राजस्थान सिविल सर्विस (पेन्शन) नियम 1996 में वर्णित है।

(2) जी हां। श्री मुकनाराम भूतपूर्व पर्यवेक्षक को नियमानुसार पेन्शन पेदान की जायेगी। श्री मुकनाराम का पेन्शन प्रकरण तैयार है। कर्मचारी का पुनरीक्षित वेतनमान 1996 में वेतन निर्धारण कर दिनांक 25.2.99 को जिला भेड व ऊन अधिकारी, पाली को भिजवाया गया है। वेतन ऐरियर का भुगतान कराकर अन्तिम भुगतान प्रमाण पत्र पेन्शन सेट के साथ पेन्शन विभाग को भिजवाया जा रहा है।

भेड़ों की बीमारी से बचाव

508. श्री अमीन ख़ान (शिव) : क्या भेड़ व ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य में कुल भेड़ों की संख्या कितनी है ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में भेड़ों की बीमारियों के इलाज के लिए सरकार ने कितनी दवाई खरीदी व कितनी भेड़ों का इलाज किया ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब उक्त जिलों में भेड़ों को बीमारी से बचाने के लिए क्या योजना है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1997 में सोलहवीं पशु गणना सेन्सस के अनुसार राज्य में कुल 1,43,12,493 भेड़ें हैं। जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है। जिला बाड़मेर के लिए वर्ष 1998-99 में कुल 2.58 लाख रुपये की औषधी क्रय की गई एवं माह फरवरी, 99 तक कुल 1,93,588 भेड़ों का टीकाकरण, 5,92,807 भेड़ों की डोजिंग, 2,50,084 भेड़ों की डस्टिंग एवं 65,730 भेड़ों का उपचार किया गया। जिला जैसलमेर के लिए वर्ष 1998-99 में 16.45 लाख रुपये की औषधियां क्रय की गई तथा 3.78 लाख भेड़ों का टीकाकरण, 8.54 लाख भेड़ों की डोजिंग,

(राज्य मंत्री, ऊन)

(2) जिला बाड़मेर में वर्ष 1999-2000 के लिये भेड़ों को बीमारी से बचाने के लिये 6.57 लाख भेड़ों को दवा पिलाने, 3.54 लाख भेड़ों की डस्टिंग करने तथा 2.22 लाख भेड़ों को रोग निरोधक टीके लगाये जाने का लक्ष्य है।

(3) इसी प्रकार जिला जैसलमेर में 3.10 लाख भेड़ों को दवा पिलाने, 1.00 लाख भेड़ों की डस्टिंग करने एवं 2.10 लाख भेड़ों को रोग निरोधक टीके लगाये जाने का लक्ष्य है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

चूरू होलसेल भण्डार का अंकेक्षण

509. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू होलसेल भण्डार लिमिटेड का अंकेक्षण कब-कब हुआ तथा अंकेक्षण रिपोर्ट के आधार पर क्या-क्या अनियमितता पाई गई व दोषी कर्मचारी/अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? कार्यवाही रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अंकेक्षण रिपोर्ट के आधार पर गबन के दोषी सभी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) चूरू होलसेल भण्डार में विभिन्न श्रेणियों के कितने सदस्य हैं और कितने सदस्यों का बढ़ा हुआ सदस्यता शुल्क जमा हुआ तथा कितनों का नहीं हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चूरू होलसेल भण्डार लि. का अंकेक्षण प्रतिवर्ष नियमानुसार कराया जाकर वर्ष 1997-98 तक की आडिट रिपोर्ट जारी की जा चुकी है। उक्त भंडार की गत चार वर्षों की आडिट रिपोर्टस के आधार पर प्रकाश में आई अनियमितता तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। अंकेक्षण रिपोर्टस में दोषी पाए गए। (उत्तर एक के परिशिष्ट "क" में उल्लेखित) कर्मचारियों के विवरण में से श्री दौलतराम सेन एवं श्री किशनाराम के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है। जिसकी जांच करवाई जा रही है। शेष सभी दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

(3) चूरू होलसेल भण्डार में विभिन्न श्रेणियों के कुल 7369 सदस्य हैं। भण्डार के सदस्यता शुल्क में कोई वृद्धि नहीं हुई है इसलिये बढ़े हुए शुल्क जमा होने, न होने के विवरण की सूची नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

राज्य के पंजीकृत क्लब

510. श्री ललित भाटी (अजमेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जय क्लब जयपुर, अशोक क्लब, जयपुर, अजमेर क्लब, अजमेर सहित इस

(श्री ललित भाटी)

प्रकार के कितने क्लब राजस्थान में कहां-कहां पर किस-किस नाम से पंजीकृत हैं ? सूची मय उक्त क्लबों के बाई-लॉज की प्रति को सदन की मेज पर रखें।

(2) खण्ड एक में वर्णित क्लबों में सदस्यता पाने की प्रणाली/सदस्यता शुल्क कितना है ? उक्त क्लाबों के हिसाब-किताब रखने की क्या व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) जय क्लब, जयपुर सहित राजस्थान में जहां-जहां क्लब पंजीकृत है, की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं। अशोक क्लब, जयपुर और अजमेर क्लब, अजमेर विभाग में पंजीकृत नहीं है। जय क्लब, जयपुर के विधान नियमावली की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) जय क्लब, जयपुर की पंजीकृत विधान नियमावली के नियम क्र. 4 एवं 5 पर सदस्यता एवं सदस्यता शुल्क सम्बन्धी प्रावधान दिये गये हैं जो कि परिशिष्ट "ब" के पृष्ठ 7 व 8 पर उपलब्ध हैं। सदस्यता एवं सदस्यता शुल्क सम्बन्धी उक्त प्रावधान में संस्था पंजीयन के पश्चात् किये गये किसी परिवर्तन की सूचना संस्था द्वारा अधिनियमानुसार रजिस्ट्रार, संस्थाएं जयपुर को नहीं है। इस क्लब के हिसाब, किताब रखने की व्यवस्था सम्बन्धी प्रावधान संस्था की विधान नियमावली के नियम क्रमांक 13 में वर्णित हैं।

(सूची एवं प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सहकारी भूमि विकास बैंक सीकर से स्वीकृत ऋण व्यवस्था

511. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) सहकारी भूमि विकास बैंक लि. सीकर में संचालन मण्डल ऋण उप समिति में कौन-कौन सदस्य हैं ?

(2) उक्त समिति की जनवरी, 1998 से मार्च, 1999 की अवधि में कब-कब बैठक हुई तथा कौन-कौन से मामले निर्णित किये गये ?

(3) उक्त अवधि में बिना ऋण उप समिति में लाये कितने मामलो में ऋण स्वीकृति जारी की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त प्रकार की स्वीकृति किन नियमों के अन्तर्गत की गई ?

उत्तर

(1) सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक लि., सीकर में संचालक मण्डल द्वारा गठित ऋण उप समिति में निम्न सदस्य हैं : —

1. श्री रामेश्वर लाल महरिया — अध्यक्ष
2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा (उपाध्यक्ष) — सदस्य
3. सहायक रजिस्ट्रार, स.स. सीकर — सदस्य
4. सचिव बैंक — सदस्य

(2) वर्ष 1998 से मार्च, 1999 की अवधि में कुल 28 बैठकों में 3202 निर्णित

(सहकारिता मंत्री)

किये गये जिनका बैठकवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) उक्त अवधि में बैठक की उपविधियों में सचिव बैंक को दिये गये अधिकारों के अन्तर्गत कुल 47 ऋण पत्रावलियां बिना ऋण उप समिति में लाये स्वीकृत की गई है जिसकी सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) बैंक के उप नियम संख्या 31 (5) में वर्णित सचिव के अधिकारों के अन्तर्गत उक्त ऋण स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

(विवरण एवं सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र का प्रदूषित जल

512. **श्री कय्यूम खान (मसूदा) :** क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में उद्योग इकाइयों की स्थापना से पूर्व प्रदूषित वायु/जल निकासी के संबंध में राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारण मण्डल से जल अधिनियम, 1974 एवं वायु अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत सहमति लेना आवश्यक है? यदि हां, तो नियम/अधिनियम की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदूषित वायु/जल की निकासी के लिए नियम/अधिनियमों के उल्लंघन किये जाने पर तथा पर्यावरण विभाग द्वारा सहमति निरस्त करने पर औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है?

(3) क्या यह सही है कि विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर से निकलने वाले प्रदूषित जल (सीवरेज) एवं रासायनिक पदार्थ जो कि पापड़ वाले हनुमान जी के मंदिर के पास होता हुआ विद्याधर नगर सैक्टर 8, 9, 10 एवं ब्लाक सी से होता हुआ स्वर्ण जयंती पार्क में जाता है जिससे लोगों के स्वास्थ्य एवं जल स्रोत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है? क्या इस संबंध में विभाग को इसे बंद करने हेतु कोई शिकायत/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक कारगर कदम उठाये गये हैं तथा इसकी समय-समय पर जांच/सर्वे के लिए क्या व्यवस्था कर रखी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर के उद्योग जिनसे निकलने वाला प्रदूषित जल जो विद्याधर नगर के अमानीशाह नाले/स्वर्ण जयंती पार्क में आकर मिलता है और कई उद्योगों को पर्यावरण विभाग ने नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया है ? यदि हां, तो उन अनियमित एवं दोषी औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में उद्योग इकाइयों की स्थापना से पूर्व प्रदूषित वायु/जल निकासी

(राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण)

के संबंध में राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारण मंडल से जल अधिनियम, 1974 एवं वायु अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्मति लेना आवश्यक है। जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की प्रति परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(2) प्रदूषित जल/वायु निकास के लिये निर्धारित नियमों का उल्लंघन किये जाने पर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 43-44 सहपठित धारा 24, 25 एवं 26 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37 सहपठित धारा 21-22 के अन्तर्गत दोषी करार दिये जाने पर कारावास एवं अर्थदण्ड का प्रावधान है जिसकी अवधि कम से कम एक वर्ष छः माह की होती है तथा जिसे अधिकतम छः वर्ष तक के लिये बढ़ाया जा सकता है।

(3) यह सही है कि विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला प्रदूषित जल (व्यावसायिक एवं घरेलू मल जल) पापड़वाले हनुमान जी के मंदिर के पास होता हुआ विद्याधर नगर सैक्टर 8, 9, 10 एवं ब्लॉक सी से होता हुआ निर्माणाधीन स्वर्ण जयंती पार्क के पास से गुजरता है। उद्योगों से निकलने वाले व्यवसायिक उच्छिष्ठ (दूषित जल) तथा घरेलू मल जल में रसायनिक पदार्थों के उपलब्ध होने से इंकार नहीं किया जा सकता।

विद्याधर नगर सैक्टर नंबर 8 विकास मंच के अध्यक्ष से उनके पत्र दिनांक 30.5.98 द्वारा राज्य मंडल को एक ज्ञापन (शिकायत) प्राप्त हुआ है।

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा इस शिकायत के संबंध में जांच करवाई गई और यह पाया कि किसी भी उद्योग से शिकायत में उल्लेखित रासायनिक पदार्थ परोक्ष रूप से उपरोक्त स्थान पर नहीं आ रहा है तथा उपरोक्त मंदिर के आस-पास स्थित दो कुओं के जल के नमूने एकत्रित कर जांच भी की गई तो यह पाया गया कि इन कुओं का जल प्रदूषित नहीं है। मंडल द्वारा इन इकाइयों के उच्छिष्ठ उपचार के पश्चात् ही निस्त्रावित किये जाने के लिये बाध्य किया जाता है। इसके लिए समय-समय पर उद्योगों का निरीक्षण एवं जल उच्छिष्ठ का नमूना एकत्र किया जाता है।

विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले प्रदूषित जल पापड़ वाले हनुमान के पास तथा विद्याधर नगर सैक्टर नं. 8, 9 व ब्लॉक सी के पास रुके हुये अमानीशाह के नाले में जाता है। इससे अभी वर्तमान में विद्याधर नगर क्षेत्र में स्थित नलकूपों के पानी पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं हुआ है।

जहां तक विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र से अमानीशाह नाले में बहकर आने वाले प्रदूषित जल के पापड़ के हनुमान जी के मंदिर के पास से बहकर स्वर्ण जयंती पार्क में मिलने का प्रश्न है, मंडल द्वारा निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अमानीशाह नाले में जयपुर विकास प्राधिकरण (जे.डी.ए.) द्वारा लगभग 300 फीट×250 फीट के क्षेत्र में 2.5 से 3 फीट ऊंची दीवार खींचकर इस स्थान का भराव किया जा रहा है। इसी स्थान पर "स्वर्ण जयंती पार्क" का निर्माण प्रस्तावित है। वर्तमान में इस निर्माणाधीन पार्क स्थल में उद्योगों से निस्त्रावित जल का बहाव नहीं देखा गया।

(राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण)

विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के पेयजल स्त्रोत से स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है तथा पीने के स्त्रोतों के पेयजल नमूने भी संतोषप्रद पाये गये। फिर भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक निगरानी/सर्तकता जारी है।

विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में किसी उद्यमी द्वारा, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के निर्धारित मापदण्डों का उल्लंघन का निर्णय होने पर "रीको" द्वारा उस उद्यमी को आवंटित भूखण्ड को निरस्त भी किया जा सकता है।

(4) जी हां विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर के उद्योग जिनसे निकलने वाला प्रदूषित जल जो अमानीशाह के नाले में आकर मिलता है, और जिन्हें निर्धारित नियमों का उल्लघंन करते पाया गया के विरुद्ध की गई कार्यवाही की सूची परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है। संलग्न सूची में दर्शाये गये उद्योगों के विरुद्ध जल अधिनियम की धारा 33 (अ) अथवा/तथा वायु अधिनियम की धारा 31 (अ) के अंतर्गत गुणावगुण के आधार पर प्रत्येक प्रकरण में परीक्षण कर इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी कर रहा है कि क्यों न प्रदूषण फैलाने के कारण उद्योग को बंद कर दिया जावे एवं जल प्रदाय तथा विद्युत प्रदाय विभाग को भी यह निर्देश दिये जायें कि इन उद्योगों के जल एवं विद्युत प्रदाय संबंध विच्छेद कर दिये जायें।

(प्रति एवं सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सहरिया जन जाति के लिए आश्रम छात्रावास

513. **श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :** क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य में सहरिया जनजाति के लिए गत पांच वर्षों में कितनी क्षमता के कितने आश्रम छात्रावास उक्त क्षेत्र में खोले गये?

(2) मार्च 1991 से सितम्बर, 1998 तक कितने नवीन छात्रावास सहरिया जनजाति के लिए खोले गये और इनकी छात्र क्षमता कितनी है ?

उत्तर

(1) मार्च, 1991 तक सहरिया परियोजना क्षेत्र में 8 आश्रम छात्रावासों का निर्माण कराया गया था। जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) मार्च, 1991 से सितम्बर, 98 तक सहरिया परियोजना क्षेत्र में 3 आश्रम छात्रावास स्वीकृत किये गये जिनमें से 2 बालक छात्रावास है तथा एक बालिका छात्रावास है। स्वीकृत किये गये आश्रम छात्रावासों के स्थानों एवं क्षमता का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

कृषि उपज मण्डी समिति दूदू की सम्पर्क सड़कें

514. **श्री कन्हैया लाल (बस्सी) :** क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति, दूदू द्वारा स्वीकृत गाडोता से

(श्री कन्हैया लाल)

कापडियावास कलां, रूपनगढ़, से सोलावता एवं बोराज से सूरपुरा सड़क स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त तीनों ही सड़कों की चौड़ाई अत्यधिक कम होने के साथ-साथ घटिया सामग्री उपयोग में ली गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तीनों सड़कों की चौड़ाई एवं निर्माण की गुणवत्ता की जांच कराकर दोषी ठेकेदार/अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या गाडोता से कापड़ियावास कलां तक की स्वीकृत सड़क का निर्माण कापडियावास कलां ग्राम तक हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त सड़क को ग्राम कापड़ियावास कलां तक पहुंचाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। ये सड़कें दिनांक 23.12.97 को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी।

(2) जी नहीं। सड़क निर्माण में सामग्री विशिष्टियों के अनुरूप ही काम में ली जा रही है जिसकी गुणवत्ता की समय-समय पर जांच किये जाने पर उसे संतोषप्रद पाया गया है। अतः कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

(3) सम्पर्क सड़क गाडोता से कापड़ियावास कला गांव तक का कार्य प्रगति पर है, जिसको आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

जिला सीकर में कृषकों हेतु रेस्ट हाउस

515. **श्री अमरा राम (धोद)** : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) सीकर जिले में कृषि उपज मण्डियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए डामर सड़कों का निर्माण कहां-कहां पर किया जा रहा है ?

(2) क्या सड़कों का निर्माण करने बाबत कोई योजनाएं प्रस्तावित हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां व कौन-कौनसी सड़कों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले की कृषि उपज मण्डियों में कितने-कितने कृषकों के लिए कहां-कहां रेस्ट हाउस हैं ? उनकी देखभाल से क्या सरकार संतुष्ट है ? क्या इन कृषक विश्राम गृहों का उपयोग कृषकों को ठहराने में हो रहा है ? क्या इनकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) सीकर जिले में 13 नवीन सम्पर्क सड़कों के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु निदेशालय को प्राप्त हुए थे, परन्तु प्रस्ताव अपूर्ण होने के कारण मण्डी समिति को कमी पूर्ति हेतु लिखा गया है। कमी पूर्ति के उपरान्त इन सड़कों की स्वीकृति पर विचार किया जाना संभव होगा।

(3) सीकर जिले में सीकर, श्रीमाधोपुर एवम् फतेहपुर मुख्य मण्डी प्रांगणों में क्रमशः 50, 40 एवम् 50 कृषकों के ठहरने हेतु

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

कृषक विश्राम गृह की व्यवस्था है। इनकी यथा समय मण्डी समितियों द्वारा देखभाल एवम् समुचित व्यवस्था की जा रही है। देखभाल के संबंध में अब तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः व्यवस्था संतोषजनक है। कृषक विश्राम गृह एक सुविधा है, मुख्यतया कृषक अपनी उपज की विक्रय कर उसी दिन लोट जाता है। यदि कृषक उपयोग करना चाहे तो सुविधा उपलब्ध है। इनकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था मण्डी समिति द्वारा की जाती है

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

कृषि विपणन बोर्ड जोधपुर द्वारा सड़क निर्माण

516. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सही है कि वर्ष 1998-99 में कृषि विपणन बोर्ड के जोधपुर बोर्ड द्वारा निविदाएं जारी कर ग्राम पंचायत मुख्यालय. सबलपुरा, पचानपुर, दीपावास को डामर सड़क से जोड़ने की स्वीकृति जारी की गई है ?

(2) उक्त निविदाएं किस-किस सड़क की कितनी-कितनी राशि की किस ठेकेदार के नाम स्वीकृत की गई ?

(3) अब तक कार्य शुरू नहीं करने के क्या कारण हैं तथा अब कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त सड़कों को निर्माण हेतु निविदा मैसर्स माणक कंस्ट्रक्शन कम्पनी बिलाड़ा को सबलपुरा, पचानपुरा एवं दिपावास के अन्तर्गत रुपये क्रमशः 20.03, 8.66 व 1.30 लाख की राशि का स्वीकृति जारी की गयी हैं।

(3) समस्त सड़कों के कार्य प्रगति पर है।

तकनीकी समिति द्वारा स्वीकृत सड़कें

517. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 3-6-98 द्वारा कुछ सड़कों को बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी गई थी ? यदि हां, तो उक्त समिति की रिपोर्ट मय स्वीकृति की प्रति के सदन की मेज पर रखे।

(2) उक्त सड़कों को स्वीकृत राशि किस पैकेज की थी ? क्या अब भी संबंधित पैकेज में राशि शेष है ? यदि हां, तो कितनी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त तकनीकी समिति ने हिंगोटा-बालाहेड़ी सड़क से झूथाहेड़ा, खुर्द झूथाहेड़ा कलां वाया बैजूपाड़ा सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो कितनी किलोमीटर लम्बाई की एवं कितनी राशि की ?

(4) उक्त स्वीकृत सड़क का कार्य अभी तक क्यों नहीं चालू किया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां टैक्निकल कमेटी की रिपोर्ट परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

(2) उपरोक्त सभी सड़कों (मिसिगंलिंक) की राशि किसी भी पैकेज की नहीं उक्त सड़कों को टैक्निकल कमेटी की रिपोर्ट में कृषि विकास परियोजना के बोर्ड के अन्तर्गत चल रहे कार्यों में से बची हुई राशि से परियोजना अवधि में कराया जाना था।

(3) जी हां। टैक्निकल कमेटी द्वारा हिंगोटा बालाहेड़ी रोड़ से झूथाहेड़ा खुर्द झूथाहेड़ा कला वाया बेजूपाड़ा में मिसिंग लिंक के निर्माण हेतु 3.600 कि.मी. की लम्बाई के लिये कृषि विपणन परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न पैकेज में से वित्तीय स्वीकृति की सीमा में बचत राशि होने की अवस्था में अनुमोदित किया गया था।

(4) कृषि विकास परियोजना में बचत नहीं रहने के कारण उक्त सड़क पर कार्य चालू नहीं कराया गया हैं।

(रिपोर्ट के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

कृषि उपज मण्डी छबड़ा द्वारा प्रस्तावित सड़कें

518. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) कृषि उपज मंडी छबड़ा की कितनी गौण मण्डियां हैं ? किस-किस गौण मण्डी की वार्षिक आय कितनी-कितनी है एवं उक्त आय किस मद में व्यय की जाती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मण्डी द्वारा तहसील क्षेत्र छबड़ा व छीपाबड़ोद की कौन-कौनसी सड़क बनाई जाना प्रस्तावित है एवं मण्डी द्वारा कौन-कौनसी सड़क के प्रस्ताव सरकार को स्वीकृति के लिए भेजे हुये हैं ?

(3) अब उक्त सड़कों का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति छबड़ा के अन्तर्गत छीपाबड़ोद, हरनावदा शाहजी एवम् कवाई गौण मण्डिया हैं। इनकी वार्षिक आय क्रमशः 13.24, 3.31 व 9.32 लाख रुपये हैं। गौण मण्डियों की आय मुख्य मण्डी की आय में सम्मिलित होकर संस्थापन, मण्डी प्रांगण विकास, सम्पर्क सड़क एवम् मण्डी सुविधाओं मद पर व्यय की जाती है।

(2) वर्ष 98-99 के अन्तर्गत तहसील क्षेत्र छबड़ा व छीपा बड़ोद के अन्तर्गत मण्डी विकास निधि व मण्डी निधि से निर्माण कराये जाने वाली सड़कों का विवरण निम्न प्रकार है : —

1. तेलनी
2. कोटरापार
3. फलिया
4. दीलोद
5. फूलबड़ोद
6. गगचाना
7. भावपुरा

(3) आलोच्य वर्ष हेतु मण्डी समिति से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये है। उपरोक्त में से क्रम सं. 1 पर अंकित सड़क की निविदा विचाराधीन है, तथा 2 से 7 पर अंकित सड़कों का कार्य प्रगति पर है।

कृषि उपज मण्डी अजमेर द्वारा कराये गये कार्य

519. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) गत पांच वर्षों में किस-किस ठेकदार के माध्यम से कौन-कौन से कार्य अजमेर जिले की विभिन्न कृषि मण्डियों के माध्यम से कराये गये और कितनी-कितनी राशि का किस-किस कार्य हेतु कब-कब भुगतान किया गया ?

(2) क्या भुगतान करने से पूर्व कार्यों का निरीक्षण किसी सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया ? यदि हां, तो किस-किस कार्य का और किस-किस अधिकारी द्वारा, कब-कब निरीक्षण किया गया ?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में अजमेर जिले की विभिन्न कृषि उपज मण्डी के माध्यम से कराये गये कार्य, राशि एवं चालू बिलों के भुगतान का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। अंतिम बिलों के भुगतान का विवरण परिशिष्ट "ब" पर है।

(2) जी हां। भुगतान से पूर्व किये गये निरीक्षणकर्ता सक्षम अधिकारी का पद व निरीक्षण दिनांक परिशिष्ट "ब" के कॉलम सं. 8 व 9 में अंकित है। परिशिष्ट "अ" में अंकित कार्यों का निरीक्षण सहायक अभियंता द्वारा किया गया है।

(विवरण विस्तृत होंने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सिवाना (बाड़मेर) की स्वीकृत सम्पर्क सड़कें

520. श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) वर्ष 1998 में विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत हुई हैं और उसका निर्माण कार्य कब तक शुरू करवा दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र की ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति अभी तक विचाराधीन है ? यदि हां, तो कौनसी सड़कों की ओर अब कब तक स्वीकृति जारी कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में स्वीकृत सम्पर्क सड़क एवं निर्माण कार्य सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। सम्पर्क सड़क रामपुरा एवं सम्पर्क सड़क सेवाली की निविदा विचाराधीन है जिस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जा रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

निम्बाहेड़ा व सड़क निर्माण कार्य

521. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़कों का निर्माण कराया जाता है ?

(2) यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में वर्ष 1990 से फरवरी, 1999

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

तक कितनी सड़कों का निर्माण कराया गया? सूची सदन की मेज परखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त में से कुछ सड़कें अपूर्ण हैं ? यदि हां, तो कौन-कौनसी। अब सरकार अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के अन्तर्गत वर्ष 1990 से फरवरी 1999 तक कुल 40 सड़कों का कार्य कराया गया हैं। सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) अपूर्ण सड़कों एवं उनको पूर्ण कराने सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या-4 में अंकित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

केसरपुरा (सिरोही) के काम्बेश्वर महादेव (पाली) सड़क निर्माण कार्य

522. **श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)** : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या केसरपुरा (सिरोही) से काम्बेश्वर महादेव (पाली) सड़क निर्माण की कोई योजना स्वीकृत की गई है ?

(2) क्या उक्त संबंध में सरकार ने किसी कृषि मण्डी से कोई प्रस्ताव मंगाया है ?

(3) क्या यह सही है कि कृषि मण्डी समिति सुमेरपुर के आग्रह के बावजूद प्रस्ताव नहीं मंगाया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। सुमेरपुर मण्डी समिति से प्रस्ताव चाहे गये हैं।

(3) जी नहीं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है।

(1) श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं 13 अन्य विधान सभा सदस्यों की ओर से राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले ट्रकों से भरवाये जाने वाले 18-ए एवं 18-सी बिक्री कर फार्म उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्त्व का नहीं है, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(2) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में स्वीडन की सहायता से शिक्षा के पिछड़ेपन को दूर करने की लोक जुम्बिश योजना को बंद करने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी अविलम्बनीय लोक महत्त्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति

(श्री अध्यक्ष)

देने में असमर्थ हूं। प्रस्तावक माननीय सदस्य को प्रस्ताव के संबंध में दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : गुलाब चन्द जी की बच्ची की शादी है, वह आ नहीं पाऐंगे। इसको थोड़ा आगे समय दे दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पहले वाले पर बोलने की अनुमति प्रदान कर दें, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : पहले वाले पर अगर दो मिनट बोलना चाहते हैं तो मैं आपको अनुमति देता हूं। बोलिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय राजस्थान के अंदर..(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मेरे माइक में करंट आ रहा है अध्यक्ष जी। मेरे माइक के मैं हाथ ही नहीं लगा सकता। इसमें करंट आ रहा है अध्यक्ष जी। कहीं साजिश का शिकार नहीं हो जाऊं मैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : करंट तो आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : इलेक्ट्रिशियन आ रहे हैं

श्री रामस्वरूप : माइक में करंट नहीं आपके अंदर करंट है।

श्री अध्यक्ष बैठिये-बैठिये।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, राज्य की सीमाओं पर वे ट्रक जो राजस्थान से गुजरकर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में राज्य की सीमा पर खड़े हैं। हाल ही में सरकार ने एक संशोधन किया है कि जितने भी ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, ट्रक के स्वामी हैं, उनको डीलर माना है। इसलिए उनका दायित्व है कि वह जो माल लादकर ले जा रहे हैं, उसका डिक्लेयरेशन फार्म भरें और डिक्लेयरेशन फार्म में वह किसका माल है, कहां ले जा रहे हैं, इसके बारे मे पूरा उल्लेख करते हैं। यह फार्म है 18-ए और 18-सी। यह फार्म सैल्स टैक्स वाले उनको उपलब्ध कराते हैं। अब अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने यह कहा कि उन्होंने कम्प्यूटर लगा दियें और एक नई व्यवस्था के तहत आज राजस्थान ट्रक ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के सम्मुख संकट खड़ा कर दिया। जो चुंगी प्रथा समाप्त हुई थी, जो बेरियर्स पहले नेशनल हाई-वे पर लगे हुए थे, उनको सरकार ने इस आशय से हटाये थे कि बार-बार ट्रक रूकते हैं। वहां सेल्स टैक्स के लोग उनसे कागज लेने और देने के बहाने लूट-खसोट करते हैं। राष्ट्रीय पैसों का अपव्यय होता है। इसलिए यह तय हुआ था कि सारी व्यवस्था के अन्तर्गत यह बैरियर हटा दिये जाएं। अब, अध्यक्ष महोदय, नई व्यवस्था के बारे में जो फार्म 18-ए और 18-सी, जो इन चैक पोस्टों से उपलब्ध कराये जाते हैं ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को, आज की तारीख में वहां हैं नहीं। जितने भी चैक पोस्ट हैं उन पर हजारों की संख्या में ट्रक खड़े हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, हालांकि सरकार में खजाना खाली है और इस पृष्ठ भूमि पर करों से तो लोगों को लाभ दिया, जो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

भी व्यवस्था है, कर-संग्रहण सरकार करना चाहती है। परन्तु अध्यक्ष महोदय, दुःख की बात यह है कि 18-ए और 18-सी जो निःशुल्क दिये जाने चाहिये, आज वह 200-200 और 300-300 रुपये में ब्लैक में मिल रहे हैं। लोक करें क्या ? इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस संदर्भ में समुचित व्यवस्था करे। आज इसी बात को लेकर राजस्थान का जो ट्रक आपरेटर है आज राजस्थान की विधान सभा में प्रदर्शन करने आ रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के विकास का एक सूचकांक यह भी है कि हमारे सारे व्यवसायियों को सहूलियतें मिलें, वह अपना व्यापार सुगमता से कर सकें। इस मामले में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। आपने जो अनुमति दी, उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : सरकार के उत्तर में तो एक भी ट्रक नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप यहां सदन से किन्हीं सदस्य को भेज दें तो पता लगेगा कि कितने ट्रक आज खड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं उत्तर की बात कर रहा हूं।

नियम 295 के तहत प्राप्त सूचनाएं

(1) प्रो. सांवर लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र भिनाय के गांवों में पेयजल की गंभीर समस्या के संबंध में।

(2) श्री रतनाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में अतिवृष्टि से टूटे बांधों का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(3) श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान पथ परिवहन निगम की जयपुर से बीकानेर आने-जाने वाली बसें राजलदेसर बस स्टैण्ड पर नहीं जाने से जनता को हो रही असुविधा के संबंध में।

(4) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य विधान सभा की ओर से चूरू जिले में ऐतिहासिक बालाजी मंदिर, गोरखनाथ मंदिर सरकारी प्राथमिक विद्यालय एवं प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र की इमारतों को अतिक्रमण बताकर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा तोड़ने के आदेश जारी करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री घनश्याम जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से राणाप्रताप सागर बांध की डूब में आये विस्थापितों को बसाये गये स्थान पर सिंचाई एवं पेयजल की मुफ्त सुविधा बंद कर देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य, विधान सभा की ओर से इंदिरा गांधी नहर की बंदी से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर एवं चूरू जिलों में पेयजल का संकट खड़ा होने की आशंका के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य, विधान सभा की ओर से छबड़ा पंचायत समिति की पंचायत मूंडला के सरपंच को बर्खास्त करने के संबंध में।

(8) श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा की ओर से लाडनूं तहसील के 25,000 रुपये से 50,000 रुपये तक के वाद का श्रवणाधिकार सिविल जज नागौर से सिविल जज डीडवाना को अंतरित करने के संबंध में।

(9) श्री नगराज, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया में कतिपय सड़कों का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(10) डा. समरजीत सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीनमाल की ग्राम पंचायत, बोरटा की मेघवालों की ढाणी के एस.सी./एस.टी. के लम्बित विद्युतीकरण आवेदनों के सम्बन्ध में।

(11) श्री रघुवीर सिंह मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र, सराड़ा के नेशनल हाई-वे नम्बर 8 पर स्थित गांव परसाद में पुलिस थाना खोलने के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान लघु उद्योग निगम की "राजस्थली" की घटती आय के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री सांवर लाल जी :

(अनुपस्थित)

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था, आपने उसमें व्यवस्था नहीं दी है, कृपया व्यवस्था दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनाराम चौधरी। (अनुपस्थित)

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था, बहुत टाइम हो गया।

श्री अध्यक्ष : अभी मैं 295 पर आ गया हूं; आप मुझ से मिल लीजिये।

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने 21 तारीख को एक स्थगन प्रस्ताव दिया था, अभी तक उस पर व्यवस्था नहीं दी है। कृपया व्यवस्था दिलाने की मेहरबानी करवाएं।

श्री अध्यक्ष : आप मुझ से मिल लेना। बीज के बारे में आप कह रहे होंगे शायद।

श्री जयदेव प्रसाद इंदौरिया।

(12.13 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जयपुर-बीकानेर रूट की बसों का राजलदेसर स्टेण्ड पर ठहराव

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं माननीय यातायात मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री जयवेदव प्रसाद इन्दौरिया)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र, रतनगढ़ के अन्तर्गत राजलदेसर कस्बे में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जयपुर से बीकानेर तथा बीकानेर से जयपुर आने-जाने वाली बसें राजलदेसर बस स्टैण्ड तक जानी बंद हो गयी हैं जिससे नागरिकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही हैं। रोडवेज बसें राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 11 पर ही यात्रियों को उतार देती है जिससे महिलाओं एवं बच्चों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है। अन्य कोई वाहन नहीं मिलने पर कई बार रात्रि में अप्रिय घटनाएं भी घटित होती रही हैं।

अतः मैं यातायात मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्व की भांति रोडवेज की बसों को राजलदेसर के अन्दर बस स्टैण्ड तक जाने के आदेश प्रदान कर यात्रियों को यातायात सुविधाओं से लाभान्वित करने का कष्ट करेंगे

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

चूरू जिले के मंदिर, प्राथमिक विद्यालय एवं प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र की इमारतों को वन विभाग द्वारा तोड़ा जाना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये माननीय वन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

चूरू में वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अकारण राजनीतिक आधार पर स्थानीय जनता को परेशान किया जा रहा है। चूरू में खतरा नम्बर 1638/698 के अन्तर्गत 96 बीघा 2 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में गैन मुमकिन बीड, डाबला रोड, चूरू में दर्ज है। यह भूमि चूरू के वार्ड नम्बर 32, हरिजन बस्ती के बिलकुल साथ लगी है। इस भूमि पर सैंकड़ों वर्षों पुराना बालाजी का मंदिर व गोरखनाथजी महाराज का मंदिर स्थापित है जिस पर वर्षों से श्रद्धालू दर्शनार्थी आते-जाते रहते हैं। भूमि शहर के नजदीक होने के कारण स्थानीय जनता की मांग पर जिला कलेक्टर, चूरू द्वारा बिना भवन संचालित राजकीय गोरखनाथ उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय के नाम पर 1992 में 18 बिस्वा जमीन अपने पत्र क्रमांक प. 12. (2)(10) राजस्व, 1998 द्वारा आबंटित की गयी। जिस पर जन सहयोग से निर्बन्ध राशि, विधायक कोटा व सांसद कोटे से लाखों रुपये लगाकर 6 कमरे मय बरामदे के भव्य भवन का निर्माण काफी समय पूर्व पूरा हो गया। कालांतर में इसी खसरे नम्बर 698 की भूमि में राजकीय विद्यालय के खुले मैदान व राजकीय प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के निर्माण हेतु स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर के सम्मुख दो बीघा भूमि आबंटन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर जिला कलेक्टर, चूरू द्वारा अपने आदेश क्रमांक प.12(2)(10) राजस्व दिनांक 10.2.1995 को दो बीघा भूमि का आबंटन किया। आबंटित भूमि पर राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र का निर्माण कराया गया जिसका निर्माण कार्य वर्ष 1997-98 में पूर्ण हो चुका है। तथा जनता हेतु दो सार्वजनिक नल भी लगाये गये।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपरोक्त सार्वजनिक संस्थाओं का इंतकाल का इंद्राज भी राजस्थान रिकार्ड में क्रम संख्या 1049/7.4.97 को दर्ज हो चुका है। वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी/भूमि के साथ लगे वन क्षेत्र में लगातार बड़े-बड़े पेड़ काटकर बेच रहे थे, जिसका विरोध वार्ड के निर्वाचित पार्षद व स्थानीय जनता ने भी करना प्रारम्भ किया तो वन विभाग के अधिकारियों ने उन्हें सबक सिखाने की खुली चेतावनी दी तथा श्री सीताराम लुगरिया, श्री निरंजन प्रजापत, उदाराम भांभी व राजकीय गोरखनाथ उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को राजस्व भू-राजस्व अधिनियम 1956 व संशोधित अधिनियम 1992 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी मानते हुए नोटिस जारी किया। नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर के सम्मुख एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर जिला कलेक्टर, चूरू ने उप वन संरक्षक, सीकर व जिला वन अधिकारी, चूरू को अपने पत्र क्रमांक प.12(2)(10) दिनांक 14.1.1999 को लिखकर निर्देश दिये कि भूमि का आबंटन राजकीय संस्थाओं को नियमानुसार किया गया है अतः इस प्रकरण में कोई अतिक्रमी नहीं है। इसके पश्चात् श्री जिला वन अधिकारी, चूरू ने सारे नियम व कानूनों को ताक पर रखकर राजकीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक, क्षेत्रीय नेता सीताराम लुगरिया, निरंजन प्रजापति, उदाराम भांभी पर तीन-तीन हजार का जुर्माना कर अतिक्रमी मानते हुए एतिहासिक बालाजी का मंदिर, पूजा स्थल गोरखनाथ का मंदिर, सरकारी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र व सरकारी विद्यालय के भवन को तुरन्त प्रभाव से तोड़ने के आदेश जारी कर अपनी नादिरशाही का परिचय दिया।

अतः मेरा वन मंत्री महोदय से आग्रह है कि वह पूरे प्रकरण की पत्रावली मंगाकर जांच करायें व दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही करें व जिला वन अधिकारियों के आदेश को तत्काल रद्द करें अन्यथा चूरू में भयंकर जन आंदोलन होने की संभावना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम जैन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वन मंत्रीजी, बहुत गम्भीर मामला है, आप कृपा कर देखें कि किस तरह सार्वजनिक संस्थाओं को तोड़ने के लिए आपके अधिकारी आदेश दे रहे हैं। मंदिर टूटेगा तो क्या होगा ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री छोगाराम बाकोलिया : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। हमारे जयदेव प्रसादजी इन्दौरिया, माननीय सदस्य, जो बहुत सीनियर हैं और मैंने अपनी मांग के दौरान कह दिया था कि राजलदेसर से होकर बसें चालू करा दी जायेंगी फिर भी उन्होंने ध्यान आकृष्ट आज किया है, मैं माननीय सदस्य को पुनः और आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजलदेसर से होकर जो जयपुर से बीकानेर बसें जाती हैं वे सब उधर से होकर के निकलेंगी बस स्टैण्ड के थ्रू। माननीय सदस्य ने जो अभी वापस ध्यान आकर्षित किया है, उस पर उनको विश्वास होना चाहिए क्योंकि माननीय सदस्य काफी सीनियर हैं इसलिए।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, वन मंत्रीजी, आप भी तो देखो, सरकारी चिकित्सालय तोड़ रहे हो, मंदिर तोड़ रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम जैन। (अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सरकारी विद्यालय तोड़ रहे हो। कलेक्टर ने आबंटित की है जमीन। आप पत्रावली तो मंगा लो। यह तो कहो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्याम गंगानगर (अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र राठौड़ यह तो कहो कि मैं पत्रावली मंगा कर देखूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रताप सिंहजी सिंघवी। आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम विधान सभा में बोलते हैं तो इस उम्मीद से बोलते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि वहां गोरखनाथजी का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है।

श्री उपाध्यक्ष : सुन ली न आपकी बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसको तोड़ने के आदेश दे दिये।

श्री उपाध्यक्ष : सुन ली न उन्होंने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह संवेदनशील लोग हैं, यातायात मंत्रीजी कितने बखूबी से छूटे हुए हैं, आपको भी कम से कम कहना चाहिए कि मैं जांच कराऊंगा। आप जांच करवा लें।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है उसके बारे में मुझे अलग से थोड़ा आप लिखित में पत्र दे दीजिये, मैं इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर के और वाकई में कोई ऐसी गैर-कानूनी कार्यवाही की जा रही है तो उसके बारे में निश्चित तौर से उसको रोकने का प्रयास करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

छबड़ा पंचायत समिति की पंचायत मूंडला के सरपंच को बर्खास्त किया जाना

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति, छबड़ा की मूण्डला पंचायत के सरपंच का नाम अपील संख्या 155/94 में जिला कलेक्टर, बारां के निर्णय दिनांक 3.12.94 द्वारा वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत मूण्डला के वार्ड संख्या 9 ग्राम खेड़ी से अपवर्जित किया गया था। परन्तु सरपंच, मूण्डला ने जिला कलेक्टर, बारां के निर्णय के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में रिट पिटीशन संख्या 6713/94 दायर की जो दिनांक 14.3.1997 को खारिज हो गयी है। वर्तमान में जिला कलेक्टर का निर्णय दिनांक 3.12.1994 से प्रभावशील है।

अतः मूण्डला का वर्तमान सरपंच मूण्डला पंचायत का ना तो निवासी है ना ही मतदाता

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

है अतः मेरा राज्य सरकार एवं पंचायत राज्य मंत्रीजी से निवेदन है कि उक्त सरपंच को तुरन्त बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था लेकिन अभी तक उक्त सरपंच को बर्खास्त नहीं किया गया है। अतः मैं मांग करता हूं कि उक्त सरपंच को तुरन्त बर्खास्त करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक।

(अनुपस्थित) श्री नगराज

लसाड़िया विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का निर्माण

श्री नगराज (लसाड़िया) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने बाबत।

महोदय, मैं राजस्थान् विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया में चल रहे अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत निर्माण कार्य में मात्र मिट्टी ही डाली जा रही है। विभाग के अधिकारियों को कई बार निवेदन किया गया है परन्तु अभी तक एक भी पक्का कार्य नहीं किया गया है जिससे राज्य सरकार का पैसा बरबाद हो रहा है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में निम्नांकित सड़कों का निर्माण कार्य होना शेष है : —

(1) लोहागढ़ से निम्बरवाड़ा सड़क

(2) मुगाना से बोदिया कुमारी सड़क

(3) सम्पर्क सड़क ठिकीया

(4) चारनीया से गरड़ा सड़क

(5) सम्पर्क सड़क नलवा

(6) सम्पर्क सड़क भुमनिया

(7) सम्पर्क सड़क चरी

(8) पारसौला से निम्बरवाड़ा सड़क

(9) मुगाना से माडवी वाया जगलावदा सड़क

(10) कुण से फिला सड़क

अतः निवेदन है कि सम्बन्धित विभाग को निर्देश दें कि उपरोक्त सभी सड़कों का पक्का सी.डी. वर्क का निर्माण करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डा. समरजीत सिंह।

श्री हरजीराम बुरडक : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : आपका नम्बर वापस लेंगे। बिराजें। डा. समरजीत सिंह।

ग्राम पंचायत बोरटा (भीनमाल) में एस.सी./एस.टी. के लम्बित विद्युत कनेक्शन आवेदन

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत भीनमाल विधान सभा क्षेत्र में गांव बोरटा के अन्तर्गत मेघवालों की ढाणी के एस.सी.एस.टी. के लम्बित विद्युतीकरण आवेदन के विषय में।

(डा. समरजीत सिंह)

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में ग्राम पंचायत बोरटा के अधीन मेघवालों की ढाणी बोरटा से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसको बसे हुए करीब 40 वर्ष हो चुके हैं। यह ग्राम बोरटा की सरहद में खसरा नम्बर 327 के रकबा 70 बीघा सरकारी भूमि पर जिला कलेक्टर, जालौर के आदेश क्रमांक 8219/17/9/63 को बनी हुई है।

इस ढाणी की आबादी करीब 600 है तथा यहां अनुसूचित जाति के मेघवाल जाति के ही लोग रहते हैं।

ग्रामवासियों ने करीब 7 वर्ष पहले 1993 में घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु करीब 55 फाइलें सहायक अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, भीनमाल के कार्यालय में जमा करायी थी। विभाग ने एक वर्ष पहले प्रति कनेक्शन 10,000/- रुपये के डिमाण्ड नोटिस निकाल दिए। यहां मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दस-दस हजार रुपये भरकर घरेलू कनेक्शन लेने की बात अनुसूचित जाति, जनजाति के वे लोग हर रोज मेहनत कर गुजारा करते हैं। वे स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हैं। आवेदकों ने समाज कल्याण विभाग से सहायता हेतु सम्पर्क किया है जो विभाग के पास विचाराधीन है।

अतः इस मेघवालों की ढाणी के लोगों के घर में विद्युत कनेक्शन लेने में जो कठिनाई आ रही है इसे दूर करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह मीणा (अनुपस्थित)। श्रीमती सुमित्रा सिंह।

राजस्थान लघु उद्योग निगम की "राजस्थली" की घटती आय

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मंत्रीजी को याद दिलाकर उनका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगी कि आज से करीब 38 वर्ष पूर्व सन् 1961 में राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना की गयी थी। इसका उद्देश्य राजस्थान की हस्तकला, कारीगरी एवं कुटीर उद्योग के जरिए उत्पादित वस्तुओं को सम्पूर्ण भारत में लोकप्रिय बनाने हेतु बिक्री एवं प्रचार, एवं छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन देने तथा उन्हें अपने पांवों पर खड़ा करने की आवश्यकता के कारण राष्ट्रीय नीति के तहत स्थापित किया गया था।

सम्पूर्ण भारत में इस निगम ने अपने सामान के विक्रय हेतु राजस्थली नाम से काउन्टर बनाये जिनमें राजस्थानी प्रिंट के सिले सिलाए वस्त्र, पीतल की सजावटी वस्तुएं, चन्दन की लकड़ी के कई प्रकार के खिलौने एवं मूर्तियां, ब्ल्यु पोटरी, ज्वेलरी, जयपुरी रजाइयां, लाख की चूड़ियां, राजस्थानी मोजड़ी, कांच के जड़े हुए वस्त्र एवं अन्य वस्तुएं, फर्नीचर, गलीचे एवं अन्य प्रकार की कई वस्तुएं बेचने की व्यवस्था बनाई।

सन् 1983 से निगम मिनिमम सेल्स गारन्टी के आधार पर अलग-अलग क्राफ्टस के काउन्टर मिनिमम सेल्स गांरटी के आधार पर निविदाएं आमंत्रित करके सबसे उंची बोली लगाने वाले को दो वर्ष के लिए आवंटित किया करता था जिसमें 20 प्रतिशत कमीशन 2.1/2 प्रतिशत विज्ञापन व्यय एवं लाइसेंस फीस सम्मिलित थी।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

बिक्री प्रारम्भ करने से पूर्व 6 महीने का 20 प्रतिशत कमीशन विज्ञापन व्यय एवं लाइसेंस फीस एडवांस में सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा कराने को अनिवार्यता थी लेकिन पिछले वर्ष निगम ने दिल्ली की राजस्थली के टैण्डर आमंत्रित किये परन्तु 4 महीने तक इन निविदाओं पर फैसला नहीं किया और फिर पुरानी व्यवस्था के बदले सेल्स एण्ड रिटर्न बेसिस पर दिल्ली की "राजस्थली" का काउन्टर आबंटित कर दिया गया।

इस नई व्यवस्था से दिल्ली की राजस्थली एक महीने में पूर्व की व्यवस्था के मुकाबले 5,16,437 रुपये कम आय दे रही है पहले सिक्योरिटी की रकम 30,98,622 रुपये छः महीने की सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करानी पड़ती थी। अब सेल्स एण्ड रिटर्न आधार पर इसकी भी आवश्यकता नहीं रही।

यह नई व्यवस्था किस अधिकारी ने की है और क्यों की है क्या राज्य सरकार ने ऐसे निर्देश प्रदान किये थे ? पिछले तीन सालों में निगम ने जितने रूपयों का निर्यात विदेशों में किया हैं उससे कहीं अधिक निर्यात दिल्ली की राजस्थली में नियुक्त कर्मचारी ने किया है।

निगम ने इन काउन्टर्स पर कीमत गुणवत्ता एवं नकद बिक्री को उचित परिणाम में रखने हेतु क्या व्यवस्था कर रही है और अब तो इन काउन्टर्स को सगे सम्बन्धियों को सबलेट करने की भी व्यवस्था हो गयी है।

नई दिल्ली की राजस्थली जिस भवन में चल रही है उसमें सुरक्षा उपायों का कोई प्रावधान नहीं है अतः राज्य सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

आशा है इस सम्बन्ध में सरकार मेरे इस विशेष उल्लेख का संज्ञान लेगी। हमारी दिल्ली की राजस्थली लोगों को आकर्षित कर अधिक से अधिक आय दे सके इस बारे में राज्य सरकार आवश्यक निर्देश देगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीरामजी बुरड़क।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कुछ संज्ञान तो लें। कुछ बतायें तो सही। एक महीने में यह हानि हो रही है। कुछ बतायें तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : यह आवश्यक नहीं है कि वह दें। दें, तो दें।

पचास हजार रुपये तक के वाद का श्रवणाधिकार सिविल जज (व.खं.) डीडवाना को अंतरित करना

श्री हरजीराम बुरड़क (लाड़नूं) : उपाध्यक्ष महोदय, लाडनूं तहसील का 25,000/- से 50,000/- तक का वाद का श्रवणाधिकार सिविल जज (व.खं.) नागौर से सिविल जज (व.खं.) डीडवाना को अंतरित करने बाबत् नियम 295 के तहत प्रस्ताव।

(1) मान्यवर, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ(4)विधि/1990 दिनांक 30.4.92 के द्वारा सिविल न्यायाधीश(क.खं.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट डीडवाना के न्यायालय को सिविल न्यायाधीश (क.खं.) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना के न्यायालय में क्रमोन्नत

(श्री हरजीराम बुरडक)

किया गया था। क्रमोन्नत न्यायालय के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में कोई अलग से आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया। जिससे उक्त न्यायालय का श्रवणाधिकार क्षेत्र पूर्व मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट डीडवाना के क्षेत्राधिकार तहसील डीडवाना का क्षेत्र ही रहा है। उक्त न्यायालय के क्रमोन्नत होने से पूर्व डीडवाना उपखण्ड (तहसील-डीडवाना व लाडनूं) के क्षेत्राधिकार के साथ नागौर उपखण्ड का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायाधीश (व.खं.) नागौर के पास था। उक्त न्यायालय को क्रमोन्नत करने से तहसील डीडवाना का क्षेत्राधिकार ही सिविल जज (व.खं.) डीडवाना के पास रहा व तहसील लाडनूं व उपखण्ड नागौर का क्षेत्राधिकार सिविल जज (व.खं.) नागौर के पास रहा है।

(2) यह है कि लाडनूं से डीडवाना 33 किलोमीटर दूर है व रेल व बस से जुड़ा हुआ है। जबकि नागौर लाडनूं से 110 किलोमीटर है व रेल सेवा का हुआ है। जबकि नागौर लाडनूं से 110 किलोमीटर है व रेल सेवा का सीधा सम्पर्क नहीं है एवं लाडनूं डीडवाना उपखण्ड का एक भाग होने से उक्त क्षेत्राधिकार सिविल जज (व.खं.) से नागौर से सिविल जज (व.खं.) डीडवाना को अन्तरित किया जाना उचित व पक्षकारों के लिए सुविधाजनक रहेगा।

अतः सदन के मार्फत राज्य सरकार से निवेदन है कि डीडवाना उपखण्ड (डीडवाना-लाडनूं तहसीलों) 25,000/- से 50,000/- के मालियत के वादों की सुनवाई किये जाने के अधिकार सिविल न्यायाधीश (व.खं.) नागौर से सिविल न्यायाधीश (व.खं.) डीडवाना को प्रदान करवाने का आदेश शीघ्र प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्यामजी जैन आप अनुपस्थित थे। बोलना चाहो तो बोल दो।

राणा प्रताप सागर बांध की डूब में बसे विस्थापितों की सिंचाई एवं पेयजल व्यवस्था

श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यानाकर्षित करने हेतु।

मान्यवर, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं : —

रावतभाटा में राणाप्रताप सागर बांध आज से करीब 30 वर्ष पूर्व बना था। डूब में आये विस्थापितों को जहां बसाया गया वहां पेयजल व सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं थे। ऐसी स्थिति में डूब में आये लोग वहां नहीं बसना चाहते थे तब सिचांई विभाग ने यह आश्वासन दिया कि राणा प्रताप सागर से लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के द्वारा सिंचाई व पेयजल व्यवस्था विभाग द्वारा मुफ्त दिलाई जायेगी। यह व्यवस्था करीब 20-25 वर्ष तक चली। व विस्थापितों को मुफ्त सिंचाई व पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी।

इसी के तहत तीन लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं जवाहर नगर, पतलोह, व झीकरा

(श्री घनश्याम जैन)

के नाम से लाखों रुपये खर्च करके संचालित की गयी मगर विगत पांच वर्षों से यह व्यवस्था बन्द कर दी गयी, जिससे वहां के गरीब काश्तकार सिंचाई व पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं होने से आर्थिक स्थिति से दिवालिया होकर रोटी-रोजी हेतु मारे-मारे फिर रहे हैं एवं गांव से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं।

अतः कांग्रेस सरकार द्वारा जो सिंचाई व पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जा रही थी पुनः प्रारम्भ करायी जावे। आज भी लाखों रुपये की मोटरें व पाइप लाइन बेकार पड़ी है। आशा है इस ओर तत्काल ध्यान फरमा कर गरीब व असहाय लोगों की भयंकर अकाल के समय सिंचाई व पेयजल सुविधा मुहैया कराने का सिंचाई उपखंड रावत भाटा को अवाश्यक आदेश फरमाकर उपरोक्त व्यवस्थाओं को पुनः चालू कर लाभान्वित करने का कष्ट फरमायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

डा. किरोड़ी लाल : यह पहली बार सुना है धारा 144 लगा दी। पीलिया के मामले में लगाना...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य वह बोल रहे हैं ना।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

खानपुर में पीलिया रोग का फैलाव एवं धारा 144 लागू करना

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा अस्पताल में सुलोचना नाम की 28 वर्षीय बहन 10 अप्रेल को भर्ती हुई और तभी से उसकी तबियत निरन्तर रूप से बिगड़ती गयी। तीन दिन पहले उसके गर्भ में पल रहा बच्चा मर गया। 10 तारीख से पहले वह खानपुर अस्पताल में थी। और पीलिया रोग से ग्रसित होने के कारण वहां भर्ती हुई थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज उसकी जान बहुत खतरे में है क्योंकि डाक्टर ने बताया है कि यदि इसके मृत शिशु को निकाला जाता है तो इसको बेहोश करना पड़ेगा और आज डाक्टर्स उस शिशु को निकाल नहीं पा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि ऐसे मामलों में 99 परसेन्ट ऐसे रोगी की मृत्यु होने की पूरी सम्भावना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मामला है। मैं चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से उस बहन को मौत के मुंह से बचाया जाये क्योंकि पहले भी उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं एवं गरीब है। सरकार अपने खर्चे पर उसका इलाज करवाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर के बहुत दुःख होगा और आश्चर्य भी होगा कि खानपुर में जहां 3 हजार से ज्यादा पीलिया रोगी हैं वहां पर पीलिया रोग पर नियन्त्रण पाने के लिए इकलेरा के उपखंड अधिकारी ने वहां धारा 144 लगा दी है। मुझे समझ में नहीं आता कि धारा 144 किसके ऊपर लागू होती है। क्या पीलिया रोगी, रोग जो जीवाणु फैलाते हैं उनके ऊपर भी क्या धारा 144 लागू होगी ताकि वह वह एकत्र होकर के नहीं आ सकें।

डा. किरोड़ी लाल : यह धारा 144 पीलिया के...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके ही सदस्य बोल रहे हैं। आप दो मिनट शांति रखिये।

डा. किरोड़ी लाल : बोल तो रहे हैं। यह धारा 144 लगाने वाली बात तो आप हैल्थ मिनिस्टर साहब को बुलाओ।

श्री उपाध्यक्ष : बोल रहे हैं ना।

डा. किरोड़ी लाल : राजेन्द्र सिंहजी को बुलवाओ।

श्री उपाध्यक्ष : बोल रहे हैं ना। पहले इनको तो बोल लेने दो।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए धारा 144 लगाई गयी है ताकि लोग वहां इकट्ठे होकर ना आयें। मरीज बहुत सारे अस्पताल में नहीं आयें, घर पर पड़े रहें और मर जायें और यदि 4 या 5 से ज्यादा मरीज एक साथ आ गये तो उनको पुलिस की लाठियां खानी पड़ेंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि कोई गमी हो गयी तो शोक प्रकट करने के लिए लोग वहां ना आयें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां हाट लगता है हाट ना भरे। लोग इसकी चर्चा ना करें कि सरकार फैल हो गयी है और पीलिया रोग पर नियन्त्रण पाने में असफल हो गयी है। इसलिए धारा 144 लगा करके काला इतिहास लिखा जा रहा है कि पीलिया रोग पर नियन्त्रण पाने के लिए धारा 144 लगायी जाये और जो इसके खिलाफ बोले उसको धारा 144 का नाम लेकर अन्दर कर दिया जाये। उसके साथ पिटाई की जाये। पुलिस बर्बरता से जिस प्रकार का अत्याचार उनके ऊपर करेगी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि चाहे कितनी ही धारा 144 लग जाये लेकिन वहां के लोगों की जीवन की सुरक्षा के लिए मैं 17 तारीख को वहां जा रहा हूं। धारा 144 क्या कर्फ्यू भी क्यों ना हो, जाकर के वहां रोगियों से मिलूंगा और उसको तोड़ूंगा। और वहां के रोगियों से मिलकर सरकार पर दबाव डालूंगा कि किसी भी प्रकार से वहां रोगियों का इलाज किया जाये। जहां शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करनी थी वहां धारा 144 लगा दी गयी, जहां पाइप लाइन बदलनी थी वहां धारा 144 लगा दी गयी, जहां रोग के विशेषज्ञ बुलाने थे वहां धारा 144 लगा दी गयी। लोग मर जाये उनके दाह संस्कार में ना जायें इसलिए धारा 144 लगा दी गयी। ऐसी +++सरकार मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने सुना भी नहीं कि इस भारत के अन्दर इससे बड़ी +++सरकार कोई हो सकती है क्या।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : आपकी बड़ी अच्छी सरकार थी।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गम्भीरता से इस बात को कह रहा हूं। और इसलिए कह रहा हूं कि मैं आंखों से देख करके आया हूं। वहां लोग तड़प रहे हैं, वहां 4 लोगों की मौत हो गयी है और निरन्तर, मेरे विधान सभा क्षेत्र से लगा हुआ है पीलिया रोग मेरे.....

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मदन दिलावर)

विधान सभा क्षेत्र को भी जकड़ने वाला है और इतना ही नहीं अटरू, बयावर उधर पीपल्दा तक लेकिन इस सरकार के जूं तक नहीं रेंग रही है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सरकार को निर्देश दें कि पीलिया रोग पर नियंत्रण पाने के लिए कुछ करें और यह धारा 144 को हटा दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना अन्याय ना करें कि हम अपनी बात भी वहां ना कर पायें। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि यदि धारा 144 नहीं हटी तो वहां जबरदस्त आक्रोश पैदा हो रहा है। जनता धारा 144 को तोड़ेगी और इस सरकार के काले कारनामों का पर्दाफाश करेगी। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं...

डा. किरोड़ी लाल : बड़ा गम्भीर मामला है माननीय उपाध्यक्ष महोदय धारा 144 लगाने का It is a very serious matter.

श्री हीरासिंह चौहान : बीमारी के मामले में जनता मांग करे और धारा 144 लगा दे। मंत्रीजी को इसके ऊपर स्टेटमेंट देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : बोल रहे है ना वह। इनको तो बोल लेने दो।

डा. किरोड़ी लाल : धारा 144...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : पब्लिक मांग करती है पानी के लिए और धारा 144 लगा देना...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : पानी की मांग करे तो धारा 144। कौनसा तरीका है यह। ...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय गृह मंत्रीजी को स्टेटमेंट देना चाहिए, बताना चाहिए...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपके माननीय सदस्य बोल रहे हैं इनको बात तो पूरी कर लेने दो। आपके ही माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : पीलिया रोग की रोकथाम के लिए, इलाज के लिए...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इनकी बात समाप्त हो गयी क्या ?

डा. किरोड़ी लाल : धारा 144 होती क्या है।

श्री हीरासिंह चौहान : मंत्रीजी से निर्देश दिलायें आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आसन पैरों पर।

डा. किरोड़ी लाल : हम सभी सरकार से मांग कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं।

श्री रामकिशन वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : उपाध्यक्षजी यह कहां की बात कह रहे हैं। कहां धारा 144 लगवा रहे हैं। कहां लगी है धारा 144...

एक माननीय सदस्य : धौलपुर में।

श्री रामकिशन वर्मा : कोई नहीं लगी है। आप बिना देखी बातें करते हैं ऐसा कुछ नहीं है वहां। मैं होकर आया हूं। जहां पाइप लाइन लगा दी, ट्यूबवेल लगा दिये, 11 हैण्ड पम्प लगा दिये।

श्री मदन दिलावर : आपको पता नहीं है।(व्यवधान)

श्री रामकिशन वर्मा : मुझे पता है पता आपको नहीं है...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आपको धारा 144 का ध्यान है। पीलिया...

श्री रामकिशन वर्मा : ध्यान है+ + +सब ध्यान है...(व्यवधान) सारी बातें करो और जोर-जोर से बोलो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। (व्यवधान) बहुत बोल करके देख लिये। मैं तो चाहता हूं कि अपनी बात चलती रहे तो ठीक रहे।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 13 तारीख को धारा 144 लगी है। अगर धारा 144 नहीं लगी है तो...(व्यवधान) धारा 144 नहीं लगी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, आप बोल लिये क्या। दिलावरजी आप बोल लिये? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : बोल लिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। आपको सबको बोलने दूंगा। बैठ जाइये। श्री अमरारामजी, आप बोलिये।

श्री उपाध्यक्ष : अमरारामजी बोलिये।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम खानपुर में पहले तो सरकार पीलिया होने से रोक सकती थी। गंदा पानी लोगों को पीने को न मिले, यह तो असफलता पूर्ण रूप से सरकार की रही है। जो रोगी खानपुर में आ गये, आस-पास के इलाके में आ गये, उनका इलाज करती। सरकार के तीन मंत्री भी गये हैं और अभी मंत्रीजी कह भी रहे हैं लेकिन यह कहा कि उन मरीजों का इलाज हो, पीलिया और आगे नहीं बढ़े, वहां पीने के पानी की स्वच्छ और समुचित व्यवस्था हो, लेकिन इसके बावजूद सरकार की असफलताओं को छुपाने के लिये धारा 144 लगाती है, उससे बुरा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि न तो धारा 144 उन बीमार लोगों का इलाज करती है, न खराब पानी जिसके पीने के कारण, अन्य गंदी वस्तुएं, दूषित वस्तुएं जिनके खाने-पीने के कारण पीलिया रोग फैला है जो महामारी का रूप ले सकता है, उनका धारा 144 से इलाज हो, न उनसे जिनसे पीलिया फैला है उनकी रोकथाम हो। केवल धारा 144 राजस्थान की सरकार ने अपनी विफलताओं को छिपाने के लिये लगायी है। यह बड़े शर्म की बात है। मैं समझता हूं तुरंत सरकार हटायेगी और ऐसी असफलताएं, आने वाले समय में मलेरिया भी फैलेगा क्योंकि सरकार की जो व्यवस्थाएं है कि पहले मलेरिया लोगों के होगा उसके बाद डिजीज...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये। माननीय सुरेन्द्रजी व्यास। समाप्त कीजिये।

+ + +शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि यह अपनी...

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी ना बात। हो गयी यह तो। आप चार दफा कह चुके हैं। समाप्त कीजिये।

श्री अमराराम (धोद) : असफलताओं को छिपाने के लिये धारा 144 लगायी है उसको तुरंत हटायें और वहां इलाज की व्यवस्था करें। और जिन कारणों से लोग ग्रसित हैं, उन कारणों के निराकरण की व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्र जी व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन को माननीय सदस्य ने यह सूचित किया कि पीलिया बीमारी फैलने के बाद वहां धारा 144 लगा दी गयी। अब गृह मंत्रीजी इस बात को कन्फर्म करे। सदन यह जानना चाहता है, क्योंकि माननीय सप्लाई मिनिस्टर अभी खड़े होकर कह रहे थे कि गलत है। उनके गलत कहने से कोई सदन मानेगा नहीं। एक जिम्मेदार सदस्य ने यह आरोप लगाया है वहां पर धारा 144 लगी है। It is for the Home Minister either to confirm or deny it.

श्री उपाध्यक्ष : होम मिनिस्टर ने मना थोड़े ही किया कि ज़वाब नहीं दूंगा। पहले आप बोलो तो फिर जवाब दें ना। He will let you know the facts. Given him a chance.

श्री सुरेन्द्र व्यास : जवाब का नहीं है...

श्री श्रीचन्द कृपलानी : यह तो कहते हैं धारा 144 लगी ही नहीं...

श्री उपाध्यक्ष : वह उनकी नोलेज की बात होगी। उनके जो ध्यान में आयी जो बात कह दी। उससे आपको क्या...

श्री श्रीचन्द कृपलानी : वह असत्य बोल रहे हैं महोदय...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : ना-ना, इस तरह थोड़ी ना कह सकते हैं। नहीं, इस प्रकार नहीं कहा जा सकता...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : हम सब सदन के सदस्य हैं...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अगर धारा 144 लगायी नहीं गयी है जो बात माननीय रामकिशनजी ने कही है, वह बात अगर माननीय प्रद्युम्न सिंहजी कह देते हैं तो वही जवाब होगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उनको आप अपोर्च्युनिटी दोगे तभी तो वह बोलेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (गृह मंत्री) : आप कह रहे हैं इससे...(व्यवधान) आपने एक बात कही है उसकी जानकारी प्राप्त करूंगा...

श्री उपाध्यक्ष : प्राप्त कर रहे हैं...

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप कह रहे हैं कि डिनाई करें, हां करें। यह फैक्ट्स मालूम...(व्यवधान) आप बैठिये। मैं आपकी बात सुन रहा हूं...(व्यवधान) प्लीज सिट डाउन।

डा. रामप्रताप : धारा 144 लगी है और होम मिनिस्टर इसकी जानकारी करेंगे अभी तक। कितना गंभीर मामला है...

श्री उपाध्यक्ष : उनकी नोलेज में नहीं है, जांच करके ही बतायेंगे। इसमें क्या बात है..(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : जांच करके बतायेंगे कब..(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जांच करके बतायेंगे कब। आज बता देंगे ना..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : धारा 144 सामान्य हालत में नहीं लगती। यह राजस्थान को इसी तरह बनाना चाहते हैं..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कहां लगती है धारा 144, इनको अभी तक पता ही नहीं..(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : डिमांड को लेकर के लोगों की मांग को लेकर के 144 की धारा लगायी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री रामनारायण चौधरी : यूं हाथों हाथ कुछ नहीं होता है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : पीलिया के कारण को लेकर जो धारा 144 है..(व्यवधान) अभी भी 144 लागू है। धारा 144 है वहां पर तो वहां तो कर्फ्यू लगा कर गोली मारो लोगों के। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : वहां के प्रशासनिक अधिकारी ने जानकारी दी होगी। जानकारी के बिना नहीं लगा सकते हैं। कोई मामूली मामला नहीं है। बीमारी के कारण से धारा 144 लगायी लोगों की मांग को लेकर तो सरकार ने निश्चित रूप से जानकारी ली होगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट हुए बिना सदन में डिबेट करने से कोई लाभ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : तो कह रहे हैं ना वह, जानकारी प्राप्त कर रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वही मैं निवेदन कर रहा हूं क्योंकि यह एक विवादास्पद विषय है। धारा 144 लगायी गयी है, नहीं लगायी गयी है। लगायी गयी है तो निश्चित रूप से बहुत गम्भीर मामला हो जाता है। आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके विभाग पर आपका नियन्त्रण नहीं है। धारा 144 बड़ी महत्त्वपूर्ण चीज है। फोरन टेलीफोन आपके पास आना चाहिए। आपको सूचित करना चाहिए, अवगत कराना चाहिए कि मंत्रीजी ऐसी स्थिति पैदा हो गयी ऐसे ही आप राम भरोसे, सदन चल रहा है। असेम्बली चल रही है और आपने क्या रामभरोसे छोड़ दिया डिपार्टमेंट को कि यहां पर ऑफिसर्स गैलेरी में कोई सवाल आयेगा तो पूछ लूंगा आ करके। मंत्रीजी, थोड़ी सी जानकारी करें और अगर धारा 144 लगायी गयी है तो there should be a regular statement from the Hon'ble Home Minister.

क्यों लगायी गयी, इसका जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्यों लगायी ?

श्री उपाध्यक्ष : इसकी जानकारी प्राप्त करके...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह दोनों चीजें एब्स्ल्यूटली अनरिलेटेड हैं बीमारी के अन्दर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : (व्यवधान)- आप समय निश्चित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह सब काल्पनिक सवाल हैं जब तक...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या बोलते हैं, काल्पनिक सवाल है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : वहां धारा 144 लगी है। खानपुर में धारा 144 लगी है...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप+ + +क्यों रहे हैं। + + + करके किस पर नाराज हो रहे हैं। + + + कर आप हर बात पर ही + + + आप...(व्यवधान) आप रोज-रोज + + +

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। इसमें तो...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : राज में हैं, कोई डरने वाले नहीं है। खड़े हो गये+ + +रहे हैं इस पर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, काल्पनिक सवाल है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : विधान सभा में जो लोग चुनते हैं आपकी कृपा से आये हैं क्या सदन में हम...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम आपकी कृपा से बैठे हैं यहां पर। (व्यवधान) बात करते हैं। आपकी कृपा से बैठे हैं यहां पर। आपकी कृपा से नहीं बैठा हूं यहां पर। यह क्या तरीका है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हमें कोई जरूरत नहीं है। (व्यवधान) कोई चीज पूछे, लाल होकर चलते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, आप बैठिये प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एतराज की बात है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह पूरे भी पूछ सकते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मेरी बात तो सुनों, मेरी बात सुनों। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कौनसी बात। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : हर बात में+ + +, हर बात में + + + (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दुःख की बात है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : इनके तो कहो, इनसे तो कहो...(व्यवधान)

+ + +शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप बैठें। माननीय सदस्य जगमाल सिंहजी, विराजें। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो गृह मंत्रीजी का रवैया देख रहे हैं यह हांउस का... (व्यवधान) हाउस से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं गृह मंत्री हो गये, खुदा हो गये आप।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये जगमाल सिंहजी। एक मिनट बैठिये, जगमाल सिंहजी विराजिये...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय सदस्य को जिस तरह आप...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह+ + + करके बोलेंगे और बोल सकते हैं क्या। वह+ + + कर बोल सकते हैं क्या...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : यह कोई व्यवहार है आपका, यह कोई तरीका है।...(व्यवधान) वह+ + +नहीं बोल सकते। (व्यवधान) वह+ + +नहीं बोलेंगे। आप मर्जी आये जो बोलिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर, जगमाल सिंहजी।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह कोई रवैया नहीं है। जवाब दें। आपका जी चाहे जो जवाब दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या बात हुई?...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गृह मंत्री इस तरह से माननीय सदस्यों को डांटें...

डा. किरोड़ी लाल : यह हर बार इसी तरह से जवाब देते हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर। माननीय सदस्य आसन पैरों पर। माननीय सदस्य जगमाल सिंहजी...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मंत्रीजी को धमकाते हैं यह...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप : जिस तरह गृह मंत्रीजी जवाब देते हैं इस तरह सदन नहीं चलेगा। यह किस प्रकार हम कोई दबने वाले नहीं है। हम दबने वाले नहीं है आपसे। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : नहीं दबा सकते आप। मंत्रीजी को धमका कर जवाब लेना चाहते हो...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप : यह सदन इस तरह से नहीं चलेगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। बैठिये जगमाल सिंहजी...(व्यवधान) मानीय सदस्य, आसन पैरों पर...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप इस तरह+ + + दिखा करके मंत्रियों से जवाब लेते हो...शर्म आने की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। डा. रामप्रताप जी...(व्यवधान) बैठिये माननीय जगमाल सिंहजी...(व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप : यह इस तरह मंत्री को भी धमका सकते हैं। आप निवेदन करियें... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी बैठिये। रामस्वरूपजी...(व्यवधान) श्री जगमाल सिंहजी। माननीय जगमाल सिंहजी...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं तो कोई आपके बंधुआ मजदूर नहीं है...

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप भी नहीं दबवाओगे किसी को...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : इस हाउस में आपकी जिम्मेदारी है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंहजी...(व्यवधान) माननीय मंत्रीजी... आर्डर-आर्डर। आर्डर प्लीज... बैठिये आप...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप भी डरते हैं...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो माननीय सदस्य बोलते रहेंगे...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : जिस तरह का व्यवहार यह मंत्रीजी से कर रहे हैं यह गलत है। इस तरह सरकार को दबा देना चाहते हैं आप (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप। आसन पैरों पर। प्लीज माननीय बैठिये। माननीय सदस्य, इस बात पर इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं...(व्यवधान) आर्डर-आर्डर। सुनिये। जो माननीय सदस्य ने कहा है कि वहां पर 144 धारा लगी हुई है, गवर्नमेंट यह कह रही है कि हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे इसमें इतने...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह क्या बात हुई। यानि गवर्नमेंट को जानकारी नहीं है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। आर्डर प्लीज। आप पहले पूरी बात तो सुनो... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या कह रहे हैं, यह कर दूंगा वह कर दूंगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप पूरी बात तो सुनो। आप पूरी बात सुनिये पहले...(व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप सब खड़े होकर दबाना चाहते हो क्या...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : जो जानकारी दे, जो वक्तव्य दें लेकिन जिस तरह...(व्यवधान) यह व्यवहार कर रहे हैं यह कोई ठीक जवाब नहीं है...इसका मतलब वह कहे वही बात करेंगे...(व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : एक साथ पांच, पांच खड़े हो जाते हैं। एक एक पूछो।

श्री जगमाल सिंह यादव : हम आप किसी बात पर कर सकते हैं...(व्यवधान) लेकिन व्यवहार संयत होना चाहिये हम आपके जवाब से नहीं....

श्री रामप्रताप : यह किस तरह दबा कर रखना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये तो सही। आप बैठिये, माननीय सदस्य..(व्यवधान) अब आप मेरी बात सुनिये प्लीज..आप पूरी बात सुनिये उसके बाद बोलिये..(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : इससे बड़ी तत्परता क्या होगी, मालपुरा से आने वाले सदस्य ने एक सवाल उठाया और सरकार कह रही है हम जानकारी प्राप्त करेंगे, इससे ज्यादा तत्परता और क्या होगी..(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नाराज क्यों हो रहे हैं। फिर नाराज क्यों हो रहे हैं..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। प्लीज, माननीय सदस्य..(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : जानकारी की क्या बात है, नाराज क्यों हो रहे हैं..

श्री रामनारायण चौधरी : इससे ज्यादा सरकार की तत्परता क्या होगी..

श्री उपाध्यक्ष : जगमाल सिंहजी.. (व्यवधान) आप बैठिये ना एक मिनट..(व्यवधान) रामस्वरूपजी, रामस्वरूपजी.. (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : होम मिनिस्टर साहब को संयम होना चाहिए..(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : वह बोलेंगे..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य रामस्वरूप जी, रामस्वरूप जी।

श्री रामनारायण चौधरी : जवाब देने के लिए खड़े हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप एक साथ खड़े हो रहे हैं..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप बिराजिये..(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप शान्ति से करें..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, यह आवश्यक नहीं है कि आप ही आप बोलें और मैं नहीं बोलूं। प्लीज सिट डाउन।

श्री रामनारायण चौधरी : स्टेटमेंट कैसे दे देगी गवर्नमेंट।

श्री रामस्वरूप : प्रेम से पूछें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूप जी। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि एक माननीय सदस्य ने एक बहुत गंभीर प्रश्न उठाया है और उस बात पर दोनों तरह से इतने उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है..(व्यवधान) और जानकारी सदन ने चाही है कि वहां पर धारा 144 लगी है कि नहीं लगी है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह सदन उठने से पहले इसकी जानकारी प्राप्त करके सदन को सूचित करें।

श्री हीरासिंह चौहान : यही हम चाहते थे।

श्री उपाध्यक्ष : बात तो इतनी ही थी। इसमें क्यों इतना उत्तेजित हो रहे हो। माननीय राजेन्द्र राठौड़।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा..(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इक्ट्ठा हो जायें और इक्ट्ठे होकर के हर मसले को, यह टेक्टिक्स बना रखी है प्रतिपक्षी सदस्यों ने..(व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं होता है..(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इस प्रकार का मंजूर...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपको भी व्यवहार सुधारना होगा (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : घटना की जानकारी सदन में दी जा सकती है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इस तरह दबाना चाहते हो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस बात को समाप्त कीजिये। अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय दिलावर जी।

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

(मा. सदस्य श्री मदन दिलावर द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य रामस्वरूप जी, बिराजें। माननीय राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात प्रारम्भ करूं। इससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आप इस पर्ची पर बोलिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसके अलावा कुछ नहीं, नथिंग एल्स।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस सदन के अंदर...

श्री उपाध्यक्ष : Nothing else but this 'parchi'.

ट्रक आपरेटारों से सहयोग शुल्क एवं सरकारी फीस

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सर्वोच्च सदन के बाहर राजस्थान के ट्रक व्यवसाय से जुडे हुए लोग हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, प्रदर्शन इस बात को लेकर के कर रहे हैं कि इन्होंने 19.12.98 को माननीय यातायात मंत्री जी को और 21.12.98 को माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आपने हालांकि मुझे कह दिया कि मैं पर्ची के अलावा दूसरी बात पर नहीं बोलूं, लेकिन शून्यकाल के अंदर कम से कम यह तो निर्देशित करें कि संबंधित माननीय मंत्री महोदय तो रहें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इन्होंने 19.12.98 को जो

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ज्ञापन दिया उस पूरे ज्ञापन को तो मैं नहीं पढूंगा और इन्होंने ज्ञापन में यह कहा कि, इन्होंने लिखा है माननीय श्री अशोक जी गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, पूरे कंटेंट्स पर नहीं जाऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक सूची पेश की है एक सहयोग शुल्क और सरकारी फीस। आज जो वह प्रदर्शन करने आये हैं उसके अंदर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी का कट आउट लगाकर के आये हैं। उनकी इच्छा है, उनकी भावना होगी परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार के अंदर सरकारी फीस के साथ-साथ एक सहयोग शुल्क और लगा दिया सरकार ने और उस सहयोग शुल्क के बारे में इन्होंने एक बार नहीं, कई बार कहा और सहयोग शुल्क है...

डा. किरोड़ी लाल : सुविधा शुल्क है, सुविधा शुल्क।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सहयोग शुल्क, सुविधा शुल्क कहें या भ्रष्टाचार का शुल्क कहें। अब जैसे पंजीयन के अंदर जहां स्कूटर, मोटर साइकिल, जीप और कार पर 30 रुपये लगता है वहीं 100 इनको, यह इनकी यूनियन कह रही है। इन्होंने मुख्य मंत्री जी को मिलकर कहा है। इन्होंने परिवहन मंत्री जी को मिलकर कहा है कि इसमें सहयोग शुल्क के नाम से भ्रष्ट तरीके से 100 रुपये इक्ट्ठे किये जाते हैं। 30 रुपये तो लगते हैं रजिस्ट्रेशन के, 100 रुपये इनको देने पड़ते हैं, 100 रुपये लगते हैं जीप का रजिस्ट्रेशन के और 400 रुपये रिश्वत देनी पड़ती है। मिनी बस के 100 रुपये और 800 रुपये रिश्वत देनी पड़ती है। जीप के परमिट के 160 रुपये और 500 रुपये रिश्वते देनी पड़ती है। उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं माननीय यातायात मंत्री जी क्या कहते हैं। यातायात मंत्री जी ने एक वक्तव्य जारी कर दिया और कह दिया कि यातायात विभाग में भ्रष्टाचार पर अंकुश है और जो शिकायतें राजस्थान ट्रक यूनियन के अध्यक्ष सहित उनके पदाधिकारियों ने की हैं। जिसके लिये आज हजारों की संख्या में राजस्थान की विधान सभा के बाहर खड़े हैं वह बेबुनियाद है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार बार-बार यह कहती रहे कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय में इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है, उस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है। आज यह भ्रष्टाचार का तांडव हो रहा है और इस भ्रष्टाचार के अंदर इसकी गंध कहीं नीचे अधिकारियों तक नहीं है, इससे ऊंचे स्तर के लोग भी वंचित नहीं हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह छोटा विषय नहीं है, आज जिस तरह का वातावरण बन रहा है। खास तौर से परिवहन विभाग में मैं समझता हूं सरकार को इसमें सावचेत...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रहना चाहिए और आज व्यवसाय शुल्क जो सरकार ने लगाया है 200 रुपये प्रति ट्रक देना पड़ेगा।.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंह जी, रामस्वरूप जी, प्लीज आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिक्री कर के अंदर इन ट्रांसपोर्टर्स को डीलर मान लिया। चुंगी..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भंवरलाल शर्मा, प्लीज आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चौथ वसूली हो रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने सूची भी दी है और सूची के अंदर इन्होंने कहा है, यहां तक ही नहीं कि यह पैसे किस-किस रूप में कितने-कितने हम प्रतिमाह कहां-कहां पहुंचाते हैं। खुद कह रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी आप नाराज होते हैं। गृह मंत्री जी को तो कोई बात पूछ लें तो न जाने क्या, मैं समझता हूं गृह मंत्री जी यह दौर स्थायी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो सब्जेक्ट ट्रांसपोर्ट का है। आप गृह मंत्री जी को क्यों बोल रहे हो ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लोकतंत्र के अंदर चलता रहता है। कभी आप उधर, कभी हम उधर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : परन्तु आपकी नाराजगी से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा आपके स्वास्थ्य पर ही बुरा असर पड़ेगा। कभी तो मुस्कराया करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरारामजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ईश्वर ने आपको अच्छी सूरत दी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं इस पूरे प्रकरण की जांच करायें और हरेक मामले के अंदर जांच की बात कहते हैं। यह छोटा मामला नहीं है। हजारों की संख्या में बाहर खड़े हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : राजस्थान में जो लूट-खसोट हो रही है। सुविधा शुल्क के नाम पर जैसा माननीय सदस्य ने कहा है। बड़ी लूट-खसोट है और इन ट्रांसपोर्ट वालों के साथ सुविधा शुल्क के नाम पर हजारों शुल्क लिये जा रहे हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : इनका कहना है कि जवाब ना तो..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जब माननीय सदस्य ने बात कह दी यह पर्ची का..(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, कह दी होगी..(व्यवधान) व्यवस्था दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हीरासिंह चौहान : यह गंभीर मामला है..(व्यवधान) भ्रष्टाचार का शुल्क लिया जा रहा है। जाता कहां पर है..(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इसकी जांच करवायी जाये..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, कार्यवाही नहीं हो रही है..(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर

श्री मदन दिलावर : करोड़ों रुपये..(व्यवधान) कमाये जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, दिलावर जी। आपको पर्चियों का सिस्टम मालूम है। यह माननीय अध्यक्ष महोदय ने कोई बहुत आवश्यक बात हो बिटविन फाइव ओ क्लाक और इलेवन ओ क्लाक के संबंध में...(व्यवधान) आर्डर, प्लीज, उस संबंध में आपको चर्चा करने के लिए चार माननीय सदस्यों...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : इससे अच्छा तो बंद कर दो।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझ लूंगा आप चिंता मत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी है चार माननीय सदस्यों को, जो बहुत गंभीर प्रश्न पांच बजे और ग्यारह बजे के बीच में कोई ऐसी घटना घट जाये, जिस पर चर्चा करने के लिए यह पर्चियों का सिस्टम चलाया है। अनफारच्युनेटली वह सिस्टम नहीं होकर के, फिर भी लिबरल होकर के माननीय अध्यक्ष महोदय ने चार माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने के लिए अवसर दिया है। जो फर्स्ट चार आ जाते हैं। उनको अवसर दिया है। उस पर आप 5-10 बोलें यह कतई आवश्यक नहीं है, न बोलने दूंगा। जिस माननीय सदस्य ने पर्ची दी है वह अपनी बात कह दें और दूसरा सदस्य बोले...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है परन्तु कई तरह के विषय हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : जीरो आवर में जो पर्ची सिस्टम है मान्यवर वह चर्चा के लिए भी नहीं है। अपनी बात उठाने के लिए है। चर्चा का मतलब तो यह होता है कि चर्चा उठायेंगे, इधर से उसका जवाब दिया जायेगा और लोग भी चर्चा में शामिल होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : फिर भी यह अपने पांइट को उठा सकते हैं। अपनी बात कह सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह माननीय सदस्य क्या...

श्री हीरासिंह चौहान : कोई मामला उठता है। किसी गंभीर मामले पर सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहता है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : और नियम हैं, उससे उठायें आप इसको।

श्री हीरासिंह चौहान : इसमें कोई गलत नहीं हो जाता है।

श्री रामनारायण चौधरी : इसके दूसरे नियम और हैं।

श्री उपाध्यक्ष : और बहुत से दूसरे नियम हैं विधान सभा में उठाने के।

श्री हीरासिंह चौहान : दूसरे नियम हैं। लेकिन एक बार आ चुका तो बार-बार थोड़े कहा जाता है। बार-बार थोड़े ही कहा जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, प्लीज...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : सरकार के समय में जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो तो आपका ध्यानाकर्षित करेंगे...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप इस बात को समझिये...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अपना प्रश्न उठा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इस बात को समझिये कि अगर आप ज्यादा सतर्क हैं तो अपनी तरफ से दूसरे पक्ष को आप उठा दीजिये, इनको कहने दीजिये या आपकी एक बात उठ गयी उसका जो सिस्टम डवलप है जो अध्यक्ष महोदय का निर्णय है, जो उनकी व्यवस्था है उस व्यवस्था को लेकर आपको चलना पड़ेगा और इसके अलावा कोई बात नहीं हो सकती। श्री अमराराम जी।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय भ्रष्टाचार का आलम इतना जबरदस्त है...

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

डा. किरोड़ी लाल : कि एसीडी. ने रंगे हाथ पूर्व...

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम।

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है आप बोले जायें।

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : सरकार का ध्यान दिलाया है तभी तो बोले हैं वह। माननीय अमराराम जी।

अजीतगढ़ थाना क्षेत्र में अबोध बालिका के साथ कुकर्म

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ऐसी एक घटना, जिसका जिक्र मैं नहीं करना चाहता था लेकिन बाध्य होकर करना पड़ रहा है। एक चालनी मीणा, 7 वर्षीया लड़की के साथ जिस तरह से कुकर्म करने का, 9 तारीख को अजीतगढ़ थाना क्षेत्र में मैदा की ढाणी जो तनहरिपुरा में हैं, उसके साथ 9 तारीख को रात को यह घटना हुई।

(13.00 बजे)

10 तारीख को उसका पिता उसको लेकर, रात को 10 बजे घटना होती है, सुबह 10 बजे पहले अजीतगढ़ थाना में वह लेकर जाता है। एफ.आई.आर. दर्ज करवाता है। और यही से शुरू होता है, ऐसा कुकर्म करने वाला व्यक्ति, जो 7 वर्ष की अबोध बालिका के साथ, करने वाले को, उसको बचाने का प्रयास वहां के पुलिस कर्मी और पुलिस अधिकारी लगातार कर रहे हैं। और इस एफ.आई.आर. में, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल खुद ने उस बच्ची को देखा है, इस एफ.आई.आर. मे जिसे थानेदार ने खुद ने रिकमण्ड किया हैं, थानेदार ने लिखा है जरिये मुआयना उनके जाहिर चोट दिखाई नहीं देती है, जबकि उपाध्यक्ष महोदय, उस लड़की के गालों पर आज सात दिन के बाद भी उस कुकर्मी के निशान मौजूद है। वहीं उसको, इस पुलिस की दबाने की मंशा यहीं से शुरू हो जाती है। उसका मेडिकल मुआयना,

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अमराराम)

उसकी एफ.आई.आर. 10 तारीख को 10 ए.एस. पर दर्ज हो जाती है। उसके बाद उस थानेदार ने उसका मेडिकल मुआयना इसलिए 10 तारीख को नहीं करवाया कि उसको कहीं न कहीं दबा दिया जाए। 11 तारीख को मेडिकल मुआयना के लिए प्रहलाद शर्मा हैड कांस्टेबल, उसका नम्बर है, 686 को भेजते हैं। वह अजीतगढ़ थाने से लेकर सीकर तक फरियादी को इस बात के लिए डराता रहा कि मेडिकल मुआयना मत करवाओ और वह शब्द कहे उपाध्यक्ष महोदय, जो मैं यहां नहीं कह सकता। इस बात के लिए ऐसे जघन्य अपराधी को बचाने के लिए पुलिस कर्मी और पुलिस अधिकारी अगर शामिल हो जाएं तो इससे बड़ा अन्याय कोई हो नहीं सकता। जो रक्षक अगर भक्षक हो जाए तो उसको कोई बचा नहीं सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, मेडिकल मुआयना होता है, इस एफ.आई.आर. में लिखा है कि, एफ.आई.आर. दर्ज की गई, एक नकल जारी कर दी गई। लगातार 10 तारीख से वह अजीतगढ़ थाने पर जाता रहा। 14 तारीख को जाकर यह एफ.आई.आर. दी गई और इस शर्त के साथ कि किसी भी उच्च अधिकारी को तुमने यह कह दिया तो 182 में इसके बजाय तेरे को अंदर कर दूंगा। इस धमकी के साथ चार दिन की मिन्नत के बाद वहां के एस.एच.ओ. ने एफ.आई.आर. की जो नकल दी है, उसमें लिखा है कि एक नकल फरियादी को निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई। उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि ऐसे अपराध करने वाले को पुलिस ने संरक्षण दिया, सात दिन बाद आज तक जिसके साथ कुकर्म करने वाले ने शराब खुद पिया हुआ, उस लड़की को जबरदस्ती शराब पिलाने का, वो मौका ले जाकर दिखाया है, जहां अंधेरी रात में उसके साथ किया है लेकिन मैं आज तक सात दिन के बाद भी वहां का थानेदार, वहां का हैड कांस्टेबल उसी थाने पर बैठे हुए हैं, धमकी दे रहे हैं कि आपने अगर यहां के और उच्च अधिकारियों के पास शिकायत की तो 182 में आपको बंद कर दूंगा। मेडिकल रिपोर्ट में लड़की की जिसके अंदर यह जाहिर तौर पर वहां के डाक्टरों ने एक अटैम्प्ट बताया, जांच भेजी है जब अटैम्प्ट बता दिया, उसके बाद भी बचाने की कोशिश, गृह मंत्रीजी से एक ही निवेदन आपके माध्यम से करना चाहूंगा कि इसकी उच्च अधिकारी भेजकर जांच करवाइए और जो दोषी अधिकारी हैं उनको तुरंत निलम्बित करके कुकर्म करने वाले उस व्यक्ति को कानून के सींखचों में बंद करें और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करें, जिससे आने वाले वक्त में ऐसे लोगों को एक सबक मिल सके, यही बात मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, हैड कांस्टेबल जो धमकियां दे रहा है, उस पर कार्यवाही नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर, मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है, बड़ा गम्भीर है। मैं आज ही सीकर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

एस.पी. को निर्देश दे रहा हूं कि वह अपने स्तर पर इसकी जांच करें और कड़ी कार्यवाही करें, मैं आपको आश्वस्त करता हूं।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : उस सब इंस्पेक्टर को हटा दें वहां से इमीजियेटली।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

नादौती तहसील में पीने के पानी का संकट

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही गम्भीर समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के नादौती तहसील में मात्र स्कीमों द्वारा ही पानी पिया जाता है। वहां पर कुएं वगैरह की पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। स्कीमें तीन दिन से बंद पड़ी है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि नादौती तहसील के ग्राम केमरी, कुंजेला, मेढा की ढाणी, लाभाड़, सोख, शहर, खेड़ला, खेड़ली आदि गांवों में पीने के पानी की स्कीमें बिलकुल बंद हो गई है। अधिकारियों से जब बात की जाती हैं तो वे एक ही बात बताते हैं कि यहां श्रीमहावीरजी से जो बिजली आ रही है, वह बिजली हमको नहीं मिल रही है, इसके कारण से यह स्कीमें बंद हो गई हैं। मैं आपके माध्यम से यहां हमारे माननीय विद्युत मंत्रीजी विराजमान हैं, जो समस्या को तत्काल सुनते हैं और तत्काल ही उसका निवारण करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि नादौती तहसील जो हमारी है, टोडाभीम क्षेत्र की, जिसको श्रीमहावीरजी से बिजली मिल रही है, ऐसा क्या व्यवधान उसमें आया है जो पानी की स्कीमें बंद हो गई। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे वहां की स्कीमें हैं उनके लिए तुरंत बिजली की व्यवस्था में सुधार करके चालू किया जाए। इसके साथ ही टोडाभीम के अंदर 132 के.वी. का ट्रांसफारमर जो स्वीकृतशुदा पड़ा है, मंडावर से बिजली हमको मिल रही है, उसके कारण हमारे यहां बिजली सही समय पर नहीं आ पा रही है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस समय गर्मियों का मौसम आ गया, स्कीमों में अगर पानी नहीं आएगा तो हाहाकार मचा हुआ है, लोगों में बड़ी अशांति फैल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि_।

डा. जसवन्त सिंह यादव (मण्डावर) : उपाध्यक्ष महोदय, रामस्वरूप जी कल कह रहे थे कि बिजली अच्छी मिल रही है, आज कह रहे हैं कि बिजली नहीं मिल रही है, सदन में+ + +बोल रहे हैं फिर (व्यवधान) खुद ही कल दोहरा रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर, यह+ + + क्या होता है ?

श्री रामस्वरूप : बिजली एक ऐसी चीज है, आती है, जाती है, खराब भी हो जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : निकाल दिया है इसमें से।

श्री रामस्वरूप : इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। मैं तो निवेदन कर रहा हूं माननीय मंत्रीजी से कि मण्डावर में 132 के.वी. का ट्रांसफार्मर है, वहां से बिजली आ

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप)

रही है, टोडाभीम में ही स्वीकृत हो गया तो उसको क्यों एक साल से पटक रखा है। उस+ + +सरकार ने तो नहीं किया, आप तो बहुत ही अच्छे मंत्री हो, आप तो तत्काल बिजली की तरह काम करने वाले बिजली मंत्री हो, आप तुरंत मेरा 132 के.वी. का ट्रांसफार्मर लगाएं ताकि यह पीने के पानी की समस्या मेरे क्षेत्र की हल हो सके वरना तो गर्मी में पानी की भयंकर समस्या हो रही है, लोग परेशान है, इसलिए आप तत्काल माननीय मंत्री महोदय 132 के.वी. का ट्रांसफार्मर लगाएं और जल प्रदाय मंत्रीजी से निवेदन है कि नादौती की जो स्कीमें आपके बंद पड़ी है, 70 लाख की स्कीम जो केमरी की ढाणियों की मंजूरशुदा पड़ी है, पाइप लाइन बिछ गई, टंकी बन गई, सारा आपका काम हो गया, 70 लाख रुपये लग गए लेकिन वह अभी तक चालू नहीं हो रही है, इससे बड़े दुःख की बात क्या होगी। उपाध्यक्ष महोदय, 70 लाख रुपये गवर्नमेंट के लग चुके हैं, वह स्कीम चालू नहीं हुई, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि तुरंत ही इस स्कीम को चालू करें ताकि इन गर्मियों में हमको पानी मिल सके।

इसके अलावा दो महीने हो गए, मेरे यहां जे.ई.एन. नहीं आया, जे.ई.एन. बगैर काम कैसे होगा, इसलिए निवेदन है कि आप तुरंत ही जे.ई.एन. की व्यवस्था करें, उसका ट्रांसफर हो गया, उसको आज तक रिलीव नहीं किया जा रहा है। पुनः आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि नादौती और टोडाभीम की बिजली की समस्या के कारण पानी की समस्या जो मेरे यहां बनी हुई है, कृपया, मेरी दोनों समस्याओं का हल निकालें ताकि मेरे क्षेत्र की पानी की समस्या जिससे लोगों में भारी समस्या पैदा हो रही है, उसका निपटारा हो सके।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि एवं भू-जल विभाग

श्री उपाध्यक्ष : श्री तैय्यब हुसैन, कृषि एवं भू-जल मंत्री, कम्पनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की धारा 114 के अन्तर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 14वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही गम्भीर मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर, अध्यक्ष महोदय ने रखने नहीं दिया, ऑर्डर प्लीज।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : पानी की वजह से दो आदमी मर गए।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। आप व्यवस्था को समझिए ना, प्लीज।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय ने इजाजत नहीं दी है।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।
XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री तैय्यब हुसैन (कृषि एवं भू-जल मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की धारा 114 के अन्तर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 14वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 सदन की मेज़ पर रखता हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : डॉ. रतनलाल जाट, सदस्य विधान सभा दो याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

डा. रतनलाल जाट (सहाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित दो याचिकाएं सदन में उपस्थापित करता हूं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने व भवन निर्माण बाबत

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में चिकित्सकों के रक्त पद भरने व भवन निर्माण बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

जिला भीलवाड़ा तहसील गंगापुर के गांव भूणास में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने बाबत

(2) जिला भीलवाड़ा तहसील गंगापुर के गांव भूणास में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर, सदस्य विधान सभा, एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बारां द्वारा स्वीकृत एनीकटों का निर्माण करवाये जाने बाबत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति के चार प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य राजकीय उपक्रम समिति, 1999-2000 समिति के चार प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय उपक्रम समिति, 1999-2000 द्वारा प्राधिकृत करने पर कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार समिति के चार प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूं।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास एवं मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुति

श्री उपाध्यक्ष : श्री सी.पी. जोशी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, अनुदान की मांग संख्या 41 एवं 28 पर विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

श्री सी.पी. जोशी (ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 2,16,59, 59000/- दो अरब सोलह करोड़ उनसठ लाख उनसठ हजार, तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा

(श्री सी.पी. जोशी)

अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 68,82,46.000 (अड़सठ करोड़ बियासी लाख छियालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या-28 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-28 मुख्य शीर्षक ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) :

1. पंचायत समिति, देवली, जिला-टोंक द्वारा विभिन्न योजनाओं में ग्राम पंचायतों को धन देने व उसका सही उपयोग नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

2. ग्राम पंचायत, ककोड के सरपंच, पंचायत समिति, उनियारा, जिला टोंक द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करके लाखों रुपये का गबन करने पर चर्चा के लिये।

3. ग्राम पंचायत ककोड़, पंचायत समिति उनियारा, जिला टोंक के विरुद्ध पंचायत के धन का दुरुपयोग करने पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खान (शिव) :

4. सीमावर्ती जिला बाड़मेर में सड़क खलीमानी से खड़ीन, रबडाला से सुन्द्रा, गरढ़ीआ से चाडार, रामसर चौहटन रोड से तामलीमार, बाड़मेर, मुनाबा रोड से सवाड़ा, के.के.बी. रोड से सरगीला, बाड़मेर मुनाव रोड से झेलून, बातोवा जागसिंह की बेरी बनाने पर चर्चा के लिये।

5. सीमावर्ती जिला जैसलमेर में ग्राम विकास कार्यक्रम के तहत सड़क सांगड़ से रामा, चेलक से रामा, चेलक से ममारा, मगरा से ममारा बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

6. सीमावर्तीरेगीस्थानी जिलों में ग्राम विकास क्षेत्र में सड़कों के निर्माण में विशेष प्राथमिकता देने पर चर्चा के लिये।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) :

7. पंचायत समिति, बामनवास के ग्राम रानीला के सरपंच द्वारा ग्राम बड़ोला, ठीकरिया, दांतासूती में स्वीकृत कार्यों को जानबूझकर प्रारंभ नहीं करने तथा भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

8.- ग्राम विकास कार्यक्रम के नाम पर जिला-सवाईमाधोपुर के ग्राम पंचायत, कोडियाई (पंचायत समिति, बोली) के सरपंच द्वारा अपने खुद की खातेदारी में तलाई निर्माण करने तथा कोर्ट से स्थगन आदेश के बावजूद आंगनबाड़ी बनाने तथा उसमें भी अत्यन्त घटिया सामग्री लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

9. ग्राम पंचायत, मलारना चौड़ (पं.स. बोली, जिला सवाई माधोपुर) के सरपंच द्वारा

(डा. किरोड़ी लाल)

विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत कार्यों को जानबूझकर अभी तक प्रारंभ नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) :

10. जिला सवाईमाधोपुर के ग्राम पंचायत कोडियाई (पंचायत समिति, बोली) के सरपंच द्वारा स्वीकृत कार्यों को अभी तक प्रारंभ नहीं करने पर चर्चा के लिये।

11. जिला दौसा, पंचायत समिति, महुआ को ग्राम पंचायत नोरगवाडा के सरपंच द्वारा विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत विकास कार्यों में करीबन 5 लाख 66 हजार से भी अधिक की गबन राशि की वसूली नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

12. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में निर्माण की गुणवत्ता और भ्रष्टाचार, फर्जीवाडे की बढ़ती स्थिति पर रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू) :

13. ग्राम बरखेड़ी, ग्राम कटावर, तहसील अटरू, जिला बारां में खुरजा निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) :

14. चूरू पंचायत समिति के अधीन इन्द्रा आवास योजना में निर्मित आवासीय भवनों का भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (टोडा भीम) :

15. टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नये कार्य प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :

16. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को पंचायत राज संस्थाओं को सौंपने पर चर्चा के लिये।

17. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हो रहे कार्यों में पारदर्शिता लाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (पचपदरा) :

18. सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत पिण्डारन से सांखालों की ढाणी की अधूरी ग्रेवल सड़क के निर्माण पर चर्चा के लिये।

19. पंचायत समिति, बायतु के ग्राम लापूदड़ा से दर्जियों का बेरा, लापूदड़ा से सुथारों की ढाणी को सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रेवल सड़कों से जोड़ने पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) :

20. ग्रामीण विकास कार्यक्रम को पंचायत राज संस्थाओं को सौंपने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. जिला करौली की ग्राम पंचायतों में पंचायत समिति करौली द्वारा स्वीकृत कार्यों को पूरा नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री जनार्दन गहलोत)

22. ग्रामीण विकास कार्यक्रम में निर्माण की गुणवत्ता लाने और भ्रष्टाचार, की बढ़ती स्थिति की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) :

23. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रीगंगानगर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में अपना गांव-अपना काम योजना के अन्तर्गत कार्य स्वीकृत करने पर चर्चा के लिये।

24. श्रीगंगानगर विधान सभा क्षेत्र में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत शेष रहे चयनित परिवारों को लाभान्वित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

25. श्रीगंगानगर विधान सभा क्षेत्र के 32 जिले 32 काम योजना में स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करवाने पर चर्चा के लिये।

26. श्रीगंगानगर जिले में डी.आर.डी.ए. द्वारा विगत माह चलाये गये अभियान में सूची के क्रमवार विकास कार्यों को सम्पन्न करवाने पर चर्चा के लिये।

27. श्री गंगानगर जिले में चयनित परिवारों में से वंचित रहे लोगों के नाम जोड़ने पर चर्चा के लिये।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) :

28. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामों को सड़कों से जोड़ने की अवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

29. ग्राम पंचायत, शाहपुरा, के पूर्व सरपंच (धोद पंचायत समिति) द्वारा इन्दिरा आवास योजना में काम करने वाले मजदूरों को 12 वर्ष बाद भी भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

30. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लोक जुम्बिश परियोजना को उपयोगिता पर चर्चा के लिये।

31. सुखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम की धीमी प्रगति पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

32. जवाहर रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना के नामों में परिवर्तन के कारण जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

33. मरू विकास कार्यक्रम में टीब्बा स्थरीकरण का कार्यक्रम एवं वन विकास कार्यक्रम को हटाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) :

34. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सीमा क्षेत्र विकास की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. स्वरोजगार गारण्टी योजना पर चर्चा के लिये।

श्री नानालाल नीनामा (घाटोल) :

36. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के केसरपुरा, रोहणिया, नायन, सरोदिया, जामली,

(श्री नानालाल नीनामा)

पृथ्वीपुरा, सड़ला, झाझोर, भगोराखेड़ा ग्रामों को ग्राम पंचायत सड़कों से जोड़ने की आवश्यता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) :

37. जनजाति क्षेत्र में ग्रामीण विकास की योजनाओं का लाभ पूरी तरह नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) :

38. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, टोंक द्वारा विभिन्न पंचायत समितियों में असंतुलित स्वीकृति जारी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) :

39. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चलने वाले कार्यक्रम को शीघ्र प्रारंभ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) :

40. ग्रामीण विकास की योजनाओं के नाम बदले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (खारची)

41. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत धनला, धामली, बाता, भीमलिया, इन्द्रवाड़ा, घेनड़ी पिलावनी, रायपुरिया, वणदार, माडपुर, कोटसोलकियान में नाली एवं खरंजा निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कोलर, पनोता, सासरा, आशापुरा, मेवीखुर्द, गावाड़ा, केसुली, अटाटिया, निपल, जीवनकल्ला, कराडी, गोदावास जोगडावास में नाली एवं खरंजा के निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) :

43. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में पारदर्शिता लाने एवं बाल विकास लाभार्थियों को लाभान्वित करने पर चर्चा के लिये।

44. ग्राम विकास के विशेष कार्यक्रम में बढ़ते भ्रष्टाचार और धांधली की रोकथाम पर चर्चा के लिये।

45. ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों से लाभार्थियों को राशि एवं चैक ग्राम सभाओं में देने की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) :

46. पंचायत समिति, सहाडा, जिला-भीलवाड़ा मे केवल मात्र एक कनिष्ठ अभियंता होने से विकास कार्य के समय पर ऐस्टीमेट नहीं बनने से पंचायतों को भुगतान में होने वाले विलम्ब के संबंध में चर्चा के लिये।

47. पंचायत समिति, रायपुर, जिला भीलवाड़ा में विकास अधिकारी के लम्बे समय से रिक्त पड़े पद के कारण ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के सुचारू रूप से संचालित नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) :

48. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पाली जिले में विभाग द्वारा कराये गये विभिन्न कार्यों में बरती गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

49. ग्राम पंचायतों द्वारा विकास कार्यों संबंधी बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं की अवहेलना करने पर चर्चा के लिये।

50. ग्रामीण विकास कार्यों के लिये ज्यादा धन राशि का आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) :

51. डी.आर.डी.ए. के माध्यम से अधिक राशि ग्रामीण क्षेत्र पर खर्च की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) :

52. ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों की पुनः संरचना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

53. आश्वासित रोजगार योजना के कार्यों की नाप पुस्तिका पंचायत समिति, लाडनूं के कनिष्ठ अभियंता द्वारा गायब किये जाने के मामले में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

54. विशिष्ट योजना संगठन विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति पर लिये गये इंजीनियर के सिविल इंजीनियर नहीं होने के कारण सिविल वर्क्स की निगरानी सही रूप से नहीं होने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

55. आश्वासित रोजगार योजना में कार्य पर लगे श्रमिकों को भारत सरकार द्वारा जारी मार्ग-दर्शिका के अनुसार प्रत्येक सप्ताह भुगतान कराने में विभाग के पूर्णरूपेण असफल रहने पर चर्चा के लिये।

56. गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों को समय पर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने के मामलों में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

57. शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिये सहायता उपलब्ध कराने में विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

58. मरू विकास कार्यक्रम में वन विकास एवं टीबा स्थिरीकरण कार्यक्रम को महत्वता नहीं दिये जाने एवं उक्त कार्यक्रम में पशुपालन को सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम में सीमावर्ती क्षेत्रों की जनता को शिक्षित करने के लिये विद्यालयों में छात्रावास बनाने और अध्यापकों के लिये राजकीय क्वाटर्स बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती यासमीन अबरार (सवाई-माधोपुर) :

60. एक गांव दूसरे गांव की घाटियों को पार करने के लिये खुरंचे बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती यासमीन अबरार)

61. पेड़ों के नीचे लगी पाठशालाओं के लिये ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. गांवों में दूरदर्शन कार्यक्रम में ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम नियोजित करने हेतु विभागीय प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपचार की योजनाएं क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्रभावी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

65. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन राशि वर्तमान से दुगनी किए जाने के संबंध में विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. अपना गांव-अपना काम योजना में जनता की सहभागीदारी 30 प्रतिशत के बजाय 20 प्रतिशत किए जाने की आवश्यता पर चर्चा के लिये।

67. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्दिरा विकास योजना की सीमा ग्राम पंचायत में कम से कम 7 परिवारों को लाभान्वित करने का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ शौचालय (स्वच्छता कार्यक्रम) प्रत्येक ग्राम पंचायत में मुहैया करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-41 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-41 मुख्य शीर्षक सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री अमीन ख़ान (शिव) :

1. जिला बाड़मेर जैसलमेर में पंचायतों व पंचायत समिति के पुनर्गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (मण्डावर) :

2. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मुण्डावर में सामुदायिक भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) :

3. ग्राम विकास की सफल क्रियान्विति हेतु पंचायत राज व्यवस्था पर पुनः नये सिरे से व्यवस्था करने हेतु पुनर्गठन के लिये आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) :

4. ग्राम विकास कार्यक्रम की सफल क्रियान्विति हेतु सामुदायिक सेवाओं में प्रशिक्षित अधिकारी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री दिग्विजय सिंह)

5. राज्य में सामुदायिक विकास विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यों पर अधिक नियंत्रण हेतु जिला कमेटियों के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) :

6. पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने के लिये पंचायतों का पुनर्गठन एवं पंचायत समितियों की सदस्यता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

7. ग्रामीण विकास योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

8. समस्त पंचायत समितियों में राज्य प्रशासनिक सेवा के विकास अधिकारी तथा एक सहायक अभियन्ता और तीन कनिष्ठ अभियन्ता एवं प्रत्येक पंचायत में एक सचिव की नियुक्ति की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. पंचायत समिति जहाजपुर में निर्माण कार्यों में हुये भारी भ्रष्टाचार घोटाले और गुणवत्ता के अभाव तथा भौतिक सत्यापन के लिए विशेष अंकेक्षण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) :

10. पंचायतों के सरपंच एवं प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल विशेष परिस्थितियों में ही लाने पर चर्चा के लिये।

11. पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार सम्पन्न बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

12. झुंझुनूं जिले के अध्यापक जो अन्य जिलों में नियुक्त हैं उन्हें जिले में स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) :

13. सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत टोडाभीम क्षेत्र में चलने वाली योजनाओं को शीघ्र पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :

14. सामुदायिक विकास कार्यों में गुणवत्ता की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर खर्च हो रहे धन में अपव्यय को रोकने पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (पचपदरा) :

16. पंचायत समिति बायतु की निम्न प्राथमिक शाला विदो की ढाणी गिड़ा, रामदेरिया, लापूवड़ा को आरम्भ करने पर चर्चा के लिये।

17. सन् 1998 में खोले गये नये प्राथमिक विद्यालयों को चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) :

18. पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

19. पीलीबंगा को पंचायत समिति घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (पचपदरा) :

20. पंचायत समिति बायतु की ग्राम पंचायत पुरानी खोखर की दो के बजाए तीन पंचायते बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) :

21. नीम का थाना विधान सभा क्षेत्र में सामुदायिक विकास कार्यों में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) :

22. सामुदायिक विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को विकास के कार्यों के लिये और अधिक अधिकार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) :

23. ग्राम सेवक एवं पटवारी की उपस्थिति देखने का अधिकार सरपंचों को दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) :

24. ग्रामीण विकास योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को प्रभावी कार्यक्रम बनाया जाकर रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. सामुदायिक भवनों की करौली विधान सभा क्षेत्र में भारी कमी पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) :

26. श्री गंगानगर विधान सभा क्षेत्र में बनाये जा रहे सामुदायिक केन्द्रों में अच्छी सामग्री लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

27. श्री गंगानगर विधान सभा क्षेत्र में शहर की पिछड़ी व कच्ची बस्तियों में सामुदायिक विकास केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

28. श्री गंगानगर विधान सभा क्षेत्र में सामुदायिक विकास केन्द्र प्रत्येक पंचायत मुख्यालयों पर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

29. राजकीय प्राथमिक शाला ताखरो की ढाणी मूण्डावाद के अध्यापक के स्थानान्तरण से अध्यापन कार्य में आ रही रूकावट पर चर्चा के लिये।

30. पंचायत समिति धोद में शिक्षकों की नियुक्ति विद्यार्थियों के अनुपात में नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

31. पंचायत समिति धोद सीकर का भवन नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

32. ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति धीरे होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री भीमसेन)

33. नई पंचायत राज व्यवस्था में ढांचागत परिवर्तन पर चर्चा के लिये।

34. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खान (शिव) :

35. प्राईमरी शिक्षा केन्द्रों में लगने वाले अध्यापकों को कम से कम 1500 रुपये दिलाने पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

36. राज्य में कुछ सरपंचों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से सम्बन्धित एवं अन्य फौजदारी मामलों में सरकार द्वारा इजाजत नहीं देने से चालान प्रस्तुत किये जाने में विलम्ब होने एवं न्याय में बाधा आने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

37. राज्य में पंचायती राज की सफलता के लिये आर.ए.एस. अधिकारियों को विकास अधिकारियों के पद पर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. राज्य में पंचायती राज को अधिक वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) :

39. जैसलमेर जिले के इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में उपनिवेशन पंचायत समिति खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विकास खण्डों में निर्मित भवनों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) :

41. विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के गांवों में जलोत्थान योजनाओं से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) :

42. राज्य सरकार की घोषणा के बावजूद जिला परिषदों, पंचायत समितियों, एवं पंचायतों को कोई अधिकार प्रदान नहीं कराने पर चर्चा के लिये।

43. पीपलू तहसील जिला टोंक की परिधि में आने वाली टोंक पंचायत समिति की 25 पंचायतों को अलग से पुनर्गठित कर पीपलू पंचायत समिति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) :

44. जावद (नदबई) में सामुदायिक भवन बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. नदबई मांड में सामुदायिक भवन बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. बड़ौदा (नदबई) में सामुदायिक भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. चौरव्डा (नदबई) में सामुदायिक भवन बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदी कुई) :

48. बांदीकुई में सामुदायिक विकास की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) :

49. शेखावतों की ढ़ाणी, कोटड़ी (मेण बस्ती) बासनी, नया गांव, निम्बली वावरी बस्ती में सामुदायिक भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) :

50. ग्रामों के विकास कार्यों में गुणवत्ता लाने एवं भ्रष्टाचार, घोटालों की बढ़ती संख्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) :

51. पाली जिले में विभिन्न माध्यमों से कराये गये अपूर्ण ग्रामीण विकास कार्यों को पूर्ण कराने पर चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में विकास विभाग द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यों की बकाया राशि चुकाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. पंचायत समिति जैतारण (पाली) में पिछले पांच वर्षों से अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को पूरा करवाने की आवश्यता पर चर्चा के लिये।

54. प्रत्येक गाम पंचायत में एक सामुदायिक केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्रुप सचिव लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी) :

56. जिला परिषद बाड़मेर एवं पंचायत समिति धोरीमन्ना के पास लम्बे समय से जीप न होने से विकास कार्यों के निष्पादन, नियंत्रण में आ रही कठिनाई पर चर्चा के लिये।

57. जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों को अपनी निजी आय से जीप क्रय करने की अनुमति सरकार द्वारा प्रदान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

58. पंचायत समिति के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में हजारों अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. बाड़मेर जिला की पंचायत समिति धोरीमन्ना एवं सिणधरी में से गुढ़ामालानी पंचायत समिति के गठन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. रेगिस्तानी एवं सीमावर्ती जिला बाड़मेर की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण 1000 की आबादी पर या 5 किलोमीटर से अधिक दूरी के ग्रामों के लिए ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमजान ख़ान (पुष्कर) :

61. ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कब्रिस्तान एवं शमशान घाट की चार दीवारियां निर्माण करवाने हेतु चर्चा के लिये।

62. हर ग्राम स्तर पर सामुदायिक भवन निर्माण करने हेतु चर्चा के लिये।

63. प्राथमिक शालाओं में महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

64. पंचायत समिति की बैठकों में जिला परिषद् सदस्यों को आमंत्रित करने के बारे में चर्चा के लिये।

65. पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों की बैठकों में अधिकारियों को उपस्थित रहने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) :

66. पंचायत राज संस्थाओं के पुन सिमांकन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) :

67. ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद् में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. तृतीय श्रेणी अध्यापकों के द्वारा जो फार्म भरे गये उन्हें नियुक्ति दी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

69. पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत जसवन्तगढ़, पंचायत समिति लाडनूं के विरुद्ध आडिट रिपोर्ट में भयंकर घोटाले उजागर होने पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

70. मौजूदा विकास अधिकारी जायल, जिला नागौर के विरुद्ध पूर्व में विभिन्न पंचायत समितियों में किये गये घोटालों पर चल रही कार्यवाहियों पर तत्काल कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

71. पंचायतों में पूर्व में लम्बे समय तक सहायक सचिवों को ग्राम सेवक पदों पर निर्धारित योग्यताधारियों को अभी तक नियुक्त नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

72. पंचायत समतियों में विकास अधिकारियों की नियुक्ति के लिये अलग से पंचायत राज सेवा का गठन नहीं किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

73. सरपंच ग्राम पंचायत ध्याता, पंचायत समिति लाडनूं द्वारा हाई स्कूल की चार दीवारी में घटिया सामग्री लगाने व निर्धारित मान दण्डों के अनुसार दीवार नहीं बनाकर लाखों रुपयों का गबन किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

74. ग्रामदान अधिनियम की धारा 43 का विलोपन कर ग्रामदानी ग्रामों एवं ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों से वंचित करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खान (शिव) :

75. राज्य में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को विकास अधिकारी लगाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. जिला परिषद् सदस्यों व पंचायत समिति के सदस्यों को चुनाव कराने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता के लिये।

77. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायतों द्वारा निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री के उपयोग की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 41 एवं 28 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मांग संख्या 41 और 28 सामुदायिक विकास और ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, इन दोनों मांगों के लिए जो धन की मांग की गई है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, ग्रामीण विकास की बात बहुत पहले से होती आ रही है। इस सदन में भी बहुत चर्चा हमेशा से चली है और हमारा देश ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है, इसलिए देश के महान नेताओं ने और दूसरी अन्य योजनाओं में भी इसका विशेष ध्यान रखा गया है।

उपाध्यक्ष जी, ग्रामीण विकास के अधिकतर काम आज विभिन्न योजनाओं के मातहत डी.आर.डी.ए., जिला परिषद, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों के माध्यम से किये जाते हैं और अन्य योजनाएं, जो केन्द्रीय योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं वो सब इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं। इसलिए इन संस्थाओं का मजबूती पकड़ना, इन संस्थाओं का अच्छा कार्य हो इस बात की हम सबको चिन्ता रहती है।

(13.12 बजे)

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत, सभापति, पदासीन)

सभापति जी, ग्राम स्वराज और पंचायती राज की धारणा हमारे देश में नयी नहीं है। पुरातन काल से ग्रामों की पंचायत के माध्यम से ग्रामों की व्यवस्था किया जाना हमारे यहां प्रचलित था। उस वक्त की पंचायतें किसी कानून के तहत नहीं, ग्रामीण व्यवस्थाओं के अधीन बनायी जाती थीं। उन पंचायतों का एक असर होता था, उन पंचायतों के निर्णय सर्वमान्य होते थे। धीरे-धीरे उसमें बदलाव आया और हम आज कानून की पंचायतों के जाल में फंसकर रह गए।

सभापति जी, गांधीजी ने भी पंचायत राज के ऊपर बहुत जोर दिया था और एक ऐसी कल्पना की थी जो पुरातन भारत में स्थापित थी। उसके अनुरूप ही हमारी पंचायतें बनें और उसी के हिसाब काम करें। बाद में विनोबा जी का भूमि आंदोलन भी आया और उसके आधार पर भी एक कल्पना की गई ग्रामदानी। जितने भी गांव हैं उनमें एक अलग पंचायत बने और वो पूरे गांव की व्यवस्था को करे। लेकिन आज हम देखते हैं उस कल्पना से हम कहां, कितने भटक गए हैं।

(श्री शिवनाथ सिंह)

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना जवाहर लाल जी नेहरू के हाथों से हुई थी। उस वक्त कानून बना था और उस कानून में अच्छे प्रावधान रखे गये थे जिसमें इन पंचायतों को पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अच्छे अधिकार दिये गये थे। धीरे-धीरे गिरावट आई और पिछले 8-10 साल में तो इन संस्थाओं के प्राण निकाल दिये गये। पिछले आठ साल में जो सरकार रही उसने इन संस्थाओं का सत्यानाश किया वो वर्णन के बाहर है। लेकिन मुझे संतोष इस बात से है कि वो सरकार तो यह करती ही, उनकी ग्रामीण विकास में, ग्रामीण लीडरशिप पनपे और गांवों का विकास गांवों के आदमी करे, उनकी व्यवस्था गांवों के आदमी करे इसमें उनकी आस्था नहीं थी और इसीलिए सब संस्थाओं को नपुंसक बना दिया गया। आज जो कानून हमारे सामने आया है, पिछली विधान सभा में पास हुआ और जिसकी कल्पना स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने की थी उस कल्पना को बिल्कुल ही नेस्तनाबूद कर दिया गया और हमारा पंचायती राज कानून आज का जो बना हुआ है जिसमें संशोधन की बहुत बड़ी आवश्यकता है उसमें इन संस्थाओं को कुछ भी अधिकार नहीं हैं। आज जिला परिषद को कोई अधिकार नहीं, पंचायत समिति को कोई अधिकार नहीं, ग्राम पंचायतों को कोई अधिकार नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस सरकार को, जो अभी स्थापित हुई है परिवर्तन के साथ और ग्रामीण आकांक्षा की पूर्ति करने की दिशा में हमारे मंत्री महोदय ने, हमारी सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं, लेकिन वो कदम भी मैं आगे चलकर बताऊंगा, उनमें भी आगे बहुत सुधार की आवश्यकता है।

माननीय सभापति जी, आज मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस वक्त जो व्यवस्थाएं हैं वो अपूर्ण हैं और इन व्यवस्थाओं में बहुत बड़ा परिवर्तन आवश्यक है। अभी हमारी सरकार ने ग्राम पचांयतों को, पंचायत समिति और जिला परिषदों को अधिकार मिले, इसकी ओर एक कदम उठाया है। जिला परिषद के जिला प्रमुख को डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन बनाया गया है यह एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन यह कदम इतना अधूरा है उससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है।

माननीय सभापति जी, आप तो इस मामले में बहुत रुचि रखते हैं और मैं दो-तीन बातें निवेदन करना चाहूंगा जो आज इस व्यवस्था से बनी हैं। आज की व्यवस्था में क्या किया गया है, करीब 45-50 सदस्य डी.आर.डी.ए. के बनाये गये हैं और डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन जिला प्रमुख को बनाया गया है, लेकिन सब अधिकार आज भी इस नये परिवर्तन के बाद भी जिला कलक्टर को है। माननीय सभापति जी, चेयरमैन को जो अधिकार दिये गये हैं, उसके जो कर्तव्य बांधे गये हैं वे मैं संक्षेप में थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा। उसको पहला अधिकार दिया गया है डी.आर.डी.ए. की मीटिंग को प्रिसाइड करेगा। दूसरा अधिकार उसको दिया गया है जो हमारी

(श्री शिवनाथ सिंह)

विशेष योजनाएं हैं उनके संबंध में वह प्रचार और प्रसार का काम करेगा। तीसरा दिया गया है कि गुणवत्ता लाने के लिए आवश्यक सुझाव और परामर्श देगा। चौथा उसको दिया गया है पंचायतों की यथोचित जानकारी देना ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वालों का उद्धार हो। पांचवां दिया गया है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का नेतृत्व करना और आखिरी दिया गया है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा जिला परिषद के मध्य एक कड़ी के रूप में काम करना। बहुत सुंदर अधिकार दे दिये।

माननीय सभापति जी, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिला कलक्टर पहले चेयरमैन हुआ करता था उसका एग्जीक्यूटिव डाइरेक्टर होगा। उसके अधिकार हैं—पहला अधिकार जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा। सब फैसले कार्यकारिणी में होते हैं। डी.आर.डी.ए. की गवर्निंग कौंसिल को आज कोई अधिकार नहीं है। सब फैसले कार्यकारिणी में होंगे और उस कार्यकारिणी की अध्यक्षता जिला कलक्टर करेगा। माननीय सभापति जी, दूसरा अधिकार है स्वीकृतियां जारी करेगा। कार्यपालक निदेशक को किसी भी विधायक प्रकरण को शासी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। जिसको वह अच्छा समझे वह शासी परिषद के सामने पेश करेगा, बाकी नहीं करेगा और आवश्यक होने पर वो मीटिंग बुला सकेगा। प्रावधान तीन महीने का है। माननीय सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा पिछले दिनों का जो हमारा अनुभव है डी.आर.डी.ए. की मीटिंग्स तीन-तीन महीने का जो प्रावधान है, 6-6 महीनों तक नहीं हुई। डी.आर.डी.ए. गवर्निंग कौंसिल में कोई भी प्रस्ताव लिया नहीं जाता था और जिला कलक्टर अपनी मर्जी के आधार पर स्वीकृतियां जारी करता था, वो ही प्रावधान आज भी स्टेंड हैं।

जिला ग्रामीण विकास अधिकरण को कोई भी स्वीकृति जारी करने का या मंजूर करने का, किसी कार्यक्रम को अपने हाथ में लेने का अधिकार भी नहीं है। एक प्रावधान आपने किया है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की मीटिंग सदस्यगण डिमान्ड कर सकते हैं। लेकिन उसका भी जो कार्यकारी अध्यक्ष है, जिला कलेक्टर को अधिकार है कि वह मीटिंग कब बुलाए कब नहीं बुलाए। यह तो अधिकार माननीय सभापति जी जिला प्रमुख को दे दिए और जिला पंचायत समिति के प्रधान का क्या अधिकार है, आज पंचायत समिति का प्रधान जो प्रशासनिक अधिकारी है, उन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। किसी की भी वो जांच नहीं करवा सकता, किसी की सी.आर. नहीं लिख सकता। सभापति जी, आप जानते हैं शुरू के कानून में प्रावधान था विकास अधिकारी की सी.आर. प्रधान लिखा करते थे और जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी की सी.आर. जिला प्रमुख लिखा करते थे। आज वह व्यवस्था समाप्त हो गई। आपको ध्यान होगा सरकार को किसी भी पंचायत समिति के विकास अधिकारी की बदली करनी हो, किसी

(श्री शिवनाथ सिंह)

एक्सटेंशन आफिसर की बदली करनी हो तो राज्य सरकार प्रधान की इच्छा जानती थी, उससे कंसेंट लिया करती थी। यह जरूरी नहीं था कि कंसेंट को माना जाए लेकिन कंसेंट लिया करती थी। आज पिछले 8-10 सालों में मर्जी माफिक किसी को भी विकास अधिकारी लगा दिया गया। जिसने भेड़-ऊन का काम देखा, उम्र भर ऊन उखाड़ी, लड़कों के कान ऐंठे, कि तुम विकास अधिकारी बन जाओ। इस प्रकार की व्यवस्था बिगड़ी और वो इस प्रकार बिगड़ी कि उसका असर उन ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ा। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, इस व्यवस्था में सुधार लाने की चेष्टा कीजिए। आपने जो कदम उठाया है वह स्वागत योग्य है, लेकिन उन कदमों से हमारे लक्ष्य की प्राप्ति और जो जनता ने हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है वह नहीं हो पाएगा।

माननीय सभापति जी, अभी हमारे बजट में प्रावधान किया है 16 हजार शिक्षा केन्द्र स्थापित करने का। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, अपने जवाब में वो स्पष्ट करें कि किस प्रकार से उनकी व्यवस्था होगी, किस प्रकार से उसमें कार्य करने वाले अध्यापकों का चयन होगा। 8वीं पास की बात आपने कही। मैं उसको अधिक महत्त्व नहीं देता। जहां और कोई नहीं मिलेगा, उसमें 8वीं पास अध्यापक लगाया जाएगा। लेकिन उसका चयन कैसे होगा, स्थानों का चयन कैसे होगा, किस स्थान पर हम वह केन्द्र खोलेंगे, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, यह जो स्थान चयन का अधिकार है, वह पंचायत समिति के माध्यम से, जिला परिषद् के माध्यम से, आपके हाथ में आना चाहिए। और इस प्रकार से प्राईमरी स्कूलों की स्वीकृति यहां से जारी की जाती थी वो राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव लीजिए पंचायत समिति का, ग्राम पंचायत का, जिला परिषद का। लेकिन उनकी स्वीकृतियां, किस स्थान पर खोली जाए, आपके माध्यम से होनी चाहिए। इसी तरह से उनका जो चयन होगा, उसमें चयन कमेटी बनाइये। पंचायत समिति स्तर पर उसमें विकास अधिकारी हो, प्रधान हो और संबंधित क्षेत्र का ग्राम पंचायत का सरपंच भी उसमें मौजूद हो, उनकी मौजूदगी में चयन हो। लेकिन उसके बाद में भी उसकी नियुक्ति कैसे होगी, उसके सर्विस कंडिशंस क्या होंगे और किसके नियंत्रण में रहेगा, इसके लिए मैं अपना सुझाव देना चाहता हूं। उस क्षेत्र की जो प्राइमरी स्कूल है उससे उसको लिंक कीजिए। पहले हमारी एक व्यवस्था थी प्राइमरी स्कूल की ब्रांच स्कूलें खुला करती थीं, तीसरी क्लास तक के लड़के उस ब्रांच स्कूल में पढ़ा करते थे और बाद में उस प्राइमरी स्कूल में आते थे। आज भी उस व्यवस्था को आप कीजिए। नाम उसका कुछ भी दीजिए लेकिन वहां की प्राइमरी स्कूल से उस शिक्षा केन्द्र को लिंक कीजिए ताकि उन पर अनुशासन रहेगा। प्राइमरी स्कूल का अध्यापक उसका कंट्रोलिंग आफिसर होगा। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने अजमेर में घोषणा की कि हम तीसरी क्लास से अंग्रेजी को पढ़ाने की व्यवस्था करना चाहते हैं। अंग्रेजी माध्यम शब्द उन्होंने यूज किया। मैं माध्यम की बात तो नहीं

(श्री शिवनाथ सिंह)

कहता, लकिन तीसरी क्लास से अंग्रेजी पढ़ाना हमारे मानस में आया है। यह जो आपके शिक्षा केन्द्र हैं, किस प्रकार से आपकी इस इच्छा की पूर्ति कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन शिक्षा केन्द्रों का समुचित नियंत्रण रहे और समुचित तरीके से, वरना हैफहेजर्ड व में, एक पंचायत में 8 खुल जाएंगे और जहां आवश्यकता है वहां एक भी नहीं खुलेगा। आपने जो यह छूट दी है कि जहां भी 40 विद्यार्थी पढ़ने को मिल जाएं वहां हम यह शिक्षा केन्द्र खोल देंगे। माननीय सभापति जी, यह बहुत अव्यावहारिक कदम है और इसको व्यावहारिक बनाएं। व्यवहार के रूप में इसको काम में लीजिए और कुछ न कुछ नियंत्रण आप जिला परिषद का रखो, पंचायत समिति का रखो। लेकिन किसी का नियंत्रण तो इसमें होना चाहिए।

माननीय सभापति जी, पिछले दिनों गरीबी की रेखा से ऊपर उठने के लिए बहुत से काम किए गए और उन कार्मों में यह प्रगति हम देखते हैं तो रुपये के आधार पर कितना रुपया कहां खर्च किया गया, उसके आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह आधार नहीं होना चाहिए कि रुपया खर्च किया गया, उस रुपये से कितने लोग लाभान्वित हुए, किस हद तक लाभान्वित हुए, इसको दृष्टि में रखकर और वह आधार होना चाहिए। आज क्या हो रहा है, रुपया विभिन्न योजनाओं का आता है। विदेशों से सहायता आती है। केन्द्र सरकार की सहायता आती है। राज्य सरकार का बजट होता है और वह सब रुपया विभिन्न तरीके के खर्च होता है कहीं एक योजना है, कहीं दूसरी योजना है कहीं तीसरी योजना चल रही है। इन सबक माननीय मंत्री महोदय एकीकरण कीजिए औ एकीकरण करने के बाद में उन सबको चलाइये ताकि उसका परिणाम आयेगा। आज क्या हो रहा है ? गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए हमने भरपूर चेष्टा कर ली लेकिन आज भी गरीबी की रेखा से नीचे वाली संख्या बढ़ती जा रही है। यदि इन रुपयों का सदुपयोग होता और इन रुपयों से, इन योजनाओं से कोई काम होता, तो गरीबी की रेखा से नीचे वाला कोई आदमी हमको मिलता नहीं। लेकिन उनका हो नहीं रहा है, रुपये का अपव्यय हो रहा है। प्रशासनिक खर्च आपका बढ़ रहा है। माननीय सभापति जी, अजीब-अजीब योजनाएं हैं। मैं बहुत समय नहीं लेते हुए एक योजना की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मुझे भी उसकी लालसा हुई। एक है वानप्रस्थ योजना। पता नहीं, वानप्रस्थ योजना का हैडिंग देखकर मुझे भी लालसा हुई कि अपन भी इसमें चले जाएं तो ठीक रहेगा क्योंकि बुजुर्ग आदमी के लिए अच्छी संस्था है। इसमें प्रावधान किया गया है। यह 1996-97 से शुरू की गई थी, और इसमें जो व्यवस्था की गई है, वो की गई है कि इसमें कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होंगे रुपया खर्च होगा लेकिन रुपया खर्च होने के बाद उसका कोई लक्ष्य हमारा नहीं है और न उसको खर्च करने के मापदंड है। एक लक्ष्य रखा गया है कि तत्कालीन सरकार अपने चहेतों को, रिटायरमेंट के बाद व्यवस्था कर सके तो तीन हजार रुपया प्रतिमाह के हिसाब से

(श्री शिवनाथ सिंह)

उसका मानदेय होगा। उसका कोई सलेक्शन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई उसका उत्तरदायित्व नहीं हैं। और तीन हजार रुपया जो संबंधित सरकार के चहेते थे, उनके लिए स्वीकार कर दिया गया।

माननीय सभापति जी, इस प्रकार की योजनाएं आज जो हो रही हैं, उन सबको एकीकृत करके, एक जगह स्थाई करके इनका रुपया बचाया जाए तो प्रशासनिक खर्च में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी, वरना आपका सब रुपया प्रशासनिक व्यय में जा रहा है। मैं माननीय सभापति जी, आखिर में निवेदन करना चाहूंगा यह जो डी.आर.डी.ए. की कमेटी आपने बनाई है, गविर्निंग काउंसिल है, कार्यकारिणी है, इनको आप अधिकार दीजिए। गवर्निंग काउंसिल को अधिकार होना चाहिए कि जितना भी प्लान बने वो गवर्निंग काउंसिल पास करे और उन कामों को स्वीकृत भी गवर्निंग काउंसिल ही करे। उसके बाद में उसकी फाइनेंशियल सेंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन, सब कार्यकारी अधिकारी करें। लेकिन उनका सलेक्शन, कौनसे काम होने चाहिए, कौनसे नहीं होने चाहिए, इसका निर्णय गवर्निंग काउंसिल का होना चाहिए। कार्यकारिणी के जो चेयरमैन कलेक्टर को बनाया गया है उसका भी चेयरमैन जिला प्रमुख, जिसको आपने डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन बनाया है, वो होना चाहिए। माननीय सभापति जी, पिछले दिनों 26 जनवरी को सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएं हुईं और उनके लिए ग्रामों की योजना बनाई गई। एक दिन में बहुत अच्छा प्रयत्न था, लेकिन उसका परिणाम उल्टा आया। एक-एक पंचायत ने जिसकी आबादी दो हजार, तीन हजार है, 20-20, 30-30, 50-50 करोड़ रुपये के प्रावधान कर दिए गए। किस प्रकार से उनकी पूर्ति होगी, किस प्रकार से कहां से आपका रुपया आएगा और क्या प्राथमिकता होगी, जो भी सरपंच ने दे दिया, ग्राम सभा ने दे दिया, वो आपके पास आ गया। उसमें व्यवस्था हमने यह कर दी, न तो उसमें पंचायत समिति परिवर्तन कर सकती है और न डी.आर.डी.ए. की गवर्निंग काउंसिल परिवर्तन कर सकती है। जो कुछ वहां उस ग्राम सभा से आयेगा, वह डिटो आपको मानना चाहिए। माननीय सभापति जी, ग्राम पंचायतों को अधिकार मिले और वे प्रभावशाली हो लेकिन क्या आपके सरकारी कर्मचारियों का दायित्व नहीं था जिनको इन योजनाओं को तैयार करने में लगाया गया ? वे ग्राम पंचायतों का मार्गदर्शन करते कि किस प्रकार की योजना है, कितना धन आपके पास आने वाला है और कितने धन की कौनसी योजना आपने ली है। आज 50-50 लाख की, 20-20 लाख की योजनाएं हमने अपनी ग्राम सभा में पेश कर दी और वे आपके यहां पर आ गयीं। इसलिए इन प्रवृत्ति को भी, यह जो प्रक्रिया आपने अपनायी थी उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। जो योजनाएं ग्राम सभाओं से बनकर आयी हैं उन पर थोड़ा बहुत नियंत्रण हो, पंचायत समिति में उसमें परिवर्तन करने का, एड करने का अधिकार हो और डी.आर.डी.ए. की गवर्निंग कौन्सिल भी उसको देखे कि कौनसी व्यावहारिक योजना है, कौनसी नहीं है, उसमें सुधार करने का भी अधिकार होना चाहिए।

(श्री शिवनाथ सिंह)

माननीय सभापति जी, अंत मे मैं माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं लेकिन उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके हाथ में बहुत बड़ा दायित्व का काम आया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथ में, आपके ऊपर है, हमारी ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा का भार भी आपके ऊपर है। यदि प्राइमरी एजुकेशन सही हमारे लड़कों को नहीं दी जाएगी तो आगे का भविष्य अन्धकारमय होगा। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन सुदृढ़ हो उसके लिए आप प्रयत्न करें। आज पंचायत समितियों में दो सौ, ढाई सौ स्कूल हैं और दो एस.डी.आई. आपने दे रखे हैं। वे दो एस.डी.आई. अपना पूरा प्रयत्न करें तो भी पांच साल में एक-एक स्कूल का निरीक्षण नहीं कर सकते। इस प्रकार की व्यवस्था है। इसलिए आप पंचायत समिति स्तर पर एक अच्छा और उच्च श्रेणी का एस.डी.आई. कहो, उसको इंस्पैक्टर कहो, कुछ भी कहो, आप लगायें और पूरा स्टाफ उनके पास होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, करोड़ों रुपये पंचायत समिति के माध्यम से खर्च होते हैं और वहां टैक्निकल स्टाफ के रूप में सिर्फ दो जेईएन. ही होते हैं। दो जेईएन. जो रुपया आपका खर्च होता है करोड़ों में, उसके अनुपात में क्या कर सकते हैं ? न उनके पास में एईएन. हैं और न जिला परिषद के पास एक्सईएन. हैं, न जिला परिषद के पास एईएस. हैं, सिर्फ एक एईएन. है। यह टैक्निकल काम है और टैक्निकल स्टाफ की जो कमी है उसकी आप पूर्ति कीजिये और उस अनुरूप में जो आपके पीडब्ल्यूडी. के मापदण्ड हैं, जो आपके इर्रिगेशन के मापदण्ड हैं, उसी हिसाब से रुपया कितना खर्च हो रहा है उसके आधार पर वहां टैक्निकल स्टाफ स्वीकृत कीजिये। इसी के साथ जिला परिषदों को आप सुदृढ़ करिये। डी.आरडी.ए. की जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है उस पर नियंत्रण करने की मन्शा से आपने डी.आरडी.ए. का चेयरमैन जिला प्रमुख को बनाया है। लेकिन इस व्यवस्था से अभी तक की जो व्यवस्था है उससे नहीं हो पायेगा, इसमें आपको और कदम उठाने पड़ेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस मांग का समर्थन करता हूं, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। लेकिन साथ-साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इन सब व्यवस्थाओं को आप सुधारने की चेष्टा करें।

श्री सभापति : श्री अमीन खान।

श्री अमीन ख़ान (शिव) : सभापति महोदय, आज की मांग सामुदायिक विकास एवं ग्रामीण पंचायत राज व्यवस्था पर है। मैं इसमें माननीय मंत्रीजी को मेरे कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

सबसे पहले तो मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन के जिला कलेक्टरों को एक गाइड लाइन के आदेश जारी किये कि वे समयबद्ध कार्यक्रम में राज्य सरकार को सुझाव पेश करेंगे। इससे पिछड़े हुए एरिया में विकास से वंचित गांव में, ढाणियों में रहने वाले लोग एक बहुत अच्छा लाभ उठा पायेंगे। इसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री अमीन खान)

दूसरी बात मैं प्राइमरी शिक्षा की कहना चाहता हूं। प्राइमरी शिक्षा में जहां बिल्कुल ही शिक्षा नहीं है, उस एरिया में सरकार को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जिला परिषदों ने जिन मास्टरो का सलैक्शन किया उनको दो-दो साल बीत चुके और वह मास्टर आज तक नहीं लग पाये। ऐसे मास्टरों की कोई कम संख्या नहीं है, हजारों की संख्या में स्कूलें हैं जहां मास्टरों के पद खाली पड़े हैं। उनसे वहां की शिक्षा का बहुत बुरा हश्र हो रहा है। माननीय सभापति जी, आप तो जानते हैं कि सारे राजस्थान में शिक्षा का सबसे नीचा स्तर बाड़मेर जिले में है और बाड़मेर जिले में आज की तारीख में प्राइमरी स्कूलों में एक हजार मास्टरों के पद खाली हैं। इतने पद खाली रहने से वहां की शिक्षा का क्या हाल होगा इस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना होगा।

तीसरी बात, जैसे यहां पर काफी पढ़े-लिखे विद्वान इस चीज की राय से सहमत नहीं हैं परन्तु मैं उस पीड़ित एरिया का होने से उस राय से सहमत हूं और सरकार की नीति का समर्थन करता हूं। एक प्राइमरी शिक्षा केन्द्र जो आप खोलने जा रहे हो और इसमें आठवीं, दसवीं या इससे अपर क्लास का कोई बच्चा, बेरोजगार स्थानीय ढाणी का मिल जाएगा, वहां लगेगा तो इससे प्राइमरी तक हर बच्चे को पढ़ने का जरूर मौका मिलेगा। परन्तु मेरा इसमें राज्य सरकार को यह प्रस्ताव है कि ऐसे गरीब बच्चों को, देहातियों को आप 1200 के स्थान पर कम से कम 1500 रुपये देने की व्यवस्था जरूर करें और इससे नीचे में तो बिलकुल अन्याय की बात महसूस होती है एवं एक गरीब बच्चे को इतने थोड़े से पैसों में अपने को नहीं रखना चाहिए। मुझे विश्वास है कि मंत्रीजी इस पर आप पुनर्विचार करके अवश्य ही ऐसे बच्चों का पैसा बढ़ायेंगे।

सभापति महोदय, पंचायत समितियों के बारे में कहता हूं कि जिस तरह से विकास के काम हैं और पुरानी पद्धति है वह बदलने और सोच का विषय है। जिस टाइम में पंचायत समिति में वेटेरिनरी के डाक्टरों को या एस.डी.आई. को विकास अधिकारी के पद पर लगाया गया था, उस टाइम में 50-60 से ज्यादा तो पंचायत समिति में मास्टर नहीं थे और डवलपमेंट की किसी भी मद में कोई 2-4 लाख रुपये ज्यादा या 10 लाख रुपये से ज्यादा कोई काम भी नहीं था। आज, मंत्रीजी, हर विकास खण्ड में कम से कम, चाहे भारत सरकार की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, 10-15 करोड़ रुपये की वार्षिक योजनाएं आपके हर विकास खण्ड में आती है और उसमें एक पशुपालन विभाग का डाक्टर जाकर विकास अधिकारी बनकर बैठता है। वह विकास अधिकारी के रूप में सही रूप में तो आप जानते हो कि क्या काम करता है। चाहे यह पंचायतों के माध्यम से स्कूल, चाहे चिकित्सालय, चाहे पशु चिकित्सालय, चाहे सब-सैण्टर्स, जो इनके कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं उनको वह देखता है क्योंकि उनको देखने में कुछ न कुछ इनको आमदनी होती है। एक भी स्कूल को वह चैक नहीं

(श्री अमीन खान)

करता क्योंकि स्कूलों को चैक करने मे इनको लाभ कुछ नहीं है। तो मेरा इस बारे में सुझाव है कि सरकार इस मामले पर गम्भीरता से विचार करे। इतनी बड़ी पैसों की योजनाओं को चलाने के लिए, और एक शिक्षा महकमा भी आप पंचायती राज में ले रहे हो तो कम से कम आर.ए.एस. कैडर का आदमी विकास अधिकारी होना चाहिए और उसके अन्दर एक असिस्टेंट विकास अधिकारी होना चाहिए जो कि इंजीनियरिंग विभाग का हो ताकि एक आदमी कंस्ट्रक्शन वर्क का अलग अपना काम देखे और दूसरा प्रशासनिक और शिक्षा का काम देखें। तब तो पंचायत समितियों का काम सही चलेगा वरना पंचायत समितियों का काम अधिकांश फर्जी चलता है और इसमें सरकार की छवि को भी आंच आती है। इस पर आपको विचार करना चाहिए।

एक बात मैं यह बताना चाहता हूं कि आज जो पंचायत एक्ट में प्रावधान है उसमें हकीकत में मैं तो समझता हूं कि प्रधान को बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। प्रधान के हाथ में पावर नहीं है। सिर्फ एक आदमी चुनकर के, चुनावों में बहुत बड़ा मखौल करके आता है और एक सीट विकास अधिकारी के साइड में रख दी है। प्रधान के पास में कोई काम नहीं है। तो प्रधान को कम से कम प्राइमरी शिक्षा, जब आप उसको अण्डर दे रहे हैं तो इनको प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार होना चाहिए। डेमोक्रेसी को सपोर्ट जब हम ज्यादा करते हैं तो अकेले प्रधान को नहीं हो लेकिन उनकी एक एग्जीक्यूट कमेटी हो, जिसका सचिव विकास अधिकारी हो उसको तो कम से कम पावर होना चाहिए। नहीं तो प्रधान को कौन पूछता है, प्रधान को कोई पूछता नहीं। प्रधान पद एक बेकार सा है तो इसमें आपको सुधार करके, प्रधान को कुछ शक्तिशाली बनाना चाहिए तब तो यह लोकतंत्र की इज्जत आम जनता में दिखेगी।

जिला परिषद में प्रमुख को डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन बनाया और उसके अन्दर क्या किया गया, एग्जीक्यूट कमेटी बना दी गई और उस कमेटी में चेयरमैन कलेक्टर रहेगा तो मेरे ख्याल में तो यह एक गांवों में कहावत है कि यह फुसलाने की बात है। आपको जब कंजूसी करनी है तो पूरी ही करो, देना ही नहीं है, कोई बात नहीं, खाली बात है। और यदि कंजूसी नहीं करनी है, इनको अधिकार देना है, तो फिर आपको क्या जरूरत है वहां कलक्टर उस एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरमैन बने। हां, काम का इम्प्लीमेंटेशन करने, काम को अमलीजामा पहनाने के लिए कलक्टर को अधिकार होना चाहिए। कोई गलत बात कर दे, उसकी शिकायत जन प्रतिनिधि करे, चाहे प्रमुख प्रधान करे, उस पर अमल करने का पावन कलक्टर को होना चाहिए।

एम.एल.ए. को आप 25 लाख रुपये देने जा रहे हैं। सात ऐसी योजनाएं हैं जो आपने जिला परिषदों को दे रखी हैं। अब इनमें प्रमुख तो राजनीतिक पार्टियों से आते हैं। एम.एस.ए. और प्रमुख में किसी में अनबन भी हो सकती है तो यह एम.एल.ए. अपने

(श्री अमीन खान)

फण्ड को दिलाने के लिए झगड़े में फंस जायेगा। मेरी यह स्पष्ट राय है कि एम.एल.ए. को जो फण्ड आप देते हैं विकास के लिए, वह तो केवल एम.एल.ए. चिट्ठी लिखकर कलक्टर को देगा और एम.एल.ए. की चिट्ठी के अनुसार जो डवलपमेंट वर्क है, गाइडलाइन के तहत आता है, उसको फटाक से कलक्टर अमलीजामा पहनाये पर इस बात को, मैंने कल ही आपकी देखी है, सात योजनाएं आपने दीं जिला परिषदों को, और उसमें काफी गड़बड़ होगी।

चौथी बात, मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं, आपकी जो गाइडलाइन जारी हुई है, उसका तो मैं स्वागत करता हूं। सबसे पीड़ित मैं ही था और आपने मेरी बात को अच्छा ध्यान दिया, उसके लिए मैं बहुत शुक्र गुजार हूं। जैसाकि पंचायतों में आपने यह कहा है कि पहाड़ी इलाका और रेगिस्तानी इलाके में पंचायत 1000 तक भी बनाई जा सकती है, यह स्वागत योग्य कदम है। परन्तु पंचायत समिति में आपने फिर इन लोगों के लिए रियायत नहीं दी है और सबको बराबर मान लिया, इससे हमको संतोष नहीं है। पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाके में जहां आप दो लाख की आबादी पर पंचायत को विभाजित करना चाहते हैं, इससे नीचे की पंचायत समिति को नहीं करना चाहते हैं तो हम उसी गाइडलाइन में आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि जो पहाड़ी इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है और इस इलाके का अच्छा विकास हो, विकास की अच्छी देखभाल हो तो उसको एक लाख की आबादी पर वह छूट देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप देख लें, सारे राजस्थान में जैसलमेर जिला एक ऐसा है जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, जिसका करीब 39,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और उसमें पंचायत समिति आज तीन काम कर रही हैं। और आपकी गाइडलाइन से पंचायत समिति तीन ही रह सकती हैं, चौथी वहां बन ही नहीं सकती। तो 39,000 वर्ग किमी. में आपके तीन प्रधान और तीन विकास अधिकारी आज के युग में अच्छे ढंग से संभाल नहीं कर सकते। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप और भी नहीं कर सको तो जैसा भारत सरकार रियायत देती है कि कम से कम बोर्डर डिस्ट्रिक्ट में तो आप एक लाख की आबादी पर पंचायत का निर्णय लें। ऐसी पंचायत समिति कोई बहुत नहीं बनेगी, 2-3 बनेगी बोर्डर एरिया में, यह तो हमने देख लिया। बीकानेर में आबादी ज्यादा बढ़ गई है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में ज्यादा बढ़ गई है, वहां तो आप विभाजन कर ही रहे हैं। अब केवल दो ही जिले आपके पास बचेंगे बाड़मेर और जैसलमेर। इनमें ज्यादा से ज्यादा होगा तो 2-3 पंचायतें बढ़ेंगी। मेरा यह निवेदन है, सीमावर्ती इलाका है, रेगिस्तान है, दूर-दराज एरिया में लोग बसे हुए हैं, इनके लिए आपको यह रियायत देनी चाहिए।

पांचवीं बात मैं यह कहना चाहता हूं कि विकास के कार्य जितने भी होते हैं, उनमें जैसा माननीय शिवनाथ जी ने कहा, उसी की ताईद करते हुए कहता हूं कि आज टेक्निकल अधिकारियों की पंचायत समिति में और जिला परिषद में कमी है। मेरी तो

(श्री अमीन खान)

यह राय है कि आज जिस तरह से घटिया किस्म के पंचायतों में काम हो रहे हैं और उसमें जो घोटाले हो रहे हैं, उनको देखते हुए हम तो इतने तक तंग आ गये कि यह काम हमारे जन प्रतिनिधियों को, चुनी हुई संस्थाओं को न रखकर पीडब्लूडी. को दे दिया जाये तो भी अच्छा है। क्योंकि इनके पास कोई तकनीकी कर्मचारी अधिकारी नहीं, और इनके अभाव में काम इतना गलत होता है, मैंने कई जगह देखा है कि स्कूलों की छत गिर गई, स्कूलों की दीवार गिर गई जिससे कई बच्चें और मास्टरों को मौत का भी सामना करना पड़ा। ऐसे घटिया किस्म के काम होते हैं। मेरा कटौती प्रस्ताव भी है इस सम्बन्ध में। जिन सरपंचों ने ऐसे काम किये हैं, जिनके छत गिर गई और दीवार गिर गई, ऐसे सरपंचों के खिलाफ गबन का और फौजदारी केस आपको दर्ज कराना चाहिए ताकि आइंदा इस तरह के धोखे के कोई काम नहीं कर सके। अकाल राहत कार्य हैं, वह जितने ज्यादा लोगों को मजदूरी मिले, वहीं पंचायतों को देना चाहिए। दूसरे बड़े काम हैं, वह पंचायतों को नहीं देकर पीडब्लूडी., इरिगेशन और फोरेस्ट को देना चाहिए क्योंकि ये काम लालच में तो सरपंच और ये लोग ले लेते हैं, और इन कामों की संभाल बहुत ज्यादा होती नहीं है, जिससे पंचायतों की छवि खराब होती है और गड़बड़ होती है। आखिर में यही बात कहकर मैं समाप्त करता हूं मंत्री महोदय कि सही पंचायत राज चले और पंचायतों का सिस्टम अच्छा कायम रहे तो विकास अधिकारी आर.ए.एस. होना चाहिए। असिस्टेंट विकास अधिकारी की एक पोस्ट होनी चाहिए जो इंजीनियर कैडर का आदमी होना चाहिए। एक शिक्षा विभाग का भी आदमी होना चाहिए। इसके ऊपर एक आर.ए.एस. अफसर होना चाहिए ताकि शिक्षा का काम भी अच्छी तरह से चल सके और कंस्ट्रक्शन का काम भी अच्छी तरह से चल सके वरना ये काम ज्यादा खराब करते हैं और इनमें लोगों में पैसा खाने की नीयत भी ज्यादा बढ़ती है क्योंकि चैक-अप नहीं होता है। उसमें हर आदमी का मन खराब होता है। इतनी ही बात मैं कहकर समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय रतन लाल ताम्बी।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदय, मांग संख्या 41 और 28 पर, पंचायती राज और ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जो राजस्थान की 80 प्रतिशत जनता से संबंधित है, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं।

राजस्थान प्रदेश को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सर्वप्रथम लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण व्यवस्था का आधुनिक राजस्थान के निर्माता माननीय मोहनलाल जी सुखाड़िया के नेतृत्व में देश के तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित नेहरूजी ने नागौर में दीपशिखा प्रज्जवलित करके आरम्भ किया और उसके बाद देश के अनेक प्रदेशों ने उस पद्धति का अनुसरण किया है। मेरा यह मानना है, उस समय सीमित

(श्री रतन लाल ताम्बी)

साधन होते हुए भी राजस्थान के आम जन मानस में पंचायती राज का बड़ा महत्त्व था। उस जमाने में श्रमदान भी होता था और ग्राम के विकास के कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी बहुत होती थी। शनैः शनैः इस पंचायती राज का ढांचा बदलता गया और उसकी आत्मा एक तरह से निकल गई, वह स्थिति बन गई थी। और हमारे देश के तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी ने इस पंचायती राज की चरमराती तस्वीर को बदलने का बहुत बड़ा प्रयास किया और उस प्रयास के फलस्वरूप हमारे देश के संविधान में संशोधन होकर एक नया ढांचा सामने आया। मगर उस ढांचे में राज्य सरकारों के माध्यम से या राज्य विधान मण्डल के माध्यम से कई इस प्रकार के प्रावधान रख दिये गये, वह कुछ तय करें और उस तय करने के बीच में ही राजस्थान की तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसका न ग्राम विकास और पंचायती राज की अवधारणा में विश्वास था, उसने इस तरह की उसमें कई तरह की कानूनी पेचीदगियां रख दी, कमियां रख दी और बहुत सारा ऐसा कर दिया जिससे पंचायती राज का स्वरूप जितना निखरना चाहिए उतना नहीं निखर पाया। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश के पंचायती राज का ढांचा और कानून और राजस्थान के ढांचे और कानून में बहुत बड़ा अन्तर है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राज्य में नई सरकार बनने के बाद हमारे नये पंचायती राज मंत्रीजी ने बड़े उत्साह के साथ पंचायती राज के ढांचे में कैसे परिवर्तन हो, राजस्थान में पंचायती राज का जो स्वरूप बन गया और जनता का विश्वास जो इससे उठा है, कैसे जमे, इस दिशा में कुछ सोचने और चलने का प्रयास किया है। मैं कहना यह चाहता हूं, जिस तरह पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया वह केवल एक खानापूर्ति और औपचारिकता थी। 1951 की जनसंख्या पर हमारी पंचायतें गठित थीं, 1951 की जनसंख्या पर हमारी पंचायत समितियां गठित थी उसमें थोड़ा-बहुत जहां कहीं सोचा, परिवर्तन कर दिया और उस जनसंख्या के आधार पर पंचायतों का गठन कर दिया। आज भी दस हजार, पन्द्रह हजार के बीच में है, कहीं पांच हजार की जनसंख्या की है, कहीं पांच सौ और चार सौ की जनसंख्या की पंचायतें भी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राज में बनीं। मेरा यह कहना है, महात्मा गांधी ने यह कहा था...

श्री मदन दिलावर (अटरू) : चार सौ की जनसंख्या वाली पंचायत का नाम बताओ।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं नाम बता दूंगा, मेरे पास आज नहीं है। आप बाड़मेर, जैसलमेर की बात कह रहें होंगे, जोधपुर जिले में भी है। कई जगह हैं जहां पांच सौ, सात सौ ही जनसंख्या की पंचायत है।

श्री मदन दिलावर : आप जो चार सौ की कह रहे हैं, सदन में नाम बतायें। आपकी बहुत कृपा होगी।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं कह रहा हूं, आज नहीं लाया मैं, आपको कल लाकर दे दूंगा। मैं गजट लाकर दे दूंगा आपको ही,

(श्री रतन लाल ताम्बी)

सम्भाल लेना। उसमें कितनी है, बाद में, वह तैयारी नहीं लाया मैं। पर मैं कहना चाहता हूं, मैं जो कह रहा हूं..

श्री मदन दिलावर : बिना तैयारी नहीं आया करें।

श्री सभापति : प्लीज डोंट डिस्टर्ब।

श्री अमीन खान : मैं बता दूं आपको।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं इसको सिद्ध करना चाहता हूं कल आपके द्वारा।

श्री सभापति : व्यवधान नहीं डालें, कृपया बैठिये।

श्री रतन लाल ताम्बी : कल नाम दे दूंगा मैं आपको सिद्ध करके..(व्यवधान)

श्री अमीन खान : नाम बता दूं आप कहो तो।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, मैं व्यवधान नहीं डाल रहा हूं, मैं इतना निवेदन कर रहा हूं कि वह कौन सी तीन सौ और चार सौ की ग्राम पंचायते हैं ताकि हमारा भी ज्ञानवर्द्धन हो जाय।

श्री रतन लाल ताम्बी : तीन सौ का मैंने नहीं कहा है। मैंने तो चार सौ, सात और आठ सौ के बीच कहा है और एक हजार के बीच में कहा है।

श्री सभापति : माननीय ताम्बीजी, प्लीज एड्रेस द चेयर। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आपने तो सिर्फ तीन सौ, चार सौ की कही है..

श्री रतन लाल ताम्बी : इसलिए मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि पंचायतें बने उसमें आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति इस बात की है, जहां हम लोगों ने मांग की थी, पांच हजार की जनसंख्या की पंचायत थी, हम पंचायतों को बढ़ाना चाहते थे, आपने उस बात को नहीं सुना। और आपने जहां चाहे हजार, आठ सौ की बना दी और छह सौ, पांच सौ की बना दी। मैं गजट लाकर कल आपको सौंप दूंगा। मैं उदाहरण के तौर पर जो आज कहना चाहता हूं, कल प्रमाण दूंगा। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं, महात्मा गांधी ने स्वयं इस बात के लिए कहा था, अगर हिन्दुस्तान के हर गांव में कभी पंचायती राज कायम हुआ तो मैं इस तस्वीर की सच्चाई साबित कर सकूंगा जिसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी, दोनों बराबर होंगे। यानि यों कहिये कि न कोई पहला होगा, न आखिरी। इस पंचायती राज की जो अवधारणा महात्मा गांधीजी ने की थी उस पंचायती राज का सपना साकार, जब-जब भी देश में चाहे पंडित नेहरू ने, की चाहे राजीव गांधी ने, चाहे इंदिरा गांधी ने, उसको पूरा करने की कोशिश की है। किन्तु आप लोग उस अवधारणा के हमेशा खिलाफ रहे हैं। इसलिए उस पंचायती राज का राजस्थान में जैसा ढांचा आपने खड़ा किया, मैं आरोप लगाना चाहता हूं राजस्थान मे जब से आपने राज संभाला, पंचायती राज में दो बातें हुई हैं। एक तो पंचायती राज का राजनीतिकरण आपने जिस स्तर पर किया, पूरा उसके प्रति जन आस्था उठाने का काम उससे हुआ।

(श्री रतन लाल ताम्बी)

और दूसरा, पंचायती राज में भ्रष्टाचार का जितना आपने विकास किया, अभी मेरे पूर्ववर्ती माननीय सदस्य बाड़मेर से आने वाले बता रहे थे, पहले भी बताया जा चुका है, राजस्थान में यदि पंचायती राज़ का सबसे बड़ा नुकसान आपने किया तो आज उसकी जड़ में भ्रष्टाचार हर जगह पहुंचा दिया। गरीब को मिलने वाली किसी सहायता में कभी उसको पूरा पैसा नहीं मिलता। ग्राम के विकास के जो काम होते हैं, उनमें इतना फर्जीवाड़ा और घोटाला होता है जिसके सैकड़ों उदाहरण तो इसी विधान सभा में आपके सामने समय-समय पर आये हैं। आप के ही राज में, एक उदाहरण कहना चाहता हूं, नये के नाम पर पुराने की मरम्मत कर लाखों रुपये का घोटाला। यह जोधपुर डी.आर.डी.ए. के माध्यम से हुआ है। इसकी आपको जानकारी है। मैं आप के ही राज के, भिनाय क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं जिसमें उदाहरण के तौर पर प्रति वर्ष वहां पर तालाबों का निर्माण भी हुआ, अकाल में और उसी वर्ष बाढ़ में, यानि उन्हीं तालाबों पर लाखों रुपये, तीन वर्ष, चार वर्ष का आप हिसाब देख लें भले ही, करोड़ों रुपये आपने खर्च किये। आपने मस्टररोल भर दिये और काम हुआ नहीं। इसके कई मामले यहां भी आ चुके और आज भी जांच के लिए इस मुद्दे को डी.आर.डी.ए., अजमेर में उठाया गया, जिला स्तर पर उठाया गया। तो इस तरह के कामकाज की स्थापना आपने राजस्थान में की है। इसलिए मैं नये पंचायती राज मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप में उत्साह है, चिंतन है, सोच है, अगर राजस्थान को बचाना है, गांव, गरीब को गणेश मानने की बात कहने वाली भारतीय जनता पार्टी ने जितना गांव, गरीब, गणेश को परेशान किया है, उसको आर्थिक दृष्टि से सहायता नहीं मिले, पूरा पैसा नहीं मिले, इस तरह की पद्धति आपने दी है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं गरीबी उन्मूलन का वह कार्यक्रम, गरीबी हटाओ कार्यक्रम जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था, उस गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम को आपने तहस-नहस कर दिया। आज हर कार्यक्रम में इतना भ्रष्टाचार पैदा कर दिया, गांव में किसी भी गरीब से जाकर पूछ लो, किसी भी योजना का पैसा उसको पूरा मिलता है या नहीं। चाहे इंदिरा आवास लो, जीवन धारा लो, चाहे डीजल पम्पिग सेट लो, सब बंधा-बंधाया पैसा उनको देना पड़ता है, इस तरह का ढांचा आपने राजस्थान में दिया है। उस ढांचे को, आज बहुत बड़ी चुनौती है मंत्री महोदय आपके सामने आपका व्यक्तित्व भी कसौटी पर है कि राजस्थान में पंचायती राज में जितनी दुर्भावना, जितनी दुर्गति भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुई है उसको आप किस तरह परिवर्तन करके राज्य की जनता में फिर से आस्था पैदा करेंगे, इसके लिए राजस्थान आप की ओर देख रहा है। महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि जब यह गांव नष्ट हो जायेगा तो हिन्दुस्तान नष्ट हो जायेगा। यह हिन्दुस्तान ही नहीं रह जायेगा, दुनिया में उसका निशान भी खत्म हो जायेगा। राजस्थान में आज भी 80 प्रतिशत जनता गांव में रहती है,

(श्री रतन लाल ताम्बी)

उनके समग्र विकास का कार्यक्रम इस पंचायती राज के माध्यम से, विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से आज चलता है। यदि हम लोग उस कार्यक्रम को ठीक प्रकार से नहीं चलायेंगे और उसको राजनीतिक आधार बना लेंगे, उन गांव, गरीब और गणेश की बात करने वाले, उनका क्या कल्याण, क्या विकास होगा, यह हमारे लिए एक चिंता का विषय है। इसलिए इसको राजनीतिक आधार पर नहीं सोचा जाय। यह सोचा जाय कि ढांचा किस प्रकार ठीक प्रकार से बने। मैं इसके लिए निवेदन करना चाहता हूं, अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, गिरधारी लाल व्यास कमेटी और लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी और जो भी कमेटियां बनी थीं, उन सब की एक बार पूरी समीक्षा की जाय कि किस प्रकार उन सब को लेकर के राजस्थान के पंचायती राज को मजबूत बनाया जाय। उसमें और अधिकार किस प्रकार के दिये जा सकते हैं।

अभी आपने देखा होगा 1994 में राजस्थान में अधिनियम बना। दो वर्ष तक तो आप नियम ही नहीं बना सके। 30 दिसम्बर 1996 को नियम बने और नियमों में, जल्दबाजी में आपने जो भी उसमें दिया, मैं कहना चाहता हूं, उसके अनुसार न राजस्थान में कर, फीस लगती है, न उसके अनुसार पंचायती राज संस्थाएं आमदनी कर रही हैं। आत्मनिर्भरता की ओर पंचायती राज बिलकुल नहीं है। सरकार के पैसे मिले तो उतना काम और वह पैसे भी पूरे लगे, न लगे, इस बात को आज देखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, मैं सबसे पहले चाहता हूं, इस पंचायती राज में काफी योजनाएं, काफी फण्ड्स आने के बाद यह वर्तमान पंचायती राज आपका वर्तमान मशीनरी से नहीं चल सकता। इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि राजस्थान में आर.ए.एस. के लोग अधिक से अधिक तादाद में हर पंचायत समिति में लगाये जायं और लगाने के साथ कोई भी आर.ए.एस. अधिकारी पहले पंचायती राज के प्रोसेस में होकर चलेगा, ग्रामीण विकास से होकर चलेगा, उसका मानस, अवधारणा उस प्रकार की बनेगी। इसलिए मेरी यह मांग है कि आप शनैः शनैः, पहले जब हम लोग प्रधान थे, तब आर.ए.एस. के अलावा हमने देखा ही नहीं। उस समय का पंचायती राज और आज का पंचायती राज। इतना अधिकार सम्पन्न, इतनी योजनाएं, इतने फण्ड्स होते हुए भी जिस तरह के हालत हैं, मैं वह कहना नहीं चाहता। पंचायती राज नाम का ढांचा है, अंदर से हालत बहुत खराब हैं मंत्री महोदय, पिछली सरकार ने एक कानून बनाया तीसरी संतान के बारे में। तीसरी संतान के मामले में मैं कहना चाहता हूं उसका बिलकुल राजनीतिकरण कर दिया आपने। जो आपके विपक्ष के थे उनको हटा दिया और आपके पक्ष के आज तक बैठे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति कोटड़ी के उप प्रधान के बारे में कहना चाहता हूं। पति और पत्नी दोनों मेम्बर हैं। आज साढ़े तीन साल हो गये..

(14.00 बजे)

श्री मदन दिलावर : आपकी चार महीने में भी नहीं सुनी क्या ?

श्री रतन लाल ताम्बी : हां सुन लो, आप चुप रहो, शांति से सुनो। पहले की बात तो कहनी पड़ेगी, तकलीफ क्यों हो रही है आपको ? वो भी सूझेगी। मैं सुझाव दे रहा हूं आज।

श्री सभापति : आप डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री रतन लाल ताम्बी : उसमें एक ऐसी कमी रख दी कि तीसरी संतान का फैसला जिला जज के माध्यम से होगा। सी.ओ. उसको प्रस्तावित करेगा। अब सी.ओ. प्रस्तावित ही नहीं करे, जिला जज में न्याय के लिये जावे नहीं, तो क्या होगा ? सरकार तो पंगु हो गई। इसलिए इसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। आपके पास प्रमाण मौजूद है। तीन-तीन साल से फाइलें पेंडिंग पड़ी है। पिछली सरकार ने उनको पेंडिंग रखी थीं और आपके यहां भी पेंडिंग पड़ी हुई है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के मामलों को आप देखकर उस कानून की आप पूरी तरह से पालना करवायें, यह मेरी आपसे मांग है।

वर्तमान व्यवस्था में न्याय व्यवस्था बिलकुल नहीं है। न्याय पंचायतें समाप्त हो गई, न्याय समितियां समाप्त हो गई, सस्ता न्याय जनता को मिल नहीं सकता। इसलिए न्याय व्यवस्था पंचायती राज में वापस समाविष्ट हो, इस बात को भी देखा जाये ताकि गांव के लोगों को छोटे-मोटे मामलों में गांव में ही न्याय मिल सके, यह बहुत आवश्यक है।

मेरा यह भी सुझाव है शहरी और ग्रामीण में आप भेदभाव नहीं रखें। आप प्रति व्यक्ति जनसंख्या के आधार पर शहरी व्यक्ति को ग्रांट का 25 रुपया मिलेगा और ग्रामीण को 11 रुपये। जबकि ग्रामों में बहुत गरीबी है, पिछड़ापन है, रोजगार की आवश्यकता है और वहां सफाई, रोशनी और दूसरी सारी व्यवस्थाएं इस पर आधारित हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस भेदभाव को भी आप समय-समय पर मिटायें और प्रति व्यक्ति जनसंख्या के आधार पर शहर और गांव में विसंगति नहीं रहे, यह भी मेरा आपसे अनुरोध है।

मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहता हूं कि आपने शराब पर 2 प्रतिशत चुंगी लगाने का एक प्रावधान कर रखा है। चुंगी तो वैसे है नहीं, पर आपके कानून में दे रखा है इसके अनुसार 2 प्रतिशत लगनी चाहिये। वह लगी हुई कागजों में है। आज न तो पंचायतों में वसूल होती है और न पंचायतें वसूल कर पाती हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि एक्साइज के गोडाउन से जिस-जिस क्षेत्र में जितनी शराब इश्यू की जाती है, उसके हिसाब से चुंगी भी वहां वसूल की जाये और चुंगी वसूल कर संबंधित पंचायत संस्था को भेजी जानी चाहिये।

मंत्री महोदय, एक सुझाव मैं और देना चाहूंगा। वर्तमान में 50 एकड़ से नीचे के जो तालाब हैं उनमें दोहरी व्यवस्था है। सिंचाई वसूल करेगी पंचायत समिति, तालाब काश्त के पेटे और पाल का घास और दूसरी जो भी आय होगी वह लेगी पंचायत। पेटें में आपकी न कोई समिति है, न कोई देख रेख है, जिसको जहां चाहे जितने में दे देते हैं। इसलिए इसके लिये एक आबंटन

(श्री रतन लाल ताम्बी)

समिति भी निश्चित की जाये और आबंटन समितिं के माध्यम से लाखों रुपयों की आमदनी पंचायतों को हो सकती है, पेटा काश्त के माध्यम से। उसके लिये निश्चित रूप से आप ऐसी व्यवस्था करें ताकि पंचायतों को यह आमदनी और तालाब के पेटे, और तालाब की सिंचाई और पूरी व्यवस्था पंचायतों को स्थानान्तरित कर दी जाये, ताकि देखभाल करके इसको मजबूती से ठीक कर सकें। अब मैं आना चाहता हूं पंचायती राज के विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता के मामले में।.

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त करें।

श्री रतन लाल ताम्बी : बहुत संक्षिप्त में कह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, आप भी उसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं हम भी उसी में रहते हैं। पंचायतों के विकास कार्यों की गुणवत्ता की स्थिति बहुत खराब है। तीन साल पहले कोई काम हुआ, ओवरसीयर ने सर्टीफिकेट दिया-काम कम्प्लीट और तीन साल या दो साल बाद कहीं पट्टियां टूटी मिलेंगी, कहीं किवाड़-खिड़की टूटी मिलेंगी, और कहीं फर्शें उखड़ी मिलेंगी और कहीं दीवार पर दरारें मिलेंगी। सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण के लिये बताना चाहता हूं 6 वर्ष पहले मेरे क्षेत्र की रासेड ग्राम पंचायत में दो मिनट पहले बच्चे निकल कर बाहर आये और बाहर सड़क के पास ही पहुंचे कि पूरा स्कूल का बरंडा कमरों की पट्टियों सहित नीचे गिर गया। उसमें तीन सौ, साढ़े तीन सौ बच्चे ढेर हो जाते। वह अभी तक टूटी पड़ी है, कोई भी जाकर देख लें गलत यह है। इसलिए गुणवत्ता के नाम पर जो हालत पंचायती राज में हो रही है इसके लिये मेरा एक सुझाव है सार्वजनिक निर्माण विभाग से, पीडब्ल्यूडी. में काफी सरप्लस स्टाफ है और आजकल उसकी कटौती का भी कुछ कार्यक्रम मंत्री स्तर पर कमेटी के माध्यम से हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक एईएन. और कम से कम दो जेईएन. एक पंचायत समिति में उपलब्ध कराया जाये ताकि विकास कार्यों की गुणवत्ता, देखभाल ठीक प्रकार से हो सके। मैं समझता हूं यह मेरा सुझाव बहुत ही उपयुक्त है, इस पर विचार किया जायेगा। मेरा यह भी निवेदन है, वैसे आपने घोषणा कर दी, आप उस दिशा में प्रयत्न भी कर रहे हैं। मुझे सारी जानकारी है कि आपने प्रत्येक पंचायत में एक सचिव की व्यवस्था की है इसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने एक अच्छा कदम उठाया, और उसके आधार पर पंचायती राज को मजबूती मिलेगी, उसमें गतिशीलता आयेगी।

पंचायती राज में आडिट और महालेखाकार आडिट। कभी-कभी बीडीओ. की मर्जी हो तो नाम मात्र का निरीक्षण कर ले, यह मामला बहुत गंभीर है। मंत्री महोदय, आप अपना रिकार्ड दिखवा लें। पिछले वर्षों में पंचायत समिति और पंचायत आडिटों के जो पैराज हैं वह बड़ी मात्रा में है और लाखों करोड़ों की तादाद में उसमें घोटालें, गबन, अनयमितताएं हैं। उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। इसलिए इस व्यवस्था

(श्री रतन लाल ताम्बी)

को भी थोड़ी मजबूती से देखे जाने की आवश्यकता है। आप इस प्रकार की व्यवस्था करें जिससे आडिट की पहले जितनी गंभीरता थी, डर था, लोगों मे भय रहता था आजकल कुछ नहीं है, यह सब मैनेज होने लग गया। ऊपर से नीचे तक जैसा चाहो वैसा किया जा सकता है। इसलिए आडिट की व्यवस्था को भी आप निश्चित रूप से मजबूत करेंगे।

मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस सरकार ने ग्राम सभाओं को काफी अच्छा महत्त्व दिया। पहले साल में दो बार होती थी उसको अब चार बार कर दिया। ग्राम सभाओं के बारे में मुझे कुछ निवेदन करना है आपसे। ग्राम सभाओं का अभी तक जनता में आकर्षण नहीं है, ज्यादा उपस्थिति नहीं हैं। इसके लिये मेरे दो-तीन सुझाव हैं। पहला सुझाव तो यह है कि ग्राम सभाओं में विकास कार्य का जब भी भुगतान होता है, मस्टररोल वगैरह और कई कामों का, उसका हिसाब-किताब जनता के समक्ष रखा जाना चाहिये। रखा नहीं जाता है कागजों में लिख दिया जाता है। दूसरा, जो भी योजनाएं हैं उनका पैसा ग्राम सभा में वितरित हो। आई.आर.डी. के कार्यक्रम के लिये पैसा ग्राम सभा में सबके सामने दिया जाना चाहिये। इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा, ग्राम सभाओं में लोगों की उपस्थिति भी बढ़ेगी।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रतन लाल ताम्बी : कर रहा हूं, साहब। निजी आय की दुकानें और मकान पंचायत समिति के पास बहुत सारे हैं। पिछली सरकार ने कुछ नियम बनाये, उन नियमों में कोई खास दम नहीं है। अभी भी मनमाने ढंग से न कोई नीलामी होती है और साधारण सी कीमत पर दे दी जाती है। पंचायत समिति क्वार्टरों में जनप्रतिनिधि मनमानें ढंग से रहते हैं बेनामी और उससे लाखों हजारों का नुकसान हो जाता है। इस लिहाज से मैं चाहूंगा कि इसकी भी एक समिति गठित कर के सार्वजनिक निर्माण विभाग से दुकानों और मकानों का मूल्यांकन हो, उस आधार पर पैसे वसूल हो और अगर आगे कंटीन्यू रखना हो तो प्रतिवर्ष 25 प्रतिशत या 50 प्रतिशत किराया बढ़ाया जाना चाहिये, उस दृष्टि से सोचा जाना चाहिये।

भूमि विक्रय के मामले में बड़ी गड़बड़ है। जहां-जहां सड़कें हैं वहां सड़कों के किनारे भंयकर अतिक्रमण होता है। उसकी पंचायत में कोई कार्यवाही नहीं होती है। कहीं पंच, सरपंच, जनप्रतिनिधि उसमें प्लाट लेने लग जाते हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि भूमि विक्रय के जो वर्तमान नियम है, जो प्रक्रिया है, पुनरावलोकन करके उसे ठीक किया जाना चाहिये। कई बार यह मांग आती है कि पंचायत समिति के मेम्बर को अधिकार मिलना चाहिये, जिला परिषद के मेम्बर को अधिकार मिलने चाहिये। मेरा यह सुझाव है आप जो भी अधिकार दें काफी समीक्षा करके, सोच समझकर संस्थाओं को अधिकार दें, व्यक्तियों को नहीं। और संस्थाओं के माध्यम से यह काम-काज हो, यह बहुत आवश्यक है। मैंने जैसा आपसे निवेदन किया कि वर्तमान पंचायतीराज के ढांचे को वापस मजबूत बनाने के लिये काफी

(श्री रतन लाल ताम्बी)

सोचने की आवश्यकता है, आपने सभी विधायकों से सुझाव भी मांगे हैं, बहुत सारे सुझाव आपको आये भी है, बहुत सारे सुझाव आपको और भी आयेंगे। इस विधान सभा के बाद आप पंचायतीराज के बारे में कुछ अनुभवी अधिकारियों के साथ, कुछ जनप्रतिनिधियो के साथ दो-तीन दिन की एक गोष्ठी करके, सेमीनार करके उन सबके सुझावों को लेकर, संकलित करके इस दिशा में कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि राजस्थान का पंचायतीराज फिर देश में माना जाये, यही मुझे निवेदन करना है, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री जसवन्त यादव।

डा. जसवन्त सिंह यादव (मण्डावर) : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-41 और 28 पर मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। कई माननीय पूर्व वक्ताओं ने, जो सदस्य मुझसे पहले बोले हैं, उन्होंने भी महात्मा गांधी जी का जिक्र किया कि महात्मा गांधी जी का सपना था कि देश आजाद हो। गांव के लोगों को गुलामी से मुक्ति मिले, विकास करने का मौका मिले, रामराज्य हो। गांवों का जब तक विकास नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसी धारणा से पंचायती राज लागू हुआ। पंचायती राज के अन्दर जो कमियां देखी गयीं, उनको ध्यान में रखते हुए 73वां संविधान में संशोधन किया गया। उस संशोधन को भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व में पिछली सरकार ने सफलतापूर्वक चुनाव कराये और उन लोगों को चुनकर आने का मौका मिला जो कभी जीवन में यह नहीं सोच सकते थे कि हम सरपंच बन सकते हैं, जिला परिषद् के सदस्य बन सकते हैं, जिला प्रमुख बन सकते हैं। वह महिलाएं, वह पिछड़े वर्ग के लोग, वह जनजाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, सत्ता के अन्दर गांवों का विकास करने के लिए एक भागीदारी मिली और सफलतापूर्वक जो चुनाव हुए, उससे पंचायती राज मजबूती की तरफ बढ़ा। हमारे जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने, मैं वही जिक्र कर रहा हूं, स्वर्गीय राजीव जी ने भी यही सपना देखा, जिक्र भी किया उन्होंने कि गांव का विकास होना चाहिए, गांवों में भ्रष्टाचार मिटना चाहिए। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल में लाल किले से भाषण भी दिया था कि गांव तक आते-आते पैसा गांव के लोगों को नहीं मिल पाता है और सारा पैसा बीच में ही खा लिया जाता है। उसका सदुपयोग नहीं होता है। माननीय सभापति महोदय, स्वर्गीय राजीव जी का यह सपना तो नहीं था कि उनके चित्र पोस्टरों पर लगाकर केवल उनके नाम पर वोट मांगे जायें। उनका सपना तो यह था कि गांवों से भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए, गांव के लोगों को विकास करने में भागीदारी मिलनी चाहिए। आज कांग्रेस की सरकार है। संख्या में भी 153 हैं। अगर हकीकत में इच्छा होती, स्वर्गीय राजीव गांधी के सपनों को पूरा करने की पीड़ा होती, तो आज चार महीने हो गये, पिछली सरकार का रोना रोया जा रहा है। सबसे पहले मंत्रिमण्डल से जो कमियां थीं पंचायती राज में, उनको दूर करना चाहिए था। इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

गया; केवल एक ढकोसला बनकर रह गये। आज बहुत जोर शोर से कर रहे थे चुनाव से पहले कि हम सत्ता में आये तो पंचायती राज को न्यायिक तरीके से वित्तीय और प्रशासनिक ढांचे को बहुत ही मजबूत बनायेंगे। क्या किया आज तक ? चार महीने हो गये, न्यायिक प्रक्रिया के अन्दर आज कोई गांव का आदमी अपनी कोई समस्या, कोई परेशानी लेकर पंचायत में जाता है तो पंचायत उस पर फैसला देती है, वह गांव का आदमी उससे संतुष्ट नहीं होता है। उस फैसले की सुनवाई प्रशासनिक कमेटी, पंचायत समिति में होती है लेकिन पंचायत समिति से अगर कोई संतुष्ट नहीं हुआ तो उसकी अपील आज जिला परिषद् में होनी चाहिए थी नये मंत्रिमण्डल काल में, लेकिन आज वह जिलाधीश महोदय के यहां होती है। यह न्यायिक प्रक्रिया इतनी मजबूत की गयी है। इसी तरह प्रशासनिक तौर पर आज गांवों के अन्दर पंचायतों की मीटिंग महीने में दो बार होती है, सचिव महोदय के पास तीन-तीन, चार-चार पंचायतें हैं, सरपंच तलाश करता रहता है, उसका अंकुश नहीं है, वहीं उसको चैक नहीं कर सकता। बीच में गांव के किसी बच्चे को कोई मूल प्रमाण-पत्र की जरूरत या किसी और तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत हो तो दर-दर की ठोकरें खाता है और सरपंच लाचार बनकर यह कह देता है कि साहब, सचिव महोदय का कोई अता-पता नहीं है। वह कहां गया है उसको मैं तलाश करूंगा जब जाकर आपका काम करूंगा। पिछले चार महीने में इतना वक्त नहीं मिला कि मंत्री महोदय इसमें कोई संशोधन कर पाते। आज सरपंच होता है मुखिया पंचायत का। सचिव के खिलाफ कार्यवाही करने की उसमें कोई ताकत होनी चाहिए, सचिव के खिलाफ कोई नोटिस देने की ताकत होनी चाहिए। लेकिन सचिव जो चाहे जो करता रहता है, सरपंच मोहताज बनकर उसकी तरफ देखता रहता है। इसी तरह से, पंचायत समिति के अन्दर विकास अधिकारी कितना ताकतवर बनकर बैठा हुआ है। कई जगह तो ऐसा भी देखने को मिला है कि अगर प्रधान कहीं अपनी पंचायत समिति की गाड़ी से कहीं जाना चाह रहा है, कहीं पंचायतों को चैक करने के लिए जाना चाहता है तो विकास अधिकारी प्रधान को गाड़ी से नीचे उतार देता है। यहां तक कि अभी इन्हीं दिनों की घटनाएं घट रही हैं कि ऐसी-ऐसी पंचायतें भी देखी गयी हैं जो बहुत ढिंढोरा पीट रहे हैं कि पंचायती राज को हम मजबूत करेंगे। ये छोटी-छोटी बातें, पंचायत समिति के टेलीफोन तक पर विकास अधिकारी ने ताला लगा दिया। प्रधान महोदय से कह दिया कि आप टेलीफोन नहीं कर सकते। इससे ज्यादा दुर्दशा और पंचायती राज की क्या हो सकती है ? यही जिला परिषदों का हाल है। जिला परिषद् के अन्दर जिला प्रमुख का सी.ई.ओ. के ऊपर कोई चैक करने का अधिकार नहीं, कोई उसकी ए.सी.आर. भरने का अधिकार नहीं, कोई उसके खिलाफ नोटिस लेने का अधिकार नहीं, नोटिस देने का अधिकार नहीं। इसी तरह, जो डिप्टी एजुकेशन आफिसर होता है उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। कितने ही

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

प्रमुख के सामने ऐसे घपले नजर आते हैं, वह कार्यवाही करना चाहता हैं लेकिन मोहताज बनकर देखता रहता है। यह प्रशासनिक हालत है।

वित्तीय अधिकार जहां तक मजबूत करने की बात हो रही थी, आज जिला परिषदें ऐसी बहुत हैं जिनके पास करोड़ों रुपये पड़े हुए हैं लेकिन कहीं गांवों के अन्दर कोई प्राकृतिक आपदा हो जायं तो जिला प्रमुख उसमें एकं रुपया भी वहां जाकर मौके पर, नहीं दे सकता निजीं आय से जनता के हित में कोई काम कराना चाहे तो उसके ऊपर भी अंकुश लगा दिया जाता है कि वित्तीय विभाग से इस बात की जब तक अनुमति नहीं मिलेगी तब तक आप एक रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं। तो जब इतना जोर शोर मचाया था, इतनी बात कही थी, आज बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि साहब, मंत्री महोदय को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। किस बात का, कि मंत्री महादेय ने जिला प्रमुख को मिट्टी का माधो बनाकर बैठा दिया डी.आरडी.ए. में। उस जिला प्रमुख की दुर्दशा, उसको एक उपहास का केन्द्र बना दिया, डी.आरडी.ए. की मीटिंग में खाली कुर्सी पर बैठा दिया। उसके बाद न उसके पास वित्तीय अधिकार हैं, न प्रशासनिक अधिकार हैं। लेकिन जब कुर्सी उतरकर आता है और कलेक्टर के सामने आकर बैठता है तो कलेक्टर के सामने गिड़गिड़ाता है कि साहब, मेरे तो यह काम मंजूर करवा दीजिये। या मेरे लिए पानी पीने का मंगवा दीजिए, या मैं चाय का एक कप पीना चाहता हूं। वह डी.आरडी.ए. के अन्दर अपनी मर्जी से नहीं मंगवा सकता है। वह बड़ा काम कर दिया। इससे जिला प्रमुख एक तमाशा बना है, गरिमा खत्म हुई है। इससे क्या बड़प्पन कर दिया। अगर आपमें ताकत थी, इच्छा शक्ति थी, आप देना चाहते थे, 153 की संख्या में हो, आपको कौन रोक रहा था। आपने क्यों नहीं अधिकार दिये अब तक। खाली यह कह देना, प्रचारित कर देना, इससे काम नहीं चलने वाला।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इच्छा-शक्ति को मजबूत करो और हकीकत में गांवों की तरफ ध्यान दो, पंचायती राज को अधिकार देने की बात करो। तब तो आपकी कथनी और करनी में सत्यता है, वरना तो असत्य और लुभावने नारे तो बहुत बार दिये गये हैं, दिये जाते रहेंगे। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : सीधे कहो ना कि आप भी हमारे ही तरह हो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : हम उधर होंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : No cross talks please.

श्री श्रीचन्द कृपलानी : वे भी कर रहे हैं।

श्री सभापति : दोनों के लिये, It is applicable for both the sides.

डा. जसवन्त सिंह यादव : आज इससे ज्यादा जिला प्रमुख क्या उपहास का केन्द्र बन सकता है। अध्यापकों के स्थानान्तरण

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

जिला प्रमुख नहीं कर सकता, उसमें चैक नहीं लगा सकता। कोई सी.ई.ओ. अगर पैसा लेकर के ट्रांसफर करे, अपनी मनमर्जी से जहां चाहे, जिस स्थान पर, उसमें जिला प्रमुख मूक बनकर देख सकता है। उसकी इतनी भागीदारी नहीं, उस संस्था का मुखिया होते हुए भी कि वह कहीं उस पर चेक लगा दे। 4 महीने में इतना तो कर देते। जिला प्रमुख की गाड़ियों का लेखा-जोखा सी.ई.ओ. के माध्यम से होता है। जिला प्रमुख जो संस्था का प्रधान है, संस्था का मुखिया है, 7 दिन चला सकता है और सी.ई.ओ., चाहे अपने बच्चों को लेकर घूमे, चाहे सैर-सपाटा करे, वह पूरे महीने करता है। क्या मंत्रीजी को आज तक इस बात की अनभिज्ञता रही। यहां तक, हमारे विधायक महोदयों को एक सुविधा दे रखी है। कि वह अपने विधान सभा क्षेत्र में 5 दिन गाड़ी का इस्तेमाल कर सकता है। बहुत से विधायकों ने इस चीज की मांग की तो विकास अधिकारीजी ने अपना तानाशाही रवैया अपनाते हुए कह दिया कि यह रास्ता पड़ा, आपके लिये गाड़ी की कोई सुविधा नहीं है। इससे ज्यादा तानाशाही एक पंचायती राज में क्या चल सकती है।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय जब बने, उनके बारे में खूब जानते हैं, डायनामिक हैं, मैंने कहा कुछ न कुछ करके दिखाएंगे। पर पता नहीं, कौनसी मजबूरी आ गयी, गांव के प्रति, पंचायती राज के प्रति उनका मोह क्यों खत्म हुआ जिसके तहत वह लागू नहीं किया।

इसके अन्दर आयोजना समिति की बात कही। जब मैं जिला प्रमुख था तभी बनी थी। लेकिन आज 4 महीने हो गये। आयोजना समिति तो बनी हुई है, अगर पिछली सरकार के समय में कोई बात नहीं हुई, मंत्री महोदय इतने उत्सुक थे, पंचायती राज को अधिकार देने के लिये, तो यह तो पता करते कि 4 महीने में आयोजना समिति की बैठक हो रही है, या नहीं हो रही है। क्या आयोजना समिति के पास कोई वित्तीय अधिकार हैं कि नहीं है ? आयोजना समिति की बैठक के अन्दर कोई भी अफसर यह बताने को तैयार नहीं कि बैठक कहां होगी, बैठक में जलपान की व्यवस्था कौनसा विभाग करेगा, आने वाले सदस्यों को, आयोजना समिति के सदस्यो को कौन भत्ता देगा और उसका क्या प्रारूप होगा। सी.पी.ओ. का इन पर कोई कन्ट्रोल नहीं, किसी तरह का कोई अंकुश नहीं। तो इन तमाशों को दूर करना पड़ेगा। अगर हकीकत में, जो आप सभी बारबार दोहराते हैं कि राजीवजी के सपनों को साकार करना है। तो पोस्टरों के माध्यम से नहीं, उनका तो हकीकत में सपना तब साकार होगा जब पंचायती राज को मजबूत किया जाएगा, तब जाकर के उसके अन्दर कोई बात लागू होगी।

हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने एक बात कही कि पंचायती राज में भ्रष्टाचार है। पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्य इस बात को मान रहे हैं और शायद मंत्रीजी को भी मालूम होगा। लेकिन इसको दूर करने का कारण जब तक नहीं ढूंढा जाएगा तब तक कहने से काम नहीं चलेगा। अगर

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

पंचायती राज के भ्रष्टाचार को खतम करना है, मंत्री महोदय को पंचायती राज में सबसे पहले आर.डी.एस. बनाने की घोषणा करनी पड़ेगी। राजस्थान विकास सेवा बनायी जाए, पंचायती राज के लोगों को ही सीधी भर्ती करके, प्रमोशन दिया जाए, तब यह भ्रष्टाचार रूकेगा। वरना इसी तरह से प्रतिनियुक्तियां की गयी बी.डी.ओ. की चाहे वह एस.डी.आई. हो, और कोई हो, वह कुछ करना जानते नहीं, विभाग के बारे में समझते नहीं। केवल लूटने-खसोटने के लिये विकास अधिकारी बनते हैं। विकास अधिकारी बनने के बाद, उन्होंने कोई घोटाला कर दिया, वहां कोई गलत काम कर दिया तो विभाग उनको केवल इतनी सजा देता है कि उनको अपने विभाग में भेज दिया जाता है। इन प्रतिनियुक्तियों को बन्द करना पड़ेगा। मंत्री महोदय को आर.डी.एस. की घोषणा करनी पड़ेगी तब जाकर के भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है।

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त करें।

डा. जसवन्त सिंह यादव : जब कोई काम डी.आर.डी.ए. से मंजूर होकर जाता है तो, इन 4 महीनों में भी देख लीजिए और पीछे भी देख लीजिए, मस्टररोल के लिये 2-2 महीने सरपंच घूमते हैं। मस्टररोल बुक मिल जाती है तो उसके बाद जो 3 किश्तों का प्रावधान दिया है, जब तक सुविधा शुल्क नहीं दिया जाता तो उसको दूसरी किश्त नहीं मिलती, तीसरी किश्त नहीं मिलती। आधे काम अधूरे रह जाते हैं, इसलिये पूरे नहीं हो पाते कि सरपंच चक्कर काटता रहता है उसको मस्टररोल बुक के लिये, एम.बी. के लिये, यू.सी. के लिये, 4-4, 6-6, 8-8 महीने गुजर जाते हैं, समय समाप्त हो जाता है और कोई काम हो नहीं पाता है।

आज ईमानदारी की बात करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई सरपंच, कोई पंचायत ईमानदारी से काम करना चाहे, एक लाख रुपये मंजूर हुए और वह अपने घर से भी अगर 10 हजार रुपये लगाकर, एक लाख दस हजार रुपये का भी काम करा दे तो भी उस सरपंच को यू.सी. जारी नहीं हो सकती है। उस सरपंच के कोई काम नहीं हो सकते हैं। ऐसा एक प्रावधान होना चाहिए, टाइम लिमिट होनी चाहिए, काम मंजूर हो गया तो उसके लिये मस्टर रोल बुक की 15 दिन की, 7 दिन की एक समय सीमा फिक्स हो। अगर इतने दिन में सरपंच को नहीं दी जाती है तो विकास अधिकारी के ऊपर इसकी जिम्मेदारी डालनी चाहिए कि इतने दिन में नहीं हुआ तो विकास अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही हो। तब जाकर के इसमें सुधार आ सकता है। कितने ही सरपंच ऐसे हैं जो मारे-मारे फिरते हैं। आज उनकी प्रधान से नहीं बनती है और वे काम करा रहे हैं। मजदूर उनके पीछे घूमते हैं। सरपंच महोदय 6-6 महीने, खाली दिखावे के लिये कह रखा है कि जिला परिषद का सी.ई.ओ. साइन कर सकता है, लेकिन प्रधान एक जन-प्रतिनिधि है उसके खिलाफ आप कार्यवाही करने में असक्षम हैं तो विकास अधिकारी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि काम कम्पलीट होने के बाद,

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

चैक कर एक लिमिट होनी चाहिए कि इतने दिन में नहीं हुआ तो विकास अधिकारी की जिम्मेदारी रहेगी कि वह जाकर के सी.ई.ओ. से 10 दिन में कराये। प्रधान की ताकत के बाद, वह विकास अधिकारी पंगु हो जाता है क्योंकि साइन दोनों के चाहिए। तो इसमें एक लिमिट होनी चाहिए तब जाकर के सुधार होता है। प्राइमरी स्कूलों की बात...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, जल्दी समाप्त करें।

डा. जसवन्त सिंह यादव : दो मिनट की बात है।

सभापति महोदय, बहुत जोर-शोर से कह रहे हैं, हम सभी लोग, कम से कम डेढ़ सौ लोग ऐसे होंगे जो गांव से चुनकर आये हैं। ढाई सौ की आबादी में शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करने जा रहे हैं। क्या गांव के लोगों का, गांव के बच्चों का जो भारत का भविष्य बनने जा रहे हैं, यही मापदंड रहेगा कि वह शिक्षित मजदूर बनें, खाली साक्षर मजदूर बनें ? इस बात के लिए आठवीं कक्षा पास के बच्चों से पढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैं और किसी से नहीं, सभापति महोदय, मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या इनके बच्चे, आठवीं पास बच्चे से यह पढ़ पाएंगे ?. हर मां-बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। अगर आठवीं पास बच्चा बच्चों को पढ़ाता है तो इसका मतलब है कि वह बच्चा पढ़ ही नहीं सकता था इसलिए वह आठवीं पास रह गया, नहीं तो वह आगे पढ़ सकता था। गांव के बच्चों के साथ इतना बड़ा यह अन्याय क्यों ? आपकी अगर इच्छा शक्ति थी विकास करने की...

श्री सभापति : You have taken 20 minutes.

डा. जसवन्त सिंह यादव : गांव के बच्चों को अगर आगे बढ़ाना चाहते थे, इस देश का भला करना चाहते थे तो आप प्राइमरी स्कूल खोलते। आपने आठवीं क्लास का मापदंड रख दिया। आप कोई एक चपरासी की भर्ती कर रहे हैं या इस देश के बच्चों का भविष्य बना रहे हैं ? खाली यह मापदंड रह गया गांवों के लिए, इतना बड़ा अन्याय और हम आराम से इस बात को सहन कर रहे हैं। खुश हो रहे हैं। सत्तापक्ष के हमारे माननीय सदस्य धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत बड़ा काम कर दिया। क्या आप जानते हैं कि जब तक...

श्री रतनाराम चौधरी : यह शिक्षाकर्मी योजना की शुरूआत आप लोगों ने की। आपने शिक्षाकर्मी स्कूल खोलें। आप लोगों ने यह गलत कदम उठाया है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप व्यवधान नहीं डालें। माननीय रतनारामजी, विराजिये। Please don't intervene.

डा. जसवन्त सिंह यादव : आप जानते हैं कि जब तक गांव का बच्चा अशिक्षित रहेगा तब तक ही यह ढकोसले के नारे से हमको सत्ता मिलती रहेगी। इस बात का ध्यान में रखते हुए...

श्री सभापति : कृपया, समाप्त करिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव : यह गांव के लागों के साथ कुठाराघात किया है। गांव के बच्चों का जानबूझकर भविष्य खराब किया है। बहुत बड़ा अन्याय किया है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करिये। कृपया समाप्त करिये। आपके पांच स्पीकर्स हैं। There are five speakers.

डा. जसवन्त सिंह यादव : कांग्रेसी लोगों को लगाना था तो यह जरूरी है क्या कि कांग्रेस में आठवीं पास से ज्यादा बच्चे नहीं रहते।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

डा. जसवन्त सिंह यादव : कांग्रेस के लोग भी शिक्षित हो सकते होंगे। 12वीं का कर देते, बी.ए. का कर देते। बी.ए. का। तब भी इतने ही पैसे में मिल सकते हैं। सभापति महोदय, आज बहुत घोषणाएं कीं। गांव के विकास की बात की। स्वर्गीय राजीवजी का नाम बहुत लिया है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

डा. जसवन्त सिंह यादव : वृद्धावस्था पेंशन केन्द्र सरकार की योजना के साथ में 25 रुपये यहां से जुड़ते हैं। अगर इच्छा शक्ति होती गांव के लोगों का विकास करने की, गांव के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोगों के मान और सम्मान की...

श्री सभापति : माननीय श्री कालूलालजी खोईवाल।

डा. जसवन्त सिंह यादव : तो निश्चित रूप से 25 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये किये जाते या 250 रुपये किये जाते। आप बढ़ा रहे हैं...(व्यवधान)...

श्री सभापति : धन्यवाद, आप विराजिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव : 200 रुपये। बढ़ाते जीवनधारा के लिए जो 80 और 20 रेशवो होता है। 35 हजार रुपये में, जहां गरीबी की रेखा से...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

डा. जसवन्त सिंह यादव : एक सैकण्ड। गरीबी की रेखा से नीचे जो लोग रहते हैं...

श्री सभापति : आपने 23 मिनट ले लिये हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव : वे 35 हजार, मंत्री महोदय भी जानते हैं कि वे कुआं नहीं बना सकते...(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया विराजिये। You have taken twenty three minutes. आपने 23 मिनट ले लिये हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव : नहीं-नहीं, वे नहीं चाहते कि गांव के आदमी का विकास हो इसलिए इन्होंने यहां अपनी 20 परसेंट जो राशि थी, उसको बढ़ा देना चाहिए था...

श्री सभापति : कृपया विराजिये। आपके पांच स्पीकर्स हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनको कब

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

समय दे देना लेकिन इनको बोलने दीजिए। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : You are supposed to finish early. Please sit down. इसके अलावा एक स्पीच इधर से लेनी है। प्लीज सीट डाउन।

डा. जसवन्त सिंह यादव : गांव के बच्चों का, एक सैकण्ड, अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। कोई सरपंच भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उसने अपील कर दी। चूरू के अन्दर इस तरह का केस हुआ है। उसने अपील की हाइकोर्ट के अंन्दर, और कोर्ट ने भी यह कह दिया है कि यह भ्रष्ट है–

श्री सभापति : कृपया विराजिये। डाक्टर साहब, प्लीज सीट डाउन।

डा. जसवन्त सिंह यादव : इनको हटा दिया जाना चाहिए और भ्रष्टाचार को दूर करने वाली सरकार उन्हीं सरपंचों को वापस लगा देती है।

श्री सभापति : कृपया अपना स्थान लें।

डा. जसवन्त सिंह यादव : तो इससे ज्यादा नमूने और क्या हो सकते हैं। धन्यवाद।

श्री सभापति : कृपया अपना स्थान लें। श्री कालूलाल खोईवाल।

श्री श्रवण कुमार : वे अब भी आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ऐसे ही नहीं लगाये हैं। ऐसे ही नहीं लगाया, सोच-समझकर लगाया है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल खोईवाल (गंगरार) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय और पंचायती राज मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की भावना के अनुरूप डी.आर.डी.ए. को जिला-परिषदों को सौंपने एवं जिला प्रमुख को डी.आर.डी.ए. का अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया है। आपने तीन हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में पृथक से ग्राम सेवक उपलब्ध नहीं है, वहां पर ग्राम सेवक उपलब्ध कराने का एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके लिए आपने इस वर्ष बजट प्रावधान में तीन करोड़ पचास लाख रुपये का प्रावधान रखा है, यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण कदम है।

माननीय सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की दृष्टि से 16 हजार प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोलने का जो निर्णय लिया है, आपने इन केन्द्रों के सफल संचालन हेतु पंचायतों को अनुदान के रूप में 25 करोड़ रुपये अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा है।

माननीय सभापति महोदय, महोदय माननीय मंत्री महोदय बहुत ही धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं कि आपने माननीय विधायक, सदस्यों के द्वारा विभिन्न विकास कार्यों के लिए अपने क्षेत्रों में अपने मद से 25 लाख रुपये खर्च करने का जो निर्णय लिया है, यह निश्चय ही बहुत ही प्रशंसनीय कदम

(श्री कालूलाल खोईवाल)

है। इसके लिए आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय व मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं।

पंचायती-राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण करने हेतु इस वर्ष 77 करोड़ 63 लाख रुपये का प्रावधान और साथ ही 10वें वित्त आयोग के माध्यम से संस्थाओं को 53 करोड़ 6 लाख रुपये का तथा अन्य विशिष्ट योजनाओं के लिए 202 करोड़ 80 लाख रुपये का प्रावधान रखा है, यह वास्तव में एक स्वागत योग्य कदम है।

प्राथमिक विद्यालयों के साथ ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों को पंचायती-राज संस्थाओं के माध्यम से चलाने का जो निर्णय लिया है, यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण निर्णय है, महत्त्वपूर्ण कदम है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह विनम्र अनुरोध करता हूं और मांग करता हूं कि प्राथमिक शिक्षा केन्द्र को संचालित करने के लिए आपने जो चयन करने का निर्णय, प्रावधान रखा है, संविदा के आधार पर, तो मेरा एक निवेदन है और यह मेरी मांग है कि शिक्षक का चयन संविदा के आधार पर नहीं किया जाकर क्षेत्र के प्रधान, सरपंच एवं विधायक की एक कमेटी गठित करके उनके द्वारा नियमित वेतन श्रृंखला में स्थाई रूप से नियुक्ति हेतु चयन किया जाए। यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। यह मेरा आपसे अनुरोध है।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि पंचायती राज में नियुक्त अध्यापक, जो नयी नियुक्ति के सम्बन्ध में, स्थानान्तरण नीति में जो दस वर्ष के बांड भरवाये जाते हैं, श्रीमान्, उनकी पारिवारिक स्थिति एवं बीमारी, रोग आदि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनके अन्तर जिला स्थानान्तरण के ऊपर बांड अवधि में छूट दिलायी जाए, यह भी मैं आपसे मांग करता हूं।

साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र गंगरार, पंचायत समिति गंगरार में एक परियोजना अधिकारी एवं एस.डी.आई. के पद रिक्त हैं। साथ ही पंचायत समिति में चल रहे निर्माण कार्य, विकास कार्य और योजनाओं के निरीक्षण के लिए वाहन या कोई साधन नहीं है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है और मैं आपसे मांग करता हूं कि आप अतिशीघ्र गंगरार पंचायत समिति को जीप उपलब्ध करायें, ताकि निर्माण कार्यों का पुख्ता निरीक्षण किया जा सके।

अन्त में मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र की उन ग्राम पंचायतों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो पंचायतें अभी सड़कों से नहीं जुड़ी हुई है तो मैं निवेदन करता हूं कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र की पंचायतों को सड़कों से जोड़ा जाए।

(14.40 बजे)

(श्री तकीउद्दीन अहमद, सभापति, पदासीन)

यही मैं आपसे अनुरोध करता हूं। साथ ही आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री कालूलालजी।

श्री कालूलाल खोईवाल : हो गया साहब, मेरा तो।

श्री सभापति : श्री भरोसीलालजी। (अनुपस्थित)

श्री हीरासिंह चौहान : कोई नहीं है तो हमारी तरफ से बुलवा दो, साहब।

श्री सभापति : श्री हरचन्द सिंह सिद्धू।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : सभापति महोदय, पंचायती राज व्यवस्था को जिस तरीके से राजनैतिक उद्देश्यों से तोड़ा-मरोड़ा गया, बहुत दुःख की बात है। आज पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायत समिति, जिला परिषद का जो गठन हुआ, उनका आपस में कहीं कोई तालमेल नहीं है। इससे पूर्व का जो पंचायती राज अधिनियम था, उस अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत का चुनिन्दा पंच एक प्रक्रिया के तहत जिला परिषद तक जुड़ा हुआ था। एक तारतम्य था। उनमें तालमेल था। लेकिन आज पंचायत समिति का निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कालेज तो जरूर तैयार कर दिया गया और इसी तरीके से जिला परिषद का जो निर्वाचक मंडल तैयार किया गया, उनका आपस में कहीं कोई तालमेल नहीं है और इस तरीके का एक विवाद खड़ा कर दिया गया कि जिला परिषद के सदस्य को, केवल प्रधान को, वोट डालने के अलावा क्या काम है यह कहीं कोई कानून के अंदर विवेचित नहीं है। और यही स्थिति जिला परिषद के सदस्य की है। वह केवल मात्र प्रमुख का चुनाव कर लेगा, उसका वोट डाल सकता है। उसके बाद उसका क्या अधिकार है ? और यह विडम्बना, सभापति महोदय, हमारे सामने नहीं, बल्कि उस कानून को बनाने वाली सरकार के सामने अनेकों बार उन चुनिन्दा प्रतिनिधियों ने उठायी है। आन्दोलन किये हैं और उस राज से पूछा कि आपने हमारा यह चुनाव क्यों करवाया है ? हमारा क्या काम है ? इसलिए माननीय मंत्री महोदय, इस पंचायती राज के स्वरूप को सुधारें और ऐसी व्यवस्था करें। एक तो पहले ही ग्रामीण व्यवस्था पिछड़ी हुई है और उसमें इस तरह के क्लिष्ट कानून बनाकर और उनको उलझा दिया जाए, उनको भ्रमित कर दिया जाए। इस अंधेरे से उनको निकालने की व्यवस्था करें, और ग्राम पंचायत के इस कानूनी स्वरूप को सुधारें। इस पंचायत अधिनियम को बदलें।

श्रीमन्, इस पंचायती राज व्यवस्था को ट्रायल पर रखा गया। यह परीक्षणों से गुजर रही है। विकास अधिकारी के लिये एक भावना के तहत सरकार ने फैसला कर दिया कि पशुपालन विभाग से बुलाए जाएंगे। पांच-सात साल में वह कुछ व्यवस्था को समझने लगे तो दूसरी बार यह आदेश फरमा दिया गया कि नहीं, यह वेटेरिनरी डाक्टर अच्छा काम नहीं करते, अब इंजीनियर्स को बुलाया जाएगा। श्रीमन्, व्यवस्था पहले ही बिगड़ी हुई थी। इस तरीके से एक व्यवस्था निश्चित फरमायी जाए और, क्योंकि आप पंचायत समिति और जिला परिषद के अधीन शिक्षा को भी लाना चाहते हैं तो वास्तव में यह एक पीड़ा का विषय है। हकीकत है कि हालात गांवों के बहुत खराब हो

(श्री हरचन्द सिंह सिद्दू)

जाएंगे। इसलिए कम से कम विकास अधिकारी जो बनाएं, वह एक आर.ए.एस. होना चाहिये और पंचायत समिति का प्रशासन चलाने वाली एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि उसके अंदर एक शिक्षा अधिकारी, एक इंजीनियर लाइन का आदमी हो, ताकि जो निर्माण कार्य होते हैं, निर्माण कार्य करवाए जाते हैं, उन पर पैनी निगाह रखी जा सके।

सभापति महोदय, बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो जाती है कि जो विकास कार्यों के नाम पर निर्माण कार्य पंचायत समिति और जिला परिषद के माध्यम से ग्राम पंचायत करवाती हैं तो उनमें मैंने अनेकों स्कूल देखे हैं कि छत का पानी नाले के जरिये बाहर आना चाहिये लेकिन उस छत की संरचना ऐसी कर दी जाती है कि चारों तरफ का पानी बीच में आ जाता है और टपकता रहता है झरने की तरह। अनेकों ऐसे स्कूल मैंने देखें हैं जिनमें ग्रामीण यह शिकायत करते हैं कि बच्चें इस छत के नीचे बैठकर पढ़ नहीं सकते। यह छत गिरेगी। यह दीवार फटी हुई है। वह उसको तोड़ने की इजाजत भी चाहे तो इतनी क्लिष्ट प्रक्रिया है कि उनको तोड़ने की भी स्वीकृति नहीं मिलती। नतीजा यह होता है कि हम विकास की गंगा बहाये जा रहे हैं और गांवों के स्कूल के भवन की हालात तो मैंने निवेदन कर दी। मान्यवर, हम गांव के लोग सब्र कर लेते हैं कि हमारे यहां स्कूल है और जब कभी भूल से उस स्कूल की तरफ चले जाएं तो बच्चे कबड्डी खेलते हुए मिलते हैं। उनसे पूछा जाए बेटा, क्या आज छुट्टी हो गयी तो जवाब मिलता है, अध्यापक नहीं है। अनेकों ऐसे स्कूल हैं जिनके अंदर अध्यापक छह-छह, सात-सात महीने से नहीं आ रहे हैं। और कई जगह तो ऐसे उदाहरण हैं कि अध्यापक महोदय तनख्वाह लेने के लिये महीने के आखिरी दिनों में जाते हैं और दस्तख्त करके अपनी तनख्वाह उठा लेते हैं। स्कूलों में ताले पड़े रहते हैं। इसका कारण केवल यही नहीं है।

अब हनुमानगढ़ पंचायत समिति की बात बताऊं। उसमें एक विकास अधिकारी है और पंचायतें 272 हैं उसके नीचे। ऐसी अजीब हालत है। वह विकास अधिकारी एक-एक पंचायत को देखना भी चाहे तो शायद वह तीन महीने बाद अपने कार्यालय में वापस आयेगा। (व्यवधान) हां, कर रहे हैं, लेकिन तीन साल से यह व्यवस्था है और जो तीन साल का लोस हुआ, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा ? और आज भी हालात यही हैं। बी.जे.पी. वाले क्यों भुगतेंगे गांव के लोग भुगत रहे हैं जिन्होंने मार खायी। ठीक करें, इसी के लिए तो निवेदन कर रहा हूं सरकार से और हम मंत्री महोदय की तिमारदारी भी कर रहे हैं कि आप अच्छे प्रावधान कीजिये और इन व्यवस्थाओं को सुधारिये।

श्री परसादी लाल मीणा : पुनर्गठन के मामले में कोई सुझाव दें आप।

श्री हरचन्द सिंह सिद्दू : मैंने तो पुनर्गठन के लिए ही निवेदन किया कि पुनर्गठन जो दो स्तरीय व्यवस्था थी पहले वह ज्यादा बैटर थी। मैंने तो शुरू ही यहां से किया था आपने शायद गौर नहीं फरमाया।

(श्री हरचन्द सिंह सिद्दू)

जहां तक ग्राम सेवक का सवाल है, ग्राम सेवक तो एक ग्राम पंचायत में देने जा रहे हैं लेकिन इस बेलगाम घोड़े पर लगाम कैसे कसी जायेगी, इसकी व्यवस्था जरूर कीजिये। ग्राम सेवक एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है। ना तो विकास अधिकारी उस पर कंट्रोल कर पा रहा है ना यह सरपंच के बस का रोग है।

श्री परसादी लाल मीणा : सुझाव दो, क्या करें।

श्री हरचन्द सिंह सिद्दू : आपको मंत्रिमण्डल में इसलिए लिया गया है कि आप इस व्यवस्था को सही करिये और सुझाव आप दो हम ने तो हमारी पीड़ा बता दी।

श्री सभापति : आप तो अपनी पीड़ा बताते रहें, आपस में क्रॉस टॉक न करें।

श्री हरचन्द सिंह सिद्दू : सभापति महोदय, यह लगातार कमेंट्स हो रहे हैं, अच्छा नहीं है।

श्री परसादी लाल मीणा : सुझाव मांग रहे हैं आप से।

श्री हरचन्द सिंह सिद्दू : यह बाद में मांग लेना।

ग्राम सेवक को कंट्रोल कैसे किया जाय, क्योंकि सारा का सारा काम जितना भी ग्राम विकास का होगा उसमें ग्राम सेवक एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है और इस पर प्रभावी नियंत्रण हो, इसकी व्यवस्था की जाय।

सभापति महोदय, जितनी छोटी यूनिट होगी, ग्राम पंचायत की और पंचायत समितियों का जितना एरिया छोटा होगा उतना ही प्रभावी प्रशासन और कंट्रोल रहेगा। भ्रष्टाचार को अगर हमारी इच्छा शक्ति हो तो रोका जा सकता है। केवल एक बात, जितने निर्माण कार्य...

श्री अब्दुल अजीज : यह लाइलाज नहीं है ?

श्री हरचन्द सिंह सिद्दू : लाइलाज नहीं है। वह इसलिए है कि हमारे में कमजोरियां है, हम उसको करना नहीं चाहते। आप किसी काम की गुणवत्ता निर्धारित करते हैं, उसकी जिम्मेदारी विकास अधिकारी और इंजीनियर पंचायत समिति का चाहे वो जेईएन. हो या एईएन. है और कन्सर्न्ड सरपंच के ऊपर जिसके माध्यम से वह काम हो रहा है, उनकी निर्धारित की जाय। एक एज तय की जाय उस काम की कि इससे पहले यह काम अगर खराब और बुरा साबित हो जाता है तो उसकी तमाम जिम्मेदारी जितना इस निर्माण कार्य पर खर्चा हुआ है वह उनसे वसूले जाने योग्य है। जब तक यह हम प्रवृत्ति नहीं डालेंगे तब तक यह भ्रष्टाचार इन ग्रामीण विकास कार्यों से नहीं जायेगा। और इसकी यही वजह है कि इन ग्रामीण कार्मों के अन्दर अफरा-तफरी इस वजह से नहीं हो रही कि किसी पर किसी का नियंत्रण नहीं है, गुणवत्ता, का कोई आधार नहीं है, स्पेसिफिकेशन कोई होता नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल, की कोई एजेंसी नहीं है। इसलिए बी.डी.ओ. अपना बंधा-बंधाया सामान, ग्राम सेवक महोदय आते हैं और सरपंच अपना

(श्री हरचन्द सिंह सिद्घ)

यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए भागे फिरते हैं। वो कहते हैं, महाराज, दूसरी किश्त लेनी है तो ला पैसा, ला पैसा। इसके लिए और कहीं नहीं है। ईवन डी.आर.डी.ए. के.पी.डी. महोदय, इन लोगों ने दुकानदारियां खोल रखी हैं और ऐसी-ऐसी व्यवस्थाएं जब उनको यह पता लगा कि पंचायत समिति के अन्दर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पैसे लिये जाते हैं तो उन्होंने यह तय कर दिया कि नहीं, एक लाख से अगर ज्यादा का काम है तो वह काउण्टर सिग्नेचर पी.डी. के यहां से करवा कर ले जायेंगे। हमारी दखलंदाजी है। इन व्यवस्थाओं को मेहरबानी कर के आप सुधारिये और यह ग्रामीण जीवन जो पहले से पिछड़ा हुआ है इसको सुधारिये।

एक, जो अनुदान राशि दी जाती है, हकीकत यह है कि गांवों के आदमी को दोयम दर्जे का नागरिक घोषित कर रखा है। जहां शहर के आदमी के लिए 25 रुपये का निर्धारण है वहां गांव के आदमी के लिए 11 रुपये है। ऐसा हमारे से दोष हो गया ? यह तो ऊपर वाला भगवान जानता है। हम भी चाहते हैं कि हम शहर में पैदा होते, हमारी कीमत भी, हमारा अनुदान जो आता वह 25 रुपये आता और गांव में हमें पैदा कर दिया, हम को 11 रुपये। और फिर हम संविधान की ओथ लेकर बैठे हैं। There would be no distinction between caste, creed and sex. लेकिन यहां गांव और शहर के अन्दर भी डिस्टिंक्शन है। (व्यवधान) है, यह 16 और 11 का है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस फर्क को मिटाया जाय, हम को बराबरी का और समानता का दर्जा दिलाया जाय और जितना अनुदान शहर में दिया जाता है उतना ही हम को भी मिलना चाहिए और गांव का सर्वांगीण विकास होना चाहिए।

मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो मेरे सुझाव रखे हैं आप उन पर गौर फरमायेंगे और हमारी पीड़ा को कम करने की कृपा करेंगे। आप द्वारा जो मांग प्रस्तुत की गयी है मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। उस धन का सदुपयोग हमारे विकास के लिए आप करें। भगवान आपको ताकत दे, आपकी सरकार को ताकत दे। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : मांग संख्या-41 एवं मांग संख्या-28 जो पंचायती राज और विशेष योजनाओं से सम्बन्धित है, उनके बारे में मैंने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, उस सम्बन्ध में मैं अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। 2 अक्टूबर, 1959 को हमारे आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्रीजी, श्री जवाहर लाल नेहरूजी के हाथों और कर कमलों से नागौर में पंचायती राज की शुरूआत हुई थी और पंचायती राज की शुरूआत होने पर हम आगे नहीं बढ़े राजस्थान में। हमारे से आगे बढ़ गया कर्नाटक, हमारे से आगे बढ़ गया गुजरात, हमारे से आगे बढ़ गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और गुजरात ने जिला परिषदों को पंचायतीराज को जितना सुदृढ़ बनाया है, हमने वो कदम

ी वृद्धिचन्द जैन)

हीं उठाये। 26 जनवरी, 1999 को एक ोषणा हुई हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ौर वह घोषणा मुझे कतई पसंद नहीं लगी क डी.आरडी.ए. का प्रमुख जिला परिषद ा चेयरमैन बना दिया और उनको कोई मी प्रशासनिक अधिकार नहीं, कोई भी वित्तीय अधिकार नहीं। इस प्रकार प्रमुख जिला परिषद के पद की जो गरिमा है उसको भयंकर चोट पहुंचायी है। मैं यह चाहता हूं कि इस प्रकार हमारी कांग्रेस की सरकार चलती है जो वास्तव में एक सराहनीय कदम नहीं है।

(15.00 बजे)

हमें सराहनीय कदम उठाना चाहिए और हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम कर्नाटक के बार्डर पर, गुजरात के बार्डर पर और महाराष्ट्र के बार्डर पर जिला परिषदों को सुदृढ़ करें। उन्हें वित्तीय अधिकार दें, हम उन्हें प्रशासनिक अधिकार दें। हम यह कोशिश करें कि हमारा आई.ए.एस. आफिसर जिला परिषद का सेक्रेटरी हो। इस प्रकार के हम कदम उठायें। कुछ अधिकार, कुछ पोर्टफोलियो और कुछ कार्य हम उनको सुपुर्द करें तभी जाकर हमारे जिला परिषद सुदृढ़ हो सकते हैं अन्यथा नहीं हो सकते हैं। इसलिए यह कदम उठाने की बहुत आवश्यकता है। ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए जो सुझाव प्रस्तुत किये हैं उन सुझावों के बारे में मेरा यह भी दृढ़ मत है कि अभी जो हमारे क्षेत्र में हैं, शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही थी, उनका मैं समर्थन करता हुआ कहना चाहता हूं, कुछ क्षेत्र, शिव जैसे जो क्षेत्र हैं, जैसलमेर जैसा क्षेत्र है, वहां पर क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और आबादी बहुत ही कम है। परन्तु बाड़मेर जिले में इस प्रकार के कई क्षेत्र हैं, सिवाना जो क्षेत्र है वहां पर घनी आबादी है। तो कहने का अर्थ यह है कि पंचायतों का जो पुनर्गठन हो, उसके अन्दर आबादी के साथ-साथ क्षेत्रफल को भी दृष्टिकोण में रखना चाहिए। जहां क्षेत्रफल अधिक है वहां कम आबादी पर एक हजार की आबादी पर भी पंचायतों का पुनर्गठन होना चाहिए और दूसरा जो क्षेत्र है हमारे जिले में जो घनी आबादी है, उस क्षेत्र में दो हजार ढाई हजार की आबादी पर ग्राम पंचायत कायम करने चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण रखना चाहिए। एक पंचायत समिति में, अभी जो हमारे मित्र बोल रहे थे सिद्दू साहब, उनसे मैं सहमत हूं कि एक पंचायत समिति में 60 ग्राम पंचायतों से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 60 ग्राम पंचायतों से अधिक होगी तो उस पंचायत समिति की व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती और उसका प्रशासन ठीक तरह से नहीं चल सकता। और व्यवस्था ठीक तरह से नहीं चल सकती इसलिए दृष्टिकोण को रखने की आवश्यकता है।

अब मैंने जो प्रस्तुत किया है कि ग्राम पंचायतों में जो हमारी व्यवस्थाएं चल रही है, सचिव जो हैं, हरेक ग्राम पंचायत पर सचिव होने चाहिए। उसकी मैंने व्यवस्था देखी है। सरकार ने हमें विश्वास दिलाया है व्यवस्था करने का कि हम इस प्रकार व्यवस्था करेंगे। ग्राम सेवक की भी व्यवस्था करेंगे। ठीक है, ग्राम सेवक को कन्ट्रोल किया जा सकता है। ग्राम पंचायत कर सकती है, पंचायत समितियां कन्ट्रोल कर सकती हैं, जिला परिषद कन्ट्रोल कर सकती है। जो

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

अधिकार उनमें कर सकती है। उन ग्राम सेवकों की आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं पंचायती राज के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करता हूं। कुछ स्पेशल स्कीम्स जो हैं उनके सम्बन्ध में भी मैं अपने विचार प्रकट करता हूं। मरू विकास योजना, डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम। बहुत ही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम था। और मुझे अवसर मिला है, जब मैं एम.पी. में था तो मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा जोर दिया तो यह प्लान में इंक्लूड कर दिया गया, एस्टेब्लिश कर दिया गया और उस समय सातवीं पंचवर्षीय योजना में 245 करोड़ रुपये की योजना बनी। मैं यह चाहता हूं कि डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम को नवीं पंचवर्षीय योजना ने एक हजार करोड़ का कार्यक्रम बनाना चाहिए और डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम के अन्दर सेंड ड्युंस स्टेबिलाइजेशन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को हमने महत्ता दी है उसको समाप्त कर दिया है, उसको वापस शुरू करना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। उससे हमारे एरिया को बहुत लाभ हुआ है। टीबे जो थे, वहां हरियाली हो गयी। इस सम्बन्ध में यह जो प्रोग्राम है सेंड ड्युंस स्टेबिलाइजेशन कार्यक्रम, यह शुरू होना चाहिए। इसके लिए प्रोविजन होना चाहिए। उसमें विशेष तौर पर डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम है इसमें विशेष तौर पर प्रावधान था। वन थर्ड फण्ड है, सेड ड्युंस स्टेबिलाइजेशन के लिए राशि खर्च की जाएगी परन्तु अब यह क्लस्टर योजना शुरू हो गयी है और इस योजना में इतना दुरुपयोग हो रहा है और इतनी गड़बड़ घोटाला हो रहा है, करप्शन हो रहा है और उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा। इसकी पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। राजस्थान के सभी जिलों में जांच होनी चाहिए कि इस प्रकार कलस्टर योजना का इस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है। हालांकि उसका कुछ उद्देश्य है। खेत को अच्छी तरह से बनाकर अच्छी तरह से पैदावार ले सकते हैं उसका उद्देश्य है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम नहीं किया जा रहा है। कलस्टर योजना का बिलकुल दुरुपयोग किया जा रहा है। सारे जिलों में इस प्रकार की कलस्टर योजनाएं हैं। उन योजनाओं के बारे में पूरी जांच की जानी चाहिए। इनमें करप्शन है, उसकी जांच की जावे। इस डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पशु पालन का कार्यक्रम भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। नवीं पंचवर्षीय योजना में एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करना चाहिए। इस कार्यक्रम के तहत उन्नति पर एरिया को लाया जा सके, वृद्धि के शिखर पर लाना चाहते हैं इस एरिया का डेजर्ट का फैलाव रोकना चाहते हैं तो एक हजार करोड़ रुपया नवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान करना चाहिए। इसी प्रकार बार्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम है। इस संबंध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। जब बार्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम में एजुकेशन डवलपमेंट प्रोग्राम सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए था, उस समय आठवीं कक्षा और दसवीं कक्षा के 25 बाई 20 के दो बड़े कमरे स्थापित किये गये थे और प्राइमरी स्कूल सेंक्शन हुआ था। प्रत्येक पंचायत

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

समिति में 32-32, 30-30 प्राइमरी स्कूल्स की सेंक्शन की गयी थी और भवन बनाये गये थे। मैं यह चाहता हूं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जो इलाके हैं, पिछड़े हुए हैं। बाड़मेर जिला शिक्षा की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। हिन्दुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। वैसे जैसलमेर जिले की भी स्थिति यही है। मैं कहना चाहता हूं कि सैकण्डरी स्कूल्स के टीचर्स के लिए क्वाटर्स होने चाहिए। टीचर्स के क्वार्टर्स को प्राइमरी इम्पार्टेंस दी जानी चाहिए। इन सीमावर्ती क्षेत्रों में टीचर्स के क्वार्टर्स नहीं होते हैं जिससे दूर दराज के इलाकों में टीचर्स जाते नहीं हैं, पढ़ाते नहीं है। उनका जो स्टैण्डर्ड है वह ठीक नहीं होता है, पढ़ाई का स्तर गिर जाता है और इसके साथ-साथ सैकण्डरी स्कूल्स और सीनियर सैकण्डरी स्कूल्स में राजकीय छात्रावास होने चाहिए ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों के विद्यार्थी अच्छी तरह से पढ़ सकें और उनका स्तर बढ़ सके। वे दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले में आ सकें। इस सम्बन्ध में कदम उठाने की आवश्यकता है।

इसके साथ-साथ जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम हैं उसके बारे में मेरा बहुत ही सैड एक्सपीरियेंस है। यह गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अगर हम किसी को गायों को देते हैं, भेड़ों को इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। एस.सी. और एस.टी. को वन थर्ड सब्सिडी है। दूसरों के लिए वन फोर्थ सब्सिडी है। उस सब्सिडी का भयंकर दुरुपयोग होता है। वह विकास अधिकारी, टेक्निकल, डाक्टर और ग्राम पंचायत का सरपंच दुरुपयोग कर लेते हैं और वास्तव में जिस उद्देश्य के लिए जिस प्रकार की राशि दी जाती है उस राशि का उस उद्देश्य के लिए कोई प्रयोग नहीं हो पाता है और उससे कोई गरीबी नहीं मिटती है। सारे जिलों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत जो लोन दिया है और सब्सिडी दी है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि वास्तव में उसका किस प्रकार दुरुपयोग किया गया है। वास्तव में गरीबी किस प्रकार से मिटी है। यह अपने को पूरी तरह जांच कर और फिर बाद में परिणाम पर पहुंचना चाहिए। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मेरा तो यह व्यू है कि सब्सिडी का तो प्रोविजन नहीं होना चाहिए। अगर लाभ उनको देना चाहते हैं, लोन उनको देना चाहते हैं तो विदाउट इन्ट्रेस्ट दें। सब्सिडी का लाभ न देकर विदाउट इन्ट्रेस्ट दें तो वह उचित रहेगा। इस प्रकार का लाभ देकर उस सब्सिडी का डिस्ट्रिब्यूशन कर दिया जाए। वह ग्राम पंचायत से सम्बन्धित सरपंच, विकास अधिकारी या कोई टेक्निकल परसन डाक्टर हो या और कोई हो उसका बहुत ही भयंकर दुरुपयोग होता है। इस सम्बन्ध में जांच की जानी चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन के बारे में यह व्यवस्था हमने की है। यह 1200 रुपये का प्रावधान है जहां वह शिक्षाकर्मी योजना से भी एमाउन्ट कम है। शिक्षाकर्मी योजना के अन्तर्गत भी 1800 रुपये हैं। 1200 रुपये की आज वेल्यू ही क्या है। 1200 रुपये के परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। यह हम जानते हैं कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापक जो हैं, उनको 5-5 हजार रुपये देते हैं वह क्या करते हैं क्या नहीं करते

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

हैं। अध्यापन नहीं कराते हैं और मिडल स्कूल के जो परिणाम आते हैं उन मिडल स्कूल्स के परिणाम के आधार पर, जिनके परिणाम अच्छे नहीं आते हैं उन टीचर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। और परिणाम उन्हीं के आते हैं जो बाड़मेर शहर और आस पास रहते हैं गांवों के उनके परिणाम नहीं। शहर में चले जाते हैं अपना दूसरा धंधा करते हैं और किसी प्रकार का पढ़ाई का काम नहीं कराते हैं। बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। तो इस सम्बन्ध में उन लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। पॉलिसी रखनी चाहिए कि इन लोगों को दंडित करके क्या एक्शन लिया जाये। सीमावर्ती क्षेत्र में या दूर-दराज के क्षेत्र में उनको भेज दिया जाये और उनके ऊपर वाच किया जाये और अगर नहीं हो तो जांच करके उनको सस्पैण्ड करके उनको सर्विसेज से निकाल दिया जाये। ऐसे टीचर्स की हमें कोई आवश्यकता नहीं जो इस प्रकार की गद्दारी करते हैं। हमने जो यह योजना बनाई है 1200 रुपये की, क्योंकि हमारे जो 5 हजार टीचर्स हैं, पढ़े हुए हैं वह अपना कर्तव्य अदा नहीं करते। आप कर्तव्य अदा नहीं करते हो इसका मतलब यह होता है कि आपकी उसके अन्दर कोई चैकिंग नहीं है। आपका कोई इन्सपैक्शन नहीं है, आपके अधिकारी कोई इन्सपैक्शन करते नहीं है। उसके बारे में सख्ती से परिणाम होने चाहिए, सख्ती से जिस प्रकार के निर्णय लेने चाहिए उस प्रकार के निर्णय नहीं लेते हैं। मैं अधिक नहीं कह करके, क्योंकि दूसरे भी बोलने वाले हैं, मैं यही कहना चाहता हूं कि हम ग्राम पंचायत को सुदृढ़ करें और हमारी जो स्पेशल स्कीम्स हैं वह सुचारू रूप से चले और हम ईमानदारी से योजनाओं को चलायें और ग्राम पंचायत राज सुदृढ़ हो, मजबूत हो। इन्हीं शब्दों के साथ जो मांगे प्रस्तुत की हैं उनका मैं समर्थ करता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 41 और 28 पर चर्चा हो रही है। मैं मेरे कटौती प्रस्तावों के जरिये माननीय पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहती हूं। वैसे तो आजादी के बाद में ग्रामीण जनता भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने स्वयं के विकास के लिए अपनी योजनाएं बना सके, इसके लिए पंचायती राज की स्थापना की गयी थी। और इस राजस्थान प्रदेश को यह गौरव भी प्राप्त है कि राजस्थान में ही सबसे पहले लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की ओर पंचायती राज का दीपक जो प्रज्जवलित किया था नागौर के किले पर, यह गौरव राजस्थान को प्राप्त है। लेकिन सामुदायिक विकास के नाम पर गांवों की हालत क्या है। सामुदायिक जीवन को तो गांव वाले बिल्कुल भूल गये। सामुदायिक, कम्युनिटी लाइफ का मतलब था, जब तक हमारे पंचायतों के चुनाव नहीं हुए थे उससे पहले गांव वाले अपने पीने के पानी की व्यवस्था एक कुएं को जुतवा करके सारे आपस में खर्चा बांट कर हर घर के ऊपर फ्री पैसा लगा करके किया करते थे। शादी-ब्याहों के अन्दर भी जिस

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

प्रकार से लोगों का आपस में सामंजस्य, सौहार्दपूर्ण वातावरण था अब वह वातावरण भी नहीं है। सामुदायिक विकास के नाम पर पंचायती राज की स्थापना हो गयी, पंचायतें बन गयी उसके जरिये विकास के काम भी हो रहे हैं उसके जरिये आर्थिक जो कहनी चाहिए तरक्की भी हो रही है, लेकिन कम्युनिटी लाइफ जिसको कहते हैं, सामुदायिक जीवन जिसे कहते हैं वह बिल्कुल समाप्त हो गया।

मैं निवेदन कर रही थी सभापति महोदय कि आज यह पंचायतों के चुनाव जो हुए हैं, और इन पंचायतों के चुनाव के बाद में पिछले हमने जो चुनाव देखे जैसा मुझसे बोलने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि उसके बाद में कहीं कोई सामन्जस्य, ताल-मेल है नहीं। तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी जो पूर्व व्यवस्था थी जिसमें सरपंच पंचायत समिति का मैम्बर है, क्योंकि सरपंच को ही जब आप बहुत अधिक अधिकार देने जा रहे हैं, पंचायत समिति को अधिकार सम्पन्न बना रहे हो तो इस हालत के अन्दर उसको ही, आप सरपंच को ही रखें और बीच की जो पंचायत समिति की सदस्यता है, इसे आप एक तरीके से खतम करें। क्योंकि इस बार कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं है। न तो उनके पास कोई अधिकार है, न उनका कोई कार्यक्षेत्र है, न जिसे कहना चाहिए और है। इसलिए जो बीच की व्यवस्था है, उसे हटा दिया जाये तो मैं समझती हूं ज्यादा उपयुक्त होगा। मैं अभी सुन रही थी गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा यह वानप्रस्थ जो योजना है, मेरे समझ में नहीं आई। और वह कह रहे थे मुझे बड़ी अच्छी लगी है, मेरा मन किया कि मेरा उसमें सलैक्शन हो जाये, मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहती हूं कि उनका बेटा जिला प्रमुख है, डी.आर.डी.ए. का चैयरमेन है और कलक्टर है और परियोजना निदेशक है। हम भी सिफारिश कर देंगे वह भी जाना चाहे आपकी इस योजना में तो शौक से। इस वानप्रस्थ योजना में जाना चाहें और 3000 रुपये लेना चाहे तो हम भी उनकी सिफारिश कर देंगे। इसलिए उसमें कोई उनको तकलीफ और दिक्कत नहीं आने वाली है। (व्यवधान) मैं तो इसके विरोध में हूं ना, मैं तो कहां उस वानप्रस्थ योजना की बात कर रही हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि बड़े ताज्जुब की बात है कि एक ही स्कूलों के अन्दर, प्राथमिक शिक्षा के अन्दर तीन तरह की व्यवस्था, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही है। शहर में जो प्राथमिक स्कूल हैं वह है राज्य के अधीन। उसको तो देखेगा डी.ई.ओ., और गांवों मे जो प्राथमिक स्कूल हैं वह रहेगी बी.डी.ओ. के अण्डर। उसको विकास अधिकारी सम्भालेगा, वह देखेगा। और जो प्राथमिक आपके शिक्षा केन्द्र बनेंगे 16 हजार, उनको सरपंच देखेगा। मतलब एक ही प्राथमिक शिक्षा की तीन तरह की व्यवस्था हो गयी और इसके साथ ही साथ पहले तो आ गयी गांव के अन्दर जिसे कहना चाहिए आपने पंचायत राज को सौंप करके शिक्षा, हो सकता है कि लोग मुझे प्रतिगामी कहें लेकिन यह बच्चे, यह प्राथमिक शिक्षा ही बुनियाद है इस तालीम

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

की। और इसमें जब बच्चा एकदम कमजोर रह जाता है आज हालत क्या है, गांवों में रहने वाले, गांव से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करके आने वाले बच्चे के स्टेण्डर्ड में और यहां पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के स्टेण्डर्ड में कितना अन्तर है ? यह बिल्कुल आदमी को साफ, स्पष्ट पता लगता है। तो वही हालत उन प्राथमिक विद्यालयों की है तो उन प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों की तो क्या हालत होगी जहां केवल अधकचरा, अल्पज्ञ आप एक अध्यापक देंगे केवल 12 सौ रुपये में और उसे नियुक्त कौन करेगा ? सरपंच साहब नियुक्त करेंगे। सरपंच साहब की हाजरी बजा देगा, काम अपने खेत में करेगा। जो कुछ काम करना होगा वह करेगा और बच्चों को पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। कि कोई एक व्यवस्था तो करिये आप। यह तीन तरह की व्यवस्था करके आप क्या करना चाहते हैं ? गांव और शहरों के अन्दर इतना अन्तर कर देना चाहते हैं, यह बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। इसलिए यह तीन तरह की व्यवस्था नहीं होकर के एक तरह की व्यवस्था करिये। यदि शहर में प्राथमिक स्कूल राज्य के अधीन है उनको डी.ई.ओ. देखेगा, शिक्षा अधिकारी देखेगा और आपके जो प्राथमिक स्कूल चल रहे हैं उन्हें क्रमोन्नत करोगे किसको क्रमोन्नत करोगे। यह जो प्राथमिक स्कूल चल रहे हैं इन्हें क्रमोन्नत करेंगे या यह प्राथमिक शिक्षा केन्द्र आपके जो हैं इन्हें क्रमोन्नत करेंगे। कैसे करेंगे यह बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। स्पष्ट करियेगा कि आखिर आपकी मंशा क्या है और आप करने क्या जा रहे हैं और कैसे उनकी क्रमोन्नति होगी इसके बारे में जरा आप स्पष्ट बताइये।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहती हूं। ठीक है यह बात तो सही है कि गांव के लोग लोकतन्त्र के अन्दर अपने विकास के लिए, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप वह ज्यादा जानते हैं प्राथमिकताएं वह तय करें वह तो उचित है। डी.आर.डी.ए. का चैयरमेन, आपने अध्यक्ष जिला प्रमुख को बना दिया किसी हद तक ठीक है लेकिन मैं समझती हूं यह करके सारे विकास कामों का राजनीतिकरण हो जायेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं यहां इतना बड़ा दिल विधान सभा का सदस्य ही नहीं रख पाता है तो जिला परिषद का प्रमुख तो क्या रख पायेगा। हम लोग भी तो आपस में मेरा और तेरा के आधार पर ही तो काम करते हैं। इसलिए वह भी मेरा और तेरा, मेरा पार्टी के खिलाफ उस पर आधार पर काम करेगा। तो हम विकास की क्या कल्पना करेंगे। रीजनल इम्बैलेंस हो जायेगा। उस गांव का बहुत विकास होगा जहां प्रमुख चाहता है और कुछ गांव हो सकता है पिछड़े रह जाये। इसलिए मैं तो कहती हूं फिर पुनर्विचार कीजिए और इस बात पर भी पुनर्विचार कीजिए आप, कि यह जो उच्च प्राथमिक शिक्षा देने जा रहे हैं पंचायत राज को, पंचायत समितियों को इस पर भी पुनर्विचार करिये। यह प्रयोग एक बार आप करके देख चुके हैं। और जब देख चुके हैं, असफल होने पर इनको

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

वापस लिया जा चुका है फिर आप वही करने जा रहे हैं। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर तो आपने बंटाधार कर दिया। यह कर गये बंटाधार और अब इसको आप और उच्च प्राथमिक स्तर पर भी बंटाधार करना चाहते हैं तो यह अच्छा तो नहीं कर रहे हैं भावी पीढ़ी के साथ। वैसे बहुमत आपका है, 153 जीतकर आये हैं। आप करेंगे तो वही जो आप चाहेंगे लेकिन मैं समझती हूं यह राजस्थान के इस छोटी पौध के भविष्य के लिये उचित नहीं है इसलिये इस पर पुनर्विचार कीजिये। इसे ठंडे दिल से और दिमाग से, आप विशाल दिमाग से सोचिये कि यह करके कोई अच्छा काम आप ग्रामीण जनता के साथ नहीं करने जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि कुछ योजनाएं हैं जिनके लिये भारत सरकार शत-प्रतिशत पैसा देती है। यह शत-प्रतिशत पैसा एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना में आता है जो सारा का सारा पैसा भारत सरकार का है। सरकार इनकी थी, 1998-99 में 36.72 करोड़ रुपया भारत सरकार से आया था, 32 करोड़ ही खर्च कर पाये। आप तो ऐसा मत करियेगा। जितना पैसा भारत सरकार से आता है उसे करीब-करीब पूरा खर्च करियेगा ताकि लोगों को उसका फायदा मिल सके। इनकी तरह से तो आप मत करियेगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि ग्रामीण विकास केन्द्र योजना की जो प्रगति की रिपोर्ट हमको दी गयी है इसमें कुछ जिलों में अन्दर तो बहुत अच्छा काम हुआ है। बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, जयपुर, राजसमंद और दौसा, इन्होंने तो इनका जो वित्तीय प्रावधान था उससे अधिक खर्च कर दिया। लेकिन कुल मिलाकर के 987 लाख रुपये थे जिसमें से 825.81 ही खर्च हुए हैं, और जिसमें मुझे बड़ा अफसोस है कि झुंझुनूं में बहुत कम पैसा खर्च हुआ है। झुंझुनूं में जहां 34.90 का प्रावधान था वहां पर 28.90 ही खर्च हुआ। तो मैं यह निवेदन कर रही थी कि कुछ जगह तो इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है लेकिन बाकी जगह अभी तक इस बारे में कुछ भी काम नहीं हो पाया है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि अभी तक जो वह खर्च नहीं कर पाये हैं उसे भी खर्च करने की कोई न कोई कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रगति के बारे में हमको दिया है। कुल मिला करके आबंटन हुआ था झुंझुनूं को 150.33 लाख और खर्चा हुआ पैसा कि मैंने कहा 80.42, लेकिन प्रतिशत बताया है 39.26। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। जब 150 लाख में से 80 लाख रुपया खर्च कर दिया तो यह 39 पाइंट ही कैसे आयेगा। मेरी यह बात समझ में नहीं आयी कि यह कैसे कर दिया। मैं समझ नहीं पायी इसे, या विभाग ने कोई इसमें गलती की, यह बात मेरी समझ में आयी नहीं।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ मैं यह भी निवेदन कर रही थी कि दसवें वित्त आयोग में पंचायती राज संस्थाओं के लिये 98-99 में 5306 लाख रुपये का प्रावधान किया था और पेज नं. 2 पर तो यह बता रहे हैं 5306 का किया और पेज नं. 3 पर आकर बता दिया 5305 लाख का किया। एक करोड़ को एक पेज के अन्दर ही खा गये आप। या तो कलेरिकल मिस्टेक है। या सचमुच में पैसा कम हो गया, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी, कि यह स्कूल जो भारतीय जनता पार्टी के शासन के समय कुछ लोगों को बांड भरा-भरा करके नियुक्तियां की थीं। जहां पर ज्यादा शिक्षा थी, जैसे झुंझुनूं जिले के ही कुछ अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं जिन्होंने 20-20,000 का बांड भरा और कुछ समय मुझे पता नहीं पांच साल है, दस साल है कि उतने साल तक उसी जिले के अन्दर नौकरी करने के बारे में एश्योरेंस दिया कि हम यहां पर करेंगे और इस बात के लिये बीस हजार दिया।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उनकी व्यवस्था तो एक थी। उनकी तो सब दुकानदारी थी पैसा देकर स्कूल खुलवाते थे यह लोग। पैसा देकर बांड भर करके नियुक्तियां देते थे। लेकिन इस व्यवस्था में आप सुधार कीजिये जो लोग आज बांसवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर, झुंझुनूं जिले का बच्चा जो इतनी दूर बैठा हुआ है यदि आपका पैसा लौटाता है, 20,000 रुपया लौटाता है और जिले में स्थान है तो आप उसे स्थानान्तरित कर दीजिये। वह आपका 20,000 रुपया लौटा देगा। वह आपका बीस हजार लौटा देगा... (व्यवधान) बात तो सुन लीजिये मेरी। मेरे अपने विचार हैं। उनको बिलकुल ही फ्री कर दें बहुत बढ़िया है नेकी और पूछ-पूछ। लेकिन मैं यह कर रही हूं कि फिर भी यदि कोई यह कहे कि 20,000 रुपया मैं आपका लौटाता हूं तो आपको तो वित्तीय मदद मिल जाएगी और उसका उस जिले से बांसवाड़ा से झुंझुनूं ट्रांसफर हो जाएगा। और यदि आप बिलकुल मुफ्त में कर दें तब तो वाहवाही होगी आपकी। बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन फिर भी यदि आप यह नहीं करना चाहते हैं तो 20,000 रुपया देकर के भी यहां से ट्रांसफर करवाने वाले बहुत मिल जाऐंगे। इसलिये यह व्यवस्था भी मैं चाहूंगी कि जो लोग इतनी दूर पड़े हुए हैं, 700 किलोमीटर दूर पड़े हुए हैं, मैं इसलिये यह बात कह रही हूं कि अधिकतर लड़कियों के साथ यह समस्या है कि उनके पति तो हैं फौज में। वह तो कर रहे हैं देश की सेवा। वह वहां से 700 किलोमीटर दूर बैठी हुई हैं। पर चूंकि बांड भर दिया 20,000 का, आपने कंडीशन लगा दी, अनिवार्य शर्त लगा दी इसलिये उसको वहां पर जबरदस्ती बैठे रहना पड़ रहा है और उसके छोटे बच्चे हैं। एक आदमी को तो उसके साथ वहां रहना पड़ता है। क्योंकि पति तो फौज में है और एक घर वाले को उसके साथ रहना पड़ता है। तो यह उसकी बहुत बड़ी मुसीबत है। तो मैं चाहूंगी आप इसके बारे में विचार करें और विचार करके और पैसा लेकर के भी

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

यदि आप ट्रांसफर करते हैं, पैसा बिना लिये करें तो, बहुत अच्छा है लेकिन यदि आप वापस जमा करा करके भी करते हैं तो मैं समझती हूं यह भी आपकी कृपा होगी।

माननीय सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो कटौती के प्रस्ताव यहां प्रस्तुत किये हैं, वह अपने कटौती के प्रस्ताव इन्हीं शब्दों के साथ सदन में पेश करती हूं।

श्री सभापति : डा. करण सिंह यादव।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : सभापति महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अनुदान मांगों के समर्थन में मैं सबसे पहले बोलते हुए वर्तमान सरकार को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर के जिला प्रमुखों को विकास अभिकरण का अध्यक्ष बनाया। अभी कुछ देर पहले मण्डावर से आने वाले सदस्य, जो स्वयं अपनी पार्टी की ओर से जिला प्रमुख रह चुके हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के पंचायत राज का ब्यौरा अपने सामने दिया। कैसी दयनीय स्थिति उनकी होती थी। किस तरह से उनको कलेक्टर साहबान के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता था। वह चर्चा कर रहे थे...

श्री जसवन्त सिंह यादव : आज के दिन का चर्चा था। आज के दिन ही अगर आप जिला परिषद्, इसमें डी.आर.डी.ए. में गये होते...(व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज-प्लीज बैठिये।

डा. करण सिंह यादव : माननीय सदस्य बता रहे थे कि किस तरह से उनके शासनकाल में प्रधान को जीप और टेलीफोन के लिये गिड़गिड़ाना पड़ता था। आज कोई बी.डी.ओ. प्रधान को और एम.एल.ए. को जीप के लिये मना नहीं कर सकता। वह टाइम चला गया। आज की इस नयी सरकार ने सबसे पहले कहीं हैसियत दी है तो जन प्रतिनिधि को दी है। आज हर अधिकारी को जन प्रतिनिधि के सामने बैठ करके बात करनी पड़ती है। जो आप लेखा-जोखा कर रहे थे वह अपने कार्यकाल का कर रहे थे। उन सब अनुभवों को देखते हुए ही नयी सरकार ने निर्णय लिये। एक जो पहला निर्णय लिया, सबसे पहली चीज होती है आदमी का डेजिनेशन जहां महत्त्वपूर्ण होता है, पावर स्वतः धीरे-धीरे आने लग जाती है। और सरकार का कमिटमेंट है कि बहुत सारी योजनाएं हम इन प्रमुखों के माध्यम से क्रियान्वित करेंगे। सबसे पहला निर्णय, आप अपनी व्यथा बता रहे थे कि किस तरह से सरपंच को ग्राम सेवक के लिए पीछे-पीछे भागना पड़ता है। हमारी सरकार का सबसे पहला निर्णय है कि हम 3 हजार नये ग्राम सेवक भर्ती करके हर सरपंच के साथ में एक सैक्रेटरी लगा देंगे, जो उनकी सेवा के लिए उपलब्ध रहेगा। यह निर्णय आप नहीं ले सके। और सबसे बड़ा जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जो मैं समझता हूं कि 26 जनवरी के दिन सारे राजस्थान की ग्राम सभाएं बैठकर के अपने गांव का लेखा-जोखा करके विकास के कार्यक्रमों का निर्धारण करने के लिए सब ग्रामवासियों के बीच में बैठकर के, आज हमारे पास में कम से कम एक पुलिंदे के

(डा. करण सिंह यादव)

रूप में मौजूद है कि किस पंचायत ने, किस पंचायत समिति ने प्राथमिकता के आधार पर, पैसे के आबंटन के आधार पर गांव की जरूरतों को देखते हुए क्या-क्या काम हम करवायेंगे। यह निर्णय पहले कभी नहीं लिया गया। इस तरह का सोच पहले कभी पंचायत राज विभाग में नहीं आया।

वर्तमान सरकार निश्चित रूप से बधाई की पात्र है और वर्तमान पंचायत राज मंत्री जी बधाई के पास हैं। कहां बात करते हैं 10 लाख रुपये की 5 लाख रुपये आपके और 5 लाख अनटाइड फंड से, एक झटके में 25 लाख रुपये का सेंक्शन एम.एल.एज. के नाम देकर के जन प्रतिनिधि की महत्ता को बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। निश्चित रूप से खामियां है और खामियां आयी हैं पिछले इस पंचायत राज के कार्यकाल के दौरान में, आपके नियंत्रण की कमी से। पंचायतों के प्रति आपकी जो देखरेख में कमी रही उसकी वजह से और उसका नतीजा यह निकला कि सारे के सारे शासन तंत्र का सरकारीकरण हो गया। जन प्रतिनिधि का उसमें सम्मान नहीं रहा। भ्रष्टाचार का बोलबाला, योजना स्वीकृत करवानी हो तो उसके लिए पैसे दें। आप अपने खुद के गांव की योजना के लिए अपना गांव अपना काम के पैसे ले जाकर दे दीजिये साल-साल भर, दो-दो साल का इंतजार करते रहिये स्वीकृति के लिये। बिलों के पास करवाने में भ्रष्टाचार। अब उन सब बातों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और यही कारण है कि राजस्थान की सरकार इस बार पंचायत राज के विभाग को महत्त्वपूर्ण समझती है। मुझे यह कहते हुए बहुत गौरव महसूस होता है कि एक बहुत पढ़े-लिखे बुद्धिमान, प्रशासनिक अनुभव के व्यक्ति को पंचायत राज का जिम्मा दिया है।

माननीय मंत्री महोदय आपका कार्य बहुत दुरूह है, बहुत मुश्किल है और आपको बहुत सारी बातों की तरफ जो यहां सदस्य उठा रहे हैं, वहां सोचना पड़ेगा। पंचायत राज की परिकल्पना में सबसे पहले ग्राम के विकास में पहली कड़ी है शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा इसके बारे में यहां सदन में सब लोग चिंतित हैं। किसी पार्टी से हों, किसी विचारधारा के हों। हर आदमी को यह महसूस हो रहा है कि गांवों के साथ में जो व्यवहार होना चाहिए था वह पिछली सरकार के समय में नहीं हो पाया।

आज आपकी योजना शायद अच्छी हो सकती है। 16 हजार केन्द्रों की जो परिकल्पना है, मध्य प्रदेश की तरह से जो आप लगाना चाहते हैं लेकिन हर आदमी के दिमाग में एक परेशानी पैदा होती है कि कहीं यह हम खैरात का पैसा बांटने की योजना में तो चूक नहीं कर जायेंगे। यह सही है कि आपका कतई मतलब नहीं है कि आठवीं क्लास का लड़का ही वहां पर लगे। आपको बी.एड. मिले तो आप बी.एड. लगायेंगे, एम.एड. मिले तो एम.एड. को लगायें और दुर्भाग्य इस देश में है कि हर गांव के अंदर कम से कम अलवर जिले के गांवों में तो आपको गांव के अंदर बी.एड. _

श्री जसवन्त सिंह यादव : वह तो सरपंच के हाथ में छोड़ दिया है।

डा. करण सिंह यादव : वह आप सही कह रहे हैं। आपकी बात का समर्थन करते हुए कह रहा हूं कि इस बात की आशंका आपको भी है और इस पक्ष को भी है कि सरपंच कहीं अपने भाई-भतीजे जो निठल्ला लड़का किसी काम का नहीं है, उसका रजिस्टर में नाम लिखकर के और 40 बच्चे आस-पास के, आस-पड़ोस की ढाणी के पकड़कर के, तो इस बात का नियंत्रण करना होगा। आपको लोगों के साथ मिल-बैठकर के देखना होगा कि वाकई में हम जो पैसा लगा रहे हैं उस पैसे की सार्थकता है या नहीं है। यह भी एक बड़ा उचित संशय लोगों के दिमाग में है प्राथमिक शिक्षा की हालत को जर्जर गांव में मानकर चलते हैं। अध्यापक स्कूल आते नहीं, एक स्कूल में तीन टीचर हैं तो उन्होंने बारी बांध रखी है कि एक हफ्ते तू आयेगा, दूसरे हफ्ते मैं आऊंगा और इसी कारण से आज हर आदमी के मन में, आप मिडिल स्कूल भी पंचायत राज को देने जा रहे हैं, सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं लेकिन हर आदमी के दिमाग में इस बात की चिन्ता है कि कहीं हमारी मिडल स्कूल भी कहीं प्राथमिक चिकित्सा की तरह ख़राब हो जायें।

माननीय मंत्री महोदय इस विषय पर आपको बहुत गहनता से चिंतन करना पड़ेगा। शिक्षाविदों के साथ में और जो ग्रास रूट में रहने वाले जो लोग हैं, शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं जो इन कमियों को जानते हैं, उनके साथ में बैठकर के किस तरह से हम इन मिडल स्कूलों का संचालन ढंग से कर सकते हैं। पूर्व में पंचायत राज को मिडल स्कूल दी गयी थी। आधी-अधूरी दी गयी थी। पूरा उनका नियंत्रण नहीं था, पूरा बोर्ड नहीं था और उसका नतीजा यह रहा कि पहला प्रयोग असफल रहा। इसलिए जब हम दूसरी बार प्रयोग करने जा रहे हैं तो मिल-बैठकर के हमको सोचना होगा, देखना होगा कि किस तरह से हम मिडल स्कूलों का प्रबंधन बेहतर कर सकें जिससे दुबारा हम पर यह आक्षेप नहीं आवें कि पिछली सरकार की तरह हमने भी एजुकेशन का बंटाधार कर दिया। यह सही बात है कि बी.डी.ओज. पंचायत समितियों का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है उसमें भी कहीं न कहीं हमारी सोच में गिरावट है। क्या कारण है, क्यों नहीं इस बारे में मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने लगभग 25-30 पंचायत समिति में आर.ए.एस. अधिकारियों को नियुक्त किया है। मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि सारी की सारी पंचायत समितियों में आप प्रशासनिक अधिकारी लगायें जिसकी अपनी हैसियत हो, जिसके पास अपनी पावर हो, जो तहसीलदार को और उससे नीचे भी लोगों को बुलाकर के कह सके। हम जो पूर्व में अनुभव कर चुके हैं। शिक्षा जगत से आये हुए अधिकारी, पशु चिकित्सा से आये हुए वेटरिनरी के डाक्टर्स वह कुछ दिनों के लिये आये। आज हमारे सबसे पहले जो काम हैं वह विकास के काम हैं उसमें अच्छा नियंत्रण हो, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हो और उस प्रशासनिक अधिकारी को सपोर्ट देने के लिए हर पंचायत समिति स्तर पर अगर बजट में प्रावधान हो असिस्टेंट इंजीनियर हो जो कंसट्रक्शन के कामों को देख सकें। आज सबसे बड़ी बात है मानिटरिंग की और गुणवत्ता की। पंचायत समिति में

(डा. करण सिंह यादव)

बनायी हुई सड़कों की तरफ जाकर के देखते हैं तो सड़कें, सड़कें नजर नहीं आती। कहीं खड्डे नजर आते हैं, कहीं कंकरीट नजर आती है और ऐसा लगता है कि कोई आदमी उनको मानिटर नहीं कर पाता इसलिए टेक्निकल साइड के लोग हों और दूसरे एजुकेशन साइड के लोग-बाग हों, जो शिक्षा के साथ-साथ में आपकी जितनी दूसरी योजनाएं हैं उन योजनाओं को भी क्रियान्वित कर सकें। ऐसी व्यवस्था भी प्रशासनिक ढांचा तय करे जो इन सब चीजों को देख सकें। पशु चिकित्सक आया, उसको कंस्ट्रक्शन का ए-बी-सी-डी पता नहीं, मेजरमेंट बुक कैसे भरी जाती है, सीमेन्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, सड़कों की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए इस बारे में उसको कोई अनुभव नहीं।

एक निवेदन मैं और करना चाहूंगा। यह पी. डब्ल्यूड़ी. को जो हम बजट देते हैं सड़कों के निर्माण करने के लिए। मेरे खुद का अपनी कॉस्टीट्एंसी का छोटा सा अनुभव है ज्यादातर कामों को उन्होंने टेकअप ही नहीं किया। कहने लगते हैं कि साहब इस बजट में तो यह सड़क बन नहीं सकती। और जो सड़कें पीडब्ल्यूडी. ने बनायी हैं उनकी गुणवत्ता इतनी कमजोर है कि उससे ज्यादा बेहतर रेपुटेशन ग्रामीण क्षेत्र में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनायी गयी सड़कों की मानते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह सड़कें कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से करवायें। कृषि विपणन बोर्ड भी अपना उसमें योगदान देवे और जो सड़कें बनें, कम बनें, छोटी बनें लेकिन जो बनें वह ऐसी बनें जो आने वाले 8, 10, 15 साल तक वह बनी रहें। ऐसा नहीं कि इस साल सड़क बनी है और अगली साल सड़क उठ करके वहां से कहीं दूसरी जगह, कहीं खड्डे पड़ गये, कहीं कच्चा पड़ गया। और बहुत सारी सड़कें जो बनी हुई हैं पचांयत राज के माध्यम से आम तौर पर गाडियां उस सड़क के साथ-साथ नहीं चलकर के सड़क के नीचे वाला जो कच्चा रास्ता है, उसमें बेहतर तरीके से हम जा सकते हैं। सड़क को तो एक तरफ छोड़ देते हैं कि यह तो दिखाने के लिए, नमूने के लिए है। इन सब चीजों की तरफ हमें ध्यान देना होगा। पंचायत राज के माध्यम से जो अन्य कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, पंचायत राज के पुनर्गठन की जो बात हे यह बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। माननीय वरिष्ठ सदस्यों ने इस बात को उठाया है कि आज सरपंच पंचायत समिति का मेम्बर नहीं है। सरपंच जो ग्राम विकास में सबसे पहला न्युक्लिअयस है, उसको पंचायत समिति का मेम्बर नहीं होने के नाते कई बार मजबूर होना पड़ता है, वहां के अधिकारियों के बीच में। अपने आपको बेचने के लिए, अपना काम करवाने के लिए ईमानदार से ईमानदार सरपंच को कई बार रिश्वत देकर अपने पैसे निकलवाने पड़ते हैं क्योंकि पंचायत समिति में उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती है। इसलिए पंचायत समिति के मैम्बर और जिला परिषद् के मैम्बर्स चुने गए हैं, निश्चित रूप से यह सैण्ट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के हिसाब से हैं लेकिन इन बातों पर भी ध्यान देना होगा

(डा. करण सिंह यादव)

कि मैम्बर को चुने जाने के बाद इनकी कहीं कोई महत्ता नहीं होती है। महत्ता उस दिन होती है जिस दिन अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाए, उस दिन उस सदस्य और मैम्बर की कीमत बढ़ जाती है। उस दिन हम दौड़ना भागना चालू कर देते हैं। यह जो थ्री टायर सिस्टम हमने किया है, उसके द्वारा यह थ्री टायर सिस्टम वाकई उपयोगी है या नहीं या हमारा पुराना जो सोचा-समझा तरीका था, जो पहले था, वही सिस्टम बेहतर है, उसके लिए अगर प्रावधान कानून में हम कर सकते हैं या केन्द्र सरकार को संशोधन के लिए कह सकें तो उस दिशा में भी अगर हम ग्राम स्वराज की कल्पना करते हैं तो इस दिशा में भी हमको सोचना पड़ेगा।

आपने पंचायत समितियों के माध्यम से एक काम और दे रखा है हैण्डपम्प संधारण का गांव-गांव में चले जाइए, आपने हैण्डपम्प के मिस्त्री पंचायतों को दे रखें हैं जो न पंचायत के अधीन होते हैं न पी.एचईडी. के अधीन रहते हैं। दोनों गांवों के लोग आपस में ढूंढते फिरते रहते हैं, जब मन मर्जी आए तो काम करे, उनसे कहे तो कहें कि हमारे पास उसको बदलने का ढाई गेज का टूल्स नहीं है, इन सब बातों की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। पेयजल की समस्या जो बड़ी भारी समस्या है, या तो यह सारा का सारा काम ही पी.एचईडी. के पास ट्रांसफर कर दिया जाए, पानी के बारे में पंचायत को कुछ नहीं लेना-देना या अगर हम कर रहे हैं तो सुनिश्चित करना पड़ेगा कि गांव में यह जो नया सर्विस कैडर क्रियेट किया है, वह कैडर जवाबदेह हो और जो तनख्वाह ड्रा कर रहा है, उसकी उपयोगिता देख सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ, पुनः इस आशा के साथ कि माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा के क्षेत्र में और खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को बड़ी भारी आशंका है। आज प्राथमिक शिक्षा हम अलग-अलग माध्यम से देने जा रहे हैं। लोक जुम्बिश भी जारी है, शिक्षा कर्मी भी जारी है, अनौपचारिक शिक्षा भी जारी है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी जारी है, सोलह सौ रुपए वाला भी जारी है, बाहर सौ रुपए वाला भी जारी है, कहीं बैठकर उसको एकीकृत कर सकें और गांव के बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे सकें तभी पंचायतीराज सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हेमाराम।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पंचायतों के पुनर्गठन का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया, उसमें भी खास तौर पर पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए एक हजार की जनसंख्या तक के ग्रामों के लिए पंचायतें बनाने का निर्णय लिया और इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समितियों के पुनर्गठन का आपने निर्णय लिया, वह आपने केवल उन पंचायत समितियों में से नई पचांयत समितियां बनाने

(श्री हेमाराम चौधरी)

का ही निर्णय लिया जिनकी आबादी दो लाख या उसके अधिक है।

सभापति महोदय, में मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कोई नई पंचायत समिति दो या तीन पंचायत समितियों से मिल करके बनती हो और उसकी नई पंचायत समिति बनने वाली है, प्रस्तावित हो, उसकी आबादी एक लाख से अधिक हो जाए, क्रोस कर जाए, तो उस नई पंचायत समिति बनने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और वर्तमान में जो पंचायत समितियां शेष रहती हैं, उनकी आबादी भी एक लाख से कम नहीं होगी तो फिर एक लाख से कम तो पंचायत समिति बन नहीं रही है, पंचायत समिति तो एक लाख से ज्यादा आबादी की ही बन रही है। सिर्फ उसमें एक में से दो नहीं हो रही है, तीन में से या दो में से दो की तीन हो रही है या तीन की चार हो रही है, उसमें मैं समझता हूं कि आबादी का क्राइटेरिया आपका पूरा हो जाता है। परंतु एक नई पंचायत समिति बनाने के लिए आपको दो पंचायत समितियां या तीन पंचायत समितियों में से नई पंचायत समिति बनानी पड़ेगी इसके लिए मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र गुढ़ामलानी तहसील के ग्रामों को तीन पंचायत समितियों में अभी सम्मिलित कर रखा है जबकि गुढ़ामलानी उप खण्ड है, तहसील है, यह उप खण्ड और तहसील होते हुए भी पंचायत समिति नहीं है और पंचायती राज की जब स्थापना हुई थी शुरू-शुरू में उस समय गुढ़ामलानी तहसील पंचायत समिति बनी थी परंतु उसको बाद में राजनीतिक कारणों से वहां से पंचायत समिति को हटाकर धोरी मन्ना में स्थापित कर दिया और गुढ़ामलानी से वह पंचायत समिति हटा दी। अब जब आप नई पंचायत समितियां बनाने जा रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि पंचायती राज की स्थापना के समय जिस पंचायत समिति की स्थापना हुई थी उसको वापस नई पंचायत समिति बना दें और उसकी आबादी भी एक लाख से कम नहीं होगी। पंचायत समिति सिणधरी की कुछ पंचायतें गुढ़ा के बिलकुल पास में हैं, सिणधरी जाना पड़ता है उनको। गुढ़ा पंचायत समिति बन जाने से उनको सिणधरी जाना दूर हो जाएगा। अब एक तहसील के गांवों को तीन समितियों में जाना पड़ता है और गुढ़ामलानी नई पंचायत समिति बनती है तो उसमें सिर्फ एक ही तहसील गुढ़ा, तहसील के गांव आएंगे दूसरी किसी तहसील का एक भी गांव नहीं आएगा, इसलिए एक तहसील एक समिति हो जाएगी और उसमें एक लाख से अधिक आबादी हो जाएगी, कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूं कि उसमें कोई कमी नहीं है, टैक्नीकली सिर्फ निर्णय की बात है। अभी आपने मंत्रिमण्डल में जो निर्णय लिया उसमें तो सिर्फ दो लाख से ऊपर की पंचायत समितियों का ही निर्णय लिया, मेरा सुझाव मैं आपको लिखित में दे दूंगा अलग से। आप जिलाधीश महोदय से इस बारे में जांच करवा लें, रिपोर्ट मंगवां लें, यह सारी तौर से उपयुक्त है, जनसंख्या की दृष्टि से भी उपयुक्त है, यदि उपयुक्त है तो उसको बनाने की आप मेहरबानी करें क्योंकि गुढ़ामलानी तहसील भी है, उपखण्ड भी है और विधान सभा

(श्री हेमाराम चौधरी)

क्षेत्र भी है और राजस्थान में इस बार रेकार्ड मतों से भी गुढ़ामलानी में जीत आपके कांग्रेस की हुई है। तो इतनी तो आप मेहरबानी कीजिए कि पंचायत समिति तो जब आप नई पंचायत समितियां कायम करने जा रहे हैं, दे दें।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : मंत्री तो नहीं बनाया लेकिन पंचायत समिति तो दे दो।

श्री हेमाराम चौधरी : वह आपका काम है, वह तो हमारा अपना काम है (व्यवधान) आपकी सिफारिश उल्टी पड़ जाएगी, आपकी सिफारिश की जरूरत नहीं है।

श्री अमराराम (पचपदरा) : आप गुढ़ामलानी को बालोतरा में रखेंगे या बाड़मेर में ?

श्री हेमाराम चौधरी : यह बालोतरा, बाड़मेर क्या है, बालोतरा से हमारा क्या लेना देना ? बालोतरा कहां बीच में आ गया ?

श्री अमराराम (पचपदरा) : बालोतरा को नया जिला बनाएंगे, यह आपके घोषणापत्र में है।

श्री हेमाराम चौधरी : नया जिला बनाने की मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो खुद पंचायत समिति के लिए प्रयास कर रहा हूं।

श्री सभापति : आप अपना टाइम फालतू न जाने दें।

श्री हेमाराम चौधरी : ये बीच में मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री सभापति : इनके डिस्टर्ब करने से डिस्टर्ब मत होइए। आपका टाइम कट जाएगा, डिस्टर्ब मत होइए।

श्री हेमाराम चौधरी : सभापति महोदय, ये मेरे पड़ौसी हैं। यह चाहते हैं कि हेमाराम के पंचायत समिति न बने, इसलिए बीच-बीच में खुराफात करते रहते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि मेरे से पूर्व अमीन खानजी ने भी निवेदन किया कि हमारे जैसलमेर ज़िले में अध्यापकों की बहुत कमी है। प्राथमिक विद्यालयों में हजारों की तादाद में अध्यापकों के पद रिक्त हैं और जिला परिषद् ने अध्यापको की भर्ती के लिए आवेदन भी मांगे थे, उनकी मैरिट लिस्ट भी बन गई और उनको नियुक्ति पत्र जारी करने वाले थे। परंतु उसके बाद में कोई मामला हाई कोर्ट में चला गया, और इसकी वजह से करीब साल भर होने को आया और वे नियुक्तियां अभी भी अटकी हुई हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला हाई कोर्ट में बिना वजह लटका हुआ है। अगर देखा जाए तो मामला हाई कोर्ट का है ही नहीं क्यों सरकार इस मामले में हाई कोर्ट में ले जाकर लटका रही है, इसके बारे मे थोड़ा-सा निवेदन करना चाहूंगा। सीनियर सैकण्डरी राजस्थान में पास करते हैं, उसमें कई सब्जैक्ट्स में पास करते हैं।

आर्टस भी है, साइंस भी है, कॉमर्स भी है और व्यावसायिक शिक्षा भी है। सरकार ने यह पाठ्यक्रम व्यावसायिक शिक्षा का 10+2 में शुरू किया और मुझे याद है उस समय बाड़मेर जिले में किसी ने कॉमर्स ले ली, किसी ने आर्टस, किसी ने साइंस ले ली। उन लड़कों को वह फैकल्टी छुड़वा

(श्री हेमाराम चौधरी)

कर बाद में वे सब्जेक्ट छुड़वाकर उनको व्यावसायिक शिक्षा दिलायी। इसलिए दिलायी कि रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम हम चालू करना चाहते हैं, ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं जिससे कि वे रोजगार अपने आप प्राप्त कर सकें। यह शिक्षा आपने दिलायी और 10+2 की बराबर 12 साल तक उन्होंने पढ़ाई की। उसमें कोई अलग नहीं है, वही स्कूल है, वही टीचर्स हैं पढ़ाने वाले, सिफ उसमें सब्जेक्ट व्यावसायिक शिक्षा था। बाद में पता नहीं क्या हुआ कि यह कहा कि यह व्यावसायिक शिक्षा वाले एस.टी.सी. टीचर्स के लिए क्वालिफाइड नहीं है जबकि उनको बाद में एस.टी.सी. व बी.एड. करवाई गई हैं। तो जब वे क्वालिफाइड नहीं थे तो आपने उनको एस.टी.सी. में क्यों प्रवेश दिया, आपने उनको बी.एड. में प्रवेश क्यों दिया ? उसने एस.टी.सी. कर ली, बी.एड. कर ली, अब आप पीछे जा रहे हो, 10+2 की बात कर रहे हो सीनियर सैकण्डरी की। सीनियर सैकण्डरी में व्यावसायिक शिक्षा है इसलिए हम इनको नहीं मानते, अध्यापक के पद पर लगा नहीं सकते। यह कैसी विडम्बना है, मेरी समझ में नहीं आई कि सरकार के यह बात किस प्रकार बैठी हुई है। माननीय मंत्रीजी से भी इस संबंध में बात की, मंत्री जी ने कहा कि मामला डी.बी. में चल रहा है, पहले सिंगल बेंच के डिसीजन्स हुए, दो अलग-अलग डिसीजन हुए। एक डिसीजन व्यावसायिक शिक्षा वालों के पक्ष में हुआ, एक उनके खिलाफ हुआ। इसलिए अब डी.बी. में गए हैं कि किसको मानें। किसको क्या मानों, बात तो सरकार के ऊपर ही है, सरकार कह दे हम तो इसको मानते हैं तो फिर दूसरा कौन है ? एक सरकार के पक्ष में हुआ, एक सरकार के खिलाफ हुआ। सरकार कह दे हम एस.टी.सी., बी.एड. जो कि हुए हैं वे ठीक हैं। आपने ही तो एस.टी.सी. व बी.एड. करवाई है और अब आप कह रहे हो कि तुम क्वालिफाइड नहीं हो। इसलिए उनको लगा नहीं रहे हैं। बड़ी अजीब स्थिति बन रही है। (व्यवधान) मैं तो कह रहा हूं यह हाईकोर्ट में मामला गया ही क्यों ? मामला तो इसलिए गया कि सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा वालों को अध्यापक के पद पर लगाने से मना कर दिया कि हम आपको नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि आपने व्यावसायिक शिक्षा में सीनियर सैकण्डरी की हुई है। उस समय व्यावसायिक शिक्षा में सीनियर सैकण्डरी सरकार ने ही कराई। स्कूलें तो ये गवर्नमेंट की ही हैं, दूसरी कौनसी स्कूल थीं, प्राइवेट स्कूलों से करके थोड़े ही आए हैं। उसके बाद आपने उनको एस.टी.सी. में एडमिशन दिया, बी.एड. में एडमिशन दिया, एस.टी.सी., बी.एड. कर ली राजस्थान से और यही नहीं, सभापति महोदय, इस साल जो एस.टी.सी. की भर्ती हुई है उस एस.टी.सी. में भी इन व्यावसायिक शिक्षा वालों को प्रवेश दिया गया है, आज भी वे एस.टी.सी. कर रहे हैं व्यावसायिक शिक्षा वाले। दूसरी तरफ आप उनको क्वालिफाइड नहीं मान रहे हैं। यह विसंगति है या क्या है ? इसको फिर कौन दूर करेगा ? इसको आप दूर क्यों नहीं करते और करके इस समस्या का हल क्यों नहीं करते और हल करके अध्यापकों की जो कमी है उसको दूर क्यों

(श्री हेमाराम चौधरी)

नहीं करते ? आज गांवों में पढ़ाने वाले अध्यापक ही नहीं हैं।

श्री नारायण सिंह : विधि मंत्री सहमत हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : विधि मंत्री बैठे हैं, विधि विभाग से राय मंगवा लें, इसमें है क्या ?

श्री सभापति : मैटर सब-जुडिस है, आप तो बोलो अपनी बात।

श्री हेमाराम चौधरी : मैटर तो सब-जुडिस है, लेकिन मैटर है किसके बीच में ? झगड़ा तो दो पक्षों में हैं सरकार और व्यावसायिक शिक्षा वालों के बीच में मैटर सब-जुडिस है। और इसमें पक्ष कौन हैं ? इसलिए सब जुडिस सरकार मान ले। सब-जुडिस क्या है ? अदालत में कोई जबर्दस्ती तो उसको घसीटना नहीं चाहती है, दोनों पक्ष राज़ी है फिर भी हम इसको लेकर चलाएंगे, यह तो मामलों नहीं है। इसलिए आप इसका फैसला कर दें और फैसला करके उन अध्यापकों को लगावें। इतने साल से एस.टी.सी., बी.एड. करके बैठे हुए हैं, स्कूलों में अध्यापक है नहीं, अध्यापकों की कमी भी दूर हो जाए। इसलिए यह आपके माध्यम से मेरा निवेदन है, आप इस पर शीघ्र फैसला करें। सभापति महोदय, हमारे अध्यक्ष महोदय पहले प्रतिपक्ष के नेता थें उस समय उन्होंने मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी को पत्र लिखा था कि हमारे यहां बाड़मेर जिले की जो स्थिति है, पत्र को मैं पढ़कर सुनाऊं तो समय लगे, कोई मतलब नहीं , उन्होंने पत्र लिखा। तो उस समय तो हम मांग कर रहे थे, हमारे प्रतिपक्ष के नेता मांग कर रहे थे। हम कर रहे थे, हमारी पार्टी कर रही थी और आज हमारी सरकार आये चार महीने हो गए, अब हम कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो फिर यह हमारी कमजोरी नहीं है क्या? इसलिए आप इस पर ध्यान दें और उन अध्यापकों को लगाने की मेहरबानी करें।

दूसरा, सभापति महोदय, अभी बात चल रही थी पंचायत समितियों के काम-काज की। हमारी धोरीमन्ना पंचायत समिति में बहुत लम्बे समय से जीप ही नहीं है। जिला परिषद के पास जीप है ही नहीं। अब बिना गाड़ी के पंचायत समिति में काम नहीं चलता। धोरीमन्ना पंचायत समिति में 47 पंचायतें हैं और पंचायतों के माध्यम से आज गांवों के विकास का काम होता है। अब विकास अधिकारी, जेईएन. या एस.डी.आई. हैं, स्कूलों को देखने का काम हैं, आखिर वे बिना गाड़ी के कैसे सुपरविजन करें, कैसे काम देखें, कैसे पंचायत समिति को चलावें। हमने निवेदन किया कि पंचायत समिति की खुद की निजी इनकम है, उस निजी आय में से जीप खरीदने की आप स्वीकृति दे दीजिए। आपसे तो सिर्फ स्वीकृति मांग रहे हैं, आप दे दीजिए हम जीप खरीद लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। अब निजी आय में से जीप खरीदने की आप स्वीकृति नहीं दो, जिला परिषद की निजी आय है उससे भी आप जीप खरीदने की स्वीकृति नहीं दो तो फिर अपने आप ही जादू से कोई काम चलेगा ? चलेगा तो बात अलग है, बाकी तो बिना साधन से तो पंचायत

(श्री हेमाराम चौधरी)

समितियों का काम मैं समझता हूं कम से कम चलने का सवाल नहीं है। अब आप कह रहे हो विधायक पंचायत समिति से अपने क्षेत्र में दौरे के लिए जीप ले सकते हैं। विधायक तो बहुत दूर की बात है समिति में जीप है ही नहीं। इसलिए मेहरबानी करके आपके पास पैसा नहीं हो, सरकार के पास पैसा नहीं हो, विभाग के पास नहीं हो तो हमें नहीं चाहिए आपके पास से पैसा। हमें तो सिर्फ आपकी एक स्वीकृति चाहिए, वह हमें आप दिला दो, हम अपने आप जीप खरीद लेंगे। पैसा हमारे पास पड़ा है पंचायत समिति के खुद के और जिला परिषद के खुद के। प्रमुख के पास भी जीप नहीं है। अधिकारों की बात करते हो। अब प्रमुख कहां जाए, कैसे जाएं, किससे जाए ? इसलिए आप मेहरबानी करके इस पर गौर करने की कृपा करें।

दूसरा में थोड़ा सा निवेदन करना चाहता था भ्रष्टाचार की भी काफी बात चली। होता है, रोकना भी काफी कठिन है। प्रयास रहते हैं, इसमें कुछ ठीक हो सकता है। केवल सरपंचों को ही भ्रष्ट कहा जाए, यह भी नहीं है। इसके ऊपर कितने उनके लागू हैं, कितनी उनको परेशानियां होती हैं, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। पैसे के बिना तो काम का कायदा ही नहीं रहा, पर पैसा ढंग से लें तो काम चल सकता है। पैसा भी थोड़ा-बहुत नहीं, गहरा मारते हैं। इससे कई बार तो बड़ी मुसीबत आती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था, फिर भी आप सुधार करने की कोशिश करेंगे, मंत्री जी चाहते हैं इसलिए मुझे विश्वास है कि इसमें कोई न कोई सुधार होगा। काफी सुझाव तो दे दिए हैं, लेकिन मैं निवेदन कर रहा था। कि इस पंचायती राज के माध्यम से जितने भी पक्के काम हुए, भवन बने, इनकी मरम्मत का कोई प्रावधान नहीं है। मरम्मत के लिए बजट बिलकुल भी नहीं है। दसवें वित्त आयोग में 10 पर्सेन्ट राशि, मामूली राशि मिलती है उसमें से 10 पर्सेन्ट मरम्मत के लिए खर्च कर सकते हो। आखिर वह क्वालिटी कमजोर होती है वह बात अलग है, लेकिन अच्छी क्वालिटी के मकान अगर बनाये गये हैं, आज से 15-20 साल पहले बने हैं, क्या वे मरम्मत नहीं मांगेंगे ? उनकी टीपें दुबारा नहीं करनी पड़ेगी, क्या उनके रंग-रोगन नहीं करना पड़ेगा, थोड़ी-बहुत छत भी ठीक नहीं करनी पड़ेगी ? मामूली-सा काम है, 10-20 हजार रुपये का भी अगर मरम्मत का है वह अगर समय पर नहीं होता है तो पूरा मकान जीर्ण-शीर्ण हो जाता है। इसलिए मरम्मत के बारे में आप देखें। कभी रिपोर्ट मंगवा लें, एस्टीमेट मंगवा लें, उसके बाद में मरम्मत बहुत जरूरी है। घर का मकान भी होता है, अपन एक साल नहीं, दो साल नहीं, तीसरे साल तो सफेदी करवाते हैं, कुछ न कुछ करवाते हैं, लोग तो सालों-साल करवाते नहीं, दूसरे साल तीसरे साल, कभी न कभी तो करवाते हैं। इसलिए मरम्मत के बारे में भी ध्यान दें। मरम्मत नहीं करवाएंगे, चाहे वह मजबूत भी है फिर भी वह गिर जाएगी, धीरे-धीरे उसमें थोड़ी-बहुत खराबी शुरू हो गई, टीपें टूट गई, बरसात में पानी

(श्री हेमाराम चौधरी)

टपकने लग गया, इसलिए मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा–

श्री अमराराम (पचपदरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं इनकी धर्मपत्नी सरपंच है, उसने ऐसे काम किए हैं इतने बढ़िया कि कभी मरम्मत करनी ही नहीं पड़ेगी। ऐसे सब बनाते तो फिर कभी ऐसे हो ही नहीं।

श्री हेमाराम चौधरी : मरम्मत तो करानी ही पड़ेगी। नहीं करानी पड़े यह तो आप–

श्री हीरालाल विश्नोई : ये तो आपके अच्छे कामों की तारीफ कर रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : वह तो आपकी मेहरबानी है।

श्री हीरालाल विश्नोई : अच्छे काम की तारीफ कर रहे हैं, अगर ऐसे काम सब हो जाएं तो मरम्मत कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

श्री हेमाराम चौधरी : सरपंच तो अब जैसे सब पब्लिक चुनती है उनमें से वो भी होंगे। (व्यवधान) सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह भी मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि 10 वें वित्त आयोग की राशि, आप देखें, 10 वें वित्त आयोग की जो राशि है, उसको 4-5 भागों में बांट रखा है। 4 हजार रुपये किसी में आते हैं, 5 हजार रुपये किसी में आते हैं, 2 हजार रुपये किसी में आते हैं। कई पंचायतों को बहुत कम 10 वें वित्त आयोग का पैसा मिला। अब वह राशि कोई काम आ नहीं रही है। क्योंकि उतने पैसों से कोई काम होता ही नहीं है। उसको अगर एक हैड में ही खर्च करने की अनुमति दी जाए तो वह पैसा खर्च तो–

(16.00 बजे)

श्री सभापति : आप अपने भाषण को थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी : बहुत-सी पंचायतों के 10 वें वित्त आयोग का जो पैसा मिला है वह खर्च नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वह अलग-अलग 4-5 योजनाओं में थोड़ा-थोड़ा बंट गया है। अब थोड़े से तो काम होता नहीं है। 5 हजार रुपये से तो कोई काम बन सकता है, मरम्मत के लिए 10 प्रतिशत से ज्यादा उसमें खर्च कर नहीं सकते। बाकी दूसरा नया काम करवाओं तो वह तो हो नहीं सकता। इसलिए उसको आप देखें, मैंने आपको पत्र भी लिख दिया था। इसलिए मैं मंत्री महोदय, से निवेदन करता हूं, खासकर पंचायतों के पुनर्गठन का आपने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो पंचायतो का पुनर्गठन होगा, वो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो पहले पंचायतों का पुनर्गठन किया था, वह तो इन्होंने बिलकुल राजनीतिक दृष्टिकोण सामने रखकर उस आधार पर किया था। इनको अपने किसी आदमी को सरपंच बनाना था। उसको बनाने के लिए एक गांव को कहीं से डाल दिया एक गांव को पंचायत मुख्यालय के बीच में 20 किलोमीटर दूर गावं था तो उसको भी कहीं घुमाकर, उसको बीच में डाल दिया, घुसा दिया। क्योंकि उसके पक्ष के लोग थे, इससे क्या है, उनका सरपंच

(श्री हेमाराम चौधरी)

बन जाए। इन्होंने पंचायती राज का बिलकुल सत्यानाश कर दिया। इस सत्यानाश को सुधारना तो अपने को ही पड़ेगा, अपन सुधारेंगे जब ही सुधरेगा। अपन केवल उनके बारे में कहते रहें, जो कुछ उन्होंने किया उसका तो फैसला हो चुका। इससे ज्यादा तो सजा मेरे ख्याल से कोई इनको दे नहीं सकता। (व्यवधान) जो मैग्जीमम पनिशमेंट है, कानून में, वह इनको मिल गया। इससे ज्यादा इनको मिल नहीं सकता। जो इन्होंने गलत काम किए हैं पंचायतों के पुनर्गठन के, इन्हें आप वापस ठीक करें। पंचायतों के नये सिरे से गठन करने का निर्णय लिया, इसका मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री समरजीत सिंह। (व्यवधान) 3-1 का रेशो है, उसके बाद आपका नम्बर है। (व्यवधान)

श्री समरजीत सिंह : माननीय सभापति महोदय, —(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमें तो मालूम है हम 33 हैं (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप तो पूरी सरकार हो आप को तो सरकार चलानी है (व्यवधान) लेकिन थोड़ा इसका तय करना पड़ेगा। दो प्लस वन—

श्री जीतमल : हमारे साथ में न्याय नहीं करोंगे ? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप लोग तो 33 हो और हम 153 —(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : 150 और 50 की संख्या मानो कम से कम दो प्लस वन (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, यह परम्परा रही है बजट पर भी और बजट के बाद मांग पर भी, पहला स्पीकर प्रतिपक्ष से होता है। इस बार सदन के कार्य मंत्री जी ने यह परम्परा तुड़ा दी और सत्ता पक्ष से ही पहला स्पीकर होने लग गया। उसके बाद भी सभापति महोदय, कम से कम अगर प्रतिपक्ष के विचार नहीं आएंगे, सुझाव नहीं आएंगे, तो इस बहस का अर्थ क्या रहेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : ऐसा है, सत्तापक्ष के विचार के बाद आप अपने उन विचारों को रखिए जिससे उनमें सुधार हो सके। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, बार-बार यह कहना आप 33 हो, आप 33 हो, यह क्या ? 33 तो हम हैं। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : दो उधर से बोलें एक इधर से बोले, तीन एक का रेशो नहीं रहना चाहिए। (व्यवधान)

श्री जीतमल : यहां से अन्याय होना शुरू हो जाएगा तो फिर आगे क्या होगा ? (व्यवधान)

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल) : माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज की मांग पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं मुख्य मंत्री जी एवं पंचायत राज मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि

(श्री समरजीत सिंह)

इन्होंने गांव की मुख्य समस्या, जो 4-5 पंचायतों के ऊपर एक ग्राम सेवक होता है, उसकी तरफ ध्यान दिया और घोषणा की कि हर पंचायत में एक ग्राम सेवक की व्यवस्था करेंगे। यह जरूरी है। क्योंकि हर गांव में आज गरीब को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है ग्राम सेवक से। चाहे उसे किसी तरह का सर्टिफिकेट लेना हो, एन.ओ.सी. लेनी हो; उसके लिए उसे, 4-5 गांव में एक ग्राम सेवक होता है तो जगह-जगह भटकना पड़ता है और काम भी नहीं हो पाता है। इस चीज के लिए यह बड़े बधाई के पात्र हैं। इसी तरह से पंचायत मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि जो जेईएन. है, यह समिति में दो-तीन समिति मे एक जेईएन. है उससे भी काफी तकलीफ होती है। इस समस्या को भी सुलटाया जाए और हर एक पंचायत समिति पर एक काबिल जेईएन. रखें ताकि समय पर कार्यों का निस्तारण हो। डी.आरडीए. को जिला परिषद को सौंपने का जो निर्णय हुआ है उसके ऊपर काफी बात कही जा रही है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि एक कोशिश तो की। 4 साल हो गए जिला परिषद के चुनाव हुए, सिर्फ बातें होती थीं। डीआरडीए. को, जिला परिषद को जिला प्रमुख को सौंपा जाएगा। एक साहस दिखाया है, उसे सौंपा है, उसके बावजूद कि सारे विधायक चिंतित हैं कि हमारे अधिकार क्या रह जाएंगे। इसके उपरान्त भी यह कोशिश की गई है। इन्होंने और पंचायत स्तर पर अधिकार देने की कोशिश की है। अब 4 महीने हुए हैं उम्मीद रखते हैं कि यह भी जल्दी हो जाएगा। 4 साल में नहीं हुआ 4 महीने में इतनी उम्मीदें तो रखते हैं। एक अन्य योजना जो प्राथमिक शिक्षा केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की है, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। कई शंकाएं प्रकट की गई कि क्या यह सफल होगी कि नहीं ? योजनाएं बनती हैं, सफलता तो आगे बताएंगे कि सफल कितनी होती है उससे तो बेहतर है कि साक्षरता कार्यक्रम पर जो करोड़ों रुपये खर्च कर दिए जाते हैं और जिसको पूछने वाला कोई नहीं होता, संभालने वाला नहीं होता, उससे बेहतर तो है कि आज गांव-गांव में बसने वाले, ढाणी-ढाणी में बसने वाले लोगों को एक उम्मीद हुई, क्योंकि मेरे इलाके जालोर, बाड़मेर, उस तरफ तो गांवों से काफी दूर लोग ढाणियों में बसे हुए होते हैं। ढाणियों से छोटे-छोटे बच्चों को गांव तक 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर भेजना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में ढाणियों मे आस पास 40 बच्चों की सुविधा के साथ में अगर प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोले जाएं तो एक स्वागत योग्य कदम है, और निश्चित रूप में सफल होगा। शंकाएं व्यक्त की गई कि 8वीं पास शिक्षक क्या पढ़ाएगा ? 8वीं तो मिनिमम है। और मेरे बुजुर्ग, शिव से आने वाले विधायक ने बहुत अच्छी बात कही कि गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है, गांव का ही व्यक्ति जब शिक्षा केन्द्र पर स्थापित होगा तो निश्चित तौर पर गांव के लोग

(श्री समरजीत सिंह)

भी उस तरफ ध्यान देंगे उसे चैंक करेंगे, वरना जो बाहर से आते हैं प्राथमिक शिक्षा स्कूल जो चल रही है, बाहर से आते हैं तबादले लेकर चले जाते हैं। आज 5वीं तक ऐसी कई स्कूलें हैं जहां पर सिर्फ एक शिक्षक 5वीं तक कक्षाएं चलाता है। उससे तो बेहतर है इसलिए यह स्वागत करने लायक है और मैं विपक्ष से भी चाहूंगा कि इसका स्वागत करें।

पचांयत मंत्री को, जो वर्तमान में विद्यमान स्कूलें हैं उसके अंदर भी शिक्षकों की कमी है उसकी तरफ भी पूरा ध्यान देना चाहिए। चूंकि शिक्षा व्यवस्था शिक्षकों की कमी से भी काफी ढीली रही है। जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, जो यह नई थ्री टायर योजना शुरू की गई थी उसके बारे में जो पुनर्विचार की बात की जाती है यह सही है। क्योंकि जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य जब चुने गए थे तो सिर्फ एक बार मतदान करने के बाद आज तक उनके पास कोई काम नहीं। अगर आप इस व्यवस्था को जारी भी रखना चाहते हैं तो मैं सुझाव दूंगा कि इस तरह से इसे जारी रखिए कि कोआर्डिनेशन बैठे कि पंचायत के कार्य में भी उसका दखल हो, क्योंकि जिला परिषद सदस्य का पंचायत में कोई दखल नहीं रखता है सरपंच अपने तरीके से कार्य करता है। या पंचायत समिति सदस्य का भी चैक होना चाहिए ताकि ग्राम के सरपंच को भी चैक किया जा सके। गांवों में जो ग्राम सभाएं आयोजित होती है मैं उनके प्रति भी चिंता व्यक्त करना चाहूंगा कि सिर्फ कागजों में होकर रह गई। सरपंच जो चाहता है अपने प्रस्ताव लिख देता है और वही आगे चली जाती है। तो ऐसा कोई कदम उठाया जाए ताकि इनकी सार्थकता रहे, वरना सिर्फ कागजी हैं यह कहने में मुझे कोई हिचक नहीं।

पंचायती राज द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं। आई.आर.डी.पी. की जो योजना है, गरीब परिवारों के रोजगार के लिए, चयनित परिवारों के लिए, इसमें भी जो बी.पी.एल. का सेंसस हुआ था उसमें हकीकत है कि आज भी गांवों में गरीब परिवार बाकी रह गये हैं। उसके बारे मे कोई कदम उठाये जाएं, उस पर पुनर्विचार किया जाए कि जो बाकी रह गये हैं उनका पता लगाया जाए और वापस उनको जोड़ा जाए। क्योकि जो गरीबी की लाइन से नीचे के लोग हैं उनके लिए यह योजना है और जब वे ही पीछे रह जाएंगे तो हम किसको सुविधा उपलब्ध करायेंगे। इसके उपरांत आई.आर.डी.पी. के लिए बैंक और समिति में कोई को-आर्डिनेशन नहीं है। बैंक के पास जाते हैं तो समिति वालों के पास भेजते हैं और समिति वाले बैंक के पास भेजते हैं। इस तरह से वे चक्कर निकालते ही रह जाते हैं। तो इस पर भी गौर कर इसको इस तरह से आसान किया जाए कि गरीब व्यक्ति को दर-दर भटकना नहीं पड़े।

(श्री समरजीत सिंह)

इसी तरह से एक ट्राइसम योजना चलती है। उसमें मैं मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि ट्राइसम योजना के अन्तर्गत आई.टी.आई. के जो प्रशिक्षण केन्द्र हैं, ये सारे सिर्फ जिला लेबल पर चलाये जाते हैं। इन्हें ब्लॉक लेबल पर शुरू करें क्योंकि गरीब व्यक्ति को आप ट्रेंड करने के लिए भेज रहे हैं। मेरे जालौर जिले में भीनमाल वहां से 70 किलोमीटर है और सांचोर 150 किलोमीटर है। तो एक ट्रेनिंग के लिए गरीब व्यक्ति जिला मुख्यालय पर भाग-भाग कर नहीं जा सकता। इसलिए ब्लॉक लेवल पर भी इसकी व्यवस्था की जाए।

इसी तरह से अपना गांव अपना काम की जो योजना चलती है, सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि लोग बड़ी उम्मीदों से, जनसहयोग से पैसा इकट्ठा करके इसके लिए पैसा जमा कराते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे सहयोग से भी हमारे गांव में काम खुलेगा। इसमें उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। समय पर डी.आर.डी.ए. से पैसा रिलीज नहीं होता। मेरे तो भीनमाल क्षेत्र में ऐसे कई गांव हैं जहां 4-4 साल से अभी तक पैसा रिलीज नहीं हुआ है और क्रियान्वित नहीं हुआ है। उनका पता लगाया जाए और देखा जाए और इस व्यवस्था को भी इस तरह से किया जाए ताकि लोग हतोत्साहित न हो और अपने गांव के विकास के लिए जुड़ें।

इसी तरह से इन्दिरा आवास योजना जो चलती है जिसमें 16 हजार रुपये मकान बनाने के लिए दिये जाते हैं। उसमें भी फिर वही सरपंच, बी.डी.ओ. के चक्कर काटने पड़ते हैं और कई बार उस 16 हजार में से कितना ही पैसा खर्च करना पड़ जाता है रकम लेने के लिए। यह पंचायतों को दे दिया जाए और सरल किया जाए।

अन्त में, सरकार की नीति के लिए तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इन्होंने एम.एल.ए. बजट को, विधायक बजट को 10 से 25 करके एक इंडिकेशन दिया है कि कितनी आसानी से विधायक अपने क्षेत्र का विकास कर सकेंगे। क्योंकि उसे भी जनता ने चुनकर भेजा है, उसे भी अपने क्षेत्र की चिन्ता होती है और वह अपने विवेक से विकास के कार्य खुलवा सके।

अन्त में, मैं पुनः इस मांग का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रमजान खान।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 41 और 28 पर आपके माध्यम से मंत्री महोदय के सामने कुछ बातें रखना चाहूंगा।

सर्वप्रथम तो जैसा कह रहे हैं कि कांग्रेस का जैसे ही शासन आया और जन-प्रतिनिधियों को बहुत सम्मान मिला है इसका एक छोटा सा उदाहरण आपके माध्यम से मंत्री महोदय और सदन को बताना चाहूंगा कि जब पंचायत समिति की बैठकें होती है, वहां पर एम.एल.ए. मौजूद होता है। एम.पी. मौजूद होता है, सरपंच भी मौजूद होते हैं, पंचायत समिति के सदस्य भी होते हैं, प्रधान भी होता है। परन्तु जब अधिकारियों को पत्र भेजकर बुलाया

(श्री रमजान खान)

जाता है तो, एक या दो का तो मैं कह नहीं सकता कि कोई भूले भटके आ जाएं, वरना अधिकारी तो पंचायत समिति की बैठकों में आने में अपनी तौहीन समझते हैं। फिर पता नहीं कैसे आप जन-प्रतिनिधियों को सम्मान दे रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इन अधिकारियो को तो विशेषकर जो इनके हैड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उनके द्वारा हिदायत भेजें कि जब-जब भी पंचायत समिति की बैठक हो तब जितने भी सम्बन्धित अधिकारी हैं, जिनके पास पत्र जाएं वे निश्चित रूप से बैठकों में उपस्थित हों ताकि जन-प्रतिनिधिगण अपनी बात उन बैठकों में कह सकें।

इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों को तो मेरे विचार में यह सरकार भी भूल गयी और यहां पर काफी माननीय सदस्यगण बोले हैं उनमें से ज्यादातर ने इन पर जोर नहीं दिया। पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य जहां 25 हजार और 10-15 हजार वोटों पर जीतकर आते हैं और उनको अधिकार नाममात्र का भी नहीं मिला हुआ हैं। जब यह मानदेय भत्ता बढ़ाया गया तो सरपंच को भी मानदेय भत्ता दिया गया प्रधान को भी मानदेय भत्ता दिया गया, प्रमुख को भी दिया गया, इनको तो मानदेय भत्ता दे दिया गया और यहां तक कि नगर पालिका और नगर परिषदों के अन्दर वार्ड मैम्बर जो होते हैं, उनको भी मानदेय भत्ता दे दिया गया। परन्तु जहां जिला परिषद के सदस्य और पंचायत समितियों के सदस्य हैं, इनको मानदेय भत्ता तो अलग बात है, ये जब बैठकों में जाते हैं तो ईमानदारी की बात है कि इनको, जो ये बैठकों में अटेंड होते हैं उसका भी भत्ता नहीं मिलता है। अब यह बात सही है कि संविधान के 73वें संशोधन के अन्दर जो ढांचा केन्द्र सरकार के द्वारा बनाया गया उसको तो आप नहीं बदल सकते परन्तु उस 73वें संविधान संशोधन के अन्दर यह प्रावधान भी रखा गया है कि अधिकार देना तो राज्य सरकार के हाथ में है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत जल्द चुनाव होने जा रहे हैं इसलिए पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य भी चुनाव लड़ेंगे। तो इनके भी कोई अधिकार सुनिश्चित करें ताकि ये अपने आपको यह महसूस करें कि हम भी जन प्रतिनिधि हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह सही बात कह रहा हूं कि इस बार तो जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव लड़ने वाला, पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव लड़ने वाला आपको मिलेगा ही नहीं, मुश्किल हो जाएगा।

दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिला परिषद के सदस्य का एरिया पंचायत समिति क्षेत्र में आता है और पंचायत समिति के प्रधान उनको बुलाते नहीं हैं। इसलिए नहीं बुलाते हैं कि वह वहां पर खिलाफत करेगा। पंचायत समिति का वह मैम्बर नहीं है, जिला परिषद का सदस्य है। इसलिए इसका भी प्रावधान किया जाए कि जिला परिषद का सदस्य भी पंचायत समिति की बैठकें अटेंड करें। माननीय

(श्री रमजान खान)

सभापति महोदय, यह अधिकारियों का मामला तो बहुत ही जरूरी है। जब जिला कलेक्टर की बैठक, समस्या समाधान शिविर होता है तो सब के सब अधिकारी जिला कलेक्टर के डर से वहां चले जाते हैं और पंचायत समिति की बैटक होती है तब कोई जाता ही नहीं है। ग्राम पंचायत की बैठक में तो पटवारी और सम्बन्धित अधिकारी जो वहां पर जाने चाहिए वह तो कभी जाते ही नहीं। ग्राम पंचायत की बैठक तो ऐसे ही चुपचाप हो जाती है जिसका गांव वालों को पता ही नहीं लगता कि बैठक हो गयी।

इसके अलावा, सभापति महोदय, शिक्षा पर काफी बातें हुई हैं। शिक्षा के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत समितियो के माध्यम से, पंचायती राज के माध्यम से जो प्राथमिक शिक्षा का कार्य चल रहा है उसकी बहुत ही खराब हालत है। आप किसी भी प्राथमिक विद्यालय में, किसी भी गांव में जाकर बच्चे का इम्तिहान ले लें और उसमें से 75 प्रतिशत बच्चे अगर जोड़ बाकी बता दें तो मैं ईमानदारी से बात कहता हूं कि इस सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। 75 प्रतिशत बच्चे पांचवीं क्लास के जोड़ बाकी नहीं जानते हैं। सभापति महोदय, उसका मुख्य कारण यह है कि, मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूं लेकिन महिला अध्यापिकाओं के कारण इतनी परेशानी आती है पंचायत समितियों में कि महिला अध्यापिकाएं लगाने के लिए महिला अध्यापिका चाहती है कि सड़क के किनारे जाएं, महिला अध्यापिका चाहती है कि हम दूर नहीं जाएं, महिला अध्यापिका चाहती है कि हम शहर के आस-पास रहें। तो एक-एक स्कूल में जहां 4-4 मास्टरों की इंटिरियर गांवों में जरूरत है वहां तो अध्यापक एक है और जहां पर एक की जरूरत है. वहां पर 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 महिलाएं लगा रखी हैं। महिला अध्यापिकाओं की सिफारिशें इतनी होती हैं कि उनको ऑन डेपुटेशन भेज दिया जाता है। अब बच्चे तो जाते हैं और वह समय पर आती नहीं हैं और आती हैं तो स्वेटर बुनती रहती है। सभापति महोदय, मैं सात साल तक प्रधान रहा हूं और मुझे अनुभव है इस चीज का। सभापति महोदय, मैंने स्कूल में जाकर चैक किया, यह हंसने की बात नहीं है, हकीकत है।

एक दिन मैं उधर गया। मुझे गांव वालों ने शिकायत की, इस स्कूल के अन्दर यह मास्टरनी जी ब्यावर से आती है, वह समय पर आती नहीं है तो मैंने कहा कि मैं 2-3 दिन में आकर चैक करूंगा। मैं गया। मैं कम से कम डेढ़ घंटे वहां पर रूका रहा और जब वह मास्टरनी जी आई तो मैंने उनसे पूछा कि बहनजी, आप लेट क्यों आई तो वह कहने लगी कि मेरे बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कराकर फिर आई। मैंने कहा, आपको तनख्वाह तो इन बच्चों के लिए मिलती है, अपने बच्चों के लिए थोड़े की मिलती है, आपको पतिदेव के लिए थोड़े ही मिलती है। वह बोली, नहीं साहब, वह भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। अब विचार कर लो। यह शिक्षा का स्तर कैसे इस पंचायती राज में सुधरेगा..

श्री अमराराम (धोद) : आपने सस्पैंड कर दिया ?

श्री रमजान खान : नहीं, मैंने सस्पैंड नहीं किया। (व्यवधान) शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा और अब ये मिडल स्कूल ले रहे हैं तो हालत बहुत खराब हो जायेगी। मिडल स्कूल के अन्दर वही का वही जैसे पांचवीं के बच्चों को कुछ नहीं आता, और ग्रामीण शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर रहा है। अगर इन्होंने मिडल स्कूलों को ले लिया तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सदन में, जो काम्पीटिशन होगा, उसमें शहर ही शहर के बच्चे आगे आयेंगे, गांवों के बच्चों का तो नम्बर ही नहीं आयेगा। इसलिए सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में भी माननीय मंत्री महोदय को विचार करना है।

जब आरक्षण का मामला पंचायती राज में भी शुरू हुआ तो कई जगह सरपंच महिलाएं बनीं है। महिला सरपंच बने, बहुत अच्छी बात है। कई-कई महिलाएं तो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा काम करती है। मगर अधिकतर महिलाएं, उसका बैग, उसकी सील, उसका पेड है, उसका पतिदेव लिये फिरता है। अब पति साहब को ढूंढें या महिला सरपंच को ढूंढें। बहुत परेशानी होती है (व्यवधान) मैं आपको हकीकत कहता हूं। महिला सरपंच जिस ग्राम पंचायत में हो गई तो उसके अन्दर हालत बहुत खराब हो जाती है। मैं तो अपनी ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूं कि मेरे ग्राम पंचायत में महिला सरपंच चुनी गई। दो-तीन साल तक वह अपने पतिदेव को बताती रही और उसके बाद में उसको तीसरा बच्चा और हो गया। आज वह महिला सरपंच अपने पद से ह गई और अब वहां पर कोई धणी धो नहीं है ग्राम पंचायत नूंदरी में मैं दराता का रहने वाला हूं और वहां महिला सरपंच है। तो अब, इसके लिए जो मैंने पहले ही कह दिया कि संविधान में संशोधन हो गया जो राज्य सरकार के अधिकार की बात नही है। परन्तु राजनैतिक पार्टियां इस तरह की महिलाओं को उम्मीदवार बनायें जो कार्यभार संभाल सके, जो काम कर सके, जो कुछ समझे। हर किसी को पकड़कर आपने सरपंच बना दिया तो उसका कोई उपयोग नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं, महिलाओं में धीरे-धीरे जागृति आयेगी, पहले सब ऐसे ही थे।

श्री सभापति : आप मेहरबानी करके उन्हें बोलने दें।

श्री रमजान खान : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अपना गांव अपना काम योजना एक बहुत अच्छी स्कीम है और इसके तहत 30 प्रतिशत राशि जमा करके लोग-बाग सहभागी राशि जमा करके अपने गांव में कोई भी काम करवा सकते हैं। पिछली सरकार के टाइम में इस योजना के तहत सैकड़ों कब्रिस्तान में और श्मशान घाट में चारदीवारी बनी हैं। आज आप गांवों के अन्दर निकल जायेंगे तो आपको हर श्मशान घाट के अन्दर टीनशैड देखने को मिलेगा, हर कब्रिस्तान में एक तिबारा मिलेगा जहां पर जनाजे की नमाज पढ़ सकते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं यह श्मशान घाट और कब्रिस्तान की

(श्री रमजान खान)

चारदीवारी बहुत ही जरूरी है। ये कभी-कभी साम्प्रदायिक तनाव का कारण भी बनती हैं। मैं तो यह चाहूंगा कि डी.आर. डी.ए. में या अकाल राहत में भी इसका प्रावधान किया जाये कि श्मशान घाट और कब्रिस्तान की चारदीवारी को प्राथमिकता के आधार पर बनाई जाये ताकि कहीं तनावबाजी नहीं हो। अपना गांव अपना काम योजना के तहत जो धनराशि आप गांव वालों से लेते हैं उसके लिए 30 प्रतिशत से हटाकर अगर 15 प्रतिशत कर दी जाये तो मैं समझता हूं, यह गांवों के अन्दर बहुत ज्यादा विकास से काम होंगे। गांव वाले समझेंगे कि अपना खुद का काम करवा रहे हैं और बहुत ही उपयोगी काम उसके अन्दर होंगे_

श्री मोहन लाल मोदी : 30 से 50 प्रतिशत कर दी, माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : 30 प्रतिशत ही है। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : माननीय सभापति महोदय, जहां तक विधायक फण्ड का मामला है, विधायक फण्ड को वर्तमान सरकार ने 25 लाख रुपये किये, इसके लिए तो वह बधाई की पात्र है। जो अच्छा काम करेंगे, उसके लिए बधाई देंगे परन्तु इस विधायक फण्ड के अन्दर एक प्रतिबन्ध लगा हुआ है। प्रतिबन्ध यह है कि इसमें आधा पैसा तो 32 जिले 32 काम के तहत खर्च करो, आधा पैसा आप निर्बन्ध योजना के तहत खर्च करो (व्यवधान) अब ऐसी परिस्थिति के अन्दर यह सांसद के लिए जो दो करोड़ रुपये हैं, उसके लिए ऐसी बंदिश नहीं है परन्तु विधायक के लिए इस तरह का नियमों में प्रावधान हैं और इसके अलावा जब हम अधिकारियों को कहते हैं कि एस्टीमेट बनाकर देओ ताकि हम इस पैसे की स्वीकृति करवायें। अधिकारी आनाकानी करते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से एस्टीमेट बनाकर लाते हैं। पैसा स्वीकृत करा लेते हैं तो अब अधिकारी कहते हैं कि यह तो हमारी योजना के अन्दर आता नहीं है। हमारे कार्य क्षेत्र में आता नहीं है, हम तो इसको बनायेंगे नहीं। इसलिए आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पैसे को इन योजनाओं से हटाकर पूरा का पूरा विधायकों को अधिकार दिया जाये कि वह जनहित में के कार्य अपने हिसाब से करवा ले और इसके साथ-साथ इस विधायक फण्ड का पैसा जहां कभी-कभी रिपेयर की जरूरत पड़े तो विधायक कहीं रिपेयरिंग की जरूरत पड़े तो उसमें से दे सकते हैं तो इसका भी प्रावधान सरकार को करना चाहिए ताकि विधायक इस पैसे का उपयोग सही ढंग से कर सकें।

एक ग्राम सभाओं में चयनित परिवार होते हैं और चयनित परिवारों में से कुछ परिवार तो लाभान्वित उसी साल हो जाते हैं और कुछ बाकी रह जाते हैं, फिर दूसरी साल नये लोगों को चयनित करते हैं। अब जो बाकी रह गये गत वर्ष में, उनका क्या होगा, इस बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं। जैसे इन्दिरा आवास योजना के तहत कुछ मकान और कुछ राहत चयनित परिवार वालों को देते हैं तो नये वाले जो चयनित हुए उनको तो दे दिये मगर पिछले टाइम में जो परिवार लाभान्वित नहीं हुए हैं, उनके

(श्री रमजान खान)

बारे में कुछ करते ही नहीं है। इनके अलावा चयनित परिवार का मुखिया मर जाता है, उसके परिवार को 10,000 रुपये देते हैं। यह लाभ पहले चयनित परिवार होने से रह गया है उसको नहीं मिलता है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि चयनित परिवार पहले जो बकाया रह गया, जो लोग बाकी रह गये हैं, उनको भी नये चयनित परिवारों के साथ-साथ प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जाये तो मैं समझता हूं, यह ठीक रहेगा।

इसके अलावा पंचायत समिति में जेईएन. की बहुत कमी है, बहुत से माननीय सदस्यों ने यह मांग रखी है कि एक एईएन. हो, दो जेईएन. हो परन्तु वर्तमान में तो हमारे अजमेर जिले में तो करीब-करीब हर पंचायत समिति में एक जेईएन. है। अब एक जेईएन.कैसे तो एमबी. भरेगा, कैसे काम करेगा, उनको. टाइम मिलता नहीं और मेरे हिसाब से उसका काम पूरा होता नहीं है इसलिए इसके बारे में भी आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि एक एईएन. और दो जेईएन. तो इसके अन्दर निश्चित रूप से रखे जाये। पंचायत समितियों की निजी आय होती है, जो रिटायर्ड जेईएन. है या एईएन. है, उनको डेली बेजेज़ के ऊपर भी आप रख सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल आपके पास कोई उपलब्ध नहीं हो तो जेईएन. को डेली बेजेब के ऊपर रखकर काम चलायें ताकि समय पर पेमेंट हो जाये, समय पर उनकी नाप जोख हो जाये और उसकी बहुत सुविधा हो जाये। इसके बारे में आपको विचार करना है।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ पिछले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने एक मांग उठाई है कि गवर्निंग कौंसिल में विकास के कार्य स्वीकृत करवाये जायें, वही कार्य जिला कलक्टर को स्वीकृत करने चाहिए। मैं इस चीज को मानता हूं कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव आना चाहिए, ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव पंचायत समिति में आना चाहिए और पंचायत समिति उन प्रस्तावों को गवर्निंग कौंसिल में भेजे और उन प्रस्तावों में से कौन-कौनसे खास काम हैं, जो गवर्निंग कौंसिल के माननीय सदस्य हैं, वह विचार करके और फिर उन कामों को टिक मार्क लगाकर उन्हीं प्रस्तावों में से वही काम स्वीकृत होने चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जिला कलक्टर अंधाधुंध अपने हिसाब से जो अनुपयोगी काम होते हैं, उनको भी फटाफट स्वीकृत कर देते हैं, उसका कोई उपयोग नहीं रहता है। इसलिए आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इस बारे में तो सख्त निर्देश दें कि गवर्निंग कौंसिल के हिसाब से, माननीय सदस्यों के हिसाब से ही काम स्वीकृत किये जायें, जिला कलक्टर महोदय के हिसाब से नहीं किये जायें। उनको क्या मालूम, किधर क्या काम करवाना है, क्या नहीं करवाना है। इसके अलावा आपने पिछले टाइम में हो सकता है राजनीतिक आधार के ऊपर कोई सरपंचों को ससपैण्ड कर दिया हो और राजनीतिक आधार के ऊपर सरपंचों को ससपैण्ड करते हैं, जब आपका राज आता

(श्री रमजान खान)

है तो आप उनको बहाल कर देते हैं। मैं इसको कोई बुरी बात नहीं समझता। परन्तु, सभापति महोदय, जो सरपंच जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप नीचे की अलादत से जाकर के हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने उनको भ्रष्ट माना, हाई कोर्ट के अन्दर आज भी उनके मुकदमे चल रहे हैं उन सरपंचों को हाई कोर्ट के आधार पर सस्पैण्ड किया हुआ है और उन्हीं सरपंचों को अगर आप बहाल कर देते हैं, फिर यह कर दिया, तो इससे तो और कोई बुरी बात हो नहीं सकती। उसका उदाहरण देना चाहता हूं। तो कम से कम हाई कोर्ट की तो...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय रमजान जी, एक मिनट। चूरू के अलावा काई उदाहरण है...

श्री रमजान ख़ान : नहीं और कोई नहीं।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सदस्य, यह नहीं हो सकता।

श्री रमजान ख़ान : हां, यह गलती हो गई तो इसको सुधार लें। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सदस्य, यह नहीं हो सकता। आप माननीय सदस्य, सुन लें। (व्यवधान) न तो आप मुझे प्रभाव में लेकर निर्णय करवा सकते हैं, आप स्वयं इस बात को जानते हैं उस प्रकरण में क्या निर्णय है। आप किसी तरह से जिसका ज्यूडिसियस फैसला है उस पर आप न्याय की बात करें। आप एक के बाद एक सदस्य को प्रेशर बनाकर समझते हैं कि मैं प्रभावित हो पाऊंगा, यह मैं प्रभावित होने वाला नहीं हूं।

श्री रमजान ख़ान : आप मत होइये प्रभावित।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय, यह सदन है और इस सदन में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है...

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सदस्य, सदन में आपसे ज्यादा मेम्बर रहा हूं मैं, कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरी बात सुनिये।

श्री सी. पी. जोशी : आप अपनी टैक्टिकट बदलिये। मैं सदन में आपसे ज्यादा सदस्य रहा हूं। सदन में सदस्य रहा हूं, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं। आप स्वयं मंत्री रहे हैं, जिस तरह के मंत्री का काम किया, दूसरा मंत्री वैसा काम नहीं करेगा। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या कहना चाहते हैं आप ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज। वह बोल रहे थे, बीच में आप खड़े हो गये। ऐसा है, संसदीय परम्परा के अनुकूल नहीं है यह। रमजान खान का भाषण खत्म होने दीजिये, फिर बोलियेगा। (व्यवधान) नहीं, नहीं। प्लीज नहीं। No. I will not allow at this time.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, सभापति महोदय, यह बात नहीं। सभापति महोदय, मंत्रीजी ने कहा है कि जिस तरह मैंने मंत्रित्वकाल में काम किया उसकी तरह कोई मंत्री काम नहीं करेगा। कहना क्या चाहते हैं आप ? आपके पास प्रमाण है क्या कोई ?

श्री सभापति : रमजान खान साहब का भाषण खत्म हो जाय फिर आप बोलियेगा...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से। मंत्री महोदय, कानून है, व्यवस्था है...

श्री सी. पी. जोशी : राजेन्द्र जी, कानून और नियम को मैं अच्छी तरह से जानता हूं और आपसे विनम्र शब्दो में निवेदन कर रहा हूं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जोर से बोलकर...

श्री सी. पी. जोशी : मैं आपसे ज्यादा जोर से क्या बोलूंगा, जोर से आप लोग बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जोर से बोलकर...

श्री सी. पी. जोशी : आपको मैंने यह निवेदन किया है कि जैसा आपने मंत्री पद किया वैसा मंत्री पद दूसरा नहीं करेगा। मैं कहां गलत कह रहा हूं इसमें। मैं कहां गलत बात कह रहा हूं इसमें ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सभापति : प्लीज, प्लीज। सिट डाउन प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जैसा मैंने, मुझे अफसोस है कि जिस तरह की चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा में मेरें समय में बढ़ोतरी हुई है...

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री सभापति : पांइट आफ आर्डर रेज किया है मिस्टर सुरेन्द्र जी ने।

श्री श्रवण कुमार : माननीय सभापति जी, मंत्री जी ने राजेन्द्रजी के काम को सराहा है...

श्री सभापति : पाइंट आफ आर्डर रेज किया है इन्होंने, आप बैठिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, मांग पर चर्चा करते समय इंडिवीजुअल केसेज को लेकर के हाउस में अगर कोई लाबी बनाई जाय तो...

एक माननीय सदस्य : कौन से नियम में ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, किसी भी नियम में नहीं बनाई जा सकती। लाबिंग इन द हाउस, डिबेट को मिसयूज नहीं कर सकते। मंत्रीजी ने जो आपत्ति की वह सर्वथा उचित है और आप इस तरह की डिबेट परमिट नहीं करें। इसमें आरोप और प्रत्यारोप का प्रश्न नहीं है। अगर कोई इंडिवीजुअल केस है, आप मंत्रीजी को कहें। पर अपने डिस्ट्रिक्ट से पर्टीकुलरली सभापति महोदय, जिस केस में आप पर्सनली इन्टरेस्टेड हैं, उस केस को हाउस में प्लीड करना ही नहीं चाहिए, नियमों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। सभापति महोदय, I am on a point of clarification.

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं। We want to understand what the House is unware of. What is going on ? What is the point of objection ? Why the Minister is agitated ? We want to know it.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी ने यहां दो बातें कह दीं।

श्री नारायण सिंह : नहीं, किस बात पर, बात क्या है, मुद्दा क्या है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक तो मंत्रीजी ने खड़े होकर यह बात कह दी कि किसी भी मामले के अन्दर मैं प्रेरित कर रहा हूं माननीय सदस्यों को कि वह बोलें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आपको नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय राजेन्द्रजी, मैंने यह नहीं कहा। मैंने इनसे पूछा कि एक केस के अलावा दूसरा केस बता दें, तब मैंने यह बात कही वह केस है। मैंने यह बात नहीं कही। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। मैंने यह कहा कि इस केस के अलावा कोई केस बताओ तब आपने कहा कि चूरू के अलावा कोई केस नहीं है। तब मैंने यह बात कही है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या कोई मामला पैण्डिग है मंत्रीजी के पास ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और मंत्रीजी के बिना कारण ही वह दाढ़ी में तिनके वाली बात आ गई। सभापति महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि यह कोई चीज छिपी हुई नहीं रहती कि जो सरपंच भ्रष्टाचार के आरोप में निलम्बित हो, चाहे कहीं के भी हो और जो सरपंच जांच के बाद निलम्बित हो और उसके बाद वह सरपंच हाई कोर्ट में चला जाय और हाई कोर्ट में उनके निलम्बन को कोर्ट उचित माने और उसके बाद मंत्री महोदय कोर्ट से तो बिदड़ा कर लेते हैं, फिर उनको बहाल कर देते हैं। यह कानून सम्मत बात है क्या ? और वह बात अगर सब लोगों की जानकारी में आयेगी तो आप कह रहे हैं कि लाबिंग कर रहा हूं मैं। क्या कोई बात, कोई सच्चाई कह नहीं सकता ? क्या (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सदस्य, आप मुझे क्या कहना चाहते हैं। आप कोर्ट में दें, कोर्ट दे देगी वह डाइरेक्शन मुझे। You are not supposed to direct me.

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी, एक सैकण्ड। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज।

श्री श्रवण कुमार : माननीय सभापतिजी, माननीय राजेन्द्र जी जो कह रहे हैं, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। सूरजगढ़ नगरपालिका में भंवरलालजी ने, सुबह ग्यारह बजे वोटिंग होनी थी, और साढ़े दस बजे

(श्री श्रवण कुमार)

इन्होंने सस्पैण्ड कर दिया था सदस्य को आज यह बात...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, सभापति महोदय।

श्री सभापति : प्लीज। देखिये, मुझे जो पाइंट आफ आर्डर इन्होंने रेज किया है, उसका निर्णय देना है। बैठिये आप। तशरीफ रखिये। आपने स्पष्टीकरण दे दिया, बैठ जाइये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन कर रहा हूं...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप, प्लीज सिट डाउन।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरे सवाल का जवाब दीजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : देखिये, आपने जो पाइंट आफ आर्डर रेज किया है उसके बारे में अर्ज कर दूं।

श्री रमजान खान : अब हो गया साहब, पाइंट आफ आर्ड हो गया, मैं तो दो मिनट बोल लूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक निवेदन सुन लीजिये, एक मात्र निवेदन। सदन यह तय करेगा क्या कि बहाल किया, नहीं किया, यह बाजिब था या नहीं था ? कितने इन्होंने ससपैण्ड किये हैं सभापति महोदय...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : सूरजगढ़ नगरपालिका में भवंरलाल जी ने अविश्वास के समय साढ़े दस बजे उनको ससपैण्ड करके भेज दिया जो एकदम निराधार, गलत था और दो आदमी ससपैण्ड करने से वंचित रह गये और अविश्वास पास नहीं हुआ। आज यह सदन में गरिमा की बात करते हैं। मुझे बहुत दुख है, खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां पर बी.जे.पी. के लोग भी गरिमा की बातें करते हैं। यह गरिमा हिन्दुस्तान में है ही नहीं...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप इसको, बहस को क्यों बढ़ा रहे हैं। सिट डाउन।

श्री श्रवण कुमार : भवंरलालजी ने उन लोगों को ससपैण्ड किया है जो करना नहीं चाहिए था और जो गरिमा की बात करते हैं...

श्री सभापति : प्लीज। सिट डाउन।

सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, इन्होंने ससपेंशन की पावर्स का जितना मिसयूज किया है, यह हाई कोर्ट की बात कहते हैं...(व्यवधान) बात सुनिये आप। अगर बहाल किया, आप यह सदन में तय करायेंगे...

श्री हीरासिंह चौहान : आप कहां ले जा रहे हैं इस डिबेट को।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैं कुछ नहीं ले जा रहा हूं। आप हाई कोर्ट में जाइये...

श्री हीरासिंह चौहान : टापिक तो वह चल रहा था और आप उसी की तरफ ले गये। यह भी पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट बैठिये आप। तो सभापति महोदय, अब भी हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर मंत्रीजी ने अनुचित बहाल किया है उसको तो आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, यहां आप हाउस में क्या लाबी बनाते हैं...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : वह मंत्रीजी के पावर ी बात है। मंत्रीजी नहीं करेगा तो क्या रेगा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, लाबिंग नहीं ना सकते हो आप। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज, डोंट रेज एनी...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किसने लाबी नाई...(व्यवधान) अगर इस सदन में...

श्री सभापति : प्लीज।

श्री श्रवण कुमार : अगर पंचायत राज मंत्री सरपंच को बहाल नहीं कर सकता तो पावर का क्या करेगा फिर। मंत्रीजी को पावर किसलिए दी है...

श्री सभापति : इसको वाद-विवाद में मत लीजिये। बैठिये, बैठिये आप।

श्री श्रवण कुमार : जब भंवरलालजी दो को ससपैण्ड कर सकते हैं, हजारों चैयरमेन को ससपैण्ड कर सकते हैं...(व्यवधान) क्या पंचायत राज मंत्री, एक सरपंच को बहाल नहीं कर सकते...

श्री सभापति : मेहरबानी करके, राजेन्द्रजी साहब, बैठिये।

श्री श्रवण कुमार : यह अपनी पावर के तहत किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं। अगर इस सदन में कोई व्यक्ति मंत्री महोदय को जो अच्छा लगे वह बात रखे तो मैं समझता हूं फिर इस सदन के अन्दर हम अपनी बात कब रखेंगे...

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, व्यवस्था दीजिये आप।

श्री सभापति : देखिये। पांइट आफ आर्डर इन्होंने रेज किया...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और मंत्री महोदय, आपने कह दिया कि आप जैसा मंत्री दूसरा कोई काम नहीं करेगा। मंत्री महोदय, मैं तो तीसरी बार जीतकर आया हूं...

श्री सभापति : राठौड़ साहब, प्लीज सिट डाउन।

श्री सी. पी. जोशी : मैं भी पांचवीं बार जीतकर आऊंगा। आप चिंता मत करें। इस बात को छोड़ दीजिये। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आप जैसे जोर से रिपीट कर रहा हूं मैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरे मंत्रित्व काल की बात आप कर रहे हैं। आपके पास कोई निश्चित चार्ज हो तो बताइये आप। नोटिस देकर आइये आप। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : क्या कर दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, नोटिस देकर आइये न आप।

श्री सी. पी. जोशी : किसको कर दें, क्या कर दें ? क्या कर दें किसी को ? आप क्यों मंत्री बनते...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज। This is the August House. इसकी परम्पराओं को खराब मत कीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी कोई चार्ज ही नहीं लगा रहे। वह तो कह रहे हैं आप जैसा मंत्री...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उन्होंने कहा। नोटिस देकर चार्ज लगाओ न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं। चार्ज नहीं लगाया।

श्री सभापति : आसन पांवों पर है। आप आसन की तो गरिमा रखिये प्लीज। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं, चार्ज नहीं लगाया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यहां कोई बात नहीं कहें, आप जो चाहे वह बात बोलेंगे...

श्री सी. पी. जोशी : मैंने क्या चार्ज लगाया है। आप बताइये क्या चार्ज लगाया मैंने आप पर। आप बताइये, क्या चार्ज लगाया है। माननीय मंत्रीजी, आप बतायें क्या चार्ज लगाया आप पर।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह चार्ज नहीं लगाया। इन्होंने कहा आपने जो मंत्री की हैसियत से काम किये हैं वैसा मैं नहीं कर सकता। यह चार्ज की श्रेणी में नहीं आता है।

श्री सी. पी. जोशी : आपकी परफोरमेंस का वर्णन किया है, चार्ज क्या किया है मैंने। आपकी क्षमताओं का वर्णन किया है मैंने। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय सभापतिजी, एक मिनट।

श्री सभापति : प्लीज सिट डाउन।

श्री श्रवण कुमार : इनके कार्यकाल की बताना चाहता हूं।

श्री सभापति : प्लीज सिट डाउन।

श्री श्रवण कुमार : आप यह बातें सदन में कर रहे हैं... ।

श्री सभापति : प्लीज सिट डाउन। देखिये, ऐसा है जो माननीय सदस्य मालपुरा से आने वालों ने पाइंट आफ आर्डर रेज किया था, यह सही बात है कि अब कोई डिसकशन चल रहा हो कटौती मांगों के ऊपर, बीच में सदस्यों को उसको इन्टरप्ट नहीं करना चाहिए, न बोलना चाहिए और उसमें...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कौन बोला ? सभापति महोदय, कौन बोला बीच में। हम तो खड़े ही नहीं हुए।

श्री सभापति : उसके भाषण में भंग नहीं डालना चाहिए। आइन्दा से इसका एहतियात रखें।

श्री रमजान खान : माननीय सभापति महोदय, एक बात और कहकर मेरी बात समाप्त करूंगा मैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि डी.आर.डी.ए. में कई योजनाएं हैं और उन योजनाओं को अगर सही रूप से लागू किया जाय तो ग्रामीण एरिया में बहुत से लोगों को उसमें फायदा मिल सकता है। परंतु देखने में यह आया है कि उन योजनाओं को जनवरी, फरवरी तक तो अधिकार चुपचाप लेकर बैठे रहते हैं, कोई उनके ऊपर ज्यादा कार्यवाही करते नहीं हैं, और जब आखिरी महीना मार्च

(श्री रमजान खान)

का आता है, तब उनके ऊपर इतनी जबरदस्त कार्यवाही करते हैं, भागदौड़ करते हैं, लेनदेन करते हैं और उनके आंकड़ों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। उससे सही लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए शुरू से ही अगर उसके ऊपर दिल से लगा जाय और सही मायनों में लगा जाय तो इससे ग्रामीण लोगों को बहुत फायदा मिलेगा क्योंकि योजनाएं बहुत ज्यादा हैं और इनका फायदा पूरा नहीं मिल पाता। और आप किसी भी जिले के आंकड़ें उठा कर देख लें। जो इनको आंकड़े दिये हुए हैं उन आंकड़ों को यह पार कर नहीं सकते। उससे या तो आधे रह जाते हैं, उसका कारण यह है कि फरवरी तक अधिकारी लोग सोये रहते हैं और इसकी परवाह करते नहीं है और मार्च में जाकर इसको पूरा करते हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि इस संबंध में भी आप कुछ कार्यवाही करेंगे। आपने मुझे समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत शुक्रिया; धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री श्रवण कुमार।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 28 और 41 पर बोलना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा का जो स्तर है वह दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। स्कूलों में अध्यापकों का कोई समय नहीं रहा। 7 बजे आने वाला 9 बजे आता है और 9 बजे आने वाला 11 बजे आता है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर अंकुश लगाये। और इस बात की बहुत महती आवश्यकता है कि गांवों के बच्चे आज शिक्षा से दिन प्रतिदिन बिछुड़ते जा रहे हैं। नम्बर दो, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को जो जिला परिषदों में दिया जा रहा है यह गांव के बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता जा रहा है। पूर्व में 1988 में भी कांग्रेस सरकार के समय में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को पंचायत समिति के अधीनस्थ दिया था। जिला परिषदों की यह हालत है कि आज तक अध्यापकों की सर्विस बुकें भी नहीं मिली हैं। अगर यह हालत आपने पुनः कर दी तो शिक्षा के नाम पर गांवों का जो स्तर है वह जीरो हो जायेगा और आने वाली बोर्ड की परीक्षाओं में शहर के बच्चे ही आगे आयेंगे। गांवों में शिक्षा नगण्य हो जायेगी। इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में आपको कहना चाहता हूं कि मिडिल स्कूलों का जो आपने निर्णय लिया है इसको पुनः हटायें और इंस्पेक्टर के अधीन जो चल रही है वह प्रक्रिया सही है।

गांव में अंत्योदय योजना के तहत जो चयनित किये जाते हैं उसमें बैंकों के द्वारा जो ऋण दिये जाते हैं उन ऋणों की हालत यह है कि बैंकों द्वारा दो-दो, तीन-तीन महीने गरीबों को घुमाकर उसके बाद ऋण दिया जाता है। जब तक आपने इस भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया तब तक गरीब को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। यही शिक्षित बेरोजगार की हालत है। शिक्षित बेरोजगार को लोन के फार्म भरवा दिये जाते हैं, चयनित हो जाते हैं। बैंकों में उसके फार्म आ जाते

(श्री श्रवण कुमार)

हैं और फार्म के पीछे दो साल तक वह लड़का घूमता रहता है। उसको लोन नहीं दिया जाता है। बैंकों की यह हालत हो गई। बैंकों पर कोई अंकुश नहीं है। न कलेक्टर साहब का है, न कोई मंत्री का है और न कोई पंचायत समिति का है। जब तक बैंकों पर अंकुश नहीं होगा तब तक लोन की प्रक्रिया सही नहीं होगी और आपकी चलायी जाने वाली अंत्योदय योजना फैल है।

तीसरा, आपने गांव में सहभागी योजना चला रखी है उसमें तीस पर्सेंट से पन्द्रह पर्सेन्ट की जाय जिससे गांव का विकास अधिक होगा और गांव का विकास तभी हो सकता है जब राशि कम जमा कराने का आप आदेश फ़रमायेंगे। गांवों में पहले पंचायतों का थ्री टायर था जिसमें सरपंच पचांयत समिति का सदस्य भी होता था और जिला परिषद् का सदस्य भी होता था। उससे वह वोट डालता था, अपना राइट समझता था कि मैंने प्रधान को भी चुना है, जिला प्रमुख को भी चुना है। अब जिला परिषद का सदस्य प्रधान बनाया जाता है, सरपंच उसका सदस्य भी नहीं होता है और जिला परिषद का सदस्य भी प्रमुख बनाया जाता है और पंचायत समिति का सदस्य जिला परिषद का सदस्य नहीं होता है। इस तरह की अव्यवस्था से पंचायत समितियों की हालत यह हो गई कि कोई जिला परिषद का सदस्य और पंचायत समिति का सदस्य चुनाव लड़ना ही पसंद नहीं करेगा। उनको सिवाय भत्ते के और कोई पावर्स नहीं है। उसके जो दो-दो लाख रुपये चुनाव में लगे थे वह भी निरर्थक गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : भत्ते भी नहीं मिल रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार : भत्ता तो मिल जाता है, कभी-कभी ले लेते हैं डरा के। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पुनः जो व्यवस्था शुरू में चलाई गई थी उसी व्यवस्था को कायम करके थ्री टायर बनायी जाये और पंचायतों को जो शक्ति दी जा रही है उस शक्ति को क्षीण नहीं किया जाये। वह शक्ति पुनः तभी प्राप्त हो सकती है जब आपकी थ्री टायर व्यवस्था होगी।

बी.डी.ओ., सी.ओ. और सचिव की जब तक सर्विस बुक सरपंच, प्रधान और प्रमुख नहीं भरेगा तब तक ये इनको कुछ समझेंगे नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बी.डी.ओ. की मनमर्जी हो जायेगी तो दस-दस हजार के चैक काटकर प्रधान को खुश कर देगा, प्रधान की जरूरत ही नहीं समझता। जब तक उस पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक उसकी सर्विस बुक पर कोई अंकुश नहीं आयेगा। आपको बताना चाहता हूं कि हालत यह है कि बी.डी.ओ. अगर नाराज हो गया तो भगवान नाराज हो गया और प्रधान नाराज हो गया तो कोई नाराज नहीं। बी.डी.ओ. अगर राजी है तो दस-दस हजार के चैक चार-पांच बार में काटकर के प्रधान को खुश कर देगा ओर प्रधान बैठा रह जायेगा और बी.डी.ओ. अपनी सेवा पूरी कर देगा। भ्रष्टाचार इतना फैल गया है, माननीय सभापति जी, जो आदमी 15 प्रतिशत लेने के उपरान्त भी इस बात की संज्ञा नहीं करता

(श्री श्रवण कुमार)

है कि काम क्या हुआ है। जो सरपंच काम करवाता है और उसकी अगर जांच होती है तो पूरा दोष सरपंच के ऊपर आ जाता है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समिति में एम.एल.एज. का, सांसद का पैसा गया और सरपंच के द्वारा गांव में विकास होगा। पर उसका दोषी एईएन. भी है, जेईएन. भी है, बी.डी.ओ. भी है और सरपंच भी है और ग्राम सेवक भी है। जब तक इन सबको आप इन्वाल्व नहीं करेंगे तब तक गांवों का विकास सही ढंग से नहीं होगा। सरपंच को आपने चार्ज शीट दे दी, उसको ससपेंड करवा दिया, बी.डी.ओ. कहेगा मेरे को मालूम नहीं। जब बी.डी.ओ. उस पैसे को लगाना चाहता है तो जेईएन. भी वहीं होता है लेकिन सामग्री सही ढंग से नहीं लगती है इसलिए विकास सही ढंग से नहीं होता। इसलिए जब तक सरपंच को, सचिव को, बी.डी.ओ. को, जेईएन. को, एईएन. को सबको इन्वाल्व नहीं करेंगे तब तक विकास का सही रूप नहीं आयेगा।

एम.एल.एज. का जो पैसा है, जैसा अभी भाई साहब ने भी बताया है, उससे नया निर्माण तो करवाया जा सकता है पर मेंटीनेंस नहीं करवाया जा सकता। आपको मालूम है।

(16.40 बजे)

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत, सभापति, पदासीन)

बहुत पुराने-पुराने मकान जो गिरने की हालत में है, एम.एल.एज. का वहां अगर दस हजार रुपये का खर्चा हो जाये, जैसे पानी की टंकियां बनी हुई हैं उनकी हालत यह है कि छत टूट गई, ऊपर से कबूतर पड़ते हैं, मिट्टी पड़ती रहती है, पंचायत समिति के पास पैसा नहीं होता है। एम.एल.ए. अपने कोटे से दे नहीं सकता। हालत यह है गांव में पानी के अंदर कबूतर और मिट्टी पड़ती रहती है और गांव के लोग उसी पानी को पीकर के बीमारग्रस्त हो जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जो 25 लाख रुपया बढ़ाया है उसमें कुछ राशि ऐसी निर्धारित की जाये जो मेंटीनेंस में भी दी जा सकती हो। जब तक मेंटीनेंस में नहीं देंगे तब तक गांवों का जो विकास है वह आगे बढ़ता जायेगा और पीछे का क्षीण होता जायेगा। गांव का चहुंमुखी विकास तभी हो सकता है जब मेंटीनेंस सही ढंग से होगा और आगे नये विकास कार्य हों।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि इन्दिरा आवास योजना के अंदर हालत यह है कि सरपंच के माध्यम से इन्दिरा आवास योजना की चुनौती होती है और उसके बाद नये मकान बनाने के बजाय पुराने मकानों की लिपाई-पुताई करके पैसे उठा लिये जाते हैं और कोई यह पूछने वाला नहीं होता है कि पैसे क्यों उठा लिये। उसमें दो हजार रुपये बी.डी.ओ. को देंगे और हजार रुपये चैकिंग करने वाले को दे देंगे, तीन हजार में साढ़े चौदह हजार रुपये ले जायेंगे और जिसका कोई उपयोग नहीं है। उन लोगों को पैसा नहीं मिलता है जो वास्तव में गरीबी रेखा से नीचे आवास करते हैं। जिन

(श्री श्रवण कुमार)

लोगों को वास्तव में मिलना चाहिये उन लोगों को पैसा नहीं मिलता है। उन लोगों को पैसा मिलता है जो सरपंच के बहुत नज़दीक होते हैं, प्रधान के बहुत नजदीक होते हैं। इस बात की महती आवश्यकता है कि गरीब लोगों के लिये जो इन्दिरा आवास योजना चालू की गई है उसका वास्तव में उस आदमी को लाभ मिलना चाहिये जो वास्तव में गरीब है; जिसको रहने के लिये छप्पर नहीं है। गरीब को जब तक सुविधा नहीं मिलेगी और उस आदमी को सुविधा मिलेगी जिसके पास में तीन कमरे हैं उसके सफेदी करा कर उसको पैसा मिल जायेगा, फायदा क्या हुआ ? इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी इस बात की बहुत महती आवश्यकता है कि आप इसकी जांच करवाइए और उन लोगों को वास्तव में दण्डित करें जिन लोगों ने पुराने मकानों को सफेदी करा कर नया मकान घोषित कर रखा है और वास्तव में पैसा उठाया है।

अभी आपने प्राइवेट शिक्षा केन्द्रों के अप्रशिक्षित अध्यापकों के बारे में बताया कि हम 16 हजार स्कूल खोल रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो आठवीं क्लास के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए कहा है, ठीक है कि आप कह रहे हैं बारहवीं का बी.ए.बी.एड. मिलेगा तब तक हम आठवीं का नहीं लेंगे। परन्तु जो तनख्वाह रखी है साढ़े 12 सौ रुपये, राजस्थान सरकार 60 रुपये प्रति व्यक्ति जो लेबर को देना चाहती है पर इनको लेबर भी नहीं माना तो इससे छोटी बात और क्या होगी ? कम से क 18 सौ रुपये देना चाहिए जिससे अगर को आदमी आयेगा तो 18 सौ रुपये लेकर य महसूस तो करेगा कि मैं 60, 70 रुपये त रोज प्राप्त कर रहा हूं। 60 रुपये जो आदम प्राप्त नहीं करेगा, वह तो एक लेबर से भ नीचा गया आठवीं क्लास का हो, चाहे बारहव का हो। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने साढ़े 12 सौ रुपये की है वह कम से कम 18 सौ रुपये होना चाहिए। जब आपने स्वतंत्रता सेनानियों को साढ़े 12 सौ के 15 सौ कर दिये और इनकी नयी नियुक्ति के ऊपर साढे 12 सौ रुपये दे रहे हो, यह एक अशोभनीय बात है। एक वृद्धावस्था पेंशन, जब सभी बजट में आपने प्रावधान रखा है कि 10 रुपये, 20 रुपये होस्टलों की थाली के कर दिये, 24 सौ रुपये से 48 सौ रुपये मेडिसिन के कर दिये तो वृद्धावस्था पेंशन, क्या बूढ़े आदमी द्वारा खाना कम खाया जाता है, क्या उसकी आवश्यकता कम हो गयी जो आप सौ, डेढ़ सौ रुपये दे रहे हैं ? उससे काम नहीं चलेगा। मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम तीन सौ, ढाई सौ रुपये होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपस में बात नहीं करें, प्लीज। आप बिराजें, आप अच्छी तरह से जानते हैं इसको।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, आप इनसे कहिये कि यह वृद्धा पेंशन क्या होती है, वृद्धावस्था पेंशन होती है।

श्री श्रवण कुमार : नहीं बैठिये, बैठिये। आपके बस की बात नहीं है। आप ज्यादा

(श्री श्रवण कुमार)

पढ़े लिखे हो। गांव के आदमी नहीं हो, आप दिल्ली के आदमी हो।

श्री सभापति : आपस में बात नहीं करें।

श्री श्रवण कुमार : मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो पेंशन डेढ़ सौ रुपये मिलती है उसको कृपया ढाई सौ रुपये किया जाय जिससे बढ़ती हुई मंहगाई का सामना किया जा सके। और यह भी रेग्युलर नहीं मिलती है, साहब, 3-3 महीने तक नहीं मिलती है। कई लोग तो आशा छोड़ देते हैं कि मेरी पेंशन बंद तो नहीं हो गयी है कहीं। इसलिए कम से कम उसको रेग्युलर किया जाय। पंचायतों की जो आडिट है वह समय पर नहीं होती है, तीन-तीन साल तक आडिट नहीं होने से उनके दिमाग में यह आ जाता है कि एक सरपंच तो अपना कार्यकाल पूरा कर चुकता है और दूसरा आने वाला सरपंच जब आता है तो वह सोचता है कि मेरे को क्या इंटरेस्ट है। अब जब उसका आडिट समय पर हो जायेगा तो उसको इस बात का भय रहेगा कि आडिट में कहीं मेरी रिकवरी बाकी तो नहीं रह जायेगी। इसलिए आडिट समय पर हर 12 महीने के अन्दर-अन्दर करवायी जाय जिससे काम में जो अनियमितता बरती गयी है तो पटल पर आ जाय और अनियमितता दूर हो। इससे मैं चाहूंगा कि जो आडिट पंचायत समितियों की तीन-तीन साल तक नहीं होती है। यह कृपया समय पर करवायी जाय।

माननीय सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब गांवों में जो काम करवाये जाते हैं उनमें एक कमेटी तय की जाय जो घटिया काम करवाये जाते हैं उनकी जांच हो जाती है। अब उस जांच का कोई न कोई इस तरह का आधार तो बनायें जिस जांच के अन्दर कमेटी बने और उस कमेटी का फैसला निर्णायक हो जिसमें एम.एल.ए. होना चाहिए। प्रधान हो, जिला प्रमुख हो और जिला परिषद् का सी.ई.ओ. हो। इस तरह की चार पांच आदमियों की कमेटी बनाकर जो घटिया स्तर का काम हो, उसका कमेटी निर्णय करे, उस पर फैसला हो जिससे वास्तव में इस बात का भय रहे कि कमेटी कहीं मेरे काम को गलत तो नहीं घोषित करेगी। इसलिए जब तक यह कमेटी तय नहीं होगी, तब तक काम का सही निस्तारण नहीं होगा।

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त करें।

श्री श्रवण कुमार : एक मिनट साहब। माननीय सभापति जी, झुंझुनूं जिला शिक्षा का एक अग्रणीय जिला है जिसके सारे के सारे अध्यापक बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर सब जगह लगे हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि बहुत सारी महिलाएं हैं जिनसे 10-10 हजार रुपये जमा करवाकर उनसे बांड भरवाये गये थे।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुआ) (सरकारी मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मांगें पारित होने तक बढ़ाया जाय ?

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांगे पारित होने तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या 41 एवं 28 पर विचार

श्री श्रवण कुमार : मैं निवेदन करूंगा कि जो अध्यापक बांसवाड़ा, डूंगरपुर हैं और सैनिकों की महिलाएं हैं, कृपया उनका क्राइटेरिया बनाया जाय कि जो महिलाएं 10 साल से हैं, 5 साल से हैं उनका क्राइटेरिया बनाकर स्थानान्तरण में उसकी सुविधा दी जाय। मैं आपसे निवेदन करूंगा।

माननीय सभापति जी, मैं मंत्री जी को एक बहुत महत्त्वपूर्ण निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में 70 प्रतिशत पंचायत समितियों में बी.डी.ओ. का अभाव चल रहा है। पशुपालन विभाग के जो डाक्टर्स लगाये गये, वह करीबन 90 प्रतिशत फैल्ड थे। आपने जो निर्णय लिया वह बहुत सराहनीय निर्णय था, जो पशुपालन अधिकारियों को हटाया। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कोई ऊंचे दूरदराज के कहीं ऐसे नहीं लगा दें शिक्षा विभाग से जुड़े आदमी जो गांवों के लोगों को जानते हैं, शिक्षा से परिचित हैं, गांवों के लोगों से, पंचायतों से बहुत घनिष्ट सम्बन्ध रहा है उन लोगों को आप बी.डी.ओ. लगायें। या ज्यादातर आर.ए.एस. लगायेंगे तो पंचायत समिति को और भी अच्छी सुविधा मिल पायेगी और लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं बी.डी.ओज. की नियुक्ति जल्दी से जल्दी करके पंचायत समिति के जो रिक्त पद हैं जिला शिक्षा प्रसार अधिकारी, प्रगति प्रसार अधिकारी बी.डी.ओज. के जो पद खाली हैं, कृपया जल्दी से जल्दी भरने का कष्ट करें। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने खानपुर में धारा 144 के बारे में सदन को जानकारी देने के लिए कहा था। मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस पर जानकारी दे दें तो कृपा होगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, जानकारी आ गयी है, वह पढ़ने लायक नहीं थी फैक्स से आयी थी तो मैंने कहा इसको टाइप करके ले आओ तो मैं दे दूंगा।

श्री सभापति : ठीक है। (व्यवधान) अभी बोल रहे हैं, हां, कृपया समाप्त कीजिये।

श्री श्रवण कुमार : माननीय सभापति जी, पंचायत राज सेवा का अभी तक गठन नहीं किया गया है, कृपया उसका गठन करवाया जाय। आपके माध्यम से मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि पंचायत समितियों में बी.डी.ओज. शिक्षा प्रसार अधिकारी, प्रगति प्रसार अधिकारियों का जो अभाव चल रहा है, कमी चल रही है, उनको तत्काल भरवायें। यही मेरी आपसे विनती है। जयहिन्द।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री रामचन्द्र सराधना।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमुवारामगढ़) : माननीय सभापति जी, ग्रामीण विकास व

(श्री रामचन्द्र सराधना)

पंचायत राज की मांगों पर मैं मेरे विचार देना चाहता हूं। यह महकमा बहुत ही महत्त्वपूर्ण है और मैं समझता हूं जिस गम्भीरता से मौजूदा हालात में माननीय मंत्री जी ने इस महकमे को लिया है और जितनी गहराई से इस पर विचार किया जा रहा है, यह लगता है, महसूस होता है कि ग्रामीण विकास के बारे में कुछ लाभ दे पायेंगे। स्कीम्स बहुत हैं, प्रोग्राम बहुत हैं। सबसे बड़ा प्रोग्राम जो महत्त्वपूर्ण है, वह शिक्षा का है। पहले प्राथमिक शिक्षा थी अब इसके बाद में उच्च प्राथमिक शिक्षा भी इसमें समाहित की जा रही है। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, ग्रामीण विकास की बातें बहुत होती हैं, कई तरह के प्रोग्राम दिये जाते हैं, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है लेकिन पंचायत राज में और ग्रामीण स्तर पर जो प्राथमिक विद्यालय है, उनकी दुर्दशा देखने लायक है। उनकी दशा देखने लायक यों है कि प्राथमिक विद्यालयों को देखेंगे शिक्षकों की कमी, डेढ़ सौ छात्र हैं, एक अध्यापक है, पानी और पेशाब करने की, छुट्टी देने की फुर्सत नहीं है उसको, वह शिक्षा क्या दे रहा होगा। कई विद्यालयों में भवन नहीं है, पेड़ों के नीचे चल रहे हैं। वहीं आंगन नहीं है, वहीं फर्श नहीं है, कहीं छत नहीं है और यह दोनों भी कहीं मिल गयी दुर्भाग्य से तो वहां पर वातावरण नहीं है। वहां के शिक्षक को देखिये, वहां के शिक्षक पर जो मानिटरिंग होनी चाहिए, जो सुपरविजन होना चाहिए उसकी नितान्त कमी है और ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भगवान भरोसे छोड़कर हम अपना दायित्व सा निभा रहे हैं कि उनके लिए प्राथमिक शिक्षा की हमने व्यवस्था कर रखी है। मैं निवेदन करूं आप ग्रामीण विकास के कामों को कम कर दीजिये, गांवों में सड़कें पहुंचाना कम कर दीजिये, अस्पताल खोलना बंद कर दीजिये। मेहरबानी करके प्राथमिक शिक्षा को इतना पुष्ट कर दीजिये अन्यथा आप देखेंगे, औ महसूस कर सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए बहुत अन्याय हो रहा है और वह दर्द इसलिए है कि आप महाविद्यालय खोल रहे हैं, अलग-अलग संकाय खोल रहे हैं, सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोल रहे हैं, बड़ी-बड़ी घोषणाएं सब तरह की कर रहे हैं लेकिन जब आप पेड़ के मूल में पानी नहीं दे रहे हों और पत्तियों में खाद और पानी देने की बात कर रहे हो, मैं समझता हूं उसका उपयोग, उसका लाभ नहीं मिल पायेगा। बड़ी दयनीय स्थिति है प्राथमिक शिक्षा की ओर यह दर्द है ग्रामीण क्षेत्र का कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को यदि आपने ढंग से नहीं सम्भाला,

(17.00 बजे)

उनके लिये कॉलेज खोलना बेकार है। सीनियर सैकण्डरी स्कूल तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। दूर-दराज के गांवों में शिक्षा की आपने व्यवस्था की है। कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि अध्यापकों की कमी चल रही है। गत 5 वर्ष से जमुवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में, जो मेरा क्षेत्र है, मैं निवेदन करता हूं कि वहां पर 37 अध्यापकों की कमी है। कौन पढ़ा रहा होगा उन बच्चों

(श्री रामचन्द्र सराधना)

को। दुर्भाग्य से महिला अध्यापक ऐसी जगह लगा दीं। वे रोजाना जाती हैं और वापस आ जाती हैं। माननीय सभापतिजी, मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यदि प्राथमिक शिक्षा के साथ शिक्षकों का मन बना पाये, किसी तरह से हैड-क्वार्टर पर रहने की व्यवस्था करवा पाये, मैं समझता हूं कि आत्मीयता बढ़ेगी और वे बच्चों को ढंग से सम्भाल पाएंगे।

प्राथमिक शिक्षा के साथ आपने उच्च प्राथमिक शिक्षा को भी जोड़ा है। कई साथी गांवों में भी कहते हैं। यहां पर माननीय विधायकगण भी कहते हैं कि उच्च प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा के साथ या पंचायती राज से नहीं जोड़ना चाहिए था। इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। प्राथमिक शिक्षा को पंचायती राज चलाए, उच्च प्राथमिक शिक्षा को पंचायती राज चलाये या राज्य सरकार चलाए, या कोई इंस्पेक्टर बैठे, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि उसका सुपरविजन कैसा चल रहा है। आपने पंचायत समितियों में एसडी.आई. नियुक्त कर रखे हैं। मैंने मेरी पंचायत समिति में एसडी.आई. महोदय से बात करके देखा है। एक वर्ष पूरा हो जाए, पूरा सेशन निकल जाए और 10 स्कूलों का सुपरविजन नहीं कर पाये। हमने पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कभी वे बछड़ा खरीदने जा रहे हैं, कभी गाय खरीदने जा रहे हैं, कभी भैंस खरीदने जा रहे हैं, कभी पर्चेजिंग केम्प में जा रहे हैं, कभी साक्षरता के आंकड़े इक्ट्ठे कर रहे हैं। आपने बहुत सारी स्कीमें चला रखी हैं। मैं समझता हूं कि उपयोगी समझकर चलायी होंगी। केन्द्र सरकार की भी कई स्कीमें हैं। साक्षरता आप चला रहे हैं, प्रोढ़ शिक्षा आप चला रहे हैं और अनौपचारिक शिक्षा, कई तरह की चला रहे हैं, आंगनबाड़ी चला रहे हैं। इन सबको एक जगह करके पुष्ट तरीके से यदि प्राथमिक शिक्षाओं का आप आधार बना पाए और सब सुविधाएं वहां जुटा पाए तो मैं समझता हूं कि बहुत भला होगा और पंचायती राज मंत्रीजी, भगवान आपका बहुत भला करेंगे तथा राजस्थान की जनता जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, वह आपको बहुत दुआएं देंगी। आपने देखा होगा, बहुत सारे माननीय सदस्यों ने भी देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में छोटी-छोटी निजी शैक्षणिक संस्थाएं चालू हो गयी हैं। और बिना पढ़ा-लिखा अभिभावक भी अपने बच्चे को उस स्कूल में भेजना चाहते हैं। क्योंकि उसका सीधा फल उसको नजर आ रहा है। उसका लड़का बहुत बढ़िया ड्रेस पहनकर जाता है। जाते ही, अध्यापक उसको सम्भालता है, उसके बटन को देखता है, उसके बालों को देखता है। सब तरह की बातें करता है, उससे आत्मीयता बनाकर रखता है। लेकिन हमारे सरकारी स्कूल का अध्यापक बच्चे की तरफ नहीं देखता है। वह केवल घड़ी की तरफ देखता है। कब टाइम होने वाला है और कब मैं चला जाऊं।

माननीय सभापतिजी, मैं इस मुद्दे पर बहुत गम्भीरता से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिन्होंने इसको बहुत गम्भीरता से देखा है और 16 हजार शिक्षण केन्द्र खोलने की बात की है। बहुत सारी

(श्री रामचन्द्र सराधना)

शंकाएं उसके साथ में हैं। आपने उच्च प्राथमिक विद्यालय को जोड़ने की बात की है। स्वतंत्र रूप से उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, वे आपने जोड़ लिये, ठीक है। लेकिन सैकण्डरी स्कूल के साथ में, सीनियर सैकण्डरी स्कूल के साथ में जो मिडिल स्कूल चल रही है उनका सुपरविजन कौन करेगा, उनकी मोनिटरिंग कौन करेगा। या तो आप उसको हटाकर के अलग से कर दीजिए या उसके साथ में प्रिंसिपल उसको देखेगा या हैड-मास्टर उसको देखेगा तो फिर आपके और उनके बीच व्यवधान होगा और उसका व्यवस्था को नहीं बना पाएंगे। एक गम्भीर मुद्दा है, उच्च प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं को मिलाने के लिये, इस पर भी गौर करें।

आपने 16 हजार शिक्षण केन्द्र खोलने की बात की है। बहुत खुशी की बात है। आप 16 हजार प्राथमिक शिक्षण केन्द्र 1999 में खोलेंगे। आपको मालूम होगा कि 1990 में राजस्थान में गई सरकार ने एक ही आदेश से साढ़े 6 हजार प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया था। उसी रेशो में आज तक बढ़ते तो ये शिक्षण संस्थाएं बहुत बढ़तीं। आपकी 16 हजार कम पड़ रही हैं। लेकिन मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस विषय में गम्भीरता से विचार करके 16 हजार शिक्षण संस्थाएं खोलने की बात कही है। आपने इसमें जिन अध्यापकों का चयन करने की बात कही है, ग्रेज्युएट रखा है। सीनियर सैकण्डरी रखा है, सैकण्डरी रखा है और मिडिल स्कूल तक रखा है। लेकिन मिडिल पास को आप रखने की बात करेंगे, मैं समझता हूं कि बड़ा विवाद पैदा होगा। मिडल स्कूल को तो बिलकुल हटा दीजिए। अन्यथा फिर कई तरह के उत्पात पैदा होंगे। मिडल स्कूल का या मिडल क्लासेज का सर्टिफिकेट कोई भी ला सकता है इधर-उधर से कई तरह की बातें होती हैं, आपसे छिपी हुई नहीं हैं। आपने सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी को शिक्षित बेरोजगार माना है। शिक्षित बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी को जिसने पास कर रखा है। उसको आप इसमें शिक्षक बनाएं। आपने भत्ते की बात की है। सभी का यह मन है कि एक सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी पास करने वाला युवक, जिससे 1200 रुपये में पूरे दिन भर काम कराना चाहते हैं, मुझे लगता है कि वह अच्छी बात नहीं है। उसको कम से कम 60 रुपये रोजाना तो दें। जिस तरह से एक मजदूर की आपने मजदूरी तय कर रखी है, 60 रुपये रोजाना तय करें। उसको नियमित रूप से उसी तरह से नियुक्त करें, मानदेय देकर के। मैं नहीं कहता, आप सरकारी कर्मचारी की सारी सुविधाएं देंगे लेकिन जो प्राथमिक शिक्षण केन्द्र खोलें वे और राजकीय प्राथमिक विद्यालय हों, वे, उनकी व्यवस्था एक होनी चाहिए। गांव वालों को भी ऐसा महसूस हो कि यह हमारा प्राथमिक विद्यालय है। सारा उनका मानिटरिंग, सारा उनका लेखा-जोखा, सारा उनका सुपरविजन उस तरह से होना चाहिए, जिस तरह से आपके नियमित विद्यालयों का होता है। तब जाकर के वे महसूस करेंगे। तब जाकर के आपका मानदेय पर नियुक्त होने वाला अध्यापक होगा, वह यह महसूस करेगा कि मैं टीचर हूं। उनका

(श्री रामचन्द्र सराधना)

भी रिकार्ड होना चाहिए कि यह शिक्षक कैसा है और एक वर्ष में इसने कैसा फल दिया है। आपने अच्छी बात की है। शिक्षण केन्द्र खोलने की बात आयी है। किस आधार पर खोलेंगे, कैसे खोलेंगे यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। बहुत सारी जगह है, 40 छात्र जहां पर होंगे वहां पर आपने अध्यापक देने की बात की है। वहां पर गांव वालों की तरफ से आपने जन-सहयोग में भवन मांगा है और वहां पर विद्यालय खोलने की बात कही है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से साक्षरता की बात करने के लिये लगा रखे हैं, आपने जिस तरह से अनौपचारिक शिक्षा के लिये लगा रखे हैं इनसे बहुत बढ़िया है कि ये शिक्षण केन्द्र खोलेंगे और गांव वाले, जहां भी उनको जरूरत है, वहां पर इसका लाभ लेंगे।

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त करें।

श्री रामचन्द्र सराधना : मैंने तो शुरू ही किया है।

श्री सभापति : नहीं, शुरू नहीं किया।

श्री रामचन्द्र सराधना : नया आदमी हूं, मैं देखता हूं, मैं निवेदन करूं। आप तो नये आदमी हैं, सुनते रहते हैं और हमने कई बार ऐसा देखा है कि सीनियर सदस्य हैं वे खुद भाषण देते हैं और पीछे से हाथ खड़ा करते हैं और लोगों को खड़ा कर लेते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप अपनी बात बोलिये... (व्यवधान) अपनी बात कहिये।

श्री रामचन्द्र सराधना : आपने ग्रामीण विकास की बात कही है। पंचायती राज के बारे में ग्रामीण विकास जोड़ा हुआ है। सरपंच को अधिकार देने की बात करते हैं। पंचायत समिति सदस्यों को, जिला परिषद के सदस्यों को अधिकार देने की बात करते हैं। मैं उस महान देश भक्त को भी इस मौके पर याद करूंगा जिसने सरपंचों की कद्र कर दी। माननीय राजीव गांधी जी ने यदि जवाहर रोजगार योजना के नाम से प्रोग्राम नहीं चलाया होता तो सरपंचों को झाडू खरीदने का अधिकार नहीं था, अपनी गलियों में खुर्रा बनाने का अधिकार नहीं था, इनके पास पैसा नहीं था। उस विचारक ने यह महसूस किया कि सरपंच का अपना भी कुछ अधिकार होना चाहिए, अपना भी कुछ फण्ड होना चाहिए ताकि वह अपने हिसाब से, अपने मन से, गांव में टूट-फूट का काम करवा सके। पंचायत की छत टूट गयी और उसको ठीक करवाने के लिये उसके पास पैसा नहीं हुआ करता था।

अभी जो नयी योजनाएं चली हैं, ग्रामीण विकास की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, कई तरह के नाम दे-देकर के योजनाएं चल रही हैं। माननीय सभापतिजी, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इतनी सारी योजनाओं को देखकर के, उनको छोटा करने की बात करें। 16 योजनाएं चल रही हैं, जिनके गांव वालों को नाम याद नहीं है। पंचायत का सैक्रेटरी, जैसा समझता है, सचिव जैसा समझा देता है यह उस गांव से होगा आपके काम का नहीं है, और वह रह जाता है। जहां सचिवों क बात आ रही है... (व्यवधान)

(श्री रामचन्द्र सराधना)

मैं निवेदन यह कर रहा था कि एक-एक पंचायत में एक-एक सचिव नहीं है और आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम चल रहा है। जमवा रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 43 पंचायतें हैं और 19 सचिव हैं, और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम चल रहा है। कैसा काम चल रहा होगा, 3 वर्षों से यह व्यवस्था चल रही है। वहां पर भी व्यवस्था में व्यवस्था हो गयी। एक-एक सेक्रेटरी के पास 3-3 पंचायतें हैं। एक-एक पंचायत का डिस्टेंस आप देखें तो 20-20, 25-25 किलोमीटर है। उस पंचायत वाला सचिव को देखने जाएगा तो कह देगा कि उस पंचातय में गया है, वह दिखेगा नहीं, और पंचायत में कहां रहता है, कहां गायब होता है, उसका कोई मालूम नहीं है। मैंने इस मामले में पहले भी विचार किया था। एक बार कृषि मंत्रीजी से भी निवेदन किया था। पहले भी एक दौर ऐसा चला था, जिसमें आपके कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि पर्यवेक्षक, गांवों में लगा रखे हैं। उसका क्या काम है ? उसकी क्या उपादेयता है? या कृषि मंत्रालय ने यह सोच रखा है कि हमने जो नियुक्ति कर दी, वह तो ठीक है, यह हमारा विचार है, वह ठीक है। मैं समझता हूं उस पोस्ट को यदि आप पंचायत के सेक्रेटरी से जोड़ दें तो एक-एक पंचायत सेक्रेटरी भी आराम से मिल जाएगा। आपको पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। आपको ज्यादा नयी पोस्टें भी नहीं करनी पड़ेगी। मेरा निवेदन है कि उस कृषि सहायक पर्यवेक्षक को और पंचायत के सेक्रेटरी को, दोनों को ही एक ही जगह, एक ही पद देकर उस एक-एक पंचायत में एक-एक सेक्रेटरी दे दें ताकि गांवों में ग्रामीण विकास का काम आसानी से हो सके। विकास अधिकारी की जहां बात आती है, पहले भी कई सदस्यों ने कहा है, आपने पशुओं के डाक्टर को लगा दिया कि यह विकास के काम करेंगे। आपने स्टेटिस्टिक्स वालों को लगा दिया कि यह विकास का काम करेगा। मेरा निवेदन है, मैं भाषण के लिए भाषण नहीं देना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने नजदीक से पंचायत विभाग को भी देखा है और इसमें निवेदन यह है कि आप जब तक विकास के पद, राजस्थान विकास सेवा के नाम से पद ही रचना नहीं करेंगे, उसका जब तक क्रिएशन नहीं करेंगे तब तक यह बातें ऐसे ही चलती रहेंगी। आर.ए.एस. आफिसर मजबूरी में पंचायत समिति में जाएगा, वह नहीं जाना चाहेगा। यदि आपने कहीं दूर लगा दिया तो वह नजदीक आने के लिए जरूर कह देगा कि मुझे बी.डी.ओ. बना दो मैं माननीय मंत्रीजी, इसीलिए इस अवसर पर निवेदन करूंगा, यह मौका है, आप बड़े सुलझे हुए विचारों के हैं। आपको चाहिए कि राजस्थान विकास सेवा के नाम से एक नये पद का क्रिएशन करें। आर.पी.एस.सी. उसका सलेक्शन करे ताकि वह उसके प्रति जिम्मेदार रहे। अब मुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी है। ऐसा नहीं समझें कि अगले सत्र में मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई लेना-देना नहीं है। या मेरे पेरेंटल डिपार्टमेंट में चला जाऊंगा, मुझे इससे क्या मतलब है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर गौर फरमायें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करिये।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय सभापति महोदय, मजदूरों की बात आ रही है। एक मस्टर-रोल का मामला है। आपको मालूम होगा, माननीय सदस्यों को मालूम हैं कि मस्टर-रोल भरवाते हैं। मजदूरी यहां पर क्या कर रखी है, आपने, चालीस रुपये मजदूर और 60 रुपये कारीगर। बाजार में जाकर बात करें तो सवा सौ रुपये से कारीगर नीचे नहीं आये और अस्सी रुपये से मजदूर नहीं आये। फिर क्या होता है, कैसे मस्टर रोल भरते हैं, कैसे हाजरी भरते हैं, इन सारे काले कामों को वे ही जानते हैं और फिर गांव वाले सरपंच के पीछे पड़ जाते हैं। हाजरी करी, काम किया था इसने 15 दिन और हाजरी भर दी इसकी तीस दिन। आप इसकी जांच करो। क्या जांच करेंगे। मेरा निवेदन है कि इन मजदूरों की, कारीगरों की मजदूरी भी आप बढ़ायें ताकि आपका यह काम सुचारू रूप से चले।

मैं मेरी एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। एक प्रोग्राम आई.आर.डी.पी. का है। इसमें मैं नहीं समझता कि सरकार का मामला सारा आये या सरकार से सुधरने से सारा सुधर जाएगा। इतनी सी जरूरत है कि ग्रामीण जनता का भी इसमें सहयोग चाहिए। जन-प्रतिनिधियों का भी इसमें सहयोग चाहिए। वह किस तरह का आई.आर.डी.पी., किस आदमी को चुनते हैं लेकिन आई.आर.डी.पी. में चुनने के बाद में वह महसूस करता है, पंचायत का सरपंच कहता है, पंचायत का सचिव कहता है कि आपका फार्म भरवाएंगे और आपको हम मदद दिलवाएंगे। उसका फार्म भरवा लेता है। फोटो खिचवा लेता है। नो-ड्यूज सर्टिफिकेट ले लेता है। इसके बावजूद सारे फार्म भरकर वह डी.आर.डी.ए. में पहुंचाता है। डी.आर.डी.ए. वहां से कितने दिन लगाता है। किस तरह से वह सैंक्शन करता है, वह बैंक में पहुंचा देता है और 31 मार्च तक, माननीय सभापति महोदय, वह आई.आर.डी.पी. में सलैक्ट आदमी अपनी सारी योजनाएं लिए हुए, अपने सारे अरमानों को लिये हुए घूमता रहता है। पचांयत, पंचायत समिति, डी.आर.डी.ए. और पंचों के और 31 मार्च को बैंक वाला कह देता है कि आपका अगले वर्ष में लेंगे, टार्गेट खतम हो गये। यह दुर्भाग्य है इस योजना का और आज पंचायत-राज, ग्रामीण विकास की बात करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

गरीबी मिटाने की बात करते हैं। आई.आर.डी.पी. के माध्यम से, लेकिन किसी ने यह महसूस नहीं किया कि बैंकों की क्या जवाबदारी है, पंचायती-राज मंत्रीजी पधारे थे।

श्री सभापति : समाप्त करिये।

श्री रामचन्द्र सराधना : जयपुर जिलाधीश के यहां हमारी भी मिटिंग की थी। निवेदन करूंगा, दो मिनट में मैं पूरा करना चाहता हूं।

श्री सभापति : एक मिनट से दो मिनट, एक मिनट से दो मिनट हो गये आपके। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : और इस तरह से पूछा था कि आई.आर.डी.पी. के कितने फार्म हैं ? बोले 7400/- और लोन कितनों को मिला, बोले 400 को। आप आश्चर्य करो साहब, कि जिन लोगों के आई.आर.डी.पी. के फ़ार्म भरे हुए थे, जो लोग उम्मीद करके बैठे हुए थे, उनको न सरपंच मना कर सका, न सचिव मना कर सका और उसको पैसा नहीं मिला।

श्री सभापति : आप समाप्त करें। 15 मिनट हो गये हैं। Thank you. Please, take your seat. माननीय श्री हीरा सिंहजी चौहान।

श्री रामचन्द्र सराधना : धन्यवाद।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 41 सामुदायिक विकास और मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के बारे में अपने विचार प्रकट करने खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, मैंने ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रगति प्रतिवेदन देखें। माननीय मंत्री महोदय, वर्ष 1987-88 में राजस्थान सरकार ने मेवात क्षेत्रीय विकास योजना का गठन किया और उसके बाद प्रतिवर्ष भरतपुर और अलवर जिले की कुछ पंचायत समितियां ली गयीं और उस क्षेत्र का जो पिछड़ा हुआ था, और उस पिछड़े हुए क्षेत्र के विकास करने के लिए स्पेशल योजनाएं बनायी गयीं।

श्री सी.पी. जोशी : माफ करना, यह डिमांड कल है। एरिया डवलपमैंट की जितनी भी डिमांड है, वह आज नहीं है। खाली मैं तो आपके नोटिस में लाना चाहता हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : कल है क्या ? तो मैं पंचायत पर आ जाता हूं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : बोलने से काम है, चाहे किसी पर भी बुलाओ।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं-नहीं, ठीक है।

श्री जगत सिंह दायमा : यह तो आपको एडवांस में बताना चाहते हैं, ताकि तैयारी करके आ जाओ आप।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं इसलिए कह रहा था कि आप राजसमन्द जिले के हैं और ब्यावर से लेकर पाली, भीलवाड़ा यह ब्लाक पूरा है जो आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा है। इसलिए इस एरिया में बरसात की भी भारी कमी है, जमीन के टुकड़े भी बहुत थोड़े-थोड़े हैं इसलिए मगरा विकास योजना नये ढंग से बनाने के लिए आपको आमंत्रित कर रहा था, आपका इस ओर ध्यान आकर्षित करना था इसलिए मेरे को इस विषय में बोलना था लेकिन अब मैं पंचायती राज पर आ जाता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले...

एक माननीय सदस्य : पंचायत से नीचे मत आना।

श्री सभापति : No disturbance, please.

श्री हीरासिंह चौहान : राजस्थान विधान सभा में 1994 में पंचायती-राज अधिनियम पास किया गया। उसकी धारा तीन है, जिसमें

(श्री हीरासिंह चौहान)

ग्राम-सभाओं का आयोजन किया गया है, बहुत सुन्दर है। पब्लिक आडिट होती है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी, इसमें जो धारा चार में गणपूर्ति जो रखी गयी है, मैं चाहता हूं कि इस गणपूर्ति को हटा दिया जाए क्योंकि गणपूर्ति हो नहीं सकती और बाद में गणपूर्ति के नाम पर यह जो पब्लिक आडिट वाला रखा गया है, कुछ दो-चार आदमी मिलकर उसमें कोई संख्या नहीं रहती है और उसका जितना भी आडिट होता है, छह महीने में, गांव में कितना-कितना ग्राम पंचायत क्षेत्र में विकास हुआ। मैंने इस एक्ट को देखा है और देखने के बाद अब प्रेक्टिकली, क्योंकि पिछले चार साल से प्रधान रहा था और मैंने कई ग्राम पंचायतों में देखा है कि ग्राम सभा का बराबर ढिंढोरा पिंटाते नहीं हैं और बार-बार आयोजन नहीं करते हैं। पब्लिक आडिट की जो भावना 73 वें संविधान संशोधन में जो लागू की गयी थी, वह बराबर नहीं हो रही है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस एक्ट की धारा चार में जो गणपूर्ति का प्रावधान है, इसको आप वापस देखिये। और जहां तक हो सके, मेरा आपसे निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्र में पब्लिक आडिट हो जाए, क्योंकि आपका पंचायत इन्स्पैक्टर है, होना तो यह चाहिए कि वर्ष में एक बार सारी पंचायतों का इन्स्पैक्शन हो जाय, लेकिन देखा यह गया है कि वह एक भी पंचायत का जाकर इन्स्पैक्शन नहीं करता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम पंचायत इन्स्पैक्टर को इस बात के लिए बाध्य कर दीजिए कि कम से कम वह एक साल में एक बार पंचायत के रिकार्ड का इन्स्पैक्शन करें। ग्राम सभाएं होती हैं लेकिन ग्राम सभा में कौन कितना ध्यान देता है। हालांकि यह सही है कि पब्लिक आडिट होने से, पंचायत का सरपंच होता है, पंचायत का ग्रुप सैक्रेटरी होता है और पंचायत के जितने भी पंच होते हैं सारी चीज क्लियर होती है लेकिन इसके बावजूद भी it is the duty of the panchayat inspector. He sould check once in a year. तो कम से कम क्या गलतियां हुई हैं क्या नहीं हुई हैं, किस प्रकार से उनके पंचायत के सैक्रेटरी ने गलती की है, सरपंच के द्वारा गलती हुई है तो वह पंचायत अपना, इन्स्पैक्टर इन्स्पैक्शन मीमो बनाएंगे। उसमें बहुत सारी बातों का उत्तर भी दिया जाएगा कि वह आडिट भी होती है लेकिन यह बहुत जरूरी है कि एक बार उसका इन्स्पैक्शन किया जाए।

इसी प्रकार मेरा निवेदन है कि आपने पंचायत एक्ट की धारा 19 में आपने डिस्क्वालिफिकेशन रखी है कि जिसके दो बच्चें हो जाएं उसको डिस्क्वालिफाइ कर दिया जाए।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि धारा 40 में डिस्क्वालिफाइ डिस्ट्रिक्ट जज कर सकता है। ऐसे कई मामले पिछले दिनों में आये कि आपका सीईओ. है, इसको प्रोसीक्युट करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसके लिए कोई प्रोविजन, कोई व्यवस्था

(श्री हीरासिंह चौहान)

नहीं कर रखी है। पंचायत की जांच जो भी जांच, ग्रामीण जनता है, वह आपको विकास अधिकारी को लाकर देती है। विकास अधिकारी उस कागज को आगे भेज देता है। हाई कोर्ट का भी निर्णय हो चुका है कि जब तक हाई कोर्ट इसमें फैसला नहीं करता है, तब तक डिस्क्वालिफाई नहीं कर सकते इसीलिए एक तरफ तो हमने जनसंख्या रोकने के लिए इस प्रोविजन को बनाया था और दूसरी तरफ इसमें बहुत शिथिलता है। इस प्रकार से कई केसेज ग्राम पंचायत में पाये गये हैं जिसको डिस्क्वालिफाई—

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, एक बात मैं बीच में पूछना चाहता हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : हां, बोलिये-बोलिये।

श्री जगत सिंह दायमा : जो आपने यह नियम बना दिया कि दो बच्चों से ज्यादा नहीं हो, उसमें कई बार ऐसा होता है...(व्यवधान)...

श्री सभापति : आप अपनी ओपीनियन कैसे दे रहे हैं, इस वक्त ?

श्री जगत सिंह दायमा : ओपीनियन नहीं है साहब, इसी में है। इसी में है, एक सैकण्ड...

श्री सभापति : नहीं प्लीज। Let him continue. आप बाद में बोलिएगा अगर आपको संक्षेप में अपनी बात कहनी है तो I will give you time. अभी नहीं।

श्री जगत सिंह दायमा : एक मिनट दे दो।

श्री सभापति : अभी नहीं, प्लीज, अभी बैठिये आप।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरी यह बात चली जाएगी, साहब। (व्यवधान)

श्री सभापति : अभी नहीं।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरा तो एक ही निवेदन था इसमें।

श्री सभापति : This is no issue at all. यह भी कोई इश्यू नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : एक ही निवेदन था कि मंत्री महोदय...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : दो बच्चों की बात हैं या दो पत्नियों की बात है, यह पूछो। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज-प्लीज, विराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : एक बहुत अच्छी बात कही है अगर इसमें कुछ, आप कहें तो मैं आपको बताऊं ?

श्री सभापति : बीच में नहीं। नो-नो, प्लीज विराजिये। माननीय दायमा साहब, प्लीज विराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : सर, यह तो एक अच्छी बात है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप कहना चाहेंगे तो मैं आपको मौका दे दूंगा, लेकिन अभी आप विराजिये।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति महोदय, मैं पंचायती राज मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता था यह धारा 40 के अंदर डिस्क्वालिफाई करने के लिये हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ता है। तो मेरा निवेदन है इस प्रोविजन को रखिये आप। लेकिन रखने के साथ कौन अथोरिटी होगी, आप गांव के पंचों को, सरपंचों को इस बात के लिये अधिकृत करें कि वे ही डिस्क्वालिफाई करने के लिये जाएं, वह तो इस बात के लिये अधिकृत होंगे नहीं। कोर्ट में जाकर अपना समय भी बरबाद नहीं करना चाहते हैं। अगर सही मंशा है सरकार की, कि इस प्रकार के प्रोविजन की स्ट्रिक्टली पालना होनी चाहिये। तो सरकार को चाहिये कि एक आफिसर इसके लिये नियुक्त करे, वह इस प्रकार के मामलों को प्रोसीक्यूट करें और अदालत के जो भी निर्णय हैं, जो भी साक्ष्य वगैरह हैं, वह तो आ जाएंगे, लेकिन इसके लिये आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तब तो जाकर के इस जनसंख्या वृद्धि के लिये हमारे प्रतिनिधियों के ऊपर, चाहे वे पंचायत समिति के हों, जिला परिषद् के हों, ग्राम पंचायत के हों, तो स्ट्रिक्टली इस बात को माना जा सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है-इसमें भी आप थोड़ा परिवर्तन कीजिये।

इसी प्रकार आपसे मैंने एक सवाल पूछा था कि राजस्थान में किन किन जिला परिषदों में डी.पी.सी. की मीटिंग हुई। तो कम से कम आठ जिले ऐसे थे जिनमें पिछले चार साल से डी.पी.सी. की मीटिंग नहीं हुई। अब उन पूरे जिलों के पंचायत राज के कर्मचारी हैं, पूरे जिलों में किसी का प्रमोशन भी होता है। एल.डी.सी. से यू.डी.सी. भी बनता है। बहुत सारे पिऑन्स हैं, जिन्होंने सीनियर सैकण्डरी पास कर ली। चार- पांच-पांच साल से बैठे हैं। उनकी ज होते हुए भी उनकी डी.पी.सी. की बैठक : होने के कारण से प्रमोशन नहीं होता। दे है, मेरे पास उत्तर में है। किसी जिला परि की एकाध बार बैठक हुई है। किसी दो बार हुई है। लेकिन आठ जिला परिष ऐसी हैं, जिसमें कोटा भी है, जिसमें बीकाने भी है जिसमें टोंक भी है, जिसमें हमा पाली भी है। इस प्रकार आठ जिला परिष ऐसी हैं जिनमें डी.पी.सी. की बैठक एक बा भी नहीं हुई या तो हो सकता है कि डायरेक्टर से डायरेक्शन ठीक ढंग से गये नहीं हों। पंचायती राज के कर्मचारियों को यह देकर, उनके प्रमोशंस हों या उनको जो सुविधा मिलनी चाहिये सेवा संबंधी, वह नहीं मिल पाती है। इसलिए हमारे सारे साथी कह रहे हैं कि आज आप उच्च प्राथमिक विद्यालय को, मिडल स्कूल्स को पंचायती राज के अधीन करना चाहते हैं, हम इस बात का एतराज नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न यहां पर यह आता है कि उनकी भी इस प्रकार की अब- चार-चार साल तक डी.पी.सी. की मीटिंग नहीं होती है तो यह आगे जाकर, कर्मचारी जो सेवा करता है, उसके मन में एक प्रकार का बड़ा भय और आशंका पैदा होती है। इसलिए पूरा शिक्षा जगत, जो मिडल स्कूल से अपर प्राइमरी स्कूल के जितने भी टीचर हैं, आज बड़ा भय खा रहे हैं, बड़े आतंकित हैं कि इस प्रकार की हमारी सेवाएं अगर पंचायती राज में ट्रांसफर कर दी गयी, हालांकि हम मानते हैं दूसरे प्रान्तों में, एम.पी. में है, वहां सीनियर सैकण्डरी तक इस संस्था को दे

(श्री हीरासिंह चौहान)

रखी है। अगर आप व्यवस्था सुंदर करना चाहते हैं तो व्यवस्था सुंदर करने के लिये मैं पंचायती राज मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपका जो इंस्पेक्शन है, इसको सुधारिये। आप कम्पलसरी कर दीजिये। पंचायत समितियों में दो-दो एस.डी.आई. रहते हैं एजुकेशन एक्सटेंशन आफिसर, लेकिन उनका कोई, हालांकि यहां से सारा काम दे रखा है, लेकिन वह इंस्पेक्शन करने नहीं जाते। आज माननीय सदस्य ने सदन में जो चिन्ता जाहिर की है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों की क्या हालत है ? उनका एजुकेशन का स्टेण्डर्ड कितना पूअर है। इसका एकमात्र कारण है कि आपके जो निरीक्षक हैं, वह समय पर निरीक्षण करने नहीं जाते हैं। आप उनको बाउंड कर दीजिये। ड्यूटी बाउंड प्रोग्राम दे दीजिये कि आपको कम से कम साल में इतने स्कूलों का इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार कीजिये। आपका इंस्पेक्शन ठीक से होवे। यह जो व्यवस्था अपर प्राइमरी स्कूल की भी आप देना चाहते हैं तो यह भी सफल हो सकती है। लेकिन हो क्या रहा है ? निरीक्षण का बड़ा अभाव है। और निरीक्षण न होने के कारण से पहले एक जिले में एक इंसपेक्टर रहता था लेकिन उसका थोड़ा भय रहता था क्योंकि उसमें राजनीतिक भेद नहीं होता था। वह जो भी देखता उसके अनुसार निर्णय करता था। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस व्यवस्था को सुधारने के लिये कम से कम इंस्पेक्शन करने के लिये आपके एजुकेशन के जितने भी एक्सटेंशन आफिसर हैं, एस.डी.आई. हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर हैं, जितने भी आफिसर हैं उनको ड्यूटी बाउंड प्रोग्राम दे दीजिये प्रोग्राम देकर के इसको आप सफल बनाइये।

एक ओर निवेदन करना चाहूंगा। आपने पंचायती राज में प्राइमरी एजुकेशन बहुत पहले दी। लेकिन आज जिन प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की संख्या कहीं 300 हैं या कहीं 500 हैं, क्या वहां पर एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद आपने सृजित कर रखा है? आप कुछ पैसे जरूर देते हैं लेकिन उससे पिऑन की ड्यूटी नहीं होती। इसलिए बहुत जरूरी है, हम नहीं कहते हैं आप ठेके पर दें, लेकिन आप उसको भी, जो भी उसका सिस्टम है, वह रेगुलर रहे, कम से कम इतनी व्यवस्था कीजिये। जिन स्कूलों की छात्र संख्या ज्यादा है वहां पर तो कम से कम उस स्ट्रेंथ को देखकर आप तय कर लीजिये कि 200 बच्चे होंगे उसके ऊपर इस प्रकार हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी देंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इसलिए जरूरी है कि अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मिल जाता है तो स्कूल की साफ-सफाई और स्कूल की सही व्यवस्था करने में बहुत अच्छा रहेगा। हमारी यह मांग बहुत पहले से चल रही है। लेकिन पिछली सरकार भी नहीं कर सकी। आपसे पुनः निवेदन करते हैं स्कूल को सुव्यवस्थित चलाने के लिये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि इस प्रकार की व्यवस्था करें।

मैं माननीय पंचायत राज मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं 16 हजार स्कूल खोल रहे हैं। लोगों ने बड़ी शंका जाहिर

(श्री हीरासिंह चौहान)

की है कि गांव में पढ़ने वाले बच्चों के साथ ठीक व्यवहार नहीं होगा। शिक्षा कर्मी बोर्ड जो चल रहा है उसका मुझे काफी अनुभव है। वहां पर सलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से होता है। आप इस सलेक्शन के तरीके को सुधारें। यह पंचायत के सरपंच को आप दे रहे हैं इससे ठीक प्रकार से टीचर का सलेक्शन नहीं होगा। अगर वास्तव में प्रोपर सलेक्शन आप चाहते हैं, ठीक प्रकार का लड़का उस ढाणी में बच्चे पढ़े-लिखे मिल जाएंगे और उसी ढाणी का होना चाहिये, दूर-दराज का नहीं होना चाहिये। दूर-दराज का हो गया तो वही खिलवाड़ करेगा जैसा हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे। उसका सलेक्श करने के लिये एक बोर्ड बना दीजिये। आप पंचायत समिति स्तर पर बनाइये और निश्चित रूप से उनका ठीक प्रकार से टैस्ट लेकर, कम्पीटिशन करवाकर जो सर्वाधिक उपयुक्त मिलता है उसका सलेक्शन कीजिये और उसके ऊपर भी एक बॉडी बना दीजिये। उसका इंस्पेक्शन गांव का सरपंच नहीं कर सकेगा। उसके लिये भी एक बॉडी क्रिएट कीजिये, जो स्थानीय हो। इस प्रकार की व्यवस्था अगर आप कर पाएंगे तो हम इस बात की जो आलोचना कर रहे हैं कि 16 हजार स्कूलें खुलने से ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन ठीक प्रकार की व्यवस्था करने के लिये शिक्षा कर्मी बोर्ड का जो व्यक्ति आता है, वहां पर बहुत सुंदर ढंग से चयन होता है। मुझे बड़ा प्रेक्टिकल अनुभव है। वहां किसी प्रकार का पक्षपात भी नहीं होता और उसी ढाणी का बच्चा होना चाहिये। दूरदराज से जाने वाला टीचर ठहर नहीं सकता। उसका ठहराव नहीं होता है, इसलिए उद्देश्य तो बहुत सुंदर है। इस उद्देश्य को सफल बनाइये। लेकिन उसका कैडर सलेक्शन अच्छा बनाइये और सलेक्शन कैडर के लिये ग्राम पंचायत के सरपंच को मत दीजिये। गांव की पंचायत का सरपंच बहुत गरीब होता है। उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के दबाव पड़ते हैं। भाई-भतीजावाद का दबाव पड़ता है और उसकी भी हालत बहुत खराब हो जाएगी। किसी का सलेक्शन नहीं करा सका? इसलिए सलेक्शन करना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए इस जिम्मेदारी को आप पंचायत समिति स्तर पर कोई ऐसा सैट-अप बैठा दीजिये और इसके तहत इस सैट-अप को दीजिये और वह देने के बाद फिर इस योजना को लागू कीजिये। यह बहुत ज्यादा है, इसमें अच्छा कर सकेंगे।

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त करें।

श्री हीरासिंह चौहान : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि ग्राम पंचायत को हम अनुदान देते हैं, लेकिन अनुदान देने के बावजूद भी एक जो कमी हमने महसूस की है आप गांव के सरपंच को कम्पलसरी इस बात के लिये बाध्य कीजिये कि वह गांव को स्वच्छ और सुंदर रखेंगे। जो अनुदान के पैसे मिलते हैं या जवाहर रोजगार योजना के तहत जो पैसे मिलते हैं, उनको वह उल्टे-सुलटे तरीके से खर्च करते हैं। गांव में गंदगी का वही ढेर पड़ा है। पैसे राज के खजाने से उठते हैं। इसके लिये आप एक कम्पलसरी स्पेशल व्यवस्था कीजिये, ताकि गांव बहुत स्वस्थ और सुंदर रहे। सरकार के खजाने से पैसा

ी हीरासिंह चौहान)

लता है गांव में घुसते ही गांव के किनारे ले का ढेर पड़ा रहता है। क्या उसको क ढंग से व्यवस्थित नहीं कर सकते ? तने वर्षों तक, कितने लम्बे समय तक ow long do we have to wait कि व सुंदर हो रह है, स्वच्छ हो रहा है ? च्छी व्यवस्था करने के लिये आपका कर्तव्य न जाता है कि इस स्वच्छता को रखने के ये प्राथमिकता दीजिये और प्राथमिकता साथ-साथ उस गांव के जो सरपंच पंचायत मिति के स्तर पर, जिला परिषद् के स्तर र उनको कोई पारितोषिक करने की भी सी प्रकार व्यवस्था कीजिये। तो सरपंच ोग इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करके गांव सभी प्रकार की सुन्दर व्यवस्था कर सकें। ब तक गांव सुन्दर नहीं रहेंगे तब तक मने ग्राम में राम राज्य की कल्पना की ी, कल्पना हमारी बहुत ऊंची-ऊंची रही, रकार बहुत व्यवस्था भी कर रही है, इन ब के होने के बावजूद भी ठीक प्रकार ी व्यवस्था नहीं हो रही है। बहुत सारे ाननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर की बांड ; बारे में 20 हजार का बांड भरवाया जा हा है। पिछली सरकार ने गलती कर दी । पंचायत राज मंत्रीजी आज कह रहे हैं सलमेर में टीचर नहीं है, डुंगरपुर में टीचर हीं है, बाड़मेर में टीचर नहीं है, नौकरी ने के लिए तो सब जगह चले जाते हैं। हां पर पढ़े-लिखे व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते । जिस मैरिट लिस्ट से आप उनका सलैक्शन रते हैं वे मैरिट में आते नहीं हैं। तो क्या बांड भर कर पिछली सरकार ने गलती की? नौकरी लेने के लिए तो सब जगह जाने के लिए तैयार हैं। 10 साल का बांड भर दिया तो क्या अन्याय हो गया ? रिलैक्सेशन दे दीजिये। माननीय सुमित्राजी कह रही थीं, महिलाओं के विषय में आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं लेकिन उनको कहां लगाओगे ? यहां तो भारी-भरकम संख्या में लोग आलरेडी उपलब्ध हैं। इसलिए इस पर भी आप पुनः विचार कीजिये।

सभापति महोदय, मैं मेरी एक अंतिम बात कह कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। रतनलालजी ताम्बी और अन्य लोगों ने कहा बंटाढ़ार कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं पंचायत राज लागू होने के बाद 1977 का आपने चार आना दिया आबादी के अनुसार हर पंचायत को; भैरोंसिंहजी आये, उसका ढाई रुपया किया। 1980 से 1990 तक आपने फिर चार आने बढ़ाये, पौने तीन रुपये किया और 1990 के बाद फिर 11 रुपये किया। अब आपने क्या दिया इस बजट में ? आप कहते हैं हम पंचायतों के प्रति सोच नहीं रखते हैं, विचार नहीं रखते हैं, बंटाढार कर दिया। क्या कर दिया ? 73वां संविधान में संशोधन था, जिस प्रकार की व्यवस्था थी उस प्रकार का चुनाव हुआ और कम से कम लोगों को यह तो आभास हुआ ही कि मैं कम से कम 40 हजार वोटों से एक जिला परिषद् का सदस्य बन रहा हूं। अधिकार देने वाली बात थी, अधिकार हम नहीं दे सकते एक अलग बात है। अगर आपकी मंशा है, अगर आपके कहीं

(श्री हीरासिंह चौहान)

रुकावट आती है, जिस काम को आप करने जा रहे हैं कि वापस वार्ड पंच, सरपंच और उसके अनुसार प्रधान का चुनाव करें, इस प्रकार की मंशा है तो इस प्रकार की मंशा को भी आप पूरा कीजिये। नहीं होता है तो कुछ अधिकार दे दीजिये उनको। इवन अपना कुछ सर्टिफिकेट तो दे सकते हैं। यहां तक के भी अधिकार दे सकते है और इस प्रकार की व्यवस्था कर सकें जिससे लोग संतुष्ट हो सकते हैं। इसीलिए मेरा निवेदन है कि पंचायत राज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए निरीक्षण प्रणाली पर ज्यादा जोर दीजिये। जन सहभागिता से जो विकास के काम हो रहे हैं, काफी योजनाएं गांव में लागू हैं और कुछ योजनाएं लागू होने के साथ उसका ठीक ढंग से क्रियान्वयन होना चाहिए। जिस प्रकार का एजुकेशन होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। इसलिए आप सारा का सारा विश्वास कलेक्टर पर मत कीजिये। आपके जनप्रतिनिधि हैं, बड़े जिम्मेदार लोग हैं। जितने भी एम.एल.एज. आये हैं, उनको अपने-अपने क्षेत्र की चिंता है। अभी आपने कह दिया 28 तारीख को एक ही दिन प्रोग्राम देकर के सारे प्रस्ताव भेज दिये, हम डी.आर.डी.ए. की बैठक में गये, सभापति महोदय। मंत्रीजी, हमें आपका एक लैटर मिल गया, हमने पढ़ा कि 28 जनवरी को जितने भी प्रस्ताव ग्राम पंचायतों के आये इसके अलावा हम कोई डिस्कस नहीं कर सकेंगे। मैंने कहा यह कौनसा है, यह तो भारत सरकार की योजना है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। और उसमें तो हमारे प्रस्ताव आने चाहिए, हमारी बात को मानना चाहिए। उन्होंने कहा, आप बोल सकते हो हम नोट कर लेंगे लेकिन हमारा डाइरेक्शन यही है। डाइरेक्शन यही है तो जिला ग्रामीण अभिकरण का आप प्रमुख को मुख्य बना कर क्या करना चाहते हो ? वहां प्रमुख कुछ ही नहीं कर सकता है। इसलिए इस पर भी आप पुनर्विचार कीजिये।

अंत में मेरा एक निवेदन है कि ग्रामीण पंचायत राज व्यवस्था जितनी भी सुदृढ़ होगी, क्योंकि इस देश की 75 प्रतिशत आबादी इससे प्रभावित होती है, इसलिए हमें चाहिए कि इसके सोच-विचार कर जितनी भी व्यवस्था हो, सुन्दर ढंग से करें। सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं आपने मुझे समय दिया।

श्री सभापति : श्री जगत सिंह दायमा, सिर्फ एक मिनट।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, मैं तो पंचायत राज की धारा 19 के बारे में यह जानकारी भी चाह रहा था और ध्यान देना भी चाहता हूं कि कई मामलों में वैसे ग्रामीण क्षेत्र में 18-20 साल की उम्र में दो बच्चे हो जाते हैं और क्योंकि खेती करते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं किसी तरह से मौत हो जाए तो 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में सरपंच अगर वह बन जाता है तो अगर वाइफ गुजर गयी और दूसरी शादी कर ली आपने, उनके दो बच्चे पहले से हैं तो आप उस महिला को मां बनने से कैसे रोक सकते हो जो महिला शादी कर के घर में आयी है ? प्रावधान नहीं है क्या ? (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह)

मिलेगा। इसको अगर करना ही है तो पुरानी परम्परा जो है स्कूल्स खोलने की नार्म्स के आधार पर, क्या उसमें थोड़ा सा और रिलेक्सेशन करने की आवश्यकता है ? 16 हजार नहीं खुलें तो कम खुल जाएं कोई बात नहीं परन्तु शिक्षा विभाग या पंचायत राज के माध्यम से पूर्व में खुलते थे, उसी तरह की स्कूल्स खुलनी चाहिए।

पंचायत में सचिव की जहां तक बात है, आज ठीक है, हमारे मंत्रीजी ने और इस सरकार ने यह फैसला लिया है कि एक-एक पंचायत में एक-एक सचिव होगा। परन्तु आज की परिस्थिति में सचिव चार-चार और तीन-तीन पंचायतों पर एक है। अब वह कौनसी पंचायत में कहा जा रहा है कोई पता नहीं है। सचिवों की हाजिरी की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। सबकी हाजिरी होती है, हाजिरी में दस्तखत होते हैं परन्तु सचिव के लिए ऐसी कोई पाबन्दी नहीं है कि वह हाजिरी में कहीं दस्तखत करे। तो यह भी व्यवस्था होनी चाहिए, सचिवों की अटेंडेंस होनी चाहिए। आर.ए.एस., बी.डी.ओ. लगाने की बात आपने कही है। निश्चित तौर पर स्वागत योग्य कदम है। बिलकुल फ्रेश आर.ए.एस. जो होते है उनको बी.डी.ओ. लगावें तो निश्चित तौर पर साल दो साल में उसका अच्छा, गावं से या नीचे के स्तर पर जो कार्यक्रम होते हैं उनसे अनुभव भी प्राप्त होगा परन्तु एस.डी.एम., और एस.डी.एम. रह गये और उनको अगर बी.डी.ओ. लगाया गया तो वह न तो जोइन करेगा। यह बात भी कोई तर्कसंगत नहीं लगती है। मान लो किसी ने किसी के दबाव से जोइन कर भी लिया तो वह ज्यादा से ज्यादा उस पंचायत समिति में बैठकर जन प्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार ही करेगा और वह यह महसूस करेगा कि मेरा यहां से स्थानान्तरण कैसे हो सकता है, वह ढंग से काम नहीं करेगा।

मान्यवर, मिडल स्कूल को हम ग्राम पंचायतों को देने की बात कर रहे हैं। जिला परिषदों को देने की बात कर रहे हैं। ग्राम पंचायतों में, पंचायत समितियों में यह स्थिति चल रही है कि पंचायत समिति के जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वह भी प्रोपर ढंग से नहीं चल रहे हैं। कहीं 35 बच्चे हैं, तीन बहिनजियां लगी हुई हैं। कहीं 150 बच्चे हैं वहां एक टीचर लगा हुआ है। इनका संचालन भी ढंग से नहीं हो रहा है। तो मिडल स्कूल्स अगर उसमें और भी जोड़ देंगे तो इसका संचालन किस तरह से हो पायेगा, मैं नहीं समझ पा रहा हूं।

एस.डी.आई. जो अपन बाहर से, शिक्षा विभाग से पंचायत समिति में लगाते हैं। वह भी मेरे हिसाब से ठीक बात नहीं है। शिक्षा प्रसार अधिकारी पंचायत समिति को, अपने स्तर पर ही तैयार करने चाहिए। अपने स्तर पर व्यवस्था कर, चाहे आर.पी.एस.सी. से क्लियर करावें या जैसे भी अपने स्तर पर तैयार करने चाहिए। इधर-उधर से मांग कर काम नहीं चलाना चाहिए।

विशेषकर एक शिक्षाकर्मी योजना के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा इस योजना की बुराई नहीं कर रहा हूं परन्तु इसकी व्यवस्था जो चल रही है, इसमें एस.डी.आई. जो लगा रखे हैं, बिलकुल राजनीतिकरण कर

(श्री रघुवीर सिंह)

रखा है और उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है पिछले आठ साल में। पंचायत समिति के शिक्षाकर्मी के जितने विद्यालय थे, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में थे। जहां पर शिक्षाकर्मी के विद्यालय थे, पंचायत समिति के विद्यालयों को शिक्षाकर्मी में कनवर्ट करें और वहां कोई विरोध नहीं करे ऐसी जगहों पर वे सारे खुले थे और सारे ट्राइबल बैल्ट में खुले थे। ये एस. डी. आई. सिर्फ पंचजन्य की किताबें वितरित करना, डाक्टर हेडगेवार की किताबें पहुंचाना, विद्यालय में जाकर यह पता करना कि यह जो हम किताबें पहुंचा रहे हैं इसका प्रचार बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तरह का ही काम करते थे वह। (व्यवधान) राष्ट्र का काम करते थे या क्या करते थे, वह हमें पता है मान्यवर।

श्री सभापति : आप चालू रखें इधर।

श्री रघुवीर सिंह : मेरा यह सुझाव है कि शिक्षाकर्मी के जितने भी एस.डी.आई. हैं उनको तुरन्त हटाकर जहां भी वो थे उनको वहां लगा देना चाहिए। वहां पर नयी व्यवस्था करनी चाहिए और पंचायत समिति के विद्यालयों को शिक्षाकर्मी में कनवर्ट करते हैं वह ठीक इसलिए नहीं लगता है कि पंचायत समिति के स्कूल्स जो हैं इसमें ट्रेण्ड टीचर लगते हैं। एस.टी.सी. ट्रेण्ड लगते हैं और शिक्षाकर्मी के जो शिक्षक लगते हैं वह उसी गांव के होते हैं। आठवीं पास और दसवीं फेल, यह ही लगते हैं। वह लोग स्वयं गांव का व्यक्ति स्वयं इतना सक्षम नहीं होता कि बच्चे को इतना ज्ञान दे सके, गांव के बाहर का ज्ञान उसको दे सके ऐसा वह कर नहीं सकता। ठीक है, खिला उठाना और बैठाना कर सकता है पर जनरल नॉलेज की बच्चे को जो खुराक मिल चाहिए, वह दे नहीं पाता है।

पंचायत समिति में इतना बजट आत है कि किसी विभाग के एक एक्सईएन. स कम तो नहीं आता है। एक्सईएन. से कम बजट मेरे ख्याल से आता नहीं होगा। औ

(17.48 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

किसी-किसी विभाग में तो उस एक्सईएन. के पास में भी इतना बजट नहीं आता होगा जितना पंचायत समिति में आता है। परन्तु हमारे पास व्यवस्था क्या है ? मात्र कहीं पर एक जेईएन. और कहीं पर दो जेईएन.। तो इन पैसों का हिसाब-किताब तो कर देते हैं, कई सारी बातें भी उठती हैं, भ्रष्टाचार की बातें भी आती हैं और कई सारे ससपैण्ड भी होते हैं परन्तु सारा कार्य जो होता है, निर्माण कार्य होता है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? मेरा सुझाव है कि एक एईएन. होना चाहिए और कम से कम दो जेईएन. तो हर पंचायत समिति में होने ही चाहिए। कार्य जो होते हैं उनकी क्वालिटी मेनटेन करने के लिए रेस्पांसिबिलिटी, हमने किसी के ऊपर फिक्स नहीं कर रखी है। निर्माण कार्य खराब हुआ, अच्छा हुआ, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। किसी न किसी की लाइबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। आखिर में किसी न किसी, एईएन. हैं, जेईएन. हैं या पंचायत

(श्री रघुवीर सिंह)

समिति की एक कमेटी बने जिसमें जन प्रतिनिधि भी हो, एईएन. भी हो और कमेटी निर्माण कमेटी हो। इसकी जिम्मेदारी हो कि कहीं स्कूल बना है तो उसकी पट्टियां गिर गयी या बिल्डिंग गिर गयी उसकी रेस्पांसिबिलिटी उन पर होनी चाहिए। बिना रेस्पांसिबिलिटी के पैसा भी व्यर्थ जाता है और निर्माण कार्य भी कमजोर होते हैं। इसलिए मंत्रीजी यह ध्यान देंगे कि अपन को किसी न किसी की जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी।

ट्राइबल सब प्लान एरिया में कई जगह चूंकि एक योजना पूर्व में चल रही थी जीवन धारा। जीवन धारा योजना के जो नार्म्स बने थे वह नार्म्स भौगोलिक परिस्थिति और उस एरिये के हिसाब से जो नार्म्स बने हैं वह बिलकुल काश्तकारों की उम्मीद के विपरीत बने हुए थे। जैसे पहली किस्त 12 फीट पर, दूसरी किस्त 22 फीट पर और तीसरी किश्त 35 फीट पर। चौथी किश्त 45 फीट। तो उस एरिये में कोई ऐसी जमीन नहीं है जो 45 फीट तक खोदे बिना कम्प्रेसर के, और पहली किश्त मिलती है उसमें से सचिव साहब, जेईएन. साहब, पंचायत समिति के और भी स्टाफ जो हैं वह सारे मिल कर उसमें से करीब आधा तो नहीं पर एक चौथाई तो उसमें ले ही लेते हैं तो काश्तकार जिस उम्मीद से कुआ खोदता है उसकी मजबूरी यह है कि मैं नहीं दूंगा तो दूसरी किस्त नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में ना तो कुआं कम्पलीट कर पाता है और ना उसके पास वह पैसा बचता है जिसकी वजह से ट्रेक्टर, कम्प्रेसर जो भी है उसको लाकर उसको होल करा कर उस कुए में ब्लास्टिंग करावे और गहराई कर सके। गहराई बैठती नहीं है और पैसा मिलता नहीं है और एक दो किश्तें तो जैसे तैसे मिल जाती है उसके आगे कुआं खुदना बंद हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि चाहे भारत सरकार से प्रस्ताव भेजे, निवेदन करें कैसे भी करके हमारे एरिये के हिसाब से नार्म्स जीवन धारा के कुओं के लिए नार्म्स बदलवाने चाहिए। योजना अच्छी है उसके पीछे मंशा बढ़िया थी, सोच अच्छा था; छोटी जमीन होती है काश्तकारों की अगर कुआं मजबूत हो जायेगा उसका, पानी आ जायेगा तो 2 बीघा की जमीन है, वह कुछ भी पैदा कर सकता है। सब्जी पैदा करेगा या जो भी है उसमे दो पैसा कमा सकेगा उसके पीछे मंशा यह थी। परन्तु यह योजना जिस तरह से चला रहे हैं वह चलाने के पीछे...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सर, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : करनी ही पड़ेगी।

श्री रघुवीर सिंह : आई.आरडी.पी. योजना जो चलानी है योजना के पीछे मंशा भी अच्छी थी। परन्तु योजना जिस ढंग से विशेष कर हमारे एरिये में चलती है वह बिलकुल ही नाममात्र की फोर्मेलिटी हो गयी है। सरकार का पैसा भी अनाप-शनाप बरबाद हो रहा है। मुझे लोन चाहए तो मैं पड़ौसी दयारामजी को कहूंगा कि आपकी एक भैंस है तो देना, मेरा काम है तो मैं ले जाऊंगा और कान

(श्री रघुवीर सिंह)

में वह पहना कर ले आऊंगा और शाम को इनके घर वापस बांध आऊंगा। साढ़े तीन हजार रुपये मिले उसमें से पांच सौ रुपये सचिव साहब ने ले लिये और तीन हजार रुपये में ले कर आया। तो पहली बात तो यह है कि साढ़े तीन हजार में कोई भैंस आती भी नहीं है। बैल जोड़ी आती भी नहीं है। परन्तु वहां देने वालों की मंशा बुरी दिलाने वालों की मंशा बुरी। बैंक वालों के साथ यह है कि टारगेट पूरे करने हैं हमको। उसके पीछे यूनिट तय कर दी बैल जोड़ी की यूनिट सात हजार। सात हजार में दो बैल नहीं आते। एक बैल भी आज छह-सात हजार, दस हजार से कम नहीं आवे। यूनिट कोस्ट तय की वह भी कम। दिलाने वाले सचिव साहब टारगेट पूरे करने, वह भी कम। बैंक मैनेजर साहब भी देखे कि मुझे दस टारगेट पूरे करने हैं, दस हजार का लोन है तो साढ़े तीन हजार दे दिया चलो खतम। तो इतना पैसा बरबाद हो रहा है उसके पीछे वहां का रहने वाला जो भी गरीब व्यक्ति है जो इस योजना का फायदा उठाना चाहता है वह भी बरबाद हो रहा है क्योंकि आधा तो उसमें सब्सिडी है और आधा हो रहा है लोन। ना तो पैसा जो लोन का लिया वह उसके काम आया और ना वह उसे भर पायेगा। तो जिन्दगी भर के लिए कर्जे में आ गया। दूसरी बात सरकार ने जिस मंशा से पैसा दिया उसका भी कोई उपयोग नहीं हुआ तो मैं तो आई.आर.डी.पी. के खिलाफ हूं व्यक्तिगत, या उसमें कोई न कोई सुधार होना चाहिए। यूनिट कोस्ट बढ़ानी चाहिए या टारगेट जितने हैं फिक्स उतने ही फार्म देने चाहिए, जितने का लक्ष्य है। उन योजनाओं में हम काश्तकार से या गरीब लोगों से फार्म भरवा लेते हैं दुनिया भर के और टारगेट रखते हैं 2-4-5, तो ना तो हमारी मंशा पूरी होती है ना जितनी मेहनत करते हैं, एक मेरी लास्ट बात कह करके आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।

ट्राइबल सब प्लान एरिये में जमीनें कम हैं। कहीं-कहीं पानी की सुविधा भी है जैसे अभी माही डैम है और सोम-कमला-अंबा है, यह जब डैम भरते हैं तो इनके ऊपर से जो बैक वाटर जाता है उसके किनारे किनारे कई लोगों की जमीनें डूब में चली गयी और वह उठ-उठ करके, कोई तो चित्तौड़ के घने जंगलों में चला गया, कोई धरियावद चला गया। परन्तु जो कुछ लोग किनारे पर हैं जिनके कुए नहीं है परन्तु उनके लिफ्ट इर्रिगेशन, लिफ्ट द्वारा अगर उनको पानी दे दिया जाये तो कई सारी राहत मिल सकती है। सरकार ने तय कर रखा है कि 10 परसेन्ट काश्तकार को देना है या उस गांव के जितने भी लोग फायदा लेना चाह रहे हैं वह उसमें लें। 6 लाख की स्कीम है मान लो, 10 परसेन्ट के हिसाब से उसको, 10 परसेन्ट तो ट्राइबल एरिया डवलपमेंट डिपार्टमेंट से मिलता है। 10 परसेन्ट उनको देना है। तो 60 हजार रुपये उन गांव वालों को देने पड़ेंगे। ट्राइबल एरिये में ऐसे कोई लोग है नहीं जो 60 हजार रुपये इकट्ठे करें। इसलिए उनको न तो वह स्कीम मिलती है ना उसका फायदा मिल सकता है। मेरा

(श्री रघुवीर सिंह)

निवेदन है कि इस योजना पर भी विचार करने की जरूरत है। और ज्यादा से ज्यादा लिफ्ट ट्राइबल एरिया में जैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में, सोम-कमला-अंबा का बैक वाटर आ रहा है वह काफी ऊपर तक आ रहा है चारों तरफ। दोनों साइड बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनको अगर लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीम से जोड़ देंगे तो बहुत सारे लोगों को फायदा मिल सकता है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। श्रीमान् आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-41 और 28...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय यह गृह मंत्रीजी का वक्तव्य 144 पर आना था।

श्री उपाध्यक्ष : आयेगा, आयेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कब आयेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आ जायेगा, आप चिन्ता मत करो।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी का, विकास विभाग की मांग पर चर्चा चल रही है और विशेष तौर से मैं विकास विभाग पर राजस्थान के विकास विभाग पर वह कलंक का टीका है कि राजस्थान प्रदेश में 237 पंचायत समितियां हैं उनमें से एकमात्र पंचायत समिति धोद है। 236 पंचायत समितियों का कार्यालय है लेकिन धोद का कार्यालय, मंत्रीजी आप जवाब भी देंगे, दें कि नहीं दें लेकिन पूर्व मंत्रीजी ने कहा कि जमीन नहीं मिली। जो विभाग, एक पंचायत समिति आज तक हजारों बिल्डिंग्स बना चुकी चाहे वह स्कूल की हों, सामुदायिक भवन हों और खुद अपनी पंचायत समिति का भवन बनाने के लिए आज तक 50 साल के आजादी के बाद भी अगर जमीन नहीं मिलती है तो उस पंचायत समिति में रहने वाले 2 लाख लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। राजस्थान की सरकार और विकास विभाग की जिम्मेदारी है कि एक-एक साल में तीन दफा उसका कार्यालय बदला जाये। उस पूरी पंचायत समिति के लोगों को परेशानी उठानी पड़े और विकास विभाग लगातार यह उत्तर देता रहे, और यह भी उत्तर देता रहे कि पंचायत समिति की कार्यकारणी ने प्रस्ताव चुनकर नहीं भेजा। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कलंक जो विकास विभाग पर, कि एक मात्र पंचायत समिति का जो भवन नहीं है उसको पंचायत राज मंत्रीजी मिटाने की घोषणा करेंगे और आने वाले एक साल के अन्दर इसका भवन बना कर धोद पंचायत समिति के लोग जो 237 में से एक में भवन नहीं है, उसकी पूर्ति करेंगे। जहां तक शिक्षा का सवाल है...

श्री राजेन्द्र पारीक : यह धोद पंचायत समिति, दुखद विषय है कि आजादी के 50 साल बाद आज तक उस पंचायत समिति, धोद में भवन नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : यह बोल रहे हैं, आप बीच में क्यों आ गये। आपकी ही बात कह रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, इनका भी विधान सभा क्षेत्र है इनके भी विधान सभा क्षेत्र की चार पंचायते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उससे क्या हो गया। निवेदन है तो आप करना ना। यह बोल रहे हैं इनको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। जब वह बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। मैं इनकी बात में अपनी बात सम्मिलित कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप समर्थन कर देना बाद में।

श्री अमराराम (धोद) : इसलिए इसको तो मंत्रीजी देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि सक्षम, मंत्रीजी है तो आप घोषणा करेंगे कि एक साल मे विकास विभाग पर जो कलंक का टीका है इसको मिटाने का काम मंत्रीजी करेंगे। जहां तक शिक्षा का सवाल है उपाध्यक्ष महोदय, प्राथमिक शिक्षा ग्रामीण की पंचायत राज के नीचे जिनको दे रखा था उनका मंत्रीजी ने खुद ने बजट के दिन खुद ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि यह शिक्षा केन्द्र खोलने की जो योजना है, इन्होनें खुद ने स्वीकार कर लिया है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ठीक से पंचायत राज में नहीं है। वहां अध्यापक स्कूल में रहते नहीं, बच्चों को पढ़ाते नहीं। इसलिए हम उस गांव के आठवीं पास को शिक्षा, इस योजना में रखेंगे।

(18.00 बजे)

तो जब मंत्रीजी और सरकार इस बात को मान चुके हैं कि राजस्थान के 100 में से 77 प्रतिशत लोग जो गांवों में रहते हैं, उनकी प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था ठीक से नहीं है। तो फिर आठवीं तक की शिक्षा को बरबाद करने पर सरकार क्यों तुली हुई है? जब आप प्राइमरी एजुकेशन को सही नहीं मान रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आज हालत यह है सही कह रहे थे माननीय सदस्य, जहां 500 लड़के हैं वहां 2 टीचर हैं। जहां पर 30 लड़के हैं वहां पर 5 टीचर हैं। क्योंकि हमारे गृह मंत्रीजी भी कह रहे थे, राजनीतिक दबाव। वह प्रधान उन राजनीतिक दबावों को सहन नहीं कर सकता। उनको उन बच्चों की चिन्ता नहीं है, अपनी राजनीति की चिन्ता है कि किस अध्यापक को उसके घर के पास लगाकर अपनी राजनीति को सही रख सकते हैं। राजस्थान के उन गरीब विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में कोई चिन्ता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज भी गांवों में जो खाते-पीते लोग हैं, आप सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते। आज इस बदहाली, प्राइमरी शिक्षा की बदहाली का कारण यह है कि राजस्थान के ट्राइबल बैल्ट को छोड़कर कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां प्राइवेट प्राइमरी स्कूल चालू नहीं होगी। जहां का अध्यापक थोड़ा भी ठीक है उस गांव में प्राइवेट स्कूल नहीं है। लेकिन हर गांव में आपकी शिक्षा का जो स्तर गिरा है, और अब जो पूरे के पूरे ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से आप यह योजना लाये हैं, आपने घोषणा तो की 15,000, बजट में प्रोवीजन 10,000 का रखा। और यह उसी नीति जिस पर उदारीकरण और नयी आर्थिक नीतियों के तहत जो बजट का

(श्री अमराराम (धोद))

प्रोवीजन है, आज तो आप शिक्षा केन्द्र के नाम से कर रहे हैं और आने वाले समय में यही सरकार जहां प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं, पहला साल होगा आजादी के इस विधान सभा बनने के बाद, जिस साल में एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं खोली जायेगी। 1952 से लेकर आज तक पहला साल होगा जिसमें एक प्रोथमिक शाला नहीं खोली जाएगी और 1600 जो हैं, ऐसे आपने 50 साल में–

श्री रामनारायण चौधरी : 16,000.

श्री अमराराम (धोद) : वह करते रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र आपने चलाये हैं। सम्पूर्ण साक्षरता के नाम से चलाये हैं। आपकी इच्छा शक्ति नहीं है कि जो लोग नहीं पढ़ पाये हैं, आज हालत यह है कि उन लोगों के पास जिनके शहर में रहने के लिये जगह नहीं है, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। अब मैं कह सकता हूं राजस्थान का वह गरीब, 5 लाख जो परिवार हैं, आज राजस्थान में ही नहीं रहते। वह हरियाणा, पंजाब, दिल्ली भट्टा मजदूरी में पूरा का पूरा परिवार ले करके हरियाणा, पंजाब में भट्टे पर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं अपनी रोजी-रोटी के लिये। उस रोटी-रोजी के लिये जब तक हम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं इसके लिये निश्चित रूप से हम न शिक्षा का कर पायेंगे। केवल आंकड़े घोषित करेंगे। यह घोषणाएं तो हमेशा होती रही हैं, शिक्षा में पंचायत राज में हमेशा घोषणा की है कि 40 विद्यार्थियों पर एक टीचर होगा लेकिन आज तक नहीं कर पाये। अब हम घोषणा कर रहे हैं कि हर पंचायत में एक ग्राम सेवक हो जाएगा। घोषणा तो बहुत बढ़िया हो जाती है लेकिन लागू कितनी होगी इस बात को देखना है। क्योंकि हमने बहुत नारे दिये हैं। जिस पार्टी का राज राजस्थान में आज है उस पार्टी ने देश में भी नारा दिया है गरीबी हटायेंगे। कितनी गरीबी हट गयी? गरीबों को हटाने का काम जरूर किया है। तो यह नारे केवल नारे नहीं हो जाएं, लागू हों।

जहां तक सरपंचों की हालत है। आपने वही हालत बना दी जो गांवों में कहावत है "राज को चाहिये आंकड़े और भैंस को चाहिये कांकड़े"। कोई भी निर्माण, कोई भी भवन, आपने योजना में लागू कर रखा है 60 प्रतिशत मजदूरी होगी, 40 प्रतिशत सामान पर व्यय होगा। कोई भी माननीय सदस्य और मंत्रीजी 60 प्रतिशत मजदूरी और 40 प्रतिशत सामान में मकान बनाकर दिखा दें कि 60 प्रतिशत मजदूरी और 40 प्रतिशत सामान में मकान बन जायेगा। आप यहीं से उस सरपंच को बेईमान बनाने के लिये, सरपंच की मजबूरी है, लोगों ने वोट दिये हैं। काम को नहीं करायेगा तो वोट देने वाले मारेंगे और काम करायेगा तो बेईमान उसको नाम धरना पड़ेगा। अगर आप सब जानते हुए भी इसको इसीलिये कि केवल आंकड़े हिन्दुस्तान की सरकार के पास यह चले जाएं कि इतने हजार, करोड़ लोगों को हमने रोजगार दे दिया, आंकड़े तो पूरे हो गये आपके। मकान भी हो गये। इसलिये इस व्यवस्था को जब तक, आज हालत यह हो गयी डी.आर.डी.ए. से जो सैंक्शन निकलती है वहां केवल ऐसे सरपंचों, पूरे के पूरे जो

(श्री अमराराम (धोद))

पंचायतों के सरपंच हैं उनको ठेकेदार बना दिया। इनको सरपंचों की बजाय अगर पी.डब्ल्यू.डी. और अन्य विभागों की तरह हम ठेकेदार कह दें तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। जो सरपंच जितना ज्यादा परसेंटेज डी.आर.डी.ए. में देगा, एक-एक जिले में एक-एक सरपंच के यहां डेढ़-डेढ़ करोड़ के निकल जायं और एक सरपंच जो कमीशन नहीं दे, ईमानदारी पर रहे, उसके साल भर में एक लाख की स्वीकृति भी नहीं होती। आज हालत यह है। जो कमीशन के आधार पर, यह नहीं है कि सब के सब बेईमान हैं, लेकिन जब तक आप स्वीकृति, आज हालत यह होती है जो कमीशन नहीं देता, जो कम्प्लीट सर्टिफिकेट यू.सी., सी.सी. जारी हो गयी, एक साल तक वह डी.आर.डी.ए. के चक्कर लगाता रहे, उसको पैसा नहीं मिलेगा। जो कमीशन देता है चाहे उसका यू.सी. और सी.सी. नहीं मिले, उनको पेमेंट पहले मिल जाता है।

आज यह हालत है पूरे के पूरे जो पंचायत, जो ग्रामीण विकास है, आज 50 साल के बाद में हालत यह है हम पैसे की बात कितनी ही करें, विकास के नारे कितने ही दें, हम ग्रामीण विकास के नारे देते रहें। लेकिन 50 साल की आजादी और राजस्थान निर्माण की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, लेकिन 39,000 गांवों में, मैं 15-20 की तो कह नहीं सकता जो बड़े हैं, बाकी में दस रुपये का लट्टू नहीं जला पाये। आप रात में जाएंगे तो पूरा का पूरा गांव अंधेरे में होगा। और जब गांव से चलकर सीकर, जयपुर किसी भी बड़े शहर में जाएंगे तो 35-35,000 रुपये की ट्यूबलाइट लगी हुई मिलेगी। क्या

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनको यह महसूस नहीं होगा कि हम राजस्थान के नागरिक हैं। हम नारे देते रहें। सफाई की व्यवस्था हो, हम कहें स्वच्छ भी रहें..

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप तो ऐसा मत कहो, दिल्ली में तो हम और आप साथ हैं।

श्री अमराराम (धोद) : अभी तो देखा जाएगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री अमराराम (धोद) : इनको भिड़ाने में तो हम आपके साथ हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्ड-आर्डर प्लीज। समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, जो आज हालत बन रही है इसको जब तक हम नहीं करेंगे, एक मैं मुद्दा और आपके सामने..

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री अमराराम (धोद) : आज यह हालत उच्च स्तर पर हो रही है। मैं सीकर के बारे में बताना चाहता हूं। ई.ए.एस. योजना में तीन साल तक जो विभाग थे वह पी.डब्ल्यू.डी. हो, चाहे इरिगेशन हो, तीन साल तक उनको पैसे देते रहे। कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया और पिछली साल

(श्री अमराराम)

अकेले जिले को ई.ए.एस. योजना में सात करोड़ रुपया नहीं मिला और किसके कारण नहीं मिला ? सीकर का जिला कलक्टर जो डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन था, उसके कारण नहीं मिला। लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं हो सकती। अगर छोटा सा कर्मचारी कर देता, उसके लिये 17 सी.सी. का नोटिस मिल जाता और सस्पैंड हो जाता। लेकिन वह आई.ए.एस. है। न पूर्व सरकार कर सकती थी, न इस सरकार की हिम्मत है। अकेले सीकर जिले को सात करोड़ की चपत एक कलेक्टर देकर चला गया केवल अपने कमीशन के लिये। बाकी पंचायत को तो यू.सी., सी.सी. के बाद में पैसा अगला मिलेगा और बाकी विभाग जो कमीशन कलेक्टर साहब को ज्यादा दे दें उनको यू.सी., सी.सी. की आवश्यकता नहीं। सात करोड़ की चपत अकेला एक कलेक्टर देकर चला गया।

अब आपने घोषणाएं कर दीं। सरकार बड़ी वाहवाही लूट रही है, हमने चैयरमेन बना दिया जिला प्रमुख को। और उसमें ही संशोधन कर दिया कि जो वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार जितने भी पहले कलेक्टर चैयरमेन की हैसियत से थे अब डी.आर.डी.ए. में मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से जिला कलेक्टर तो फिर होंगे। तो फिर क्या मतलब चैयरमेन बनाने से ? आप जो चुनकर आये हैं, आप जो दुहाई दे रहे हैं कि विधायकों के यहां काटे जायेंगे। आज भी मैं कह सकता हूं 32 जिले हैं उनमें जो भी डी.आर.डी.ए. की स्वीकृति निकलती है, एक भी विधायक को पूछकर नहीं निकलती। केवल मात्र स्वीकृति निकल कर काम होने के बाद उनसे स्वीकृति का ठप्पा लगवाया जाता है और जब भी इस बात के लिये सीकर में, मैं डी.आर.डी.ए. के लिये कह सकता हूं, जब डी.आर.डी.ए. का चैयरमेन कलेक्टर को इस बात के लिये सब विधायक और डी.आर.डी.ए. के माननीय सदस्यों ने प्रेशराइज किया कि पहले स्क्रूटनी हो, जो तय हो जाय वह स्वीकृत करें। मीटिंग तय करवायी। एक मीटिंग के बाद में कभी मीटिंग नहीं हुई और मैं समझता हूं यह सरकार भी आज यह चाहती है कि ब्यूरोक्रेट्स के आधार पर आज भी जो पैसा ग्रामीण लोगों के हिस्से में जो कुछ भी आ रहा है, कम भी आ रहा है, वह भी सही सलामत पहुंच जाये। तो वह केवल राजनैतिक जो चुने हुए लोग हैं, जो उन लोगों के प्रति जवाबदेह हैं, उनको वहां रहना हैं। कलेक्टर जो भी, जिस जिले का होगा, जब तक सरकार की इच्छा होगी दो साल, तीन साल रखेगी जब तक वहां रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद) : लेकिन जो चुने हुए लोग हैं चाहे वह प्रधान हों चाहे जिला प्रमुख हो और चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी से हों लेकिन उस जिले में उसकी जवाबदेही है। अगर सात करोड़ रुपये कोई भी जिला प्रमुख के कारण होता तो वह जिले में चाहे किसी भी पार्टी का हो मुंह दिखाने लायक नहीं होता। अब कलेक्टर साहब को कहां ढूंढें। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि अगर आप

(श्री अमराराम)

गांव के लोगों को सही रूप में देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से चुने हुए लोगों को अधिकार देने की ओर बढ़ना चाहिए लेकिन शिक्षा को नहीं देना चाहिए क्योंकि यह शिक्षा जब तक नहीं होगी, देश में यह बताता है कि जो शिक्षा में सबसे आगे है, वह-जनसंख्या कन्ट्रोल में भी सबसे आगे है।

केरल जो शिक्षा में हिन्दुस्तान में एक नम्बर पर है, वह जनसंख्या को कन्ट्रोल करने में भी एक नम्बर पर है। हम उसको मजबूत नहीं करना चाहते तो चाहे हम पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों पर कानून लगा दें, जनसंख्या कन्ट्रोल नहीं होगी। जब तक शिक्षित नहीं होंगे तो जनसंख्या का कन्ट्रोल नहीं होगा। केवल कानून से नहीं होगा। कानून हमने लगा दिया, बाल विवाह नहीं होगा। कानून बन गया लेकिन लोग जब तक जागृत नहीं हुए तो आज बाल विवाह भी होगा। मृत्यु भोज पर मैं समझता हूं उससे पहले से कानून बना हुआ है लेकिन क्या मृत्यु भोज रुक गया? जब तक लोगों में अवेयर वैस नहीं बढ़ेगी लोगों में जागृति नहीं बढ़ेगी, लोगों की शिक्षा नहीं बढ़ती है और यह सरकार आने के बाद जो सबसे ज्यादा अशिक्षित हैं, सबसे ज्यादा जो गरीब हैं, उनकी शिक्षा के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं और जो आज तक करते आये हैं पांचवीं तक अब आठवीं तक कर रहे हैं। मैं समझता हूं यह सबसे बुरा राजस्थान के ग्रामीण लोगों के साथ, किसानों और गरीबों के साथ होगा।

मैं समझता हूं अभी समय रहते सरकार इसको दुरुस्त करे। यही बात कहते हुए आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हफीज मोहम्मद जी।

श्री अमराराम (धोद) : मैं एक और बीच में...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कर दिया आपने, अब क्या है ?

श्री अमराराम (धोद) : एक बात...

श्री उपाध्यक्ष : कल बोल लेना वापस किसी विषय पर।

श्री अमराराम (धोद) : एक ही सैकण्ड, मंत्री जी आज जो कमाने वाला व्यक्ति जिसका मर जाता है, उसको 5 हजार मदद के लिये देते हैं, 10 देते होंगे, लेकिन मैंने पंचायत समिति धोद में देखा है कि जिसका कमाने वाला चला गया आप मदद के रूप में उसको 5 देते हैं, अभी 10 दे रहे हैं उसमें पंचायत समिति विकास पत्र 5 हजार में से ढाई हजार मजबूर करके उससे खरीदवाये। क्या इससे विकास होगा? हम सहायता कर रहे हैं और सहायता में आधा विकास पत्र में। तो ऐसा सभी पंचायत समितियों में, मैं औरों की तो नहीं कह सकता हूं लेकिन धोद में जितने भी 5 हजार रुपये आपने दिये हैं उनका आप रिकार्ड मंगवा लीजिये। उनसे 5-5 में से आधा पैसा जबरदस्ती, क्योंकि बी.डी.ओ. को टार्गेट्स दिये हैं, टार्गेट्स उन्हीं से पूरा करेगा। वह कुछ कह नहीं सकते इसलिए इसको आप दिखायें और इसे रोकें।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हफीज मोहम्मद।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 5-7 दिन पहले भी आपका ध्यान और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया था कि अभी बहुत से विधायक ऐसे हैं जिनको मकान की व्यवस्था सरकार नहीं करा पायी है या हाउस कमेटी नहीं कर पायी। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक और भी प्रश्न रेज किया था।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, अभी रुकें।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पीड़ित हूं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब इस समय आप बिराजें।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आज साढ़े 4 महीने, 5 महीने हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : यह कितने दफे कहेंगे आप ? कह चुके ना आप।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, साढ़े 4 महीने से एक घोंसला नहीं मिला...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : जब तक इंतजाम नहीं होगा रोज कहेंगे।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह भी नहीं बल्कि जब 15 दिन हाउस चला था संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह तय किया था सदन में कि जिनको मकान नहीं मिले उनको 500 रुपये पर डे के हिसाब से डी.ए. और मकान का दिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज हालात क्या हुए ? जैसे मेरी जानकारी में आया है कि जो प्रस्ताव फाइनेन्स को यहां से गया फाइनेन्स सेक्रेट्री ने उसको टर्न डाउन कर दिया कि किसी एम.एल.एज. को 500 रुपये नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्या हम खैरात मांग रहे हैं? संसदीय कार्य मंत्री जी, आप हमको चार महीने पहले मकान अलॉट करा देते। हम आपसे एक पैसा भी नहीं मांगते। गलती विधान सभा की है, गलती सरकार की है कि आज तक हमको एक मकान नहीं दिया। सर्किट हाउस में भी नहीं रह रहे और विधायी कार्य करने में बाधा आ रही है। और फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने टर्न डाउन कर दिया 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, जो आपने पिछले सत्र में किया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, जब माननीय सदस्यों नें, जिनको मकान नहीं मिले और पिछली बार जब विधान सभा में आपने...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री जगमाल सिंह यादव : उनकी क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ? और यह फाइनेन्स सेक्रेट्री जो + + + है। हाउस से जो प्रपोजल जाते हैं उनको टर्न डाउन कर देता है। क्या फाइनेन्स सेक्रेट्री विधान सभा के बजट को टर्न डाउन कर देगा? और अगर यह गलत था तो आपने पिछली बार क्यों दिया?

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अप्रलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

मोहम्मद माहिर आजाद : कतई नहीं कर सकता। माननीय सदस्यों की सुविधाएं और भत्ते जो भी है वह विधान सभा निर्धारित करती है। इसका वित्त सचिव से और वित्त विभाग से कोई लेना देना नहीं है। हम आसन के जरिये माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि जो परिस्थितियां पिछले विधान सभा के सत्र के समय थी आज भी वही की वही परिस्थितियां हैं। परिस्थितियों में कौनसा बदलाव आ गया? इसलिए जब आपने पहले 500 रुपये दैनिक भत्ता निवास स्थान के लिए दिया है। अब आप किस आधार पर ना कर सकते हैं। इसलिए हम आसन से दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमने पिछली बार यह कहा था, पैसे की बात नहीं थी। हमें मकान दिला दीजिये हम किसी तरीके से, कोई कहां रह रहा है, कैसे रहा है आप खुद अंदाज लगायें। कैसे चल सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

मोहम्मद माहिर आजाद : जब तक मकान नहीं मिले यह नैतिक जिम्मेदारी है संसदीय कार्य मंत्री जी की, कि जिन लोगों को आवास मुहैय्या नहीं हुए हैं उनको जो भत्ता पिछले सत्र में दिया गया...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, मंत्री महोदय क्या कहना चाहते हैं सुनें।

मोहम्मद माहिर आजाद : 500 रुपये दैनिक के हिसाब से उनको देना चाहिए (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर, माननीय जगत सिंह जी।

मोहम्मद माहिर आजाद : कि वित्त सचिव इन्कार कर दे...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : यह बिलकुल मनमानी चल रही है और यह मनमानी नहीं होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री क्या कहना चाहते हैं यह सुनें।

श्री जगत सिंह दायमा : एक अधिकारी ऊपर से इस बात के लिए मना कर दे और हमारे मंत्री महोदय चुपचाप बैठे रहें तो...

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, विषय बहुत ही गंभीर है।

श्री जगत सिंह दायमा : लेकिन मैं बैठूंगा नहीं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में, वास्तव में बहुत ही, एक तरह की मनमानी हो रही है। और मैं तो यहां तक कहता हूं क्योंकि हम जैसे मकान में बैठे हैं, आप लोगों ने दिये और आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं हो तो सपोज, हम हमारे खर्चे पर बनवायें और उसको आप 5 साल में काट लें। यह भी एक सुझाव तो लो। बनिस्पत कि आप बिलकुल ही रिफ्यूज कर दें और वह पहले जो प्रकरण हुआ था, जो देवीसिंह जी भाटी ने उठाया था, उससे आप सब अवगत हैं। एटलीस्ट क्योंकि विधायक आये हैं, अब

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

बच्चे भी बड़े हो गये हैं, हम 18-18 साल से बैठे हैं और आपके तो पोते, पोतियां, दोहिता, दोहिती भी हो गयी हैं इसलिए जगह चाहिये। अतः आप मंत्री महोदय यह व्यवस्था करवायें। और वास्तव में माहिर भाई माननीय सदस्य फरमा रहे हैं यह सही बात है, फाइनेन्स का इससे कोई लेना-देना नहीं है। आपके जो भी प्रपोजल जाते हैं वह जी.ए.डी. के पास जाते हैं। और जी.ए.डी. के और फाइनेन्स के बीच में कुछ भी हो लेकिन आप मना नहीं कर सकते। इसलिए मेहरबानी करके थोड़ी उदारता दिखायें और मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं सदस्यों से बहुत ही इन्सलटिंग है एक तो इन लोगों को उपाध्यक्ष महोदय आप फरमा दें मंत्री महोदयों को कि यह प्रपोजल जो भत्ते का है ना साहब, बार-बार बढ़ाने का, आज यह क्या स्थिति है कि मुख्य मंत्री जी की शायद तनख्वाह होगी मुश्किल से 9 हजार या 10 हजार और चीफ सेक्रेटरी को आप दे रहे हैं 35 हजार। यह बिलकुल इंसलटिंग स्थिति है। तो आप इसमें भी विधायकों को लीजिये। इतना कितना ज्यादा घाटा आपका जायेगा। मतलब एक समानता लायें, नहीं तो आपका सेक्रेटरी आपसे ज्यादा कमाये। आपकी ठीक है यहां पर सुन लेगा वापस घर जायेगा तो कहेगा टुकड़े ले रहे हैं यह लोग। तो, यह वर्ड यूज करते हैं यह लोग।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आर्डर, आर्डर।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, विषय बहुत गंभीर है और एकदम से वह विषय आ गया। आप हुक्म दें तो मैं इसके ऊपर कल सारी जानकारी दे दूंगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। ठीक है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने पिछले सत्र में दिया है। अब इस सत्र में भी वैसी परिस्थितियां हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : अगर इसमें कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछ लें।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसमें नयी बात क्या है ?

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हम कोई...(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक दिन का तो समय ले रहा हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : कोई गलत बात...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक दिन का समय ले रहा हूं आपसे। कल मैं सारी स्थिति माननीय सदस्यों को बता दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : कल क्लेरिफाई कर देंगे। ठीक है।

श्री जगत सिंह दायमा : कोई गणित ऐसा नहीं है...(व्यवधान) पहले किया है वैसे अब कर दीजिये...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंह जी...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप इन्हें लताड़ें।

श्री उपाध्यक्ष : लताड़ की आवश्यकता नहीं है। समय ही तो मांगा है।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हम किससे अपील करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं करेंगे तो फिर सोचेंगे... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप बीच में बोल रहे हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप वित्त सचिव को भेजते हो माननीय सदस्यों के प्रस्ताव बनाकर, यह इंसलट नहीं है क्या ? आपने माननीय सदस्यों का प्रस्ताव भेजा और वह टर्न डाउन कर दें। यह कितनी बड़ी इंसलट की बात है। आपको तो आदेश देना चाहिए कि माननीय विधान सभा के सदस्यों को जिनको आवास सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनके लिए हम यह प्रस्ताव भेजते हैं। आप यह कर दीजिये। आप सलाह क्यों मांगते हैं उनसे ? आप निर्देश दीजिये (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दामया : और फाइनेन्स सेक्रेट्री अगर ऐसा सोचते हैं (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : यहीं तक नहीं हुआ। मैं हाऊस में एक निवेदन, एक मिनट में और कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे आवास के लिए, जो सदन में किसी भी पार्टी का नेता है मुख्य मंत्री जी ने और संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपनी पूरी ताकत लगायी कि इनको बड़े बंगले दे दिए जाएं। मालूम है आई.ए.एस. और जी.ए.डी. ने क कहा ? यह तो बड़े बंगले हैं, जिनमें आई.ए.ए रह सकते हैं, सदन के नेता नहीं रह सकते इस तरह की टिप्पणियां और इस तरह व व्यवहार जब आई.ए.एस. और ब्यूरोक्रेट्स क रहे हैं तो क्यों हमारा अपमान करा रहे आप ? एक होस्टल बना दीजिए, आ होस्टल में एक-एक कमरा दे दें। हम आपसे खैरात भी नहीं मांग रहे हैं, आपने अग हमको चार महीने पहले मकान दे दिए होते तो यह सदन में आज प्रश्न खड़ा नही होता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी बात को इन्होंने बहुत गम्भीरता से समझा है, कल आपको जवाब दे देंगे। एक दिन का समय देने में कोई तकलीफ नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : गम्भीरता की बात नहीं है, मेरे तो आर्डर करने की बात, मेरी बात पर ध्यान तो दें।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे मालूम है, आपको मकान की तकलीफ है।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, मकान की तकलीफ है, मेरी राष्ट्रीय पार्टी है (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह हंसने की बात नहीं है, मान्यवर, काशीरामजी साहब ने सारी जिन्दगी तप, तपस्या और कार्य करके इन 76 पार्टियों में चौथे नम्बर की राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दिलाई है और उस पार्टी को आप कार्यालय नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, हो गई न बात, कल जवाब दे देंगे।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो डबल दर्द है, न मुझे हाउस दिया, न मुझे कार्यालय दिया। मैं बोलता हूं तो कहते हैं कि आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। यह मजाक की बात थोड़े है। हंसने की क्या बात है इसमें ? आप लोग कार्यालय लेकर बैठे हैं, अच्छे-अच्छे बंगले लेकर बैठे हैं, तो मेरे कार्यालय के बारे में व्यवस्था करवाई जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय जगत सिंह जी, समाप्त कीजिए। हो गया न, कल जवाब देंगे, आपकी तकलीफ को समझ गए मंत्रीजी। अभी आपने आधा घण्टे तक इनसे इनके कक्ष में बात की है।

श्री जगत सिंह दायमा : हां, तो बताइए इस बात को।

एक माननीय सदस्य : आपको कार्यालय की कहां जरूरत है ?

श्री खेत सिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : आप दोनों में से नेता कौन है, यह तो बता दो, इस बड़ी पार्टी के नेता कौन हैं ?

श्री जगत सिंह दायमा : सदन में मेरी पार्टी के नेता माहिर आजाद हैं। और सुनाओ ?

एक माननीय सदस्य : आप दोनों क्या करेंगे कार्यालय लेकर ?

श्री जगमाल सिंह यादव : हैं तो दो, लेकिन दो सौ के बराबर हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : कार्यालय मैं चलाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंह जी, समाप्त कीजिए। हो गया न, कल बात करेंगे।

श्री जगत सिंह दायमा : कार्यालय की भी करेंगे क्या साहब ?

श्री उपाध्यक्ष : हां, सब करेंगे, कल करेंगे।

श्री जगत सिंह दायमा : ठीक है साहब।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : गृह मंत्रीजी का वक्तव्य दिलवा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हफीज मोहम्मद।

श्री हफीज मोहम्मद (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-28 और 41 पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। हमारा देश गांवों का देश है, हमारा प्रदेश गांवों का प्रदेश है और राम राज्य के सपने को पूरा करने के लिए गांवों का विकास जब तक सही तरीके से नहीं करेंगे, तब तक हम देश और राज्य को आर्थिक विकास की दृष्टि से आगे नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी ग्राम पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार देकर गांवों के विकास के लिए उनके सामने रास्ते खोल दें। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है कि देश में राजस्थान उन राज्यों में है, जहां पर पंचायती राज की शुरूआत हमारे देश के महान् नेता स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू ने नागौर में की थी और राज्य में आज गांवों के विकास में पंचायतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। निर्माण के नाम पर, सड़कों के नाम पर, स्कूल और औषधालय के निर्माण के नाम पर, पंचायतों ने सामुदायिक विकास विभाग के माध्यम से और श्रमदान के माध्यम

(श्री हफीज मोहम्मद)

से राजस्थान में बहुत काम किया। राजस्थान में जो थ्री टायर सिस्टम पंचायती राज का था, पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव के तौर-तरीके बहुत अच्छे थे। लेकिन पिछले पांच साल पहले जो चुनाव का तरीका था, उसे बदल कर...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : जगमाल सिंह जी, परसों वोट तो दे रहे हैं न ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय सदस्य, मैं अपनी सीट पर नहीं हूं इसलिए जवाब नहीं दे सकता।

श्री हफीज मोहम्मद : मैं सम्माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हमारी बात सुनने की कृपा करें। पंचायतीराज का चुनाव का सिस्टम पहले बहुत अच्छा था, हमारे पंच और सरपंच प्रधान को चुनते थे और प्रधान और सरपंच जिला परिषद् के प्रमुख को चुनते थे, उनका सीधा एक-दूसरे से सम्बन्ध था। लेकिन पिछले चुनावों में तब्दीली करके पंचायतीराज को एक तरह से समाप्त कर दिया गया है। आज पंचायत के सरपंच का पंचायत समिति से सीधा कोई सम्पर्क नहीं है और पंचायत समिति के सदस्य को वहां के विकास से कोई लेना-देना नहीं है। न उससे पूछा जाता है और न उसकी सलाह मशविरे को माना जाता है। यही स्थिति आज जिला परिषद् के चुनाव की है। प्रधान का प्रमुख के चुनाव से सीधा सम्बन्ध नहीं है। जिला परिषद् के सदस्य प्रमुख को चुनकर एक प्रकार से अलग हो जाते हैं और पांच साल तक उनकी क्षेत्र के विकास के काम काज में भागीदारी न के बराबर होती है। यही कारण है कि पंचायती राज कमजोर हो गया और पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत दिनों इनके चुनाव न करवाकर पंचायत के सचिवों को जो वहां का प्रशासन नियुक्त किया, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उस जमाने में सचिवों ने जो भ्रष्टाचार किया, जिन सचिवों के पास बैठने के लिए कभी साइकिल नहीं हुआ करती थी, आज मैं सोचता हूं कि उन सचिवों के पास मोटर साइकिल है, उनके घर पर टेलीफोन हैं, उनके बंगले बन गए हैं और उनको कोई पूछने वाला तक नहीं रहा। पिछले पांच सालों में भ्रष्टाचार जो पंचायतों के माध्यम से हुआ, मैं मेरे क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। बहुत सारी ऐसी पंचायतें हैं जहां पर पिछले पांच साल में एक से दो करोड़ रुपए विकास के नाम पर अपने चहेते सरपंचों को दिया गया लेकिन आज वहां पर विकास के नाम पर कोई चीज देखने को नहीं मिलती जहां पर यह महसूस कर सकें कि यहां पर एक करोड़ या दो करोड़ रुपए विकास के नाम पर खर्च हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में "माण्डल विकास कणिका" नाम से विकास की किताब छपी है। उस किताब को पढ़ने से लगता है कि कितना रुपया राज्य सरकार से विकास के नाम पर पंचायतों को मिला और मौके पर जाने पर लगता है कि न वहां पर स्कूल भवन है, न वहां पर सड़क और नालियां

श्री हफीज मोहम्मद)

। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उस किताब के आधार पर जो करोड़ों रुपयों का गबन हुआ है, उसकी आप जांच करवाइए, आपको भ्रष्टाचार का जीता-जागता उदाहरण मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मिलेगा। मुझे कहते हुए ताज्जुब है कि उन्होंने रामपुरिया पंचायत में सड़क के नाम पर, पुलिया के नाम पर डेढ़ लाख रुपए उठाए जबकि वहां पर पुलिया के नाम पर कोई चीज नहीं है। उस गांव की नालियों के नाम पर पचास हजार रुपए उठाए लेकिन वहां नालियों के नाम की कोई चीज नहीं है। इसी प्रकार अनेक पंचायतों में अनेक नामों से पैसा उठाया गया और वहां पर खर्च नहीं हुआ। और विकास अधिकारी, प्रधान और सरपंच ने मिलकर इतना भ्रष्टाचार किया कि वह इन्कवायरी के बाद ही आपको और हमको पता लग सकेगा। पिछले पांच साल में गरीब उत्थान के लिए पम्प सैट दिए गए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने भीलवाड़ा जिले की अपनी मीटिंगों में इस बात को रखा था कि ये पम्प सैट देने में प्रधान और उसके चहेतों ने बहुत भ्रष्टाचार किया है। आज मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं कि उसकी जांच होकर आई तो एडीशनल कलेक्टर ने यह रिपोर्ट दी कि प्रत्येक सैट पर एक हजार रुपये से पांच हजार रुपए तक की रिश्वत ली गई। लोगों के बयान हुए लेकिन मुझे कहते हुए दुःख है कि न तो उनके खिलाफ आज तक कार्यवाही पुलिस में हो रही है और न उनके खिलाफ रुपए वसूल करने की कार्यवाही हो रही है। पिछले चार-पांच साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचायतों में प्राइमरी एजूकेशन को सौतेले व्यवहार की दृष्टि से देखा है। स्कूलों में अध्यापक नहीं, एक-एक पंचायत सचिव के पास तीन-तीन पंचायतें और पंचायतों के सरपंच और सचिव ने मिलकर, विकास अधिकारी और प्रधान ने मिलकर, जहां पर इनकी पार्टी के लोग सरपंच थे, इतने गबन घोटाले हुए हैं कि मैं सदन में आपके मार्फत, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि, वह किताब इसका प्रमाण है, उस किताब के आधार पर भी अगर आप विभागीय जांच करवाएंगे तो आपको लगेगा कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है।

हमारे माननीय विपक्ष के सदस्य पंचायत राज के बारे में अपने कुछ विचार व्यक्त कर रहे थे, उसमें शिक्षा की गिरावट की बात कर रहे थे, अध्यापकों की कमी की बात कर रहे थे, सचिवों की कमी की बात कर रहे थे। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा अभी तो कांग्रेस के राज को आये हुए सिर्फ चार महीने हुए हैं। चार महीनों में पंचायत राज मंत्री जी ने पंचायत राज के सेट-अप को ठीक करने के लिए जो प्रयत्न किए हैं, प्रत्येक पंचायत को एक सचिव देने की घोषणा की है, पंचायत को अधिकार देने की बात की है, जिला परिषद् के प्रमुख को डी.आर.डी.ए. का चैयरमेन बनाकर ब्यूरोक्रेसी को एक तरह से कमजोर करके चुने हुए प्रतिनिधि को सम्मान देने की बात की है, मैं इस मौके

(श्री हफीज मोहम्मद)

पर इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को और पंचायत राज मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक बहुत बड़ा साहसिक कदम उठाया है। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, जो जिला कलेक्टर के नीचे बैठकर उनके हुकम को माना करते थे, अब आपके प्रमुख अपने हुकम से सारी ब्यूरोक्रेसी को मनाने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा पिछले पंचायत राज में, पिछली सरकार के जमाने में जो गड़बड़ घोटाले हुए हैं, मैं समझता हूं जिस तरह से मेरे निर्वाचन क्षेत्र की पंचायत समिति में घोटाले हुए, मेरे जिले में भी करीब-करीब वही हालत है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं इसी प्रकार सारे राजस्थान में भी कई गड़बड़ घोटाले हुए होंगे। जहां तक अभी माननीय विपक्ष के सदस्य कह रहे थे सरपंचों को उनके भ्रष्टाचार के मामलों में सस्पेंड नहीं किया जाता, उनके दो संतान से तीसरी संतान होने पर उनको सस्पेंड नहीं किया जाता, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं माननीय विपक्ष के सदस्यों से पूछना चाहता हूं हमने अपने जमाने में आपके सामने, आपकी सरकार के सामने ऐसे प्रमाण पेश किए थे कि एक सरपंच के दो से तीसरी संतान हो गई और तीसरी संतान की खुशी में उस सरपंच ने लोगों को भोज दिया। और यह कहकर भोज के कार्ड छपाए कि मेरे लड़का पैदा होने की खुशी में मैं आप लोगों को खाने पर आमंत्रित करता हूं। वह कार्ड लाकर हमने पंचायत राज मंत्री जी को दिया कि इसके तीन संतान हो गई है, आप मेहरबानी करके कानूनी कार्यवाही करें और इस सरपंच को सस्पेंड कीजिए। लेकिन आज वे किस मुंह से यह कह सकते हैं कांग्रेस के राज आने के बाद पंचायतें कमजोर हुई हैं। मैं कहना चाहता हूं उनके उस सरपंच के खिलाफ आज तक कार्यवाही नहीं हुई। आज भी तीन संतान उसके पास है। आज तक...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री हीरासिंह चौहान : मैंने कहा था इसमें धारा 40 में संशोधन करो।

श्री हफीज मोहम्मद : मेरी बात सुनिए। इसी प्रकार...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कहने दीजिए। इनको अपनी बात कहने दीजिए।

श्री हफीज मोहम्मद : इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं आज चार महीने में पचांयत राज ने जो एक गति पकड़ी है, पंचायती राज के कामों की आज जो प्रगति आई है उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय आपसे निवेदन करना चाहूंगा पिछली सरकार की बहुत सारी कमियां हैं। पिछली सरकार ने स्कूलों में अध्यापक नहीं दिए, इसलिए स्कूलों की शिक्षा में गिरावट आई है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेहरबानी करके शिक्षा जैसा विभाग और वह भी प्राइमरी शिक्षा जैसा विभाग जहां पर अध्यापक का होना बहुत आवश्यक है, आप छात्रों के अनुपात

(श्री हफीज मोहम्मद)

से वहां पर अध्यापक देने की मेहरबानी करें ताकि हम अपने ग्रामीण बच्चों को सही तौर पर शिक्षा दे सकें ताकि आगे आकर वे अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बन सकें। मुझे कहते हुए खशी है कि आपने घोषणा की है अध्यापकों की कमी को दूर किया जाएगा। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा बहुत सारे प्राइमरी स्कूलों में स्ट्रेन्थ बहुत है, छात्र संख्या बहुत है। वहां पर अध्यापकों के साथ-साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद भी आप देने की कृपा करें ताकि वहां की सफाई, बच्चों को पानी पिलाने का इंतजाम हो सके। आज बच्चे जाते हैं, न स्कूल में सफाई होती है, न उनके पीने के पानी का इंतजाम है। इसलिए मेरे विचारों से आपको अवगत कराकर यह निवेदन करूंगा कि आप मेहरबानी करके स्ट्रेन्थ के हिसाब से स्कूलों में अध्यापक दें, वहां पर फोर्थ क्लास की व्यवस्था करें और समुचित तौर पर आप पढ़ाने की व्यवस्था करें।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा दूर-दराज के स्कूलों में आज भी अध्यापक पढ़ाने के लिए नहीं जाते हैं, न वहां पर वे कभी रहने की बात सोचते हैं। जैसा कि बस का टाइम मिलता है, अगर 10 बजे का टाइम है और 11 बजे वहां बस पहुंचती है, तो 11 बजे जाकर स्कूल में बैठते हैं जब तक बच्चे खेलकूद करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। इससे हमारी व्यवस्था गड़बड़ाती है और हमारे ग्रामवासी यह सोचते हैं कि शायद हमारी सरकार का पूरा कंट्रोल नहीं है कि समय पर अध्यापक नहीं आते। और समय नहीं होने के पहले, अगर उस गांव में एक बस निकलती है, तो 5 बजने से पहले चार बजे बस निकले तो स्कूल चार बजे बंद करके चले जाते हैं। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, जो बेसिक नीड है, उसको ठीक करने के लिए आप अध्यापकों को बाउण्ड करिए और कहिए कि आपको वहां पर रहना है। चाहे वहां उनको रहने के लिए सुविधाएं देने के लिए कोई भत्ता भी देना पड़े तो हम उनको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन गांव में अध्यापक रहे, अध्यापक के रहने से गांव की और छात्रों की व्यवस्था में सुधार आएगा। मुझे कहते हुए खुशी है कि आपने बहुत बड़ा एक साहसिक निर्णय लिया कि मिडिल स्कूल आप पंचायत राज को दे रहे हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने आपकी इस घोषणा का विरोध किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस तरह की घोषणा एक साहसिक कदम है और हमको जिला परिषद् को ये मिडिल स्कूल देकर शिक्षा का विकेन्द्रीकरण करना चाहिए जिससे हमारा जिला प्रमुख जिला स्तर पर अपने लेबल पर मिडल स्कूलों को अच्छी तरह से देखभाल कर सके, इस बात की शंका है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारी महान नेता इंदिरा गांधी ने देश के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था तब भी लोगों ने कहा था अब राष्ट्रीयकरण होने से बैंक डूब जाएंगे और जनता का रुपया खतम हो जाएगा। मैं उन माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज मिडल स्कूल देने पर जो शंकाएं

(श्री हफीज मोहम्मद)

कर रहे हैं, आज बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद हमारी पूंजी बढ़ी है। बैंकों की शाखाएं जो कुछ परिवारों के काम आया करती थीं, बड़े-बड़े शहरों में हुआ करती थीं, इस नेशनलाइजेशन के बाद आज गांव-गांव तक हमारे बैंक पहुंचे हैं और उन बैंकों की सुविधाएं हमारे ग्रामीण भाइयों को अपनी खेती के, पशुपालन के विकास में सारी सुविधाएं मिली हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आपने मिडल स्कूल देकर एक साहसिक कदम उठाया है। जिला शिक्षा अधिकारी, जो आज अलग बैठता है वह जिला परिषद् में आकर बैठेगा और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि का एक तरह से सम्मान होगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पिछले चार-पांच साल में पंचायत राज में जो भ्रष्टाचार हुए हैं विकास अधिकारियों के माध्यम से, प्रधान के माध्यम से, सचिवों, सरपंचों के माध्यम से, आप मेहरबानी करके जांच कराएं ताकि उनको यह पता लगे कि बेईमानी करने के बाद सरकार जांच कराती है और साबित होने पर सजा मिलती है। अगर आपने जांच नहीं कराई तो सोचेंगे कि हमने जो खाना था खा लिया और आने वालों के लिए भी अच्छा उदाहरण नहीं बनेगा। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पंचायत राज राज्य में सुदृढ़ हो। मजबूत हो इस दिशा में काम हों आज अकाल के जितने काम चल रहे हैं, वे अक्सर पंचायत राज के माध्यम से हमारे गांवों में चल रहे हैं। वहां पर जेईएन. की कमी की वजह से समय पर उनका मेजरमेंट नहीं होता, समय पर उन कामों की देखरेख नहीं होती। इसलिए क्वालिटी के बारे में शंका होना स्वाभाविक है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, आप मेहरबानी करके प्रत्येक पंचायत समिति में जो बड़ी पंचायत समितियां हैं वहां पर दो जेईएन. की व्यवस्था करें ताकि वे कामों की देखरेख ठीक प्रकार से कर सकें और जो हमारे काम चल रहे हैं उनकी गुणवत्ता और उनका कामकाज बराबर चैक करते रहें।

मैं इसके साथ-साथ आपसे निवेदन करता हूं मेरी पंचायत समिति, मेरा निर्वाचन क्षेत्र 120 किलोमीटर लम्बा है, जो बहुत बड़ा क्षेत्र है। मैं जब जिला प्रमुख था तब भी राज्य सरकार ने कुछ प्रस्ताव मांगे थे कि आप कहां पर तहसील और पंचायत समिति खुलाना चाहते हैं। तब हमने प्रस्ताव दिया था कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, सरेड़ा नाम का कस्बा है, वहां पर पंचायत समिति का मुख्यालय खोलकर नयी पंचायत समिति खोलें ताकि हम बहुत लम्बी दूरी को पाटकर अपने भाइयों को, किसानों को, हमारे लोगों को सुविधा दे सकें। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस मांग पर हमारे माननीय पंचायत राज मंत्री इस बात की घोषणा करेंगे कि 120 किलोमीटर लंबी पंचायत समिति के आवागमन को जनता की परेशानी को कम करने के लिए एक और पंचायत समिति होगी। जो हमने सुझाव दिए हैं पंचायत राज को मजबूत करने के लिए, उनको आप पूरा करने की घोषणा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर

(श्री हफीज मोहम्मद)

देया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल मीणा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री का वक्तव्य।

श्री उपाध्यक्ष : आ जाएगा, इतना इम्पेशेंट क्यों हो रहे हो ? यह हाउस तक उठेगा जब माननीय गृह मंत्रीजी का स्टेटमेंट आएगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : फाइल लेकर आए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आ जाएगा Why are you in such a hurry ?

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या-41 और 28 के संबंध में अपने विचार रखना चाहता हूं। दो अक्टूबर, 1959 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू ने पंचायत राज का शुभारंभ किया। 1959 से लेकर 1977 तक कांग्रेस पार्टी ने जो पंचायतों के माध्यम से विकास करवाये, पंचायतों को जो अधिकार दिए, वह सब भी आपके सामने हैं। लेकिन 1977 में जब जनता पार्टी का राज आया तो 1978 को लंबे समय से जब आपने 1965 से लेकर और 77 तक चुनाव भी नहीं करवाए, उसके बावजूद भी चुनाव करवाने के बाद में जनता पार्टी ने 1978 में, जो 1959 से लेकर 77 तक आप प्रति व्यक्ति पंचायत को 25 पैसे दे रहे थे, 1978 में जनता पार्टी के राज में माननीय भैरोंसिंह शेखावत के नेतृत्व में पंचायत को पंचायत के विकास के लिए प्रति व्यक्ति ढाई रुपये किए गए। और उसके बाद में पंचायत को अधिकार दिया गया कि 10 हजार रुपये तक का जो कार्य करें, वो बिना किसी एस्टीमेट, बिना किसी मूल्यांकन के पंचायत और ग्राम सभा को अधिकार दिया गया जो आज तक कांग्रेस पार्टी ने कहीं सरपंचों को कोई अधिकार नहीं दिया, न ही जनप्रतिनिधि पर कोई विश्वास किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पिछले 8 साल में क्या किया, सत्यानाश किया, वो किया, वो किया। मगर भारतीय जनता पार्टी ने जो रिकार्ड कायम किया है, जो हिन्दुस्तान में — (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री कन्हैया लाल : जो हिन्दुस्तान में पहला राज्य है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूप जी, अभी आप बोलेंगे तब बोल लेना ना आर्डर आर्डर।

श्री कन्हैया लाल : सामाजिक अंकेक्षण करवाया। समग्र विकास हेतु पूरे राज्य के अंदर, चाहे वो किसी विभाग से कार्य हुआ हो उनको सूचीबद्ध किया गया।

यह पहला राज्य है भारत के अंदर, ऐसा कोई दूसरा राज्य नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति को सूचना देने का अधिकार, यह भी राजस्थान में पहली बार दिया। जो किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी पंचायत को, किसी भी काम के अंदर अगर यह समझे कि इस काम में मुझे डाउट है तो उस

(श्री कन्हैया लाल)

पंचायत का उस सचिव से, उस काम के बारे में सारी जानकारी ले सकता है। इसलिए यह पारदर्शिता भारतीय जनता पार्टी के राज में हुई है। दूसरा यह था कि जो कांग्रेस सरकार के टाइम में शुरू से लेकर अब तक 20-20 वर्ष से उन सरपंचों को जो हार गए, जिनकी मृत्यु भी हो गई है, आज उन सरपंचों के खिलाफ आपने कैसे लगा रखे हैं। आज भी वो केस चल रहे हैं और फाइलों को दबाकर बैठे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का राज है जिसने उन सरपंचों के साथ में न्याय किया और जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे और जिनसे पैसा वसूल किया गया ब्याज सहित, और उनके केसों में जिस प्रकार हाई कोर्ट के चक्कर लगवाए आपने 20-20 साल, 10-10 साल तक, उनके दो करोड़ रुपये मय ब्याज के वसूल करके, राज्य सरकार को फायदा पहुंचाया गया।

दो से अधिक संतान का जो नियम लागू किया, यह भी भारत में, यह राजस्थान ही पहला राज्य है जिसने दो संतान के बाद में अगर एक संतान होती है और इसका चाहे वह पंच हो, सरपंच हो, जिला पार्षद् हो, पंचायत समिति सदस्य हो, आम जनता में आज एक मैसेज गया। आज परिवार कल्याण के लिए जिस प्रकार से लोगों में एक मैसेज गया, यह भी भारतीय जनता पार्टी के राज में ही किया गया। हमने जो पंचायत राज संस्थाएं, चाहे जिला परिषद् हो, चाहे पंचायत समितियां हों, ग्राम पंचायत हो, जिन्होंने अच्छा कार्य किया, उनके लिए हमने प्रावधान किया कि एक स्टेट में जो तीन जिला परिषदें प्रथम आती है अच्छा कार्य करवाने में, प्रथम आने वाली जिला परिषद् को 8 लाख, सैकण्ड आने वाली को 5 लाख, थर्ड आने वाली को 3 लाख का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार से पंचायत समिति के लिए, एक संभाग में अगर तीन पंचायत समितियां अगर उनमें से जो पंचायत समिति अच्छा कार्य करवाने में और हर तरह से अगुआ रहती है तो पहली आने वाली पंचायत को 5 लाख रुपये, सैकण्ड आने वाली को 3 लाख रुपये और थर्ड आने वाली को 2 लाख रुपये की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के राज में की गई। इसी प्रकार से एक जिले में तीन पंचायतों का चयन किया गया। आपस में पंचायतों में ग्राम पंचायतों में काम्पीटीशन हुआ। विकास के कार्यक्रम के अंदर कम्पीटीशन हुआ। एक दूसरे को देखकर जिले की तीन ग्राम पंचायतें छांटी गई और उन ग्राम पंचायतों में जो पहली ग्राम पंचायत, जिसका पहला नम्बर आया, उसको हमने 2 लाख रुपये दिए। दूसरा नम्बर आया उसको एक लाख रुपये विकास के लिए इनाम स्वरूप उनको दिए गए और तीसरा नम्बर आया उनको 50 हजार रुपये भारतीय जनता पार्टी ने दिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : वह सिर्फ आदेश है किसी को कुछ नहीं मिला— (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। न तो आप अपनी सीट पर हो।

श्री हीरासिंह चौहान : कहां गए फिर पैसे ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, न तो आप अपनी सीट पर हैं (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : सारे पैसे गांवों में लगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी सीट पर नहीं हो। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : यूं ही अपनी बात थोपे जा रहे हो, हवा में बातें कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सदन की कोई गरिमा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन की गरिमा को रखिए।

श्री कन्हैया लाल : पंचायत समिति को विकास के लिए अपने फंड से अगर कहीं विकास कार्य करवाना हो तो आपने उनको क्या दिया, हर पंचायत समिति को 25 पैसे। मात्र 25 पैसे प्रति व्यक्ति दी आपने पंचायत समिति को। और हमने कितना दिया, एक रुपया 25 पैसा पंचायत समिति को, पूरी पंचायत समिति को एक रुपया 25 पैसा प्रति व्यक्ति दिया। यह किया भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बाद में पंचायतों को आज जो 11 रुपये और अब 13 रुपये की जो घोषणा की गई, यह भी भारतीय जनता पार्टी के राज में हुई है। आपने तो केवल 25 पैसे की घोषणा की थी, वह भी एक लंबे पीरियड में। 1959 से लेकर 1977 तक आपने प्रति व्यक्ति मात्र 25 पैसे दिए इसके अलावा कोई पैसा आपने नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री देवीलाल : (व्यवधान) छह रुपये क्विण्टल गन्ने का भाव है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय देवीलाल जी। आर्डर, आर्डर।

श्री कन्हैया लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने संभाग वार ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट खाली बीकानेर और कोटा को छोड़कर खोले। पंचायत राज सदस्यों के ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी हमने एक चौपाल के नाम से गेस्ट हाउस राजस्थान की राजधानी जयपुर में बनाया। यह भी भारतीय जनता पार्टी के राज का एक रिकार्ड है। एस.टी., एस.सी. और ओ.बी.सी. को चुनावों में जिस प्रकार का फायदा हुआ वह भारतीय जनता पार्टी ने ही सबसे पहले इसे लागू किया जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति और ओ.बी.सी., जिनके लोग कहीं आ भी नहीं सकते थे, इनको जनप्रतिनिधि के रूप में हर जगह लिया। हमने प्राइमरी स्कूल दी। प्राइमरी स्कूल के अंदर 30 हजार से ज्यादा अध्यापकों की जो कमी थी वहां हमने अध्यापक लगाए। 30 हजार से ज्यादा अध्यापकों की हमने नियुक्ति की। हाईवे फैसेलिटी सैण्टर खोले गये। अब वे तैयार शुदा हैं। उनके लिए मैं तो मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हाईवे फसेलिटी सैण्टर खोले गए। अब वे तैयार हैं। उनके लिए मैं तो मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि हाइवे फैसेलिटी सैण्टर हैं उनको चालू करवा दिया जाए।

(श्री कन्हैया लाल)

हमने स्थानान्तरण नीति बनायी। हमने जो स्थानान्तरण नीति बनायी, मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि स्थानान्तरण नीति आज अगर बन जाती है तो कम से कम जिस प्रकार से आज चाहे डूंगरपुर हो, उदयपुर हो, आज कह रहे थे कि 10 हजार का बाण्ड भरवा दिया गया, आज जिस एरिया में कोई अध्यापक ठहरता नहीं है, जहां पढ़े-लिखे नहीं मिलते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी ने वह काम किया है कि वहां मिलते हैं। आपके राज में आप देखिये, क्या शिक्षा दी आपने वहां पर ? यह तो आठ साल में फिर भी हुआ है...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री कन्हैया लाल : ग्राम सभाओं के अनुसार जो कार्य करने का हमने निर्णय लिया यह भी भारतीय जनता पार्टी के राज में ही हुआ। जिला प्रमुख को आपने ज़रूर यह किया कि हमने डी.आर.डी.ए. का अध्यक्ष बनाया, उसके लिए वह जैसे राज्यपाल महोदय सिग्नेचर करते हैं और सरकार का अलग कार्य होता है उसी प्रकार से सरकार के रूप में वहां पर कलेक्टर को आपने बना दिया।

श्री श्रवण कुमार : क्या बना दिया वह बताओ ?

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, उनको समाप्त करने दो न।

श्री कन्हैया लाल : सरकार के रूप में कलेक्टर साहब को सारे अधिकार दे दिये कि वह जो सारा कार्य करे, उसकी बिना अनुमति के जिला प्रमुख नहीं करा सकता। पुनर्गठन के लिए हमने नीति बनायी थी। माननीय, 20 मिनट आप सब को देते हैं, मैं 15 मिनट तो आपका लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : 20 मिनट सम्भव नहीं है। आप समाप्त कीजिये।

श्री कन्हैया लाल : मेरा नाम था साहब। 15 मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये आप। आपके एक सदस्य और बोलना चाहते हैं। या तो इनसे मना करा दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दो मिनट बोलने दो।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट कोई बोलता ही नहीं है। कहने की बात है, दो मिनट कोई नहीं बोलता।

श्री कन्हैया लाल : पुनर्गठन के लिए हमने एक नीति निर्धारित की थी। और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय, कि आप पुनर्गठन अगर पंचायतों का करना चाह रहे हैं तो आपकी भी एक नीति होनी चाहिए जिसके मुताबिक सब लोगों का उसमें समावेश हो सके, उसमें आपस में मतभेद नहीं हो।

मेरा निवेदन है कि ग्रामीण विकास सेवा को तुरन्त प्रारम्भ करवायें। रूरल इंजीनियरिंग सर्विस का हमने प्रस्ताव रखा था। मैं आपसे

(श्री कन्हैया लाल)

निवेदन करना चाहता हूं कि इसको प्रारम्भ करवाने की कृपा करें।

कोटा, बीकानेर मे जो प्रशिक्षण सैंटर हम नहीं खोल सके थे, मैं आपसे निवेदन करूंगा की उन सैंटर्स को खोलने की कृपा करें।

ग्राम सेवकों एवं अध्यापकों के रिक्त पदों को तुरन्त भरने की कृपा करें।

साथ ही मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने लोक जुम्बिश और शिक्षाकर्मी योजनाओं को बन्द करने का निर्णय लिया। उसके लिए मैं आपका आभारी हूं क्योंकि ये दोनों संस्थाएं जिस प्रकार का कार्य करती हैं, इनको व्यक्तिशः मैं जानता हूं कि 30 प्रतिशत, 30 प्रतिशत भी नहीं, 20 प्रतिशत मात्र गांवों में जाकर ये पैसा लगाते हैं और बाकी पैसा या तो विदेशों मे घूमने के लिए या इसके प्रशासनिक खर्च में लगते हैं। इसलिए आपने जो बंद करने का निर्णय लिया लेकिन बाद में जब एक दिन पेपर में मैंने पढ़ा कि आपका पता नहीं ह्रदय परिवर्तन हो गया हो तो आज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस काम को आप लें, इसको कभी नहीं छोड़ें। इसको वापस मर्ज करके जिस नीति को लागू करने का निर्णय किया था उसको लागू करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप।

श्री श्रवण कुमार : कांग्रेस सरकार ने शिक्षाविद्ध को मंत्री बनाया है। बीजेपी. वालो ने तो एक हीरो को बनाया था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य को बोलने दीजियें।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जिन्होंने इस पंचायती राज की स्थापना में अपना पूर्ण सहयोग दिया, राजस्थान से इसकी शुरूआत हुई थी, आज उसके बारे में अपनी तरफ से कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज की स्थापना जब राजस्थान में हुई थी तो उस समय लोगों की भावना थी कि अब ग्राम स्वराज आयेगा, गांवों का विकास होगा और यह बात सत्य भी निकली। कांग्रेस के 40 साल के राज में उस समय गांवों के अन्दर स्कूलें खुलीं, सड़कों का विकास हुआ, बिजली का विकास हुआ, गांवों के अन्दर सब प्रकार के सारे विकास हुए थे। लेकिन धीरे-धीरे ये विकास में कुछ रोड़े पैदा हो गयें और हमारे यहां कुछ ऐसी योजनाएं चालू कर दी गयीं, माननीय मंत्री महोदय, कि उन योजनाओं में कुछ विकार पैदा हो गयें। मैं तो कहता हूं कि गांवों के अन्दर भाईचारे की भावना के लिए इसका विकास हुआ था, पंचायती राज की स्थापना की गयी थी लेकिन आज कटुता हमारे यहां बहुत ज्यादा पैदा हो गयी। मैं अपना खुद का उदाहरण देता हूं। अगर जन प्रतिनिधि

(श्री रामस्वरूप)

जागरूक हो तो हमारे ग्राम स्वराज के द्वारा हमारी भावना एकता की, प्रेम की भावना पैदा हो सकती है। मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र में मेरे समय में 9 पंचायतों को निर्विरोध कराया। मंत्री महोदय, क्या आपके यहां इस प्रकार का कोई प्रस्ताव है कि जो पंचायत निर्विरोध आती है उसको कोई बजट आप देते हो, उसके लिए कुछ पैसा देते हो ? ऐसा होना भी चाहिए अगर नहीं है तो। कम से कम उनके लिए एक लाख रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में होनी चाहिए जो निर्विरोध आती हो। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसी पंचायतें जहां कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं है, मेरी खुद की पंचायत साकरवाड़ा जिसमें मेहंदीपुर बालाजी भी आते हैं, 13 वार्ड थे। 13 वार्ड मैम्बरों को बिठाकर मैंने सरपंच का निर्विरोध चुनाव करवाया, काई किसी प्रकार का मतभेद नहीं होने दिया, ऐसी मैंने 9 पंचायतें मेरी निर्विरोध करवायी है। दोनों बार मेरी नगरपालिका टोडाभीम को भी मैंने निर्विरोध कराया है। मैं स्वयं भी ग्राम पंचायत साकरवाड़ा का सरपंच रहा हूं। मेरा निवेदन है, मुझे अनुभव है इस बात का कि पंचायत में किस प्रकार की कितनी दिक्कतें आती हैं।

सबसे ज्यादा अगर आज पंचायतों में कोई घोटाला हुआ है तो वह डी.आर.डी.ए. के अन्दर होता है। माननीय मंत्री महोदय, डी.आर.डी.ए. के अन्दर जो जानवरों की खरीद फरोख्त होती है, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग होते हैं उनको जानवर वगैरह दिये जाते हैं। मैं साफ बात निवेदन करना चाहता हूं, हकीकत यह है कि इसके बदले तो आप उसको 5 हजार या 10 हजार रुपये वैसे ही दे दो। कोई किसी प्रकार की एजेन्सी की जरूरत नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जानवर खरीदते हैं, भैंस खरीद ली, पाच हजार की भैंस है, मैं कहता हूं कि कोई भैंस खरीदी नहीं जाती है, मात्र 200 रुपये देकर के दूसरे की भैंस बतायी जाती है। डाक्टर साहब सीधे हैं जो बाली लगा देते हैं कान के अन्दर। वह बाली दूसरे दिन उखाड़ करके फेंक दी जाती है। बाद में इसमें तीसरा घोटाला और होता है। जो डाक्टर महोदय हैं, ढोर डाक्टरजी हैं, उन ढोर डाक्टरों के आज मारूति कार हो गयी हैं। किसके चक्कर में हो गयी ? इसी के चक्कर में हो गयी। वह बाद में लिख देते हैं कि यह भैंस तो मर गयी जबकि भैंस दूसरी मरती है।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष जी, रामस्वरूप जी कह रहे हैं कि पशुओं की खरीद फरोख्त हो रही है। कौनसी नयी बात है ? दिल्ली में तो पार्लियामेंट के मैम्बर की खरीद-फरोख्त की न्यूज आ रही है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज। आर्डर आर्डर। अपने यहां नहीं हो रही है। आप क्यों चिंता कर रहे हैं ?

श्री जगमाल सिंह यादव : पार्लियामेंट के मैम्बर्स की खरीद-फरोख्त की न्यूज रोज आ रही है।

श्री उपाध्यक्ष : अपने यहां तो नहीं हो रही है न।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से सारे काम में फर्जीवाड़ा होता है। बाद में जाकर क्या करते हैं ? किसी का भी जानवर मर गया तो डाक्टर साहब से रिपोर्ट बनवा देंगे कि जानवर जो खरीदा था वह तो मर गया और सारे पैसे माफ हो जाते हैं। इसमें भी घोटाला होता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से विनम्र निवेदन है कि यह पूरा घोटाला ही घोटाला इस डी.आरडी.ए. के जरिये करवा रखा है। आप मेहरबानी करके इसको सीधा किसानों को वैसे ही क्यों नहीं देते जो गरीब है कि आपको पांच हजार रुपये की सहायता देते हैं हम। कोई नये पैसे की किसी प्रकार की बेईमानी नहीं होगी। सारा पैसा जो उसको मिलता है उसमें आधा से ज्यादा तो इस प्रकार से उसका चला जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की जो गड़बड़ी होती है, इसमें आप कम से कम संशोधन जरूर करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो पंचायतों के अन्दर प्राइमरी स्कूलें हैं, उन स्कूलों की हालत बड़ी खराब हो गयी है। ठीक है, आपने मिडल स्कूल भी इनको दे दिये, बहुत अच्छा कदम आपने उठाया है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज उस मास्टर साहब का बच्चा गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। मास्टर साहब स्वयं प्राइमरी स्कूल के अन्दर गवर्नमेंट की तरफ से पढ़ाते हैं और वहीं मास्टर साहब प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं उसी गांव के अन्दर। मैं कहता हूं कि मास्टर साहब, आपने इस बच्चे को इसमें क्यों भर्ती कराया है तो कहते हैं कि क्या करें, सरकारी स्कूलों की तो हालत ही खराब हो गयी। और वह मास्टर साहब स्वयं सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। 10 हजार रुपये उनकी तनख्वाह है। यह हालत प्राइमरी स्कूलों की होती जा रही है। गांवों में 2-2, 4-4 प्राइमरी स्कूलें प्राइवेट खुल चुकी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि इस पर आप अंकुश लगायें। यह सारा पैसा बर्बाद जा रहा है। लड़कों का स्तर प्राइमरी स्कूल से ही शुरू होता है और प्राइमरी स्कूल में जब इस प्रकार का हो जाएगा, प्राइमरी स्कूल ही लड़के की मां है, अब मां में ही जब प्यार नहीं मिलेगा, मां से ही बच्चे में संस्कार आते हैं, वह सारे संस्कार आपके नष्ट होते जा रहे हैं। आपने सारी राजनीति में मिडल स्कूलों को भी डाल दिया, इसके ऊपर भी आप अंकुश रखना नहीं तो सारे मास्टर अभी से चिंतित हो गये हैं कि अब क्या होगा। अब तो सरपंच साहब करेंगे वही होगा। रात-दिन सरपंच साहब की खुशामद में रहेंगे। सरपंच साहब अगर नाराज़ हो गये तो ट्रांसफर हो जाएगा हमारा तो। यह स्थिति आने वाली है। इसलिए जो लोग, जितनी भी बातें कहते हैं, झूठी तारीफ कर रहे हैं कि यह बहुत अच्छा कर दिया। आपने तो मिडल स्कूलों को भी ले लिया, मैं तो कहता हूं कि ले लिया, बहुत अच्छा किया। सरकार ने निर्णय लिया लेकिन इसके ऊपर अंकुश

(श्री रामस्वरूप)

जरूर लगाना। बगैर अंकुश के तो इसमें भी इस प्रकार का भ्रष्टाचार फैलेगा, कोई पूछने वाला नहीं है, शिक्षा का भट्टा बैठ जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है। तीसरा, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों से जिनकी सरकार नौ साल तक इस राजस्थान में रही थी...

(19.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री रामस्वरूप : मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, ठीक है, आपने नाम बदले हैं। दिल्ली में आपकी दो दिन में सरकार बदलने जा रही है। आपने हमारी जो जवाहर रोजगार योजना और इन्दिरा आवास योजना, दोनों योजनाओं के नाम बदले हैं, राजस्थान की जनता ने आपको बदल दिया। अब हिन्दुस्तान की जनता केन्द्र में भी आपको बदलकर छोड़ेगी, आपने हमको क्या बदला है। यह हालत है इन लोगों की कि नाम बदलने से कुछ हो जायेगा क्या। अब आप गधे को गाय कह दो, गधे को घोड़ा कह दो, गाय कह दो तो गधा-गधा ही रहेगा...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरी तरफ देखिये।

श्री रामस्वरूप : ...इसलिए आप यह चाहते हो, इतना बढ़िया नाम है, उनको बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी नाम रख दो। रखों कोई आपकी हिम्मत हो तो...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : आपके एक भी नेता ऐसा नहीं है जिन्होंने कुर्बानी दी हो देश के लिए। बलिदान दिया हो जिसने। मैं तो कहता हूं जिसने देश के लिए बलिदान दिया हो...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पंचायती राज पर बोलिये।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी तरफ देखेंगे तो उनका जोश ठंडा हो जाता है।

श्री रामस्वरूप : इसलिए आपने जो भी नाम रखे हैं। (व्यवधान) इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी विराजमान हैं, पंचायती राज की हमारी कांग्रेस ने स्थापना कराई थी और कांग्रेस के बल पर ही यह पंचायती राज आज राजस्थान के अन्दर बढ़ा है। इन्होंने जो नौ साल में भट्टा बैठाया है, मेहरबानी करके आप इसमें दुबारा से सुधार करें। ठीक है, आप जिला परिषदों को सारे अधिकार देने जा रहे हैं, जिला प्रमुखों को भी आप सारे अधिकार देने जा रहे हैं। मेरा तो आपसे एक सुझाव है। यह जो जिला परिषदों के चुनाव, मेम्बरों के जरिये चुनाव होता है, मैं तो कहता हूं, इसका भी एक सुझाव हमको रखना चाहिए, यह चुनाव सीधा पब्लिक से होना चाहिए। यह मेम्बरों ने गड़बड़ कर दी है अब की बार। मेरे स्वयं के करौली के अन्दर मैंने अनुभव देखा है इस बात का, हमारे जो मेम्बर हमारे कांम से जीते थे, उन मेम्बरों की खरीद-फरोख्त

श्री रामस्वरूप)

हुई और आज यह हालत हो गई कि हमारे 18 मेम्बर होते हुए भी हम एक वोट से जीते। इससे बड़ा और भ्रष्टाचार क्या हो सकता है इसके अन्दर। इसलिए इस प्रकार की जो कड़ी बन गई है बीच के अन्दर, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमने प्रेक्टिकली देखा है, आप मेहरबानी करके इनके चुनाव को डाइरेक्ट चुनाव कर दें। पब्लिक में बहुत बड़ा इस बात का रोष है कि हमारे मेम्बर हम जिताते हैं और जाकर के बिक जाते हैं एक लाख में, दो लाख रुपये में इसलिए इस प्रक्रिया को खतम करवाने की मेहरबानी करें।

दूसरा मेरा निवेदन है आपसे मंत्री महोदय, हमारे यहां तो पंचायत में सदस्य और नियुक्त कर दिये आपने, यह सबसे बड़ी आफत पैदा कर दी आपने गांवों के अन्दर। सरपंच होता है, विकास करता है। उसका तो प्रधान से कोई लेना देना नहीं है और जो मेम्बर होता है, यह उसका अविश्वास ला सकता है। यह मेम्बर पंचायत के विकास के जो चैक आते हैं, उन चैक को रुकवाता है। ये कहते हैं, इसमें हमारा हिस्सा दो। अगर हिस्सा नहीं देते हो तो हम तुम्हारे चैक को नहीं आने देंगे और प्रधान उसके चैक को रोक देता है क्योंकि प्रधान इनके अधीन है। इनका अविश्वास ला सकते हैं। ये लोग इसलिए बीच की कड़ी को, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पैदा हुई है, यह बीच की कड़ी बड़ी खतरनाक है। यह चैक पर कहां से इतने दस्तखत झेलेंगी किसी के। चैक अकेला बेचारा तीन-तीन कड़ियों के कहां तक दस्तखत झेलेगा। इसलिए इस चैक को फंसना पड़ता है बेचारे को, और विकास के कार्य अवरूद्ध होते हैं, विकास के कार्य में भ्रष्टाचार फैलता है। इसलिए मेहरबानी करके आप कम से कम इस बीच की कड़ी को खतम करें। सीधा सरपंचों का और उसका मामला करें जो पहले था, तब यह विकास हो सकता है। और यह जो चैक होता है, इस चैक को सरपंच को नहीं देकर सीधा पंचायत समिति में आता है, प्रधान के पास आता है, वे लोग इसको रोक लेते हैं और रोकने के बाद वहां कहते हैं लोग-बाग हमको तो इतना पर्सेन्ट दो, कल तुम्हारे चैक को जारी करेंगे। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि चैक सीधा पंचायत को मिलना चाहिए। ये लोग बीच में रोकने की जो पावर रखते हैं, यह पावर खतम कर देनी चाहिए। इसकी कोई लिमिट कर दो। आठ दिन के बाद में, या तो आठ दिन में चैक को भेज देते हैं, अगर वह नहीं भेजे तो आटोमैटिक चैक वहां चला जायेगा। ऐसा कम से कम आप मेहरबानी करके कोई नियम इसका बना दो वरना यह भी भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा हमारे यहां पर है। इस प्रकार से जो मैंने सुझाव दिया है मंत्री महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, हमारे यहां पंचायत समिति टोडाभीम है-

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री रामस्वरूप : पंचायत समिति नादौती और टोडाभीम, दो पंचायत समिति हैं मेरे वहां। दोनों पंचायत समितियों में आपने जेईएन. बैठा रखे हैं। भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी अगर कोई कड़ी है तो यह

(श्री रामस्वरूप)

जेईएन. होते हैं। इसलिए आप. मेहरबानी करके जेईएन्स पर अंकुश रखने के लिए इन जेईएन्स के ऊपर भी एक एईएन. और बैठायें। वे कम से कम उनके ऊपर अंकुश तो रख सकेंगे। नहीं तो यह हालत हो जायेगी, वहां पर एईएन्स तो है ही नहीं, जेईएन्स है, वह अपने सारे मनमर्जी के अनुसार काम करता है...

श्री श्रवण कुमार : यह 10 प्रतिशत से 13 प्रतिशत और करेंगे साहब। 10 से 13 प्रतिशत हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री रामस्वरूप : प्रत्येक पंचायत में एक सैक्रेटरी होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आज 2-2, 3-3 पंचायतें एक-एक सैक्रेटरी को दे रखी हैं। सैक्रेटरी की हालत यह है कि अब वहां भ्रष्टाचार फैला दिया। तीन पंचायतें संभाल तो सकता नहीं, जगह-जगह काम को छिड़वा देता है, काम पूरा होता है नहीं है, सारा काम वहां पर अधूरा पड़ा रहता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके आप हर पंचायत पर एक-एक सैक्रेटरी, चूंकि आपने घोषणा की है, आप निश्चित रूप से एक-एक सैक्रेटरी देंगे।

अंत में उपाध्यक्ष महोदय, दो बातें और मैं कहना चाहूंगा। एक तो मेरा यह निवेदन है कि पंचायतों के जरिये यह जो हैण्ड पम्प व्यवस्था कर रखी है, कह रखा है, पंचायत हैण्ड पम्प सुधारेगी। और जल विभाग कहता है कि हम हैण्ड पम्प ठीक करेंगे। इन दोनों को आपने हैण्ड पम्प का रोग संभला रखा है। गांव में कोई हैण्ड पम्प खराब हो जाता है तो कहते हैं, पंचायत समिति ठीक करेगी। और पंचायत समिति वाले कहते हैं कि जलदाय विभाग ठीक करेगा। या तो आप हैण्ड पम्पों के स्वयं पूरे अधिकार लीजिये वरना आप जलदाय विभाग वालों को पूरे अधिकार दीजिये। इसके कारण से बहुत बड़ी परेशानी हमारे आती है गांवों के अन्दर। यह बहुत प्रेक्टिकली बात है। मैं निवेदन कर रहा हूं, हां, मैं वैसी बातें नहीं कर रहा हूं, इन लोगों की तरह खाली बुराई कर रहा हूं, वैसी फालतू बात नहीं है।

एक बात आखिर में कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, मंत्री महोदय विराजमान हैं। हम विधायकों के, विधायक कोटे के जो कार्य होते हैं, उनकी प्रशासनिक स्वीकृति तो हो जाती है लेकिन वित्तीय स्वीकृति बिना भ्रष्टाचार के वह भी नहीं होती है। सरपंच से वास्तव में वे लोग मिले हुए रहते हैं। हमने कोई पंचायत में अगर पैसा दे दिया तो जब तक पंचायत का सरपंच वहां जाकर उसका पर्सेन्ट नहीं देगा, तब तक वित्तीय स्वीकृति वे लोग नहीं देते हैं। यह मैं सही बात कह रहा हूं। आज एक-एक साल हो गया मेरे कार्यों को, 6-6 महीने हो गये स्वीकृत हुए कार्यों को, लेकिन आज तक काम चालू नहीं हुआ। जब विधायकों के साथ यह हालत हो रही है, विधायकों के साथ भ्रष्टाचार किया जाता है, तो आम जनता के साथ क्या होगा ? इसलिए विधायक कोटे के हमारे कार्य स्वीकृत होना, तीन-तीन बार मैंने यहां प्रश्न लगा दिये, 131 में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी मैंने यहां पर लगा दिया, उसके बावजूद भी आज

(श्री रामस्वरूप)

तक उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। तो आपके माध्यम से निवेदन है, विधायकों के जो मामले हों, विधायकों के जितने भी कार्य हों, विधायक कोटे के कार्य की कोई सीमा निर्धारित कर दें। अगर एक महीने के अन्दर-अन्दर यह कार्य स्वीकृत नहीं किया तो जो दोषी अधिकारी होगा, या जो भी कर्मचारी दोषी होगा, उसको दंडित किया जायेगा। मेहरबानी करके आप यह निश्चित कर दें कि विधायक के कार्य एक महीने के अन्दर अगर वित्तीय और प्रशासनिक दोनों स्वीकृतियां नहीं दी गई तो उसको दंडित किया जायेगा। और साथ में यह भी कर दें, तुरन्त वह कार्य 15 दिन के अन्दर चालू होना चाहिए और जो कार्य करने वाली एजेंसी है, अगर वह उस कार्य को नहीं चालू करती है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए ताकि लोगों को लगे की विधायक कोटे का पैसा, हम गांवों में घोषणा कर देते हैं कि हम आपके यहां एक कमरा देंगे स्कूल के लिए और छः महीने हो जाते हैं तो गांव वाले कहते हैं क्या हुआ एम.एल.ए. साहब? कहां है वह आपकी घोषणाएं ? छः महीने बाद में हमारी हालत खराब कर देते हैं गांव वाले। कहीं से हमको विधायक कोटा दिया गया है, इस विधायक कोटे के द्वारा हमको झूठा और पड़ना पड़ता है। इसलिए आप मेहरबानी करके हमारे दर्द को समझें और पंचायती राज को डुबाने से बचायें।

अब की बार पंचायती राज के हमारे बहुत अच्छे मंत्री बने हैं। मुझे विश्वास है कि इस बात के लिए मंत्री महोदय, आपने वास्तव में राजस्थान में आते ही संभाल लिया है और सारी हालत धीरे-धीरे ठीक करने की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी संवेदनशील सरकार है जिसने इस पंचायती राज की स्थापना कराई थी। एक दिन माननीय मंत्री महोदय, आप इस पंचायती राज की कीर्ति स्थापित कर दें। जहां भारतीय जनता पार्टी ने नौ साल के राज में जो भट्टा इन्होंने इसका बदल दिया गया है, उसको आप पुनः परिवर्तन करें और लोगों को ऐसा लगे कि कांग्रेस पार्टी दुबारा आ गई है और पंचायती राज का विकास होगा, ग्रामीणों का विकास होगा और वहां की जनता के हाथों में सारे अधिकार होंगे। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे माननीय मंत्रीजी का तो जो 25 लाख रुपये विधायक कोटे का किया है, निश्चित रूप से उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। मेरे कुछ कटौती प्रस्ताव हैं। खास तौर से मेरे यहां खोखसर पंचायत है बायतू पंचातय समिति की, जिसकी दो पंचायतें बनी हैं। लेकिन वह बहुत बड़ी पंचायत है और मेरी मांग है कि दो पंचायतों की तीन पंचायतें बनाई जायें। क्योंकि यह विवाद है वहां स्थान को लेकर, पंचायत मुख्यालय को लेकर हाई कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है। तो इस प्रकार से कई लोग हाई कोर्ट में जाकर व्यर्थ में आपस में मुकदमेबाजी में नहीं फंसे, उसके लिए यह बहुत बड़ी पंचायत है, करीब 4000 वोटर्स

(श्री अमराराम चौधरी)

हैं। तो 1300-1300 वोटर्स की तीन पंचायतें बड़े आराम से बन सकती हैं। 1000 वोटर्स की भी एक पचांयत है, बहुत सी हैं, तो इसका पुनर्गठन होना आवश्यक है। यह मेरा विशेष रूप से आपसे निवेदन है।

इसके अलावा एक खारडी पंचायत है। तो बनाने के लिए कई बार निवेदन किया था, लोग हाई कोर्ट तक भी गये, खनौड़ा, खारडी पंचायत बनाने के लिए। उसमें पाटोदी बहुत बड़ी पंचायत है और वहां 2-3 रेवेन्यू विलेज और बन गये। उस खारडी पंचायत को जोड़कर एक नई खारडी पंचायत बन सकती है। और खनोडा और केलनकोट, एक अलग पंचायत बन सकती है। इसलिए यह तो दो पंचायतों के पुनर्गठन के बारे में है।

मैं आपसे बंधक मजदूरों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा बंधक मजदूर हमारे बाड़मेर जिले के, और खास तौर से मेरे बालोतरा सब-ड़िवीजन के गांव जसौल के जो लोग थे, वे हरियाणा, पंजाब वगैरह थे, उनको आपने मुक्ति दिला दी और मुक्ति दिलाने के बाद में उनको पुनर्वास भी करवाया लेकिन उनके लिए धंधे की कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो फिर क्या है, वे लोग वापस चले गये। आपने जो चार्ट पेश किया है जगह-जगह का, जो लोग जिनको उनका पता नहीं लगा पुनर्वास कराने के लिए, तो इस प्रकार के जो आंकड़े हैं और यह अभियान एक बार ही चला था, आपने स्वयं सेवी संस्थाओं के लिए बजट रखा है कि भाई उनका पता लगायें। दूसरे लोगों का पता लगायें। लेकिन एक बार अभियान 1976 में, और उसके बाद में आपका कोई अभियान नहीं है। कुल मिलाकर करीब ग्यारह सौ बांडेड लेबर का आपने पता लगाया। मेरे यहां करीब 390 लोगों को पुनर्वास दिया लेकिन आज उन सब के पास में धन्धा नहीं है, वह बेरोजगार हैं। और शिड्यूल ट्राइब्स के हैं। कई मेरे यहां के लोग हरियाणा और पंजाब में हैं, उनका भी पता लगाकर उनको भी मुक्ति दिलाये और उनका भी पुनर्वास करें ताकि उन लोगों को इसका लाभ मिल सकें।

मेरा खास तौर से शिक्षा के बारे में यह निवेदन है कि आठवीं क्लास तक की जो पाठशालाएं जिला परिषद को दे रहे हैं, पहले भी दे चुके थे, लेकिन उनके ऊपर पुनः विचार कर फिर यह आई.ओ.एस. को या शिक्षा विभाग को दी है। अब पहले से ही आज इतनी प्राइमरी स्कूल जिला परिषद के पास हैं, पंचायत समितियों के पास हैं, फिर यह जो विचार किया गया है, यह उचित विचार नहीं है। इस पर आप पुनर्विचार करें और यह जैसी स्थिति है, उसको रहने दें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सोलह हजार शिक्षा केन्द्र खोल रहे हैं। आज बाड़मेर में मैं आपको यह कह रहा हूं, पिछले समय में ढाणी-ढाणी में स्कूलें खुली हैं और अब मेरे क्षेत्र में तो कम से कम 20 या 25 से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों की आवश्यकता नहीं है। वहां आने वाले पाचं साल तक इसलिए 25 प्राइमरी स्कूल खोल दें, हमें यह शिक्षा केन्द्र नहीं चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी : 25 तो चाहिए।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): हां, 25 , वहां लड़के अवेलेबल हो जायेंगे, बाकी ह शिक्षा केन्द्र (व्यवधान) ठहरिये, मैं आपसे नवेदन कर रहा हूं, आप सोलह हजार करें सके बजाय चार हजार प्राइमरी स्कूल खोलें और बाहर चौके अड़तालीस, और जो बी.एड. लड़का है वह वहां नौकरी लगेगा उसको आप चार हजार ही तनख्वाह दीजिये और सारी उसकी एस्टेब्लिशमेंट कास्ट वगैरह जो ती हैं, पांच हजार से ज्यादा खर्चा नहीं आयेगा महीने का। मेरा आपसे निवेदन यही है। बाड़मेर जिले में जैसा अभी माननीय मारामजी ने कहा कि हमारे लोग बेरोजगार बैठे हैं। हाई कोर्ट के अन्दर जाते रहे, कभी किसी मसले पर, कभी व्यावसायिक शिक्षा के बारे में। आज जिन्होंने बी.एड. कर लिया है, तीन-तीन बैच निकल गये हैं। तीन-तीन बैच निकलने के बाद भी आज हमारे बाड़मेर जिले के लड़के बेरोजगार बैठे हैं। आठवीं क्लास पास विद्यार्थी को वहां लगायेंगे तो फिर इससे झगड़ा होगा। वहां गांवों में बहुत भयंकर झगड़ा होगा कि हम जो बी.ए., बी.एड. करके बैठे हैं, हमको तो लगाया नहीं जा रहा है और यह आठवीं पास लड़के को लगाया जा रहा है। यही कारण है, आज बाड़मेर क्षेत्र के अन्दर शिक्षा के अन्दर पिछड़े हुए लोग हैं, कोई आर.ए.एस. में पास नहीं होता, कोई आई.ए.एस. में पास नहीं होता। इसका कारण यही है क्योंकि हमारे शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है। कई भौगोलिक परिस्थितियां हैं, अकाल पर अकाल पड़ते हैं। अब उनके पास पैसा नहीं है कि शहर में जाकर पब्लिक स्कूल में पढ़ाई कर लें और जो लड़के शहर छोड़कर के, जोधपुर छोड़कर के यहां जयपुर में आये हैं वह कोई तहसीलदार नहीं बना है, कोई थानेदार नहीं बना है। लेकिन जो गांव के अन्दर पढ़ने वाले लड़के हैं वह आगे नहीं बढ़ सके हैं। इसका कारण यही है कि वहां इस प्रकार का शिक्षा का स्तर नहीं है। आप इस प्रकार से यह केन्द्र खोलकर आठवीं पास लड़के को यदि लगायेंगे तो उससे हमारे लड़कों का स्टैण्डर्ड बहुत ही गिर जायेगा। वैसे भी हमारे यहां पहले समय से बहुत सी प्राइमरी स्कूलें खुली हैं। आप इस प्रकार के धन को सही तरीके से लगावें, यही मेरा निवेदन है।

बाकी जो योजना है आपकी लोन देने की, जब तक फिजीकल वैरीफिकेशन नहीं होता है, आप कितना भी लोन दिये जायं। आज एक छकड़ा आपने दे दिया, वह छकड़ा दस बार बिकता है, भेड़ दस बार बिकती है, ऊंट दस बार बिकता है। मैंने एक बार तिलवाड़ा मेले में देखा, एक थैला और एक जोड़ी लेकर आदमी आया। वह पहले मजदूरी करता था, सौ रुपये डेली, मेले के अन्दर। तो मैंने यह देखा कि भाई, यह थैला आपका बहुत पुराना है, कहा कि मेरे को इस पुराने ही थैले की आवश्यकता है। मैंने देखा है उसको। आखिर हमने अलग से पूछा तो कहा साहब सौ रुपये, इन्होंने कहा मैं आपको आज पांच सौ रुपये दे दूंगा, आप सारा दिन यहां बैठना। तो इस प्रकार के जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं, फर्जीवाड़े के कारण से जितना भी पैसा आज दिया जा रहा है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है।

(श्री अमराराम चौधरी)

यह बायो गैस के बारे में जो आप अनुदान दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, यह छोटे-छोटे अनुदान वगैरह छोड़ दीजिये, आप देते हैं तो पूरा दें। आज एक स्टूडेंट है, लाख रुपये के लोन की मान लो आवश्यकता है, आप दस हजार देकर के उसका पीछा छुड़ा देते हैं, पच्चीस हजार देकर के पीछा छुड़ा देते हैं, उसका कहां एस्टेब्लिशमेंट होगा। यह जो शिक्षाकर्मी है या दूसरी जितनी भी संस्थाएं हैं, जो लोग बाहर से पैसा देकर, और अपने यहां आप खोल रहे हैं, यह पांच साल तक, थोड़े दिन तो आपने पैसा दे दिया उसके बाद में सारा एस्टेब्लिशमेंट, आफिस हो गया, बढ़िया आलीशान कार्यालय लग गया, टेलीफोन लग गया। और पांच साल के बाद में कोई भी फोरेन की संस्था पैसा देना बंद कर देती है तो सारी एस्टेब्लिशमेंट कास्ट जो आपके आई है वह कोई काम की नहीं रहेगी। और जो सरप्लस होंगे स्टाक वगैरह, उनको फिर नौकरी देना अपने लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, शिक्षाकर्मी जो भी हुई, उसमें पहले जो भी हुआ, लेकिन आपसे निवेदन यही है कि आप इस पर पुनर्विचार करके चार हजार प्राथमिक पाठशालाएं ही खोलें चाहे टीचर एक ही लगावें तो यह ज्यादा उपयोगी रहेगी बजाय सोलह हजार की जो संख्या ज्यादा बढ़ाकर यह जो मैसेज दे रहे हैं, यह मैं समझता हूं, उपयोगी नहीं होगा।

मैं ग्रामीण विकास के बारे में कहना चाहता हूं। अब अकाल का समय है। आज सुनिश्चित रोज़गार योजना के तहत एक काम आपका नहीं चल रहा है आप ही उसके मंत्री है, एक भी काम नहीं चल है और न ही पैसा उनके पास है, डी.आर.ड के पास में, जिससे कि काम हो सके इसलिए इस कार्य को भी आप पूरी त से देखें कि लोगों को सौ दिन मजदू मिलनी चाहिए। लोगों को सौ दिन मजदू मिलनी चाहिए ताकि गांवों के अन्दर लो अपना काम कर सकें। आपने जो सम दिया, उपाध्यक्ष महोदय, उसके लिए धन्यवाद

श्री उपाध्यक्ष : श्री वी.पी. सिंहजी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसींद) उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो दो सुझाव ही देन चाहता हूं क्योंकि जो भी बातें हाउस में आ गई हैं..

श्री उपाध्यक्ष : तुरंत दीजिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। पहला सुझाव आपके मार्फत मैं मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि यह जो रोटेशन प्रणाली आपने शुरू की और हमने शुरू की पांच साल पहले। और जो आरक्षण दिया है महिलाओं के लिए, एस.सी., एस.टी. के लिए, उसमें रोटेशन है, यह साधुवाद मैं देना चाहता हूं हमारी सरकार को भी और आप भी कन्टीन्यू रखेंगे। पर इसमें एक प्रश्न खड़ा हो जाता है और वह यह है कि जब सरपंच, प्रधान जानता है कि अगले पांच वर्ष के अन्दर, रोटेशन के अन्दर यह अभी जनरल है या एस.सी., एस.टी. की है या महिला की है, और हमारा नम्बर तो फिर आयेगा नहीं, तो वह खुद ही जानता है कि अगले टाइम तो मैं खड़ा भी नहीं

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

हो सकूंगा तो वह क्यों तो काम अच्छा करेगा—.

श्री उपाध्यक्ष : यह आपने बनाये उस वक्त नहीं सोचा क्या ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ऐसा है कि साहब, बहुत सारी बातें हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सोचने का विचार है, क्या कर सकते हैं इस पर थोड़ा सा आप भी अपना सोच हमें बता दें। उस टाइम पर भी मैं बोला था।

श्री उपाध्यक्ष : आपका क्या सुझाव है इस संबंध में।

श्री विजेयन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स सिस्टम के भी खिलाफ है। आप भी विचार करें। (व्यवधान) एक चीज रखी है मैंने, सबका जवाब मेरे पास भी नहीं हो सकता। अपन सब विचार करे और आगे मेरा यह कहना है कि आप नाथद्वारा से आये, मैं आसीन्द से चार बार रिपीट हुआ। मैं सोचता हूं कि मैं काम करूंगा तो अगले टाइम जनता अच्छे कार्य के लिये फिर मुझे वोट देगी। पर मैं जानता हूं कि अगले टाइम तो मैं खड़ा ही नहीं हो सकता आसीन्द से। तो मैं क्यों काम करूं। यह एक विचार है, दूसरे माननीय सदस्यों ने सामने यह बात नहीं रखी, मैं रखना चाहता हूं।

दूसरी बात, लोक जुम्बिश के बारे में बहुत सारी बातें आती हैं और मैंने भी सोचा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है। लड़कर मैं लोक जुम्बिश का कार्यक्रम आसीन्द में ले गया और फिर मैंने कितनी चिट्ठियां लिखीं उस पर, मैंने जाकर स्टेडी भी की इस पर कि क्या लाभ है। मुझे तो लाभ तो कम मिला। सही बात है, जो सही बात है मैं कहने के लिये तैयार हूं; मुझे इससे कोई डर नहीं है। मैंने सोचा कि नुकसान कितना है वह नहीं, लाभ कितना है वह देखना है। मैंने फिर एक और स्टेडी की। हमारे पी.ए. साहब को एक टाइपराइटर लाने के लिए परमिशन दी। टाइपराइटर के लिये उन्होंने कहा कि साहब यहां तो मिलता नहीं है जयपुर में मिलता है, तो जयपुर लेने के लिये आये। टैक्सी से आये और टैक्सी से पीछे गये। टाइपराइटर से ज्यादा पैसा शायद टैक्सी में दे दिया और यह सच है, आप देख लेना रिकार्ड क्या है।

एक चीज और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं और उसमें बहुत बातें आती है। जब भी कोई अच्छे सुझाव आते हैं, जब भी बात आती है कि हमने 9 साल में जो कार्य किये हैं और आपने कुछ नहीं किया, ऐसी हर वक्त बात आती है। मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड से आता हूं। कॉरपोरेट वर्ल्ड में एक छोटी सी कहावत है, वो मैं आपको बता दूं। एक जनरल मैनेजर को हटा रहे हैं। जब वह हट रहे थे और नया जनरल मैनेजर उसकी जगह आ रहा था तो उसने कहा था कि मुझे कुछ सुझाव दे दें। उसने कहा, मैं दो चिट्ठी बंद करके रख देता हूं, पहली समस्या जब आपके सामने आये तो पहली चिट्ठी खोल लेना, दूसरी समस्या आये तो दूसरी चिट्ठी खोल लेना, अभी यह लिफाफे में बंद कर देता हूं। थोड़े दिन बाद में

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

जब समस्या आई तो पहली चिट्ठी जब उसने खोली कि देखें क्या है, लास्ट टाइम जो मेरे इन्कम्बेंट जनरल मैनेजर थे उसने मेरे को क्या सुझाव दिये। उसने कहा "ब्लेम द लास्ट जनरल मैनेजर" कि पहले वाली सरकार को ब्लेम कर दो। थोड़े दिन के बाद दूसरी समस्या आई तो उसने दूसरी चिट्ठी खोली। जब दूसरी चिट्ठी उसने खोली तो देखा, उन्होंने कहा, दो चिट्ठियां और बना दो अगला आदमी आ रहा है। यह मैं आपको कहना चाहता हूं। हमने भी अच्छा काम किया, आप भी करना चाहते हैं पर हर वक्त ब्लेम करते हैं तो उससे आगे कॉरपोरेट वर्ल्ड में तो नहीं चल सकता, आपका पता नहीं, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी (व्यवधान) विराजिए, विराजिए।

एक माननीय सदस्य : माननीय गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट कब आयेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आयेगा, चिंता मत कीजिए।

श्री जीतमल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सी.पी. जोशी : बाद में बात कर लेंगे, बांसवाड़ा आकर बात कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ लेना माननीय सदस्य। इनकी सुन लो फिर पूछ लेना आप।

श्री जीतमल (बागीदोरा) : एक सुझाव छोटा सा। मैं ज्यादा बात न इनकी करते हुए इतना ही मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि पंचायतों में भ्रष्टाचार के बारे में सब माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, मैं इस मामले में कहना चाहता हूं कि आज जितने भी सरपंच के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जाते हैं, जबकि साथ का सारा लेखा संधारण सचिव करता है, चैक सचिव के नाम से कटता है, राशि उठाते समय मात्र एक बार सरपंच के हस्ताक्षर होते हैं। सारी मजदूरी का भुगतान सचिव के माध्यम से होता है। यानि कि भुगतान करते वक्त अगर कहीं कुछ पैसा रह जाता है तो सचिव अपनी जेब में रखता है और जब आडिट का पैरा बनता है तो सचिव महोदय एक तरफ कोने में रह जाते हैं और सरपंच के माथे पर आडिट पैरा बिलकुल सांप की तरह लग जाता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले आप, हमने देखा है कि हमारे बागड़ के क्षेत्र में जो 33 पर्सेंट महिलाएं आई हैं, जितने भी अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग आये हैं, उनके कम पढ़े लिखे होने के कारण सारा का सारा दारमदार सचिव अपने हाथ में रखता है। और आडिट का जब समय आता है सारे के सारे कागजों पर, केश बुक पर मात्र सरपंच साइन करता है। क्यों नहीं सचिव साइन करता ? मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले इन दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर उस केश बुक में हों और आडिट पैरा भी इन दोनों के नाम से बनना चाहिये। आज हमारे गरीब और अनपढ़ भाई के ऊपर हजारों रुपये की रिकवरी होती है और सचिव, उस पैसे को खाने और डकार जाने वाला, एक तरफ हो जाता है। मैं माननीय मंत्री महोदय

श्री जीतमल)

। निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें आप आवश्यक सुधार करें। ताकि हमारे जो कमजोर तबके से आये हुए लोग हैं उनको निश्चित रूप से राहत मिलेगी।

मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा के जितना भी नया पंचायती राज का संशोधन होकर 73वां और 74वां पंचायतीराज का अस्तित्व में जब से आना हुआ है, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि 1984 और 1995 से जितने भी विकास के काम हुए पंचायतों में उन सबकी बाकायदा योजनावार लिस्ट लगे। जे.आर.वाई. में कितना काम हुआ, सुनिश्चित रोजगार योजना में कितना काम हुआ, प्रतिवर्ष कितना पैसा आया, किस योजना में. किस मद में कितना रुपया खर्च हुआ और इस कार्य की भौतिक स्थिति क्या है। प्रतिवर्ष पंचायतों में कितने इन्दिरा आवास स्वीकृत हुए, कितने टूल किट्स वितरित किये गये, कितने पम्प सैट वितरित किये गये। आज हम उस इलाके में जाकर देखते हैं 1974 से 1998 तक पंचायत में कितने विकास के काम हुए हैं तो हम जहां भी जाते हैं, उस पंचायत में कितने विकास के काम हुए हैं तो हम जहां भी जाते हैं, उस पंचायत पर लॉक रहता है और विकास के नाम पर कहीं कोई सूचना देने के लिये तैयार नहीं। मैं चाहता हूं कि वहां ब्लैक बोर्ड बने और अस्थाई रूप से वर्षवार वहां हमें सारी की सारी सूचना मिले ताकि हम क्षेत्र में जाकर देख सकें कि किस इलाके में कितना पैसा आया था और वह वास्तव में वहां खर्च हुआ है या नहीं। मैं मंत्री महोदय ज्यादा समय नहीं लेते हुए इतनी बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वोट स्टेटमेंट ?

श्री उपाध्यक्ष : आ जायेगा, आ जायेगा, डोंट वरी। आयेगा, स्टेटमेंट आयेगा, विश्वास रखिए स्टेटमेंट आयेगा।

श्री सी.पी. जोशी : (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) :

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 41 सामुदायिक विकास और मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में माननीय सदस्यों ने अपने कट मोशन्स दिये। उन कट मोशनों को मैंने केटेगराइज करने की कोशिश करवाई और मुझे जानकारी मिली कि सामुदायिक विकास के कितने भी कट मोशन्स थे, उसमें या तो पंचायत या पंचायत समिति के पुनर्गठन के संबंध में थे, या स्कूल खोलने के संबंध में। जो हमारी नीति है उसमें मानदेय कम मिलता है और ज्यादा मिलना चाहिये, उसके संबंध में थे। या शिक्षा केन्द्र के संबंध में थे, या लोक जुम्बिश के संबंध में प्रश्न थे। प्रशासन के संबंध में थे कि बी.डी.ओ., आर.ए.एस. लगना चाहिये जिससे प्रशासन ठीक ढंग से हो सके। माननीय सदस्यों ने आशा की कि सामुदायिक केन्द्र ज्यादा से जयादा खुलने चाहिये और सरपंचों की अनियमितताओं। भ्रष्टाचार के संबंध में भी कट मोशन्स आये। और कुछ कट मोशन्स निजी आय से सरकार द्वारा उनको परमिशन नहीं देने से जीप नहीं मिलने से निरीक्षण

(श्री सी. पी. जोशी)

के कार्य ठीक नहीं हो रहे, इसके संबंध में आये। यह तो कट मोशन्स सामुदायिक विकास के संबंध में आये और स्पेशल स्कीम के संबंध में जो कट मोशन्स आये, वो या तो सड़क के संबंध में थे या करप्शन या ट्रांसपेरेंसी के संबंध में थे। या न्यू वर्क्स विधान सभा क्षेत्र में शुरू होने चाहिये उसके संबंध में थे। या पी.आर.आइज. को एम्पावरमेंट करने के संबंध में थे जिससे कि सुलभ शौचालय जैसे कार्यक्रम पंचायत ले सके, या जो स्कीम है उसको इम्प्रुवमेंट करने के संबंध में थे।

इन सब कटौती प्रश्नों के संबंध में मैं माननीय सदस्यो को जवाब लिखित में भेज दूंगा और आज जिन 23 माननीय सदस्यों ने भाग लिया उनके संबंध में मैं आज अपनी बात सदन के सामने रखना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे इतने अनुभवी माननीय सदस्य हैं, जो अधिकांश गांवों में रहते हैं या जिनको पंचायत राज में काम करने का अवसर मिला है, उन्होंने इस तरह के सुझाव दिये कि जिन सुझावों को आत्मसात करके हम कोशिश करेंगे कि पंचायत राज को प्रभावकारी ढंग से हम राजस्थान सरकार के नियम और कानून में परिवर्तन कर सकें। और मुझे यह भी कहते हुए प्रसन्नता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे सभी सदस्य इस बात से बड़े चिन्तित हैं, जो शिक्षा है, शिक्षा का जो ढांचा पंचायत के अन्तर्गत अभी है या शिक्षा का ढांचा जो अब नया हम लेने जा रहे हैं, उसमें यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हमारी जो जेनरेशन है उसके साथ अन्याय होगा और गांव वा जो बच्चे हैं, उनके साथ हम अन्याय क रहे हैं। इस सम्बन्ध में भी उन्होंने अप विचार व्यक्त किये। मैं एक-एक माननी सदस्य की बात अन्त में कहूंगा। लेकिन मोटे तौर पर सदस्यों ने जो बात कही पंचायती राज के सम्बन्ध में आर्गेनिक लिंके नहीं है, पंचायत, पंचायत समिति और जिल परिषद् का आर्गेनिक लिंकेज नहीं है। जिल प्रमुख को हमने अधिकार दे दिये और जिल प्रमुख को अधिकार हमने ऐसे दे दिये जैसे मिट्टी के माधो बना दिया, यह हमारे माननीय सदस्यों ने कहा। माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि जो हमारा टेक्निकल सैंक्शन जहां पंचायत समितियां बढ़ी हैं वहां दो जेईएन. आ जाए या एक एईएन. और दो जेईएन. की व्यवस्था हो जाय तो उसका काम ठीक ढंग से हो सकेगा। माननीय सदस्यों के इन सुझावों के साथ-साथ उनका यह भी था कि आज सरकार ने जो बी.एल.डब्ल्यू. की जो पोस्ट क्रिएट की है वह एक सराहनीय कदम है और जो दूसरे खाली पड़े हैं, उनके सम्बन्ध में भी सरकार को समय-समय पर काम करना चाहिए।

मैं सबसे पहले माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, राज्य सरकार की मंशा है और हमारे कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि पंचायत राज की जो चुनाव की पद्धति लागू की 73 वें अमेंडमेंट के बाद वह हमारे पर राइडर इम्पोज कर रहा है। जो इफेक्टिव लिंकेज होना चाहिए पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् में, वह

(श्री सी. पी. जोशी)

पंचायती राज को 73 वें अमेंडमेंट का जो 243 (सी) क्लाज है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह सबसे बड़ा राइडर है जो हमारे को, स्टेट गवर्नमेंट को बैन करता है कि हम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् की वह जो पुरानी हमारी राजस्थान सरकार में लिंकेज थी, उसमें वार्ड पंच, सरपंच साहिबान, प्रधान का चुनाव करते थे और प्रमुख का चुनाव करते थे और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होता था। वह अब जब तक भारत सरकार संविधान में परिवर्तन नहीं करें, तब तक कोई भी सरकार के रूप में, जिस रूप में राजस्थान में पहले पंचायती राज था, उसकी संरचना करने में हम कठिनाई महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्यों की इस भावना से पूर्ण सहमत हूं कि जब तक इफेक्टिव लिंकेज स्थापित नहीं किया जायेगा पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् में, तब तक हम प्रभावशाली ढंग से पंचायत राज में काम करने की जो हमारा इफेक्टिविटी बनाने का वह काम ठीक ढंग से नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार सबसे पहले पंचायत समिति के अन्दर पंचायत के सारे सरपंच साहिबान को पंचायत समिति का सदस्य नोमीनेट करेगी जिससे केवल मात्र। विश्वास के प्रस्ताव और चुनाव की जो कमेटीज के चुनाव में, जिसमें मेंडेटरी प्राविजन है 243 (सी) में कि केवल इलेक्टेड मेम्बर ही उसको वोट कॉस्ट कर सकते हैं। बाकी जितने भी पंचायत समिति के प्रस्ताव हैं, उन सब में इफेक्टिव ढंग से पार्टिसिपेट वह करेंगे और वोट डालने का अधिकार भी हम उनको देंगे। यह तो हम काम कर रहे हैं। पंचायत के सरपंच साहिबान को, सब को पंचायत समिति के सदस्य बनाने की, जितने भी हमारे प्रधान साहिबान हैं, उन सब प्रधान साहिबान को हम जिला परिषद् का सदस्य बना रहे हैं सिवाय जिला परिषद् की स्टेंडिंग कमेटी के चुनाव के अलावा जिला परिषद् के अन्दर जितने भी दूसरे फैसले होंगे उसमें प्रधान भी अपने वोट डालने के अधिकार का काम कर सकेगा। यह लिंकेज बनाने का हमारे कांस्टीट्यूशन में जो राइडर है उसको ध्यान में रखकर हमने यह सबसे पहले निर्णय लिया है कि राज्य सरकार शीघ्र ही इसके सम्बन्ध में नियम और कानून में परिवर्तन करके इस स्थिति पर ठीक ढंग से काम करेगी और बहुत शीघ्र ही हम इस काम को अंजाम दे देंगे और केबिनेट के समक्ष मीमो लाकर कानून बनाकर इस व्यवस्था को ठीक ढंग से कर लेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की यह भी इच्छा थी कि हमने जिला परिषद् को इफेक्टिव बनाने के लिए चेयरमैन को खाली जिला प्रमुख का काम कर दिया और जिला प्रमुख को केवल मात्र हमने अध्यक्ष बनाया है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, प्लीज। सुनिये आपको प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह काम भी नहीं किया, हम तो राइट फ्रोम बिगनिंग, हमारे मेनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि डी.आर.डी.ए. को हम

(श्री सी. पी. जोशी)

मर्ज करना चाहते हैं जिला परिषद् के अन्दर। हमने इसीलिए सबसे पहले यह काम किया कि पहले तो जिला प्रमुख को हमने डी.आरडी.ए. का चेयरमेन बनाया जिससे निर्णय करने की, जो निर्णय करना है, पोलिटिकल निर्णय करना है, यदि हम कलेक्टर को डी.आरडी.ए. का चेयरमैन रख दें और फिर मर्जर करने का फैसला करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कि पोलिटिकल काम नहीं किया। इसलिए पोलिटिकल निर्णय लेने के लिए कि डी.आरडी.ए. का चेयरमैन जिला प्रमुख बने और जिला प्रमुख के अन्दर सारी स्टेट की स्कीम हम ट्रांसफर कर रहे हैं और अगले साल, डेढ़ साल में जब तक कि हम भारत सरकार की जो अभी नयी नीति आयी है। जिसके अन्दर सारी स्कीम्स को इंटिमेट करके समृद्धि योजना के नाम से नयी योजना को लाना चाहते हैं जिसका अभी तक हमारे पास प्रारूप नहीं आया है उस चीज को अचीव करने के लिए राजस्थान में डी.आरडी.ए. की स्पेस खतम हो और वह काम हमारे एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिला प्रमुख के अन्तर्गत हो। इसलिए हमने बिगनिंग करने के लिए जिला प्रमुख को चैयरमेन बनाया है। और दूसरे जो परिवर्तन कर रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह यह कर रहे हैं पीडीज. और सीईओ. के बीच में जो गैप है हम यह कम कर रहे हैं। अब हर जिला परिषद् के अन्दर पीडी. कम सीईओ. की पोस्ट होगी। पीडी. का काम और सीईओ. को इंटर लिंक करने के लिए हम यह काम कर रहे हैं। वहां पीडी. कम सीईओ. की पोस्ट होगी और एक जूनियर आरएएस. आफिसर इसके साथ होगा, वह काम देखेगा एस्टेब्लशमेंट का। और जब तक मर्जर डी.आरडी.ए. का और जिला परिषद् का ठीक ढंग से नहीं हो जाए, तब तक पीडी. कम सीईओ. जो होगा, वह आदमी चैयरमेन जो हमारा जिला प्रमुख, जिसको हमने अधिकार दिये हैं, उसके अन्तर्गत काम करेगा। इसलिए आपका जो एप्रिहैंशन है कि हमने केवल मात्र अधिकार देकर उसको मिट्टी का माधो बनाया, वह नहीं है। हम अपने प्रभावशाली ढंग से जब तक भारतीय जनता पार्टी की ट्रेनिंग में रहे हुए जिला प्रमुख और प्रधान साहिबान अपने आपको मानसिक रूप से इक्विप नहीं कर लें, तब तक हम अधिकार देकर उस चीज को कोलेप्स नहीं करना चाहते। इसलिए हम बड़े सिस्टेमेटिक ढंग से उस चीज को अचीव करना चाहते हैं कि जिला प्रमुख को अधिकार मिले। और अधिकार मिलने के समय तक, अपनी उस समय तक जो तकलीफें हैं, जो कानून, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राब्लम आ रही है, वह भी सॉल्व हो जाय और जब हम दुबारा जिला परिषद् के चुनाव कर लें तब प्रभावशाली ढंग से हमारा जिला प्रमुख उन सब कार्यक्रमों को जो सीईओ. के अन्तर्गत करने में उसका अधिकार है, जो स्टेट की स्कीम्स हैं, इसके अन्तर्गत काम करने का काम है या जो सैन्ट्रल स्पोंसर्ड स्कीम जो डी.आरडी.ए. के माध्यम से आ रही है, उसको प्रभावशाली ढंग से नियंत्रण करके न केवल अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यमेन का उपयोग कर सकें बल्कि पोलिटिकल लीडरशिप को एस्टेब्लिश

(श्री सी. पी. जोशी)

कर सके। जो हमारे नेता राजीव गांधी के मन में कल्पना थी। इसलिए उस काम को करने के लिए हम बड़े सिस्टेमेटिक ढंग से सोच विचार कर उस कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस दृष्टि से मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारा प्रथम प्रयास है। इस प्रयास के बाद शीघ्र ही हम यह जो पी.डी. सी.ई.ओ. के जो नियम और कानून और नियंत्रण मे परिवर्तन कर रहे हैं, उसके सम्बन्ध में भी हमने निर्णय ले लिया है और कैबिनेट के समक्ष जाकर हम यह काम करेंगे कि इस चीज को हम कर सकें। हमने प्रयास किया है कि जो हमारे बी.डी.ओ. हैं वह इफेक्टिव ढंग से काम कर सकें।

माननीय, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को आश्चर्य होगा कि मुझे मंत्री बने चार महीने ही हुए हैं। हमारी सरकार और हमारे मुख्य मंत्री जी ने जब से हमें आदेश दिया कि पंचायत राज के मंच के आधार पर हम प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सबसे पहले हमने काम किया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे, हमने 90 जो वेटिरिनरी डाक्टर थे जिनका प्राइमरी काम, जिनको ट्रेनिंग इम्पार्ट की गयी थी कि वह चिकित्सक का काम करें, जो पिछले पांच साल में बी.डी.ओ. का काम करके जो ह्यूमन रिसोर्सेज डवलपमेंट के ऊपर सबसे बड़ा कलंक लगा हुआ था, हमने एक स्ट्रोक पर निर्णय लिया और 90 पशुपालन चिकित्सकों को हमने, वेटिरिनरी डाक्टरों को उनके अपने पैतृक विभाग में भेज दिया है और आज के दिन एक भी हमारे पास पशुपालन का आदमी बी.डी.ओ. के रूप में काम नहीं कर रहा है। यह हम इसलिए नहीं कहना चाहते कि हमारे मन में कल्पना नहीं है। हमारे मन में कल्पना है वेटिरिनरी डाक्टर जिस पर हमने, सोसाइटी ने, बहुत बड़ा इंवेस्टमेंट किया है, उसका काम है कि एनिमल हस्बैण्डरी में जो उसकी सर्विसेज है राजस्थान की, वहां तो आज पशु चिकित्सकों के पद खाली पड़े हुए हैं। और हमने स्पेस तो ले लिया बी.डी.ओ. को क्योंकि हमने एक सिंगल स्ट्रोक में फैसला करके 90 जो हमारे पशुपालन चिकित्सक थे, उनको हमने वापस भेज दिया है। हमने माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही काम नहीं किया, हमने 30 जो हमारी पंचायत समितियां हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। हमने 30 पंचायत समिति जिनमें मुख्यतः जो ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत आती है, डेजर्ट डवलपमेंट के अन्तर्गत आती हैं या और किसी इलाके में आती हैं जहां बड़ी पंचायत समितियां हैं, वहां माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करके 30 बी.डी.ओ. को हमने आर. ए.एस. के रूप में लगाया। हमारी मंशा है कि हम अधिकांश लोगों को लगायें। हम माननीय मुख्य मंत्री जी के और कैबिनेट के सामने प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले जो आर.ए.एस. बने उसको सबसे पहले, आर. ए.एस. बनने के पहले बी.डी.ओ. की सर्विसेज रेंडर करनी चाहिए दो साल तक। और जब तक वह बी.डी.ओ. का दो साल तक काम नहीं करे तब तक उसको एस.डी.एम. का अपाइंटमेंट नहीं मिलना चाहिए।

(श्री सी. पी. जोशी)

हमने यह भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और हमें कहते हुए खुशी है कि मुख्यमंत्री जी इस बात से सहमत हुए हैं, सिद्धान्ततः इस बात को माना है उन्होंने कि जो आई.ए.एस. हैं, जो कलेक्टर बनते हैं उनके पहले भी यह मेंडेटरी किया जाय कि दो साल तक जो भी आई.ए.एस. हैं उसको दो साल तक पी.डी. का सी.ई.ओ. का काम करना पड़ेगा। न केवल आई.ए.एस. को काम करना पड़ेगा, आई.एफ.एस. में से कुछ आदमी हम लेंगे और जो आर.ए.एस., जो जोन आफ कंसीड्रेशन के अन्दर, आई.ए.एस. के अन्तर्गत प्रमोशन में आने वाले हैं, उन लोगों को भी हम पिक-अप करके पी.डीज. का काम करना चाहते हैं। जो कलेक्टर बनने से पहले दो साल तक पी.डी. कम सी.ई.ओ. का काम करे जिससे गांव के लोगों की जो समस्याएं हैं, उनके मन में जो गांव के लोगों की तकलीफे हैं, जिस तरह की जो समस्याएं हैं, उसका निदान करने का काम कर सकें, चार महीने में माननीय सदस्य इस बात को एप्रिसिएट करेंगे। कि जो इंटरवेंशन है स्टेट गवर्नमेंट का, वह इंटरवेंशन प्रभावशाली ढंग से, कैसे प्रारम्भ करें। इस सम्बध में हम ध्यान दे रहे हैं। इंटरवेंशन जब हम प्रारम्भ करते हैं तो इंटरवेंशन के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो इंटरवेंशन हम इस तरह से कर दें जिससे केओस क्रियेट हो जाए और आने वाले समय में, जिस तरह से हमारे सदस्यों ने, जो राय दी उनके अनुभव का लाभ लेकर हम काम कर सकें। या तो हम वह इंटरवेंशन करें, या इंटरवेंशन हम ऐसा कर लें, पिक एण्ड चूज कर लें कि जिस इंटरवेंशन के आधार पर, आज पिछले समय में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य, जो बड़े गर्व से कह रहे थे कि हमने ये काम किये, वे काम किये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिगर देना चाहता हूं। आप जानकर आश्चर्य करेंगे। जब नई सरकार बनी और हमने पता लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने अलग-अलग विधान सभा क्षेत्रों में बहुत किताबें छपवाई हैं, बहुत विकास के काम हुए हैं। आप जानकर आंश्चर्य करेंगे कि गत वर्ष लगभग 10 करोड़ रुपये की यू.सी. पेंडिंग पड़ी हुई हैं। अब मुझे जानकारी नहीं है। कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों को यह जानकारी है कि नहीं है। इसके कारण (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : एक मिनट मंत्री महोदय, यू.सी. ग्राम पंचायत से नहीं आई है तो यह भारतीय जनता पार्टी का कहां दोष है। (व्यवधान) यू.सी. नहीं आई है तो कहीं काम चल रहा होगा, कहीं प्रोग्रेस में होगा। इसमें पार्टी का कहां दोष है। पार्टी ने गांवों में पैसा तो भेजा है। इतने करोड़ रुपये भेजे हैं। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मुझे बहुत प्रसन्नता है। (व्यवधान) माननीय, मुझे बहुत प्रसन्नता है (व्यवधान) कि रायपुर के माननीय सदस्य पिछले समय एम.एल.ए. नहीं थे। मैं तो जानता था कि जनता के बीच में ज्यादा जाकर सही चीजों की उनको जानकारी होगी। पर मुझे आज कहते हुए तकलीफ है कि उन्हें यह मालूम नहीं है कि यू.सी. पंचायत

(श्री सी. पी. जोशी)

की नहीं हैं। ये यू.सी. डिपार्टमेंट के जो काम स्पेशल स्कीम्स के काम करने थे, उन स्पेशल स्कीम्स में जहां डी.आर. डी.ए. के माध्यम से कह रहे हैं, बहुत खुशी है, भारतीय जनता पार्टी ने पैसा दिया। पैसा दिया, उस बात के लिये, जैसा माननीय सदस्य ने कहा पी.डी., जैसे पी.डी. लग गये, जो सोर्स पर पैसा लेते थे कि यदि 5 लाख की स्कीम सेंक्शन करानी है तो पहले पैसा दो पी.डी. को, तब सेंक्शन निकलेगी। इस बात के लिये 10 हजार करोड़ रुपये की जो व्यवस्था की है, इसलिये ये माननीय सदस्य सही कह रहे हैं। इन्होंने बिलकुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के समय में यह पैसा दिया। लेकिन यह पैसा पहुंचा नहीं। डी.आर.डी.ए. के माध्यम से पैसा पहुंचा, वह नीचे जाकर डी.आर.डी.ए. ने उसको इम्पलीमेंट किया कि नहीं किया, काम ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बी.डी.ओ. को काम करना है, वह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो पी.ओ. लगा हुआ है, वह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो डी.आर. डी.ए. के एक्सईएन. लगे हुए हैं, वे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। डी.आर. डी.ए. के अधिकारी, जिनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने काम किया कि नहीं किया, जिसके कारण भारत सरकार को हमें पैसे अपने रिटर्न करने, वापस कटौती हुई। आप सब माननीय सदस्य इस बात को जानते होंगे कि भारत सरकार ने नियम और कानून में परिवर्तन कर दिया कि दिसम्बर तक आप यू.सी. नहीं भेजेंगे तो इतने पैसे की कटौती हो जाएगी। फरवरी तक इतने पैसे नहीं भेजेंगे तो इतने पैसों की कटौती हो जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि 10 जिले आज भी ऐसे हैं। हमारे सारे प्रयत्न करने के बाद, हमने सारे प्रयत्न किये और हमने सभी 500 करोड़ रुपये की यू.सी., अभी हमने फरवरी महीने तक कलेक्ट करवाई है। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद भी, आज भी 10 जिले ऐसे हैं जिसमें एक जिला है बूंदी, एक जिला है गंगानगर, एक जिला है हनुमानगढ़, एक जिला है जयपुर, एक है जालौर, एक है झालावाड़, कोटा, सिरोही और टोंक।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर तो कैपिटल का रीजन है। सबसे प्रभावशाली मंत्री यहीं थे। इस जयपुर जैसे जिले में चार्टर्ड अकाउटेंट की आडिट नहीं होने से, अब इन 10 जिलों में नये पैसे नहीं मिले। जो हमारे धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 7 करोड़ रुपये नहीं मिले कलक्टर के। ये 10 जिले आज भी ऐसे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य यह कह रहे हैं कि हमने पैसे भेज दिये। ये भेजे हैं, उस पैसे का न तो उपयोग हुआ, न ही यू.सी. आयीं। हमारी सरकार आने के बाद भी, उन जिलों की जनता के साथ अन्याय यह हो रहा है, क्योंकि कलक्टर ने, जिसने गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग नहीं बुलाई, अनटाइड फंड का पैसा इस तरह से खर्च कर दिया। मुझे कहते हुए तकलीफ है, अनटाइड फंड में अगले 4 साल का जो पैसा खर्च करना, जो उनके बजट का प्रोविजन था, 4 करोड़ समर्थिंग का, उसके अगेंस्ट में 15 करोड़

(श्री सी. पी. जोशी)

रुपये के अनटाइड फंड में पैसे सेंक्शन कर दिये। और सेंक्शन करने का काम किया जिलाधीश महोदय ने। जबकि अनटाइड फंड और "30 जिला 30 काम" के काम करने की जिम्मेदारी गवर्निंग कौंसिल की थी और भारतीय जनता पार्टी के समय में इतना इफेक्टिव गवर्निंग किया गया कि गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग नहीं बुलाई गयी, सदस्यों के हिसाब से काम नहीं करवाया गया।

श्री शिवनाथ सिंह : ऐसे कलक्टर के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? हमने पहले भी बोला था, अब भी कह रहे हैं कि ऐसे कलक्टर्स, जिन्होंने मीटिंग नहीं बुलाई, ऐसे ही वह रुपये सेंक्शन कर दिये, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री सी.पी. जोशी : माननीय, मैं मेरी पूरी बात कर लूं, फिर आपकी बात भी सुनूंगा। मैं तो इसलिये सब चीजें, मैं आप सबको, सदन को कॉन्फिडेंस में लेना चाहता हूं कि जब मैं यह बात कहूं आखिर में, कि ऐसे आई.ए.एस. अफसर के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, तो मैं आपका मेन्डेट लेना चाहता हूं। इसलिये मैं इन चीजों को हाइ लाइट में लाना चाहता हूं। मैं खुद चाहता हूं इस बात को।

श्री अमराराम (धोद) : करो, करो।

श्री सी. पी. जोशी : मैं खुद आपके सामने इन चीजों को हाइ लाइट इसलिये करना चाहता हूं कि जिस तरह की स्थितियों के सम्बन्ध में वह वर्णन कर रहे हैं, आज जैसा आसींद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं उन लोगों में नहीं हूं जो आपने उदाहरण दिया कि पिछला लिफाफा खोलकर देख लें। मैं उन लोगों में नहीं हूं। वैसे यह मानता हूं कि हमारी अकाउंटेबिलिटी है। आज हम यह कहने से वंचित नहीं हो सकते हैं कि 10 जिलों के अन्दर ये अकाउण्ट नहीं है। हमने प्रोग्रेस की है। हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाये हैं। हमने उनको अधिकार दिया है कि वे चाहें तो रिटायर आदमी को लगाकर चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करवायें। लेकिन यू.सी. का काम प्रायोरिटी के आधार पर होना चाहिए। न केवल मैंने मीटिंग ली, मेरे अधिकारियो ने मीटिंग ली। डवलपमेंट कमिशनर, सेक्रेटरी, सबको हमने डिवीजनल हेड-क्वार्टर पर भेजा। डिवीजनल हेड-क्वार्टर पर भेजकर हमने कलक्टर से, सबसे मीटिंग लेकर यह कहा कि आपको ये टार्गेट लेकर न केवल पास्ट की यू.सीज. को क्लीयर करना है बल्कि आपको वर्तमान की यू.सीज. के भी टार्गेट फिक्स करने पड़ेंगे। टार्गेट यह नहीं कि हमने पास्ट की यू.सीज. तो लेकर सब्मिट कर दी और प्रजेण्ट में जो काम चल रहा है वह काम करने का अधिकार नहीं दें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये सबसे पहले हमने हिन्दुस्तान के अन्दर काम किया कि 26 जनवरी को सारे राजस्थान में ग्राम सभा करवाई। आज तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रधान मंत्री और उनके वित्त मंत्री ने भी बजट में कहा है कि ग्राम सभा मजबूत करेंगे, ग्राम सभा का साल है। लेकिन राजस्थान सरकार

(श्री सी. पी. जोशी)

हिन्दुस्तान में पहली सरकार है जिसने यह फैसला किया, 26 जनवरी को, सिंगल डे। में हमने ग्राम सभा करवाई है। ग्राम सभा ऐसे ही नहीं करवाई है। ग्राम सभा करवाने से पहले हमने ट्रेनिंग करवाई है। हमने एक पंचायत में से 2 टीचर्स को सलेक्ट किया है। हमने 9184 पंचायतों में से लगभग 18-20 हजार टीचर्स को ट्रेण्ड किया है कि किस तरह से समस्याओं को आईडेंटीफाई करना है। कैसे उस प्रोफार्मे को भरना है, कैसे ग्राम सभा की मीटिंग करनी है। हां, मैं यह बात जानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि जिस ढंग से ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए, जिस प्रभावशाली ढंग से काम होना चाहिए, वह नहीं हुआ। लेकिन मैं उन लोगों में हूं जो मानते हैं कि यदि एक ग्राम पंचायत में 200 आदमी भी आये हैं तो 26 जनवरी को 18 लाख आदमियों को हमने एक साथ मोबिलाइज किया है, यह सोचने के लिये कि हमारे गांव के विकास करने का काम हमारी जिम्मेदारी है। न केवल हमने यह किया, हमने यह भी किया कि एक पंचायत में 10 वार्ड हैं, 10 वार्ड में से 3 वार्ड में काम हो रहे हैं 10-10 लाख रुपये के, 5-5 लाख रुपये के। और जो गांव का गरीब आदमी है, बोल नहीं सकता है, शिड्यूल्ड कास्ट का वार्ड पंच है, महिला वार्ड पंच है या दूसरा वार्ड पंच है, वहां पिछले 4 साल से काम भी नहीं हुए। हमने लोगों को जाकर देखा। लोगों ने कहा कि सरपंच साहब ने वार्ड नम्बर 1-3-5 में काम करवाये हैं। 2-4-6 में काम इसलिये नहीं करवाया कि वहां से वार्ड सरपंच नहीं हैं। हमने यह नियम बनाया, उपाध्यक्ष महोदय, हमने ग्राम सभा में हर वार्ड के काम को चयनित करवाया और आज हम आपके सामने, सदन में कह रहे हैं कि इस समय कि टी.एफ.सी. का और एस.एफ.सी. का पैसा है, 53 करोड़ रुपये, और 50 करोड़ रुपये, जो ट्रांसफर हुए 31 मार्च को, ये 112 करोड़ रुपये जो खर्च होंगे उसमें सरपंच की मनमानी नहीं चलेगी। सरकार निर्देश दे रही है कि पहले उन वार्ड में काम होगा कि जिन वार्ड में आज दिन तक कोई काम नहीं हुआ। जो वार्ड है शिड्यूल्ड कास्ट का, शिड्यूल्ड ट्राइब का, चाहे महिला का है। पहले वे काम शुरू होंगे और उसके बाद सरपंच को दूसरा काम कराने का अधिकार देंगे। यह काम हमने, पहले ग्राम सभा का काम करवाकर फिर पैसे की व्यवस्था करवाकर, फिर यह काम आगे बढ़ा रहे हैं। आज मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने अकाल राहत मंत्रीजी से मीटिंग की और अकाल राहत मंत्रीजी के निर्देश में हमने यह फैसला किया है कि ये जितने भी टी.एफ.सी. या एस.एफ.सी. के काम पंचायत में होंगे, इनमें सरपंच ये काम करवाएं। जिसमें एक काम तो हमने आइडेंटीफाइ किया, क्योंकि शिक्षा की बात चलेगी। इसलिए पहले कहना चाहता हूं कि हर पंचायत में एक पाठशाला, स्वर्ण जयन्ती पाठशाला के नाम से हम बनाना चाहते हैं, जहां पर शिक्षा केन्द्र चलेगा, उसका चयन, अब हम नई ग्राम सभा कर रहे हैं एक मई को, एक मई को हम दुबारा ग्राम सभा कर रहे हैं उस ग्राम सभा में, उस पंचायत में

(श्री सी. पी. जोशी)

कितने शिक्षा केन्द्र खोलने की आवश्यकता है, उस पंचायत में कम से कम एक पाठशाला बने। उसके लिये हर पंचायत में 3 लाख और 4 लाख रुपये की आज के दिन व्यवस्था है। हमने एक तरह का नक्शा बनाया है। एक तरह की बिल्डिंग बनायी है। एक पंचायत में कम से कम एक स्वर्ण जयन्ती पाठशाला बनेगी। उसके बाद पंचायत में और पैसा है, जो हमने आइडेंटीफाई किया, उसके बाद भी 2-3-4 लाख का पैसा है तो ये जो वार्ड हमने आइडेंटीफाई किये 26 जनवरी की ग्राम सभा में, उसमें काम करने के लिये यह पैसा मैटीरियल कम्पोनेंट का— हमने टी.एफ.सी. के नियम में परिवर्तन कर दिये हैं। नई गाइडलाइन दी है कि गांव-वालों को 10 प्रतिशत कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत नहीं है। 10 प्रतिशत कंट्रीब्यूशन देने की जगह यह जो पैसा है, उस पैसे को मैटीरियल कम्पोनेंट में उपयोग में लेकर, उस पंचायत में लेबर का काम 30 जून तक अकाल राहत के मजदूरों की व्यवस्था करके हम करवाएंगे।, जिससे हर गांव में और वार्ड के अन्दर काम हो सकें और लोग यह कह सकें, हमने यह काम करवाया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम, बहुत ही सिस्टेमेटिक ढंग से पंचायत को, पंचायती राज को एम्पावरमेंट करना इसलिये जरूरी है कि गवर्नेन्स का जो मॉडल है उस मॉडल में भी आज हम नहीं समझेंगे, 50 साल बाद, लोगों की एस्पायरेशंस बढ़ गयी हैं। लोगों की एस्पायरेशन होने के बाद आज यदि स्टेट के इलेक्शन से हम अंदाज लगायें, तो आप देखेंगे कि लोकल फीलिंग के अन्दर असम में असम गण परिषद्, तेलुगूदेशम में तेलुगूदेशम पार्टी बन गयी। आज लोकल रीजनल जो फीलिंग डवलप हो गयी है यदि हम नीचे लेवल पर लोगों की ऐसे एक्सप्रेशन को एब्जार्व नहीं करेंगे, नीचे लेवल पर लीडरशिप को यदि इमर्ज नहीं करने देंगे तो लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए 50 साल बाद यदि हम पंचायती राज की इंस्टीट्यूशन को ताकत नहीं दे सकते, पंचायती राज की इंस्टीट्यूशन के माध्यम से लोगों की एक्सप्रेशंस को पूरा नहीं कर सकते हैं, उनके डवलपमेंट के काम पूरे नहीं कर सकते हैं, उनकी दूसरी नीड्स को पूरा नहीं कर सकते हैं तो फिर हिन्दुस्तान में हम लोकतंत्र को कमजोर करने की कल्पना करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये आपसे कहना चाहता हूं, हमने यह काम भी नहीं किया कि हमने इन्फास्ट्रक्चर खड़ा किया है। हमने इसके साथ जो शिक्षाकर्मी योजना जोड़ी उसके साथ सोच-समझकर हमने कदम उठाया है।

माननीय उपाध्यक्ष महादेय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमने बजट की जो, सबसे पहले हमने जो अभिभाषण दिया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हम जो कदम उठा रहे हैं, वह बड़े सोच-समझकर उठा रहे हैं। उस पर चालीस नम्बर पर हमने यह लिखा है। सम्पूर्ण साक्षरता आन्दोलन को जन-आन्दोलन का रूप देने के लिए इस दिशा में और अधिक कारगर प्रयास किये जाएंगे। प्राथमिक शिक्षा जो विभिन्न कार्यक्रमों,

(श्री सी. पी. जोशी)

लोक-जुम्बिश, शिक्षाकर्मी आदि के माध्यम से चल रही हैं उनकी समीक्षा कर समन्वित कार्यक्रम बनाया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आठ जनवरी को माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह बात कही है हमने। आठ जनवरी को यह बात कहने के बाद यहां एजेण्डा हमने, राजस्थान की शिक्षा के बारे में क्या स्थिति है, उस सम्बन्ध में हमने पूरी चर्चाएं की और कम से कम पांच-छह मीटिंग्स माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने ली होगी। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस बात की ओर। मैं आपकी मदद चाहता हूं, और इस प्लेटफार्म के माध्यम से, जैसा आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है या बस्सी से आने वाले माननीय सदस्य ने लोक-जुम्बिश के सम्बन्ध में कहा है, मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विनम्र शब्दों मे इस लोकतांत्रिक प्रणाली में यदि इन समस्याओं के सम्बन्ध में जन-प्रतिनिधि जागरूक नहीं होंगे तो आने वाले समय में लोकतंत्र के सामने क्या चुनौती खड़ी होगी, बड़े अदब और विनम्रता के साथ में मैं इन सब चीजों को आपके सामने रखना चाहता हूं और आप पर और सदन पर छोड़ता हूं। यदि हम राजस्थान में साक्षरता के शत-प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि राजस्थान की स्थिति क्या है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की 1991 की जनसंख्या है, चार करोड़ चालीस लाख। और अभी 1998-99 में जो इसके प्रोजेकशन डेटा आये हैं, 2.5 से मल्टीप्लाई करें जो आज जनसंख्या हो जाती है। पांच करोड़ तीस लाख, और पांच करोड़ तीस लाख में जिनके प्रोजेक्शन हैं कि 26 साल, 26 प्रतिशत से 28 साल के बच्चे होते हैं इन द ऐज ग्रुप आफ 6 टू 14। तो इसके अन्दर एक करोड़ सैंतीस लाख बच्चे हैं जिनकी ऐज ग्रुप है, 6 से 14 साल। उन 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए आज हमारे पास जो इंटरवेंशन चल रहे हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह इंटरवेंशन चल रहे हैं, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिनकी संख्या है 2616 पंचायती-राज विभाग प्राथमिक विद्यालय चला रहे हैं, उनकी संख्या है—29061, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चला रहे हैं, उनकी संख्या है 17600। शिक्षाकर्मी परियोजना चला रहे हैं, उसकी संख्या है 2697, लोक-जुम्बिश चला रहे हैं, उसकी के.पी.एस. हैं, उनकी संख्या है 431, फिर हमने दस जिलों में डी.पी.ए.पी. का कार्यक्रम हाथ में ले लिया है। फिर हमने जन-शाला चला रखी है, सरस्वती योजना चला रखी है। यह सब इंटरवेंशन हमने करा रखे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : कंसोलिडेट करें साहब, इतनी चीजें हो गयी।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सदस्य, मैं इसी बात पर आना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री बनने के बाद न केवल मैं शिक्षाकर्मी के आफिस में गया, न केवल मैं लोक-जुम्बिश के आफिस में गया, मैं जहां-जहां भी यह कार्यक्रम चल रहे हैं, मैं उन आफिस में गया और मैंने बड़ी विनम्रता से, मन में इच्छा लेकर कि

(श्री सी. पी. जोशी)

हमारे स्टेट इंटरवेंशन का जो पैसा है, उसका दुरूपयोग नहीं हो। और किस तरह हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके और इसमें इंटिमेट करने के लिए क्या-क्या काम कर सके। और जैसे ही मैंने यह प्रयास प्रारम्भ किये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनरशिया, जो एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ है, जिस एम्पायर के अन्तर्गत क्या व्यवस्था है, वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य इस बात को गम्भीरता से समझें।

बस्सी वाले माननीय सदस्य ने आज जो बातें कहीं है, कल उसको पार्टी में बुलाकर के कार्यवाही नहीं की जाए, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि शिक्षाकर्मी योजना, जिस योजना के पीछे मन में लक्ष्य था कि उन जगह पर हम शिक्षाकर्मी योजना को लागू कर वहां पर हम बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे, आठवीं क्लास के बच्चों के लिए, जहां पर पढ़ाने के लिए टीचर्स उपलब्ध नहीं होते हैं। मैं आज आपको फिगर देना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज भी बांसवाड़ा में 592 पोस्ट्स खाली हैं। आज भी बाड़मेर में 800 ऐसी पोस्ट्स खाली हैं। आज भी जैसलमेर में 442 पोस्ट्स खाली हैं। उदयपुर में 866 पोस्ट्स खाली हैं। शिक्षाकर्मी योजना, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए प्रारम्भ की थी कि यह जो दूरस्त इलाके हैं, जहां पढ़ाने के लिए टीचर नहीं जा सकता है, वहां पर जाकर हम व्यवस्था करेंगे कि वहां पर बच्चे पढ़ सकें और शिक्षाकर्मी के माध्यम से यह पूरा करेंगे। उस कंसेप्ट को, शिक्षा-कर्मी के कंसेप्ट को हाइजैक कर लिया गया। हाइजैक कर लिया गया अपनी पर्सनल नीड्स को कैटर करने के लिए। सौडा के साथ पढ़ने की व्यवस्था कर दी, वहां तक भी ठीक है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन इसके साथ-साथ एक काम और किया माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिसको मुझे कहते हुए तकलीफ है, शिक्षाकर्मी के नाम पर जैसा हमारे सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि शिक्षाकर्मी के नाम से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वनवासी कल्याण परिषद को आइडेंटिफाई किया गया कि वनवासी कल्याण परिषद इन 12 जिलों में जाकर लोगों को ट्रेण्ड करेगी। और ट्रेण्ड करके शिक्षाकर्मी को, शिक्षाकर्मी को ट्रेण्ड करने का काम आज 12 जिलों में शिक्षाकर्मी के माध्यम से जो झाड़ोल के इलाके में हैं, उसमें शिक्षाकर्मी की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वनवासी कल्याण परिषद और वनवासी कल्याण परिषद उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रही है। उन लोगों को आठवीं पास लोगों को लगाकर वहां पर वे शिक्षाकर्मी के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षाकर्मी के लक्ष्य को प्राप्त करने की जगह थी, बाड़मेर। शिक्षाकर्मी के लक्ष्य को प्राप्त करने की जगह थी जैसलमेर शिक्षाकर्मी के लक्ष्य करने की जगह यह थी लेकिन हमें पालिटिक्ल स्पेश को लेना था। हमने यह काम भी नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, लोक-जुम्बिश का काम शुरू हुआ। लोक जुम्बिश के कार्यक्रम में यह कहा गया कि 1:2:3 का रेश्यो है।

सी. पी. जोशी)

रुपया भारत सरकार देगी, एक रुपया स्थान सरकार देगी। दो रुपया भारत कार देगी, तीन रुपया सीडा देगी। बहुत च्छा प्रोग्राम है। उपाध्यक्ष महोदय, सोसाइटी ायी गयी। सोसाइटी बनाने के बाद ाध्यक्ष महोदय क्या किया गया, उस साइटी के अन्दर बनाया गया, माननीय ाध्यक्ष महोदय, कि उसके अन्दर दो चीजें गी। एक तो होगी, गवर्निंग काउंसिल और क होगी एग्जिक्यूटीव काउंसिल। और वर्निंग काउंसिल को बहुत बड़ी पावरफुल नाया गया। गवर्निंग काउंसिल को जो सीडेंट है, वह है, एक्स आफिसियों प्रेसीडेंट, ीफ मिनिस्टर राजस्थान। मिनिस्टर इन्चार्ज ाफ प्राइमरी एजुकेशन, मिनिस्टर इन्चार्ज रूरल वलपमैंट, यह तो बनेगी सबसे पहले परिषद ी गवर्निंग काउंसिल, और उसके बाद बनेगी ग्जिक्यूटीव काउंसिल। और एग्जिक्यूटीव काउंसिल में क्या बनाया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, "An eminent educationist or a educationist administrator to be nominated by the State Government", ये चेयरमैन और उसके बाद, सारे सैक्रेटरीज, कोई जन-प्रतिनिधि नहीं, यहां तक भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समझ में आता है। लेकिन आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि 1992 से यह स्कीम चल रही है। 1992से यह स्कीम चलने के बाद अभी तक सैकण्ड फैज में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हंड्रेड टेन करोड़ रुपये हमने खर्च कर दिये। और हंड्रेड टेन करोड़ रुपये खर्च करने के बाद, जब से यह पोकरण का विस्फोट हो गया तब उसके बाद यह व्यवस्था की गयी कि यह पैसा राजस्थान सरकार देगी। एज आन टू डे, 100 परसेंट फंडिंग वाई स्टेट गवर्नमेंट। पर इसकी व्यवस्था क्या है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे, इसमें सबसे बड़ी जो इण्टरेस्टिंग बात है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी मीटिंग की गयी जो आखरी मीटिंग हुई है, वह मीटिंग हुई है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिसको माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ने चेयर की, वह मीटिंग हुई है 6.12.95 को। 6.12.95 के बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गवर्निंग काउंसिल की एक भी मीटिंग नहीं हुई है। 1996, 1997, 1998, 1999 कोई एक भी मीटिंग नहीं हुई गवर्निंग काउंसिल की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां भी समझ में आता है कि गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग नहीं हो सकती। बहुत काम्पीटेंट आदमी है, उनसे ज्यादा एक्सपीरिएंड कोई आदमी नहीं हो सकता। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि इसके बाद गविर्निग काउंसिल की मीटिंग नहीं बुलायी। वहां तक जो समझ में आता है मुझे, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह समझ में नहीं आता कि हमारे माननीय सदस्यों को एप्रोच किया गया कि सेकुलरिज्म को खतरा है। सेकुलरिज्म की शिक्षा को इम्पार्ट कर रहे हैं। कामां में हमने यह काम किया, उर्दू शिक्षक की व्यवस्था की है। लेकिन शिक्षक की व्यवस्था करने के बाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसकी गवर्निंग काउंसिल के मैम्बर कौन-कौन हैं, उनके नाम पढ़ना मैं जरूरी समझता हूं। एग्जिक्यूटीव काउंसिल जो बनायी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री सी. पी. जोशी)

और गवर्निंग काउंसिल है, उसमें नाम बताना जरूरी समझता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे। उसमें अभी उन्होंने मीटिंग बुलायी। एग्जिक्यूटीव काउंसिल की। उस एग्जिक्यूटीव काउंसिल के अन्दर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैम्बर है, मैं समझता हूं कि मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी इन नामों को समझकर के समझ लेंगे कि मैं क्या नाम बता रहा हूं। उनके नाम बताना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री अमराराम (धोद) : नेकर वाले हैं या बिना नेकर वाले हैं ?

श्री सी. पी. जोशी : इसलिए मैं चाहता हूं नाम बताना। गवर्निंग काउंसिल में सेकुलर शिक्षा इम्पार्ट हो रही है। मैं यही चीज सदन के सामने रखना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नाम इसीलिए लेना चाहता हूं कि ठीक लगे। लेकिन वनवासी कल्याण परिषद जो एक पालिटिकल बिंग है, इस एक आइडियोलोजी को प्रोपेगेट करने के लिए, उसके सदस्य, (व्यवधान) आपको अपने विचार रखने का अधिकार है लेकिन उन लोगों से सेकुलर शिक्षा, माननीय दिलावर साहब, आर.एस.एस. के वनवासी कल्याण परिषद की गवर्निंग काउंसिल, लोक-जुम्बिश सेकुलर शिक्षा को इम्पार्ट करेगी, जिस दिन यह हिन्दुस्तान में फैसला हो जाएगा, उस दिन हिन्दुस्तान बहुत आगे बढ़ जाएगा।

श्री मदन दिलावर : राष्ट्रीय विचारों से ओत-प्रोत शिक्षा रहेगी।

श्री सी.पी. जोशी : यह राष्ट्रीय विच से ओत-प्रोत, सीडा से पैसा लेकर वि देगी। यह स्वदेशी प्रेम है अपना। स्वदे शिक्षा देना चाहते हैं, यहां पर। पैसा बा से आएगा और शिक्षा हम स्वदेशी देंगे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं र निवेदन करना चाहता हूं। मैं आगे निवेद करना चाहता हूं...

श्री मदन दिलावर : हमारे देश में हम देश की शिक्षा नहीं देंगे तो कहां की शिक्ष देंगे, माननीय मंत्री महोदय ?

श्री सी. पी. जोशी : इसीलिए मैं निवेद करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनमें एक तो हमारे माननीय सदस्य हैं, जयन्तीलालजी जैन, एक इसमें हमारे माननीय सदस्य हैं, कौशल किशोरजी जैन, जो यहां पर बहुत बड़ी शिक्षा संस्थान चला रहे हैं। केशव विद्यापीठ चला रहे हैं। मिस्टर वाडवडेकर साहब इसमें मैम्बर हैं। विष्णु कान्त इसमें मैम्बर हैं। मैं नाम बताऊंगा, यह गवर्निंग काउंसिल है, एज आन टू डे, इसकी रिटन मीटिंग हुई है। मैं इसलिए कह रहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आगे और बताना चाहता हूं। मैंने यहां तक भी कोई बात नहीं की है, राष्ट्रीय विचारों से ओत-प्रोत है, वहां तक भी समझ में आता है। लेकिन आप जानकर आश्चर्य करेंगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सोसाइटी रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत

(श्री सी. पी. जोशी)

रजिस्टर होने के बाद उसका आडिट करने का काम, उसका यह करने का काम, रजिस्टर्ड सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर सोसाइटी में लाइसेंस दे सकते हैं। पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि एक सरकारी अधिकारी यदि फोरेन में जाता है तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन यहां पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक नहीं जिनकी मनमर्जी से जिनको आदमी चाहते थे, उनको उन्होंने वहां फोरेन भेजा। और न तो राजस्थान सरकार से परमिशन ली और न किसी से परमिशन ली। यह भी पूछने का किसी को अधिकार नहीं है कि आपने फोरेन में कितना पैसा, रुपया इन्वेस्टमैंट किया। यहां भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बात और बताऊं, लेकिन मुझे सबसे बड़ी तकलीफ है कि इस प्रोग्राम को इम्प्लीमैंट करने के लिए, जिसको रैफरेंस सोसाइटी बनाया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

इसको हमने रेफरेंस बनाया है, यह हमारे बच्चों की शिक्षा के लिये रिसोर्सेज को डवलप करेंगे। उनके नाम मैं जरूर पढ़ना चाहता हूं और मैं चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी एंटरप्राइजिंग क्षमता हम सब में पैदा हो जिससे आने वाले समय में नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़े, भ्रष्टाचार करने की आवश्यकता नहीं पड़े और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इसके लिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आपके सामने उन लोगों के नाम मैं जरूर पढ़ना चाहता हूं जिनको कितना पैसा मिला है, आप जानकर आश्चर्य करेंगे। यहां पर एक संधान संस्था है, जयपुर शोध प्रशिक्षण क्षेत्र। यह संधान संस्था 1992 तक कोई पहले एजुकेशन में ट्रेनिंग इम्पार्ट नहीं कर रही थीं। छोटे-छोटे बच्चों की एजुकेशन में कोई एजुकेशन इम्पार्ट नहीं कर रही थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संधान संस्था को 3 करोड़ 67 लाख रुपये दिये हैं केवल मात्र रिसार्सेज को डवलप करने के लिये। एक संस्था और है उसका नाम है विहांग, उसको दिया है एक करोड़ 65 लाख रुपये। यह मैं खाली नाम बता रहा हूं। खाली रिसोर्सेज बनाने के लिये। उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक तो ठीक है, लेकिन कार्यक्रम को चलाने के लिये विश्व हिन्दू परिषद के सबसे बड़े नेता, जो जगह-जगह भाषण दे रहे हैं, उनकी पुत्री को अपाइंटमेंट दिया गया बिना रिक्रूटमेंट की पालिसी के। कोई नियम और कानून नहीं कि भर्ती कैसे करेंगे हम। जिसको मन में चाहा उसको रिक्रूटमेंट कर दो, जिसको मन में चाहा, उसको हायर कर दो, जिसको मन में चाहा उसको बाहर कर दो। रिक्रूटमेंट करने के लिये भी पालिसी होनी चाहिये कि हम रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे। (व्यवधान)

(20.00 बजे)

श्री मदन दिलावर : (व्यवधान) यह अपराध हो गया क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : सरकारी धन का दुरुपयोग करना ही राष्ट्र भक्ति है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय दिलावर जी, भड़काने वाली भावना मत बनाओ। इन्होंने एजुकेशन की बात कही है। जाति की बात नहीं कही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय जगत सिंह जी बिराजिये। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : किसी दलित या पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को करते। सारा काम मनुवादियों के लिये किया है। एक काम..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : और इसलिए यहां सब इकट्ठे होकर आपका इलाज कर दिया अब की बार।..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, किसी पर आरोप तो लगा नहीं रहे हैं। इन्फोर्मेशन दे रहे हैं। जो फैक्ट है उसको सुन लीजिये न। आरोप थोड़े ही लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगाया उन्होंने। (व्यवधान) फिर क्या बात है ? सुनिये जरा। फैक्ट्स हैं वह तो..(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : नहीं, मैं आरोप नहीं मान रहा।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी हमने वर्ल्ड बैंक से समझौता किया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं माफी चाहूंगा, बीच में मुझे टोकना नहीं चाहिये। जिस संस्था के बारे में आप धारा प्रवाह भाषण कर रहे हैं, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि इस संस्था का अलग से संविधान है कि नहीं ? नम्बर दो (व्यवधान) एक मिनट..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह समाप्त कर लें उसके बाद पूछ लेना आप। प्लीज यह समाप्त कर लें उसके बाद don't interrupt. Let him continue.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन कर रहा था कि मंत्री महोदय, इस का अलग से संविधान है। यह सोसायटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। तत्कालीन सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है और अगर आप इसकी जांच कराना चाहें तो करवा लें। (व्यवधान) मार्क्सवादी राजनीति ग्रुप क्यों डाल रहे हैं इसमें..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उन्होंने न तो कहा कि सरकार का इससे कोई लेना-देना है। यह तो ऑन रिकार्ड जो फैक्ट्स हैं, वह बता रहे हैं उसमें (व्यवधान) माननीय सदस्य, सुनने की कृपा कीजिये। He is coming out with the facts. इन्होंने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यह पोलें खुल रही हैं, जब दर्द हो रहा है इनको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : जांच करवाइये आप लोग..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : संधान जो संस्था है, उस संस्था को मैंने भी देखा है। आप जांच करवाइये कोई नहीं रोक रहा है आपको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : That is for the Government to decide.

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : नाम बोलने में ही आपको इतनी तकलीफ हो रही है। अभी तो नाम सुनने में ही इतनी तकलीफ हो रही है तो जांच के बाद तो बहुत तकलीफ होगी। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : हम खुद कह रहे हैं ओपनली जांच कराओ आप।

श्री उपाध्यक्ष : इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : जांच के बाद तो आपको बहुत तकलीफ होगी। नाम सुनने में ही बहुत तकलीफ हो रही है। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : जांच कराओ। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : जांच में तकलीफ होगी तो क्या नहीं करोगे जांच ? क्या इनको बचाना चाहते हो ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप सदन के सामने सारी बातें खुलासा रखो न आप। यह रजिस्टर्ड संस्था हैं। आटोनोमस बाडी है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : फिर आप बचाओगे (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इन्होंने सरकार के बारे में एक भी बात नहीं कही। जो फैक्ट्स हैं, वह रिपोर्ट कर रहे हैं। उसमें आपको क्या तकलीफ हैं, वह रिपोर्ट कर रहे हैं। उसमें आपको क्या तकलीफ है he has not said that. गवर्नमेंट का नाम ही नहीं लिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह रजिस्टर्ड संस्था है। (व्यवधान) बात करें न आप विश्व हिन्दू परिषद (व्यवधान) जांच कराओ आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप स्वयं गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूज कर रहे हो जबकि उन्होंने नाम ही नहीं लिया। और क्या कर रहे हो ? आर्डर प्लीज (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आरोप तो लगा रहे हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई आरोप नहीं लगाया उन्होंने।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अपने नेता को मरवाना चाहते हैं तो आप क्यों चिन्ता करते हो इनकी। करने दो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय मंत्रीजी।

श्री सी. पी. जोशी : मैं तो इसलिए माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि 1995 में जो मीटिंग चीफ मिनिस्टर ने की उसके बाद 1996-97-98,

(श्री सी. पी. जोशी)

हम इतनी बड़ी सोसायटी को रजिस्टर्ड कर रहे हैं, इस पर आना चाहता हूं। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा सोसायटी रजिस्टर्ड करना, एनजीओ. बनाना, दो अलग-अलग चीजें हैं। सोसायटी रजिस्टर्ड कर दें। सोसायटी रजिस्टर्ड करने में, डेमोक्रेसी में यह बात समझने की आवश्यकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को कहना चाहता हूं कि आप सोसायटी रजिस्टर्ड करने के बाद उसकी सैक्रेटरी को उसका पदेन सदस्य बना दें और स्टेट गवर्नमेंट का कमिटमेंट मान लें, इस पर ऐसी सोसायटी का रजिस्ट्रेशन करने से लोकतंत्र में खतरा हो जाएगा। आज सबसे बड़ा लोकतंत्र में, (व्यवधान) आज प्रश्न यह नहीं है। मैंने इसलिए कहा, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सोच-समझकर बात कही है। मैंने इसलिए कही कि 1995 की जो मीटिंग हुई भैरोंसिंह शेखावत के चेयरमेनशिप में, उसके बाद 1996-97-98 में उस प्रोग्राम को चलाने के लिये किस लेवल तक हम उस प्रोग्राम से कम्प्रोमाइज करने के लिये मेनुपुलेट कर रहे हैं, और स्टेट के पैसे का हम मिसयूज नहीं करना चाहते। इसलिए मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि उस समय 1995 में सरकार सोचती तो इतना पैसा, आज 110 करोड़ रुपये खर्च हो गये। उसके बाद स्थिति क्या बन गयी कि राजस्थान में दो तरह की स्कीम्स चलेगी प्राइमरी सैक्टर में, एक तो जो डी.पी.ए.पी. के अन्तर्गत आ रहे हैं वह जिले हैं। 19 और बाकी (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप कम से कम मंत्रीजी का जवाब तो सुनें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर। सुनने की कोशिश कीजिये।

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी के जवाब का तो सुनने की कोशिश करें। (व्यवधान) क्यों पैदा करते हैं ? इतनी तो क्षमता रखो आप। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन पर थोड़ी पाबन्दी लगाइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : आपकी आज्ञा से एक प्रश्न करूंगा। एलीगेशन तो कोई मंत्री लगा नहीं रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय। फैक्ट्स सामने रख रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : He is only giving the information. तो उसमें क्या हुआ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप सुनिये। फैक्ट्स सामने रख रहे हैं और फैक्ट्स से खुद ही साबित हो गया है, आरोप प्रमाणित है तो आप एक्शन क्या प्रपोज कर रहे हैं ? आप यह बताओ न। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बताएंगे। बताएंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप एक्शन जो प्रपोज कर रहे हैं, वह बताइये न।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनेंगे तब बताएंगे न। Let him come out with the facts. He will tell you. वह भी आएगा, वेट करें।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। As a minister I am not competent to pass a judgement over the merit of the concept of the education. यह मेरा काम नहीं है। मेरा काम है एज ए मिनिस्टर, जब मैं मिनिस्टर बना तो मेरी ड्यूटी है कि यदि एक पैसा भी राजस्थान सरकार का उसमें खर्च हो रहा है तो उस पैसे का सदुपयोग हो, यह जानना मेरा काम है। कार्यक्रम अच्छा है या बुरा, यह काम मेरा नहीं है। इसके लिये राजस्थान सरकार एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगी जो फैसला करेगी कि इसके कंसेप्ट ठीक हैं, नहीं है। उस कंसेप्ट के संबंध में मैं कहना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां कंसेप्ट बनाते गये कि मैपिंग कार्य का किया जाएगा। यहां कंसेप्ट बताया गया कि हम किस तरह से काम करेंगे। यह उन्होंने खुद ने ही किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आप जानकर आश्चर्य करेंगे जब भी कोई वर्ल्ड बैंक से फण्डेड प्रोग्राम लागू होता है किसी स्टेट में, तो कंसल्टेंसी देते हैं उसके पहले ग्लोबल टेंडर निकालते हैं कि कंसल्टेंसी के लिये यह शर्तें हैं। उसके बाद उसको मरोडाउन करते हैं कि कितने आदमी इस कंसल्टेंसी को ओपन करना चाहते हैं। फिर नेगोशिएशन करने के बाद कंसल्टेंसी का फैसला होता है। यहां पर इतनी बड़ी राशि 110 करोड़ रुपये तो खर्च हो गये और राजस्थान सरकार के पास यह कागज भी आ गया कि 200 करोड़ रुपये एफ.आई.डी. और देना चाहती है और अगले 400 करोड़ रुपये और देना चाहती है। एक हजार करोड़ रुपये का कमिटमेंट है और एक हजार करोड़ रुपये के कमिटमेंट में बेसिक मुद्दा यह है कि कंसल्टेंसी की शर्त है, उसको आपने आइडेंटिफाई कैसे की ? कभी टेण्डर किये आपने ? आप जिसको चाहो, उसको आप कंसल्टेंसी के लिये खड़ा कर दो। मेरी पसंद है आज मैं मेरे मिलने वाले मित्र को संस्था बनाकर उसको कंसल्टेंसी दे दूं। मैंने फीगर दिये हैं 3 करोड़ 72 लाख रुपये। 3 करोड़ 72 लाख रुपये देने से पहले क्या उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन में कोई उनकी रेपुटेशन है ? उनके लिये कोई काम किया है ? उनका इनपुट है ? इस खाली संस्था बनाकर केवल मात्र आनरेरियम ले रहे हैं। वह पैसा नहीं ले रहे हैं आनरेरियम ले रहे हैं। और इतनी बड़ी व्यवस्था कर दी गयी है। जिस व्यवस्था के अंदर पांच करोड़ रुपये तो केवल मात्र कंसल्टेंसी पर खर्च किये। 110 करोड़ रुपये का हिसाब-किताब बताऊं।

मैं इसलिए कहना चाहता हूं इसके साथ एक चीज और जुड़ी है। जो शिक्षाकर्मी का कार्यक्रम लागू किया गया था उसमें हण्डरेड परसेंट that was a 100% state funding programme. उस प्रोग्राम को भी हाईजैक कर दिया गया। उसमें सीडा को ले आये और सीडा के बाद उसको भी डी.एफ.एड.

(श्री सी. पी. जोशी)

में लाया गया और वहां पर भी एक शिक्षाकर्मी बोर्ड बना हुआ है। उस शिक्षाकर्मी बोर्ड के चेयरमैन एजुकेशन सेक्रेटरी होंगे। हम राजस्थान की जनता के साथ अगले पांच साल बाद इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करके, इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद जनता हमसे पूछेगी कि आदमी तो आपने एम्पलाय कर दिये, इतने प्रोग्राम लागू कर दिये और अब आज, आपकी शिक्षा पूरी नहीं हुई, सार्वजनिक शिक्षा पूरी नहीं हुई। तो माननीय मदन दिलावर जी भाषण देंगे या सी.पी.जोशी भाषण देंगे ? हम पब्लिक रिप्रजेंटेटिव हैं। हमारी ड्यूटी है हम पब्लिक के सामने जाकर बताएं कि पांच साल तक सार्वजनिक शिक्षाकरण करने के लिये ये-ये प्रोग्राम लागू किये थे। स्टेट गवर्नमेंट का यह फंडिंग है और स्टेट मिनिस्टर होने के नाते हमारी ड्यूटी है। आप और आपके मंत्रिमंडल के सदस्य अपनी ड्यूटी करने में फेल हो गये। हमारी सरकार एक-एक कर्तव्य को पूरा करेगी। अनप्लीजेंट काम हो, तो भी करेगी। क्योंकि हम समाज के सामने लाना चाहते हैं कि हमारे मन में यह इच्छा थी कि यदि राजस्थान में आज 17 हजार एन.एफ.सी. सेंटर चल रहे हैं। लगभग 37 हजार प्राइमरी स्कूल्स, इन दोनों को मिलाकर हम काम करें तो एक परसेंट भी इंटरवेंशन नहीं चाहिये कि किसी के इंटरवेंशन की जरूरत हो। लेकिन हमने इंटरवेंशन के नाम पर इतनी खुली छूट दे दी है कि इस खुली छूट से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

इसलिए गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य, मन में यह विचार लेकर हमने शिक्षा केन्द्र प्रारम्भ किये कि शिक्षा केन्द्र प्रारम्भ करने के बाद हम क्वान्टम जम्प करना चाहते हैं लिट्रेसी के टारगेट को पूरा करने के लिए, जिससे हमें लोग यह नहीं कह सकें कि 50 साल की आजादी के बाद हमने सामान्य शिक्षा जो गरीब आदमी को मिलनी चाहिए, इसको लिट्रेट करने का काम हमको करना चाहिए, उस उत्तरदायित्व को भी हम पूरा नहीं कर सके। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह काम करने के साथ हम यह आठवीं क्लास से काम नहीं कर रहे, हम यह भी काम नहीं कर रहे पंचायत का, हम एम.एल.ए. ट्रांसफर करायें तो ठीक, एक पंचायत का सरपंच ट्रांसफर कराये तो गलत काम हो जायेगा। हम मिनिस्टर रिक्रूटमेंट करें तो ठीक, एक पंचायत का सरपंच यदि मास्टर को रिक्रूट कर देगा तो गलत हो जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों में नहीं हूं। इसलिए मैंने कहा हम फुल्ली एम्पावर करना चाहते हैं। पंचायत को एम्पायर करना चाहते हैं तो हमने बिलकुल सोच-समझकर प्रोग्राम बनाया है और प्रोग्राम बनाने के बाद हमने यह कहा है, हमने 1200 रुपये की व्यवस्था की है। लेकिन ग्राम सभा जो हम एक मई को करवा रहे हैं उसमें यह जो 17,600 लिख रखे हैं एन.ए.सी. सेंटर, जो कागज पर चल रहे हैं, जो फिक्टिसियस हैं उनको भी आइडेंटिफाई करेंगे और एन.एफ.सी. के सेंटर आज 10 हजार भी निकल जाएं तो 10 हजार एन.एफ.सी. सेंटर चलाने का काम इन शिक्षाकर्मियों को, सहयोगियों को देंगे जिनको हम पढ़ाने का काम करवा रहे हैं जिससे

(श्री सी. पी. जोशी)

उसका बजट भी 1200 की बजाय 1700 हो जाय, यह व्यवस्था करने के लिए हम काम कर रहे हैं।

कल मैं अखबार में पढ़ रहा था, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रीजी ने कहा कि दो साल जो काम करेंगे उनको हम रेगुलराइज कर देंगे। हमने खुद ने यह पहले स्कीम बना ली कि जो शिक्षाकर्मी में हम आदमी एम्पलॉय कर रहे हैं। जैसा गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे को कहा, मैं इस बात से सहमत हूं। यह प्राइमरी स्कूल क्या ब्रांच स्कूल की तरह होगा क्योंकि हम पहली, दूसरी के लड़कों को पढ़ाने का पहले अवसर देंगे। तो पहली दूसरी के लड़को को पढ़ाने के बाद हमने एक मई से आईडेंटिफाई कर के इनको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था भी पूरी की है कि जून में इनको ट्रेनिंग करवा दें जिससे जुलाई में कक्षा शुरू करें तो बिलकुल ऐसे हो जाएं, गांव का यह नहीं कह दे कि सरपंच पकड़ कर ले आया, अनपढ़ आदमी को लगा दिया। नहीं, इसके लिए हम ने सलैक्शन का प्रोसिजर प्रेस्क्राइव किया है कि सलैक्शन कैसे होगा। सबसे पहले हम एक मई को ग्राम सभा मीटिंग कर रहे हैं। ग्राम सभा की मीटिंग में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उस ग्राम में और, उपाध्यक्ष महोदय हम ग्राम में भी एक स्टेप आगे जा रहे हैं वार्ड, वार्ड जो हैं पंचायत का यदि उस वार्ड में 40 बच्चे पढ़ने वाले शिड्यूल्ड कास्ट के हैं और वार्ड आइडेंटिफाई शिड्यूल्ड कास्ट हैं तो उसमें टीचर शिड्यूल्ड कास्ट का ही लगेगा। यदि उस पंचायत का अबेलेवल है तो उस पंचायत का लगेगा, उसके बाद एसटी. का लगेगा, उसके बाद ओ.बी.सी. का लगेगा। यह भी हमने छूट नहीं दी है उसमें। उपाध्यक्ष महोदय, उसमें सलैक्शन करने के लिए हमने नियम बनाये हैं। उसमें सरपंच होगा, ग्राम सेवक होगा उसमें, महिला पंच या महिला सामाजिक कार्यकर्ता होगी, वहां की पंचायत का स्कूल का जो टीचर है, मिडल स्कूल है तो मिडल स्कूल का हैडमास्टर वो होगा और विकास अधिकारी का प्रतिनिधि होगा। यह आदमी मिल कर ग्राम सभा, मीन्स वार्ड सभा की मीटिंग बुला कर यह कहेंगे कि इस वार्ड में यह-यह पढ़े-लिखे लोग हैं, इनकी क्वालिफिकेशन यह है, बी.ए. बी.एड., हायर सैकण्डरी, उसके आधार पर यदि उस वार्ड में बी.ए., बी.एड. अवेलेबल है तो सरपंच साहब की मनमानी नहीं, सबसे पहले बी.ए., बी.एड. आदमी की नौकरी लगेगी। और यदि महिला है तो सबसे पहले उसकी लगेगी। उसके बाद हायर सैकण्डरी स्टूडेंट लगेगा, उसके बाद हायर सैकण्डरी ट्रेंड है उसकी लगेगी उसके बाद हायर सैकण्डरी लगेगा। इस स्टेज पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि जो हमारा एप्रिहेन्सन है कि हम आठवीं क्लास के लड़कों को लगाना चाहते हैं, यह स्थिति नहीं है। आज राजस्थान में लगभग 20-25 हजार लड़के एसटी.सी. पास होंगे। हायर सैकण्डरी, बी.एड. पास हैं, यह व्यवस्था हमने बहुत सोच-समझकर के की है जिससे आपको यह एप्रिहेन्सन लगे कि सरपंच की मनमानी होगी, यह भी नहीं कर रहे।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय मंत्रीजी, कह रहे हैं कि एम.एल.ए. की भी कहीं पूछ होगी कि नहीं होगी ? चर्चा कर रहे हैं यह।

श्री सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, न-केवल यह व्यवस्था कर रहे हैं लेकिन यह जो हमारा एप्रिहेंशन है कि मिडल स्कूल का हम ट्रांसफर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस पर भी व्यवस्था की। एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्ट्रेट हमारे पास है तो एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्ट्रेट के साथ में, उपाध्यक्ष महोदय, नीचे लेबल पर पंचातय समिति में ब्लाक एजुकेशन अफसर जो होगा, वो पंचायत समिति में एलिमेंट्री एजुकेशन का आदमी होगा। जो टीचर है उसको, रेस्पांसिबिलिटी, उस बी.डी.ओ. को नहीं करनी है उनकी रेस्पांसिबिलिटी, पंचायत में एलिमेंट्री एजुकेशन का जो हमारा अफसर है, उसको उससे लिंक करना है। तो यह जो हमारा एप्रिहेन्सन है कि हम उनको प्रधान से यह करेंगे, यह व्यवस्था नहीं करेंगे। हम जो व्यवस्था कर रहे हैं उसमें ब्लाक से लगा कर, डिस्ट्रिक्ट से लगा कर एलिमेंट्री के जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन आफिसर हैं वो काम करेंगे।

श्री दुर्गा प्रसाद : एम.एल.ए. की भागीदारी, मंत्रीजी।

श्री सी. पी. जोशी : बाद में, आप मुझे बोलने दें, मुझे ध्यान है, आप मेरी बात सुनिये।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह काम भी नहीं किया। हमने इसके तीन-चार दिन पहले ही हमारे जितने शिक्षक संघ हैं उसके सभी साथियों से हमने बात की और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जितने भी शिक्षक संघ हैं उन सब ने इस बात की स्वीकृति दी कि मिडल स्कूल को आप ट्रांसफर करिये। हमने उनके सामने जो बातें कहीं वो आप सामने कहना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एस.डी.आ हैं यह शिक्षा विभाग के सीनियर टीचर लेवल के आदमी हैं। आज शिक्षा विभा में सीनियर टीचर की पोस्टें खाली हैं, ह ब्लेंकेट फैसला कर रहे हैं कि एस.डी.आ शिक्षा विभाग के शिक्षा विभाग में जाएं पंचायत समिति में काम करने वाला ज हमारा टीचर है, जिसने सर्विस रेंडर की दस साल, पन्द्रह साल उनमें से एक हम एक पंचायत समिति में दो नहीं, चा आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कितने स्कूलों पर एक शिक्षा का ऊपर एक आदमी रखें। पंचायत समिति का जो अध्यापक है, जो पिछले 15 साल से, 20 साल से पढ़ा रहा है, जिसको आगे प्रमोशंस के एवेन्यूज नहीं हैं वह आदमी शिक्षा प्रसार अधिकारी का काम करेगा, शिक्षा विभाग का सीनियर टीचर आदमी काम नहीं करेगा। यह व्यवस्था भी हम इसके साथ करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, साथ में हम यह भी व्यवस्था करना चाहते हैं कि बी.डी.ओ. के प्रमोशन के अन्तर्गत भी यह जो पंचायत समिति में काम करने वाला आदमी है, यह जो प्रगति प्रसार अधिकारी है इनकी एवेन्यूज को भी खोल कर हम बी.डी.ओ. का चैनल ओपन करना चाहते हैं कि पंचायत समिति में काम करने वाला जो अधिकारी है, टु बिगन विद, 25 परसेंट हम रिक्रूटमेंट से करेंगे और 75 परसेंट इस तरह से करेंगे। जब तक कि हम अपनी कैडर को पूरा बना नहीं पायें तब तक यह व्यवस्था करने के

(श्री सी. पी. जोशी)

उसका बजट भी 1200 की बजाय 1700 हो जाय, यह व्यवस्था करने के लिए हम काम कर रहे हैं।

कल मैं अखबार में पढ़ रहा था, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रीजी ने कहा कि दो साल जो काम करेंगे उनको हम रेगुलराइज कर देंगे। हमने खुद ने यह पहले स्कीम बना ली कि जो शिक्षाकर्मी में हम आदमी एम्पलॉय कर रहे हैं। जैसा गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे को कहा, मैं इस बात से सहमत हूं। यह प्राइमरी स्कूल क्या ब्रांच स्कूल की तरह होगा क्योंकि हम पहली, दूसरी के लड़कों को पढ़ाने का पहले अवसर देंगे। तो पहली दूसरी के लड़को को पढ़ाने के बाद हमने एक मई से आईडेंटिफाई कर के इनको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था भी पूरी की है कि जून में इनको ट्रेनिंग करवा दें जिससे जुलाई में कक्षा शुरू करें तो बिलकुल ऐसे हो जाएं, गांव का यह नहीं कह दे कि सरपंच पकड़ कर ले आया, अनपढ़ आदमी को लगा दिया। नहीं, इसके लिए हम ने सलैक्शन का प्रोसिजर प्रेस्क्राइव किया है कि सलैक्शन कैसे होगा। सबसे पहले हम एक मई को ग्राम सभा मीटिंग कर रहे हैं। ग्राम सभा की मीटिंग में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उस ग्राम में और, उपाध्यक्ष महोदय हम ग्राम में भी एक स्टेप आगे जा रहे हैं वार्ड, वार्ड जो हैं पंचायत का यदि उस वार्ड में 40 बच्चे पढ़ने वाले शिड्यूल्ड कास्ट के हैं और वार्ड आइडेंटिफाई शिड्यूल्ड कास्ट हैं तो उसमें टीचर शिड्यूल्ड कास्ट का ही लगेगा। यदि उस पंचायत का अवेलेवल है तो उस पंचायत का लगेगा, उसके बाद एस.टी. का लगेगा, उसके बाद ओ.बी.सी. का लगेगा। यह भी हमने छूट नहीं दी है उसमें। उपाध्यक्ष महोदय, उसमें सलैक्शन करने के लिए हमने नियम बनाये हैं। उसमें सरपंच होगा, ग्राम सेवक होगा उसमें, महिला पंच या महिला सामाजिक कार्यकर्ता होगी, वहां की पंचायत का स्कूल का जो टीचर है, मिडल स्कूल है तो मिडल स्कूल का हैडमास्टर वो होगा और विकास अधिकारी का प्रतिनिधि होगा। यह आदमी मिल कर ग्राम सभा, मीन्स वार्ड सभा की मीटिंग बुला कर यह कहेंगे कि इस वार्ड में यह-यह पढ़े-लिखे लोग हैं, इनकी क्वालिफिकेशन यह है, बी.ए. बी.एड., हायर सैकण्डरी, उसके आधार पर यदि उस वार्ड में बी.ए., बी.एड. अवेलेबल है तो सरपंच साहब की मनमानी नहीं, सबसे पहले बी.ए., बी.एड. आदमी की नौकरी लगेगी। और यदि महिला है तो सबसे पहले उसकी लगेगी। उसके बाद हायर सैकण्डरी स्टूडेंट लगेगा, उसके बाद हायर सैकण्डरी ट्रेंड है उसकी लगेगी उसके बाद हायर सैकण्डरी लगेगा। इस स्टेज पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि जो हमारा एप्रिहेन्सन है कि हम आठवीं क्लास के लड़कों को लगाना चाहते हैं, यह स्थिति नहीं है। आज राजस्थान में लगभग 20-25 हजार लड़के एस.टी.सी. पास होंगे। हायर सैकण्डरी, बी.एड. पास हैं, यह व्यवस्था हमने बहुत सोच-समझकर के की है जिससे आपको यह एप्रिहेन्सन लगे कि सरपंच की मनमानी होगी, यह भी नहीं कर रहे।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय मंत्रीजी, कह रहे हैं कि एम.एल.ए. की भी कहीं पूछ होगी कि नहीं होगी ? चर्चा कर रहे हैं यह।

श्री सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, न-केवल यह व्यवस्था कर रहे हैं लेकिन यह जो हमारा एप्रिहेंशन है कि मिडल स्कूल का हम ट्रांसफर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस पर भी व्यवस्था की। एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्ट्रेट हमारे पास है तो एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्ट्रेट के साथ में, उपाध्यक्ष महोदय, नीचे लेबल पर पंचातय समिति में ब्लाक एजुकेशन अफसर जो होगा, वो पंचायत समिति में एलिमेंट्री एजुकेशन का आदमी होगा। जो टीचर है उसको, रेस्पांसिबिलिटी, उस बी.डी.ओ. को नहीं करनी है उनकी रेस्पांसिबिलिटी, पंचायत में एलिमेंट्री एजुकेशन का जो हमारा अफसर है, उसको उससे लिंक करना है। तो यह जो हमारा एप्रिहेन्सन है कि हम उनको प्रधान से यह करेंगे, यह व्यवस्था नहीं करेंगे। हम जो व्यवस्था कर रहे हैं उसमें ब्लाक से लगा कर, डिस्ट्रिक्ट से लगा कर एलिमेंट्री के जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन आफिसर हैं वो काम करेंगे।

श्री दुर्गा प्रसाद : एम.एल.ए. की भागीदारी, मंत्रीजी।

श्री सी. पी. जोशी : बाद में, आप मुझे बोलने दें, मुझे ध्यान है, आप मेरी बात सुनिये।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह काम भी नहीं किया। हमने इसके तीन-चार दिन पहले ही हमारे जितने शिक्षक संघ हैं उसके सभी साथियों से हमने बात की और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जितने भी शिक्षक संघ हैं उन सब ने इस बात की स्वीकृति दी कि मिडल स्कूल को आप ट्रांसफर करिये। हमने उनके सामने जो बातें कहीं वो आप सामने कहना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एस.डी.आ हैं यह शिक्षा विभाग के सीनियर टीचर लेवल के आदमी हैं। आज शिक्षा विभा में सीनियर टीचर की पोस्टें खाली हैं, ह ब्लेंकेट फैसला कर रहे हैं कि एस.डी.आ शिक्षा विभाग के शिक्षा विभाग में जाएं पंचायत समिति में काम करने वाला ज हमारा टीचर है, जिसने सर्विस रेंडर की दस साल, पन्द्रह साल उनमें से एक हम एक पंचायत समिति में दो नहीं, चा आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कितने स्कूलों पर एक शिक्षा का ऊपर एक आदमी रखें। पंचायत समिति का जो अध्यापक है, जो पिछले 15 साल से, 20 साल से पढ़ा रहा है, जिसको आगे प्रमोशंस के एवेन्यूज नहीं हैं वह आदमी शिक्षा प्रसार अधिकारी का काम करेगा, शिक्षा विभाग का सीनियर टीचर आदमी काम नहीं करेगा। यह व्यवस्था भी हम इसके साथ करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, साथ में हम यह भी व्यवस्था करना चाहते हैं कि बी.डी.ओ. के प्रमोशन के अन्तर्गत भी यह जो पंचायत समिति में काम करने वाला आदमी है, यह जो प्रगति प्रसार अधिकारी है इनकी एवेन्यूज को भी खोल कर हम वी.डी.ओ. का चैनल ओपन करना चाहते हैं कि पंचायत समिति में काम करने वाला जो अधिकारी है, टु बिगन विद, 25 परसेंट हम रिक्रूटमेंट से करेंगे और 75 परसेंट इस तरह से करेंगे। जब तक कि हम अपनी कैडर को पूरा बना नहीं पायें तब तक यह व्यवस्था करने के

(श्री सी. पी. जोशी)

लिए उनके सामने यह भी हमने रखा है और राजस्थान सरकार उनको विश्वास दिलाना चाहती है कि दोहरी व्यवस्था नहीं होगी। जैसे-जैसे यह मिडल स्कूल शिक्षा विभाग की इधर आयेगी, जैसे-जैसे पंचायत के टीचर यह दो में निकलेंगे, जो भी शिक्षा केन्द्र में काम करने वाला आदमी है, तीन साल तक वह काम करेगा तो उसके बाद हम एक सिस्टम निकाल रहे हैं कि उस पंचायत में वहां पर जो मिडल स्कूल का हैडमास्टर है, आज हर पंचायत में मिडल स्कूल का हैडमास्टर है, वह हैडमास्टर हमारा अधिकारी होगा। जो अधिकारी उस पंचायत के अन्दर जो शिक्षा केन्द्र चल रहे हैं और दूसरे प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं उसमें वह एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे। उसके सर्टिफिकेट के आधार पर यदि शिक्षा केन्द्र में काम करने वाला आदमी ठीक ढंग से काम कर रहा है तो उसको रिक्रूट परमानेंट टीचर करने की व्यवस्था भी राजस्थान सरकार करेगी। यह भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। वह स्कूल जो हम खोल रहे हैं उसको अपग्रेड करके प्राइमरी स्कूल भी करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा प्राइमरी स्कूल खुलेंगे नहीं, 10 जिले जो डी.पी.ए.पी. के अन्तर्गत आ रहे हैं, 13 जिले जो लोक जुम्बिश के अन्दर एनविसेज किये हैं उनके अन्दर प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रोविजन आलरेडी है। इसलिए हम कोई प्राइमरी स्कूल खोलने की व्यवस्था बंद नहीं कर रहे है लेकिन हो यह रहा है कि प्राइमरी एजुकेशन के अन्दर अलग-अलग नाम से वही काम चल रहा है—नॉन फोरमल एजुकेशन, प्रहरी पाठशाला आंगन पाठशाला। काम सब एक ही है और नाम अलग-अलग देकर उन्होंने अलग-अलग एमोल्युमेंट दे रखे हैं जिससे एक शिक्षा के क्षेत्र में यह व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चले, इसको रोकने के लिए राजस्थान सरकार के मन में यह कल्पना है कि हम जिन चीजों का है उसकी मैरिट के आधार पर, यदि लोक जुम्बिश का कन्सेप्ट मेपिंग का अच्छा है, गांव में स्कूल बनाने के लिए मैप बनाने के काम का कन्सेप्ट अच्छा है, तो राजस्थान सरकार उस प्रोग्राम को हर चीज में लागू करेगी। यदि लोक जुम्बिश का कार्यक्रम महिला शिक्षा की दृष्टि से अच्छा है तो महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम ने फैसला किया है कि मेवात इलाके के अन्दर हम डबल स्कूल खोलेंगे और सारी महिला शिक्षा की कमी को पूरा करने के लिए हम और व्यवस्था करेंगे और माननीय मुख्य मंत्रीजी जो व्यवस्था करेंगे, उसमें काम करेंगे। उसमें यदि लोक जुम्बिश के अनुभव का लाभ उठाना है तो लाभ उठायेंगे। हम किसी भी प्रोग्राम की मैरिट और डी-मैरिट पर आज कमेंट करने की स्थिति में नहीं हैं लेकिन हम निश्चित तौर पर यह कहना चाहते हैं कि पोलिटिकल गवर्नमेंट यदि इस तरह के निर्णय नहीं लेगी तो यह तो केवल लोक जुम्बिश का उदाहरण दिया है।

एक संस्था अरावली और बन गयी है, वह भी मेरे मंत्रालय के अन्दर आती है। संस्था बना दें हम, सेक्रेटरी उसके मैम्बर

(श्री सी. पी. जोशी)

होंगे, प्लानिंग का मैम्बर होगा उसमें सेक्रेटरी होगा, सारे सेक्रेटरीज यह मीटिंग अटेंड करें पोलिटिकल काम, गवर्नमेंट के काम करने की उनको फुरसत नहीं हो और उसका कोरपस भी स्टेट गवर्नमेंट से जावे। पांच लाख रुपये से अरावली स्टार्ट की गयी, 50 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिये हमने और इसके बाद रिपा (RIPA) के अन्दर हमने व्यवस्था की दी आफिस के अन्दर। क्या हम राजस्थान सरकार में इस तरह की गवर्नमेंट विद इन गवर्नमेंट की व्यवस्था करना चाहते हैं? आज हमारा सेक्रेटरी कहां गया, अरावली की मीटिंग में गया। आज हमारा सेक्रेटरी कहां गया, लोक जुम्बिश की मीटिंग में गया। सेक्रेटरी की फर्स्ट आकाउंटेबिलिटी पालिटिकल गवर्नमेंट के साथ है, पालिटिकल पावर के साथ है। पालिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं हो और वहां पर वह आदमी फ़ोरेन में जा रहा है गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ले रहा है, यह यदि छूट दी जायेगी तो कोई भी कार्यक्रम का कन्सेप्ट कितना ही अच्छा हो लोकतंत्र में जो इलैक्टेड गवर्नमेंट है उसकी पोजिशन खराब हो जायेगी।

आज लोक जुम्बिश के कार्यक्रम में बिलेज लेबल की कमेटी बना रखी हैं, आज हमने वाटर शेड में विलेज लेबल की कमेटी बना रखी हैं और कांस्टीट्यूशनली जो प्रोविजो है कि पंचायत का सरपंच जो इलैक्टेड आदमी है प्रधान इलैक्टेड मैम्बर है उसको कोई स्पेस नहीं देना चाहते। हम अपनी मनमानी से कागजी कार्यवाही करना चाहते हैं कि बिलेज लेबल की कमेटी बनी हुई है, शिक्षा का रिकमेंटेशन यह करेगा। हम, राजस्थान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पंचायती राज का चुना हुआ जनप्रतिनिधि है हमारा, किसी भी पार्टी का है उसको हम अधिकार देंगे कि वो उसका चेयरमैन बनेगा, पंचायत में वो चेयरमैन बनेगा, पंचायत समिति में वो चेयरमैन बनेगा, जिला परिषद में चेयरमैन बनेगा। अपनी मनमर्जी से कमेटी बना कर कार्यक्रम को लागू कर के हम अपने एचिवमेंट को करना चाहते हैं, यह राजस्थान सरकार अलाऊ नहीं करेगी। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा बात नहीं कहना चाहता, मुझे कहते हुए तकलीफ है कि जिस गवर्नमेंट के फंडिंग से पैसा मिले उस गवर्नमेंट के नोमिनी के रूप में काम करने वाला आदमी जगह-जगह जा कर प्रेस में, मीटिया में जाकर इस सरकार को डोक में डाले तो मैं समझता हूं मेरा धर्म था, मेरा कर्तव्य था कि मैं माननीय सदस्यों को आगाह करूं कि यह खतरा न केवल सी.पी. जोशी के लिए है, न खतरा किसी मंत्री के लिए है यह खतरा सम्पूर्ण लोकतंत्र के लिए है। यदि इस तरह के इंस्ट्रक्शन दे देंगे तो अकाउंटेबिलिटी पांच साल बाद यदि राजस्थान में 13 जिलों में लोक जुम्बिश चले, 19 जिलों में डी.पी.ए.पी. चले तो दो स्ट्रीम की यदि एजुकेशन इम्पार्ट होगी तो 10 साल बाद डिस्पैरिटी बढ़ जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, 13 जिले कौनसे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जहां सब से कम लिट्रेसी है वह तो प्रोग्राम होगा लोक जुम्बिश के अन्दर, जहां 110 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद काई अकाउंटेबिलिटी नहीं है बाकी 13 जिले जो होंगे जहां लिट्रेसी ज्यादा है वे जिले कवर करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हम ठीक ढंग से इस चीज को नहीं कर पायेंगे।

(श्री सी. पी. जोशी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह फिगर्स कलैक्ट किया है कि जो एनरोलमेंट की रेट है जिसके आधार पर यह अपने आप को कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम से लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं, जो अन्तर है, उपाध्यक्ष महोदय, वह है केवल मात्र 63 परसेंट का। ये 13 जिले लोक जुम्बिश में कवर हो रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि एनरालमेंट के अन्दर हमने किया है, एन्वायरमेंट फिल्डिंग हमने किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को यह सब ज्ञान इसलिए हुआ, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, नाथद्वारा से मैंने 1991 में चुनाव हारने के बाद कोई बिरला ही सनडे गया होगा जो मैं नाथद्वारा नहीं गया हूंगा। जब मैं मंत्री बन गया तो पंचायत राज मंत्री बनने के बाद दो बार दौरे पर गया, तीसरी बार दौरे पर गया तब मैंने पूछा कि प्रोग्राम हमारे यहां कौनसे चल रहे हैं। बताया गया कि लोक जुम्बिश चल रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छा है, और कौनसे प्रोग्राम चल रहे हैं। मैंने पूछा लोक जुम्बिश कहां-कहां चल रहा है। लिस्ट मंगवायी। लिस्ट मंगवाने के बाद कहा कि लोक जुम्बिश कहां चल रहा है। मैं माननीय चेयरमैन साहब हैं उनसे मिला। उन्होंने बताया कि लोक जुम्बिश का प्रोग्राम कहां चल रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनसे मिला, उनसे लिस्ट ली। मैं उस गांव में उस हेमलेट में गया। 1995 से लगाकर 1999 हो गया। आठ साल में प्रिंसीपल लेबल का आदमी प्रोजेक्ट आफिसर बना रखा है और आदमी एम्पलाय कर रखे हैं। केवल एक हेमलेट में 18 लड़के पढ़ रहे हैं एक हेमलेट में 12 लड़के पढ़ रहे हैं। ये पढ़ रहे केवल दस दिन तक महीने में। फिर मुझे पता लगा कि कोई दूसरा भी कार्यक्रम चल रहा है। एडल्ट एजुकेशन के डायरेक्टर भानाबतजी हैं उनसे पूछा, आप बताओ। उन्होंने कहा, हां चल रहा था। मेरे पास लिस्ट है। 75 से 95 एन.एफ.सी. सेन्टर चल रहे हैं नाथद्वारा में। उनकी लिस्ट मैंने मंगवाई तब मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि एन.एफ.सी. वहां चल रही है। उसका पैसा भी लोग उठा रहे हैं लोक जुम्बिश भी वहां चल रही है और मैं जब विधायक था, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 50 की हेमलेट नहीं बची होगी जहां मैंने स्कूल नहीं खोले, जहां पक्के पक्के भवन नहीं बना रखे तब मेरे मन मे एक कल्पना आयी कि स्टेट इन्टरवेंशन। इस इन्टरवेंशन से 40 हजार जो स्कूल हमने, 40 हजार स्कूल की 200 की यदि केपेसिटी मानें तो 80 हजार बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था तो राजस्थान सरकार ने कर रखी है। 17 हजार एन.एफ.सी. के सेन्टर हैं फिर ये 200 करोड़ के और 400 करोड़ के प्रोग्राम लिये हैं और यदि इससे हमने चेक नहीं किया और ठीक ढंग से स्ट्रीम लाइन नहीं किया तो आने वाले समय में हम प्राइमरी एजुकेशन के साथ न्याय नहीं कर पायेंगे। इसलिए माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी राजनीति से ऊपर उठकर इन चीजों को सामने लाकर यदि हम राजस्थान में इन्टिग्रेटेड एप्रोच से प्राइमरी एजुकेशन का लक्ष्य हमने प्राप्त नहीं किया, तो सार्वजनीकरण का हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं आप सबका सहयोग

(श्री सी. पी. जोशी)

चाहता हूं इस बात में कि हम किसी तरह से किसी भी प्रोग्राम को हाथ में लेकर इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही बात कहना चाहता हूं बाकी सदस्यों ने दूसरी बातें कहीं हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इस सम्बन्ध में मैंने अपनी बात तो कह दी नहीं तो माननीय सदस्य कहेंगे मैं अपनी बात कहकर रह गया। धोद से आने वाले माननीय सदस्य से जिस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शर्मिन्दगी महसूस करता हूं और मैं महसूस करता हूं कि कोई पंचायत समिति का भवन नहीं बनता है तो यह पंचायत मंत्री के लिए ठीक नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप भी अपने प्रभाव का उपयोग करें, जमीन दिलाने की व्यवस्था करें और राजस्थान सरकार वहां पंचायत समिति का मुख्यालय निर्माण करने में कोई कोताही नहीं बरतेगी और वहां पर मुख्यालय बनायेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्यों के सम्बन्ध में कहा कि साहब, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों को कोई काम नहीं दे रहे हैं, अधिकार नहीं दे रहे हैं। अब अधिकारों की जो परिभाषा है, अधिकारों की परिभाषा तो केवल मात्र इस आधार पर हो कि मेरे को चैक काटने का अधिकार रहे। यह चैक काटने का अधिकार तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कर सकता। हुआ क्या, माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राज में पंचायत समिति अ जिला परिषद के रिप्रेजेन्टेटिव के चुनाव पह कराये और पंचायत के चुनाव बाद में करा और जितने पंचायत के एक्सपीरियेंस्ड आदम थे वह सब पंचायत समिति के सदस्य ब गये। जब बाद में चुनाव हुए पंचायत वे और जो स्पेस थी, वह स्पेस तो चली गयं और बाकी लोग बन गये पंचायत के, जे उनके नामिनी थे, वह बन गये। पंचायत वे सरपंच। वह इतने एन्टरप्राइजिंग थे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ, वह इतने एन्टरप्राइजिंग निकले कि पंचायत समिति का सदस्य और जिला परिषद का सदस्य, सरपंच किसी पंचायत का था, एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. का समझदार नहीं था उसका प्रोड्यूस था, वह खुद ठेकेदार बन गया। उन्होंने सारे काम सुओ मोटो के लिए। वहां पर पट्टी सप्लाई करनी है, पत्थर सप्लाई करना है या चूना सप्लाई करना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप जानकारी लेंगे तो 70 प्रतिशत पंचायत समिति या जिला परिषद के सदस्य हैं वह स्वयं, वह पावर अपने हाथ में ले रहे हैं और वह कहते हैं कि हमें अधिकार नहीं हैं। अधिकार का मतलब पंचायत का सदस्य जो पंचायत में काम करता है, अधिकार का सीधा सम्बन्ध समझता है कि चैक काटने का अधिकार है कि नहीं। उसको पूरा करने के लिए हमने यह सोचा है कि 1996 में एमेंडमेंट आया पंचायत समिति का। पंचायत एक्ट का 1996 का एमेंडमेंट है। 1996 के एक्ट को एक साल में लागू करना था। तत्कालीन सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस एक्ट को लेकर बैठ

(श्री सी. पी. जोशी)

गयी। भारत सरकार ने उस एक्ट में प्रोविजन लिखा है कि ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत यदि आप 1996 के एमेंडमेंट को, एक साल में एमेंडमेंट नहीं किया तो अगले चुनाव तक आप बच सकते हैं, बाकी उसके बाद वह सब नियम जो 96 में लिखें हैं वह लागू कर दिये गये हैं। एज आन टूडे, आज के दिन ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत जितनी भी पंचायत हैं उसमें पंचायत का एक्सटेंडेड विधेयक 1996 का प्रोविजो है वह देखें यह लागू है। जिस दिन नया चुनाव होगा उस दिन पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद के जो अधिकार उसमें मेंशन किये हुए हैं उन अधिकारों में कांस्टीट्युशनली उस ग्राम सभा को सारा एम्पावरमेंट किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है कि

"Every gram sabha shall approve the plans, programmes and projets for social and economic development before such plans, programmes and projects are taken up for implementation by the Panchayat at the village level, be responsible for the identification or selection of persons as beneficiaries under the poverty alleviation and other schemes."

आगे इम्पार्टेंस बता रहा हूं मैं,

"Every Panchayat at the village level shall be required to obtain from the Gram Sabha....", Once again I read it, "Every Panchayat at the Village level shall be required to obtain from the Gram Sabha a certificate of utilisation of funds by that Panchayat for the plans, programmes and projects referred to in clause E."

यह 1996 का एमेंडमेंट है, जो ट्राइबल सब प्लान में लागू हो गया है। राजस्थान सरकार इस क्लाज को सम्पूर्ण राजस्थान की पंचायतों पर लागू करना चाहती है। हर ग्राम सभा में जितनी भी राजस्थान की ग्राम सभाएं हैं उनमें यही तो ग्राम का सभा का पावर है। जिस ग्राम सभा में प्लान बनाने का, उसकी यूटिलाइजेशंस की जांच करने का यह अधिकार हम ग्राम सभा में देना चाहते हैं और ग्राम सभा को भी आपरेशनली डिफाइन करना चाहते हैं। ग्राम सभा का मतलब अभी तक ग्राम पंचायत को ग्राम सभा मान रहे हैं। ग्राम सभा का मतलब विलेज की ग्राम सभा को मानते हैं। हमारी थिंकिंग यह है कि ग्राम सभा का मतलब जो पंचायत का वार्ड है उस वार्ड को कोटर्मिनेट करना चाहते हैं ग्राम से जिससे इफेक्टिव ढंग से और इंडीवीज्युअली बेनीफिसियरीज का आइडेन्टीफिकेशन हो सके। जो प्रोग्राम इस वार्ड में लागू हो रहे हैं, उनकी ठीक ढंग से मानिटरिंग हो सके और इसलिए हमने इस साल 1999-2000 में केवल मात्र पक्का काम करने की इजाजत दी है। हम सब भी काम करेंगे अकाल राहत कार्यों की लेबर के साथ में केवल मात्र पक्के काम

(श्री सी. पी. जोशी)

होंगे, मैटीरियल, जिससे हम बता सकें कि क्वालिटी आफ वर्क क्या होता है, जिससे हम बता सकें कि भ्रष्टाचार कैसे रुक सकता है। और हमने सारे बी.डी.ओज. को और कलेक्टर्स को अधिकार दिया है कि वह वीडियोग्राफी करावें और वीडियोग्राफी कर, यदि वहां पर काम नहीं हुआ है, किसी भी पार्टी का आदमी हो उसके खिलाफ सस्पेंशन की कार्यवाही होगी और कार्यवाही की जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हम यह भी काम कर रहे हैं, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि पंचायत का सरपंच ग्राम सभा में क्यों नहीं रेस्पांसिबल है? हम पंचायत राज के एक्ट में यह भी परिवर्तन करने का मन रख रहे हैं कि जिस तरह को-ओपरेटिव एक्ट के अन्तर्गत रिकवरी उससे खुद से होती है, रेवेन्यू की रिकवरी की तरह, उसी तरह से पंचायत के सरपंच साहब और बी.एल.डब्ल्यू. यदि पहली, क्योंकि हमने एक चीज इसको तीन भागों में बांटा है। यदि एक लाख का प्रोग्राम है तो पहली 25 हजार की किश्त यदि शुरू करने का है तो उसकी जिम्मेदारी बी.एल.डब्ल्यू. की होगी। सैकण्ड किश्त लेने के बाद उसकी जिम्मेदारी जेईएन. की और सम्पूर्ण काम करने के बाद उसकी जिम्मेदारी होगी बी.डी.ओ. की। तो बी.एल.डब्ल्यू. जेईएन. और बी.डी.ओ. यदि काम कॉम्प्लीशन में वहां फिक्टिशियस काम हुआ है, काम नहीं हुआ है या कागजों में ही काम हुआ है तो उसके खिलाफ रिकवरी को-ओपरेटिव एक्ट के तहत उसकी प्रोपर्टी से और तनख्वाह से की जायेगी। यह भी हम व्यवस्था करना चाहते हैं। जहां एक तरफ हम जन प्रतिनिधि का सम्मान करना चाहते हैं, जन प्रतिनिधि को एम्पावरमेंट करना चाहते हैं वहां हम पोलिटिकली इस पावर को भी जनता के सामने देना चाहते हैं कि जिस काम के लिए पैसा आ रहा है उस पैसे का सदुपयोग हो सके और लोगों का विश्वास जग सके कि ग्राम सभा में हम पांच प्रस्ताव पास करते हैं उनके आधार पर हमारा काम होता है। इसलिए ग्राम सभा में ज्यादा से ज्यादा लोग भी आकर काम कर सकें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम एक काम और कर रहे हैं। हम यह भी अधिकार दे रहे हैं कि पंचायत के लेबल पर शिकायतें आती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे चार महीने हो गये। कभी कोई महिला सरपंच आ रही है, कभी कोई दूसरा सरपंच आ रहा है। उसकी जांच करवा लें। यह काम कर लें। यह पावर हम इसमें परिवर्तन कर रहे हैं कि प्राइमरी इन्क्वायरी जो है वह प्राइमरी इन्क्वायरी करने के लिए पंचायत समिति के सदस्य जो इलेक्ट होकर आते हैं और वहां के विकास अधिकारी उसकी सबसे पहले यदि ग्राम की किसी की शिकायत हागी तो उस शिकायत की प्राइमरी इन्क्वायरी उस ग्राम सभा में जाकर करेंगे और ग्राम सभा में एस्टिब्लिश हो जाता है, अलग वह दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। और ग्राम सभा में एस्टिब्लिश हो जाता है कि इसमें प्रारम्भिक कोई कार्यवाही नहीं हुई है तो पांच साल तक उस कार्य के खिलाफ दूसरी कोई इन्क्वायरी नहीं होगी। इस पर किसी आदमी को बार-बार जन प्रतिनिधि

(श्री सी. पी. जोशी)

को यह काम करने का अवसर नहीं मिल सके। वहां एक आदमी आ रहा है और दूसरा शिकायत कर रहा है और तीसरा भी शिकायत कर रहा है इस पावर को भी हम अपने पास में लेना चाहते हैं। हम वहीं पर इसको डेलीगेट करना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत लेबल के नीचे सरपंच साहब की जितनी इन्क्वायरी हैं उसको भी हम नीचे के लेबल पर डेलीगेट करना चाहते हैं। कलेक्टर लेबल पर उसका डेलीगेशन हो जाए, यह सब व्यवस्था हम इसलिए करना चाहते हैं कि छोटे-छोटे आदमियों को ससपैण्ड करने के लिए, रिइंस्टेट करने के लिए यदि पंचायत के मंत्री के पास आना पड़े और प्रभाव के लिए उसको कहना पड़े, तो मैं समझता हूं कि ठीक ढंग से काम नहीं हो पायेगा। इसलिए यह भी काम आपके सामने उनको एम्पावरमेंट करने की दृष्टि से करना चाहते हैं। हम यह भी करना चाहते हैं कि सारे जो अधिकार हैं वह जिला प्रमुख को व्यक्ति को नहीं होंगे जो गवर्निंग काउन्सिल के, जो आपने कहा कि मिट्टी का माधो नहीं बनायें, मिट्टी का माधो नहीं बनाया है। हम उसमें एमेंडमेंट कर रहे हैं। जो जिला परिषद की इलेक्टेड कमेटीज हैं उनमें जो चेयरमैन हैं वह मिलकर इस काम पर निर्णय करेंगे। निर्णय कोई अकेला प्रधान नहीं करेगा, अलग कम्पनी करेगी। हम ग्राम को ताकत देना चाहते हैं। टीचर का ट्रांसफर करने का है तो शिक्षा का जो चुना हुआ चेयरमैन है वहां का प्रधान है वह मिलकर काम करेंगे। यह काम करने का अधिकार कोई सरपंच के कहने से नहीं होगा तो यह एम्पावरमेंट करना चाहते हैं। हम सबको ताकत देना चाहते है। पंचायत समिति और जिला परिषदों में जो कमेटियां हैं उन कमेटियों का समय-समय पर चुनाव हो। इनके जो चेयरमैन हैं उनकी जो प्रशासनिक कमेटी है उन प्रशासनिक कमेटीज के निर्णय को एक्जीक्यूट करने का काम पी.डी. कम सी.ई.ओ. करे। इसलिए पी.डी. कम सी.ई.ओ. किसी की मनमर्जी से काम नहीं कर सके इसलिए पी.डी. कम सी.ई.ओ. की वहां पोस्ट लगाकर यह राइडर देना चाहते हैं कि गवर्निंग काउन्सिल की जो मीटिंग जिसकी चेयरमैनशिप जिला प्रमुख करेंगे, गवर्निंग काउन्सिल की डायरेक्शन के बाद एक्जीक्युशन जो करना है इस कार्यक्रम को उसको आगे एक्जीक्यूट करने के लिए जिला प्रमुख और ये चेयरमैन जितने भी हैं, ये मिलकर पी.डी. कम सी.ई.ओ. के साथ काम करें। जो हमारा एप्रिहेंशन है उस एप्रिहेंशन को दूर कर सकेंगे। जो चुने हुए जन प्रतिनिधि हैं उन पर भी लग सके। न केवल उनको यह अधिकार दिया गया बल्कि हम चुनने के बाद भी यह काम कर सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया हम यह भी काम करना चाहते हैं हमारी प्लानिंग, जो हमारी कमेटीज हैं आयोजना समिति उस आयोजना कमेटी के जो सी.पी.ओ. है वह सी.पी.ओ. भी पी.डी. कम सी.ई.ओ. के अन्तर्गत आ जायेगा। प्लानिंग कमेटी की सारी मीटिंग हैं वह ठीक ढंग से, रेगुलर ढंग से हो। राइट फ्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और हम यह भी प्रस्ताव रख रहे हैं कि

(श्री सी. पी. जोशी)

राज्य सरकार स्तर पर भी राज स्तर पर भी प्लानिंग कमेटी बने और प्लानिंग कमेटी जो सारे प्लानिंग सैल से जो प्रस्ताव लेकर आये हैं अलग जिला परिषद से उनको मोनिटरिंग करके राजस्थान सरकार को अपना बजट बनाने में जो अपना सहयोग दे सके इसकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं जिससे प्लान के सम्बन्ध में भी हम एम्पावरमेंट करना चाहते हैं पंचायती राज के माध्यम से।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो शिड्यूल्ड एरिया एक्ट है, उस शिड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 को राजस्थान सरकार लागू कर रही है। राजस्थान सरकार लागू करने के लिए हमने एक कमेटी बना दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 29 सब्जैक्ट हैं उन 29 सब्जैक्ट को डिबोल्युशन करने के लिए, पावर देने के लिए ओर शिड्यूल्ड एरिया के जो एक्ट हैं उसके अन्दर पावर देने के लिए चीफ सैक्रेटरी के लेवल पर एक कमेटी बना दी है। वह आपस में अलग से दूसरे विभाग से भी उनके साथ को-आर्डीनेट करके क्या-क्या चीजें हम कर सकते हैं उन चीजों को करने के लिए हम कर सके जिससे हम बिल लाकर, ओर्डिनेंस लाकर एम्पावरमेंट कर सके शिड्यूल्ड एरिया के अन्तर्गत, और हम यह भी करना चाहते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि एक पंचायत में आज स्कूल में अध्यापक नहीं है, ए.एन.एम. नहीं है। पटवारी नहीं है। हम यह एक्सपेरीमेंट करना चाहते हैं कि जो हमारा पंचायत का भवन है उस पंचायत के भवन में जो पंचायत लेवल के जितने कर्मचारी हैं उनकी अकाउण्टेबिलिटी, वह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसको मोनीटरिंग करने का, जांच करने का जो कन्वरजन्स करके काम करने का काम है इसको एक्सपेरीमेंट बेसिस पर एक दो डिस्ट्रिक्ट में शुरू करेंगे और उसके बाद हम पूरे राजस्थान में इसको लागू करेंगे। छोटे लेबर की जो फंक्शनरीज हैं, इसमें 1996 के अमेंडमेंट में लिखा हुआ है इसकी फंक्शनरीज की रैस्पान्सिबिलिटी पंचायत को उस चीज को लागू करने में हम अगले साल भर में इस काम को कर लेंगे। इससे नीचे लेवल के जो स्वास्थ्य के कर्मचारी है, नीचे लेवल पर जो रेवेन्यु के कर्मचारी हैं, नीचे लेवल के हैण्ड पम्प के मिस्त्री जितने भी अलग-अलग काम करने वाले हैं उनकी अकाउण्टेबिलिटी पंचायत के साथ जुड़ी रहे और पंचायत के अन्तर्गत यह काम कर सके और सरकारी अधिकारी जो अपने विभाग का अधिकारी है उससे पहले अकाउण्टेबिलिटी पंचायत के साथ हो। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय इस बात से भी सहमत हूं कि पंचायत समिति की मीटिंग में डी.एल.ओज. नहीं जाते। मैं स्वयं प्रयत्न करूंगा कि कम से कम एक पंचायत समिति की मीटिंग में अलग-अलग जाऊं मैं और माननीय मुख्य सचिव महोदय को भी इस बारे में निर्देश देंगे कि जो डी.एल.ओज. पंचायत समिति की मीटिंग में नहीं जायेंगे उनके खिलाफ उनकी सी.आर. में एण्ट्री की जायेगी। पंचायत समिति को एम्पावरमेंट करना है तो डी.एल.ओज. को

(श्री सी. पी. जोशी)

पंचायत समिति की मीटिंग अटेण्ड करनी पड़ेगी। It is not on the sweet. Will of someone.

यह भी व्यवस्था हम करके उनको अधिकार देंगे कि पंचायत समिति की मीटिंग्स में जो डी.एल.ओज हैं, वह मीटिंग्स में जाकर अपना काम करें। यह सारे काम करने की पीछे मंशा यह है माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह जो गवर्नेंस का मॉडल पंचायती राज के माध्यम से नया बनने जा रहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार ने जो प्रारम्भ किया है दूसरी सरकारें भी करेगी इस देश में लोगों की इंस्पाइरेशन को आब्जर्ब करने के लिए, लोकतन्त्र को मजबूत करने के लिए। आप और हम सबका धर्म बन जाता है कि संविधान में जो परिवर्तन हो इसकी कल्पना महात्मा गांधी के मन में थी। इसकी कल्पना हमारे नेता राजीव गांधी के मन में थी कि हम किस तरह से गांवों में नई लीडरशिप को इमर्ज करें हम उस वर्ग की लीडरशिप को इमर्ज करें जो डिप्राइव्ड है जो अपनी बात कह नहीं सकता। जो शिड्यूल्ड कास्ट हो, ट्राइब हो, महिला हो, एस.टी. हो। हमारा धर्म बनता है। कि हम अपनी चीजों पर काम कर सकें।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह बात भी कहना चाहता हूं कि न केवल हम फिजिकल एफर्ट्स को डवलप करके पंचायत राज को मजबूत करना चाहते हैं, हम ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट के आधार पर भी डवलपमेंट करना चाहते हैं। हम पूरी ताकत लगा कर, ट्रेनिंग के कुछ हमारे इन्पुट हैं उसको मजबूत करना चाहते हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रपोज किया है कि जो इन्दिरा गांधी इंस्टीट्यूट है और रीपा है इन दोनों को मर्ज कर दिया जाये और प्रोग्राम जो ट्रेनिंग के हैं, वह ट्रेनिंग के रेगुलर प्रोग्राम चलते रहें जिससे पंचायत राज में काम करने वाले न केवल इलेक्टेड रिप्रजन्टेटिव हो बल्कि काम करने वाला सरकारी कर्मचारी भी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय उसकी मानसिकता भी बदलने की आवश्यकता है। मानसिकता बदलने की इसलिए आवश्यकता है कि गांव के गरीब आदमी के साथ अन्याय हो रहा है। पटवारी चर्नोट की जमीन को खाते में नहीं कर रहा है। पटवारी अन्याय कर रहा है। गांवा का थानेदार है जो वह अन्याय कर रहा है। गांव का थानेदार है छोटी सी फंक्शनरीज जो लोकतन्त्र में है तो सबसे ज्यादा गांव के गरीब आदमी उससे पीड़ित है। जब तक उनकी मानसिकता नहीं बदलेगी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तब तक लोकतन्त्र मजबूत नहीं हो सकेगा। इसलिए हमारे मन में कल्पना है कि हम ट्रेनिंग देकर जो हमारे सरकारी कर्मचारी भाई हैं उनके मन में भी यह कल्पना करायें कि अब You have to serve the people.

आपको जनता को सर्व करना है। आपको राजा को सर्व नहीं करना है जनता चुनाव जीतती है। चुनाव में वोट दिया इसलिए हम आज मंत्री बने हैं, हम आज राज में आये हैं तो जनता हमारी सर्वोपरी है। उसके प्रति अकाउण्टेबल होने के लिए सरकारी कर्मचारी को भी अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। इसलिए ट्रेनिंग और कानून में, ट्रेनिंग

(श्री सी. पी. जोशी)

को ज्यादा इन्पुट देकर हम कौशिश करेंगे कि इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसलिए न केवल पंचायती राज के माध्यम से हम स्कूल भवन बनाना चाहते हैं, एनिकट, सड़क की व्यवस्था करना चाहते हैं, हम ह्युमन रिसोर्स डवलपमेंट के आधार पर भी पंचायत राज को एम्पावरमेंट करना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में लोकतन्त्र मजबूत हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो कुछ माननीय सदस्यों ने बातें कही हैं मैं उनका भी विस्तार से...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर।

श्री रमजान खान : एम.एल.एज. फण्ड का क्या है...

श्री उपाध्यक्ष : एम.एल.ए. फण्ड तो हो गया ना 25 लाख, अब क्या चाहिए।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अलग-अलग माननीय सदस्यों ने बात कही है मैं व्यक्तिगत तौर पर उन सबका जबाव दूंगा। मैं स्वयं भी चाहता हूं कि जो उन्होंने सजेशन्स दिये हैं बहुत अच्छे सजेशन्स हैं। उन सजेशन्स का इनकोर्पोरेट करने का मैं ईमानदारी से काम करूंगा। माननीय सदस्यों ने जो भ्रष्टाचार की बात कही है, जिन-जिन सदस्यों ने पंचायत समिति रिओर्गेनाइजेशन करने की बात कही है, खास तौर से बेस्टर्न राजस्थान की जो हमारे गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही है, पंचायत समिति के रिओर्गेनाइजेशन करने में नियम और कानून में परिवर्तन रख कर यदि यह काम करना है, पंचायत के रिओर्गेनाइजेशन में काम करना है तो मैं अलग-अलग साथियों से बैठ कर उनकी राय लेकर पंचायत समितियों को रिओर्गेनाइजेशन के काम को भी आब्जेक्टिव क्राइटेरिया, यह नहीं कि पोलेटिकल नहीं, मैं आप सभी सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं, कि आपको भी लगता हो कि इसमें 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है इसमें हम काम कर सकते हैं, तो मैं आपकी राय को भी इसमें आमंत्रित करता हूं। यह निर्णय हम पंचायत, जनता के लिए करना चाहते हैं। कोई पोलिटिकल पार्टी के लिए नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत और पंचायत समिति के रिओर्गेनाइजेशन का काम है उसमें भी आप मदद करें और यह काम 5 मई से 5 जून तक पूरा होना है और 30 जून तक हर हालत में कम्पलीट करके अनाउन्स करना है अन्यथा पंचायत एक्ट के अन्तर्गत यह चीजें फिर लागू नहीं हो सकती। इसलिए आप सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समिति और पंचायत के उसमें भी आप मदद करें और बाकी बात मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर जो आपने कहा मैं कोशिश करके उन सब चीजों का जवाब दूंगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप मांगों को पास करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। हां-हां पूछो, पूछो।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय मंत्री महोदय ने काफी विस्तार से दिया है और हम उनके आभारी हैं लेकिन एक दो बात मेरे समझ में नहीं

(श्री शिवनाथ सिंह)

आई इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा। जैसा आपने कहा कि प्राइमरी स्कूल हम खोलेंगे, और 13 जिलों में डी.पी.ए.पी. प्रोग्राम है उनमें तो प्राइमरी स्कूल खुल रहे हैं लेकिन बाकी के जिलों में प्राइमरी स्कूल खालेंगे कि नहीं खोलेंगे। एक बात। आपके जो शिक्षा केन्द्र हैं उनका लिंकेज काहे से होगा। आज प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करते हैं अपर प्राइमरी में यह जो शिक्षा केन्द्र हैं जिनमें आप दूसरी और तीसरी क्लास तक पढ़ायेंगे इनका अपग्रेडेशन कैसे होगा यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

दूसरा आपने 13 या 9 कलेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। आई.ए.एस. ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन तो आप नहीं ले सकते लेकिन क्या ऐसी व्यवस्था करायेंगे कि उनका आइडेंटिफिकेशन करके चीफ सैक्रेटरी को लिखे और उनकी सी.आर. में यह एण्ट्री आ जाये कि उन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। यह बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भाटी साहब।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : मंत्री महोदय, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने एड्रेस बहुत फन्टास्टिक्ली प्रजेन्ट किया है, वर्द दी प्रेज। लोक जुम्बिश पर आपने बहुत क्लेरीफिकेशन किया, हम लोग सब खुश हैं उसके बारे में। इधर वाले को कहते हों...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। अपनी बात पूछिये। प्रश्न पूछिये प्लीज।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : हां पूछ लेता हूं साहब लेकिन यह जो इन्क्वायरी की धमकी देते हैं ना, इन्क्वायरी करेंगे तब इनको पता लगेगा कि क्या है।...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : विधान सभा की कमेटी बना दो आप। कमेटी क्यों नहीं बना देते।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां, उसमें आपको मेम्बर डाले ना।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : विधान सभा की कमेटी...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मंत्री महोदय मैं बहुत सहमत हूं, आपसे और प्रश्न पूछूंगा। आपको व्यक्तिगत जानकारी है कि जिस लोक जुम्बिश को लेकर जबरदस्त पोलिटिकल कैम्पेशन हो रहा है। बाई दी पीपुल इन्वोल्व्ड, बेस्टेड इन्ट्रेस्ट। मैंने अगले दिन गिरीश कनार्ड साहब का स्टेटमेंट पढ़ा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। क्योंकि हर जगह आप, मंत्री cannot defend.

मेहरबानी करके आपके डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोगों का जो सहयोग आप चाहते हैं, आप हमें मैटीरियल दीजिए हम हमारे लेवल पर गिरीश कर्नाड साहब को, क्योंकि मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से परिचित हूं। ऐसा हो सकता है कि काफी सदस्य लोग अलग-अलग लोगों से परिचित हैं। तो हम वापस उनको रिप्लाई देना चाहते हैं। और जो उनको अवगत करायें, क्योंकि

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

उन लोगों के पास सिर्फ बन साइडेड स्टोरी गयी है। एक तो आप यह करेंगे कि नहीं करेंगे मेहरबानी करके यह बतायें।

दूसरी चीज, बड़े आश्चर्य की बात है उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले तो पूछ ही लूं प्रश्न कि मैंने मुख्यमंत्रीजी को अरावली के बारे में एक चिट्ठी लिखी और आज आपके इस एड्रेस से पता लगा कि शयद वह आपसे कनक्टेड है, उसमें आप क्या एक्शन ले रहे हो। संबंधित परसन के पास वह कापियां कैसे पहुंच गयीं जो मेरी चिट्ठी की थीं और उसकी मेरे पास चिट्ठियां कैसे आ गयी उन बेस्टेड इण्डट्रेस्ट से। उसमें भी आप इन्क्वायरी करवा लें क्योंकि कहीं न कहीं से यह लीक हुई होगी। मैंने अभी तक उन चिट्ठियों का उत्तर नहीं दिया। इसलिये नहीं दिया है कि मेरी चिट्ठी गयी है मुख्य मंत्रीजी के पास और मुख्य मंत्रीजी...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, क्वेश्चन कीजिये प्लीज।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं यही तो पूछ रहा हूं वह लीक कैसे हुई ? मतलब उपाध्यक्ष महोदय, हैड आफ दी स्टेट को मैं चिट्ठी लिख रहा हूं। हैड आफ दी स्टेट से रिप्लाई आ गया कि मैं उस पर इन्क्वायरी करवा रहा हूं। ठीक है। अब जो संबंधित लोग हैं, एक या दो हैं, वह अगर मुझे चिट्ठी लिख दें, एक लिख दें, दो लिख दें अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करने के लिये। मेरा प्रिंसीपली क्वेश्चन यह है कि Why should that matter come throught that person ?

आप इसमें जरूर इंक्वायरी करवायें। बिकॉज इसमें क्या है, जो मंत्री महोदय ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एक नेक्सेस हो गया। मतलब आश्चर्य की बात यह है कि देवी सिंह जी भाटी ने जो कैम्पेन उठाया था कि चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मुख्य सचेतक को हटाओ, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : If you want to mock... मेरे को पता है उस आदमी का क्या दर्द था। आप लोग थक गये थे पराक्रम सिंहजी और सब...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : और चीफ सेक्रेटरी नहीं हट पाया। उसको एक्सटेंशन मिल गया। आपकी छाती पर उसने मूंग दले हैं बैठकर। तो उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहता हूं कि बड़े आश्चर्य की बात है एनजीओ. आर्गनाइजेशन अरावली, जैसे ही चीफ सैक्रेटरी के पद से आप हटे, आपमें इतनी जबरदस्त क्या एक्सपर्टीज थीं, आप एनजीओ. को रिक्गनिशन मिलने के लिये, वहां का चेयरमैन बनने के लिये, या वहां का सदस्य बनने के लिये कुछ तो एक्सपीरियेंस हो। आपको क्या एक्सपीरियेंस था की सडनली अरावली में आप चेयरमैन बन गये। मेरी मीठालालजी से व्यक्तिगत

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

कोई बात नहीं है लेकिन प्रिंसीपली I am against this policy. और जो आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि यह कमाल है। आपने अरावली का ढांचा बनाया और उस ढांचे में आर. एस.एस. के लोग एक तरफ, पब्लिक परसन हार्ड ली एनी, और उस चेयरमैन के नीचे, ठीक है आप चीफ सेक्रेटरी थे तब तो वह सैक्रेटरी सब आपके नीचे थे लेकिन As a chairman of Aravali, retired Chief Secretary, he is still dictating on those Secretaries whether it is Secretary Forest. सेक्रेटरी फारेस्ट को आपने कह दिया कि 20 लाख रुपये आप मंजूर कर दो। मेरे को...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कह दिया...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : डाक्यूमेंटरी प्रूफ चाहिये? चाहिये क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हैं तो बता दो।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं बता दूंगा। राठौड़ साहब, यह आप...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : यह थोड़ी गंभीरता से लो। Sir, it is a very serious matter.

श्री उपाध्यक्ष : You are directed to address the Minister.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अब कोई मेरे को यहां से टोके तो मैं उनकी तरफ नहीं देखूंगा ? It is inhuman.

श्री उपाध्यक्ष : इग्नोर कीजिये आप तो इधर बोलिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : It is humanly impossible, Sir. और खास करके राठौड़ साहब को जब इधर देखता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : दिलावर साहब, आप...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाचं साल तक मुझे बख्शो। तो प्रिंसीपली मंत्री महोदय आपने जो एक्सप्लेन किया I am fully agreed with you. आप इसको लागू करें और ऐसी जो भी एन.जी.ओज., मतलब इतनी जबरदस्त कान्सीपिरेंसी थी...

श्री उपाध्यक्ष : What is your questions ?

श्री नरेन्द्र सिंह पार्टी : My question is that please enquire into the formation of Aravali. कान्सपिरेसी यह है कि मंत्री महोदय...(व्यवधान) क्या कोई जरूरी है, हर क्वेश्चन के साथ मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता हूं क्या ? कर सकता हूं। मेरा अधिकार है और मैं मंत्री महोदय से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आप मुझे यह भी बताने का कष्ट करें कि is it true. कि अरावली के और एक, दो और एन.जी.ओज. की इन संस्थाओं के फोरमेशन के थ्रू was there a conspiracy कि यह नोडल एजेंसी बन जाएगी control the other NGOs

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

and it will become a noddle agency. Is it true ?

यह तो ठीक है पोकरण के कारण इन लोगों ने कितना धक्का पहुंचाया अपने को इकोनोमिकली। लेकिन...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इसमें गलत क्या है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : What I want to know कि इस नोडल एजेंसी के माध्यम से ऐसी कोई साजिश थी कि जो भी फोरेन फंडिंग होगा, अल्टीमेटली भले ही किसी संस्था से हो बाहर से कि कंट्रोलिंग एजेंसी यह नोडल एजेंसी बन जाएगी। आर. एस.एस. की कंट्रोल्ड यह अरावली टाइप एजेंसी दूसरे एन.जी.ओज. को पैसा उन्हीं को देगी जो उनकी विचारधारा के हों। यह मेरा प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हफीज साहब। (व्यवधान) आ जाएंगे, आ जाएंगे जवाब सब आ जाएंगे। चिन्ता मत करो Let it come. आ जायेगा, आ जायेगा। आ जायेगा, प्लीज। आर्डर-आर्डर।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इससे रिलेटेड है। इसी से रिलेटेड है मेरा क्वेश्चन।

श्री हफीज मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय पंचायत राज मंत्रीजी ने पंचायत राज के बारे में जो अपने विचार व्यक्त किये और नया स्वरूप देने की बात कही, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : क्वेश्चन। क्वेश्चन माननीय सदस्य।

श्री हफीज मोहम्मद : साथ ही मैं उनसे पूछना चाहूंगा आपके द्वारा कि आपने अरावली और लोक जुम्बिश के बारे में सरसरी जांच पड़ताल की और देश का, राज्य का सैंकड़ों करोड़ रुपये इस विचारधारा को जिंदा रखने के लिये खर्च कर रहे हैं। आपने यह भी स्वीकार किया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा आप इसको बंद कर रहे हैं, या नहीं कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी...एक मिनट You are in a hurry to...

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : भाटी साहब का...

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब चाहते हैं ना ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : हां, इसके साथ में ही...

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर बैठो ना। पूछ रहा हूं ना मैं। एक तरफ आप कह रहे हो जवाब दो, एक तरफ आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। माननीय सदस्य बिराजो प्लीज...(व्यवधान) प्लीज अभी तो आप कह रहे हो उनसे जवाब लो और अभी आप सवाल पूछ रहे हो...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : स्पेसिफिक क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन...

श्री उपाध्यक्ष : हां पूछ लेना ना बाद में.(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : .(व्यवधान) माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो बोलने दीजिये ना।

श्री उपाध्यक्ष : अभी आप इतने ईगर थे कि पहले मंत्रीजी से जवाब दिलाओ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरा यह है कि जो अरावली के बारे में बात कही गयी। यह प्राब्लम है क्या, अगर कोई रिटायर्ड चीफ सैक्रेटरी, या सैक्रेटरी एनजीओ. बनता है तो कोई आपत्ति है क्या ? कोई खराबी है क्या ? इसका एक्सीपीरियेंस लेकर.(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह किसी ने नहीं कहा।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : This is my question. No. This is my question. आपत्ति है या कोई प्राब्लम है, तो क्या है ? उसका एक्सपीरियेंस, इतने 40 साल का हो, और वह रिटायरमेंट के बाद में अच्छा कार्य करना चाहे तो क्या अपत्ति हो सकती है और उसके एक्सपीरियेंस का यूटिलाइजेशन हो तो उसमें क्या खराबी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी.. (व्यवधान) आर्डर-आर्डर।.(व्यवधान) आर्डर-आर्डर। माननीय मंत्रीजी..

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : आपत्ति तो आपको थी आपने एक्सटेंशन नहीं होने दिया.(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आर्डर-आर्डर। माननीय मंत्रीजी। आर्डर-आर्डर।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ मौलिक प्रश्न पूछे हैं जिसका सम्बन्ध न केवल मेरे से है बल्कि राजस्थान सरकार से है। मैं आपकी भावनाओं को अवगत करा दूंगा और इस सम्बन्ध में जो भी निर्णय होगा मैं आपके सामने बता दूंगा।

मैं यह बात निवेदन करना चाहता हूं आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य और मांडल से आने वाले माननीय सदस्य के सन्दर्भ में। मैं मिनिस्टर की हैसियत से कॉम्पीटेंट नहीं हूं जब तक कि एजुकेशन के एक्सपर्टस से यह पता नहीं पड़ जाए कि इस प्रोग्राम की एकेडेमिकली वायबिलिटी है या नहीं, तब तक मैं इसमें कमेंट करने की हैसियत में नहीं हूं। मेरा काम है एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने की..

श्री उपाध्यक्ष : (व्यवधान) आर्डर-आर्डर.. (व्यवधान) आर्डर-आर्डर..

श्री सी. पी. जोशी : आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही कि एनजीओ. कोई बने या न बने, एनजीओ. के बनने से, न बनने से मेरा सम्बन्ध नहीं है। पर राजस्थान सरकार के एनजीओ. के रूप में बाकी सभी को फंडिंग एजेंसी की, नोडल एजेंसी का कोई चेयरमैन बने तो उसके सम्बन्ध में तो राजस्थान सरकार यह पता लगाये कि उसको एनजीओ. का एक्सपीरियेंस कितना है.(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर.(व्यवधान) आर्डर प्लीज.(व्यवधान) आर्डर..

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से.(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी प्रश्न है पंचायत राज के सम्बन्ध में (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : मैंने प्राइमरी स्कूलों के लिये पूछा था (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जब हम खड़े होते हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष वह बोल रहे हैं। जवाब दे रहे हैं (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : माननीय मंत्री महोदय से मेरे प्रश्न का (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह पूरा जवाब नहीं (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम तो बोल ही नहीं सकते इस तरह से कैसे करते हो आप (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह भूल गये तो वापस जवाब दे रहे हैं तब पूछ लेना ना आप (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय हमारा प्रश्न बहुत ही (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य की बात मैं भूल गया। गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा केन्द्र ही अब ग्रेडेड होंगे प्राइमरी स्कूल नहीं। और अभी जो डी.पी.ए.पी. का प्रोग्राम 10 जिलों में है, वहां डी.पी.ए.पी. में शिक्षा केन्द्र का प्रोविजन भी है और प्राइमरी एजुकेशन का प्रोविजन भी है। यह दोनों जो आपस में गुंथ रहे हैं उसके संबंध में यही निवेदन है। और जो मिडिल स्कूल का संबंध है तो उसके साथ जुड़ी हुई है तो जुड़ी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ जी, (व्यवधान) आर्डर, आर्डर।

श्री हफीज मोहम्मद : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, कह दिया ना उन्होंने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब आप जरा हमें भी पूछने दो, आप ही पूछोगे?

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने कह दिया ना, जवाब दे दिया ना आपका।

श्री हफीज मोहम्मद : कब दे दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : दे दिया।

श्री हफीज मोहम्मद : नहीं दिया है।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कलेक्टरों के बारे में (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय शिवनाथ सिंह जी, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवनाथ सिंह जी, आर्डर, आर्डर।

श्री शिवनाथ सिंह : सी. आर. के बारे में नहीं पूछ रहा...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय मंत्री महोदय, आपसे यह जानना चाहूंगा कि आपने अभी अपना उत्तर देते हुए यह बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक हजार करोड़ रुपये की यूसी. पैंडिंग हैं। तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि यह जो युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स पैंडिंग...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, जो भी हो।

एक माननीय सदस्य : दस हजार करोड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दस हजार करोड़, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा...

श्री सी. पी. जोशी : करेक्ट एक हजार करोड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, यह बताओ ना, तो एक हजार करोड़ की जो यूसी. बाकी थी इसके अंदर ग्राम पंचायतों को जो आपने काम दिया था, उनमें से ग्राम पंचायत स्तर पर कितनी यूसी. ऐसी थी कि काम हो गया और युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बना नहीं ?, और दूसरा मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि जिन जिलों में यूसी. बाकी थी उनमें कितने-कितने काम थे और क्या एक जेईएन. यूसी. जारी कर सकता था क्या, एक बात।

नम्बर दो मैं यह पूछना चाहूंगा कि आपने अभी यह कहा कि जिला कलक्टर ने अनटाइड फंड का पैसा कई गुणा स्वीकृत कर दिया। आपने एक अनियमितता पकड़ ली। आपने दो तरह की अनियमितता पकड़ी। एक तो, नौ तो जिले छांट लिये और एक इन जिला कलक्टर महोदय को छांट लिया जिन्होंने अनटाइड फंड का पैसा ज्यादा खर्च कर दिया। तो क्या जो अनियमितता आपने पकड़ी है इनके खिलाफ सक्षम लोगों को कार्यवाही करने के लिए आप अधिकृत करेंगे, नम्बर एक बात। नम्बर दो, ऐसे लोगों को, नौ वह और एक यह, दस लोगों को वापस तो आप मैं समझता हूं इस तरह की पोस्टों पर नहीं लगाया जायेगा। इस तरह के निर्देश तो आप दे ही सकते हैं।

तीसरा, मेरा सवाल मैं यह पूछना चाहता हूं कि लोक जुम्बिश है, शिक्षा कर्मी, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र है...

श्री रामनारायण चौधरी : इसका जवाब दिलवा दो।

श्री हफीज मोहम्मद : जवाब दिलवाओ, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सरस्वती योजना है प्राथमिक विद्यालय और एक नये विद्यालय का स्वरूप आपने और दे दिया। क्या सरकार की योजना है कि इन सबको इन्टिग्रेट कर दिया जाये। क्योंकि सारे प्राइमरी एजुकेशन से सबंधित हैं। और मंत्री महोदय कई जगह यह बात आती है कि उसी गांव में शिक्षा कर्मी चल रही है, सरस्वती योजना का विद्यालय भी चल रहा है, अनौपचारिक शिक्षा भी चल रही है तो क्या सरकार सारे प्रोग्राम को इंटिग्रेटेड करना चाहती है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और एक जो आपने शिक्षा का जो नया स्वरूप दिया है राजस्थान

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

को तोहफे के रूप में कि आठवीं की कक्षा का बालक...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : इससे बढ़िया जवाब आया है कोई ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आखिरी सवाल, मेरा आखिरी सवाल है, पारीक साहब। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : मेरा मतलब यह है कि क्या आज तक इतना बढ़िया रिप्लाई हुआ है कोई ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र पारीक : मेरा प्रश्न यह है कि आज तक इससे बढ़िया रिप्लाई हुआ है क्या? नहीं हुआ है तो पास करायें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो नया स्वरूप दिया है 16 हजार नये विद्यालय खोलने का कहा है। आठवीं कक्षा का बालक पांचवीं कक्षा तक के बालकों को पढ़ायेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : अब रिप्लाई तो आने दो। भाषण तो रहने आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो मैं पूछना चाहता हूं कि हम हर ग्राम पंचायत में एक खोलेंगे। नौ हजार के लगभग तो ग्राम पंचायते हैं। परन्तु आज की तारीख में डेढ़ सौ तक की आबादी के तो कोई गांव ऐसे बचे नहीं जहां प्राथमिक विद्यालय नहीं हो, तो क्या आप उनको ढाणिया में खोलने का विचार रखते हैं और ढाणियों में खोलने का विचार रखते हैं...

श्री रामनारायण चौधरी : ढाणियों मे तो हैं ही नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो, माननीय रामनारायण जी, ढाणियों में आपको 40 बच्चे मिलेंगे नहीं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय देवीलाल जी, बिराजो।

श्री देवीलाल : ढाणियों में मिलेंगे।

श्री हीरालाल विश्नोई : गांवों में जाते नहीं, आपको क्या पता ढाणियों का।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, बिराजें, माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जानते हो कि मैं कहां जाता हूं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय मंत्री जी।

श्री श्रवण कुमार : मंत्री जी से पूछेंगे एक प्रश्न।

श्री देवीलाल : मंत्रीजी, दो बार...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : देवीलाल जी, बिराजिये।

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष होदय, मंत्री जी ने कहा कि 10 प्रतिशत काल राहत के पैसे लगा दिये जायेंगे गांव जिस गांव में जिस जिले में अकाल हत नहीं हो उनकी क्या व्यवस्था करेंगे, क बात।

नम्बर दो,पंचायत समिति में सरपंच को, चायत समिति के सदस्य को वोट देने का क होगा। जिला परिषद में भी यही हालत ोगी। तो क्या एम.एल.एज. को भी वोट ने का हक होगा नहीं ?

एक माननीय सदस्य : कानून में है।

श्री श्रवण कुमार : कानून में है तो ताओ ना कोई कानून तो होगा। एक प्रश्न और।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कई श्न एक साथ पूछ लिये। मैं तो खाली यह जानता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि एक हजार करोड़ रुपये की यू.सी. में 400 करोड़ की यू.सी. पंचायत के संबंध में पैंडिंग थी। जो माननीय सदस्य ने यह बताया कि यह 10 जिलों की है, आप स्वयं मंत्री रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूं, आप क्या कर सकते हैं। आप स्वयं मंत्री रहे हैं। मुझे जिन चीजों पर आपने ध्यानाकर्षित किया है, इस संबंध में At appropriate place and to appropriate man, I will communicate it.

मांग संख्या-41 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41 सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,16,59,59,000 (दो अरब सोलह करोड़ उनसठ लाख उनसठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-28 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 68,82,46,000 (अड़सठ करोड़ बयासी लाख छियालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

माननीय गृह मंत्री जी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

खानपुर में पीलिया रोग का फैलाव एवं धारा 144 लागू करना

श्री प्रद्युम्न सिंह (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मदन दिलावर जी ने और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने खानपुर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

में धारा 144 लगाने की बात यहां कहीं थी। उस समय मुझे जानकारी नहीं थी और यह बात सही है कि तारीख 12.4.99 को दो माह की अवधि के लिए वहां पर 144 लगायी गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने सूचना देने के लिए कहा था उस संदर्भ में मैंने जो वहां से नोटिफिकेशन आया, 144 के अंतर्गत जो उन्होंने नोटिफिकेशन, जो आदेश निकाला उन्होंने, नोटिफिकेशन नहीं जो आदेश निकाला वह सेक्शन 144 के अंदर स्पेसिफिक परपज के लिये उन्होंने निकाला। वहां पर ना तो मीटिंग करने की ऊपर पाबंदी है, ना राजनीतिक सभा करने पर पाबंदी है। ना ही वहां पर कोई जुलूस इत्यादि निकालने की पाबंदी है।

उन्होंने सिर्फ निकाला है वहां पर, "अतः मैं द्वारिका प्रसाद गुप्ता, उपखण्ड मजिस्ट्रेट अकलेरा, जिला झालावाड़ दण्ड प्रक्रिया", मैं सैकण्ड पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, "धारा 144 के अंदर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश देता हूं कि समस्त कस्बा खानपुर में किसी स्थान, मौहल्ले में कोई व्यक्ति किसी प्रकार के सामूहिंक भोज व कार्यक्रम का आयोजन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा विधि विरूद्ध निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा। गंदे पानी की नालियों के विकास को ना तो रोकेगा, ना ही गंदगी फैलाने व रोग को बढ़ाने जैसा कृत्य करेगा। ना ही ऐसा करने के लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा। नागरिकों के स्वास्थ्य एवं पीलिया रोग के रोकथाम व बचाव के मामले में प्रशासन की मदद हेतु व्यक्तिशः व संस्थागत रूप में सहयोग की भावना रखी जायेगी। यह प्रतिवेदन जनहित को देखते हुए सम्पूर्ण नागरिकों, कर्मचारियों, अधिकारियों तथा संस्थाओं पर लागू होगा। धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रम विवाह आदि के अवसर पर सामूहिक भोज के आयोजन के मामले में पूर्व स्वीकृति हेतु तहसीलदार खानपुर सक्षम अधिकारी होंगे। नियमान्तर्गत वे परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार द्वारा ऐसे मामले में पूर्व स्वीकृति दी जा सकेगी। इसके लिए आयोजन कर्ता व्यक्ति, व्यक्ति अथवा संस्था को तहसीलदार के कार्यालय में आवेदन करना आवश्यक होगा।"

तो उपाध्यक्ष महोदय, पीलिया की बीमारी को रोकने के लिये यह लगाया है। इसमें कहीं किसी किस्म का राजनैतिक दुष्भाव संलग्न नहीं है। जनहित के अंदर लगाया है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 16 अप्रेल, 1999 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.00 बजे शुक्रवार, दिनांक 16 अप्रेल, 1999 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-361 की सूची)

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक राज. अनु. जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम बारां

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम मय पिता	जाति	गांव का नाम	पंचायत	कार्य की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण	मौके पर निर्माण कार्य सत्यापित करने वाला
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री नन्नुलाल आ. कंवरलाल	चमार	मानपुरा	भूलोन	पूर्ण	श्री सरपंच एवं सचिव द्वारा
2.	श्री छीतरलाल आ. लालाराम	चमार	रूपारेल	भूलोन	पूर्ण	"
3.	श्री बंशीलाल आ. छोटेलाल	"	मोतीपुरा	तेलनी	पूर्ण	"
4.	श्री कन्हैया लाल आ. बदरिया	"	"	"	पूर्ण	"
5.	श्री पिन्टू आ. मांगीलाल	"	मदनाखेडी	पाली	पूर्ण	"
6.	श्री छीतर लाल आ. श्याम लाल	"	"	"	पूर्ण	"
7.	श्री सत्यनारायण आ. रामकल्याण	धोबी	पाली		पूर्ण	"
8.	श्री मथुरा लाल आ. किशन	चमार	नवाबपुरा	हान्या खेड़ी	पूर्ण	"
9.	श्री राजेन्द्र आ. लदूर लाल	मेघवाल	पीपल्या जा.	खोपर	अपूर्ण	"
10.	श्री कंवर लाल आ. मंगल्या	"	"	"	पूर्ण	"
11.	श्री रतन लाल आ. लालजीराम	बैरवा	केशोली		अपूर्ण	"
12.	श्री छीतर लाल आ. चतरा	मेघवाल	पीपल्या जागीर	"	अपूर्ण "	सरपंच एवं प्र. अध्यापक
13.	श्री रामप्रसाद आ. मथुरा लाल	हरिजन	बटावदा पार	गोंडिया नोहर	अपूर्ण "	सरपंच एवं सचिव

1	2	3	4	5	6	7
14.	श्री हजार लाल आ. मिश्रीलाल	चमार	गोडिया		पूर्ण	"
15.	श्री गंगाराम आ. बिरज्या	चमार	गोडिया	गोडिया	पूर्ण	"
		"	मेहर	मेहर	"	"
16.	श्री बाबूलाल आ. गंगाराम	"	"	"	पूर्ण	"
17.	श्री गोपीलाल आ. रामकिशन	"	गेहूं खेडी	जेपला	पूर्ण	"
18.	श्री गोरधन आ. बंशीलाल	ढोली	कडैयाछत्री	भुवालखेडी	पूर्ण	"
19.	श्री कमलसिंह आ. मदनलाल	बैरवा	बमोरा	बारई	पूर्ण	"
20.	श्री हेमराज आ. लटूर	हरिजन	निपानियां	निपानियां	पूर्ण	"
21.	श्री पन्नालाल आ. अमर लाल	मेघवाल	बल्हारपुर	मूण्डला	पूर्ण	"
22.	श्री केदार आ. नारायण	"	"	"	पूर्ण	"
23.	श्री परमानन्द आ. मदन लाल	मेघवाल	उमरथना	मूण्डला	अपूर्ण	सरपंच एवं
		"	"	"	"	सचिव द्वारा
24.	श्री कालूलाल आ. रामलाल	"	"	"	पूर्ण	"
25.	श्री रामचरण आ. जयकिशन	बैरवा	मूण्डला	"	पूर्ण	"
26.	श्री जमना लाल आ. गणेश	मेघवाल	"	"	पूर्ण	"
27.	श्री अमर लाल आ. श्योपाल	मेघवाल	उमरथाना		पूर्ण	"
28.	श्री मूलचन्द आ. नारायण	मेघवाल	बल्हारपुर		अपूर्ण	"
29.	श्री घनश्याम आ. भंवर लाल	"	"	"	अपूर्ण	"
30.	श्री रामप्रताप आ. हीरालाल	बैरवा	मूण्डला		अपूर्ण	
31.	श्री बद्रीलाल आ. हीरालाल	बैरवा	"	"	अपूर्ण	"
32.	श्री कल्याण आ. लटूर	एवरवाल	खेडी	"	अपूर्ण	"
33.	श्री जगन्नाथ आ. अमर लाल	बैरवा	मूण्डला	"	अपूर्ण	"
34.	श्री मदन लाल आ. लटूर लाल	एवरवाल	खेडी	"	अपूर्ण	"
35.	श्री भंवर लाल आ. कजोड	मेघवाल	बल्हारपुर	"	अपूर्ण	"
36.	श्री बद्रीलाल आ. हीरालाल	"	"	"	अपूर्ण	"

1	2	3	4	5	6	7
37.	श्री लदूर लाल आ. रामचन्द्र	"	"	"	अपूर्ण	"
38.	श्री कालूलाल आ. माधो	"	"	"	अपूर्ण	"
39.	श्री जानकी लाल आ. मूलचन्द	बैरवाल	उमरथना	"	अपूर्ण	"
40.	श्री केदार आ. मूलचन्द	बैरवा	"	"	अपूर्ण	"
41.	श्री मोहन लाल आ. कजोड़	मेघवाल	"	"	अपूर्ण	"
42.	श्री भरोस आ. रामचरण	कंजर	चांचोडा	चांचोडा	पूर्ण	"
43.	श्री मोहन लाल आ. अमर लाल	बैरवा	हनुवतखेडा	"	पूर्ण	"
44.	श्री अन्तरसिंह आ. विलायती	कंजर	चांचोडा	"	पूर्ण	"
45.	श्री चम्पालाल आ. जगन्नाथ	मेहर	राजपुरा	फलिया	पूर्ण	"

ह.
परियोजना प्रबन्धक
राज. अनु. जाति जनजाति वित्त
एवं विकास सरकारी नि. बारां

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-362 की सूची)

बामनवास विधान सभा क्षेत्र में पंचायत मुख्यालय एवं 1000 से अधिक आबादी के गांव को सम्पर्क सड़क से जुड़े हुये नहीं है

क्र.सं.	पंचायत मुख्यालय का नाम		सेन्सस 1991 के अनुसार जनसंख्या
1.	रिवाली	(पी.एच.क्यू.)	
2.	सुमेल	"	
3.	चांदन होली	"	
4.	गुजर बड़ोदा	"	
5.	सुन्दरी	"	
6.	बिन्जारी	"	
7.	मोरका	"	
8.	सांचौली	"	
9.	कोयला	"	
10.	गोठ	"	
11.	मीना कोलेता	"	
12.	बिचपुरी	"	
13.	कोहली प्रेमपुरा	"	
14.	डुंगरवाडा	"	
15.	गहनोली		1171
16.	गढी गोपालपुरा		1053
17.	भंवरकी		1161
18.	पलासोद		1147
19.	भांवर		1198
20.	तिगरिया		1073
21.	बेरखण्डी		1734

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, गंगापुर सिटी (सवाईमाधोपुर) राज.

प्रस्ताव संख्या :322 दिनांक :23.2.98

सचिव मण्डी समिति ने अवगत कराया कि जन प्रतिनिधियों की मांग पर मण्डी समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता मण्डी बोर्ड से अनुमानित लागत के तकमीने चाहे गये थे जो अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्रांक 5435 दिनांक 21.2.97 द्वारा इस कार्यालय को भिजवाये गये हैं

क्र. सं.	नाम प्रस्तावित सड़क	लम्बाई कि.मी.	अनुमानित लागत
1.	सवाईमाधोपुर रोड से अमरगढ़ (पी.एच.क्यू.)	4 कि.मी.	38.50 लाख
2.	बिलौदा रेल्वे स्टेशन से किशोरपुरा	3 कि.मी.	28.85 लाख
3.	गंगापुर हिन्डौन रोड से डोब	1.25 कि.मी.	12.02 लाख
4.	शहर गढखेडा रोड से दातासूती	3.50 कि.मी.	33.66 लाख
5.	शेष लम्बाई सखीपुरा से बामनवास (पी.एच.क्यू.)	0.900 कि.मी.	7.49
6.	शेष लम्बाई मण्डरायल औण्ड रोड से धोरेटा (पी.एच.क्यू.)	2.00 कि.मी.	27.30
7.	शेष लम्बाई पिलोदा से बगलाई	1.00 कि.मी.	9.99 लाख
8.	शेष लम्बाई नादौती रोड से बाडा पिचानोट	2.50 कि.मी.	24.04 लाख
		कुल लागत	157.81 लाख

मण्डी प्रांगण कार्य

1. मुख्य मण्डी प्रांगण

(1) कार्यालय भवन की प्रथम मंजिल का कार्य — 18.42 लाख

(2) निर्माण कार्य सर्विस कनेक्शन ओवर हेड लाईन — 8.91 लाख

2. गौण मण्डी प्रांगण (3) विशेष मरम्मत स्ट्रीट लाईट — 0.80 लाख

1. गौण मण्डी प्रांगण फल सब्जी मंडी में सीमेन्ट कंकरीट सड़क का निर्माण

अनुमानित लागत 5.60 लाख

कुल 33.73 लाख

उपरोक्त निर्माण कार्य की लागत को मध्ये नजर रखते हुये 191.54 लाख की लम्बाई सड़कों व 33.73 लाख के मण्डी प्रांगण के नवीन निर्माण कार्य कराये जानें हैं।अतः सचिव से विचार-विमर्श के उपरान्त नवीन सड़कों की स्वीकृति 191.54 लाख व मण्डी प्रांगण के नवीन निर्माण कार्यों के लिये 33.73 लाख की स्वीकृति प्राप्त किये जानें का निर्णय लिया जाता है। निर्णय स्वीकृति हेतु विभाग को भिजवाया जावे।

ह. ह.

प्रशासक सचिव

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या-363 की सूची)

1. न्याय द्वारा गत 5 वर्षों में विभिन्न निर्माण कार्य हेतु जो निविदायें आमंत्रित की गई, जारी निविदा सूचनाओं के अन्तर्गत राजस्थान एवं केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, एईएस., नगर सुधार न्यासो व अन्य विभागों के पंजीकृत ठेकेदारों को नियमानुसार अमानत राशि जमा कराने पर निविदायें दी जाती है। अतः उपरोक्त क्रम में न्याय पंजीकृत ठेकेदारों के अलावा अन्य विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों को राशि रुपये 4.00 लाख से अधिक के आवंटित किये गये निर्माण कार्यों की सूची निम्नानुसार है : —

क्र.सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	विभाग जिसमें पंजीकृत है	कार्यादेश (लाखों में)	अनुबन्ध संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	लोहाखान में सड़क निर्माण	मै. कोहिनूर एन्टरप्राईज	एमईएस. जयपुर	01.90	26/94-95
2.	हरिभाऊ उपा. नगर में सड़क निर्माण			01.50	36/94-95
3.	विभिन्न योजना में डिमकिशन पिरलकार्य			02.45	49/94-95
4.	पंचशील नगर में प्रवेश द्वार का कार्य			02.92	63/94-95
5.	केसरगंज गोल चक्कर पर वाचनालय निर्माण			01.39	82/94-95
6.	धोलाभाटा में उद्यान भवन का निर्माण	मै. गरिमा कन्स्ट्रक्शन	सानिवि., कोटा	05.48	85/94-95
7.	राबड़िया मोहल्ला में सड़क निर्माण	मै. कोहिनूर एन्टरप्राईजेज, अजमेर	एमईएस., जयपुर	01.89	97/94-95
8.	भगवानगंज में नाली निर्माण			01.07	78/94-95
9.	पृथ्वीराज स्मारक पर पार्क निर्माण			03.59	23/95-96
10.	पृथ्वीराज स्मारक पर बगीचे की दीवार निर्माण			08.23	24/95-96

2	3	4	5	6
1. गणेश गुवाड़ी में सड़क निर्माण			34.04	28/95-96
2. खनिज नगर में कुऐ को ढ़कने का कार्य			01.16	47/96-97
13. रंगमंच का कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स का निर्माण	मै. ग्यारसी लाल मोहन लाल, अजमेर	सा.नि.वि. जयपुर	42.33	66/97-98
14. पंचशील नगर योजना में सड़क निर्माण	मै. अंकित क., अजमेर	अजमेर	21.82	1/98-99
15. कोटड़या योजना में सड़क व सी.डी. कार्य	मै. रजत क., अजमेर	जयपुर	28.56	3/98-99
16. अर्जुनलाल सेठी नगर में सड़क व सी.डी. कार्य	मै. एच.एस. मेहता, अजमेर	अजमेर	23.23	24/98-99
17. पंचशील नगर में सड़क व सी.डी. कार्य	मै. शक्ति जयपुर नूरू काठात		23.35	36/98-99
18. वी.के. कौल नगर में सड़क व सी.डी. कार्य	"	"	28.13	49/98-99
19. कोटड़ा में सड़क, नाला व सी.डी. कार्य	"	"	29/42	50/98-99
20. कोटड़ा योजना में सड़क, नाला व सी.डी. कार्य	"	"	26.01	51/98-99
21. हरिभाऊ उपा. नगर में सड़क, नाला व सी.डी. कार्य	"	"	31.27	52/98-99

उपरोक्त सूची के क्रम संख्या-4 व 11 के अनुसार जो कार्यादेश जारी किये गये उसमें राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो अपराध संख्या-177/98 दिनांक 30.9.93 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है एवं जांच कार्यवाही राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है। न्यास स्तर पर किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

ह.

सचिव

नगर सुधार न्यास, अजमेर

परिशिष्ट-4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

भरतपुर होलसेल सहकारी भण्डार का गोदाम भवन

365. **श्री आर. पी. शर्मा** (भरतपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर होलसेल सहकारी भण्डार भरतपुर के उपयोगार्थ एक गोदाम का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो कब व किस एजेन्सी द्वारा?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भवन का हस्तान्तरण सहकारी भण्डार को अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) उक्त भवन की वर्तमान में क्या स्थिति है तथा किसके कब्जे में है एवं भवन की हालत कैसी है तथा किस प्रकार के उपयोग में इसे लिया जा रहा है?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1988-89 में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि., जयपुर के द्वारा विश्व बैंक योजनान्तर्गत गोदाम का निर्माण कराया गया है।

(2) जी, हां। क्योंकि गोदाम हस्तान्तरण किये जाने से पूर्व ही उसकी छत व दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई थीं।

(3) उक्त भवन की वर्तमान में छत व दीवारें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। भवन राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. के कब्जे में है तथा उक्त अवस्था में भवन अनुपयोगी है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधार

366. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि गेहूं की तादाद जो प्रति व्यक्ति दी जाती है अकाल एवं अभावग्रस्त क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए अपर्याप्त है? यदि हां, तो क्या सरकार अकालग्रस्त क्षेत्रों में उक्त तादाद को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार?

(2) क्या यह भी सही है कि गेहूं की दर इतनी अधिक महंगी है जो मध्यम वर्ग के किसान एवं मजदूर अकालग्रस्त क्षेत्रों में खरीदने की स्थिति में नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार अकालग्रस्त क्षेत्रों में गेहूं की दर में कमी लायेगी?

(3) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कोई सुधार करने जा रही है? यदि हां, तो किस प्रकार?

उत्तर

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे चयनित व्यक्तियों को केन्द्र सरकार की योजना अनुसार प्रति परिवार 10 किग्रा. खाद्यान्न (गेहूं/चावल)

ब्राद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

नुदानित दर पर वितरित किया जा रहा है एवं उन्हें 10 किग्रा. खाद्यान्न सामान्य दर र अतिरिक्त आबंटित किया जाता है। अकाल एवं अभावग्रस्त क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए खाद्यान्न वितरण के मापदण्ड अलग से तय नहीं है। यह सही है कि गरीबी की रेखा से नीचे चयनित परिवारों को अनुदानित दर पर वितरित किये जाने वाले 10 किग्रा. खाद्यान्न प्रति परिवार की मात्रा अपर्याप्त है, इस मात्रा को बढ़ाने हेतु समय-समय पर केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है लेकिन अभी तक सकारात्मक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अनुदानित गेहूं की मात्रा में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है। सामान्य दर पर वितरण किये जाने वाले गेहूं का मूल्य 7.40 रुपये प्रति किग्रा. एवं चावल का मूल्य 9.70 रुपये प्रति क्रिगा. है। प्रदेश में खुले बाजार में भी कमोबेश यही भाव है अतः सामान्य दर के खाद्यान्न की मांग वर्तमान में नगण्य है।

(2) सामान्य दर के खाद्यान्न की दर का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित निर्गम मूल्य में आवश्यक व्यय सम्मिलित कर निर्धारित किया जाता है। अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिए इसमें कमी की जाना संभव नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि मध्यम वर्ग के किसान एवं मजदूर अकालग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न खरीदने की स्थिति में नहीं है।

(3) राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है। राज्य सरकार निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने, इसी वित्तीय वर्ष में नये राशनकार्ड बनाने का सतर्कता समितियों के पुनर्गठन का विचार रखती है। साथ ही साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आबंटित की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं यथा गेहूं, चीनी एवं कैरोसीन की मात्रा केन्द्र सरकार से बढ़वाने के लिए प्रयत्नशील है।

चुनाव स्टेशनरी मे अनियमितताएं

367. **श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क) :** क्या मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1996 में विभाग द्वारा राज्य के बाहर चुनाव बैल्ट छपवाये गये थे? यदि हां, तो कहां-कहां?

(2) उक्त समय कितना-कितना कागज उक्त कार्य हेतु कहां-कहां भेजा गया एवं कितना कागज उपयोग में आया व कितना शेष रहा एवं कितना कागज मुद्रणालय में जमा हुआ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त कार्य में स्टेशनरी का घोटाला हुआ एवं जांच करवाई गई थी ? यदि हां, तो किस अधिकारी से?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त घोटाले की जांच उसी अधीक्षक से करवाई गई जो स्वयं घोटाले में लिप्त था और अन्य विभागीय जांच में दोषी भी सिद्ध हो चुका है? यदि हां, तो क्या सरकार अब उक्त घोटाले की जांच किसी अन्य बाहर के अधिकारी से करवाकर दोषी अधीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती

(श्री उदय सिंह राठौड़)

है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। मैसर्स कैपीटल बिजनस सिस्टम प्रा.लि. नई दिल्ली व मैसर्स देहली सिक्यूरिटी प्रिन्टर्स, दिल्ली से छपवाये गये थे।

(2) उक्त समय इस कार्य हेतु 154.4845 मै. टन कागज मैसर्स केपीटल बिजनस सिस्टम प्रा. लि. दिल्ली व मै. देहली सिक्यूरिटी प्रिन्टर्स, दिल्ली भेजा गया था। उसमें से 79.5448 मै. टन उपयोग में आया। 74.9397 मै. टन शेष रहा तथा 74.9397 मै. टन जमा हुआ। (सूची परि. "अ" पर संलग्न है)

(3) जी, नहीं। बिन्दु संख्या-2 में वर्णित उपयोग में लिये कागज के बारे में शिकायत प्राप्त होने पर तत्कालीन अधीक्षक श्री मदनराज मेहता (मुद्रण) राजकीय मुद्रणालय, जयपुर से जांच करवाई गयी एवं तत्कालीन अधीक्षक (भण्डार) राजकीय मुद्रणालय, जयपुर श्री कमल नारायण माथुर द्वारा भी समानान्तरण जांच करवाई गयी थी। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग के निर्देशानुसार गठित समिति के सदस्य श्री डी.पी.गुप्ता, तत्कालीन वरिष्ठ लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग एवं श्री सीताराम शर्मा तत्कालीन लेखाधिकारी, निरीक्षण विभाग से भी जांच करवाई गयी। जांच करने पर पेपर एकाउन्ट तैयार नहीं करने तथा राजपत्रित अधिकारी के समक्ष वेस्टेज का निस्तारण नहीं करने की अनियमितता पाई गयी।

(4) यह सही है कि तत्कालीन अधीक्षक (मुद्रण) श्री मदनराज मेहता से जांच करवाई गयी थी, परन्तु तत्कालीन अधीक्षक (भण्डार) श्री कमल नारायण माथुर एवं लेखा सेवा के अधिकारियों द्वारा भी समानान्तरण जांच करवाई गयी थी। इन जांचों के आधार पर पेपर एकाउन्ट न बनाने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही करने का निर्णय लिया जा चुका है, इसलिए किसी से जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले ही तीन स्तर से जाचं करवाई जा चुकी है।

परिशिष्ट-अ

क्र.सं.	कागज का विवरण	प्रदायित कागज	प्रयुक्त कागज	अवशेष कागज जो वापस भण्डार में जमा हुआ।
1.	सफेद कागज 61 सेमी.60 जीएसएम	365 रीलें (105-147 मै. टन)	124 रीलें (36.6242 मै. टन)	232 रीलें (68.5228 मै. टन)
2.	पीला कागज 61 सेमी 60 जीएसएम	77 रीलें (22.860 मै. टन)	77 रीलें (22.860 मै. टन)	—
3.	पीला कागज 43/69 सेमी	2975 रीम (26.4775 मै. टन)	2254 रीम (20.0606 मै. टन)	721 रीम (6.4169 मै. टन)

रोस्टर प्रणाली में संशोधन

368. **श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या आरक्षण व्यवस्था की रोस्टर प्रणाली में परिवर्तन किया गया है? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो क्या रोस्टर प्रणाली में परिवर्तन किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पदोन्नती हेतु बनाई गई नीति को बदला गया है? यदि हां, तो क्या नीति बनाई गई?

(3) क्या रिक्त आधारित रोस्टर प्रणाली के तहत सर्वोच्च न्यायालय, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.97 के तहत अनुसूचित जाति/जन जाति के कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को लाभ मिल रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि क्या नई पद आधारित रोस्टर प्रणाली के तहत राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 16-9-98 को रद्द कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी, हां। कार्मिक विभाग के परिपत्रादेश दिनांक 20.11.97 के द्वारा रोस्टर बिन्दुओं में परिवर्तन किया गया है। यह परिवर्तन माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा आर. के. सब्बरवाल बनाम पंजाब सरकार एवं जे. सी. मलिक बनाम रेल मंत्रालय के प्रकरणों में दिए गए निर्णयों पर आधारित है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां।

(4) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जिला भरतपुर एवं धौलपुर के लम्बित घरेलू कनेक्शन

369. **श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला भरतपुर एवं धौलपुर में घरेलू विद्युत् कनेक्शनों के लिए कितने प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं? ग्रामवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में घरेलू कनेक्शन हेतु राशि किन-किन गांवों के उपभोक्ता की मांग-पत्र के अनुसार कब-कब जमा कराई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिस गांव के उपभोक्ताओं के द्वारा घरेलू कनेक्शन हेतु डिमाण्ड नोटिस अनुसार राशि जमा करा दी गई है उन्हें कनेक्शन कब तक दे दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) भरतपुर व धौलपुर जिले में घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु क्रमशः 24691 व 10593 आवेदन-पत्र लम्बित है, जिनकी ग्रामवार संख्या सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त जिलों में घरेलू कनेक्शन हेतु 4024 आवेदकों ने मांग-पत्र की राशि

(ऊर्जा मंत्री)

विभिन्न दिवस में जमा करवाई है, जिनका जिलेवार, ग्रामवार संख्या विवरण उपरोक्त परिशिष्ट "अ" में दर्शा दिया गया है।

(3) वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करने वाले आवेदकों को शीघ्र ही कनेक्शन देने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अन्य पिछड़े वर्ग में सिरवी जाति का समावेश प्रकरण

370. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक व 9 सितम्बर, 1998 को आयोजित बैठ में सरकार अन्य पिछड़े वर्ग में सिरवी जा और अन्य कुछ जातियों को सम्मिलित कर हेतु निर्णय लिया गया? यदि हां, तो किन-कि को? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त निर्णय को राजस्था राज-पत्र में प्रकाशित करवा दिया गया है यदि हां, तो कब?

उत्तर

(1) जी, हां। मंत्रिमण्डल की आज्ञ 118/98 परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी, नहीं।

परिशिष्ट-अ

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल की आज्ञा
118/98

समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तुत दो ज्ञापन एफ-11(125) आर एण्ड पी/सकवि/41243 दिनांक 15 जुलाई, 1998 एवं एफ-11(125)आरएण्डपी/सकवि/40307 दिनांक 9 जुलाई; 1998 में अंकित राजस्थान-राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रस्तुत तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों के अनुसार पिछड़े वर्गों की अधिकृत सूची में अन्य वर्गों के नाम जोड़े जाने संबंधी प्रस्तावों पर विचार-विमर्श कर निम्न जातियों के नाम जोड़े जाने का निर्णय लिया गया : —

1. वायदि (बारोट)
2. राथसिख
3. वेदनाई
4. सुआरा
5. गायरी
6. कुशवाहा (शाक्य)
7. रंगासामी (अडभोपा)
8. खारवाल
9. दांगी
10. लोढ़े-तंवर
11. खरडीया (सीरवी)
12. नगारची-दमामी

खट्टी छीपा, फकीर (कब्रिस्तान) में कार्य करने वाले तथा हलाली जातियों के बारे में पुनः जांच की आवश्यकता प्रतीत होती है अतः आयोग इनके संबंध में पुनः जांच करें।

ह.
(अरुण कुमार)
मुख्य सचिव
9 सितम्बर, 1998

वार्षिक योजनाओं हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि का उपयोग

371. **श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)** : क्या आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) गत दस वर्ष में राज्य की कितनी राशि की वार्षिक योजनाएं केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की गई और उक्त अवधि में राज्य की कितनी राशि की वार्षिक योजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई? उक्त वार्षिक योजनाओं में केन्द्र की ओर से स्वीकृत राशि और वास्तविक आबंटन राशि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में आवंटित राशि में से वास्तविक उपयोग कितनी-कितनी राशि का किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत दस वर्षों (1989-90 से 1998-99) में राज्य द्वारा योजना आयोग को प्रस्तुत की गई वार्षिक योजनाओं की राशि, योजना आयोग द्वारा स्वीकृत राशि एवं राज्य सरकार द्वारा वास्तविक व्यय की राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है। स्वीकृत केन्द्रीय सहायता की राशि एवं वास्तविक प्राप्त राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-"ब" पर उपलब्ध है।

(2) उक्त अवधि में वास्तविक उपयोग की गई राशि का वर्षवार भी परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-"अ"

(करोड़ रुपये)

वार्षिक योजना	यो. आ. को प्रस्तुत प्रस्ताव	यो. आ. द्वारा अ. प्रस्ताव	वास्तविक आ. राशि	वास्तविक व्यय की राशि
1989-90	1016.59	795.00	795.00	795.93
1990-91	1012.47	956.00	956.00	975.57
1991-92	1317.00	1170.00	1170.00	1184.41
1992-93	1630.51	1400.00	1400.00	1445.09
1993-94	1700.00	1700.00	1700.00	1855.31
1994-95	2450.00	2450.00	2450.00	2447.07
1995-96	3200.00	3200.00	3200.00	3120.08
1996-97	3300.00	3310.49	3310.49	3131.41
1997-98	3504.12	3514.42	3514.42	3987.35
1998-99	4200.00	4300.00	4300.00	4025.00 (संशोधित अनुमान)

परिशिष्ट-"ब"

(करोड़ रुपये)

वर्ष	वार्षिक योजना हेतु स्वीकृत केन्द्रीय सहायता की राशि	केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत प्राप्त वास्तविक राशि
1989-90	313.10	341.67
1990-91	412.22	441.16
1991-92	508.37	551.54
1992-93	706.75	667.49
1993-94	784.18	474.02
1994-95	1010.50	1002.61
1995-96	1143.27	759.80
1996-97	936.43	920.50
1997-98	1164.04	961.78
1998-99	1399.65	1073.74

नोट:— भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई केन्द्रीय योजना सहायता की राशि व्यय करने के लिये विभागों को आवंटित कर दी गई।

वैशाली नगर योजना, अजमेर

372. **श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)** : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1972 में नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा वैशाली नगर योजना हेतु 40 बीघा भूमि खरीदी गई तथा नेगोशिएशन दिनांक 6-12-71 की शर्तों के अनुसार 2400 वर्गगज का भू-खण्ड भूमि मालिक को दिया जाना था?

(2) क्या यह भी सही है कि अभी तक उक्त भू-खण्ड उक्त व्यक्ति को किसी भी योजना में नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूमि के मुख्तारखास ने बार-बार अपनी सहमति छतरी योजना, आनासागर, सरक्यूलर रोड योजना, वैशाली नगर योजना तथा भो मावा क्षेत्र में विकल्प के रूप में पेश की है, लेकिन अभी तक कोई भू-खण्ड उन्हें आवंटित नहीं किया गया है?

(4) उक्त भू-स्वामी को अब कब तक भू-खण्ड आवंटित कर दिया जाएगा ? संबंधित नेगोशिएशन तथा विक्रय-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास अजमेर में वैशाली नगर योजना हेतु दिनांक 3.7.72 को श्री प्यारे लाल पुत्र बेगराज चौधरी द्वारा मुख्तार खास श्री जयनारायण चौधरी पुत्र बेगराज चौधरी से 40 बीघा 19 बिस्वा भूमि 81,900 रुपये में क्रय की गई है तथा निगोशिएशन दिनांक 6.12.71 के क्रय में 2400 वर्ग गज के भू-खण्ड 10 रु. प्रति वर्गगज की दर से विकास शुल्क लेकर देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन तत्समय योजना प्लान में 600 वर्गगज के चार भू-खण्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त पंजीयन में 666.66 वर्ग गज के चार भू-खण्ड 99 वर्षीय लीज पर दिये जाने का अनुबन्ध पंजीकृत विक्रय-पत्र में किया गया है।

(2) यह सही है कि उक्त अनुबन्ध पंजीकृत विक्रय-पत्र के अनुसार 666.66 वर्गगज के चार भू-खण्ड 10 रु. प्रति वर्गगज की दर से विकास मूल्य लेकर देना तय किया गया है। श्री चौधरी को अभी तक भू-खण्ड नहीं देने का कारण है कि उक्त योजना वर्ष 1975 में आई बाढ़ के कारण डिस्टर्ब होने से योजना समाप्त कर दी गई इसलिए निर्णय दिनांक 6.12.71 की पालना नहीं हो सकी तथा बाद में योजना नवीन रूप से तैयार करनी पड़ी जिसमें उक्त क्षेत्रफल 666.66 वर्ग गज के भू-खण्ड नहीं बनाये गये तथा भूमिधारी की भूमि का अधिकांश भाग सुरक्षापाल एवम् नर्सरी के रूप में तथा कुछ भूमि को खुले क्षेत्र के रूप में उपयोग किया जा रहा है अतः इस कारण से उनकी भूमि में भू-खण्ड दिया जाना संभव नहीं सका है।

(3) मुख्तारखास ने छतरी यो[illegible] आनासागर सरक्यूलर रोड योजना, वैश[illegible] नगर योजना में भू-खण्ड देने हेतु विव[illegible] प्रस्तुत किये थे। चूंकि 666.66 वर्ग [illegible] के भूखण्ड इन योजनाओं में उपलब्ध [illegible] होने से तथा पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख[illegible] ए-22 से ए-25 वैशाली नगर योजना ब[illegible] प्रभावित क्षेत्र होने से नहीं दिये जा सके [illegible] उक्त भूमि के मुख्तार खास को दिनां[illegible] 25.9.93 को न्यास की पंचशील नगर योज[illegible] हरिभाउ उपाध्याय नगर विस्तार योजना [illegible] वैकल्पिक भू-खण्ड आवंटन हेतु स्थल निरीक्ष[illegible] करवाया गया था एवं सहमति प्राप्त कर[illegible] हेतु पत्र क्रमांक 11383 दिनांक 5.1.94 प्रेषि[illegible] किया गया था किन्तु श्री जय नारायण चौधर[illegible] ने उपरोक्त पत्र उन्हें प्राप्त नहीं होना बताय[illegible] तथा प्रस्तावित योजनाओं में भू-खण्ड लेना अस्वीकार किया।

(4) भू-स्वामी को उनकी सहमति प्राप्त करने हेतु पुनः पत्र लिखकर सुचित किया जावेगा एवम् सहमति प्राप्त होने पर भूखण्ड आवंटित किया जावेगा। नेगोशिएशन तथा डीड आफ कन्वन्स की प्रतियां संलग्न है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

रणथम्भौर बाघ परियोजना में प्रदूषण

373. **श्रीमती यासमीन अबरार (सवाई माधोपुर)** : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्रीमती यासमीन अबरार)

(1) रणथम्भौर बाघ परियोजना में पर्यटकों को घुमाने के लिए काम में ले रहे डीजल कैन्टरों से वन्य जीवों पर वायु तथा ध्वनी प्रदूषण से जीवन को खतरा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों को घुमाने के लिए डीजल जीपों को अनुमति देने का विचार रखती है?

(3) पर्यटकों के लिए उक्त उद्यान के अधिकारियों द्वारा पैट्रोल जिप्सीयों को अनुबंधित करने के क्या मानदण्ड है तथा किस स्तर पर तय हुए हैं?

उत्तर

(1) जी, नहीं। उन्हीं वाहनों को पार्क में जाने की अनुमति दी जाती है जिनके पास पोल्यूशन कन्ट्रोल सर्टिफिकेट होता है। इसलिये उनसे वन्यजीवों को वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का खतरा नहीं रहता है।

(2) जी, नहीं।

(3) पैट्रोल जिप्सी को अनुबंधित करने के निम्न मापदण्ड हैं:—

1. उसके पास पोल्यूशन कन्ट्रोल सर्टिफिकेट होना चाहिये।

2. वाहन 5 वर्ष में अधिक पुराना नहीं होना चाहिये।

3. उसका तृतीय पक्ष बीमा होना चाहिये।

4. वाहन कन्ट्रेक्ट कैरिज का परमिट धारी होना चाहिए।

5. उस पर कोई टैक्स बकाया नहीं होना चाहिये।

राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 1.7.97 के आदेश के जरिये क्षेत्र निदेशक को केन्टर/जिप्सी को अनुबंधित करने के लिये अधिकृत किया गया है।

अकालग्रस्त क्षेत्रों की श्रमिक संख्या में वृद्धि

374. **श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)** : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 1998-99 में कुल कितने जिलों में अकाल घोषित किया गया है? जिलेवार व प्रभावित तहसीलों के ग्रामों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य के किस-किस जिले में कितनी तहसीलों में कितना-कितना खराबा दर्ज किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिलों में श्रमिक संख्या क्या निर्धारित की गई थी?, संख्या सूची सदन की मेज पर रखें? क्या यह संख्या जिलों में राहत कार्यों पर पूर्ण हो चुकी है? यदि हां, तो जिलेवार श्रमिकों की संख्या सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने संबंधित जिलों में अकाल राहत कार्य शुरू कर दिये हैं? यदि हां, तो कुल कितने कार्य व श्रमिक संख्या क्या-क्या है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री दिग्विजय सिंह)

(5) क्या यह भी सही है कि सरकार ने सभी प्रभावित जिला कलेक्टरों को आदेश दिये हैं कि श्रमिक संख्या व अकाल राहत कार्य चालू नहीं किये जावें? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या सरकार इस अकाल विभीषिका को देखते हुए इस पर पुनः विचार कर श्रमिकों की संख्या कम से कम 20 हजार करने का विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(7) क्या सरकार राज्य में भयंकर अकाल की स्थिति को मानती है? यदि हां, तो उसका सामना करने की क्या योजना है?

उत्तर

(1) वर्ष 1998-99 (संवत् 2055) में राज्य के 20 जिलों में अभाव स्थिति की घोषणा की गई है। जिलेवार व तहसीलवार प्रभावित ग्रामों की संख्या का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-1)

(2) तहसीलवार ग्रामों में दर्ज खराबे का प्रतिशत का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(3) प्रभावित जिलों के लिए निर्धारित श्रमिक सीमा तथा दिनांक 12.4.99 को कार्यरत श्रमिकों का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

(4) जी हां। जिलेवार शुरू किये गये राहत कार्य व दिनांक 12.4.99 को कार्यरत श्रमिकों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया है। (परिशिष्ट-2)

(5) जी, नहीं।

(6) राज्य सरकार द्वार विचार किया जाकर माह अप्रेल, 99 के लिए जिलेवार श्रमिक सीमा का निर्धारण परिशिष्ट-1 के अनुसार किया गया है।

(7) राज्य के 20 जिलों के 20069 ग्रामों में अभाव स्थिति है। इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु राहत कार्य, पशुओं को सस्ती दर पर चारा उपलब्ध कराने हेतु चारा डिपो खोलने तथा विभागीय टैंकर्स/अन्य साधनों से पेयजल की समुचित व्यवस्था किये जाने के विस्तृत निर्देश सभी जिला कलक्टर्स को माह अक्टूबर, 1998 में ही दे दिये गये हैं तथा समय-समय पर इनकी जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर समीक्षा की जाती है। राज्य सरकार अभाव स्थिति से निपटने के लिए पूर्णरूपेण सजग एवं तत्पर है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला गंगानगर हेतु आवंटित राशन सामग्री

375. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्री गंगानगर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला श्रीगंगानगर में गेहूं का आवंटन कितनी मात्रा में हो रहा है? क्या सरकार उक्त जिले को आवंटित कोटा बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री राधेश्याम गंगानगर)

(2) उक्त जिले में जनवरी, 1999 से कितना गेहूं मंजूर हुआ है तथा कितना वितरित कर दिया और कितना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जिले में केरोसिन का कोटा बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार उक्त जिले में उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? क्या सरकार ने इस संबंध में प्रतिबंध लगा रखा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले को वर्तमान में अनुदानित दर पर गेहूं 448 मै. टन एवं सामान्य दर का 494 मै. टन गेहूं का प्रति माह आवंटन किया जा रहा है। मांग एवं उपलब्धता के आधार पर सामान्य दर के गेहूं का अतिरिक्त आबंटन भी दिया जाता है। श्रीगंगानगर से अतिरिक्त गेहूं की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई, अतः कोटा बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

(2) श्रीगंगानगर जिले को माह जनवरी, 99 से आबंटन किये गये गेहूं का विवरण निम्नानुसार है : —

माह	अनुदानित दर पर		सामान्य दर पर	
	बी.पी.एल.		ए.पी.एल.	
	आवं.	उठाव	आवं.	उठाव
1	2	3	4	5
जनवरी,99	448	112	594	182
फरवरी,99	448	130	994	—
मार्च,99	448	254	494	—

(3) भारत सरकार द्वारा केरोसीन तेल के आबंटन में बढ़ोतरी करने पर ही कोटा बढ़ाया जाना सम्भव हो सकेगा।

(4) जी, हां। जिले में आवश्यकतानुसार नई दुकान खोलने का प्रावधान है। उचित मूल्य की दुकानें खोलने का कार्य जिला कलक्टर के माध्यम से आवंटन सलाहकार समिति की अभिशंषा पर होता है। विभाग द्वारा आदेश दिनांक 10-3-99 को जारी करते हुए उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया जा चुका है। समिति के सदस्यों के मनोनयन की कार्यवाही होने पर दुकान आवंटन प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकेगी। मनोनयन की कार्यवाही पूरी होने तक के लिये नई दुकान के आबंटन पर अभी प्रतिबन्ध है।

विधान सभा क्षेत्र भिनाय में विद्युतीकरण

376. **श्री सांवर लाल (भिनाय) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

विधान सभा क्षेत्र भिनाय के किस-किस स्थान पर विद्युतीकरण हेतु सांसद/विधायक कोष के माध्यम से स्वीकृति ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा कब-कब जारी की गई और राशि कब उपलब्ध करवायी गई? वर्तमान में कहां-कहां विद्युतीकरण की क्या स्थिति है?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र भिनाय में सांसद/विधायक कोष के माध्यम से कुल 11 स्थानों की विद्युतीकरण के लिए ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृति जारी की गई तथा विभिन्न चरणों में राशि उपलब्ध करवाई गई। स्वीकृत कार्यों में से 8 का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा दो का कार्य प्रगति पर है। शेष एक कार्य गुगड़ों की ढाणी के लिए खींची जाने वाली लाइन के कार्य i ग्रामीणों द्वारा बाधा उत्पन्न करने से कार पूरा नहीं किया जा सका। अब इस कार का संशोधित तकमीना बनाकर ग्रामीण विकास अभिकरण को स्वीकृति हेतु भेजा गया है। स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य किया जा सकेगा। सांसद/विधायक कोष से कार्यों की स्वीकृति राशि व प्रगति का विवरण परिशिष्ट "अ" पर दर्शाया गया है।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र भिनाय में सांसद/विधायक कोष के माध्यम से ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत कार्य, मय स्वीकृति दिनांक, स्वीकृत राशि व प्रगति विवरण

क्रमांक	कार्य का नाम	स्वीकृति क्र. व दिनांक	स्वीकृत राशि (रु. लाख में)	राशि प्राप्ति की तिथि		कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5		6
सांसद कोष						
1.	ढाणी व अवमजरा का विद्युतीकरण	एम.पी./स्वी./ 812-833 दि.21-11-97	3.50	इन कार्यों की राशि 12 अन्य कार्यों के साथ		कार्य पूर्ण हो चुका है।
2.	शिव मंदिर का विद्युतीकरण-	" "	2.40	विभिन्न चरणों में प्राप्त हुई		" "
3.	बालाजी एक्लसिंगा का विद्युतीकरण	एम.पी/स्वी/ 872-912 दि.24-11-97	1.50			कार्य पूर्ण हो चुका है।
				दिनांक	राशि	
4.	पाडीलाई मजरा गुढ़ाखुर्ज का विद्युतीकरण	"	1.80	10.12.97	6 लाख	"
5.	स्यालाभाटा मजरा धातोल का विद्युतीकरण	"	1.80	22.12.97	8 लाख	"

1	2	3	4	5		6
6.	सूरजपुरा धातोल का विद्युतीकरण	24-11-97	1.00	4.6.98	6 लाख	कार्य पूर्ण हो चुका है।
7.	केरिया मण्डावरिया का विद्युतीकरण	"	1.50	7.9.98	9 लाख	" "
8.	खटाणा का खेड़ा का विद्युतीकरण	एम.पी./स्वी/ 98-99/27 दि. 23.12.98 व 44 दि. 15.2.99	1.56	अग्रिम प्राप्त राशि 9.12.98 0.50 लाख 29.12.98 7.60 लाख 8.10 लाख		कार्य प्रगति पर है शीघ्र ही पूर्ण कर दिया जाएगा।
			कुल प्राप्त राशि :	37.10 लाख		
विधायक कोष				**रुपये**	**तिथि**	
9.	जानियों का ढ़ाणी का विद्युतीकरण	अनटाइड फंड/98-99 विधायक कोटा/ 321-25 दिनांक 17-6-98	92092/-	46046 46046	31.8.98 22.3.99	दि. 31.3.99 को कार्य पूर्ण हो चुका है।
10.	मूगड़ों की ढ़ाणी का विद्युतीकरण		82043/-	82046	31.8.99	कार्य में ग्रामीणों द्वारा बाधा उत्पन्न किए जाने के कारण संशोधित तखमीना बनाया गया है।
11.	धानगा बस्ती का विद्युतीकरण	अनटाइड फण्ड/ 98-99 विधायक कोटा/ 505-81 दि. 10-7-98 जारी है।	75000/-	75000	7.9.98	पोल खड़े किये जा चुके है, कार्य प्रगति पर है जिसको शीघ्र पूरा करने के प्रयास जारी है

तहसील लूणकरणसर के सम्बल गांव

377. **श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील लूणकरणसर के कौन-कौन से गांवों को "सम्बल गांव" घोषित किया हुआ है और उनमें से किन-किन गांवों को क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा चुकी हैं?

(2) जिन सम्बल गांवों में यातायात सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है, उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

(3) क्या यह सही है कि उक्त तहसील के "सम्बल गांव" साबनिया को सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है, यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) लूणकरणसर तहसील के 5 ग्रामों यथा खारवांरा, खीयेरा, ताबनिया, वींजरवाली एवं चक भवरियां को सम्बल ग्राम घोषित किया हुआ है, इन ग्रामों ग्रामवार निम्न सुविधायें मुहैया करवाई जा चुकी है : —

खारवारा :— पेयजल, सड़क, चिकित्सा, विद्युतीकृत

खीयेरा :— पेयजल, सड़क, चिकित्सा, विद्युतीकृत

साबनिया :— पेयजल, ग्रेवल सड़क, विद्युतीकृत

चकभवरियां :— पेयजल, सड़क

(2) उपरोक्त गांवों में से केवल सम्बल ग्राम साबनिया में वर्तमान में यातायात सुविधा हेतु पक्की सड़क के स्थान पर ग्रेवल सड़क ही है। पक्की सड़क यातायात सुविधा हेतु वर्तमान में संसाधन उपलब्ध नहीं है।

(3) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर ही समय के बारे में कहा जा सकता है।

जैसलमेर कृषि उपज मण्डी की आरक्षित भूमि

378. **श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) :** क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला जैसलमेर में कितनी कृषि मण्डियां हैं?

(2) क्या जैसलमेर में मण्डी टैक्स लगा हुआ है? यदि हां, तो इसमें अब तक कितनी राशि जमा हुई?

(3) क्या यह सही है कि नहरी क्षेत्र में उपनिवेशन विभाग द्वारा मण्डी के निर्माण के लिये भूमि आरक्षित है? यदि हां, तो कब से और अब तक इसका क्या-क्या कार्य हो चुका है?

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर में एक मुख्य मण्डी तथा एक गौण मण्डी है।

(2) जी नहीं। मण्डी टैक्स नहीं होकर मण्डी शुल्क है तथा इससे अब तक 133.35 लाख रुपये राशि जमा हुई है।

ाज्य मंत्री, कृषि विपणन)

(3) जी हां। मोहनगढ़, रामगढ़, नाचना भूमि की कीमत जमा करवाई जा चुकी तथा आबंटन होना शेष है।

अतिरिक्त कलक्टर एवं सचिव विकास मिति, जैसलमेर ने मण्डी समिति जैसलमेर को निम्नानुसार भूमि आवंटित की है : —

1. मोहनगढ़	50	बीघा भूमि	8,13,000 रु.
2. रामगढ़	124.25	" "	20,20,305 रु.
3. नाचना	46.50	" "	6,51,000 रु.

कृषि उपज मण्डी समिति, जैसलमेर के अन्तर्गत मोहनगढ़, रामगढ़ एवं नाचना के विकास कार्य हेतु कृषि विपणन बोर्ड द्वारा क्रमशः 94.47, 112.27 एवं 95.07 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। भूमि का कब्जा लिया जाना शेष है।

भूमि का कब्जा मिलने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृथ्वीराज नगर योजना का क्रियान्वयन

379. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) पृथ्वीराज नगर योजना के प्रथम चरण में भू-खण्ड आबंटन के लिए आवेदन-पत्र कब मांगे गये ?

(2) उक्त योजना में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए तथा कितने भू-खण्डों के लिए किस-किस श्रेणी के कितने आवंटियों को भू-खण्ड आवंटित किए गए हैं और कितने शेष रहे? शेष रहे आवेदनकर्ताओं के नाम की सूची मय राशि के सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आवंटन में प्राधिकरण के पास कितनी राशि जमा हुई? क्या असफल आवेदनकर्ताओं को उनकी राशि ब्याज सहित वापस लौटा दी गई है? यदि नहीं, तो अब कब तक लौटा दी जाएगी?

(4) उक्त प्रक्रिया द्वारा प्राधिकरण के पास जमा राशि पर कितना ब्याज तथा प्रार्थना-पत्र शुल्क के रूप में कितना लाभ प्राप्त हुआ?

(5) क्या आबंटियों को आवंटन-पत्र देकर बकाया राशि वसूल की जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) उक्त आबंटियों को भू-खण्ड का कब्जा कब तक देने का विचार है?

उत्तर

(1) पृथ्वीराज नगर योजना हेतु भू-खण्ड आबंटन बाबत् आवेदन-पत्र दिनांक 3.11.97 से 29.11.97 तक मांगे गये थे।

(2) उक्त योजना में 29,579 आवेदन-पत्र विभिन्न श्रेणी के भू-खण्डों के लिए प्राप्त हुये। वर्गानुसार आवंटियों की सूची निम्नांकित प्रकार से है : —

क्र.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	सफल आवेदकों की संख्या
1	2	3
1.	45 व.मी.	402
2.	90 व.मी.	246

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

1	2	3
3.	120 व.मी.	508
4.	180 व.मी.	689
5.	200 व.मी.	461
6.	250 व.मी.	057
7.	275 व.मी.	530
8.	312 व.मी.	345
9.	375 व.मी.	019
10.	450 व.मी.	083
11.	600 व.मी.	024
12.	750 व.मी.	010
	सफल आवेदक	3374

शेष असफल आवेदक रु. 26,205 की सूची मय जमा राशि संलग्न है।

सूची वृहद् रूप में होने से दो प्रतियां ही संलग्न की जा रही है।

(3) सफल 3374 आवेदकों से राशि रु. 3 करोड़ 12 लाख 12 हजार प्राप्त हुये हैं, असफल आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि बिना ब्याज सहित आवेदनकर्ता के मांगने पर लौटाई जा रही है। अब तक 18,373 आवेदकों को रुपये 7,30,27,670 की राशि लौटाई जा चुकी है तथा

(4) शेष आवेदकों द्वारा मांगने पर राशि लौटा दी जावेगी। अथवा पृथ्वीराज नगर की आगामी द्वितीय फैज में लाटरी के समय समायोजित कर ली जावेगी।

(5) उक्त प्रक्रिया द्वारा प्राधिकरण को विभिन्न क्षेत्रफल के भू-खण्डों हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों से रुपये 12,71,23,000/- की राशि प्राप्त हुई, जो चालू खाते में बैंक में जमा कराई गई है जिस पर ब्याज देय नहीं है। बैंक भूमि का वास्तविक कब्जा ज.वि.प्रा. के पास न होने के कारण आवंटन-पत्र जारी नहीं किये जा सके हैं।

(6) भूमि का वास्तविक कब्जा प्राधिकरण के पास न होने के कारण कब्जा देने की तिथि अभी निर्धारित नहीं की जा सकी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण प्रश्न शाखा में उपलब्ध है)

जिला सीकर की प्राथमिक सहकारी समितियों का सदस्य अभियान

380. **श्री अमराराम (धोद)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने जिला सीकर प्राथमिक सहकारी समितियों में सदस्यता हेतु अभियान चलाया था? यदि हां, तो समितिवार कितने-कितने सदस्य बनाये गये?

(2) उक्त जिले में अभियान के दौरान भी सदस्य नहीं बनाने की शिकायत किन-किन समितियों की मिली है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ग्राम सेवा सहकारी समिति सांगलियां, सुभाष नगर (जेरठी), फागलवा, सिहोर बड़ी आदि समितियों के क्षेत्र के सदस्यों की सदस्यता शुल्क सहकारी बैंक

(श्री अमराराम)

लोसल एवं सूरजपोल ब्रान्च में जमा हुई? यदि हां, तो क्या उन्हें समिति के सदस्य बना दिए गये?

(4) क्या उक्त अभियान में सदस्य नहीं बनाने के लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाया गया या जांच चल रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। समितिवार बनाये गये सदस्यों की सूची परिशिष्ट "एक" पर संलग्न कर दी गई है।

(2) उक्त जिले में अभियान के दौरान सदस्य नहीं बनाने की शिकायत फागलवा, सूठोठ, सुभाषनगर (जेरठी), झीगरछोटी, गोठडा, भूकरान, सावलोदा, धायलान, कुडली, थोई, कौसरड़ां, मलिकपुर, धीरजपुरा समितियों की सदस्य नहीं बनाये जाने की शिकायतें मिली हैं।

(3) ग्राम सेवा सहकारी समिति सांगलिया के 65 सदस्यों की सदस्यता शुल्क की राशि शाखा लोसल में तथा सुभाषनगर जेरठी के 138 सदस्यों की सदस्यता शुल्क राशि शाखा सूरजपोल में जमा हुई। यद्यपि सांगलिया ग्राम सेवा सहकारी समिति के संचालक मंडल ने सदस्यता नहीं देने का निर्णय लिया है तथा सुभाषनगर जेरठी में सदस्यता का प्रकरण प्रक्रियाधीन है। तथापि विभाग को निर्देशित किया जा रहा है कि जिन्होंने सदस्यता शुल्क जमा करा दिया है, उन्हें सदस्य बनाया जाये।

(4) जी हां। उक्त अभियान के दौरान सदस्य नहीं बनाये जाने के लिए सूठोठ ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. के व्यवस्थापक को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर निलम्बित किया गया है तथा फागलवा एवं अन्य ग्राम सेवा सहकारी समितियों से संबंधित शिकायतों की जांच कार्यालय, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां सीकर द्वारा की जा रही है।

परिशिष्ट "एक"

सहकारी अभियान के दौरान सीकर जिले में बनाये गये सदस्यों की समितिवार सूचना :

क्रमांक	नाम समिति (ग्रा.से.स. समिति)	अभियान के दौरान बनाये गये सदस्यों की संख्या
1	2	3
1.	खाटू	41
2.	लामियां	35
3.	धींगपुर	35
4.	खोरा	20
5.	बाय	31
6.	पचार	62
7.	हरसावा	30
8.	उदनसर ग्यांग्यासर	7
9.	बेसवा	10
10.	भींचरी	12
11.	नबीपुरा	1
12.	बलोदछोटी	12
13.	कायमसर	15
14.	पालास	19
15.	ढांढण	9

1	2	3	1	2	3
16.	भोजदेसर	17	42.	खीवासर	20
17.	माण्डेलाबड़ा	38	43.	बलाडा	11
18.	नयाबास	5	44.	स्वरूपसर अब्बास	14
19.	सांगल्या	11	45.	बीबीपुर छोटा	191
20.	भीमा	23	46.	कोटडा	2
21.	जाना	7	47.	ढाणी कुशलावाली	15
22.	सामी	6	48.	नीमकाथाना	16
23.	भिराना	5	49.	सिरोही	11
24.	खूड	16	50.	गांवडी	2
25.	कटराथल	2	51.	चीपलाटा	1
26.	कुडली	2	52.	पुरानाबास	9
27.	कोलीडा	12	53.	राजपुरा	42
28.	गुंगारा	33	54.	डूकिया	7
29.	दादिया	11	55.	अलोदा	22
30.	देवीपुरा	13	56.	लढाना	30
31.	पिपराली	6	57.	पलसाना	50
32.	हर्ष	3	58.	मण्ढामदनी	5
33.	बाटडानाऊ	67	59.	रींगस	2
34.	अलखपुरा बोगान	10	60.	ठीकरिया	9
35.	पाटोदा	12	61.	बावडी	5
36.	जालौद	24	62.	तपीपल्या	9
37.	भोजासर बड़ा	7	63.	मलिकपुर	2
38.	दीनवा	13	64.	आभावास	43
39.	खीरवा	8	65.	धीरजपुरा	54
40.	बरोदडा	5	66.	अरनियां	2
41.	बीदासर	28	67.	महरोली	6

1	2	3
68.	सरगोठ	8
69.	चन्दैली का बास	3
70.	दांतारामगढ	2
71.	चक मिताई	3
72.	बानूडा	44
73.	रूपगढ़	19
74.	रूल्याणा	16
75.	खाचरियावास	2
76.	चक	5
77.	राजपुरा	77
78.	कंवरपुरा	8
79.	सा.धायलान	10
80.	फतेहपुरा	18
81.	माण्डोता	7
82.	झीगरछोटी	8
83.	फागलवा	23
84.	सा.पुरोहितान	18
85.	किरडोली	9
86.	बडीपुरा	5
87.	आंतरी	10
88.	बाडलवास	4
89.	सुभाषनगर जेरठी	4
90.	गोठडा भूकरान	10
91.	ताजसर बड़ी	4
92.	दुगोली	5
93.	दूजोद	1
94.	सेवदबड़ी	1
95.	लिसाडिया	41
96.	गढटकनेत	2
97.	अजीतगढ़	24
98.	पीथलपुर	15
99.	अजमेरी	20
100.	दिवराला	10
101.	रानोली	58
102.	सांगरवा	4
103.	सवाईपुरा	1
104.	पलासरा	4
105.	शिययु	24
106.	बाजोर	22
107.	लक्ष्मणपुरा	10
108.	पाटन	4
109.	राजपुरा	5
110.	रामपुरा बेवा की नांगल	39
111.	डाबला	7
112.	सरवडी	1
113.	लोसल छोटी	7
114.	नाबवा	19
115.	भुवाला	2
116.	नांगलनाथूसर	50
117.	कोटडी शिमारला	20
118.	सिहोडी	5
119.	मुण्डरू	5

1	2	3
120.	बरसिंहपुरा	8
121.	कांसरडा	1
122.	जाजौद	21
123.	चक खदून्दरा	3
124.	रामपुरा	16
125.	दुल्हेपुरा	20
126.	निमेडा	20
127.	जयरामपुरा	20
128.	कांवट	48
129.	लोहरवाडा	12
130.	चला	24
131.	भादवाडी	17
132.	गुहाला	32
133.	धोई	29
134.	नारे	5
135.	रूल्याणामाली	21
136.	बडाथिरनियां	3
137.	सूंतोद	6
138.	मंगलूना	4
139.	बाज्याबास	58
	कुल योग :	2403

तहसील सांचोर के ग्रामों के लम्बित विद्युत कनेक्शन

381. श्री हीरालाल विश्नोई (सांचोर) क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि तहसील सांचोर में अधिकतर पंचायत मुख्यालय व ग्राम विद्युतीकृत नहीं हैं? यदि हां तो क्यों? इन्हें अब कब तक विद्युतीकृत कर दिया जायेगा?

(2) क्या तहसील सांचोर में कोई ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत हुए हैं? यदि हां, तो कितने व कब तक इनका निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा?

(3) तहसील सांचोर के ग्रामों के कनेक्शन हेतु ऐसे कितने आवेदन-पत्र लम्बित हैं जिनकी डिमाण्ड नोटिस राशि जमा है? इनका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। तहसील सांचोर में कुल 119 ग्राम व 63 ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं जिनमें से माह मार्च, 1999 तक 96 राजस्व गांव एवं 58 पंचायत मुख्यालय विद्युतीकृत घोषित किये जा चुके हैं। शेष रहे 23 राजस्व गांव व 5 ग्राम पंचायत मुख्यालयों का विद्युतीकरण निर्धारित नीति व उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किया जा सकेगा।

(2) जी हां। तहसील सांचोर में चार 33 केवी. ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत हैं, जिनका प्रगति विवरण निम्न प्रकार है : —

(ऊर्जा मंत्री)

क्र.सं.	सब स्टेशन का नाम	प्रगति विवरण
1.	तापी	नवम्बर, 1998 में चालू कर दिया गया है
2.	पांचला	कार्य प्रगति पर है
3.	झाग	वर्ष 1999-2000 में शुरू करना प्रस्तावित है
4.	पलादर	उपरोक्त

उक्त सब स्टेशनों के अतिरिक्त सांचोर तहसील में 132 के.वी. 10/12.5 एम.वी.ए. क्षमता का ग्रिड सब-स्टेशन भी कार्यरत है। इस ग्रिड सब स्टेशन के अतिरिक्त अन्य ग्रिड सब स्टेशन प्रस्तावित नहीं हैं।

(3) तहसील सांचोर में कनेक्शन हेतु मांग-पत्र की राशि जमा श्रेणीवार आवेदकों की संख्या निम्न प्रकार है, जिनको शीघ्र कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा रही है।

क्र.सं.	श्रेणी	आवेदकों की संख्या
1.	घरेलू	633
2.	अघरेलू	6
3.	कृषि	84

राजगढ़ (चूरू) की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

382. **श्री रामसिंह कस्वां (सादुलपुर) :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का कार्य किया जाता है? इसकी प्रक्रिया क्या है? इस संबंध में जारी किए गए आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी चूरू ने इस वर्ष व गत वर्ष विद्युत मण्डल को ग्राम पंचायतों/नगरपालिकाओं की हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण के प्रस्ताव भिजवाएं हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से?

(3) पंचायत समिति राजगढ़ (चूरू) में कुल कितनी हरिजन बस्तियां विद्युतीकृत घोषित की गई हैं, उनमें कितनी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण कर दिया गया है और कितनी शेष हैं? इनका विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा?

(4) पंचायत समिति राजगढ़ (चूरू) में वर्ष 1999-2000 के लिये कौन-कौन सी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण करवाने के प्रस्ताव भेजे गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त पंचायत समिति की हरिजन बस्ती गोठ्या छोटी, खारिया गोदारन, बैरासर, छोटा, बालान, हरिजन कालोनी रावतसर कुंजला, गालड, धानोठी छोटी, कान्धरान, कालरी को वर्ष 1999-2000 के लिये विद्युतीकृत करने के प्रस्ताव भेजे हैं? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा विद्युतीकृत ग्रामों में हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण का कार्य किया जाता है।

(2) हरिजन बस्तियों का चयन उस क्षेत्र के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी विद्युत मण्डल के सहायक अभियन्ता एवं सरपंच मिलकर करते हैं। जिलेवार वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार चिन्हित हरिजन बस्तियों में एल. टी. लाइन खींची जाती है जिससे उस बस्ती में निवास करने वाले हरिजन विद्युत कनेक्शन ले सकें। विद्युतीकरण का व्यय मण्डल द्वारा वहन किया जाता है। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी परिपत्र प्रे. 2213 दिनांक 11.12.96 की प्रति संलग्न है।

(3) चूरू खण्ड के अधीनस्थ गत वर्ष 98-99 में निम्न हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण के प्रस्ताव संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंचों से समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रमाणित करवा कर भिजवाये गये है (1) दूदवा खारा (2) कोटवाताल (3) भूत्यावास (4) कालवास (5) चंगोईओ (6) भौज्यान तथा इस वर्ष 99-2000 में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(4) पंचायत समिति राजगढ़, चूरू में वर्ष 1999-2000 के लिए हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का कोई भी प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ।

वर्ष 1999-2000 में हरिजन बस्तियों का लक्ष्य अभी तय नहीं किया गया है। तथा न ही पंचायत समिति राजगढ़, चूरू में कोई हरिजन बस्ती को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य तय किया गया है। वर्ष 1999-2000 में एक भी हरिजन बस्ती अब तक विद्युतीकृत नहीं की गई है।

(5) पंचायत समिति राजगढ़ ग्राम कान्धरान में हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण का कार्य हो चुका है। तथा ग्राम गोठया छोटी, खारिया गोदारान, बैरासर छोटा, कालरी की हरिजन बस्तियों को विद्युतीकृत करने के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल
(ग्रामीण विद्युतीकरण)

क्रमांकः राराविमं/मुअ/ग्रावि-निरी-भावि/प्रे2213 जयपुर, दिनांक 11-15-96

परिपत्र

विषय : हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

मण्डल के ध्यान में लाया गया है कि हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा रोड लाइट के लिए प्रार्थना-पत्र तथा भुगतान का अनुबन्ध करने के पश्चात् हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण किया जाता है लेकिन ग्राम पंचायत रोड लाइट लगाने तथा उनका बिजली का भुगतान करने में असमर्थ रहता है, इस वजह से सरपंच आवेदन नहीं करते हैं।

अब यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में सरपंच ग्राम पंचायत का आवेदन आवश्यक नहीं है तथा बिना आवेदन के ही हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण कर दिया जावे जिससे उस बस्ती में निवास करने वाले हरिजन विद्युत कनेक्शन ले सकें। हरिजन बस्ती के चयन के लिए उस क्षेत्र के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, विद्युत मण्डल का सहायक अभियन्ता एवं सरपंच ग्राम पंचायत तीनों मिलकर करेंगे तथा हरिजन बस्ती के नक्शे पर हस्ताक्षर भी करेंगे। हरिजन बस्तियों का लक्ष्य के अनुसार हर वर्ष तुरन्त विद्युतीकरण करें। अब तक की प्रगति काफी कम है अतः अगले दो माह में विशेष प्रयास कर लक्ष्य की पूर्ति की जावें।

आज्ञा से
(तारासिंह)
मुख्य अभियन्ता
(ग्रावि-निरी-भावि)

कृषि उपज मण्डी अटरू की फर्जी फर्में

383. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या अटरू जिला बारां की कृषि उपज मण्डी में फर्जी फर्मों का मामला सामने आया है?

(2) उक्त फर्जी फर्में किसके द्वारा बनाई गई हैं? क्या उक्त फर्मों के द्वारा फर्जी बिलों पर आर.एस.टी./सी.एस.टी. नम्बर भी अंकित थे? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। एक फर्जी फर्म का मामला सामने आया है।

(2) यह फर्जी फर्म मैसर्स अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार ने चला रखी थी। फर्जी बिलों पर आर.एस.टी. नम्बर 2846/01352 तथा सी.एस.टी. नम्बर 2846/01352 भी अंकित थे।

फर्म के विरुद्ध सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, अटरू द्वारा पुलिस स्टेशन अटरू में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 14/99 दिनांक 12.1.99 को दर्ज कराई गई है।

अध्यक्ष नगरपालिका छबड़ा का अनियमितता प्रकरण

384. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या जिला बारां की नगरपालिका, छबड़ा के अध्यक्ष के विरुद्ध अपने पद का दुरुपयोग कर कुछ लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने, निर्माण कार्य में गड़बड़ी करने, सीमेन्ट ऊंचे भाव में खरीदने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। शिकायतें जांच किये जाने हेतु जिला कलक्टर, बारां को भेजी गई है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

मेहन्दीपुर बालाजी में विश्राम गृह का निर्माण

385. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में धार्मिक स्थल मेहन्दीपुर बालाजी पर भारत के अन्य राज्यों से काफी संख्या में दर्शनार्थी आते हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा आगन्तुक दर्शनार्थियों के लिये वन विभाग का कोई विश्राम गृह नहीं है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार वन विभाग का उक्त धार्मिक स्थल पर विश्राम गृह बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामस्वरूप)

(3) क्या यह सही है कि उक्त धार्मिक स्थल पर पर्याप्त भूमि एवं एक कुआं एवं पौधशाला भी उपलब्ध है? यदि हां, तो कितनी भूमि के कौनसी खसरे की और भूमि खाली अब तक रखने का क्या औचित्य है?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर असामाजिक तत्वों ने अनाधिकृत कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो किस-किसने कितनी-कितनी भूमि पर? क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाकर इस भूमि पर विश्राम गृह बनाने का विचार रखती है?

(5) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर फुलवाड़ी नर्सरी पर पौधे तैयार की जा रही है? यदि हां, तो कितनी-कितनी पौधे वर्तमान में तैयार की जा रही है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विधान सभा के टोडाभीम में धार्मिक स्थल मेहन्दीपुर बालाजी पर भारत के अन्य राज्यों से काफी संख्या में दर्शनार्थी आते हैं।

(2) जी हां। धार्मिक स्थलों पर आने वाले दर्शनार्थियों के लिये विश्राम गृह बनाना वन विभाग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है।

(3) मेहन्दीपुर बालाजी में वन विभाग की कोई पौधाशाला नहीं है। मेंहदीपुर बालाजी से लगभग 4 किलोमीटर पहले जिला दौसा के ग्राम पाडली की हद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 पर सड़क के खसरा नं.-745, 746 एवं 747 की भूमि पर एक वन पौधशाला स्थित है जिसमें एक कुआं भी है। यह पौधशाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 की सड़क पट्टी में स्थित है। पौधशाला के आस-पास की सड़क सीमा में वन विभाग ने वृक्षारोपण कर रखा है।

(4) वन विभाग की विद्यमान पौधशाला में किसी का अतिक्रमण नहीं है। अतः अतिक्रमण हटाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(5) जी, हां। उक्त भूमि पर स्थित नर्सरी में फल, फूल एवं छायादार पौधे तैयार किये जाते हैं। वर्तमान में पौधशाला में तैयार किये जा रहे पौधों का प्रजातिवार विवरण परिशिष्ट "क" पर दर्शाया गया है।

मेंहन्दीपुर बालाजी के समीप स्थित पौधशाला में तैयार किये जा रहे पौधों का प्रजातिवार विवरण :—

क्र.सं.	नाम प्रजाति	संख्या
1	2	3
1.	जामुन	3,000
2.	सफेदा	15,000
3.	शहतूत	5,700
4.	अमरूद	3,200
5.	अंगूर	3,104
6.	मोरपंखी	2,000
7.	गुलाब	2,000
8.	गुडहल	1,000
9.	रातरानी	1,000

1	2	3
10.	चांदनी	900
11.	शीशम	3,000
12.	कनेर	500
13.	करोंदा	2,000
14.	मेंहदी	2,000
15.	सरू	2,000
16.	बौगेनवेलिया	1,100
17.	पारस पीपल	700
18.	करंज	1,400
19.	आम	1,564
20.	कचनार	400
21.	नीबू	700
22.	अशोक	232
23.	पीपल	800
24.	नीम	2,400
25.	गूलर	300
26.	गुलमोहर	300
27.	मोरपंखी	104
28.	अमलतास	400

नोट :—7500 थैलीयों में बीजारोपण किया हुआ है।

जवाजा (अजमेर) के अकाल राहत कार्यों में अनियमितताएं

386. **श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद), श्री के. सी. चौधरी (ब्यावर) एवं श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व)** : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या यह सही है कि पंचायत समिति जवाजा (अजमेर) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत आसन, बडकोचरा, किशनपुरा, सूरडिया, सूरजपुरा, लोटियाना में गत पांच वर्षों से अकाल राहत निर्माण कार्यों के सामान की खरीद में गंभीर वित्तीय अनियमिततायें तथा फर्जी मस्टररोल के मामले संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाए गए? यदि हां, तो ऐसे मामलों की सूची एवं की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पंचायत समिति जवाजा के अन्तर्गत गत पांच वर्षों में 1994 (सम्वत् 2050) वर्ष 1996 (संवत् 2052) व वर्ष 1998 (संवत् 2054) में अभाव की स्थिति रही व राहत कार्य चलाये गये। ग्राम पंचायत सूरडिया व सूरजपुरा में अकाल राहत कार्यों के सामान की खरीद व मस्टररोल बाबत् कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। शेष ग्राम पंचायतों के संवत् 2050 के निर्माण कार्यों की प्राप्त शिकायतों का विवरण व की जा रही कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-1)

परिशिष्ट-1

विभिन्न ग्राम पंचायतों में राहत कार्यों की शिकायतों एवं की जाने वाली कार्यवाही का विवरण

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	शिकायतकर्ता का नाम व शिकायत का दिनांक	शिकायत का संक्षिप्त सार
1.	आसन	पूर्व सरपंच व ग्रामवासी बराखन दि. 10.4.94	राहत कार्यों में भ्रष्टाचार व मजदूरी का भुगतान नहीं करने बाबत्
2.	बड़कोचरा	ग्रामवासी भूरिया खेडा कलां दि.26.9.94	रपट निर्माण में अनियमितता तथा घटिया सामग्री बाबत्
3.	किशनपुरा	श्री मूलसिंह रावत, सदस्य वार्ड सं.- 10 पं.स. जवाजा	खरंजा निर्माण, तालाब मोरी हिम्मतपुरा में बिना काम किये फर्जी मस्टररोल भरने बाबत्
4.	लोटियाना	श्री हजारी गूजर, भा.ज.पा. किसान मोर्चा देहात प्रताप कॉलोनी मेवाड़ी गेट बाहर ब्यावर	फर्जी हाजरी भरने की शिकायत।

इन शिकायतों में से क्रम सं. (1) व (2) पर अंकित शिकायतों की जांच उपखण्ड अधिकारी ब्यावर से क्र. सं. (3) पर अंकित शिकायत की जांच अधिशासी अभियन्ता, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अजमेर से तथा क्रम सं. (4) पर अंकित शिकायत की जांच तहसीलदार ब्यावर से करवाई जा रही है।

इसके साथ ही अभाव सम्वत् 2052 में अन्य ग्राम पंचायतों के साथ ग्राम पंचायत किशनपुरा, सूरजपुरा, व लोटियाना द्वारा कराये गये कार्यों की विशेष जांच स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग से कराये जाने हेतु 11.6.98 को निवेदन किया गया। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने वित्त विभाग से मार्गदर्शन चाहा है। जांच कार्य पूर्ण होने पर ही वस्तुस्थिति ज्ञात हो सकेगी।

लाडनूं (नागौर) में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण

387. **श्री मोहन लाल बारूपाल** (जायल) एवं **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा लाडनूं जिला नागौर में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाने की स्वीकृति जारी की गई? यदि हां, तो कब और उक्त सब-स्टेशन कब तक बन कर तैयार होना था?

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृति आदेश के अनुसार वर्ष 1998-99 में इसका कार्य पूर्ण होना था? यदि हां, तो क्यों नहीं हुआ और अब कब तक हो जायेगा?

(3) क्या यह सही है कि इस कार्य के सम्बन्ध में निविदाएं आमंत्रित की गई थीं? यदि हां, तो कब और किस-किस कार्य के लिये?

(4) क्या अभी तक इसके लिये भूमि का चयन भी नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। लाडनूं जिला नागौर में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण कार्य वर्ष 1998-99 में प्रस्तावित था तथा इसी वर्ष में कार्य को पूर्ण करना प्रस्तावित था।

(2) जी हां। इस सब-स्टेशन पर कार्य विश्व बैंक से ऋण सहायता मिलने के बाद शुरू होना था, परन्तु विश्व बैंक से ऋण प्राप्ति में देरी को ध्यान में रखते हुए इसके लिए सैन्ट्रल बैंक से वित्तीय सहायता ली गई। प्रारम्भिक कार्यों के लिए 1998-99 की वार्षिक योजना में लगभग 4.94 करोड़ रुपयों का व वर्ष 1999-2000 में 2.38 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। अब वर्ष 1999-2000 में इस ग्रिड सब-स्टेशन के पूर्ण होने की संभावना है।

(3) जी हां। उक्त ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण के लिए : (अ) अर्थमेट का कार्य, (ब) स्ट्रक्चर खड़े करने का कार्य, व (स) लाडनूं ग्रिड उपचौकी के लिए 132 के.वी. दोहरी लाइन का कार्य इत्यादि के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी।

(4) लाडनूं ग्रिड सब-स्टेशन के लिए भूमि का चयन किया जा चुका है।

जिला बांसवाड़ा में छात्रावास निर्माण प्राप्त राशि

388. **श्री जीतमल** (बागीदोरा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1997-98 व 1998-99 में जिला बांसवाड़ा में केन्द्र सरकार द्वारा छात्रावासों के लिये कितनी राशि आवंटित की गई?

(2) उक्त जिले में राज्य सरकार द्वारा छात्रावासों के लिये उक्त वर्षों में कितनी राशि आवंटित की गई?

(3) क्या उक्त आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) केन्द्र सरकार द्वारा किसी विशेष जिले के लिए राशि का आवंटन नहीं किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को एकमुश्त राशि आवंटित की जाती है। यह राशि विशेष केन्द्रीय सहायता, अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता, केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं संविधान की धारा 275(1) आदि मदों के अन्तर्गत प्राप्त होती है।

(2) केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि में से बांसवाड़ा जिले में आश्रम छात्रावासों हेतु वर्ष 1997-98 एवं वर्ष 1998-99 में क्रमशः 247.50 लाख एवं 334.05 लाख राशि राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गयी।

(3) जी नहीं, आश्रम छात्रावासों के संचालन एवं निर्माण हेतु आवंटित पूर्ण राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है, जिसका मुख्य कारण आश्रम छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालय हेतु निर्माण एजेंसी का तय न होना है।

तीर्थराज पुष्कर की सफाई

389. **श्री रमजान खान (पुष्कर)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि तीर्थराज पुष्कर में प्रति वर्ष वर्षा के पानी के साथ मिट्टी बहकर जमा हो जाती है?

(2) क्या यह भी सही है कि पुष्कर सरोवर में जमा हुई मिट्टी को कई बार सरकार ने बाहर निकलवाया है? यदि हां, तो कौन-कौनसे वर्ष में, कितने टन मिट्टी निकाली और उस पर कितनी राशि व्यय हुई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस वर्ष भी सरोवर में जमा मिट्टी को निकालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और उक्त कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकृत की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। निकाली गई मिट्टी की मात्रा तथा उस पर व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) पर्याप्त मात्रा में मिट्टी निकलवाई जा चुकी है। पुनः मिट्टी निकलवाने की जब भी आवश्यकता होगी तब मिट्टी निकलवाने के लिए कार्य की मात्रा के अनुसार राशि स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

पुष्कर सरोवर से मिट्टी निकालने के कार्य का वर्षवार वजन तथा राशि सहित विवरण

(1) सिंचाई विभाग, अजमेर के द्वारा कराये गये कार्य : —

(नगरपालिका पुष्कर द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि एवं सिंचाई विभाग के स्वयं के स्रोतों से व्यय की गई राशि कुल 18.14 लाख रुपये का विवरण)

1. पुष्कर सरोवर से मिट्टी की खुदाई का कार्य

वर्ष 90-91 2.29 लाख घ.फि.2.16 लाख रु.

2. पुष्कर फिडर व चैक डैमों का

निर्माण कार्य 4.22 लाख रु.

6.38 लाख रु.

3. पुष्कर सरोवर से मिट्टी की खुदाई का कार्य

वर्ष 91-92 15.50 लाख घ.फिट 8.20 लाख रु.

4. पुष्कर फिडर व चैक डैमों का निर्माण कार्य

3.56 लाख रु.

11.76 लाख रु.

कुल योग = 6.38 + 11.76 = 18.14 लाख रु.

(2) नगरपालिका पुष्कर द्वारा सरोवर से निकाली गई मिट्टी व राशि का विवरण

1. पुष्कर सरोवर से मिट्टी की खुदाई का कार्य वर्ष 92-93

107833 घनफिट 1,19,015/-

(3) पुष्कर विकास समिति द्वारा कराये गये कार्य

(वर्ष 1996-97 दिनांक 22.5.96 से 31.8.96 तक)

1. सरोवर की खुदाई कार्य (3290600 घन फिट मिट्टी निकाली गई 20.21,245.43/-),

2. सावित्री फिडर की खुदाई का कार्य (16600 घनफीट मिट्टी निकाली गई),

3. कटिंग एवं फिलिंग बैंक बनाने का कार्य (132250 घन मिट्टी काम में ली गई),

4. केरेट डैम्प बनाने का कार्य,

5. परिक्रमा पथ सिल्ड डैम्प की दीवार मरम्मत कार्य।

क्रम संख्या 1,2,3, के अनुसार पवित्र पुष्कर सरोवर में से कुल 51,77,433 घनफिट मिट्टी निकाली गई है व मिट्टी निकलवाने एवं संबंधित अन्य कार्यों पर कुल राशि 39,54,260.43/- खर्च की गई है।

कार्यालय वन संरक्षक वृत्त भरतपुर

390. श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर में पूर्व में वन संरक्षक वृत्त स्तर का कार्यालय स्थापित था जिससे बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त कार्यालय को पुनः चालू करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। भरतपुर में बीहड़ सुधार योजना के अन्तर्गत वन संरक्षक, स्तर का कार्यालय था। उक्त योजना शत-प्रतिशत केन्द्र सहायता आधारित थी। उक्त योजना भारत सरकार द्वारा बन्द किये जाने से वन संरक्षक कार्यालय बन्द किया गया था।

(2) उक्त कार्यालय विशिष्ट प्रकृति की योजना के क्रियान्वयन हेतु ही सृजित किया गया था। विशिष्ट योजना शत-प्रतिशत भारत सरकार की सहायता से पोषित थी। योजना को भारत सरकार द्वारा बन्द कर दिये जाने

ज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण)

वर्तमान में कार्यों की आवश्यकता को ष्टिगत रखते हुए भरतपुर में पृथक से वृत तरीय कार्यालय स्थापित किये जाने का कोई ौचित्य नहीं होने से कार्यालय को पुनः ालू करने का विचार नहीं है।

तहसील नावां (नागौर) में स्वीकृत अकालराहत कार्य

391. **श्री हरिशचन्द्र कुमावत** (नावां) : या अकालराहत मंत्री यह बातने की कृपा रेंगे : —

(1) तहसील क्षेत्र नावां में इस वर्ष कालराहत के अन्तर्गत कुल कितने कार्य तनी-कितनी राशि के स्वीकृत हैं? सूची दन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से वर्तमान कहां-कहां कार्य चालू है? सूची सदन मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अकालराहत ड लाइन अनुसार निर्माण कार्य उन्हीं न्सियों से करवाया जाये जो निर्माण के भी भविष्य में संधारित करती है? यदि तो ग्राम पंचायत मारोठ में मुख्य सड़क निर्माण कार्य पंचायत के जिम्मे क्यों लिया, जबकि यह सड़क पंचायत क्षेत्र आबादी में हैं और जिसका संधारण भी त को ही करना है?

(4) जिला नागौर में चल रहे अकालराहत एवं स्वीकृत कार्य का कुल व्यय अनुमान कितना है? वर्तमान में इस हेतु नागौर जिले को कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है तथा अब कितनी राशि उपलब्ध कराया जाना वांछित है जो कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

उत्तर

(1) तहसील क्षेत्र नावां में इस वर्ष स्वीकृत राहत कार्य की सूची स्वीकृत राशि के विवरण सहित सदन के पटल पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट-1)

(2) स्वीकृत राहत कार्यों में से चालू राहत कार्यों का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(3) जी हां। विभागीय निर्देशों में यह प्रावधान है। जिला स्तर पर दिनांक 11.12.98 को नीतिगत निर्णय लिया कि सड़कों के कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कराये जावे। इसी निर्णय की पालना में सभी सड़कों के कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कराये जाने की स्वीकृति दी गई है। कोई भी सड़क का कार्य पंचायत के माध्यम से नहीं कराया जा रहा है।

(4) विभाग द्वारा जिले के लिए श्रमिक सीमा का निर्धारण किया जाता है। नागौर जिले में चल रहे व स्वीकृत कार्यों का व्यय अनुमान 1398.53 लाख रुपये है तथा नागौर जिले को मार्च, 99 तक 735.00 लाख रुपये तथा माह अप्रेल, 99 हेतु 150.00 लाख की राशि आवंटित की गई है। भविष्य में जिले को राहत कार्यों पर होने वाले व्यय के अनुसार राशि आवंटित की जायेगी।

परिशिष्ट-1

तहसील नावां में अकाल राहत कार्य जो स्वीकृत हुए की सूची मय चालू कार्यों के विवरण के

क्र.सं.	कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि (लाखों में)			स्वीकृत श्रमिक	चालू कार्यों का
		श्रम	सामग्री	योग	संख्या	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	ग्राम नावां-सांभर मुख्य मार्ग एएएच/2 पर किमी.0368 ग्राम राजास के समीप सड़क सतह ऊंची करवाने जिला नागौर की सीमा तक	8.00	8.00	16.00	400	चालू
2.	नावां सीकर मुख्य सड़क से पुलिस थाना मारोठ तक सीमेन्ट सड़क	2.68	2.68	5.36	100	चालू
3.	रा.मा.वि. मीण्डा में हॉल निर्माण अपूर्ण को पूर्ण करना	1.00	1.00	2.00	20	चालू
4.	सामुदायिक विकास भवन देवली अपूर्ण को पूर्ण करना	0.80	0.80	1.60	20	
5.	सामुदायिक विकास भवन कालिया का बास अपूर्ण को पूर्ण करना	0.80	0.80	1.60	20	
6.	सामुदायिक विकास भवन बावड़ी अपूर्ण को पूर्ण करना	0.80	0.80	1.60	20	
7.	पक्का तालाब (तालु) राजलिया अपूर्ण को पूर्ण करना	1.25	1.25	2.50	200	चालू

1	2	3	4	5	6	7
8.	जी.एल.आर. निर्माण शेखावतपुरा अपूर्ण को पूर्ण करना	0.30	0.30	0.60	10	
9.	विद्यालय भवन में कलरा बरामदा दीपपुरा	0.595	0.595	1.19	20	
10.	विद्यालय भवन छापरीयें कमरा बरामदा	0.595	0.595	1.19	20	
11.	विद्यालय भवन खातियों की ढ़ाणी कुकुणवाली में कमरा बरामदा	0.595	0.595	1.19	20	चालू
12.	उप्रावि. कन्या पांचवा में कमरा बरामदा	0.595	0.595	1.19	20	
13.	विद्यालय भवन में कमरा बरामदा शहीदपुरा गुढ़ा साल्ट	0.595	0.595	1.19	20	चालू
14.	विद्यालय भवन में कमरा बरामदा चितावा	0.595	0.595	1.19	20	चालू
15.	विद्यालय भवन में कमरा बरामदा भगवानपुरा	0.595	0.595	1.19	20	
16.	विद्यालय में कमरा बरामदा भुगासरों की ढ़ाणी दलेलपुरा	0.595	0.595	1.19	20	चालू
17.	राउप्रावि. मोतीपुरा में चार दिवारी निर्माण	1.00	1.00	2.00	30	
18.	ग्राम पंचायत भवन खारिया का निर्माण	1.40	1.40	2.40	40	

1	2	3	4	5	6	7
19.	पंचायत भवन निर्माण नगवाड़ा	1.20	1.20	2.40	40	
20.	पशु चिकित्सालय निर्माण चितावा	1.25	1.25	2.50	40	चालू
21.	ग्राम सेवक क्वाटर निर्माण खारिया	0.775	0.775	1.55	25	
22.	शमसान घाट के चार दिवारी निर्माण घाटवा	0.64	0.64	1.28	20	
23.	ग्रामसेवक क्वाटर निर्माण पांचवा	0.775	0.775	1.55	25	
24.	ग्राम सेवक क्वाटर निर्माण खोल्डी	0.775	0.775	1.55	25	चालू
25.	रा.मा.वि. चावण्डिया में दो कमरे व बरामदा	1.19	1.19	2.38	40	चालू
26.	रा.मा.वि. में पुस्तकालय निर्माण रसाल	0.73	0.73	1.46	30	
27.	रा.मा.वि. पदमपुरा (सरगोठ) में कमरा बरामदा	0.595	0.595	1.19	20	
28.	रा.उ.प्रा.वि. रूपपुरा में चार दिवारी निर्माण	1.50	1.50	3.00	50	
29.	रा.मा.वि. रसाल में कमरा बरामदा व चार दिवारी निर्माण	1.00	1.00	2.00	40	चालू
30.	रा.उ.प्रा.वि. राजलिया में छत निर्माण कार्य अपूर्ण को पूर्ण करना	0.25	0.25	0.50	15	चालू

1	2	3	4	5	6	7
31.	रा.प्रा.वि. अडकसर में कमरा बरामदा	0.595	0.595	1.19	20	
32.	रा.प्रा.वि. जसवन्तपुरा में कमरा बरामदा	0.595	0.595	1.19	20	
33.	रा.सा.वि. खाचरियों की ढ़ाणी (घाटवा) में एक कमरा बरामदा	0.595	0.595	1.19	20	
34.	रा.प्रा.वि. खातियों की ढ़ाणी (कुकलवाली) में एक कमरा बरामदा	0.595	0.595	1.19	20	चालू
35.	रा.प्रा.वि. नावां की ढ़ाणी बरजन में एक कमरा बरामदा	0.595	0.595	1.19	20	चालू
36.	रा.प्रा.वि. लक्ष्मण कुमार की ढ़ाणी (घाटवा) में कमरा बरामदा	0.595	0.595	1.19	20	चालू
37.	उ.प्रा.वि. भालोट में छत कार्य अपूर्ण को पूर्ण करना	0.25	0.25	0.50	10	
38.	गांवाई तालाब चितावा में पट्टा व घाट निर्माण	1.50	1.50	3.00	100	चालू
9.	गांवाई तालाब गूगड वार (नगवाड़ा) का पट्टा व घाट निर्माण	1.50	1.50	3.00	100	
).	गांवाई तालाब चावण्डिया का पट्टा व घाट निर्माण	1.50	1.50	3.00	100	
l.	गांवाई तालाब जालोर का पट्टा व घाट निर्माण	1.50	1.50	3.00	100	

1	2	3	4	5	6	7
42.	मातृ शिशु कल्याण केन्द्र मारोठ का भवन निर्माण	4.75	4.75	9.50	100	चालू
43.	राप्रावि.श्यामगढ़ में दो कमरे बरामदा	1.19	1.19	2.38	40	चालू
44.	राप्रावि. सारणपुरा में दो कमरे बरामदा (रसाल)	1.50	1.50	3.00	50	चालू
45.	राउप्रावि. जिजोट की चार दिवारी निर्माण	1.25	1.25	2.50	40	
46.	राउप्रावि. भांवता में चार दिवारी निर्माण	1.50	1.50	3.00	50	चालू
47.	राउप्रावि. पांचवा में दो कमरे बरामदा	1.19	1.19	2.38	40	चालू
48.	रा. पशु चिकित्सालय पांचवा की चार दिवारी निर्माण	0.25	0.25	0.50	20	चालू
49.	राप्रावि. लखजी का बास में एक कमरा बरामदा	1.20	1.20	2.40	40	
50.	राप्रावि. उतरी खारिया में एक कमरा बरामदा	0.595	0.595	1.19	20	
51.	राप्रावि. नाथा की ढ़ाणी शिव में कमरा बरामदा	0.595	0.595	1.19	20	चालू
52.	राप्रावि. नम्बर रमण्डावरा में दो कमरे बरामदा	1.19	1.19	2.38	40	
53.	राउप्रावि. नम्बर 2 में दो कमरे बरामदा गोविन्दी	1.19	1.19	2.38	40	चालू

1	2	3	4	5	6	7
54.	राउप्रावि. जालोट में दो कमरे बरामदा	1.19	1.19	2.38	40	चालू
55.	राउप्रावि. राणासर में कमरा बरामदा व चारदिवारी निर्माण	1.25	1.25	2.50	50	चालू
56.	राप्रावि. (कन्या) हुडील में दो कमरे बरामदा व चार दिवारी निर्माण	1.50	1.50	3.00	40	चालू
57.	राप्रावि. कन्या मीण्डी में दो कमरे बरामदा	1.19	1.19	2.38	40	चालू
58.	राउप्रावि. संख्या 2 में एक कमरा बरामदा खोरन्डी	0.595	0.595	1.19	20	चालू
59.	राउप्रावि. महाराजपुरा में दो कमरे बरामदा	1.225	1.225	2.45	40	
60.	रा. बालिका प्राथमिक विद्यालय सडकरार में दो कमरे बरामदा	1.225	1.225	2.45	40	
61.	ग्राम मीण्डा में राम देवजी के मन्दिर से मुख्य बाजार तक खुर्रा निर्माण	1.25	1.25	2.50	40	
	योग	68.915	68.915	137.830	2730	

पंचायत समिति जवाजा क्षेत्र का विद्युतीकरण

392. श्री के. सी. चौधरी (ब्यावर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) पंचायत समिति जवाजा के अंतर्गत पंचायत के राजस्व ग्राम, मजरा, ढाणियों के "विद्युतीकरण" को एक कोई योजना "रूरल" इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन के वित्तीय सहयोग से चल रही है? यदि हां, तो कब से एवं कितनी ऋण रकम से एवं इसको पूर्ण करने की क्या समय सीमा निर्धारित हैं?

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक कितने राजस्व ग्राम, मजरा एवं ढाणियों का विद्युतीकरण हो गया है और उनमें कितनी राशि व्यय की गई है? क्या शेष का विद्युतीकरण करने की कोई समय सीमा सरकार ने निर्धारित की है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति, जवाजा के अन्तर्गत मण्डल द्वारा एक एम.एन.पी. योजना वर्ष 1997-98 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से ऋण प्राप्त कर स्वीकृत की गई थी जिसमें राजस्व ग्राम व ढाणियां/मजरे इत्यादि सभी सम्मिलित हैं। इस योजना के लिए वर्ष 1997-98 में रु. 211.22 लाख ऋण राशि स्वीकृत की गई थी तथा योजना की निर्धारित अवधि दो वर्ष रखी गई थी।

(2) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) योजना (कोड नं. 179396) पंचायत समिति, जवाजा के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य व अर्जित उपलब्धि का विवरण निम्न प्रकार है : —

कार्य का विवरण	लक्ष्य	अर्जित उपलब्धि माह मार्च, 1999 तक
गांवों का विद्युतीकरण	20	20
हेमलेट का विद्युतीकरण	79	—
11 के.वी. लाइन	132.44 कि.मी.	38.185 कि.मी.
एल.टी. लाइन	58 कि.मी.	48.691 कि.मी.
वितरण ट्रान्सफार्मर	95	35
ऋण प्राप्ति (3/99 तक)	रु. 211.220 लाख (स्वीकृत राशि)	रु. 94.619 लाख

योजना का मुख्य लक्ष्य राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण था, जिसे पूर्ण रूप में प्राप्त कर लिया गया है। ढाणियों व मजरों में विद्युत कनेक्शन की मांग आने पर नियमानुसार विद्युत तंत्र का विस्तार कर कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान किया हुआ है। इस कार्य हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में समग्र विकास हेतु स्वीकृत राशि

393. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र के समग्र विकास के लिये वर्ष 1998-99 में संचालित सामुदायिक एवं व्यक्तिगत लाभ की विभिन्न योजनाओं के लिये राज्य मद में कितनी राशि का प्रावधान किया गया?

(2) राज्य मद के वार्षिक प्रावधान में से उपयोजना क्षेत्र में आने वाले जिलों को कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई? आबंटित राशि में से किस-किस जिले में सामुदायिक एवं व्यक्तिगत लाभ की योजना से कितने लोगों को लाभ पहुंचाया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र के समग्र विकास हेतु वर्ष 1998-99 में राज्य आयोजना मद से व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के अंतर्गत रुपये 4311.03 लाख एवं सामुदायिक लाभ की योजनाओं के अन्तर्गत रुपये 16434.28 लाख आवंटन किया गया था।

(2) उक्त राशि उपयोजना क्षेत्र में आने वाले सभी जिलों के लिए आवंटित की गयी है, योजना आवंटित राशि परिशिष्ट-1 एवं 2 पर तथा फरवरी, 1999 तक लाभान्वितों की संख्या परिशिष्ट-3 एवं 4 पर संलग्न है।

(राशि एवं संख्या का विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का मास्टर प्लान

394. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र स्थित, गणपति प्लाजा के मिस्टी मिडोज अरावली फोरजिंग, पंकज फोरजिंग हनुमान प्लाजा एवं रैजसी होटल की भूमि मास्टर लान में किस मकसद से आरक्षित है?

(2) क्या रीको को मास्टर प्लान बदलने का अधिकार है?

(3) क्या मास्टर प्लान के विरुद्ध कोई निर्माण कार्य हुआ है? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं हो, क्यों? अब सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(4) क्या उक्त संस्थान ने भवन निर्माण से पूर्व स्वीकृति ली है? क्या टपूकड़ा सब तहसील जिला अलवर का मास्टर प्लान घोषित हो गया है? यदि हां, तो मास्टर प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित गणपति प्लाजा के मिस्टी मिडोज, पंकज फोरजिंग, अरावली फोरजिंग हनुमान प्लाजा एवं रीजिसी होटल की भूमि रीको क्षेत्र में सोहना रोड़ पर स्थित है, जिसमें रिजेंसी होटल की भूमि भिवाड़ी मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय उपयोग तथा शेष संस्थानों की भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) जी, नहीं।

(3) रीको के प्रबन्ध निदेशक में निहित अधिकारों के तहत औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि को सामाजिक आधारभूत सुविधाओं के प्रयोजनार्थ औद्योगिक भू-खण्डों का परिवर्तन किया जा सकता है।

(4) रीको भू-निपटान नियम, 1979 के तहत उक्त संस्थानों ने स्वीकृति ली है। टंपूकड़ा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राजस्थान उप क्षेत्र के अन्तर्गत एक सर्विस सेन्टर है, जिसका फिलहाल कोई मास्टर प्लान अधिकृत नहीं हुआ है।

जिला झालावाड़ के एनीकट्स

395. **सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर) :** क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ के वन क्षेत्र में कुछ एनीकट्स का निर्माण कार्य किया गया था? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में जिले में किन-किन स्थानों पर कुल कितने एनीकट्स का निर्माण कराया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या एनीकट्स के निर्माण की स्वीकृति से पूर्व तकनीकी राय ली गई? यदि हां, तो किस स्तर के तकनीकी विशेषज्ञ या अभियन्ता की?

(3) क्या सरकार द्वारा बनाये गये एनीकट्स के निर्माण का भौतिक सत्यापन कर माप पुस्तिकाओं में दिखाया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त एनीकट्स निर्माण में की गई अनियमितताओं, घटि सामग्री का प्रयोग और मानदण्डों के अनु निर्माण नहीं कराये जाने की जांच कर का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों

उत्तर

(1) जी हां। गत पांच वर्षों झालावाड़।

(2) जिले में 15 एनीकटस का निर्मा वन विभाग द्वारा करवाया गया है। जि स्थलों पर एनीकट् निर्माण कराया गया उनकी स्थलवार सूची सदन की मेज प रख दी गई है।

(3) जी हां। झालावाड़ जिले में बनवाये गये 15 एनीकट्स में से 3 का निर्माण कोटा में पदस्थापित अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियन्ता जो कृषि अभियांत्रिकी विषय में दक्ष है उनके तकनीकी मार्गदर्शन में बनाये गये है। अवशेष 12 एनीकट्स मंडल वन अधिकारी झालावाड़ के अधीन पदस्थापित क्षेत्रीय वन अधिकारियों द्वारा बनाये गये हैं। क्षेत्रीय को एनीकट निर्माण से पूर्व निदेशक परियोजनाएं (भू-संरक्षण) वन विभाग कोटा में एनीकट निर्माण संबंधी प्रशिक्षण दिलाया गया था। जी हां। भौतिक सत्यापन करने के पश्चात् ही तत्सम्बन्धी ब्यौरा माप पुस्तिका में दर्ज किया गया है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) वन मण्डल, झालावाड़ के द्वारा निर्मित 12 एनीकट्स में से एक एनीकट लायफल के निर्माण के संबंध में प्राप्त शिकायत की जिला स्तरीय सतर्कता एवं पर्यवेक्षण

(राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण)

समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग झालावाड़ से जांच करवाई जा रही है।

गत पांच वर्षों में जिला झालावाड़ में बनाये गये एनीकट्स का कार्यस्थलवार विवरण : —

क्र.सं.	ग्राम/कार्यस्थल जहां एनीकट बनाया गया	नाम तहसील
1.	तारज	खानपुर
2.	अम्बाला	खानपुर
3.	अमरपुरा	झालरापाटन
4.	अजेडा	खानपुर
5.	बिनायका	गंगरार
6.	बादरी	अकलेरा
7.	मोटला (चिंकलो)	खानपुर
8.	लायफल	खानपुर
9.	खजूरखुर्रा	झालरापाटन
10.	आमझर	खानपुर
11.	बावड़ी खेडा	झालरापाटन
12.	कंवरपुरा	झालरापाटन
13.	कोटडा	झालरापाटन
14.	झिरनीयाँ	झालरापाटन
15.	सलोतिया	झालरापाटन

झालावाड़ जिले में गत 5 वर्षों मे बनाये गये एनीकट्स का एम.बी. में दर्ज करने सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	नाम स्थल जहां एनीकट बनाया गया है	एम.बी. सख्या जिसमें कार्य शतप्रतिशत भौ. सत्या. उ. दर्ज किया गया है।	एम.बी. में कार्य दर्ज करने आले अ. का पद
1	2	3	4
1.	तारज	28	क्षेत्रीय वन अधिकारी, खानपुर
2.	अम्बारा	28	क्षेत्रीय वन अधिकारी, खानपुर
3.	अमरपुरा	40	क्षेत्रीय वन अधिकारी, बकानी
4.	अजेड़ा	28	क्षेत्रीय वन अधिकारी, खानपुर
5.	बिनायगा	43	क्षेत्रीय वन अधिकारी, डग
6.	बांदरी	19	क्षेत्रीय वन अधिकारी, अकलेरा
7.	मोटला (चिकलो)	21	क्षेत्रीय वन अधिकारी, खानपुर
8.	लायफल	24	क्षेत्रीय वन अधिकारी, खानपुर
9.	खजूरखुर्रा	9	क्षेत्रीय वन अधिकारी, बकानी
10.	आमझर	23	क्षेत्रीय वन अधिकारी, खानपुर

1	2	3	4
11.	कंवरपुरा	13	क्षेत्रीय वन अधिकारी, असनावर
12.	बावड़ीखेड़ा	8	क्षेत्रीय वन अधिकारी, बकानी
13.	कोटड़ा	25 एवं 32	कनिष्ठ अभियन्ता, वानिकी विकास परियोजना, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, कोटा
14.	झिरनियां	"	कनिष्ठ अभियन्ता, वानिकी विकास परियोजना, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, कोटा
15.	सलोतिया	"	कनिष्ठ अभियन्ता, वानिकी विकास परियोजना, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, कोटा

सहकारी भूमि विकास बैंक झुन्झुनूं में अनियमितताएं

396. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी भूमि विकास बैंक झुंझुनूं के सचिव अधिकतर जयपुर में रहते हैं तथा अपनी उपस्थिति पंजिका भी अलग रखते हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि सचिव भूमि विकास बैंक झुंझुनूं माह अक्टूबर, 1998 के डाक बंगले में रह रहे हैं? क्या वे बैंक कोष से मकान किराये के नाम पर मकान किराया ले रहे हैं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त बैंक की शाखा नवलगढ़ में दिनांक 10-9-97 से 16-9-97 के बी स्प्रिंकलर सेटों का गलत फर्म को भुगतान किया गया व शाखा सचिव द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त बैंक की चिड़ावा ब्रांच में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दैनिक वेतन पर बैंक के पास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध होने पर भी रखा हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। तत्कालीन प्रशासक के आदेशानुसार सचिव, बैंक के लिए अलग से ही उपस्थिति पंजिका का संधारण किया जा रहा है।

(2) जी, हां। सचिव बैंक अस्थाई रूप से समय-समय पर डाक बंगले में रहते रहे हैं। उनके द्वारा मकान किराया नियमानुसार पूर्व पदस्थापन स्थान का ही उठाया जा रहा है, जिसकी अधिकतम अवधि 6 माह है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

परिशिष्ट-5

(तारांकित प्रश्न संख्या-360 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र दूदू ग्राम ईटाखोई, नगरी, खाजपुरा, पीगून, एवं छप्या में विभिन्न श्रेणी के लम्बित आवेदकों का विवरण

क्र.सं.	पिता का नाम	आवेदक का नाम	दिनांक	श्रेणी
1	2	3	4	5
1.	खाजपुरा	रामेश्वर/हरकरण जाट	7.7.95	कृषि
2.	"	रामेश्वर/छीतर जाट	"	"
3.	"	बक्तावर/छीतर जाट	"	"
4.	पीगून	श्रीमती ग्यारसी/	29.4.94	"
		राजाराम जाट	"	"
5.	"	गोरधन/ औंकार खाती	"	"
6.	"	माधो/काना जाट	17.2.95	"
7.	"	गोरधन/काना जाट	"	"
8.	"	गाधी/काना जाट	27.5.95	"
9.	ईटाखोई	भोमाराम/घीसा बलाई	14.9.93	घरेलू
10.	"	बोदू/जयदेव	"	"
11.	"	सूरजकरण/मूला	"	"
12.	"	धन्नीपुरी/भुरपुरी	"	"
13.	"	रामकिशनपुरी/भुरपुरी	"	"
14.	"	बजरंगपुरी/रामेश्वरपुरी	"	"
15.	"	चांद खां/भूरू खां	"	"
16.	"	घीसा/लादू बैरवा	"	"
17.	"	नन्दा/भूरा जाट	"	"
18.	"	नन्दा/गिरधारी बलाई	"	"
19.	"	रोडमल/धन्नालाल	"	"
20.	"	रामगोपाल/मदनलाल	"	"
21.	"	रामचन्द्र/बालूराम शर्मा	"	"

1	2	3	4	5
22.	ईटाखोई	रामचन्द्र/बालूराम शर्मा	14.9.93	घरेलू
23.	"	जगदीश/लालूराम शर्मा	"	"
24.	"	मोहनलाल/श्रीलाल शर्मा	"	"
25.	"	नन्दा/ भंवरलाल शर्मा	"	"
26.	"	नन्दकिशोर/जगन्नाथ	"	"
27.	"	सुमेरसिंह/श्रीराम सिंह	"	"
28.	"	मंगेज सिंह/ भरत सिंह	"	"
29.	"	काना/सुण्डा बैरवा	"	"
30.	"	किशना/पांचू	"	"
31.	"	किशन लाल/पांचू गुर्जर	"	"
32.	"	भूरा/रामलाल	"	"
33.	"	रामगोपाल/किशन लाल	8.2.94	कृषि
34.	"	श्रीमती उच्छरकंवर/लक्ष्मण सिंह	24.2.94	"
35.	छप्या	भगवान सिंह	26.4.91	घरेलू
36.	"	भानसिंह/जोरावर सिंह	"	"
37.	"	बाबू खां/बोदू खां	"	"
38.	"	जगदीश प्रसाद/चतरूराम	"	"
39.	"	सरदार सिंह/भैरूसिंह	"	"
40.	"	बजरंग लाल/चन्दा बैरवा	"	"
41.	"	नोरतराम/लक्ष्मणराम बैरवा	"	"
42.	"	छीतर/रामा बैरवा	"	"
43.	"	छीतर खां/सांवत खां	"	"
44.	"	लादूसिंह/सांवत सिंह	"	"
45.	"	छीतर/सूण्डा बैरवा	"	"
46.	"	हनुमान प्रसाद/भूराराम	"	"
47.	"	सूरजकरण/रामू बैरवा	"	"

1	2	3	4	5
48.	छप्या	नाथूराम/केसरा बैरवा	26.4.91	घरेलू
49.	"	मदन लाल/भैरूराम दरोगा	"	"
50.	"	आनन्दराम/गोपीराम	"	"
51.	"	मोतीसिंह/समदरा सिंह	"	"
52.	"	सुमेर सिंह/रूप सिंह	"	"
53.	"	नरपत सिंह/समदरा सिंह	"	"
54.	"	हरजीराम/लक्ष्मणराम बैरवा	"	"
55.	"	पीर मोहम्मद/बदू खां	"	"
56.	"	सूरजकरण/बन्ना दरोगा	"	"
57.	"	छीतर दास/कानदास्वामी	"	"
58.	"	नन्दा/श्योदान गुर्जर	"	"
59.	"	बजरंग लाल/मांगूसैन	"	"
60.	"	नोरत/गोगा दरोगा	"	"
61.	"	सूरजकरण/गोकुलदास	"	"
62.	"	बालू/भूरा मीणा	"	"
63.	"	सीताराम/जुझाराम मीणा	"	"
64.	"	रंगलाल/हरदेव गुर्जर	"	"
65.	"	गंगाराम/सुजाराम गुर्जर	"	"
66.	"	हरकिशन/नारायण गुर्जर	"	"
67.	"	नाहरसिंह/सांवतसिंह	"	"
68.	"	भोलू/दीन खां	"	"
69.	"	गफूर खां/नसीर खां	"	"
70.	"	सुब्हान/अजीम खां	"	"
71.	"	श्योजीराम/भूरा बलाई	"	"
72.	"	भोपाल सिंह/बधुला सिंह	"	"
73.	"	मूल सिंह/गुलाब सिंह	"	"
74.	"	सुबलाराम/धोकलराम मीणा	"	"
75.	"	सरदार/बोदराम मीणा	"	"
76.	"	सुवालाल/रामचन्द्र मीणा	"	"
77.	"	भैरू/केसरा बलाई	"	"

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-498 का विवरण)

परिशिष्ट-अ

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	2	3
(अ)	राजकीय क्षेत्र	
1.	सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह चरण प्रथम-इकाई द्वितीय	250
2.	सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह चरण द्वितीय	2×250
3.	रामगढ़ गैस विस्तार परियोजना	2×35.5
4.	मथानिया सौर ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजना (रैड़ा द्वारा क्रियान्वयन)	140
5.	जाखम पन विद्युत परियोजना	2×2.5
6.	कोटा तापीय विद्युत परियोजना, चरण चतुर्थ	210
(ब)	निजी क्षेत्र	
1.	धौलपुर ताप विद्युत परियोजना	702.7 (नेफ्था ईंधन आवंटन 635 मेगावाट)
2.	बरसिंगसर लिग्नाईट खनन एवं विद्युत उत्पादन परियोजना	500
3.	कपूरड़ी लिग्नाईट जालीपा लिग्नाईट खनन एवं विद्युत परियोजना	600 (विद्युत क्रय अनुबन्ध 600 होना शेष है)
4.	एल.एस.एच.एस. फर्नेस आयल अथवा तरल ईंधनों पर आधारित लघु परियोजनाएं (संख्या-24)	2646 (नेफ्थाईंधन का आवंटन 580 मे.वा., फरनेस आयल/ एल.एस.एच.एस. आधारित 200 मेगावाट)

1	2		3
5.	सौर ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजना (संख्या-3)	300	(1×50 मे.वा. के लिए क्रय अनुबन्ध मै. सनसोर्स से बाड़मेर के लिए हो चुका है। 1×50 मे.वा. के लिए क्रय अनुबन्ध मै. एमको एनरोन से जैसलमेर के लिए हो चुका है।)
6.	बाड़मेर जिले में लिग्नाईट आधारित परियोजना (संख्या-1)	250	(विद्युत क्रय अनुबन्ध अपेक्षित)
7.	केप्टिव पावर प्लांट (संख्या-2)	130-180	(विद्युत क्रय अनुबन्ध होना शेष है।)
(स)	सार्वजनिक क्षेत्र		
	केप्टिव पावर प्लांट	100	(विद्युत क्रय अनुबन्ध होना शेष है)
(द)	केन्द्रीय क्षेत्र		
1.	अन्ता चरण-द्वितीय (एन.टी.पी.सी.)	650 मे.वा.	(राज्य का हिस्सा 130 मे.वा.)
2.	राजस्थान अणु विद्युत गृह चरण-तृतीय एवं चतुर्थ (एस.पी.सी.)	2×220	मे.वा. (राज्य का हिस्सा 88 मे.वा.)

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या--505 की प्रतियां)

परिशिष्ट"अ"

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

No.RSEB/Karmik/P.22(771)/Tr.97/D.913. Jaipur,

March 6, 1997

ORDER

The following transfers and postings of Helper-II are hereby ordered with immediate effect in the interest of Boara's works :

S.No.	Name of employee	From	To
1.	Sh. Shanti Lal	AEN (Rurel), R.S.E.B. Pindwara,	At the disposal of SE (O&M), Barmer.
2.	Sh. Manohar Singh	AEN (CSD-I), RSEB, Pali,	" "
3.	Sh. Sona Ram	AEN (O&M) RSEB, Sojat-city,	" "
4.	Sh. Jassa Ram	AEN (Rural), RSEB, Kharchi.	" "

They shall not be transferred elsewhere by any autharity without seeking prier approval of this office.

By order

Sd.

(G.R. Sharma)

परिशिष्ट "ब"

गोपनीय

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (पवस) पाली

क्र.राराविमं/अअ(पवस) पाली/अनु.कार्मिक/प्रे.335 दिनांक 3/1/97

श्रीमान् निदेशक (कार्मिक)

राज.राज्य विद्युत मण्डल,

जयपुर (राज.)

विषय— जोधपुर जोन से बाहर स्थानान्तरण करने हेतु।

उपरोक्त विष्य में निवेदन है कि इस वृत्त के निम्नलिखित कर्मचारियों जिनका कार्य संतोषजनक नहीं है तथा अपने कार्य के प्रति उदासीन/लापरवाह है साथ ही समय-समय पर कर्मचारियों/अधिकारियों के मण्डल कार्य में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं अतः इन कर्मचारियों का स्थानान्तरण जोधपुर जोन के बाहर करने का कष्ट करें : —

सम्बन्धित अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं अतः यदि इनका स्थानान्तरण इस बीच में जोधपुर जोन से बाहर हो जाये तो विभाग के हित में रहेगा : —

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद	वर्तमान कार्यालय का नाम
1.	श्री शांतिलाल	सहायक-II	सहायक अभि.(ग्रामीण) पिण्डवाड़ा
2.	श्री राम लाल	सहायक-II	सहायक अभि.(ग्रामीण) पिण्डवाड़ा
3.	श्री इन्दु राम	सहायक-II	सहायक अभि.(ग्रामीण) पिण्डवाड़ा
4.	श्री हिन्दुराम	सहायक-II	सहायक अभि.(ग्रामीण) पिण्डवाड़ा
5.	श्री तुलसा राम	सहायक-II	सहायक अभियन्ता (मा.वि.नि) रा.रा.वि.म., खारची
6.	श्री मनोहर सिंह	सहायक-II	सहा.अभि.(न.व.खण्ड-प्रथम) पाली
7.	श्री सोना राम	सहायक-II	सहा.अभि.(पवस) सोजत सिटी
8.	श्री जस्सा राम	सहायक-II	सहा.अभि.(ग्रा) खारची

ह.
अधिक्षण अभियन्ता (पवस)
राज. राज्य विद्युत मण्डल, पाली

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-508 की सूची) परिशिष्ट-"अ"

सोलहवीं पशुगणना सेन्सस 1997 जिलेवार भेड़ गणना

क्र.सं.	नाम जिला	भेड़ संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	714009
2.	अलवर	109561
3.	बांसवाड़ा	24144
4.	बारां	18421
5.	बाड़मेर	1511992
6.	भरतपुर	90086
7.	भीलवाड़ा	845288
8.	बीकानेर	1147992
9.	बूंदी	86661
10.	चित्तौड़गढ़	134218
11.	चूरू	642391
12.	दौसा	48529
13.	धौलपुर	12986
14.	डूंगरपुर	143354
15.	श्रीगंगानगर	350878
16.	जयपुर	347819
17.	जैसलमेर	1207790
18.	जालौर	710092
19.	झालावाड़	16411
20.	झुन्झुनूं	222795

	2	3
	जोधपुर	1560345
	कोटा	29167
	नागौर	1171576
	पाली	1369119
।.	राजसमन्द	219118
।.	सवाईमाधोपुर	77989
7.	सीकर	306360
8.	सिरोही	302604
9.	टोंक	310532
0.	उदयपुर	244017
1.	हनुमानगढ़	291792
2.	करौली	44447
		14312493

भेड़ गणना प्राप्त करने का साधन-रेवन्यू बोर्ड अजमेर नं. वी.आर/स्टेट/सल.एस.सी/97 एफ-12/3260-90, दिनांक 15-4-98

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-509 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

क्र.सं.	आडिट रिपोर्ट वर्ष नाम	आक्षेप संक्षिप्त विवरण	दोषी व्यक्ति का नाम	राशि	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
1.	1994-95	1. माल कमी की राशि 18% ब्याज सहित वसूली जावे	श्री दौलतराम सैन	4751.45	राशि जमा नहीं हुई है। राशि जमा नहीं होने के कारणों की जांच करवाई जा रही है।
		2. अवधिपार दवाइयों की राशि	श्री सुन्दर लाल किनरा	15787.43	अवधिपार दवाइयां सप्लायर्स से बदलवाली गई है। अतः आक्षेप निरस्त हो गया है।
		3. अवधिपार दवाइयों की राशि	श्री मुकेश यादव	4703.15	अवधिपार दवाइयां सप्लायर्स से बदलवाली गई है अतः आरोप निरस्त हो गया है।
2.	1995-96	1. माल कमी की राशि का ब्याज	श्री किशनाराम चौधरी	3428.00	राशि जमा नहीं होने के कारणों की जांच की जा रही है।
3.	1996-97	1. माल कमी की राशि	श्री दौलतराम सैन	3231.86	राशि रसदी सं.-11532 दिनांक 9.12.97 से जमा हो चुकी है। आरोप निरस्त हो गया
4.	1997-98	1. रोकड़ पोता गबन 2. रोकड़ पोते गबन का ब्याज	श्री शिव प्रसाद सैन	935733.20 44521.00	श्री शिवप्रसाद सैन के विरुद्ध

1	2	3	4	5	6
		3. स्टाक गबन राशि का ब्याज 4. गोदाम किराये का अवास्तविक भुगतान	श्री शिव प्रसाद सैन	1671.00 24000.00	सरदारशहर थाने में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट संख्या 49/99 दिनांक 20.2.99 को दर्ज करवाई जा चुकी है एवं श्री सैन का दिनांक 6.10.98 को निलम्बित किया जा चुका है।
		5. अमानतों पर अवास्तविक ब्याज भुगतान 6. स्टाक गबन		49098.00 5850.00	श्री सैन के विरुद्ध राज. सह. संस्था अधि. 1995 की धारा 174 के अन्तर्गत प्रकरण सं. 530/98-99 संयुक्त पंजीयक, बीकानेर द्वारा दर्ज किया जा चुका है। श्री सैन के द्वारा प्रकरण में 59000.00 रु. जमा कराया जा चुका है। इनके खिलाफ सेवा नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी है।
				1059873.20	
		7. कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के लिए कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावें।	1. श्री नेपाल सिंह 2. श्री मोहम्मद सलीम मोलानी 3. श्री किशनाराम		श्री नेपाल सिंह, श्री मोहम्मद सलीम मोला एवं श्री किशनाराम को निलम्बित किया जा चुका है तथा सेवा नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी है।

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-513 का विवरण)

परिशिष्ट-1

सहरिया योजनान्तर्गत संचालित आश्रम छात्रावासों का विवरण

क्र.सं.	आश्रम छात्रावास का नाम	किस्म	स्वीकृति विद्यार्थी क्षमता	निर्णय होने का वर्ष
1.	भंवरगढ़	छात्र	50	81-81
2.	देवरी	छात्र	25	80-81
3.	केलवाड़ा	छात्रा	50	80-81
4.	शाहबाद	छात्रा	25	80-81
5.	समरानिया	छात्र	50	87-88
6.	बमनगंवा	छात्र	25	87-88
7.	गरडा	छात्र	25	90-91
8.	रेलावन	छात्र	25	84-85

परिशिष्ट-2

सहरिया परियोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन छात्रावासों के भवनों का विवरण

क्र.सं.	स्थान	स्वीकृत वर्ष	किस्म	क्षमता
1.	शाहबाद	95-96	छात्र	50
2.	बारां	96-97	छात्र	50
3.	किशनगंज	97-98	छात्रा	50

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-515 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

कृषि उपज मण्डी समिति के अन्तर्गत जिला सीकर में बनायी जा रही सम्पर्क सड़कों का विवरण

क्र.सं.	मण्डी समिति का नाम	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी.)	प्रशासनिक स्वीकृति (लाखों में)
1	2	3	4	5
1.	सीकर	सं.सड़क शिश्यू से मियां की ढाणी	3.00	7.35
2.		सं.सेवद बड़ी से रूल्याणामाली	5.75	44.00
3.		सं.बढ़ाढर से सांवलोदा पुरोहितान	1.18	11.27
4.		सं.मियां की ढ़ाणी से अजबपुरा	2.4	31.47
5.	श्रीमाधोपुर	सं.कल्याणपुरा से ढ़ाबावाली (मिसिंग लिंक)	3.00	25.04
6.		सं.श्रीमाधोपुर से पटवारी का बास	5.00	43.80
7.		सं.मूंडरू से फूटोला	3.00	22.70
8.		सं.अप्रोच सड़क रोयल	0.725	18.31
9.	सीकर	सं.रानोली से वैध की ढ़ाणी	2.425	36.65
10.	श्रीमाधोपुर	सं.दिवराला से अनन्तपुरा	2.50	37.10
11.	फतेहपुर	सं.बगड़ी से बादूसर	1.00	7.60
12.	फतेहपुर	सं.गारिण्डा से अठवास	3.00	22.70
13.	नीमकाथाना	सं.नीमकाथाना से कोटड़ा	5.7	52.68
14.	नीमकाथाना	सं.चला उदयपुरवाटी रोड से डेरी जोड़ा वाली	2.00	15.15
15.	नीमकाथाना	सं.सिरोही से अगवाड़ी	1.00	10.19
16.		सं.सड़क भूदोली प्रीतमपुरी रोड से झिराणा	3.00	22.70
17.		सं.नीमकाथाना कोटपूतली रोड से खादरा	4.00	30.30
18.		सं.बुजीवाड़ा से दीपावास	4.00	30.30
19.	फतेहपुर	सं.पनलावा से खींवासर	5.00	37.80
20.	फतेहपुर	सं.लक्ष्मणगढ़ से दूधवा	6.80	64.00

परिशिष्ट-12

परिशिष्ट–"अ

(अतारांकित प्रश्न संख्या-517 की रिपोर्ट)

MINUTES OF THE MEETING OF TECHNICAL COMMITTEE REGARDING A.D.P. RURAL ROADS HELD ON DT. 03.06.98

A meeting of the Techinical Committee regarding A.D.P. rural roads was held on dated 03.06.98 under the chairmanship of sh. Anil Vaish, Secretary to the Govt., Public Works Department, Rajasthan Jaipur in his chamber. The meeting was attended by the following officers.

1.	Sh. Bharat Meena, Administrator, R.S.A.M.B., Jaipur	Member
2.	Sh. B.S. Bhatnagar, Chief Enginer (R-II) PWD Raj. Jaipur	Member
3.	Sh. Ratnesh Kumar, ACE, RSAMB, Jaipur.	Special Invitee
4.	Sh. K.C. Sharma, SE (R-II) PWD	Special Invitee
5.	Sh. R.P. Choudhary, SE, RSAMB	Special Invitee
6.	Sh. R.C. Vyas, EE(M), Sectt.	Special Invitee

The various maters on the agenda note circulated by the Administrator, RSAMB were discussed and the following decisions were taken :

1. Extension of road lengths to connect the Govt. Buildings inside the village :

Public representatives from the various areas where the roads under ADP are being constructed have requested that the road passing through the villages should connect the important Govt. building inside the village. It was decided that if there is saving in the packages involving such roads, such extension to the road be granted. However there should not be any excess in the financial cost of the package on a/c of such extensions.

2. Construction of missing links between ADP Roads :

It was represented by the RSAMB that the following missing links deserve to be constructed to shorten the travelling distances :

(a) Missing link between L/R Gehlot and L/R Dabarbas-(Length 5 Km under district Alwar)

(b) Missing link between Bhakari and Bar Nagar-(Length 3 km under district alwar)

(c) Missing link between Nihalpura-Balahedi Road & L/R Baiju pada-(Length 3.70 km under district Dausa)

(d) Missing link between Hingota-Balahedi Road & L/R Baiju pada via Jhthaheda Kalan and Jhutaheda Khurd-(Length 3.60 km under district Dausa)

The construction of these missing links was approved against the savings in the respective packages with in over all financial ceiling of the ADP Road component with the RSAMB.

3. Extension of link road L/R Bhagwari Kalan-Bhagwari Khurd :

The proposals to extend the road to connent neighbouring dhani with a length of 1 km of the road was approved.

4. Missing link between village Rajkot and sitapura of Tonk District :

The proposals to construct missing link with 2.50 km length between these two villages already connected was approved on merits of better linkage to Deoli, Tonk and the market centres in these places and other areas beneficial to people of these villages.

All the cost on construction of these missing links will be met out from the overall saving in the rural roads component with the RSAMB. There will be no excess over the financial ceiling allotted to the RSAMB by the PCU.

Administrator	Secretary	Chief Engineer (R-II)
RSAMB, Rajasthan	PWD, Rajasthan	PWD, Rajasthan
Jaipur	Jaipur	Jaipur

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-520 का विवरण)

परिशिष्ट-"क"

क्र.सं.	सम्पर्क सड़क का नाम	प्रशासनिक दिनांक	स्वीकृति राशि (लाखों में)	लम्बाई कि.मी.	कार्यादेश का दिनांक	व राशि (लाखों में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सम्पर्क सड़क पायला खुर्द	14.7.98	6.00	1.00	31.10.98	38.12	कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना सम्भावित है।
2.	सम्पर्क सड़क सांवरड़ा	1.9.98	35.00	5.00	15.10.98	26.26	कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना सम्भावित है।
3.	सम्पर्क सड़क रामपुरा	17.11.98	32.00	8.00			निविदा विचाराधीन है।
4.	सम्पर्क सड़क सेवाली	17.11.98	54.00	9.00			निविदा विचाराधीन है।

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-521 का विवरण)

परिशिष्ट-"अ"

वर्ष 1990 से फरवरी, 1999 तक विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में बनायी गई सड़कों का विवरण

क्र.सं.	सम्पर्क सड़क का नाम	कार्य की स्थिति	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	सम्पर्क सड़क पीपलिया	कार्य पूर्ण	—
2.	सम्पर्क सड़क जलिया	कार्य पूर्ण	—
3.	सम्पर्क सड़क अरनिया जोशी से ऊंखलिया	कार्य पूर्ण	—
4.	सम्पर्क सड़क नाराणी चौकी से गागरोल	कार्य पूर्ण	—
5.	सम्पर्क सड़क केसून्दा	कार्य पूर्ण	—
6.	सम्पर्क सड़क बरवाड़ा नाका से अचलपुरा	कार्य पूर्ण	—
7.	सम्पर्क सड़क हडमतिया कुण्डाल	कार्य पूर्ण	—
8.	सम्पर्क सड़क बरेखन	कार्य पूर्ण	—
9.	सम्पर्क सड़क जावदा	कार्य पूर्ण	—
10.	सम्पर्क सड़क सतखण्डा से सीताराम जी का खेड़ा	कार्य पूर्ण	—
11.	सम्पर्क सड़क अरनोदा से चरलिया	कार्य पूर्ण	—
12.	सम्पर्क सड़क महूडियां से गोमाना	कार्य पूर्ण	—
13.	सम्पर्क सड़क स्वरूपगंज	कार्य पूर्ण	—
14.	सम्पर्क सड़क कदमाली	कार्य पूर्ण	—
15.	सम्पर्क सड़क कारूण्डा मोड से गोटड़ा	कार्य पूर्ण	—
16.	सम्पर्क सड़क करजू	कार्य पूर्ण	—
17.	सम्पर्क सड़क करेड़िया	कार्य पूर्ण	—
18.	सम्पर्क सड़क मुई	कार्य पूर्ण	—
19.	सम्पर्क सड़क फाचर अहिरान	कार्य पूर्ण	—
20.	सम्पर्क सड़क अरनिया माली	कार्य पूर्ण	—

1	2	3	4
21.	सम्पर्क सड़क बसेड़ा	कार्य पूर्ण	—
22.	सम्पर्क सड़क जलोदिया केलुखेड़ा	कार्य पूर्ण	—
23.	सम्पर्क सड़क अरनोदा (मांगरोल रोड़)	कार्य पूर्ण	—
24.	सम्पर्क सड़क ऊंखलिया	कार्य पूर्ण	—
25.	सम्पर्क सड़क कनेड़ा से मेलाना	कार्य पूर्ण	—
26.	सम्पर्क सड़क विजयपुर से कनेरा शेष कार्य	कार्य पूर्ण	—
27.	सम्पर्क सड़क सरसी	कार्य पूर्ण	—
28.	सम्पर्क सड़क गादोला से रठाजना	कार्य प्रगति पर	इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की संभावना है।
29.	सम्पर्क सड़क आख्या से अम्बामाता	कार्य पूर्ण	—
30.	सम्पर्क सड़क बडौली माधोसिंह	1 कि.मी. में पूर्ण	शेष कार्य संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त पूर्ण किया जाना सम्भव होगा।
31.	सम्पर्क सड़क सूबी	कार्य प्रगति पर	इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की सम्भावना है।
32.	सम्पर्क सड़क अचारी	कार्य प्रगति पर	
33.	सम्पर्क सड़क बांगरेड़ा	कार्य प्रगति पर	
34.	सम्पर्क सड़क मिनार्णा	कार्य प्रगति पर	
35.	सम्पर्क सड़क मावलिया	कार्य प्रगति पर	
36.	सम्पर्क सड़क बडौनी घाटा	कार्य प्रगति पर	
37.	सम्पर्क सड़क कालाकोट	कार्य प्रगति पर	
38.	सम्पर्क सड़क निम्बोंदा	कार्य प्रगति पर	
39.	सम्पर्क सड़क साठोला	कार्य प्रगति पर	इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की सम्भावना है।
40.	सम्पर्क सड़क मरजीवी	कार्य प्रगति पर	